जल प्रबंधन में जेण्डर समानता

संसाधन संदर्शिका

UNDP

WATER GOVERNANCE FACILITY

SIWI

GWA GENDER AND WATER ALLIANCE

CEE
Centre for Environment Education

विषयसूची

प्राक्कथन 4

आभार 5

संक्षेपाक्षर 6

अध्याय 1 संदर्शिका का परिचय **7–8**

1.1 संसाधन संदर्शिका 7

1.2 संदर्शिका का विकास 7

1.3 संदर्शिका का उद्देश्य 7

1.4 संदर्शिका की विकास कैसे हुआ? 7

1.5 संदर्शिका का उपयोग 8

अध्याय 2 जेण्डर एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) **9–28**

2.1 आई.डब्ल्यू.आर.एम. का परिचय 9

2.2 जेण्डर का परिचय 9

2.3 जेण्डर की परिभाषा 10

2.4 जेण्डर का ऐतिहासिक ढाँचा 11

2.5 आई.डब्ल्यू.आर.एम. का सिद्धान्त एवं उसके जेण्डर के निहितार्थ 11

2.6 एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन में जेण्डर परिप्रेक्ष्य का प्रयोग 13–18

2.6.1 जल क्षेत्र कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के प्रभावीपन व दक्षता हेतु सरोकार

2.6.2 पर्यावरणीय टिकाऊपन हेतु सरोकार

2.6.3 जल संसाधनों के उपयोग पर सही विश्लेषण की आवश्यकता

2.6.4 जेण्डर समानता, निष्पक्षता और सशक्तिकरण हेतु सरोकार

2.6.5 सरकारों व सहयोगियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं की समझ

2.6.6 आई.डब्ल्यू.आर.एम. पहलों में स्त्रियों एवं पुरूषों के बीच असमानतों व भिन्नताओं को समझने हेतु सहभागी प्रक्रियाएं

2.6.7 जेण्डर समानता से जुड़े मुद्दों के परिचय हेतु सहभागी विधियाँ

2.6.8 सहभागी विधियों द्वारा हित के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का चिन्हांकन

2.7 जल प्रबंधन में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ना 19–21

2.7.1 पहल या परियोजनाओं की सही शुरूआत

2.7.2 जेण्डर संवेदी अनुश्रवण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सूचक

2.8 संदर्भ 21–25

अध्याय 3 जेण्डर एवं जल क्षेत्रों के संसाधनों हेतु संदर्शिका **26–120**

3.1 परिचय 26

3.2 जेण्डर, शासन और जल संसाधन प्रबंधन 27

3.3 जेण्डर, जल और गरीबी 35

3.4 जेण्डर, स्वच्छता और सफाई 42

3.5 जेण्डर, घरेलू जल आपूर्ति और सफाई 49

3.6 जेण्डर और जल निजीकरण 59

3.7 जेण्डर, जल और कृषि 65

3.8 जेण्डर, जल और पर्यावरण 75

3.9 जेण्डर और मत्स्य–उद्योग 83

3.10 जेण्डर और समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंधन 88
3.11 जेण्डर और जल–संबंधी आपदायें 92
3.12 जेण्डर, जल और क्षमता विकास 99
3.13 जल क्षेत्रों में जेण्डर संबंधी नियोजन और साधन 107
3.14 जल क्षेत्रों के लिए जेण्डर अनुकूल बजट पहल 116

अध्याय 4 जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने का परियोजना चक्र 121–128

अध्याय 5 जल क्षेत्र की नीतियों एवं संस्थानों में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव 129–134

अध्याय 6 भारत में जल प्रबंधन में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय नीतियाँ 135–139

शब्दावली 140–142

केस स्टडी 143–252

अफ्रीकाः अफ्रीकी शहरों हेतु जलः जी.डब्ल्यू.ए. एवं यू.एन.–हैबिटैट के बीच साझेदारी 144
बांग्लादेशः बाढ़ आपातकालीन प्रबन्धन में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने पर आधारित प्रक्रियाएं। 148
बांग्लादेशः महिला, पुरुष एवं जलपम्प 151
ब्राजीलः महिला नेतृत्व को विशेष बढ़ावा 153
कैमरूनः ''साथी हाथ बढ़ाना'' महिलाओं की भागीदारी से जल प्रबंधन में बदलाव– हुओण्डा 156
मिस्रः जल एवं स्वच्छता में समुदाय व घरेलू निर्णयों में महिलाओं का भागीदारी हेतु सशक्तिकरण 159
घानाः समारी–क्वान्ता समुदाय की ग्रामीण जल परियोजना में जेण्डर एकीकरण 162
वैश्विकः जल एवं स्वच्छता विषयक पेपर पर सुझावः इंटरएजेंसी जेण्डर एवं जल कार्यदल से जुड़ी केस स्टडीज 165
ग्वाटेमालाः "एल नारान्जो" नदी जलागम (वॉटरसेड) संगठन में महिलाओं और पुरुषों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति 172
भारतः अलगाव से एक सशक्त समुदाय की ओरः एक स्वच्छता परियोजना में जेण्डर के मुख्यधारा से जुड़ाव के दृष्टिकोण को लागू करना, तमिलनाडु 175
भारतः अर्द्ध–शुष्क क्षेत्रों में घरेलू जलापूर्ति से आर्थिक लाभ एवं जेण्डर 178
भारतः सहभागी सिंचाई प्रबंधन में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ावः आगा खाँ ग्रामीण सहयोग कार्यक्रम का एक केस अध्ययन 182
भारतः आर्सेनिक शोधन कार्यक्रम एवं महिलाओं की भूमिका, पश्चिम बंगाल 185
भारतः समय के साथ बदलती सोच 191
भारतः सामूहिक प्रयासों से दूर की पानी की समस्या 195
इंडोनेशियाः एक्वा डैनोन एडवोकेसी प्रोग्राम में महिलाओं की भागीदारी – क्लातेन जिले की केस स्टडी, केन्द्रीय जावा 196
इंडोनेशियाः महिला सहभागिता एवं जल प्रबंधन, जावा 199
जॉर्डनः कुशल प्रबंधन, महिलायें एवं टिकाऊ परियोजनाएं 201
केन्याः सामुदायिक जल प्रबंधन में जेण्डर भेद–भावः मचाकोस 204
निकारागुआः जल एवं स्वच्छता तक पहुँच के लिए जेण्डर समानता 206
नाइजीरियाः पेयजल स्रोतों की सुरक्षा और जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना 209
पाकिस्तानः परदे से सहभागिता की ओर 212
पाकिस्तानः जागरूकता से जुड़ी आत्मविश्वास की ओरः बांदा गोल्रा जल आपूर्ति योजना 215

में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
सेनेगलः समुद्री एवं समुद्रतटीय संसाधनों में महिलाओं की भूमिका, कायर 218
दक्षिण अफ्रीकाः स्वच्छता एवं ईंट निर्माण परियोजना में महिलायें, माबुल गाँव 224
दक्षिण एशियाः जमीनी स्तर पर जल एवं गरीबी संबंधी मुद्दों का संबोधनः क्षेत्रवार जल भागीदारी एवं महिलायें तथा दक्षिण एशिया के जल नेटवर्कों पर एक केस स्टडी 227
तंजानियाः जेण्डर व स्वच्छ जलीय संसाधनों की सुरक्षा 233
टोगोः स्कूल एस.एस.एच.ई. में स्वच्छता के प्रचार–प्रसार में जेण्डर एकीकरण 234
यूगांडाः नीति में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ावः यूगांडा की जेण्डर जल रणनीति का परीक्षण 237
संयुक्त राष्ट्रः पीछे हटने से इन्कार *द्वारा–मॉरीन टेलर, मिशिगन वेल्फेयर राइट ऑर्गनाइजेशन* 240
उरुग्वेः विरोध के साथ निजीकरण 242
जिम्बाम्बेः चिंपिन्गे जिले के मैन्जवीर गाँव में जलापूर्ति और स्वच्छता में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव 244
जिम्बाम्बेः सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा जल एवं स्वच्छता परियोजना में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव संबंधी पहल 247

प्राक्कथन

विकासशील विश्व में निवास करने वाले सभी लोग जल एवं जेन्डर परिदृश्य से भलीभांति परिचित हैंः जहाँ एक ओर महिलायें घरेलू आवश्यकताओं हेतु जल को एकत्र करने का कार्य करती हैं, वहीं दूसरी ओर पुरुष स्थानीय जल एवं राष्ट्रीय दोनो स्तरों पर, जल संसाधन प्रबंधन व विकास से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि नीतियां, कार्यक्रम व परियोजनायें, जो जेन्डर असमानताओं को सम्बोधित करती है। महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए एक समान रूप से जल संसाधन प्रबंधन व मानव विकास संबंधी अवसरों को भलीभांति सुनिश्चित करेंगी। एक ऐसे विश्व में जहाँ जल की कमी, जलवायु परिवर्तनशीलता, आपदायें एवं संघर्ष स्वच्छ एवं टिकाऊ जल संसाधनो तक लोगो की पहुँच को प्रभावित करती हैं, वहाँ जेण्डर विश्लेषण को विशिष्ट संदर्भ में लिया जाना चाहिए। जल के उत्पादक बनाम घरेलू उपयोग, जल एवं भूमि पर महिलाओं व पुरुषों की पहुँच व नियंत्रण, ऋण एवं व्यापक सेवाओं के साथ–साथ जल शासन में सक्रिय भागीदारी कुछ ऐसे मुद्दों के उदाहरण हैं, जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं या पुरुषों कि पहुँच *किस* प्रकार के जल संसाधनों तक है और *क्यों* यह निर्धारित करने के लिए जेण्डर विभाजन व सामाजिक संबंधो के शक्तियों का; श्रेणी, जाति, नास्तिक या आस्तिक वर्ग, आयु, योग्यता एवं वैवाहिक स्थितियों द्वारा, निर्धारण किया जाता है।

यू.एन.डी.पी की जल प्रबंधन में जेन्डर समानता पर तैयार प्रारम्भिक संदर्शिका का विमोचन वर्ष 2003 में क्योटो में आयोजित तृतीय वर्ल्ड वाटर फोरम के दौरान किया गया। इसके बाद से प्राप्त फीडबैक को देखते हुए द्वितीय संस्करण का निर्माण एवं विमोचन 2006 में मेक्सिको में आयोजित चर्तुथ वर्ल्ड वाटर फोरम के दौरान किया गया। इस संसाधन पर ली गयी टिप्पणियों एवं सुझाव के बाद अगस्त 2006 में पुनः चार भाषाओंः अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश व अरबी भाषा, में विमोचन किया गया। संसाधन संदर्शिका के वर्तमान संस्करण का रूसी, उर्दू, हिन्दी व बंगाली भाषा में संसोधित संस्करण तैयार किया गया है।

मूल अंग्रेजी संस्करण के अनुवाद के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्रीय संसाधन संदर्शिका में जेन्डर एवं जल नीतियों के विश्लेषण व क्षेत्र के साथ–साथ तथा लिखित साहित्य, जर्नलों, लेखों व क्षेत्रीय भाषा से संबंधित विशिष्ट पुस्तकों से लिए गए अन्य संसाधनो का संदर्भ लिया गया है। संसाधन संदर्शिका को क्षेत्र एवं भाषा के अनुरूप बनाने के लिए बांग्लादेश, भारत एवं पाकिस्तान में जेण्डर विशेषज्ञों, जल विशेषज्ञों एवं स्थानीय भाषा के जानकारों के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस तरह से संसाधन संदर्शिका का वितरण एवं उपयोग बेहतर तरीके से होने की ज्यादा संभावनाएं है।

इस संसाधन संदर्शिका की मूल विषयवस्तु को जल उपयोगों व जल तक पहुँच से जुड़े विशिष्ट उद्देश्यों को लगभग 13 जल उपक्षेत्रो में बाँटा गया है। संसाधन संदर्शिका में दिये गये उपक्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जलापूर्ति, कृषि, तटीय जोन प्रबंधन, क्षमता विकास एवं जेण्डर अनुकूल बजट के बारे में बताया गया है। उपक्षेत्रों से संबंधित परिचय में वर्तमान नीतिगत वाद–विवाद व जेन्डर मुद्दों के बारें में विवरण दिया गया है। संदर्भों, संसाधनों (जिसमें निर्देशिकाएं व दिशा निर्देश सम्मिलित हैं), केस अध्ययनों व संबंधित वेबसाइटों, सभी का उपक्षेत्रों में सूचीबद्ध किया गया है। जेन्डर एन्ड वॉटर एलायंस के लेखकों ने इस दस्तावेज की लेखन प्रक्रिया में सरल पाठ्य सामग्रियों व स्पष्ट रूप से वर्गीकृत विषयों को ध्यान में रखा है। फिर भी पाठकों से अनुरोध है कि जब आप उपयोगी एवं अभिरूचि आधारित लेखों का खोज में हों तो कृपया इस संसाधन संदर्शिका का संदर्भ अवश्य लें। हालांकि बहुत से बहुमूल्य संसाधनों की पहचान कर उन्हें संकलित किया गया है परन्तु फिर भी अन्तराल उभरे हैं जिनपर क्षेत्र में अभी और शोध अध्ययनों की आवश्यकता है।

इस संसाधन संदर्शिका के द्वारा जी.डब्ल्यू.ए., यू.एन.डी.पी., यू.एन.डी.पी. वॉटर गवर्नेन्स फेसिलिटी, सी.आई.डब्ल्यू. आई., आई.आर.सी. एवं कैप–नेट विश्व के सभी गरीब महिलाओं, बच्चों व पुरुषों को सुव्यवस्थित जल सुविधाओं तक पहुँच संबंधी, विभिन्न जल विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों, जेण्डर विशेषज्ञों एवं अन्य के, प्रयासों में मदद करता है। हम भविष्य के संस्करणों एवं संसाधन संदर्शिका के वेबसाइट संस्करण, जो www. genderandwater.org पर उपलब्ध है, में सुधार हेतु इस संसाधन संदर्शिका के उपयोगकर्ताओं की ओ से टिप्पणियों, सुधार संबंधी सुझावों, केस अध्ययनों एवं अन्य फीडबैक का स्वागत करते हैं।

वैरेल फण्डावेयर्ड
निदेशक, ऊर्जा एवं पर्यावरण समूह
ब्यूरो ऑफ डेवलपमेन्ट पॉलिसी
यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.)

सारा अहमद
अध्यक्ष संचालन समिति
जेन्डर एन्ड वॉटर एलायंस
(जी.डब्ल्यू.ए.)

आभार

जल प्रबंधन में जेन्डर पर संसाधन संदर्शिका को तीन दक्षिण एशियाई भाषाओं में प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की टीमों के उत्कृष्ट सहयोग का ही परिणाम है। यह नया संस्करण, वर्ष 2006 के अंग्रेजी संस्करण का अनुवादित व संशोधित संस्करण है, जिसका विस्तार नए दस्तावेजों, रिपोर्टों व लेखों के माध्यम से किया गया तथा अब इसे हिन्दी, उर्दू एवं बांग्ला भाषा में मूलरूप से लिखा गया है। इसके अर्न्तगत इन देशों के दृष्टिकाणों, अतिरिक्त संसाधनों व केस अध्ययनों को सम्मिलित किया गया है।

कई लोगों, महिलाओं एवं पुरुषों तथा संगठनों ने इस कार्य को सम्पूर्ण करने में अभूतपूर्व एवं बहुमूल्य योगदान दिया है तथा हम उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी मेहनत की है। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते है, जिन्होंने इस संसाधन संदर्शिका के नई विषयवस्तु को मजबूत करने व सुधारने हेतु विभिन्न ई–मलों व वेबसाइटों के माध्यम से अपने फीडबैक एवं सुझाव दिए। जेन्डर एन्ड वॉटर एलायंस को गर्व है कि विभिन्न संगठनों, जैसेः यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) एवं एस.आई.डब्ल्यू.आई. (स्टॉकहोम इन्टरनेशनल वॉटर इन्स्टीट्यूट), ने आर्थिक सहयोग द्वारा इस संसाधन संदर्शिका में सुधार संबंधी कार्य का समर्थन किया है।

अंग्रेजी संस्करण के लेखक, सम्पादक और अनुवादक केरूप में हमारे जी.डब्ल्यू.ए. के जिन सहयोगियों ने मदद की है, उनके नाम हैंः प्रभा खोसला एवं सारा अहमद, मारिया एन्जेलिका एलेग्रिया, खदौजा मेलौली, बैटी सोटो, मार्सिया ब्रुस्टर, मामे दगाऊ डियोप, पाउलीन इक्यूमी, नोमा नेसेनी, सुसाना कैरेरा, हेला धारबी एवं निजार द्रीदी। उनके द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय है एवं हम इसके लिए उन सभी के आभारी हैं।

बांग्ला संस्करण का निर्माण डॉ. मोहम्मद मोसलेउद्दीन सादिक व निजामुद्दीन एनोन तथा रूकैया अहमद के सहयोग से, बेगम शमशुन नाहर के निर्देशन में अनुवादकों एवं लेखकों की एक टीम द्वारा किया गया है।

उर्दू संस्करण का निर्माण फिजा कुरैशी, शाहीन खान, नजीर अहमद एसानी एवं नवीद मेमोन के सहयोग से डॉ. यामीन मेमोन (मैनेजमेन्ट एन्ड डेवलपमेन्ट सेन्टर) द्वारा किया गया।

संसाधन संदर्शिका के हिन्दी संस्करण का विकास सुश्री प्रीति आर. कनौजिया (सेन्टर फॉर इन्वायरनमेन्ट एजुकेशन, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, भारत) के निर्देशन में अनुवादकों की एक टीम (नीरज कुमार पाल, आशुतोष कुमार द्विवेदी, ज्ञानेन्द्र कुमार दीक्षित व पूर्णेश त्रिपाठी) द्वारा किया गया है। इस कार्य में डोरिस कैन्टर विशर, सलाहकार, जी.डब्ल्यू.ए., भारत का भी सहयोग रहा।

हम, इतने कम समय में उनके द्वारा किए गए अथक सामूहिक कार्यों एवं बेहतरीन परिणामों की सराहना करते हुए अपना आभार प्रकट करते हैं। हम उन सभी लोगों को भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उस कार्य में विभिन्न माध्यमों से सहायता की है। संसाधन संदर्शिका में पूर्ण रूप से सम्मिलित होने योग्य चयनित केस अध्ययनों के सभी लेखकों के प्रति आभार प्रकट करने में विशेष ध्यान दिया गया है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हम उन लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वे जी.डब्ल्यू.ए. को सूचित अवश्य करें जिससे हम वेबसाइट एवं आगामी संस्करणों में उसे सुधार सकें।

इस संसाधन संदर्शिका में निरंतर संशोधन किए जा रहे हैं तथा यह जी.डब्ल्यू.ए. के वेबसाइट www.genderandwater.org साथ–साथ सहयोगी संगठनों के वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है। सभी टिप्पणियों एवं सुझावों का हम स्वागत करते हैं।

योक माउल्वीक
कार्यकारी निदेशक
जेन्डर एन्ड वॉटर एलायंस

संक्षेपाक्षर

कैप–नेट	कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इन्टीग्रटेड वाटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्ट
सी.बी.ओ.	कम्यूनिटी बेस्ड आर्गनाइजेशन्स
सी.ई.ई.	सेन्टर फॉर इन्वायरनमेन्ट एजुकेशन
एफ.ए.ओ.	फूड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गनाइजेशन
जी.आर.बी.आई.	जेण्डर अनुकूल बजट पहलें
जी.डब्ल्यू.ए.	जेण्डर एण्ड वाटर एलायन्स
जी.डब्ल्यू.पी.	ग्लोबल वाटर पार्टनरशीप
आई.आर.सी.	इण्टरनेशनल वाटर एण्ड सेनिटेशन सेन्टर
आई.यू.सी.एन.	द वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन
आई.डब्ल्यू.आर.एम.	एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (इन्टीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट)
एम.डी.जी.	मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल्स
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
ओ.एण्ड.एम.	संचालन एवं रखरखाव (ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स)
यूनेप	यूनाइटेड नेशन्स इन्वयारनमेन्ट प्रोग्राम
यूनीसेफ	यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फण्ड
यू.एन.डी.पी.	यूनाइटेड नेशन्स डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम
वाटसन	जल एवं स्वच्छता (वाटर एण्ड सैनिटेशन)
डब्ल्यू.एस.एस.डी.	टिकाऊ विकास पर शिखर सम्मेलन (वर्ल्ड सम्मिट ऑन सेस्टेनेबल डेवलेपमेंट)

अध्याय 1 संदर्शिका का परिचय

1.1 संसाधन संदर्शिका के बारे में

वर्ष 2003 में यह यूनाईटेड नेशन्स डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा प्रकाशित जल प्रबंधन में जेण्डर पर बनी प्रथम संसाधन संदर्शिका का अगस्त 2006 में प्रकाशित द्वितीय संस्करण है। यह संदर्शिका जल एवं जेण्डर के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं व विशेषज्ञों के साथ–साथ जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों एवं कोई भी व्यक्ति जो जल संबंधी क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक है, के लिए एक संदर्भ दस्तावेज है। यह एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने से जुड़ाव से संबंधित नए संसाधन प्रबंधन–प्रपत्रों, दस्तावेजों, किताबों, केस स्टडीज, साधनों व टूलकिट का संकलन है। यह मुख्यतः कार्यवाहियों के समर्थन व आगे के शोध एवं शिक्षा के लिए तैयार किया गया प्रमुख संसाधन है। नए क्षेत्रों के विशेषकर वर्तमान मुद्दों व तर्कों से जुड़े दृष्टिकोणों को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्ष 2006 के मध्य तक वेबसाइट पर उपलब्ध इस विषय से संबंधित संसाधनों के वेब लिंकों को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि वेबसाइटों के लिंक में परिवर्तन होते रहते हैं और हमारा यह सुझाव है कि आप प्रकाशकों से पूछताछ करने से पहले इन वेबसाइटों को देखने का प्रयास करें व नई वेबसाइटों को ढूँढें।

1.2 संदर्शिका का विकास क्यों हुआ?

आई.डब्ल्यू.आर.एम. में जेण्डर के मुख्यधारा में शामिल करने पर पहचानी गई आवश्यकताओं की सूचना के परिणामस्वरूप इस संदर्शिका को विकसित किया गया। हालांकि इससे जुड़ी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है जो विभिन्न संस्थानों व संस्थाओं के पास उपलब्ध हैं। जल क्षेत्र से जुड़े जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी विशिष्ट पहलुओं के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने में परेशानी होती है। यह संदर्शिका उनको सहयोग देती है जो अपने कार्यक्रमों व परियोजनाओं में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी प्रयास कर रहे हैं तथा यह जेण्डर व आई.डब्ल्यू.आर.एम. में उनके ज्ञान व कौशल को बढ़ावा देने में भी सहयोग देती है।

1.3 संदर्शिका का उद्देश्य

इस संसाधन संदर्शिका का उद्देश्य निम्नवत् हैः

- जेण्डर व आई.डब्ल्यू.आर.एम. संबंधी उपलब्ध साहित्य व संसाधनों तक पहुँच को सरल बनाना।
- जेण्डर समानता एवं विविधता अथवा सामाजिक समानता के विश्लेषण द्वारा जल संबंधी गतिविधियों के टिकाऊपन व प्रभावीपन को बढ़ावा देना।
- आसानी से उपलब्ध संसाधनों, केस स्टडीज व टूलकिटों के माध्यम से जेण्डर अवधारणाओं के प्रति लोगों की समझ विकसित कर जागरूक बनाना; और
- आई.डब्ल्यू.आर.एम. के नियोजन, क्रियान्वयन, प्रबंधन एवं अनुश्रवण संबंधी तरीकों में सुधार लाना।

1.4 संदर्शिका का विकास कैसे हुआ?

संसाधन संदर्शिका का विकास, पारस्परिक चर्चा द्वारा किया गया जिसमें जल संबंधी विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न महाद्वीपों में कार्यरत सलाहकारों, जल विशेषज्ञों, जेण्डर विशेषज्ञों, कार्यक्रम अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था। इस द्वितीय संस्करण का संकलन इण्टरनेशनल वाटर एण्ड सैनिटेशन सेन्टर (आई.आर.सी.) के तकनीकी सहयोग से जेण्डर एण्ड वाटर एलायन्स (जी.डब्ल्यू.ए.) द्वारा किया गया। इस प्रयास में जी.डब्ल्यू.ए., आई.आर.सी. तथा कैपनेट ने सहयोग दिया, जबकि यू.एन.डी.पी. ने आर्थिक मदद उपलब्ध करायी।

1.5 संदर्शिका का उपयोग

यह संसाधन संदर्शिका जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु न तो दिशा–निर्देश देती है और न ही इससे संबंधित चरणबद्ध टूलकिट प्रदान करती है। यह एक संदर्भ संदर्शिका है जिसका उपयोग, संदर्शिका में दी गई विषयवस्तु व सामग्रियों के साथ किया जा सकता है। यह आई.डब्ल्यू.आर.एम. के विभिन्न उप–क्षेत्रों के अन्तर्गत दिये गए मुद्दों पर प्रमुख जानकारी उपलब्ध कराती है। इसे संबंधित सामाजिक समानता व जेण्डर मुद्दों पर जागरूकता का प्रचार–प्रसार व ज्ञान को बढ़ाने व विश्लेषण करने हेतु तैयार किया गया है। संदर्शिका के अध्यायों व अनुभागों को उन पाठकों की सुविधा के अनुसार तैयार किया गया है जिससे वे अपनी रूचि के अनुसार विषय का चयन कर उतना ही भाग संदर्शिका से पढ़ सकते हैं। पाठकों के लिय यह सुझाव है कि वे अपनी रूचि के विषय के अनुसार संदर्शिका को पहले देख लें न कि संदर्शिका शुरू से अंत तक पढ़ें। अन्य अनुभाग पाठकों को अतिरिक्त सामग्री व संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि जल संसाधन प्रबंधन संबंधी अमूल्य जानकारी प्रदान करता है।

अध्याय 2: जेण्डर एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आई.डब्ल्यू.आर.एम.)

2.1 आई.डब्ल्यू.आर.एम. का परिचय

एकीकृत जल ससाधन प्रबंधन (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) जल संसाधनों के टिकाऊ विकास, आवंटन और अनुश्रवण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। आई.डब्ल्यू.आर.एम. की परिकल्पना और सिद्धांत को वर्ष 1992 में डबलिन में आयोजित जल और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एजेंडा 21 के 18वें अध्याय, और इसी वर्ष रियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन (यू.एन.सी.ई.डी.) से एक मतैक्य दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया।

आई.डब्ल्यू.आर.एम. सीमित शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए बढ़ रही प्रतिस्पर्धीय माँग की प्रतिक्रिया के रूप में तैयार की गयी जल प्रबंधन के बहु क्षेत्रीय व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य पर्यावरणीय तंत्रों के टिकाऊपन को बिना संकट में डाले आर्थिक व सामाजिक हित के लिए जल, भूमि और संबंधित संसाधनों को सुनिश्चित करना है (ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप, 2000)। आई.डब्ल्यू. आर.एम. में विशिष्ट पहल को मार्गदर्शित करने वाले सिद्धांतों, प्राथमिकताओं, नीति निर्माण आदि को नीति निर्माताओं, विश्लेषकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकारों ने सर्वसम्मति से तैयार किया है। मुख्य सिद्धांतों के अर्न्तगतः

- जल को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय निधि के रूप में समझा जाना चाहिए।
- जल नीतियों को केवल जल प्रावधान पर ही नहीं बल्कि समग्र रूप में जल के प्रबंधन पर केंद्रित होना चाहिए।
- सरकार को एकीकृत जल नीतियों एवं विनियामक ढाँचों के प्रावधान द्वारा जल संसाधन के टिकाऊ विकास को सुगम व समर्थ बनाना चाहिए।
- जल संसाधनों को निम्नतम उपयुक्त स्तर पर प्रबंधित करना चाहिए।
- महिलाओं और पुरूषों की जल प्रावधान, प्रबंधन और सुरक्षा में केन्द्रीय भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए।

आई.डब्ल्यू.आर.एम. को एक दर्शन, नीति या क्रियान्वयन दिशानिर्देश के रूप में लागू करने पर निम्नलिखित पहलुओं को संबोधित किया जा सकता हैः

- उन्नत जल शासन और विभिन्न जल क्षेत्रों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है जैसे पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता, सिंचाई और पारिस्थितिक तंत्र का रखरखाव।
- सभी क्षेत्रों से विभिन्न हितधारकों में और व्यक्तियों, समुदायों व सरकारों में संभावित प्रतिस्पर्धा और संघर्ष।
- पर्यावरणीय क्षरण जिससे कि इस ग्रह पर जीवन खतरे में है।
- जेण्डर और सामाजिक विषमता के संबंध में महिलाओं और पुरुषों के बीच संसाधनों, लाभों, कीमतों और निर्णय लेने पर नियंत्रण एवं निष्पक्ष पहुँच।
- गरीबी निवारण की कुंजी के रूप में टिकाऊ जल संसाधन के विकास की आवश्यकता।

2.2 जेण्डरः एक परिचय

जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया में किसी भी योजित कार्यवाही में महिलाओं और पुरुषों के लिए परिणामों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम शामिल हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों के सरोकारों और अनुभवों को एक अभिन्न आयाम के रूप में नीतियों व कार्यक्रमों की अभिकल्पना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण व मूल्यांकन में जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ताकि महिला और पुरुष बराबर–बराबर लाभ उठा सकें और विषमता जारी न रहे। मुख्य लक्ष्य जेण्डर समानता प्राप्त करना है {मुख्य धारा में परिवर्तन द्वारा} (ई.सी.ओ.एस.ओ.सी., 1997, जोर दिया गया है)।

जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में असमन्वित और क्षेत्रीय तरीके अपनाने के कारण पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है जिसमें जल संसाधनों के अति दोहन, प्रतिस्पर्धात्मक उपयोगों के बीच अनुचित आवंटन, लाभों और भारों का अनुचित वितरण और मूलभूत आवश्यक तत्वों का अपर्याप्त संचालन और अनुरक्षण शामिल है। महिला और पुरुष दोनों के अपर्याप्त भागीदारी ने टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं में विघ्न पैदा किया है। सामुदायिक सहभागिता और प्रबंधन के तरीके इन मुद्दों को संबोधित करने में असफल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर समुदायों को प्रायः एक आम उद्देश्य के साथ लोगों के जुटाव के रूप में देखा जाता रहा है।

वास्तविकता यह है कि एक समुदाय किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समान लोगों का समूह नहीं है। यह सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों और समूहों से बना है जो विभिन्न स्तर के अधिकार, धन, प्रभाव और आवश्यकताओं, सरोकारों और अधिकारों को अभिव्यक्त करने की अपनी योग्यता रखते हैं। समुदायों में प्रतिस्पर्धात्मक रुचि के समूह शामिल होते हैं। जहाँ पर संसाधनों की कमी होती है, वहाँ पर आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है– और वे लोग जो शक्ति क्रम में सबसे नीचे होते हैं जैसे गरीब महिला और पुरुष, उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। असमान शक्ति संबंधों के कारण महिलायें गैर लाभान्वित स्थिति में रहती हैं। जेण्डर विश्लेषण का प्रयोग करने से जल क्षेत्र एजेंसियों को अपने संसाधनों को विभिन्न महिलाओं और पुरुषों तथा सीमान्त समूहों की आवश्यकताओं के अनुसार आबंटन करने में मदद मिलती है।

यह आवश्यक नहीं है कि जन आधारित योजनाओं में हमेशा जेण्डर परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है। अतः जेण्डर को मुख्य धारा में लाने की सुविचारित रणनीति यह सुनिश्चित करने के लिए लाभप्रद हो सकती है कि वे मुद्दे जो महिला और पुरुष को प्रभावित करते हैं वे विश्लेषण, कार्यक्रम और परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का एक हिस्सा हों। यहाँ आवश्यक यह है कि जेण्डर को मुख्य धारा में शामिल करने पर जेण्डर समानता को एक जारी वचनबद्धता के रूप में सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संस्थानिक और संगठनात्मक परिवर्तन को संपादित करने में मदद मिल सकती है।

2.3 जेण्डर की परिभाषा

जेण्डर शब्द का संबंध पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं, अधिकारों और उत्तरदायित्वों और उनके बीच के संबंधों से है। जेण्डर के अन्तर्गत सामान्यतः महिलाओं या पुरुषों का उल्लेख ही शामिल नहीं है, बल्कि यह उनके गुण, व्यवहार और पहचान को सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित करने का एक रास्ता है। जेण्डर सामान्यतया असमान शक्ति और विकल्पों तथा संसाधनों तक पहुँच से जुड़ा हुआ है। महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न स्थितियाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यथार्थता से प्रभावित होती हैं। ये संबंध और उत्तरदायित्व समय–समय पर बदले जा सकते हैं या बदलते हैं।

इस संदर्शिका में, जेण्डर शब्द के प्रयोग में मानव अधिकारों में भेदभाव और उल्लंघन संबंधी महिलाओं के अनुभव को भी स्वीकार किया है। यह केवल उनके जेण्डर के आधार पर ही नहीं होता बल्कि अन्य शक्ति संबंधों के कारण भी होता है जो कि वंश, धार्मिक आस्था, जाति, वर्ग, आयु, योग्यता/अयोग्यता, धर्म और कई अन्य घटकों, चाहे वे देशज हों, पर निर्भर करता है।

महिला और पुरुष को विभिन्न समाजों में भिन्न–भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है; उनके आपस के संबंध को जेण्डर संबंध कहा जाता है। जेण्डर संबंध विभिन्न व्यवस्थाओं के फलस्वरूप पनपते हैं उदाहरणार्थ परिवार, कानूनी तंत्र या बाजार। जेण्डर संबंध महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति पर आधारित है और जिसमें महिला को लाभ प्राप्त नहीं होता है। इन समीकरणों को प्रायः 'प्राकृतिक' रूप में स्वीकार किया जाता है लेकिन ये सामाजिक तौर पर निर्धारित, सांस्कृतिक रूप पर आधारित संबंध हैं और समय–समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। जेण्डर संबंध गतिशील, संघर्ष और सहयोग दोनों विशेषताओं के साथ, और स्तर आधारित होते हैं जिनमें जाति, वर्ग, आयु और वैवाहिक स्थिति या परिवार में स्थिति शामिल हैं।

जेण्डर भिन्नताएं जैसे कि जन्म देने की क्षमता जैविक तौर पर निर्धारित होती है और साथ ही सामाजिक तौर पर निर्धारित जेण्डर भूमिकाओं से भिन्न होती है।

उपरोक्त को स्वीकार करते हुए, जेण्डर विश्लेषण महिलाओं और पुरुषों पर विकास के विभिन्न प्रभावों के समझने का सुव्यवस्थित तरीका है। जेण्डर विश्लेषण के अन्तर्गत आंकड़ों को जेण्डर से अलग रखकर समझने की जरूरत है कि किस प्रकार श्रम विभाजित और मूल्यांकित होता है। विकासात्मक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर जेण्डर विश्लेषण करना अत्यन्त आवश्यक है; यह हमेशा ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार एक विशेष गतिविधि, निर्णय या योजना महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा भिन्न रूप से प्रभावित करेगी (पार्कर, 1993)।

2.4 जेण्डर का ऐतिहासिक ढाँचा

विकास में महिलाओं व जेण्डर की भूमिकाएं पिछले कई दशकों के दौरान विकसित हुई हैं। वर्ष 1970 की शुरूआत तक, विकास नीतियाँ गरीब महिलाओं की जरूरतों को पूर्ण रूप से उनकी पत्नी और माँ की भूमिका के रूप में संबोधित करती थीं। अब इसे 'कल्याण' के तरीके के रूप में देखा जा रहा है जिसका केन्द्र बिन्दु माँ और बच्चे के स्वास्थ्य, बच्चे की देखभाल और पोषण पर है। ऐसा माना गया कि आधुनिकीकरण और विकास की ओर उन्मुख वृहद–आर्थिक रणनीतियों के लाभ गरीबों तक पहुँचेंगे, और गरीब महिलायें अपने पति की आर्थिक स्थिति सुधरने से लाभान्वित होंगी। महिलायें इन लाभों की अप्रत्यक्ष प्राप्तकर्ता थीं। जल और स्वच्छता सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवा और सफाई के संदर्भ में परिभाषित की गयीं जिन्हें महिलाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखा गया।

1970 और 1980 के दशकों में 'विकास में महिला' (वोमेन इन डेवलपमेंट–डब्ल्यू.आई.डी.) का उद्देश्य महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्तमान विकास प्रक्रिया में महिला–विशेष गतिविधियों को समन्वित करना था। महिलायें सामान्यतः इन परियोजनाओं, जो कि प्रायः महिलाओं को ज्यादा दक्ष उत्पादक बनने और उनकी आमदनी में वृद्धि करने पर जोर देती थीं, में अप्रत्यक्ष प्राप्तकर्ता थीं। यद्यपि कई डब्ल्यू.आई.डी. परियोजनाओं ने अल्पावधि में स्वास्थ्य, आमदनी या संसाधनों में सुधार किया, लेकिन उन्होंने असमान संबंधों को रूपांतरित नहीं किया, और ज्यादातर परियोजनाएं टिकाऊ नहीं थी। डब्ल्यू.आई.डी. परियोजनाओं में आम कमी यह थी कि उन्होंने महिलाओं की बहुल भूमिकाओं पर विचार नहीं किया या उन्होंने महिलाओं के समय और श्रम की क्षमता का गलत अनुमान लगाया।

1980 के दशक के अन्त में, 'जेण्डर एवं विकास' (जेंडर एंड डेवलपमेंट–जी.ए.डी.) के तरीके को महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संतुलन में जनआधारित विकास को प्राप्त करने के लिए पहली शर्त के रूप में मौजूद विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से विकसित किया गया। आज जल क्षेत्र में किये जा रहे ज्यादातर कार्य इसी पर आधारित हैं। यद्यपि इस तरीके के कई परिप्रेक्ष्य हैं और जल संसाधनों के प्रबंधन में समानता और निष्पक्षता बनाये रखने के लिए कोई भी कार्य–योजना नहीं है। दोनों डब्ल्यू.आई.डी. और जी.ए.डी. के तरीके अभी भी प्रयोग में हैं।

हाल के वर्षों में जेण्डर और सशक्तीकरण के तरीके से महिलाओं के स्व–सशक्तीकरण के द्वारा विद्यमान जेण्डर संबंधों को रूपांतरित करने का प्रयास किया गया है।

2.5 आई.डब्ल्यू.आर.एम. के सिद्धांत और उसके जेण्डर संबंधी प्रभाव[1]

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) जल संसाधनों के प्रबंधन में परिवर्तन का अलग उदहारण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। भौगोलिक पर्यावरणीय संकट, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी, और सतत् जेण्डर असमानता सभी इस ओर इशारा करते हैं कि जल के प्रयोग और उसके प्रबंधन के लिए भिन्न शासन दृष्टिकोणों की आवश्यकता है।

इस तरह के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए विभिन्न संस्थानों, नीति और नियामक ढाँचों और सुविचारित उपायों के बीच संबद्धता की आवश्यकता है जो कि पर्यावरणीय टिकाऊपन और अन्तरानुभागीय विश्लेषण पर ध्यान देते हैं। इस संदर्भ में जेण्डर बिना वंश, वर्ग, जाति, धार्मिक आस्था, आयु, क्षमता और भौगोलिक स्थितियों की परस्पर प्रतिच्छेदित पहचान को ध्यान में रखे बगैर विश्लेषण करने की उपयुक्तता नहीं है।

[1] विज्क–सिज्बेस्मा, 1998 और थामस एट ऑल, 1997 से रूपान्तरित।

- **जल को आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय निधि के रूप में समझा जाना चाहिए।**
  - स्वच्छ जल बहुमूल्य और सीमित है। जल आपूर्ति सेवाएँ और ढाँचे आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जबकि उसी तरह मूलभूत जल आपूर्ति को पाना मौलिक मानव अधिकार है। सफाई और घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले जल जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रायः महिलाओं की होती है, को जल के प्रयोग के आर्थिक मूल्यों के मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं के पास प्रायः भूमि और जल का कोई भी अधिकार नहीं होता है और विकासात्मक प्रयास उनकी जीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
  - जहाँ जल आपूर्ति के लिए भुगतान करना आवश्यक है, वहीं लोगों की भुगतान करने की क्षमता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। महिलाओं के हितों और जेण्डर संबंधों को प्रायः नजरअंदाज किया जाता है। यदि घरेलू जल आपूर्ति के लिए भुगतान करना है तो दर–निर्धारण में पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। यद्यपि महिलायें प्रायः नगदी पर नियंत्रण नहीं रखती हैं परन्तु उनसे अभी भी पुरुषों की अपेक्षा जल व स्वच्छता हेतु भुगतान की अपेक्षा की जाती है क्योंकि वे मुख्य उपभोक्ता हैं और यह उनकी जिम्मेदारी समझी जाती है। माँगों के अनुसार जेण्डर और सामाजिक निष्पक्षता के विश्लेषण की आवश्यकता है।
  - नीतियों और योजनाओं में जल आपूर्ति की मूल मात्रा को सामाजिक साधन और मानव अधिकार के रूप में शामिल किये जाने की आवश्यकता है। मूलभूत मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल आपूर्ति की दर में वृद्धि को लागू नहीं किया जाना चाहिए और खाना पकाने व स्वच्छता के लिए जल के न्यूनतम उपभोग में कमी नहीं की जानी चाहिए।

- **जल नीतियों को केवल जल प्रावधान पर ही नहीं बल्कि समग्र रूप में जल के प्रबंधन पर केंद्रित होना चाहिए।**
  - सरकार और स्थानीय हितधारकों को जल प्रबंधन में मुख्यकर्ता के रूप में होना चाहिए।
  - निजी क्षेत्र जल आपूर्ति सेवाएँ प्रदान करने में बड़ी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय सरकारों को जल की गुणवत्ता का निरीक्षण करने और निजी सेवा प्रदानकर्ताओं को नियंत्रित और निरीक्षण करने की जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि पूरी जनसंख्या को जल आपूर्ति आवश्यकतानुसार मिल रही हैं। ऐसी कम्पनियाँ जो केवल लाभ कमाना चाहती हैं, को शामिल किया जाना चाहिए जो कम–आमदनी वाले परिवारों, घरेलू जल उपभोक्ताओं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जल स्रोतों व जल ग्राही क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं को कोई भी लाभ नहीं देंगी।
  - बढ़ते हुए निजीकरण के साथ स्थानीय समुदायों का क्षमता विकास बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्षमता विकास पहल से महिला और पुरुष को समान रूप से लाभ मिल रहा है।

- **सरकार को एकीकृत जल नीतियों एवं विनियामक ढाँचों के प्रावधान के द्वारा जल संसाधन के टिकाऊ विकास को सुगम व समर्थ बनाना चाहिए।**
  - व्यापक जल प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि जल क्षेत्र में की गई कार्यवाही जल की उपलब्धता, मात्रा और गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। यह प्रभाव पुरुष और महिला, घरेलू स्तर पर और लिंग, आयु तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार भिन्न–भिन्न होते हैं।
  - उच्च स्तर पर देशों और मंत्रालयों के बीच समन्वय जरूरी है जिसमें उप–राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय भी शामिल है और महिलाओं के हितों और अधिकारों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

- **जल संसाधनों को निम्नतम उपयुक्त स्तर पर प्रबंधित करना चाहिए।**
  - सभी हितधारकों के द्वारा सहभागिता बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा देती है। जल संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की पारम्परिक भूमिकाओं के कारण उन्हें इस विषय का अच्छा ज्ञान होता है जिसे योजना बनाने और उसे अमल में लाने में शामिल किया जाना चाहिए।

- निचले स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि निर्णय उन लोगों द्वारा समर्थित हो जो जल परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में भूमिका निभाते हैं। ये प्रायः महिलाएं होती हैं। महिला–प्रमुख परिवार में पुरुष–प्रमुख परिवार की तुलना में समुदाय में समझौता करने की कम शक्ति होती है। उनको शामिल करने के विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

- **महिलाओं और पुरूषों की जल प्रावधान, प्रबंधन और सुरक्षा में केन्द्रीय भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए।**
  - जल के अपव्यय में कमी लाने हेतु चलाए जा रहे अभियानों में पुरुषों और महिलाओं और विशेषतया उद्योगों और संस्थानों को जो जल बर्बाद करते हैं को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए।
  - महिलाओं की दक्षता और ज्ञान जल के प्रभावी और सक्षम उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है।
  - महिलाओं के लाभ के लिए जो घरेलू जल एकत्रित करती हैं और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने और जल की गुणवत्ता तथा स्वच्छता को सुधारने की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.6 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में जेण्डर–परिप्रेक्ष्य का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए?

आई.डब्ल्यू.आर.एम. में जेण्डर–परिप्रेक्ष्य विविध कारणों की वजह से आवश्यक है जैसा कि नीचे संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

2.6.1 जल क्षेत्र के कार्यक्रमों और परियोजनाओं में प्रभावीपन और दक्षता हेतु सरोकार

एकीकृत जल संसाधनों की पहल में महिलाओं और पुरुषों दोनों को शामिल कर परियोजना के प्रभावीपन और दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों की सहभागिता से परियोजना के कार्य संपादन में और टिकाऊपन की संभावनाओं में सुधार होता है। दूसरे शब्दों में, यदि महिला और पुरुष (धनी और गरीब दोनों) किसी परियोजना के सक्रिय भागीदार और निर्णयकर्ता हैं तो ऐसी परियोजना उन उद्देश्यों को प्राप्त करेगी जिसे परियोजना बनाने वाला प्राप्त करने की आशा करता है।

कई सुने हुए साक्ष्यों के अतिरिक्त तीन विशिष्ट अध्ययन इस मुद्दे पर आधारित हैं:

वायस एंड च्वायस फॉर वोमेन–लिन्केजेस ऑन डिमाण्ड, एशिया और अफ्रीका में जेण्डर और गरीबी पर 44 जल योजनाओं से, यू.एन.डी.पी./विश्व बैंक जल और स्वच्छता कार्यक्रम, 2001 की एक शोध परियोजना।

प्रारंभिक निष्कर्ष इस परिकल्पना की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं कि जल सेवाएँ समुदायों में बेहतर ढंग से टिकेंगी और प्रयोग की जायेंगी यदि संस्थान और नीतियाँ समुदायों (महिला और पुरुष, धनी और गरीब) को इस सेवा को प्रारंभ करने के योग्य बनाती हैं। साथ ही सेवा प्रबंधन और वित्त व्यवस्था के प्रकार के बारे में सुविज्ञ निर्णय लेने में और सेवाओं को जारी रखने व उसका प्रबंधन करने हेतु क्षमता विकास में सहायता देती हैं ताकि भार और लाभों को उचित ढंग से समानता के साथ बाँटा जा सके।

121 ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं पर विश्व बैंक की समीक्षा

इस समीक्षा में यह पाया गया कि महिलाओं की सहभागिता एक ऐसा परिवर्ती कारक है जिस पर परियोजना का प्रभावीपन सबसे ज्यादा निर्भर करता है। इसके अलावा यह पाया गया कि जेण्डर भिन्नता और असमानता को ध्यान में न रखने से परियोजनाएँ विफल हो सकती हैं। उदाहरणतः भारत में गाँवों के बाहर स्थित कम्पोस्ट गड्ढे इस्तेमाल नहीं होते थे, और महिलायें अपने घरों के नजदीक ही कचरा फेंकती थीं तब भी जब कि उनके उपर इसके लिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि वे गाँव से बाहर स्वयं को कचरे को ढोती हुई नहीं देखा जाना चाहती थीं। यदि वहाँ पर महिलाओं से सलाह ली जाती तो शायद इस समस्या से बचा जा सकता था। (नारायण, 1995)।

समुदाय जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं का आई.आर.सी. द्वारा अध्ययन

अंतर्राष्ट्रीय जल और स्वच्छता केंद्र (आई.आर.सी.) के द्वारा 15 देशों में 88 समुदायों में समुदाय जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के एक अध्ययन में यह पाया गया कि वे परियोजनाएँ जो महिलाओं की पूर्ण सहभागिता से तैयार व संचालित की जा रही हैं ज्यादा टिकने वाली व प्रभावी हैं, उन

परियोजनाओं की अपेक्षा जिनमें महिलाओं को पूर्ण भागीदार के रूप में शामिल नहीं किया गया है (विज्क–सिज्बेस्मा, 2001)।

यद्यपि यह शोध जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र पर केंद्रित था, परन्तु यही प्रवृत्ति अन्य जल क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। फिलीपिन्स की सांप्रदायिक सिंचाई विकास परियोजना में भी जेण्डर मुद्दों पर ध्यान देने का सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इस परियोजना से सिंचाई की मात्रा और धान की पैदावार के समीक्षात्मक अनुमान व भौतिक विकास लक्ष्यों में काफी बढ़ोत्तरी हुई। परियोजना की सफलता का श्रेय लाभार्थियों की पूर्ण सहभागिता को दिया गया। यह परियोजना आंशिक रूप से किसान–निर्मित सिंचाई व्यवस्था की परम्परा पर ध्यान आकृष्ट करती है और एक सांस्कृतिक संदर्भ का अनुकरण करती है जिसमें महिलाओं के पास स्वतंत्र भूमि अधिकार होते हैं। समुदाय में परियोजना की सफलता का श्रेय समुदाय के संगठनकर्ताओं की भर्ती, जिनमें दो–तिहाई महिलायें हैं, जल उपभोक्ता संघ में पति–पत्नी दोनों की सदस्यता सुनिश्चित करने, और महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सक्रिय रूप से उत्साहित करने को जाता है। यह भी पाया गया कि महिलाओं की सदस्यता ने शुल्क के भुगतान को आसान बना दिया क्योंकि महिलायें ही पारिवारिक वित्त को नियंत्रित करती थीं (कुइसुइम्बिंग, 1994)।

2.6.2 पर्यावरणीय संरक्षण हेतु सरोकार

पूरे विश्व में महिला और पुरुष पौधों और जंतुओं के प्रबंधन में, वनों, शुष्क भूमियों, नमभूमियों और कृषि के प्रयोग में अलग भूमिकाएं निभाते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू प्रयोग के लिए जल, ईंधन और चारा एकत्र करने में, और आमदनी अर्जित करने में जेण्डर की भूमिका में अंतर किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उनके विशिष्ट लगाव के कारण महिलाओं का अनुभव और ज्ञान पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है (यूनेप, 2004)। जेण्डर परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने और महिलाओं के पर्यावरण के बारे में ज्ञान को शामिल करने के योग्य बनाने से पर्यावरणीय टिकाऊपन के अवसरों में वृद्धि होगी।

मिंडानाव, फिलीपिन्स में घने जंगल के एक भंगुर (फ्रेजाइल) क्षेत्र में एक जलागम (वॉटरशेड) प्रबंधन परियोजना शुरू की गयी। एक झील जिसका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता था, नर्वनीकरण और मृदा अपरदन के कारण हुए तलछट के जमाव से भर रही थी। वहाँ मृदा क्षय को कम करने की आवश्यकता थी और साथ ही स्थानीय संस्थानों को मृदा क्षय और मृदा पुर्नप्राप्ति के अनुश्रवण में शामिल करने की आवश्यकता थी। इस परियोजना के अन्तर्गत पहले युवकों को जल का अनुश्रवण करने में शामिल किया गया जिसमें उन्हें मृदा संरक्षण में प्रयुक्त तकनीकी जिससे तलछट जमाव कम होना था को देखना था। परन्तु पुरुषों के अनुश्रवण में एकरूपता नहीं थी। इसी प्रकार महिला किसानों को जल का अनुश्रवण करने में शामिल किया गया जो कि ज्यादा सफल नहीं रहा। तब इस परियोजना में यह पाया गया कि महिलायें मृदा क्षय की अपेक्षा स्वास्थ्य मुद्दों में ज्यादा रुचि रखती थीं। जैसे ही महिलाओं ने यह सीखा कि कैसे जल की गुणवत्ता उनके परिवार को प्रभावित करती है और कार्यक्रम में विस्तार के दौरान ई–कोलाई जीवाणु के अनुश्रवण को शामिल किया गया, महिलाओं ने अभिरुचि दिखाई और इसमें भाग लिया। जिससे उनकी पर्यावरणीय गतिविधियों की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिला। अंत में, समुदाय की सहभागिता से सकारात्मक परिणाम मिले जैसे पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाने में वृद्धि हुई (डायमंड व अन्य, 1997)।

2.6.3 जल संसाधन उपयोग का सही विश्लेषण

सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण बिना जेण्डर और सामाजिक भिन्नताओं और असमानताओं की समझ के अधूरा है। जेण्डर विश्लेषण के द्वारा योजना बनाने वालों को समुदायों, प्राकृतिक संसाधन उपभोग, घरों और जल उपभोग के बारे में एक सही जानकारी मिलती है। महिलाओं और पुरुषों में आन्तरिक व उनके बीच की भिन्नताओं को समझना (कौन–कौन सा कार्य करता है, कौन कौन–सा निर्णय लेता है, कौन किस उद्देश्य के लिए जल का प्रयोग करता है, कौन किस संसाधन को नियंत्रित करता है, कौन भिन्न परिवार दायित्वों के लिए जिम्मेदार है, इत्यादि) एक अच्छे विश्लेषण का हिस्सा है जिससे ज्यादा प्रभावी परिणामं प्राप्त हो सकते हैं।

बांग्लादेश में इस व्यापक परिप्रेक्ष्य के होने के बावजूद जेण्डर विषय बाढ़ और बाढ़ निवारण योजनाओं के प्रभावों में शामिल नहीं था। ऐसे कई पहलू हैं जिनमें महिलाओं और पुरुषों के बीच भिन्नता और

असमानताएं प्रासंगिक है। ग्रामीण बांग्लादेश में महिलायें कृषि खाद्य उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण और घर–गृहस्थी में खाद्य संसाधनों की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। जल–संबंधी आपदाएँ उदाहरणार्थ अचानक आई बाढ़ केवल खेतों में तैयार फसलों को ही नुकसान नहीं पहुँचाती है बल्कि भंडारित खाद्यों और प्रसंस्करण उपकरणों को भी नुकसान पहुँचाती है। खाद्य आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था महिलाओं की उपलबध संसाधनों से जीवनयापन करने की योग्यता को प्रभावित करती है। महिलाओं की गतिशीलता में कमी परिवार के संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव से निपटने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों को भी सीमित कर देती है विशेषकर तब जब वह पुरुष के प्रवास या परित्याग के कारण घर की मुखिया है (थामस एवं अन्य, 1993)।

महिलाओं और पुरुषों के बीच विभिन्नताएं और असमानताएं व्यक्तियों द्वारा जल संसाधन प्रबंधन में बदलाव से जुड़ी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती हैं। जेण्डर संबंधी भूमिकाएं और असमानता की समझ लोगों द्वारा किये जाने वाले चयन और उनके भिन्न विकल्पों को स्पष्ट करने में मदद करती है।

आल्टो पियूरा, पेरू में महिला किसानों ने शिकायत की कि राजकीय नियम के बावजूद रात की पारी को सिंचाईकर्ताओं के बीच समान रूप से बाँटा जाना चाहिए परन्तु उन्हें हमेशा रात में ही सिंचाई करनी पड़ती है। चूँकि पुरुष सिंचाईकर्ता के सिंचाईकर्ता समिति और जल प्रतिनिधियों के साथ बेहतर संबंध होते हैं, जिसके कारण वे दिन की पारी के लिए समझौता करने में प्रायः सफल हो जाते थे (ज्वार्टेवीन 1997 से)। यदि एक परियोजना का उद्देश्य सभी सिंचाईकर्ताओं और किसानों को जल संसाधनों का निष्पक्ष उपयोग करने देना है तो महिलाओं द्वारा झेली जा रही इस विशिष्ट परेशानी के निवारण के लिए रणनीति की आवश्यकता है।

जेण्डर संबंध और असमानताएँ जल संसाधन प्रबंधन के मुद्दों पर सामूहिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। महिलाओं और पुरुषों में संगठित होने और काम करने के अलग तरीके होते हैं। महिलायें प्रायः जल–उपभोग समिति में शामिल होने, परियोजना में भाग लेने, या परामर्श सत्र में योगदान देने में विशिष्ट अवरोधों का सामना करती हैं।

गरीब महिलायें संभवतः कम ही जल समितियों या ग्राम विकास समितियों में किसी भी पद पर चयनित होती हैं। जब गाँव में उत्तरदायित्व के पदों पर लोगों को चयनित करने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो जिम्बाम्बे के साक्षात्कारदाताओं ने बार–बार दो योग्यताओं का वर्णन कियाः 1) ऐसा व्यक्ति जिसका वे (स्तर, प्रभाव, कड़ी मेहनत या कठिन मुद्दों को सबकी सहमति से सुलझाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति) सम्मान करते हैं, और 2) ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधन हों जैसे साइकिल या नकदी है ताकि वह जब भी आवश्यकता हो जिला मुख्यालय जाकर वहाँ पर गाँव का प्रतिनिधित्व कर सके। इन योग्यताओं के न होने के अलावा गरीब महिलायें अन्य महिलाओं और पुरुषों की अपेक्षा समय और श्रम संसाधनों के प्रति ज्यादा बाध्य होती हैं। वे और उनके बच्चों का स्वास्थ्य संभवतः बहुत ही खराब होता है और वे इसलिए इन सुधारों से, जो जल आपूर्ति को उनके घरों तक ले आती हैं, ज्यादा लाभ उठा सकती हैं। यद्यपि सामूहिक निर्णय लेने में जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा में संभवतः कम ही भाग लेती हैं (क्लीवर, 1998)।

2.6.4 जेण्डर समानता, निष्पक्षता और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे

जेण्डर मुद्दों और पहल के प्रति विशेष ध्यान दिये बिना परियोजना लागू करने पर महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को बढ़ावा मिल सकता है और यहाँ तक कि जेण्डर भेदों में वृद्धि भी हो सकती है। यद्यपि कई पहलों में 'जेण्डर निष्क्रिय' माने जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। परियोजनाएँ और कार्यक्रम प्रायः नये संसाधनों (प्रशिक्षण, उपकरण, प्रौद्योगिकी आदि) को लाते हैं। चाहे वह पुरुष हो या महिला यदि वे इन अवसरों से फायदा उठा सकते हैं तो वह इसे प्रभावित भी कर सकते हैं। कार्यक्रम ऐसे हों जो जल पहल से महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से लाभ प्रदान करने में समर्थ हों। विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप धनी और गरीब महिलाओं के बीच प्रायः दरार उत्पन्न होती है।

ऐसी पहल वर्तमान असमानताओं को बढ़ावा भी दे सकती है, जबकि वहाँ निष्पक्ष समाज और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए लोगो के प्रयास को समर्थन देने के अवसर हो सकते हैं। जेण्डर और विविधता आधारित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की प्रवृति कई जल पेशेवरों के बीच कम दिखाई देती है।

2.6.5 अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर की गयी वचनबद्धता का सरकार एवं उसके साझेदारों द्वारा क्रियान्वयन

सरकार और विकास संस्थाओं ने महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता का समर्थन करने और सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं जिसमें वे भी शामिल हैं जो जल और पर्यावरण से संबंधित हैं में जेण्डर परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने की वचनबद्धता दर्शाई गयी है। इनमें शामिल हैंः

- अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक (1981–1990) के परिणामों पर 1990 में नयी दिल्ली में परामर्श कार्यक्रम में विचार–विमर्श हुआ। यद्यपि ये परामर्श कार्यक्रम जेण्डर मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए सीमित थे, वहाँ पर महिलाओं के निर्णय लेने और जल संसाधनों का प्रबंधन करने में वृद्धि करने पर स्पष्ट विचार किया गया।
- 100 से भी ज्यादा देशों के द्वारा समर्थित डबलिन कथन (1992) के अनुसार महिलायें जल संसाधनों के प्रावधान, प्रबंधन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह महिलाओं की जल के प्रबंधक और उपभोगकर्ता व सजीव पर्यावरण के संरक्षक के रूप में मूलभूत भूमिका को स्वीकारता है और इस वास्तविकता को जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्थाओं को लागू करने की शिफारिस करता है।
- रियो घोषणा पत्र (1992) के सिद्धांत 20 के अनुसार, "महिलायें पर्यावरणीय प्रबंधन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः टिकाऊ विकास को प्राप्त करने के लिए उनकी पूर्ण सहभागिता आवश्यक है।" एजेण्डा 21 (1992) में महिलायें और टिकाऊ विकास पर अध्याय (अध्याय 24) और जल प्रबंधन पर अध्याय (अध्याय 18) समावेशित है।
- बीजिंग प्लेटफार्म फॉर ऐक्शन (1995) ने पर्यावरणीय मुद्दों को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सरोकार के रूप में उजागर किया, "प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा में तथा पर्यावरण की सुरक्षा में जेण्डर असमानता।" तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर सहमति हुईः (1) सभी स्तरों पर पर्यावरण संबंधी निर्णय करने में महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना; (2) टिकाऊ विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में जेण्डर सरोकारों और परिप्रेक्ष्यों को सम्मिलित करना; और (3) महिलाओं पर विकास और पर्यावरणीय नीतियों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना या स्थापित करना।
- टिकाऊ विकास पर विश्व शिखर–सम्मेलन, 2002 के क्रियान्वयन की जोहन्सबर्ग योजना (डब्ल्यू.एस.एस.डी.), पैरा 25(ए), सरकार द्वारा किये गये "जल और स्वच्छता ढाँचे और सेवाओं के विकास के लिए क्षमता निर्माण को समर्थित करने" के लिए अनुबंध को शामिल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार के ढाँचे और सेवाएँ गरीबों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली और जेण्डर–संवेदी हो।
- दिसम्बर, 2003 में, आम–सभा ने 2005 से 2015 तक की अवधि को कार्यवाही के अन्तर्राष्ट्रीय दशक, '''जीवन के लिए जल'' के रूप में घोषित किया (संकल्प 58/217) और जल–संबंधी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर केंद्रित करने के लिए कहा, "महिलाओं की जल–संबंधी विकासात्मक प्रयासों में भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाय।"
- मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जोकि 'जीवन के लिए जल' जैसा एक समान समय ढाँचा रखता है, ने जेण्डर समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण साथ ही साथ सुरक्षित जल और स्वच्छता पर 2015 तक के लक्ष्य को शामिल किया है।

2.6.6 आई.डब्ल्यू.आर.एम. पहल में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता और विभिन्नताओं को समझने के लिए सहभागी प्रक्रियाएँ

पिछले अनुभवों से पता चलता है कि सहभागी प्रक्रियायें और 'गरीब लोगों के सम्मिलित करने के प्रयासों' में महिलाओं को स्वतः शामिल नहीं किया जा सकता है। यदि सहभागी विकास पहल में महिलाओं साथ ही साथ पुरुषों को शामिल करना है तो जेण्डर कि भिन्नता और असमानता की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष मुद्दों में शामिल हैंः

समुदायों में शक्ति संबंधः समुदाय एक ही तरह की रूचियों और प्राथमिकताओं के समूह के रूप में सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। आयु, धर्म, वर्ग और जेण्डर के आधार पर बहुत ही मजबूत विभाजन हैं। ये

शक्तियाँ उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं जिनको अपनी वह राय व्यक्त करनी होती है जो शक्तिशाली लोगों के विचारों के परस्पर विरोधी होती है। यहाँ तक कि शक्ति विभिन्नताएँ उन लोगों को भी प्रभावित कर सकती हैं जो विशेष सभाओं में भाग लेते हैं। बाहरी अधिकारी केवल 'समुदाय के नेताओं' (सामान्यतया पुरुष) को ही विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

अर्न्तघरेलू और अर्न्त–पारिवारिक संबंधः कुछ महिलायें अपने पति या पिता के समक्ष कुछ भी बोलने में हिचकिचाती हैं (एकांतता का सांस्कृतिक मानक)। वे यह भी विश्वास कर सकती हैं कि पारिवारिक मामलों से संबंधित विचार–विमर्श (उदाहरणार्थ कार्यभार या संसाधन के अधिकारों में जेण्डर भेदभाव से संबंधित मुद्दे) जनसभाओं के लिए नहीं हैं।

सहभागिता में विभिन्न अवरोधः पुरुषों और महिलाओं के पास विभिन्न उत्तरदायित्व और कार्यभार होते हैं। महिलाओं को प्रायः नयी गतिविधियों के लिए कम समय होता है। यदि कोई भी सभा दिन में आयोजित होती है तो महिलाओं के लिए इन विशेष सभाओं में भाग लेना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे उस समय घरेलू उत्तरदायित्वों या बच्चों की देखभाल में व्यस्त होती हैं। इसके अतिरिक्त समुदाय संस्थानों में औपचारिक या अनौपचारिक सदस्यता मानक महिलाओं के भाग लेने के अधिकार को नकार भी सकते हैं।

भागीदारी की विभिन्न योग्यताएँः शिक्षा में जेण्डर भेद–भाव होने से महिला और पुरुष प्रायः अलग–अलग साक्षरता स्तर रखते हैं। पुरुष महिलाओं की अपेक्षा बाहरी व्यक्तियों के समक्ष अपनी बात को रखने का ज्यादा अनुभव रखते हैं और नये लोगों से मिलने–जुलने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं।

सहभागिता के अनुभव आधारित लाभः महिला और पुरुष सहभागी प्रक्रियाओं में अपने शामिल होने की लागत और लाभ के बारे में भिन्न गणनाएं कर सकते हैं। पहले से ही महिलाओं के पास समय की कमी होती है अतः उनके पास प्रायः पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए कम समय होता है। सहभागी विधियाँ केवल तभी अच्छी होती हैं जितना लोग उनका प्रयोग कर पाये। यह अब स्पष्ट है कि विभिन्न अभ्यासों की अपेक्षा सहभागिता में बहुत कुछ शामिल है। जब ये अच्छी तरह से निष्पादित की जाती हैं तो जेण्डर–संवेदी सहभागी प्रक्रियायें संस्थानों को कई तरह से चुनौती भी प्रदान करती हैं।

सहभागी प्रक्रियाओं के लिए चुनौतियाँः

दक्षताएं	संस्थानों को जेण्डर–संवेदी सहभागी प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाने के लिए दक्षता विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए अनुभव, दक्षता, और संघर्षों से निपटने की योग्यता की आवश्यकता होती है।
समय	सहभागी प्रक्रियाएँ लम्बा समय ले सकती हैं और कई सालों के लिए उनको समर्थन की भी आवश्यकता हो सकती है।
लचीलापन और अनुकूलनशीलता	सहभागी प्रक्रियाओं के लिए संसाधन सामग्रियों का चुनाव और अनुक्रम विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। विशेष संदर्भों के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया हेतु लचीलेपन की आवश्यकता होती है।
समर्थन	जब भी वे नये मुद्दों की खोज करते हैं महिला और पुरुष दोनों सहभागियों को समर्थन की आवश्यकता होती है। बाहरी संगठन के लिए जेण्डर असमानता के मुद्दों को उठाने के लिए लोगों को उत्साहित करने और परिणाम आने तक न जुड़े रहना गैरजिम्मेदारीपूर्ण कार्य है।
कार्य का अनुसरण	क्या संगठन उभरे मुद्दों पर कार्य कर सकता है? यदि विकास सहयोग संगठन सहभागिता प्रक्रियाओं के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें पहचानी गई प्राथमिकताओं और उन मुद्दों जिन्हें प्रकाश में लाना है, पर कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

2.6.7 जेण्डर समानता से जुड़े मुद्दों की पहचान

वर्ष 1992 की शुरुआत में, जर्मन डेवलपमेंट कोआपरेशन एजेंसी, जी.टी.जेड. ने कृषि, खाद्य और मत्स्य उद्योग के जाम्बिया के मंत्रालय को उसकी विस्तारित सेवाओं में सहभागिता पहल को शामिल करने के

लिए सहयोग दिया। विस्तारण अधिकारियों ने किसानों की प्राथमिकताओं को जानने के लिए सहभागी विधियों का प्रयोग किया जिससे उन्हें कार्यक्रम में बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण लाने में मदद मिली। उन्होंने किसानों के लिए सुविधाजनक समय के आधार पर विस्तारण गतिविधियों की योजना बनाने के लिए मौसमी कैलेडरों का प्रयोग किया। उन्होंने विस्तारण प्रयासों के परिणामों के अनुश्रवण और मूल्यांकन में किसानों को शामिल करना शुरू किया। यद्यपि मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ कि महिलायें लागू किये गये कार्यक्रम से लाभ नहीं पा रही थीं। स्टाफ ने समस्या को संबोधित करने और महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल करने का समन्वित प्रयास करना शुरू कर दिया। जैसे–जैसे जानकारी बढ़ती गयी, दो–तीन दिवसीय कार्यशालाओं ने परिवार में जेण्डर संबंधों का विश्लेषण करने में मदद की। केस स्टडी से कई बिंदु सामने आयेः

- जेण्डर हमेशा संवेदनशील विषय नहीं होता है जैसा कि लोग इसे समझते हैं। सही विधि, सोच और तरीकों से स्थानीय लोग और स्टाफ के सदस्य इसके बारे में विचार–विमर्श का स्वागत करते हैं।
- जेण्डर कोई विदेशी, सैद्धांतिक धारणा नहीं है और महिला और पुरुष उसे संबोधित कर सकते हैं।
- जेण्डर सहभागी तरीकों में स्पष्ट रूप से समावेशित होना चाहिए, लेकिन इसे बिना किसी विशेष प्रयासों के स्वतः संबोधित नहीं किया जा सकता है (फ्रिस्कमुथ, 1998)

2.6.8 सहभागी विधियाँ

डार्को, घाना में जेण्डर–अनुकूल सहभागिता विधियों के प्रयोग ने महिलाओं और पुरुषों के बीच उनकी गरीबी के बारे में समझ में भिन्नताओं को पहचाना। इन विधियों के द्वारा लोगों के अर्न्तघरेलू संबंधों के स्वयं के ज्ञान को प्रलेखित किया गया और साथ ही हो रहे बदलावों व स्थितियों के प्रति और अच्छी समझ प्रदान की गयी इस प्रकार चयनित सूचकों पर आकड़ों का एकत्रण संभव हुआ। महिला और पुरुषों ने गाँव के अलग–अलग सामाजिक मानचित्रों को तैयार किया जिसमें समृद्धि तथा हित से जुड़े स्तरों को शामिल किया गया। दोनों विचार–विमर्शों में अंतर का विश्लेषण किया गया और परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा हैः

- पुरुषों की समृद्धि की कसौटी संपत्तियों जैसे घर, कार, पशु और खेतों के प्रकार पर केंद्रित थी। उन्होंने पुरुषों के द्वारा उगायी जाने वाली फसलों पर ही सोच–विचार किया, महिलाओं द्वारा उगायी जाने वाली फसलों पर नहीं। प्रारंभ में उन्होंने उन लोगों को पूर्णतया श्रेणी से बाहर छोड़ दिया जिनके पास इस तरह की संपत्तियाँ नहीं थीं। तब उन्होंने समृद्धि के बाद कल्याण पर चर्चा की जिसमें 'ईश्वर से डर' को मुख्य कसौटी के रूप में प्रयोग किया।
- महिलाओं ने सूचकों जैसे घर, भूमि और पशु के साथ शुरुआत की लेकिन बाद में कृषि–संबंधी उत्पादन के आधार पर विश्लेषण करने लगीं। दुबारा उन्होंने केवल 'महिला' फसलों पर ही सोच–विचार किया और पुरुषों द्वारा उगायी जाने वाली कोको या अन्य नकदी फसलों का जिक्र नहीं किया। सामूहिक ज्ञान के विपरीत महिलायें वाणिज्यिक फसलों पर केंद्रित थीं, निर्वाह संबंधी खाद्य फसलों पर नहीं।
- महिलाओं की 'सबसे गरीब' की कसौटी कंगाली की स्थिति, और वैयक्तिक हक में कमी या स्वास्थ्य–संबंधी वंचन से संबंधित है। पुरुष संपत्तियों के अभाव पर केंद्रित थे।
- प्रत्येक समूह की कल्याण पर स्वयं की सोच थी। महिलाओं की प्रवृत्ति महिलाओं के लिए घटकों को पहचानने की थी, जबकि पुरुष का ध्यान पुरुष पर केंद्रित थे। किसी भी समूह ने घरेलू स्थिति को कल्याण के विश्लेषण के लिए एक इकाई के रूप में नहीं देखा।
- महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समृद्ध होने का अर्थ हमेशा बेहतर होना ही नहीं था। पुरुषों के विश्लेषण में कोई भी धनी व्यक्ति 'ईश्वर से डरने वाला' नहीं था और दो बिना संपत्ति वाले घरों में 'ईश्वर से डरने' वाले लोग थे। महिलाओं के लिए सबसे बड़े सब्जी उत्पादक (जिनको समृद्ध होने के सूचक के रूप में देखा गया) धनी लोगों की श्रेणी में नहीं थे (शाह, 1998)।

2.7 जल प्रबंधन में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना

जेण्डर को मुख्यधारा से सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर (वैश्विक, राष्ट्रीय, संस्थागत, समुदाय, घरेलू) शामिल करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत महिलाओं और पुरूषों पर किसी नियोजित कार्यवाही, जिसमें विधि–निर्माण, नीतियाँ या कार्यक्रम शामिल हैं के प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों के सरोकारों और अनुभवों को सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों की डिजाईन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन करने का एक अभिन्न आयाम है। जिससे महिलाएं और पुरुष समान रूप से लाभ पा सकें और असमानता स्थायी न बन पाये। इसका अंतिम लक्ष्य मुख्य धारा में इस प्रकार का बदलाव लाना है जिसमें जेण्डर सामानता को प्राप्त किया जा सके (यूनेस्को, 1997 इन जी.डब्ल्यू.ए. 2003ए)।

जेण्डर समानता को लागू किये जाने के अन्तर्गत निम्न बातें शामिल हैं:

- संसाधनों, श्रम, जल के प्रयोगों, जल अधिकारों और लाभ व उत्पादन के वितरण के लिए जेण्डर–विभेदित व्यवस्था को समझना। लिंग के संबंध में महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़ों और भुगतानरहित श्रम का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है।
- केवल महिलाओं पर नहीं बल्कि जेण्डर संबंधों पर केंद्रित हो। यद्यपि कई विश्लेषण महिलाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं (चूँकि यह सामान्यतया महिलायें ही हैं जो हानियों का सामना करती हैं और उन्हीं के दृष्टिकोणों की अनदेखी भी की जाती है।) जेण्डर विश्लेषण महिलाओं और पुरुषों के आन्तरिक और बीच के संबंधों (भिन्नता, असमानता, शक्ति असंतुलन, संसाधनों तक भिन्न पहुँच आदि) पर और किस प्रकार ये बातचीत द्वारा तय किये जाते हैं, पर ध्यान देता है। महिलाओं की स्थिति को महिलाओं और पुरुषों के बीच व्यापक संबंधों से अलग रखकर नहीं समझा जा सकता है।
- यह समझना कि जेण्डर ही एक ऐसा कारक है जो लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तौर से अनुक्रिया करने को प्रभावित करता है। पुरुष और महिलायें जल समिति में भाग लेते समय, स्थानीय अधिकारियों का सामना करते समय या प्रशिक्षण सत्र में शामिल होते समय भिन्न अवरोधों का सामना करते हैं और साथ ही विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हैं।
- संस्थानों में जेण्डर आयामों को समाज में सभी स्तरों (घरेलू, समुदाय–आधारित संस्थानों, जल उपभोक्ता संगठनों, स्थानीय सरकार, राष्ट्रीय नागरिक सेवाओं आदि के अंतर्गत) पर समझना। ये औपचारिक और अनौपचारिक संस्थान जल संसाधन प्रबंधन में आधारभूत भूमिका निभाते हैं, फिर भी वे जेण्डर आयामों को शामिल करते हैं: कौन क्या निर्णय लेता है? क्या ढाँचा महिलाओं की सहभागिता को आसान बनाता है या उसके रास्ते में अवरोध पैदा करता है? क्या संस्थानों में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को कम करने की क्षमता है? विभिन्न आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को संस्थानों में किस प्रकार बातचीत के द्वारा तय किया जाता है? क्या संस्थागत नीतियाँ समाविष्ट और जेण्डर–संवेदी ढंग से विकसित की गयी हैं?
- प्रत्येक विशेष संदर्भ में पूर्वानुमानों को अनुमोदित और अस्वीकृत करना, आदर्श रूप से सहभागिता कार्यविधि का प्रयोग करना है। किसी एक देश या परियोजना के पूर्वानुमान को दूसरे क्षेत्र या पहल में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा शक्ति संबंध, कार्य–व्यवस्था और संसाधन उपलब्धता समय के साथ बदल सकते हैं। प्रत्येक स्थिति की विशेषता की जाँच करना आवश्यक है।

2.7.1. पहल या परियोजना की सही शुरूआत

यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषण द्वारा जल कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगें और साथ ही सभी आई.डब्ल्यू.आर.एम. पहल में महिलाओं की उन्नति का समर्थन करने के समग्र उद्देश्य प्रतिबिम्बित होंगे, इसके लिए निम्नलिखित विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- विश्लेषण के निष्कर्षों को परियोजना को तैयार किये जाने के समय प्रयोग करना। उदाहरणतः महिलाओं की प्राथमिकताओं को प्रलेखित करना पर्याप्त नहीं है। उनके विचार किसी भी पहल की प्राथमिकताओं और उद्देश्यों में सम्मिलित होने चाहिए।
- महिलाओं के उत्तरदायित्वों और विचारों को महत्व और मान्यता देना। उदाहरणतः प्रायः महिलाओं द्वारा किये जाने वाले जल के प्रयोग को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है (उन्हें प्रलेखित

नहीं किया जाता है, महिलाओं के प्रयोग को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और वे योजनाकारों आदि द्वारा नजरअन्दाज भी की जाती हैं)।

- पहल के मुख्य अपेक्षित परिणामों का संदर्भ लेना। एक स्पष्ट विश्लेषण होना चाहिए जो जेण्डर विश्लेषण को परियोजना के समग्र उद्देश्यों से जोड़ सकें। यदि परियोजना बाढ़ नियंत्रण पर केंद्रित है तो जेण्डर आयाम पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार महिलायें बाढ़ नियंत्रण हेतु विभिन्न विकल्पों के द्वारा परामर्शित, सम्मिलित और प्रभावित होती हैं (महिलाओं के लिए एक लघु–स्तर पर अतिरिक्त पहल के बजाय)।
- ठोस उद्देश्यों को पहचानना। परियोजना को तैयार करने के दौरान जेण्डर समानता से संबंधित उद्देश्यों को स्पष्टतः लिखा जाना चाहिए (सामान्य उद्देश्य रखने के बजाय 'परियोजना में जेण्डर समानता मुद्दों को समावेशित करना')।
- परिणामों को प्राप्त करने के लिए सफलता का अनुश्रवण करने हेतु संकेतक विकसित करना। सामान्य संकेतकों को लिंग के आधार पर अलग–अलग करना चाहिए (परामर्श किये गये लोगों की कुल संख्या के बजाय, महिला और पुरुष के बीच में विश्लेषण होना चाहिए)।

2.7.2 जेण्डर–अनुकूल अनुश्रवण और मूल्यांकन

कार्यक्रम और परियोजना क्रियान्वयन ने सतत् और टिकाऊ विकास को बढ़ावा नहीं दिया है। लाभ और लागत जो क्रियान्वयन से उत्पन्न होती हैं लिंग और सामाजिक–आर्थिक वर्ग के द्वारा हमेशा अलग–अलग नहीं की जाती हैं; इसके फलस्वरूप, विभिन्न समूहों पर उन क्रियान्वयनों के प्रभावों को समझना मुश्किल हो जाता है। एक अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रक्रिया जिसमें जेण्डर–अनुकूल संकेतक शामिल होते हैं और महिलाओं और पुरुषों को सूचना प्रेषकों की तरह से नहीं बल्कि सहभागियों की तरह से शामिल करती है, से बेहतर समझ प्राप्त होगी। जिससे पता चलेगा कि समुदाय में किसको लाभ मिल रहा है, कौन लागत को वहन करता है और क्या विभिन्न समूहों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा, ऐसी अनुश्रवण प्रक्रिया जो पुरुषों और महिलाओं को शामिल करती है वह अनुश्रवण एक कार्य–योजना के उपकरण के बजाय स्व–प्रबंधन साधन बन जाती है, अतः सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देती है।

यदि आंकड़ों के एकत्रीकरण को लिंग के द्वारा अलग–अलग नहीं किया जाता है तो महिलाओं और पुरुषों, जवान और बूढ़ों तथा धनी और गरीबों पर कार्यक्रम या परियोजना के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों को समझना मुश्किल हो जायेगा। उदाहरणतः यदि एक शहरी मलिन बस्ती में जल व्यवस्था से महिलाओं और लड़कियों का पानी ढोने का बोझ कम हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियाँ स्कूल जा पाएंगी। यह सकारात्मक परिणाम लिंग के आधार पर अलग–अलग आंकड़ों के एकत्रीकरण के बगैर नहीं पाया जा सकता है, जो कि प्रभाव के प्रयोजन को मापने में मदद करता है, उदाहरणतः विद्यालय में लड़कियों के पंजीकरण और उपस्थिति में वृद्धि। यदि जल व्यवस्था संबंधी सेवाओं ने गरीब महिलाओं के समय को आमदनी संबंधी गतिविधियों हेतु मुक्त किया है तो बिना लिंग के आधार पर अलग–अलग आंकडों के सकारात्मक प्रभाव में प्रयोगजन्य साक्ष्यों की कमी होगी और यह किस्सा ही बना रहेगा।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मुद्दों को बिना जेण्डर–अनुकूल संकेतकों का मापन या अनुश्रवण नहीं किया जा सकता हैः

- महिलाओं या पुरुषों की व्यवहारिक जेण्डर आवश्यकताओं को संबोधित करने के उद्देश्य वाली गतिविधियों का प्रभाव/प्रभावीपन अर्थात, उनके मौजूद जेण्डर भूमिका के संदर्भ में नयी दक्षता, ज्ञान, संसाधन, अवसर या सेवाएँ;
- अवसर, प्रभाव या लाभ से जेण्डर समानता को बढ़ाने के लिए तैयार की गयी गतिविधियों का प्रभाव/प्रभावीपन, उदाहरणार्थ, महिलाओं का निर्णय लेने में सहयोग; अपारंपरिक दक्षता क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के लिए नये अवसरों में वृद्धि के लिए लक्ष्यित कार्यवाही;
- नीति–निर्धारण, प्रबंधन और क्रियान्वयन कर्मचारियों के बीच जेण्डर बोध और दक्षता को विकसित करने के लिए तैयार की गयी गतिविधियों के प्रभाव/प्रभावीपन;

- विकास संस्थानों के स्टाफ और संस्थान संबंधी संस्कृति में वृहद जेण्डर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियों का प्रभाव/प्रभावीपन उदाहरणतः सकारात्मक कार्यवाही नीतियों के प्रभाव (डर्बीशायर, 2002:28)।

कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने मुद्दों, उनके इतिहास और विकास, उसके प्रभाव और किस प्रकार जेण्डर–अनुकूल संकेतकों को संस्थान साथ ही साथ परियोजना स्तर पर विकसित किया जाय, इस पर एक व्यापक मार्गदर्शिका विकसित की है (सी.आई.डी.ए., तिथि रहित)।

2.8 संदर्भ

कनाडियन इण्टरनेशनल डेवलपमेण्ट एजेन्सी (सीडा), तिथि रहित। गाइड टू जेण्डर–सेन्सटिव इण्डिकेटर्स। उपलब्ध है:
www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/8525711600526F0A8525711900618E1C? OpenDocument

क्लीवर, एफ., 1998। 'इनिसेटिव्स एण्ड इनफॉरमल इन्सटीच्यूसनः जेण्डर एण्ड द मैनेजमेण्ट ऑफ वॉटर', एग्रीकल्चर एण्ड ह्यूमन वैल्यूस, 15:347–360।

डायमण्ड, एन. एन ऑल, ए वर्किंग सेशन ऑन कम्यूनिटीस, इन्सटीच्यूसन एण्ड पॉलिसीजः मूविंग फ्रॉम इन्वायरनमेन्टल रिसर्च टू रिजल्ट। वीडटेक (ऑफिस ऑफ वीमेन इन डेवलेपमेन्ट द्वारा सहायता प्राप्त, ब्यूरो फॉर ग्लोबल प्रोग्राम्स, फिल्ड सपोर्ट एण्ड रिसर्च, यू.एस. एजेन्सी फॉर इन्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट), वाशिंगटन, डी.सी., 1997। साइटेड इन वर्किंग पार्टी ऑन जेण्डर इक्वीलिटी, ओईसीडी–डीएसी, रीचिंग द गोल्स 1 द एस–21: जेण्डर इक्वीलिटी एण्ड द इनवायरनमेन्ट, 1998। उपलब्ध है: http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/1895624.pdf

फर्शमुथ, सी., 1997। जेण्डर इज नॉट ए सेन्सिटीव इश्यूः इन्सटीच्यूशनलाइजिंग ए जेण्डर–ओरिएन्टेड पार्सिपेट्री एप्रोच इन सिवांगा, जाम्बिया, आईडी 21 रिपोर्ट (www.id21.org). इन्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट फॉर इन्वायनमेन्ट फॉर इन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट गेटकीपर सीरिज संख्या 72।

नरायन , डी., 1995। कान्ट्रिब्यूसन ऑफ पिपुल्स पार्टिसीपेशनः एवीडेन्स फ्राम 121 रूरल वॉटर सम्लाई प्रोजेक्ट्स, द वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.।

क्विसिंबिंग, ए.आर., 1994। इम्प्रूविंग वोमेन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिवीटी ऐस फारमर्स एण्ड वर्कर्स, वर्ल्ड बैंक डिसकशन सीरिज संख्या 37। कोटेड इन एफ.ए.ओ., एस.ई.ए.जी.ए. सेक्टर गाइडः ईरीगेशन, 1998। उपलब्ध हैः www.fao.org/sd/seaga

शाह एम.के., 1998, ''जेण्डर्ड परसेप्शन्स ऑफ वेल–बीईंग इन डार्को, घाना,'' इन I. जुइज एण्ड एम.के. शाह(ईडीएस) *द मिथ ऑफ कम्यूनिटीः जेण्डर इश्यूज इन पार्टिसिपेटरी डेवलेपमेन्ट*।

थामस एच., 1993, ''बिल्डींग जेण्डर स्ट्रेटजीज फॉर फ्लड कन्ट्रोल, ड्रेनेज एण्ड इरिगेशन इन बांग्लादेश'', इन प्रोसिडिंगस ऑफ द वर्कशॉप ऑन जेण्डर एण्ड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेण्ट। लेशन्स लर्न्ड एण्ड स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर, 1994। टू वाल्यूम्स। (रिपोर्ट फ्राम ए सेमिनार हेल्ड इन स्टॉकहोम, 1–3 दिसम्बर 1993, सीडा)।

यूनाईटेड नेशन्स इन्वायनमेन्ट प्रोग्राम (यूनेप), 2004। वीमेन एण्ड द इन्वायरनमेन्ट। पालिसी सीरिज।

विक–सिजबेस्मा, सी.ए. वेन, मुखर्जी, एन. एण्ड ग्रॉस, बी., 2001। लिंकिग सस्टेनेबिलिटी विथ डिमाण्ड, जेण्डर, एण्ड पॉवर्टीः ए स्टडी इन कम्यूनिटी–मैनेज्ड वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन 15 कन्ट्रीस। इन्टरनेशनल वॉटर एण्ड सेनिटेशन रिफरेन्स सेन्टर, वाशिंगटन, डी.सी. एण्ड डेल्ट, द नीदरलैण्ड्स।

ज्वारटिवीन, एम, 1997। 'वाटरः फ्राम बेसिक नीड टू कमोडिटीः ए डिसकशन ऑन जेण्डर एण्ड वॉअर राइट्स इन द कन्टेक्स्ट आफ इरिगेशन,' वर्ल्ड डेवलेपमेन्ट, 25(8): 1335–1349।

अतिरिक्त संसाधन

अबू–आटा, नथाली, 2005। वाटर, जेण्डर एण्ड ग्रोथ इन द मेना रीजन ऑर द कास्ट ऑफ जेण्डर इक्सूलजन, वर्ल्ड बैंक मेना डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट ऑन वॉटर।

इस शोध पत्र का उद्देश्य जल, जेण्डर तथा गरीबी निवारण के बीच संबंधों को दर्शाना व विश्लेषण ढाँचा प्रदान करना है। यह एम.ई.एन.ए. क्षेत्र के लिए जल पर विकास रिपोर्ट के लिए लिखा गया है जिसमें महिला किसानों और लघु स्तरीय उद्यमियों के लिए आर्थिक समझ के साथ जल तक घरेलू व सिंचाई उद्देश्य के लिए पहुँच के निर्णय को शामिल किया है।

अहमद, एस. (एड), 2005। फ्लोइंग अपस्ट्रीम–इम्पावरिंग वोमेन थ्रू वॉटर मैनेजमेण्ट इनिसिएटिव्स इन इण्या, सेन्टर फॉर इन्वायरनमेण्ट एजुकेशन, अहमदाबाद, फाउण्डेशन बुक्स, नई दिल्ली।

एली, डी.ड्रेवेट–दाबोस, जे. फ्रांसिस, ए. मॉरल एल' हूस्सेर, पी. चाप्पे, जी. वरदेहान केयर, 2002। वॉअर, जेण्डर एण्ड सस्टेनेबल डेवलेपमेण्टः लेशन्स लर्नट् फ्राम फ्रेन्च कोआपरेशन इन सब सहारा अफ्रीका। पीएस–ईएयू, मीनिस्ट्री ऑफ फॉरेल अफेयर्स, एजेन्सी ऑफ डेवलेपमेन्ट एण्ड वर्ल्ड बैंक।

औरेली, ए एण्ड सी ब्रेलेट, 2004। वोमेन एण्ड वॉटरः एन इथिकल इश्यूस। यूनेस्कों सीरिज ऑन वॉटर एण्ड इथिक्स, एस्से 4। यूनेस्कों, पेरिस, फ्रांस।

यह पत्र जल उपयोग में महिलाओं ही विशिष्ट भूमिका से जुड़े नैतिक मुद्दों का विश्लेषण करता है जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व मूलभूत अधिकार के रूप में स्वच्छ जल शामिल है। उपलब्ध है: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001363/136357e.pdf

वेन्नेट्ट, वी., डेविला–पोबलेट, एस.एण्ड एम. निवेस रिको (एड्स), 2005। अपोसिंग करेन्ट्सः द पोलिटिक्स ऑफ एण्ड जेण्डर इन लैटिन अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग प्रेस, पिट्सबर्ग।

बूलेन्स, आर. एण्ड पी. हूगेन्दाम (एड्स), 2002। वॉटर राइट्स एण्ड इम्पावरमेण्ट, एस्सेन (द नीदरलैण्ड्स), कोनिनक्लिके वेन गॉरेम।

कैपनेट, तिथि रहित। *ट्यूटोरियल ऑन इन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेण्टः*

यह दस्तावेज आई.डब्ल्यू.आर.एम. के प्रमुख सिद्धान्तों का परिचय विभिन्न उदाहरणों की मदद से देता है।
उपलब्ध है: http://www.cap-net.org/iwrm_tutorial/mainmenu.htm

सीडेयर, 2004। स्टेटस ऑफ इन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेण्ट (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) प्लान्स इन द अरब रीजन। उपलब्ध है: http://www.arabwatercouncil.org/ firstmeet/IWRM%20study.pdf

क्लीवर, एफ. एण्ड डी. एल्सन, 1995। वोमेन एण्ड वॉटर रिसोर्सेजः कान्टीनियुड मार्जिनलाइजेशन एण्ड न्यू पालिसीज, लंदन इण्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट फॉर इन्वायरनमेण्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट, गेटकीपर सीरिज संख्या 49।

क्लीवर, एफ, 2000। 'एनलिसिस एफ., 2000। 'एनलिसिस जेण्डर रोल्स इन कम्यूनिटी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेन्टः निगोसिएशन, लाईफ कोर्स एण्ड सोशल इन्क्लूजन', आईडीएस बुलेटिन, वाल्यूम 31, संख्या 2, पीपी 60–67।

कोल्स, एन्ने एण्ड टीना वॉलेस, 2005। जेण्डर, वॉटर एण्ड डेवलेपमेन्ट। ऑक्सफोर्ड, बर्ग।

क्रो, बी, 2001। वॉटर, जेण्डर एण्ड मैटीरियल इन्इक्वलिटीस इन द ग्लोबल साउथ, सेन्टर फॉर ग्लोबल, इण्टरनेशनल एण्ड रीजनल स्टडीज, डब्ल्यू.पी. नं. 5, सान्ता क्रूज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया। उपलब्ध है: http://repositories.cdlib.org/cgirs/CGIRS-2001-5/

डी'कुहा, जे., 2002। 'जेण्डर एण्ड वॉटर', वॉटर रिसोर्स जरनल, नं. 32, पीपी–75–85।

डेविला–पोबलेट, सोनिया, 2004। वोमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेक बेसिन मैनेजमेण्ट फ्राम ए जेण्डर पर्सपेक्टिव। उपलब्ध है: http://www.worldlakes.org/uploads/Women's%20Participation%2022Jun04.pdf

डिपार्टमेण्ट फॉर इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट (डी.एफ.आई.डी.), 2002। जेण्डर इश्यूस इन द मैनेजमेन्ट ऑफ वॉटर प्रोजेक्ट्स। फाइनल रिपोर्ट, अप्रैल।

डिवीजन फॉर द एडवान्समेन्ट ऑफ वोमेन (डी.ए.डब्यू), यूनाईटेड नेशन्स डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनिमिक एण्ड सोशल अफेयर्स (देसा), 2005। वोमेन 2000 बियॉन्डः *वोमेन एण्ड वॉटर। यूनाईटेड नेशन्स, न्यूयार्क, उपलब्ध है:* http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Feb05.pdf

इगलाल सेच्ड, रथबर, इवा, ब्रूक्स, डेविड, रथबर, ईवा, 1996। वॉटर मैनेजमेण्ट इन अफ्रीका एण्ड द मीडिल इस्टः चैलेन्जेस एण्ड अपारच्यूनिटीस, आई.डी.आर.सी.।

पुस्कत में संकट की स्थिति का जायजा लेने, प्रमुख मुद्दों व चरणों को पहचानने तथा भविष्य की शोध व कार्यवाही रणनीति को तैयार करने पर आधारित है। यह विभिन्न क्षेत्रों चाहै व सूखाग्रस्त हो या जल से जुड़े संबंधी, गुणवत्ता या बीमारियों की समीक्षा करती है ये विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं का भी निरीक्षण करती है अंत में यह जल संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करता है।
उपलब्ध है: http://www.idrc.ca/en/ev-9334-201-1-DO_TOPIC.html

फॉन्ग, एम.एस., डब्ल्यू वॉकमैन एण्ड ए. भूषण, 1996। *टूलकीट ऑन जेण्डर इन वॉटर एण्ड सैनिटेशन, जेण्डर टूलकिट सीरिज नं. 2,* जेण्डर एनलिसिस एण्ड पॉलिसी, पावर्टी एण्ड सोशल पॉलिसी डिपार्टमेन्ट, यूएनडीपी–वर्ल्ड बैंक वॉटर एण्ड सैनिटेशन प्रोग्राम, टी.डब्ल्यू.यू.डब्ल्यू.एस., द वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.।

जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स (जी.डब्ल्यू.ए.), 2002। द जेण्डर एप्रोच टू वॉटर मैनेजमेन्ट। लेसन्स लर्न्ट अराउण्ड द ग्लोब।
जेण्डर एण्ड वॉअर एलायन्स द्वारा आयोजित इलेक्ट्रानिक सम्मेलन श्रृंखला के निष्कर्ष अत्यन्त उपयोगी व सदस्यों द्वारा जल क्षेत्र में जेण्डर को मुख्यधारा मे शामिल करने की चुनौतियों पर परिचर्चा पर आधारित है। यह चर्चायें अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्पैनिश व पोर्तगालीज भाषा में हुई।
उपलब्ध है: http://www.genderandwater.org/page/300

जी.डब्ल्यू.ए., 2003। द जेण्डर एप्रोच टू मैनेजमेण्ट लेशन्स लर्न्ड एराउण्ड द ग्लोब। जेण्डर एण्ड वॉअर एलायन्स। उपलब्ध है: http://www.genderandwater.org/page/156

जी.डब्ल्यू.ए., 2003। द जेण्डर एण्ड वॉटर डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट: जेण्डर पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिसीज इन वॉअर सेक्टर। जी.डब्ल्यू.ए. के लिए डब्ल्यू.ई.डी.सी. द्वारा प्रकाशित, लॉग्बर्ग यूनिवर्सिटी, लीस्टरशायर, यू.के.।
यह रिपोर्ट जेण्डर अनुकूल नीतियों के विकास को जाँचने का पहला कदम है। यह दाताओं की नीतियों में आये परिवर्तन पर आधारित है। जी.डब्ल्यू.ए. के सदस्यों ने विश्व में जल कानून नीतियों व कार्यक्रमों में आये परिवर्तनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक विवेचना की है। यह पता लगाने के लिए कि जेण्डर संबंधी संदेशों का क्या प्रभाव रहा है।
उपलब्ध है: http://www.genderandwater.org/page/156

जी.डब्ल्यू.ए., 2003। टैपिंग इन्टू सस्टेनेबलटी: इश्यूज एण्ड ट्रेन्ड्स इन जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन वॉटर एण्ड सैनिटेशन। ए बैकग्राउण्ड डाक्यूमेन्ट फार द जेण्डर एण्ड वाटर सैनिटेशन, थर्ड वर्ल्ड वॉटर फोरम, कोयोटो, जापान, मार्च।
यह दस्तावेज विभिन्न हितधारकों जिसमें सरकार, गैर सरकारी संगठन, शोध केन्द्र, विश्विद्यालय तथा समुदाय आधारित संगठन भी शामिल हैं की समझ व कार्यवाहियों के द्वारा सभी स्तरों पर जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु किये गये कार्यों के उदाहरणों पर आधारित है।
यह जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के दौरान रह गये अंतरालों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। कुछ प्रगति के बावजूद उभरे प्रश्नों का भी विश्लेषण करता है जैसे किस प्रकार सैद्धान्तिक पहलुओं को किस प्रकार जमीनी स्तर की कार्यवाहियों में परवर्तित किया जाए और अन्य?

जी.डब्ल्यू.ए., 2003। जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन आई.डब्ल्यू.आर.एम.। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स माड्यूल्स। जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स।
ये छः प्रशिक्षण मॉड्यूल है जो कि जेण्डर की मुख्य अवधारणाओं, जेण्डर एवं आई.डब्ल्यू.आर.एम., जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी परियोजना चक्र व संस्थाएं। ये विभिन्न संस्थानों के लिए उपयोगी हैं तथा साथ ही इसका क्षेत्र के मुद्दों के अनुसार अनुकूलन भी किया जा सकता है।
उपलब्ध है: http://www.genderandwater.org/page/766

ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप (जी.डब्ल्यू.पी.), 2004। 'इन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेण्ट', टी.ए.सी. बैकग्राउण्ड पेपर नं. 4 जी.डब्ल्यू.पी., स्टॉकहोम। उपलब्ध है: http://www.gwpforum.org/gwp/library/IWRM at a glance.pdf

जी.डब्ल्यू.पी, 2003। 'पावर्टी रिडक्शन एण्ड आई.डब्ल्यू.आर.एम.'। टी.ई.सी. बैकग्राउण्ड पेपर नं.8, जी.डब्ल्यू.पी, स्टॉकहोम।

ग्रीन, कैथी विथ सैली बडेन, 1994। वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट: ए माइक्रो लेवल एनलिसिस फ्राम ए जेण्डर पर्सपेक्टिव। एन इश्यू पेपर प्रीपेयर्ड फॉर द जेण्डर ऑफिस, स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट कोआपरेशन एजेन्सी (सीडा)। इन्स्टीच्यूट ऑफ डेवलेपमेन्ट स्टडिस, ब्रिगटॉन, यू.के.
जेण्डर और पर्यावरण पर आधारित शोध का संदर्भ लेते हुए यह शोध पत्र जेण्डर विश्लेषण के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करता है। यह शोध पत्र जल संसाधन प्रबंधन नीति में जेण्डर परिप्रेक्ष्यों को शामिल करने हेतु विचार भी प्रस्तुत करता है। उपलब्ध है: http://www.bridge.ids.ac.uk/reports.html

ग्रीन, सी. एण्ड सैली बडेन, 1995। ''इन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्टः ए जेण्डर पर्सपेक्टिव'', आई.डी.एस. बुलेटिन, वाल्यूम नं–1।

हमदी, 2005। जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन द वॉटर सेक्टरः थ्योरी, प्रेक्टिसेज, मॉनीटरिंग एण्ड इवैलूएशन। सी.आई.एच.ई.ए.एम.

लहरी दत्त, कुन्तला, 2006. (एड.) फ्लूड बॉण्ड्सः व्यूस ऑन जेण्डर एण्ड वॉटर। स्ट्री पब्लिकेशन्स, कोलकाता, इण्डिया।

खोसला, प्रभा, 2002। मामा –86 एण्ड द ड्रिकिंग वॉटर कम्पेन इन द यूक्रेन, फॉर द जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स। एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक, ढाका वर्कशाप ऑन वॉटर एण्ड पावर्टी, सितम्बर।

यह प्रपत्र यूक्रेन में जल क्षेत्र में संचालित परियोजना पर आधारित है। इसमें उनके विभिन्न अभियानों तथा जल प्रावधान की सफल रणनीतियों, जल की गुणवत्ता व मात्रा, मूल्य तथा पहुँच और साथ ही जल संसाधनों पर नियंत्रण के बारे में जानकारी देता है। उपलब्ध है: http://www.genderandwater.org/page/293

खोसला, प्रभा। क्रिस्टीन वैन विक, जोप वरहागेन एण्ड विजू जेम्स, 2004। जेण्डर एण्ड वॉटर। टेक्निकल ओवरव्यू पेपर। आई. आर.सी. इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सेनिटेशन सेन्टर।

किसी भी जेण्डर अनुकूल तरीके का आधारभूत सिद्धान्त केवल महिलाओं की भूमिका पर आधारित नहीं है। यद्यपि बहुत से संदेश व सिफारिशें जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय लेने पर केन्द्रित होते हैं। जेण्डर एक ही कार्य करता है। ऐसे ही तर्कों पर आधारित है यह प्रपत्र जिसमें मानवों में जेण्डर निष्पक्षता व सामाजिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दर्शाया गया है। उपलब्ध हैः http://www.irc.nl/page/15499

कुन्स्ट, सेबिन एण्ड तंजा क्रस, 2001। इन्टीग्रेटिंग जेण्डर पर्सपेक्टिवः रियलाइसिंग न्यू ऑप्शन फॉर इम्प्रूव्ड वॉअर मैनेजमेन्ट। क्रास कटिंग थिमेटिक बैकग्राउण्ड पेपर। इण्टरनेशनल कान्फ्रेन्स ऑन फ्रेशवॉटर, वॉन, जर्मनी।

मामा–86, 2002। ड्रिकिंग वॉटर इन यूक्रेनः *कम्यूनिकेशन एण्ड इम्पावरमेन्ट फॉर लोकल एण्ड इण्टरनेशनल एक्शन। थर्ड एडिशन। केवाईआईवी।*

महाराज, नायला एट ऑल, 1999। मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्टः ह्वाई एण्ड हाऊ। बैकग्राउण्ड पेपर फॉर द वर्ल्ड विजन प्रोसेस, पेरिस, फ्रांस। वर्ल्ड वॉटर विजन यूनिट। उपलब्ध हैः http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Visions/GenderMainstreaming.pdf

मेहता, एल, 2000। *वॉटर फॉर द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीः चैलेन्जेज एण्ड मिसकन्सेप्सन, वर्किंग पेपर नं0–111, इन्स्टीच्यूट ऑफ डेवलेपमेन्ट, सुसेक्स।*

मेन्जेन–डीक, आर.एस., ब्राउन, एल.आर., फिल्डस्टेन, एच.एस. एण्ड ए.आर. क्विसंबिंग, 1997।'' *जेण्डर, प्रापर्टी राइट्स एण्ड नेचुरल रिर्सोसेज*', वर्ल्ड डेवलेपमेन्ट वाल्यूम–25, नं.–8, पीपी. 1303–1316।

मेन्जेन–डीक, आर. एण्ड ज्वारटीविन, एम., 1998। 'जेण्डर्ड पार्टिसिपेशन इन वॉटर मैनेजमेन्टः इश्यूस एण्ड इलस्ट्रेशन फ्राम वॉटर यूजर्स' एसोसिएशन्स इन साउथ एशिया', *एग्रीकल्चर एण्ड ह्यूमन वैल्यूस, वाल्यूम 15, पीपी. 337–345।*

मिश्रा, आर. एण्ड एफ. वेन स्टीनबर्जेन, 2001। लीगेसी इन डिस्ट्रेसः वेविंग कम्यूनिटी एलायन्स फॉर इन्टीग्रेटेड वॉटर मैनेजमेन्ट। फैसिलिटेटर्स' रिपोर्ट ऑन ए मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सेन्टर फॉर डेवलेपमेन्ट ऑफ ह्यूमन इनिसिएटिव्स (सी. डी.एच.आई.), पाण्डापारा, बाओबाजार, जलपाईगुरी–735101, वेस्ट बंगाल, इण्डिया।

मुर्शिद, शरमीन, 2000। वॉटर डिसकोर्सेजः ह्वेयर हैव ऑल द वोमेन गॉन? उपलब्ध हैः http://www.iiav.nl/nl/ic/water/water_vision.html

नसीर आई. फारूकी, आसित के. विश्वास, एण्ड मुराद जे. बिनों, 2001। वॉटर मैनेजमेन्ट इन इस्लाम, आई.डी.आर.सी./यू.एन. यू. प्रेस।

यह पुस्तक कई प्रस्तावित जल प्रबंधन नीतियों, जलकर, जलसंरक्षण, गंदे जल का पुनः प्रयोग, समुदाय आधारित जल प्रबंधन, निष्पक्ष कीमतें तथा जल से जुड़े मुद्दे बाजार पर इस्लामिक परिप्रेक्ष्यों पर आधारित हैं।
उपलब्ध हैः http://www.idrc.ca/openebooks/924-0/

नेडा, 1997। राइट्स ऑफ वीमेन टू द नेचुरल रिर्सोसेज लैण्ड एण्ड वॉटर, द हॉगः नीदरलैण्ड्स डेवलेपमेन्ट असिस्टेन्स, मिनीस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स।

रथजेबर, इवा एम, 1996। वोमेन, मेन एण्ड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट इन अफ्रीका, वॉटर मैनेजमेन्ट इन अफ्रीका एण्ड द मिडिल इस्टः चैलेन्जेस एण्ड अपॉरच्यूनिटीस, आई.डी.आर.सी.।

यह शोध प्रपत्र उन सरोकारों को जाँचता है जिसमें जल क्षेत्र से जुड़े अनुदानदाताओं व अफ्रीकी सरकार को कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। यह प्रपत्र विभिन्न सोच परिप्रेक्ष्यों व योजना बनाने वालों द्वारा महिलाओं और पुरूषों की जल तक पहुँच संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े तर्क वितर्क प्रस्तुत करता है। यह 70–80 के दशक में जल तक पहुँच को सरल बनाने संबंधी प्रयासों को उजागर करता है। जिसमें बहुत ही कम प्रयास महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं पर आधारित थी। उपलब्ध हैः http://www.idrc.ca/fr/ev-31108-201-1-DO_TOPIC.html

सेरेनर, बारबरा, नीलेका मोहापी, एण्ड बारबरा वेन कोपेन। *स्ट्रेटजिस फॉर जेण्डर–इन्क्लूसिव इन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट इन साउथ अफ्रीका। पेपर प्रेसेन्टेड एट द थर्ड वॉटरनेट/डब्ल्यूएआरएफएसए सिम्पोसियमः वॉटर डिमाण्ड मैनेजमेन्ट फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ वॉटर रिसोर्स आई.डब्ल्यू.आर.एम.; आरूशा, 30–31 अक्टूबर 2002। उपलब्ध हैः* http://www.waternetonline.ihe.nl/docs/Papers2003/Warfsa-WaterNet%20Theme%203/Strategies%20for%20Gender-inclusive%20Integrated%20Water%20Resources%20M.pdf

स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट कोआपरेशन एजेन्सी (सीडा), 1997। ए जेण्डर पर्सपेक्टिव इन द वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट सेक्टरः *हैण्डबुक फॉर मेनस्ट्रीमिंग* (हेलेन थॉपस, जोहाना स्कैल्विक एण्ड बेथ वोरनिक प्रीपेयर्ड इन क्लोस कोआपरेशन विथ द डेवलेपमेन्ट फॉर नेचुरल रिसोर्स फॉर नेचुरल रिसोर्स एण्ड द इन्वायरनमेन्ट), पब्लिस्ड ऑन वॉटर रिर्सोसेज, नं.–6।

यूनाईटेड नेशन्स इन्वायरनमेन्ट प्रोग्राम (यूनेप), 2003: *इम्पावरिंग वीमेन इन वॉटर मैनेजमेन्ट एण्ड अदर डेवलेपमेन्ट इनिशिएटिव्स। ए ट्रेनिंग मैनुअलः फोकसिंग ऑन रेनवॉटर हार्वेस्टिंग। अर्थकेयर अफ्रीका मॉनिटरिंग इन्स्टीच्यूट, नैरोबी, केन्या।*

वॉटर एण्ड सेनिटेशन प्रोग्राम। लिंकिग सस्टेनेबीलिटी विथ डिमाण्ड, जेण्डर एण्ड पावर्टी। ए स्टडी इन कम्यूनिटी–मैनेज्ड वॉटर सप्लाई प्रोजेक्टस इन 15 कन्ट्रीस। वर्ल्ड बैंक एण्ड आई.आर.सी. इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सेनिटेशन सेन्टर, जनवरी 2001।

वीमेन फॉर वॉटर, वॉटर फॉर वीमेन, 2004। *द क्लैश विटविन प्रिंसिपल्स एण्ड प्रेक्टिसेज। द हॉग, नीदरलैण्ड्स।*

यह प्रपत्र टिकाऊ विकास आयोग की वर्ष 2004 की बैठक पर आधारित है इसमें जेण्डर समानता की अर्न्तराष्ट्रीय वचनबद्धता व आई.डब्ल्यू.आर.एम. के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन पर एक बहुत ही उपयोगी विश्लेषण सम्मिलित हैः देखें: www.womenforwater.org

वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिच्यूट, 2003। वीमेन एण्ड वर्कः *द सक्सेज ऑफ द सेल्फ–इम्प्लॉएड वीमेन्स एसोसिएशन्स।* ए सीरिज ऑफ शार्ट बुलेटिन्स ऑन सेवाज वॉटर कम्पेन। उपलब्ध हैः http://governance.wri.org/pubs_content_text.cfm?ContentID=1869

अध्याय 3 जेण्डर और जल क्षेत्रों पर संसाधनों का संकलन

3.1 परिचय

इस अध्याय में 13 विशिष्ट क्षेत्रों की जानकारी शामिल की गयी है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का जल व जेण्डर से संबंध दर्शाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र संबंधी दी गयी जानकारी का उद्देश्य संबंधित जल क्षेत्र की विविधता जेण्डर के मध्य के संबंधों को प्रकट करना है। प्रत्येक क्षेत्र संबंधी परिचय उस विशेष क्षेत्र में उपलबध संदर्भ और शोध संसाधनों की सूची भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण और संसाधन सूची का अनुसरण करता है। ये केस स्टडी पुस्तक के अंत में विस्तार से दी गयी है जो उस क्षेत्र विशेष से जुड़े पहलुओं को उजागर करती है।

निम्न क्षेत्र संबंधी परिचय हैं:

- 3.2 जेण्डर, शासन और जल संसाधन प्रबंधन
- 3.3 जेण्डर, जल और गरीबी
- 3.4 जेण्डर, स्वच्छता और स्वास्थ्य
- 3.5 जेण्डर, घरेलू जल आपूर्ति और सफाई
- 3.6 जेण्डर और जल निजीकरण
- 3.7 जेण्डर, जल और कृषि
- 3.8 जेण्डर, जल और पर्यावरण
- 3.9 जेण्डर और मत्स्य–उद्योग
- 3.10 जेण्डर और समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंधन
- 3.11 जेण्डर और जल–संबंधी आपदायें
- 3.12 जेण्डर और क्षमता विकास
- 3.13 जल क्षेत्रों में जेण्डर संबंधी नियोजन और साधन
- 3.14 जल क्षेत्रों के लिए जेण्डर अनुकूल बजट पहल

3.2 जेण्डर, शासन और जल संसाधन प्रबंधन

परिचय

1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहचाना और स्वीकारा कि सुशासन लोगों की आजीविका को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपर्याप्त जल प्रबंधन; अविश्वसनीय सेवाओं, सेवाओं तक सीमित पहुँच और अकुशल तथा अप्रभावी सेवाओं, जो कि प्रायः धनी व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, के द्वारा गरीब पुरुषों और महिलाओं पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। उन्नत जल शासन, जल संसाधनों के निष्पक्ष विकास के साथ–साथ लोगों तक इसकी पहुँच को सुनिश्चित कर सकता है। सतत् विकास समस्याओं के साथ–साथ वर्तमान और पूर्वकथित जल संकट प्रशासन की असफलता को प्रकट करते हैं (यू.एन.डी.पी., 2002)। इस प्रकार हम देखते हैं कि कमजोर जल शासन, निरन्तर गरीबी और कमजोर समूहों की जल तक अपर्याप्त पहुँच के बीच पारस्परिक संबंध है।

सुशासन से जेण्डर असमानता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

- यह सुनिश्चित करना कि गरीब महिलाओं और पुरुषों के मानवीय अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता का सम्मान हो और वे गरिमापूर्ण ढंग से अपना जीवनयापन करें।
- समाज के कमजोर वर्गों उदाहरणार्थ गरीब पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों और बुजुर्गों की पहुँच को सुधारने के लिए सामाजिक मेलजोल को समावेशित करते हुए निष्पक्ष नियमों, संस्थानों और अभ्यासों की शुरूआत करना।
- यह सुनिश्चित करना कि महिलायें विकास, प्रयोग, तकनीकी चयन, वित्त और जल प्रबंधन के अन्य पहलुओं पर निर्णय लेने में पुरुषों की बराबर की सहभागी हों।
- यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान नीतियों और अभ्यासों में भावी पीढ़ियों की पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं को प्रकट किया गया हो।
- गरीबी उन्मूलन और महिलाओं तथा पुरुषों की आजीविका को सुधारने संबंधी प्रयासों की तरफ जल विकास नीतियों को केंद्रित करना।

ऐसा माना गया है कि जल ही अधिकांश मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल्स को प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। नयी प्रौद्योगिकी को विकसित करना और आपूर्ति में वृद्धि करना ही केवल हल नहीं है बल्कि उपलब्ध संसाधन को प्रभावी, सक्षम और निष्पक्ष रूप से प्रबंधित करना भी जरूरी है। यह जल संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक माँगों के तर्कसंगत मूल्यांकन और प्राथमिकताओं की सूची के आधार पर निष्पक्ष जल वितरण जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, को अपरिहार्य बनाता है।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर उन्नत जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य से जल सुधार की ओर कार्य की शुरूआत हो गयी है। वर्ष 2002 में जोहन्सबर्ग में आयोजित टिकाऊ विकास पर विश्व शिखर–सम्मेलन के दौरान, विश्व के नेताओं ने वर्ष 2005 तक आई.डब्ल्यू.आर.एम. और जल दक्ष योजनाओं को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। आई.डब्ल्यू.आर.एम. के नियोजन प्रक्रिया के दौरान बहु–हितधारकों के साथ विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप ही निष्पक्षता, बेहतर पर्यावरण तक लोगों की पहुँच और सृजन संबंधी मुद्दों को संबोधित किया जा सका। बुनियादी स्तर पर महिलाओं और पुरुषों का अर्थपूर्ण योगदान एक मुख्य चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रही है।

जल प्रशासन में जेण्डर दृष्टिकोणों की चुनौतियाँ

जल शासन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करता है जोकि समाज के विभिन्न स्तरों पर जल संसाधनों और सेवाओं के प्रावधानों के विकास तथा प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए है। हितधारकों के परामर्श कार्यक्रमों व मंचों पर महिला जल उपयोगकर्ताओं को शामिल करने संबंधी विचारधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बहु–हितधारक परामर्श कार्यक्रमों में प्रयुक्त वर्तमान साधन प्रमुख रूप से शिक्षित समूह के अनुकूल हैं और इसे स्थानीय स्तर पर प्रयोग करने के लिए इसमें बदलाव की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, कई महिलायें रुढ़िवादी सामाजिक संदर्भों में सांस्कृतिक मजबूरियों का सामना करती हैं जिसके कारण वे अपने

विचारों को सार्वजनिक नहीं कर पाती हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब महिलाएं आर्थिक मजबूरियों के कारण अपनी आवश्यकताओं को बताने में असमर्थ होती हैं।

जल को आर्थिक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके विकास, वितरण, संचालन और रखरखाव सभी स्तरों पर लागत जुड़ी हुई है। हांलाकि जल के लिए भुगतान करने का सिद्धांत न्यायोचित है और कभी–कभी आवश्यक भी है। फिर भी गरीब महिलायें प्रायः लागू किए गए शुल्कों को चुकाने के योग्य नहीं होती हैं। सुरक्षित और स्वच्छ जल तक पहुँच मानव का मूलभूत अधिकार है और इस अधिकार के तहत् जल के आर्थिक मूल्य पर चर्चा की जानी चाहिए। इस बात को स्वीकार किया गया कि वे लोग जो भुगतान करने में असमर्थ हैं उन्हें कम से कम भुगतान करना होगा–लेकिन गरीब परिवारों हेतु इसके लिए एक अतिरिक्त अवसर है कि वे इसका भुगतान श्रम के रूप में करें। प्रायः जब भी मुफ्त श्रम की आवश्यकता होती है तो महिलायें ही सामान्यतः इसमें योगदान देती हैं, लेकिन यदि भुगतान युक्त श्रम की आवश्यकता होती है तो इसमें केवल पुरूष हैं।

आई.डब्ल्यू.आर.एम. की जल संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित सामर्थ्य, संस्थागत ढाँचों से प्राप्त होती है। इसके लिए यह माना गया कि संस्थानों को उत्तरदायी और पारदर्शी होना होगा। हांलाकि जल शासन के स्वरूपों या प्रक्रियाओं में जेण्डर संबंधी मुद्दों के प्रति कम ध्यान दिया जाता है। इस समस्या को संबोधित करने के साथ–साथ जल संस्थानों में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया में आये अवरोधों का पता लगाने की भी आवश्यकता है। ये सभी संस्थानिक नियम, संस्कृति, बाजार व्यवस्था और नीतियों पर आधारित होती हैं और इसलिए उनमें प्रायः जेण्डर असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है (ओडगार्ड, 2002)। गरीब महिलाओं और पुरुषों के व्यवहारिक और स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण ज्ञान को बहुत कम महत्व दिया या सराहा जाता है, और ज्यादातर लोगों के पास समितियों में भाग लेने के लिए आवश्यक दक्षता की कमी होती है। अधिकांश गरीब महिलाओं और पुरुषों के लिए समय एक मूल्यवान संसाधन है और इसलिए इसके उपयोग को घरेलू और आय उत्पादक गतिविधियों और बैठकों में उपस्थित होने के मध्य संतुलित किया जाना जरूरी है।

शक्ति संबंध जल के वितरण और प्रौद्योगिकी के चयन के तरीकों को भी प्रभावित करता है। सिंचाई पाइप लाइन सामान्यतया जल के उत्पादनकारी प्रयोग से जुड़ा हुआ है, और जल संसाधनों के उपभोग में पुरुष, महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। दूसरी तरफ मानवनिर्मित कुआँ महिलाओं द्वारा जल के घरेलू उपयोग से जुड़ा हुआ है। हांलाकि इस प्रयोग को भी उत्पादनकारी समझा जा सकता है क्योंकि इससे महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को लाभ मिलता है, परन्तु इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। जल आवंटन से जुड़ी निर्णयन प्रक्रिया और राजनीति पुरुषों और महिलाओं के लिए भिन्न–भिन्न होती है।

जल तक गरीब महिलाओं और पुरुषों की पहुँच और जल प्रबंधन ढाँचों के साथ उनके संबंध प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। अक्सर पड़ने वाले सूखे या जल की लागातार कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि गरीब परिवारों को प्रायः जल प्राप्त नहीं हो पाता है या उन्हें खराब या निम्नतम् गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग करना पड़ता है। बुनियादी ढाँचों की कमी वाले सीमांत क्षेत्रों में स्थित और केंद्रीय सरकार द्वारा विस्थापित महिलाएं एवं पुरुष सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं से जल को प्राप्त करने के बजाय विभिन्न स्थानीय प्रणालियों द्वारा जल को प्राप्त करेंगे। जिसके कारण निर्णयन प्रक्रिया में इनकी भागीदारी उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित होगी जोकि संसाधन की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं।

शासन क्षेत्र में लड़कियों और लड़कों के अधिकार को संबोधित करने का मुद्दा एक प्रमुख चुनौती है। उप–सहारा अफ्रीका में एच.आई.वी./एड्स महामारी से बाल–मुखिया वाले घरों (बच्चों द्वारा संभाले जा रहे घरों) की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। शासन की निर्णयन प्रक्रिया में इस बात को हमेशा स्वीकार किया गया है कि गृह प्रमुख के रूप में वयस्क पुरुषों (कभी–कभी महिला) को ही उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। वे बच्चे जो गृह प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, उनकी उम्र कम है और इसलिए वे अपनी छोटी उम्र तथा निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण जनसभा में अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जल

शासन के जल–सेवा संबंधी प्रावधानों में लड़को और लड़कियों की आवश्यकताओं व भूमिकाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्थानीय स्तर पर प्रभावी जल शासन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों के लिए सामुदायिक प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में पहचाना जा चुका है। यह माना जाता है कि इस कार्य में स्थानीय संस्थान प्रमुख भूमिका निभाते हैं व संसाधनों के निष्पक्ष वितरण पर ही ध्यान देते हैं। वास्तव में, समुदाय के अर्न्तगत महिलाओं एवं पुरूषों की भिन्न–भिन्न श्रेणियां पायी जाती हैं एवं उनके पास अपनी स्थिति को सुधारने से संबंधित (अलग–अलग स्तरों पर) विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। प्रभावी जल शासन में समुदाय और समुदायिक प्रबंधन हेतु विभेदित विश्लेषण को समावेशित करने की आवश्यकता है।

भविष्य की योजना

बेहतर जल शासन प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है जोकि सभी हितधारकों, जिसमें गरीब महिला और पुरुष भी शामिल हैं, को निर्णय लेने की अनुमति होती है। इसके द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित और क्षमता के अनुरूप पेयजल और मूलभूत स्वच्छता तक पहुँच को सुनिश्चित करने के साथ–साथ उन्नत आजीविका के लिए जल की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए। इससे एक ऐसे पर्यावरण का विकास होगा जिसमें समर्थनीय नीतियाँ, कानूनी साधन और निष्पक्ष कीमत ढाँचे सम्मिलित होंगे।

वर्तमान में इस प्रकार के सुझाव देने के लिए बहुत कम साक्ष्य मौजूद हैं कि जल प्रबंधन में जेण्डर सरोकारों को ध्यानपूर्वक और संज्ञान में लेते हुए संबोधित किया गया है। प्रभावी जेण्डर संवेदी जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगीः

- नियोजन प्रक्रियाओं के दौरान पुरुषों और महिलाओं के साथ परामर्श करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसे बुनियादी स्तर पर महिलाओं और पुरुषों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए तैयार किये गये जेण्डर–संवेदी सहभागिता साधनों के प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- आई.डब्ल्यू.आर.एम. में जेण्डर पर केंद्रित होकर केवल नागरिक समाज को ही लक्ष्य नहीं बनाना जाना चाहिए बल्कि सभी जल प्रबंधन ढाँचों और संस्थानों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसके लिए पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न अवरोधों को पहचाना जाना आवश्यक है तथा इस प्रक्रिया में निष्पक्षता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- सभी स्तरों पर क्षमता विकास जल शासन में जेण्डर सरोकारों को शामिल करने के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है।
- जेण्डर, शासन और जल प्रबंधन के मुद्दों को केवल महिलाओं के मुद्दों के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे शक्ति संबंधों, नियंत्रण और गैरलाभान्वित समूहों, जोकि महिलायें, बच्चे या पुरुष हो सकते हैं, के द्वारा संसाधनों तक पहुँच के व्यापक मुद्दों के रूप में पहचाना जाना चाहिए।
- जल प्रबंधन के सामाजिक पहलुओं की महत्ता को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। महिलायें समाज, स्वच्छता, स्वास्थ्य और उत्पादनकारी प्रयोगों में जल के प्रबंधन हेतु केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

शासन में महिलाओं व पुरूषों की बराबर भागीदारी हेतु चार प्रमुख कदम

सूचना

प्रभावी जेण्डर समानता को लागू करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न अनुभवों, समस्याओं और प्राथमिकताओं से संबंधित जानकारी आवश्यक है। सांख्यिकीय जानकारी को महिलाओं और पुरुषों के अनुभवों के आधार पर नियमित रूप से संकलित किया जाना चाहिए जिसमें जेण्डर विश्लेषण को स्थिति के अनुसार विश्लेषण के एक भाग के रूप में रखना चाहिए। यह विद्यमान असमानता को पहचानने में और असमानताओं को संबोधित करने वाली विकासशील नीतियों, से संबंधित मुद्दों को व्यक्त करनें में मदद करेगी।

परामर्श, पक्ष समर्थन और निर्णयन
यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं और सीमांत समूहों ने अपने विचारों व दृष्टिकोणों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूत आवाज उठाई है। इसका आशय यह है कि समुदाय से लेकर प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर परामर्श सभा और निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों दोनों को शामिल किया जा रहा है।

जेण्डर–संवेदी लाभार्थी समूहों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यवाही
निर्णय लेने की प्रक्रिया में जेण्डर समानता को बढ़ावा देने और लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के आकड़ों व जेण्डर विश्लेषण सूचनाओं पर आधारित गरीब महिलाओं और पुरूषों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

जेण्डर–संवेदी संगठनों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यवाही
जल शासन में जेण्डर आधारित तरीके परियोजना के क्रियान्वयन और प्रबंधन में शामिल कर्मचारियों की दक्षता, ज्ञान और वचनबद्धता पर निर्भर करेंगे। कर्मचारियों में उचित क्षमता को विकसित करने के साथ–साथ संस्थाओं में जेण्डर विभेद और असमानता को संबोधित करना चाहिए जोकि जल क्षेत्र संस्थओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

जल शासन एक सुशासन नहीं हो सकता है। यदि जेण्डर असमानता को अपनी नीतियों मे शामिल करने वाले संस्थानों, नीतियों, कानूनी ढाँचों व तकनीकी साधनों को प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जायेगा।

संदर्भः

बेलट्रेन, एलिजाबेथ पेरेडो 2004। वाटर, प्राइवेटाइजेशन एण्ड कनफ्लिक्टः द वीमेन ऑफ काचोबाम्बा वैली। हेनरिच बॉल फाउण्डेशन।

अन्ना ग्रासमैन ए, एन. जॉनशन, एट ऑल, 2003। डाइवर्टिंग द फ्लोः ए रिसोर्स गाईड टू जेण्डर, राइट्स एण्ड वॉटर प्राइवेटाइजेशन।
यह प्रकाशन महिलाओं विशेषकर गरीब महिलाओं की आजीविका पर जल जैसी निधि एवं सेवओं के निजीकरण पर्यावरणीय व आर्थिक तथा जेण्डर समानता पर कार्य करने वाले लोगों के लिए सहायक पुस्तक भी हैं
उपलब्ध है: http://www.wedo.org/files/divertingtheflow.pdf

एग्यूलर, लोरेना। 2004। फैक्ट शीटः जेण्डर इण्डिकेटर, आई.यू.सी.एन–कम्यूनिटी कन्जरवेशन कोलिशन।
जेण्डर समानता तरीकों व जेण्डर सूचकों के मध्य अर्न्तसंबंधों पर आधारित तथ्यपरक प्रपत्र है।
उपलब्ध है:
http://www.iucn.org/themes/spg/portal/seminar/background_papers/iucn_documents/gender/protected_areas.pdf

बेगम शमसुन नाहर एट ऑल, 2002। वर्कशॉप रिपोर्ट ऑन प्रो पुअर वॉटर गर्वनेन्स, जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स।
यह जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा आयोजित कार्यशाला रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत करती है जोकि जेण्डर तथा शासन क्षेत्र में कार्यरत् विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों एवं नीति–निर्माताओं के लिए उपयोगी संसाधन भी है।
उपलब्ध है: www.genderandwater.org/page/732

कैप–नेट (2002)। द इम्पारटेन्स ऑफ लोकल ओनरशीप, पार्टनरशीप एण्ड डिमाण्ड रिसपोन्सिवनेस।
यह जल शासन के मुद्दों से संबंधित विषय क्षेत्र को संबोधित करता हुआ एक सारगर्भित परिचय प्रस्तुत करती है। इस वेबसाइट पर आई.डब्ल्यू.आर.एम. की पृष्ठभूमि से संबंधित कई अन्य दस्तावेज भी सरल भाषा में मौजूद हैं। यह वेबसाइट प्रोफेसरों, शोधार्थियों, नीति–निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों व जल प्रबंधकों के लिए बहुत उपयोगी है।
उपलब्ध है: http://cap-net.org/FileSave/65_Capacity_building_ofr_IWRM_3_principles.pdf

डर्बीशायर, एच. 2002। जेण्डर मैनुअलः प्रेक्टिकल गाइडलाइन्स फॉर डेवलेपमेन्ट पॉलिसी मेकर्स, डी.एफ. आई.एड.।

यह जेण्डर अवधारणाओं को बताने के लिए एक प्राथमिक पुस्तक हैं जोकि जेण्डर मुद्दों को स्पष्ट रूप से संबोंधित करता है। यह पुस्तक नैतिक स्तर पर कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों, शोधार्थियों व शिक्षकों हेतु एक उपयोगी संसाधन है।

उपलब्ध है: http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/gendermanual.pdf

क्लीवर, फ्रान्सेस, 1998। मॉरल इकोलॉजिकल रेशनॉलिटी, इन्स्टीच्यूशन्स एण्ड द मैनेजमेन्ट ऑफ कामर्शियल रिसोर्सेज।

यह शोध प्रपत्र स्थानीय स्तर पर जल संसाधन प्रबंधन की विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है जिसमें सामुदायिक पहल संबंधी उदाहरण को शामिल किया गया है।

उपलब्ध: http://www.indiana.edu/~iascp/Final/cleaver.pdf

क्लीवर फ्रान्सेस एण्ड टी. एल्सॉन, 1995। *वीमेन एण्ड वॉटर रिर्सोसेजः कम्बाइन्ड मारिजनलाइजेशन एण्ड न्यू पॉलीसिज,* लंदनः इण्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट फॉर इन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट, गेटकीपर सीरिज संख्या–49।

यह पुस्तक जेण्डर परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हुए आई.डब्ल्यू.आर.एम. को विचारधारा को प्रस्तुत करता है। यह विशेषज्ञों, नीति–निर्माताओं, शोधार्थियों, शिक्षकों एवं जल प्रबंधकों हु उपयोगी पुस्तक है।

ग्लोबल वॉटर पार्टनरशीप (जी.डब्ल्यू.पी.), तिथि रहित, *कैटेलाइजिंग चेन्जः ए हैण्डबुक फॉर डेवेलपिंग इन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) एण्ड वॉटर इफिसिएन्सी प्लान्स,* टेक्निकल कमेटी।

यह सारगर्भित पुस्तिका आई.डब्ल्यू.आर.एम. के सिद्धान्तों व प्रभावी जल परियोजना के नियोजन को प्रस्तुत करती है। इस पुस्तिका को वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह जल प्रबंध्कों, सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों व नीति–निर्माताओं हेतु एक उपयोगी पुस्तिका है।

उपलब्ध है: http://www.gwpforum.org/gwp/library/Handbook.pdf

ग्लोबल वॉटर पार्टनरशीप, तिथि रहित। *शेयरिंग नॉलेज फॉर इक्विटेबल इफिसिएन्ट एण्ड सस्टेनेबल वॉटर रिर्सोस मैनेजमेन्टः टूल बॉक्स।*

यह टूलबाक्स आई.डब्ल्यू.आर.एम. के सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है तथा उन लोगों को एक दिशा निर्देश देता है जो आई.डब्ल्यू.आर.एम. का विरोध करते हैं। उपलब्ध है: http://www.gwptoolbox.org/

मामा–86, 2002 ड्रिन्कींग वॉटर इन यूक्रेनः कम्यूनिकेशन एण्ड इम्पावरमेन्ट फॉर लोकल एण्ड इण्टरनेशनल एक्शन। थर्ड एडिशन। केवाईआईवी।

एलेली, डी, ओ. ड्रेवेट–डाबोस, जे. एथिन, जे. फ्रांसिस, ए. मॉरल आई' हूसेर, पी. चाप्पे, एण्ड जी. वर्धेहान कायरे, (2002)। *वॉटर जेण्डर एण्ड सस्टेनेबल डेवलेपमेन्टः लेशन्स लर्न्ट फ्राम फ्रेन्च कोआपरेशन इन सब–सहारा अफ्रीका। पेरिस, फ्रान्सः ड्रेवेट–डाबोस ग्रुप डी रिर्चचे एट डी' चेन्जेज टेक्नोलोजिज।*

सेरेनायर, बारबरा, बारबरा वेन कोपेन एण्ड कैथी एल्स, 2003। *'जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन वॉटर पॉलिसी एण्ड लेजिसलेशनः द केस ऑफ साउथ अफ्रीका'।* पेपर डेवलेप्ड फॉर द जेण्डर इन कोर्ट सेशन एट द थर्ड वॉटर फोरम, कोयोटो, जापान।

यह केस अध्ययन दक्षिण अफ्रीका में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को शामिल कर जल परियोजनाओं/जल क्षेत्रों में हुए सुधार के विकास से संबंधित विचार को प्रस्तुत करता है।

यूनाईटेड नेशन्स डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.), 2002। डीपिंग डेमोक्रेसी इन ए फ्रैगमेन्टेड वर्ल्ड, ह्यून डेवलपेमेन्ट रिपोर्ट्स वैरियश इयर्स।

यह वैश्विक रिपोर्ट की एक शृंखला है जो मानव विकास की उन्नति को दर्शाता है। इसमें विश्व के विकास से संबंधित सूचकांक के साथ–साथ लिंग संबंधी महिलाओं एवं पुरूषों के आंकड़ों की सूचनायें भी हैं।

उपलब्ध है: http://hdr.undp.org/reports/global/2002/en/pdf/overview.pdf

यूनाईटेड नेशन्स डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.), 2002, *डॉयलॉग ऑन इफेक्टिव वॉटर गर्वनेन्स, अफडेट।*

यह संवाद जल शासन के प्रमुख सिद्धान्तों व इस विषय से संबंधित स्पष्ट समझ को प्रस्तुत करता है।

वेडो, 2003। *डायवर्टिंग द फ्लोः ए रिसोर्स गाइड टू जेण्डर, राइट्स एण्ड वॉटर प्राइवेटाइजेशन। वीमेन्स इन्वायरनमेण्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट ऑगनाइजेशन, न्यूयार्क।*

यह नीजिकरण के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों का विश्लेषण करने के लिए एक उपयोगी संसाधन है। यह पुस्तक जल अधिकारों, नीतियों एवं कानूनों से संबंधित समझ को और विकसित करता है।

उपलब्ध है: http://www.wedo.org/files/divertingtheflow.pdf

मुर्शिद, शारमीन, 2000। *वॉटर डिसकोर्सः ह्वेयर हैव ऑल द वीमेन गॉन?* उपलब्ध है: www.iiav.nl/nl/ic/water/water_vision.html

पाण्डा, स्मिता मिश्रा, वीमेन्स रोल इन लोकल वॉटर मैनेजमेन्ट इनसाइट फ्रॉम सेवाज मिलेनियम वॉटर कैम्पेन इन गुजरात (भारत)
उपलब्ध है:
http://www.google.co.in/search?hl=en&q=panda%2c+smita+mishra+women%E2%80%99s+role+in+local+water+managment%3a+insights+from+sewa%E2%80%99s&btnG=search&meta=&aq=f&oq=

इस प्रपत्र ने स्मिता मिश्रा पाण्डा ने सेवा संस्थान का उदाहरण देते हुए गुजरात में चल रहे मिलेनियम वॉटर कैम्पेन के बारे में जानकारी दी है। जल को एक मौलिक अधिकार मानते हुए सेवा ने महिलाओं को साफ और स्वच्छ पानी मिले इसके लिए प्रयास किया और निरंतर प्रयासों के बाद महिलाओं और समुदाय दोनों को जल संसाधनों पर नियंत्रण हासिल हुआ और महिलायें जल संसाधन का सफल तरीके से प्रबंधन करने लगीं।

ब्रेट ओ बैनन, 1994। द नर्मदा रीवर प्रोजेक्ट; टूवार्ड्स द फेमिनिस्ट मॉडल ऑफ वीमेन इन डेवेलपमेन्ट, पॉलिसी साईन्सेज, वाल्यूम 27, संख्या 2/3, फेमिनिज्म एण्ड पब्लिक पॉलिसी। पृष्ठ संख्या 247–267।
उपलब्ध है: http://www.jstor.org/stable/4532317

इस प्रपत्र में वृहद् विकासशील परियोजनाओं के कारण महिलाओं पर होने वाले परिणामों का कई प्रारूपों जैसे उदार एकीकरण प्रारूप, सीमान्त प्रारूप, पूंजीवादी प्रारूप और सामाजिक प्रारूप के लाभों की तुलना करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर परियोजना को केस स्टडी के रूप में लेकर इन सभी प्रारूपों के निष्कर्षों या परिणामों को प्रस्तुत किया गया है तथा तीसरे विश्व एवं विकासशील नीतियों में इन परियोजनाओं को जेण्डर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की गयी है।

सिंह नंदिता, जेण्डर कन्सर्न इन वॉटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्ट रिथिंकिंग जेण्डर इनिसिएटिव्स इन इण्डिया।
उपलब्ध है: http://www.sasnet.lu.se/EASASpapers/16NanditaSingh.pdf

यह प्रपत्र भारत में जलसंसाधनों के प्रबंधन और सरकार के तरफ से लिये गये जेण्डर आधारित पहलों का बेहतर ढंग से विश्लेषण करता है। प्रपत्र के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे भारतीय महिलाओं को पहले सिर्फ लाभदायक समूहों के रूप में देखा जाता था और किस प्रकार के परिवर्तन हुए जिससे अब महिलाओं को जल संरक्षक संबंधी कार्यों के लिए प्रमुख कर्ता के रूप में पहचान मिली।

लाहिड़ी–दत्त, कुन्तला (2003)। 'रिफलेक्शन ऑन वॉटरः जेण्डर इन द गर्वनेन्स ऑफ वॉटर इन इण्डिया', डेवेलपमेन्ट बुलेटिन, द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी।
उपलब्ध है: http://rspas.anu.edu.au/gwn/resources/reflections_on_water_article.pdf

इस प्रपत्र के माध्यम से भारत में जल संबंधित विभिन्न पहलुओं को सामने रखने की कोशिश की गयी है। इस प्रपत्र में महिलाओं को केन्द्र में रखते हुए पानी से जुड़ी हुयी उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार एवं समाज को इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है।

उपाध्याय, भावना, 2004 जेण्डर रोल्स एण्ड मल्टिपल यूजेज ऑफ वॉटर इन नार्थ गुजरात, वर्किंग पेपर नं0 70, इण्टरनेशनल वॉटर मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, कोलम्बो
उपलब्ध है: http://www.iwmi.cgiar.org/.../working_papers/working/WOR70.pdf

अहमद, एस. (1999), चेन्जिंग जेण्डर रोल्स इन इरिगेशन मैनेजमेन्टः सद्गुरूज लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव्स, इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम 34, नं 51 (दिसम्बर 18–24, 1999), पृष्ठ संख्या 3596–3606। उपलब्ध हैः http://www.jstor.org/stable/4408739

यह प्रपत्र सद्गुरू परियोजना क्षेत्र (गुजरात) के अन्तर्गत चल रहे तीन लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं और लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव्स का गहराई से निरीक्षण करने के बाद कोऑपरेटिव्स की कार्यकारी समिति में महिलाओं एवं उनकी भूमिकाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इस प्रपत्र में सद्गुरू परियोजना के द्वारा उठाये गये कदमों जैसे पॉलिसी एडवोकेसी (जो महिलाओं को कार्यकारी समिति में प्रतिनिधित्व का मौका देती है) और जेण्डर संवेदी तंत्रों, जिसमें समस्त कर्मचारियों एवं सामुदायिक कर्मियों की विकास में भागीदारी से संबंधित प्रशिक्षण भी कराया गया, की वजह से क्या महिलाओं की निर्णयन क्षमता में सहभागिता बढ़ी है? इस तथ्य को समझने की कोशिश की गयी है।

पाण्डा, स्मिता मिश्रा, वीमेन्स कलेक्टिव एक्शन एण्ड सस्टेनेबल वॉटर मैनेजमेन्टः केस ऑफ सेवा वॉटर कैम्पेन इन गुजरात, भारत। उपलब्ध हैः http://www.capri.cgiar.org/pdf/capriwp61.pdf

मेहता, एल. (1957), सोसल डिफरेन्सेज एण्ड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्टः इनसाइट फ्रॉम कच्छ, भारत, आई. डी.एस.बुलेटिन वाल्यूम 28: 4 :70
उपलब्ध हैः http://www.google.co.in/search?hl=en&q=Mehta%2C+L+&281997%29%2C+Social+Differences+and+Water+Resources+Management%#A+Insight+from+Kutch%2C+India%2C+IDS+Bulletin+Vol+28%3A+4%3A+79-90.&btnG=Google+Search&meta=&aq=f&oq=

सिंह, नंदिता (2006) वीमेन, वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल वॉटर गर्वनेन्स, अन्डरस्टैन्डिंग इन्सटीट्युशनल कान्ट्राडिक्शन्स। उपलब्ध हैः http://gtd.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/1/61

लीलाम्मा–देवासिया, 1998। सेफ ड्रिकिंग वॉटर एण्ड इट्स इक्विसिजनः रूरल वीमेन्स पार्टिसिपेशन्स इन वॉटर मैनेजमेन्ट इन महाराष्ट्र, भारत। इन *इण्टरनेशनल जरनल ऑफ वॉटर रिर्सोसेज डेवेलपमेन्ट, 1998,* 14:4, 537–546। उपलब्ध हैः http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713672365

अग्रवाल, बीना (1981)। वॉटर रिर्सोसेज डेवेलपमेन्ट एण्ड रूरल वीमेन, नई दिल्ली, भारत, आई.आर.सी. इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सैनिटेशन सेन्टर, 171–172 जेण्डर इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट, वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन फोड फाउण्डेशन।

दलवाई, अशोक, 1997। 'कैन वीमेन डू पी.आई.एम.'? इन इण्टरनेशनल ऑन पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेन्ट, आई.एन.पी.आई.एम. न्यूजलेटर नं0 5 पृष्ठ संख्या 4–5
उपलब्ध हैः http://www.inpin.org/leftlinks/newsletters/N5/newsletters/N5/n5a5.htm

इस प्रपत्र में उड़िसा राज्य का उदाहरण देते हुए सहभागी सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं के योगदान की चर्चा की गयी है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि जो मुद्दे उड़िसा राज्य में थे वे आज भी अन्य स्थानों पर विद्यमान हैं। इसलिए हमें ऐसे ही कदम उठाने की आवश्यकता है।

स्टैनबरी, पामेला, 1984। वीमेन्स रोल इन इरिगेटेड एग्रीकल्चरः रिपोर्ट ऑफ द 1984 डायग्नोस्टिक वर्कशॉप, दाहोद टैंक सिंचाई परियोजना, मध्यप्रदेश, भारत, फोर्ट कॉलेन्स, सी.ओ., यू.एस.ए., कोलरेडो स्टेट यूनिवर्सिटी, वॉटर मैनेजमेन्ट सिंथेसिस प्रोजेक्ट।

रिफॉर्मिंग वॉटर, एडिंग वीमेनः डज डीसेन्ट्रलाइज्ड वॉटर गर्वनेन्स फरदर जेण्डर जस्टिस इन इण्डिया? इश्यूज एण्ड रिकमेन्डेशन्स। उपलब्ध हैः
http://www.indiawaterportal.org/.../reforming_water_adding_women_Nov_2008.pdf

यह शोध प्रपत्र महाराष्ट्र और गुजरात में चल रहे विकेन्द्रिकृत जल शासन के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की जांच करता है। यह शोध 2006–2008 में एस.ओ.पी.पी.ई.सी.ओ.एम., उत्थान और टी.आई.एस.एस. के द्वारा किया गया है। यह शोध विकेन्द्रिकृत जल शासन में महिलाओं की भागीदारी को प्रस्तुत करता है। इस शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि जल से जुड़े कार्य, निर्णयन, जल संसाधनों तक पहुँच में जेण्डर असमानता है और महिलाओं को निर्णयन प्रक्रिया में पूर्णरूप से भागीदार करके उन्हें सशक्त बनाने की आवश्कयता है।

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी है।

- अफ्रीकाः अफ्रीकी शहरों हेतु जलः यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सेटेलमेन्टस प्रोग्राम (यू.एन.–हैबिटैट) व जेण्डर व वॉटर एलायन्स के बीच साझेदारी।
- बांग्लादेशः महिलायें, पुरूष तथा जलपंप
- कैमरूनः''साथी हाथ बढ़ाना'' महिलाओं की भागीदारी से जल प्रबंधन में बदलाव– हुओण्डा
- वैश्विकः जल एवं स्वच्छता पर विषय संबंधी लेख पर विचारः इन्ट्राजेन्सी जेण्डर और जल कार्यवाही दल से एक केस अध्ययन।
- इण्डोनेशियाः जावा में जल प्रबंधन में सिर्फ महिलाओं की बैठक सहभागिता की कुंजी
- पाकिस्तानः परदा से सहभागिता की ओर
- यूगाण्डाः नीतियों में जेण्डर समानताः यूगाण्डा की जेण्डर जल रणनीति का निरीक्षण

3.3 जेण्डर, जल और गरीबी

परिचय

जल, मानव और जीवन के सभी रूपों के लिए अति आवश्यक है। लेकिन प्रदूषण तथा स्वच्छ जल तक पहुँच में कमी गरीबी के चक्र, जलजनित रोगों तथा जेण्डर असमानता को और अधिक बढ़ावा दे रहा है। (खोसला एवं पर्ल, 2003)। जल, टिकाऊ विकास, गरीबी उन्मूलन, मानवाधिकारों, प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य, एच.आई.वी. और एड्स से मुकाबला बिजली उत्पादन, लड़कियों के लिए शिक्षा में सुधार तथा अस्वस्थता पर और मृत्युदर में कमी आदि से जुड़ा एक प्रमुख पहलू है। अभी भी 110 करोड़ लोग स्वच्छ पेयजल तक पहुँच तथा 260 करोड़ लोग स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच से वंचित हैं। इस परिस्थिति में महिलाओं और बच्चे सबसे ज्यादा नकरात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

विश्व भर में गरीबी लगातार बढ़ रही है और इसके प्रति महिलाएं तथा बच्चे सबसे संवेदनशील समूह हैं। पुरूषों की अपेक्षा महिलाएं गरीबी का अनुभव अलग ढंग से करती हैं क्योंकि उन्हें समाज में बराबरी का हक अभी भी नहीं प्राप्त है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विश्व में गरीबी में जीवन यापन करने वाले 130 करोड़ लोगों में से 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। विश्व में काम के कुल घंटों मे से महिलाएं दो तिहाई भाग तक कार्य करती हैं, विश्व के कुल खाद्य उत्पादन का आधा हिस्सा उनके द्वारा उत्पादित होता है, किन्तु उनकी आय विश्व की कुल आय का मात्र 10 प्रतिशत ही है, और उनके पास विश्व की कुल संपति का 1 प्रतिशत भाग ही है (संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम अभियान, 2005)

जेण्डर, जल और गरीबी –संबंध

वर्ष 1997 में जारी की गयी मानव विकास रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि सबसे कम जेण्डर संबंधी विकास सूचकांक वाले देशों (सियरा लियोन, नाइजर, बुर्किना फासो, और माली) में भी उच्च गरीबी दर, जल, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच में कमी जैसी गंभीर समस्याएं हैं। अन्य देश जहां गरीबी दर अत्यधिक है (बोलविया, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, हौंडुरस, निकारागुआ और पैरागुवे) में भी सामाजिक, जेण्डर और जातिगत असमानता की दर उच्च है। (शेरीनर, 2001)

जेण्डर, जल और गरीबी के मध्य संबंध निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है

- उचित गुणवत्ता एवं पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता, जलजनित बीमारियों की घटनाओं में कमी लाएगी साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाकर कार्य उत्पादकता को बढ़ाएगी और बच्चों की विद्यालयों में उपस्थिति भी बढ़ेगी।
- जब जल संसाधनों की प्राप्ति हेतु लोगों में आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो सामान्यतः महिलाएं और अन्य संवेदनशील लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगें।
- जल संसाधनों से जुड़ी महिलाओं की विकास प्राथमिकताओं में जल स्रोत का उनके घर के निकट होना हो सकता है ताकि वे अपनी उत्पादकता और प्रजनन भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सकें। यदि उनकी सलाह नहीं ली जाती है तो ये प्राथमिकताएं विकास परियोजनाओं में शामिल होने से रह जायेंगी।
- महिलाओं और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर आजीविका और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था भी पर्याप्त जल संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर है।
- महिलाओं को उनके मत व रूचियों का अवसर देने से से जल प्रबंधन में उनकी भागीदारी द्वारा उनकी प्रतिष्ठा में सुधार लाया जा सकता है। यह कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारण और प्रभावीपन में भी सुधार लाएगा।

विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थानों में जेण्डर असमानता के कारण पुरूषों की तुलना में महिलाएं गरीबी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इस प्रकार की असमानता आय के असमान वितरण, संपत्ति अथवा आय पर नियंत्रण तथा उत्पादन संबंधी निवेशों (जैसे ऋण) और जल संसाधन व अन्य संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार और हक जो कि ज्यादातर महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों के पक्ष में

अधिक होता है, के रूप में देखी जा सकती है। मजदूरी के क्षेत्र में भी महिलाएं पक्षपात और समाजिक बहिष्कार का सामना करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, विश्व के नेताओं ने पाँच वर्ष बाद गरीबी कम करने के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार एम.डी.जी. के गरीबी को आधा कर देने के लक्ष्य तथा अनुमानित निष्कर्ष के अनुसार विकासशील देशों के वे लोग जोकि प्रतिदिन डॉलर से भी कम आय में रहते हैं, लगभग 38 करोड़ के करीब होंगे। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य अनुमानित निष्कर्ष से मेल नहीं खाता है।'' बढ़ती गरीबी का असमान बोझ सर्वाधिक महिलाओं और बच्चों द्वारा वहन किया जाता है।

परिभाषित गलत धारणाएंः
गरीबी, बहुआयामी, स्थान विशिष्ट है और यह आयु, संस्कृति, जेण्डर तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक पहलुओं के अनुसार बदलती रहती है। पुरूषों से लेकर महिलाओं तक गरीबी की समझ भी अलग–अलग होती है। उदाहरण के लिए, घाना में पुरूष गरीबी को आय न अर्जित कर पाने की असमर्थता के रूप में परिभाषित करते हैं जबकि महिलाएं इसे खाद्य असुरक्षा के रूप में देखती हैं (नरायन, 2000)।

गरीबी का अर्थ संसाधनों की कमी ही नहीं है; इसके अन्तर्गत मत प्रकट करने और शक्ति की कमी, संकटों और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता तथा ऐसी संवेदनशील स्थितियों से निपटने की क्षमता में कमी भी सम्मिलित है। यदि जल संसाधन घरों से दूर स्थित हैं, तो महिलाओं और लड़कियों को पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है इस प्रकार यह उनके अन्य उत्पादक कार्यों के समय को कम करता है। प्रभावशाली जल प्रबंधन, महिलाओं के लिए प्रबंधन समितियों के रूप में सामाजिक नेटवर्क प्रस्तावित करता है, लेकिन प्रायः महिलाओं की भागीदारी जल प्रबंधन में अकुशल और भुगतानरहित कार्यों तक ही सीमित रहती है। गरीबी को वस्तुपरक समृद्धि से जोड़कर देखे जाने के कारण गरीबी के अन्य आयाम नजरअन्दाज किये जाते हैं जैसे शक्तिविहीन और निर्णय की प्रक्रिया में शामिल न किया जाना।

गरीबी के मापन में जेण्डर असमानता की दुविधा
गरीबी मापने के पारंपरिक तरीके में घरों में जेण्डर विभिन्नता को छिपा कर, सकल घरेलू उत्पाद या घरेलू आय के आंकड़ों को शामिल किया जाता है। सहभागी गरीबी आंकलन एक ऐसा साधन है जिसमें गरीबी की विश्लेषण के लिए गरीब महिलाओं और पुरूषों के मत शामिल किये जाते हैं और इस आंकलन से जननीति कार्यक्रमों के द्वारा रणनीतियों को तैयार करने में भी किया जाता है (नार्टन, 2001)।

जेण्डर गरीबी और पर्यावरणः एक तीन आयामी संबंध
हालांकि गरीबी के लिए अलग से मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल को निर्धारित किया गया है, जेण्डर और पर्यावरण (जल और स्वच्छता के साथ) आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें त्रिआयामी संबंध हैं। मनुष्य के हित के लिए जल आवश्यक है। यह आर्थिक विकास के लिए भी परमआवश्यक है और पारितंत्र के स्वास्थ्य की आधारभूत आवश्यकता है। घरेलू इस्तेमाल के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति के साथ बेहतर स्वच्छता और सफाई व्यवस्था, मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। यह विशेषकर बच्चों में अस्वस्थता दर और मृत्यु दर को कम कर देगा। जल टिकाऊ विकास के अन्य पहलुओं के लिए भी परमआवश्यक है जैसे पर्यावरणीय संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, लड़कियों के लिए शिक्षा और बीमारी के कारण कार्य उत्पादकता में हानि में कमी लाता है आदि। जल, विकासशील देशों में गरीबी और भूखमरी से मुकाबला, मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित करने, बच्चों की मृत्युदर में कमी लाने एवं जेण्डर समानता को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि में उत्प्रेरक प्रवेश का कार्य करता है। (जल और स्वच्छता पर संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम टास्क फोर्स, 2005)

एच.आई.वी. और एड्स की महामारी के प्रति लोगों की संवेदनशीलता का एक प्रमुख कारण और परिणाम गरीबी ही है, ने कुछ देशों में गृह आधारित देखरेख की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है क्योंकि वहां के स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। इस गृह आधारित देखभाल की व्यवस्था का अर्थ यह है कि पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता में स्वच्छ जल उपलब्ध होना चाहिए ताकि

द्वितीयक संक्रमण की आशंका को समाप्त करने के साथ ही देख रेख में लगे लोगों का बोझ भी कम किया जाए जिनमें अधिकांशतः महिलाएं और लड़कियाँ सम्मिलित हैं।

कुछ नीतिगत प्रभाव

एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन में जल को, आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक निधि के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार कुछ मामलों में इसे उपयोगी वस्तु के रूप में देखा जा सकता है जो कि मांग और आपूर्ति के सिद्धान्त पर आधारित है। इसलिए इसका कुछ उपयोगों के लिए बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है (थामस, स्कैल विक तथा वर्नीयुक, 1996)। जल क्षेत्र को प्रायः उत्पादक और गैर उत्पादक उपयोगों के रूप में विभाजित किया गया है। जल का गैर उत्पादक उपयोग (स्वास्थ्य, घरेलू प्रयोग और स्वच्छता) को महिलाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है और इसे आर्थिक आंकलन में शामिल नहीं किया जाता है। इसे आपेक्षिक आर्थिक मूल्य के विश्लेषण में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक और घरेलू जल की पारस्परिक निर्भरता को समझा और विचार किया जा सके।

आवश्यक वस्तु के रूप में जल का तात्पर्य है कि जल संसाधनों का विकास मांग के आधार पर किया जाना चाहिए। यद्यपि, गरीब महिलाएं समान्यतः सेवाओं के प्रति अपनी माँग को प्रकट कर पाने में असमर्थ होती हैं और उनमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता भी नहीं होती है; विशेष रूप से तब जबकि उनके पास जल पर संपत्ति अधिकार मान्यता प्राप्त व हस्तांतरणीय हों। इसके अतिरिक्त बच्चों द्वारा. संचालित घरों में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने और माँगों को प्रकट करने की क्षमता भी कम होती है।

गरीब महिलाओं की जल आधारित माँगों की पूर्ति हेतु, सरकारों को लिंग के संबंध में महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़ों को संकलित करना होगा और सभी क्षेत्रों में जेण्डर अनुकूल संकेतकों को विकसित करना होगा जिसमें जल, स्वच्छता, कृषि तथा सिंचाई भी सम्मिलित है; सहभागी साधनों का प्रयोग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है और वे पढ़े–लिखे लोग जो पढ़ने में असमर्थ हैं। केवल इसी प्रकार गरीब महिलाओं तथा पुरूषों और लड़कों एवं लड़कियों की प्राथमिकताओं को सुना और समझा जा सकता है।

संदर्भः

चेन, एस. एण्ड एम. रवलिन, 2004। *हाऊ द वर्ल्ड पुअरेस्ट हैव फरेड सिन्स 1980?* वाशिंगटन डी.सी.: वर्ल्ड बैंक। उपलब्ध हैः सिविक कन्जरवेशन
http://www.worldbank.org/research/povmonitor/MartinPapers/How_have_the_poorest_fared_since_the_early_1980s.pdf

खोसला, पी एण्ड पर्ल, आर, 2003। अनटैप्ड कनेक्शन्स–जेण्डर, वॉटर एण्ड पावर्टी। प्रमुख मुद्दे, गर्वनमेन्ट कमिट्मेन्ट्स एण्ड एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलेपमेन्ट उपलब्ध हैः http://www.wedo.org/files/untapped_eng.pdf (29 जून 2006 को प्रकाशित). न्यूयार्क, एनवाईः वीमेन्स इन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट ऑर्गनाइजेशन (वीडो)। स्पेक्टर

नारायन, डी., 2000। *वॉयस ऑफ द पुअरः कैन एनीवन हीयर अस? उपलब्ध हैः* http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/reports/canany/vol1.pdf (29 जून 2006 के प्रकाशित)। वाशिंगटन डी.सी., वर्ल्ड बैंक।

नॉर्टन, ए, 2001। ए रफ गॉइड टू पीपीए– पार्टीसिपेटरी पॉवर्टी एसेसमेन्टः एल इन्ट्रोडक्शन टू थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस। देखेंः http://www.odi.org.uk/pppg/publications/books/ppa.pdf (accessed on 11 July 2006). UK Department for International Development (DFID).

नॉर्टन, ए, 2001। ए रफ गॉइड टू पीपीए, डी.एफ.आई.डी., यूनाईटेड नेशन्स डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम, 2005। *इण्टरनेशनल कोआपरेशन एट ए क्रासरोड्सः एड, ट्रेड एण्ड सिक्योरिटी इन एन यूनिवेन वर्ल्ड,* ह्यूमन डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट। उपलब्ध हैः
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_overview.pdf

रॉब, सी, 1998। *कैन द पुअर इन्फ्लुएन्स पॉलिसी? पार्टीसिपेटरी, एसेसमेन्ट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। वाशिंगटन डी.सी.: वर्ल्ड बैंकः उपलब्ध हैः* http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/07/22/000094946_99040105542482/Rendered/PDF/multi_page.pdf

सेरेनायर, बारबरा, 2001। *की नोट एड्रेस एट द इण्टरनेशनल कान्फ्रेन्स ऑन फ्रेशवॉटर, बॉन। उपलब्ध हैः* http://www.water-2001.de/days/speech8.asp

सीड, तिथि रहित। ए जेण्डर पर्सपेक्टिव इन द वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट सेक्टरः पब्लिकेशन्स ऑन वॉटर रिर्सोसेज, नं.–6। उपलब्ध हैः स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट कोआपरेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एण्ड द इन्वायरनमेन्ट, एस. –105 25 स्टॉकहोम।

यू.एन. मिलेनियम टास्क फोर्स ऑन वॉटर एण्ड सैनिटेशन, 2005। *हेल्थ डिग्निटी एण्ड डेवलेपमेन्ट, ह्वाट विल इट टेक।* उपलबध हैः http://www.unmillenniumproject.org/documents/WaterComplete-lowres.pdf (29 जून 2009 को प्रकाशित)। स्टॉकहोम इण्टरनेशनल वॉटर इन्सटीच्यूट (सीवि)।

यूनाईटेड नेशन्स डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.), 2005। ह्यूमन डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट। उपलब्ध हैः
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_complete.pdf

यूनाईटेड नेशन्स डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम, 2001। ह्यूमन डेवलेपमेन्ट टू इरैडिकेट पावर्टी, ह्यूमन डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट।

यूनाईटेड नेशन्स मिलेनियम कम्पेन, 2005। उपलब्ध हैः
http://www.millenniumcampaign.org/site/pp.asp?c=grKVL2NLE&b=186382

प्रमुख संसाधन

अब्राम्स एल, 1999। पावर्टी, वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन सर्विसेज। पेपर प्रेजेन्टेड इन ए रीजनल वर्कशॉप ऑन फिनान्सिंग कम्यूनिटी वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन सर्विसेज। उपलब्ध हैः
http://www.thewaterpage.com/Documents/Poverty_and_sustainability.PDF

एशिया डेवलेपमेन्ट बैंक, 2004। *वॉटर एण्ड पावर्टीः फाइटिंग पावर्टी* थ्रू वॉटर मैनेजमेन्ट,
यह प्रकाशन गरीबी को जल सुरक्षा से जोड़ने तथा शासन, जल गुणवत्ता, जीविका के अवसर, क्षमता विकास व सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों की पहचान करने का कार्यवाही ढाँचा प्रस्तुत करता है।
उपलब्ध हैः http://www.adb.org/doc/books/water

बेल जे, एण्ड एन। कान्जी, तिथि रहित। *उर्दू गर्वनेन्स, पार्टनरशीप एण्ड पावर्टीः हाउसहोल्ड लावलीहूड्स एण्ड अरबन पावर्टी।*

बटरवर्थ, जे. ए., पी.बी., मोरारटी एण्ड बी. वेन कोपेन, 2003। ''वॉअर, पावर्टी, एण्ड प्रोडक्टिव यूस ऑफ वॉटर एट द हाउसहोल्ड लेवलः प्रेक्टिकल इक्सपिरीएन्स, न्यू रिसर्च, एण्ड पॉलिसी इम्प्लिकेसन्स फ्राम इन्नोवेटिव एप्रोचेज टू द प्रोविजन एण्ड यूज ऑफ हाउसहोल्ड वॉटर सप्लाईज।'' *प्रोसिडिंग ऑफ एन इण्टरनेशनल सिम्पोसियम हेल्ड इन प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका, जनवरी 21–23, 2003। उपलब्ध हैः*
http://www.irc.nl/content/view/full/2715 (summary);
http://www.irc.nl/themes/management/prodwat/ (full text) (only with password)

दयाल, आर, सी. वेन विक एण्ड एन. मुखर्जी, 2001। *मेथोडोलॉजी फॉर पार्टीसिपेटरी असेस्मेन्ट, विथ कम्यूनिटीस, इन्स्टीच्यूशन, एण्ड पॉलिसी मेकर्स।*

यह प्रकाशन सहभागी आंकलन करने वालों के लिए है जिसमें जेण्डर, गरीबी तथा टिकाऊपन के संकेतकों को जल और स्वच्छता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। उपलब्ध है:
http://www.schoolsanitation.org/Resources/Readings/global_metguideall.pdf

फेडरल मिनीस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोआपरेशन, 2001। *पावर्टी रिडक्शन–ए ग्लोबल रिसपोन्सबिलिटीस।* उपलब्ध है: http://www.gtz.de/de/dokumente/en-action-program-2015.pdf

खानजी, एन, 1995। *'जेण्डर, पावर्टी एण्ड इकोनॉमिक एडजस्टमेन्ट इन हरारे। उपलब्ध है:* http://eau.sagepub.com/cgi/reprint/7/1/37

मासिका, आर, एट आल, 1997। उरबेनिस्तान एण्ड अरबन पावर्टी: ए जेण्डर एनलिसिस। उपलब्ध है: www.bridge.ids.ac.uk/reports/r54urbw2.doc

रोडेनबर्ग, ब्रर्ट, 2003। *इन्टीग्रेटिंग जेण्डर इन्टू नेशनल पावर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीस (पी.आर.एस.पी.)। द इक्साम्पल ऑफ घाना।* उपलब्ध है: http://www.gtz.de/de/dokumente/en-integrating-gender-prsp-ghana-summary.pdf

स्टाम–बर्ग, हेल्गा, हेन्नी हेसे एण्ड क्रिस्टोप कोल्हमेयर, 2004। *कॉम्बेटिंग वर्ल्ड हन्गर थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।*

क्वाले, जी.ओ.के., 1999। *पार्टीसिपेटरी लर्निंग एण्ड एक्शन: पार्टीसिपेशन, जेण्डर, डिमाण्ड रिसपोन्सिविनेस एण्ड पावर्टी फोकस इन:* क्रिएटिंग लिंकेजेस एण्ड सस्टेनेबेलिटी रिपोर्ट। उपलब्ध है: क्वाले केन्या।

शार्ट सी, तिथि रहित। *टेकिंग वॉटर पावर्टी। उपलब्ध है:*
http://www.ourplanet.com/imgversn/122/short.html

आई.आर.सी., 2004। *लिन्किजेज वॉटर सप्लाई एण्ड पावर्टी एलीविएशन। द इम्पैक्ट ऑफ वीमेन्स प्रोडक्टिव यूज ऑफ वॉटर एण्ड टाइम ऑन हाउसहोल्ड इकोनॉमिक एण्ड जेण्डर रिलेशन इन बनासकांठा डिस्ट्रीक्ट, गुजरात, इण्डिया।*
उपलब्ध है: http://www.irc.nl/content/download/9405/140380/file/OP36_LWSPA.pdf

वेलफ्रे ब्रूनो, क्रिस्टोफ ले जेने एण्ड पियरे–मैरी ग्रोण्डिन, तिथि रहित। *जेण्डर, वाटर एण्ड पावर्टी इन वेस्ट अफ्रीका: मूव ऑन टू एक्शन।*

गॉयडर एच., आर. डेविस एण्ड डब्ल्यू, विलियम्सन, 1998। *पार्टीसिपेटरी इम्पैक्ट असेस्मेन्ट,* लंदन: एक्शन एड।

यह गरीबी कम करने के प्रभावों को मापने हेतु शोध विधि तथा संकेतकों के बारे में है। चार देशों, भारत, बांग्लादेश, घाना व युगांडा की केस स्टडी इसमें सम्मिलित है। यह रिपोर्ट शोध प्रक्रिया व प्रमुख निष्कर्षों के सारांशों का वर्णन करती है।

ग्रास बी, सी. वेन विक, एण्ड एन. मुखर्जी, 2001। *लिंकिंग सस्टेनेबिलिटी विथ डिमाण्ड, जेण्डर एण्ड पावर्टी। ए स्टडी इन कम्यूनिटी मैनेज्ड वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन 15 कन्ट्रीस। उपलब्ध है:*
http://www.wsp.org/publications/global_plareport.pdf
कबीर, नायला, 2003। *जेण्डर मेन्स्ट्रीमिंग इन पावर्टी इरैडिकेशन एण्ड द मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल्स। ए हैण्डबुक।*

यह पुस्तक नीति निर्माताओं व अन्य हितधारकों को जेण्डर अनुकूल परियोजना तैयार करने में उपयोगी है।

उपलब्ध है: www.idrc.ca/en/ev-28774-201-1-DO_TOPIC.html.

सालेथ आर. एम, एम. सामद, डी. मोल्डन, 2003। ''वॉटर पावर्टी एण्ड जेण्डर। एन ओवरव्यू ऑफ इश्यूज एण्ड पॉलिसीज'', *इन वॉटर पॉलिसी 5, पीपी 538–398,* इण्टरनेशनल वॉटर इन्स्टीच्यूट।

यह शोध पत्र सैद्धान्तिक व नीतिगत् मुद्दों का निरीक्षण करता है तथा साथ ही जल को गरीबी व जेण्डर सरोकारों को संबोधित करने के एक साधन के रूप में रणनीतियों का सुझाव भी देता है।

सारांश उपलब्ध्य है: http://www.iwaponline.com/wp/00505/wp005050385.htm

अबु–एटा, नथाली, 2005। *वॉटर, जेण्डर एण्ड ग्रोथ इन द मीना रीजन ऑर द कॉस्ट ऑफ जेण्डर इक्सक्लूजन, वर्ल्ड बैंक मीना डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट ऑन वॉटर।*

इस प्रपत्र का उद्देश्य जल–जेण्डर व गरीबी उन्मूलन के बीच संबंधों से जुड़ी विश्लेषण रूपरेखा प्रदान करता है जोकि एम.ई.एम.ए. की जल पर विकास रिपोर्ट से संबंधित है। यह खेती से जुड़े महिला और पुरूष किसानों की आर्थिक सोच व जल तक पहुँच पर तर्क प्रस्तुत करता है।

नूनान एफ, एण्ड डी. सेट्टरवेट, 1999। *अरबन गर्वनेन्स, पार्टनरशीप एण्ड पावर्टी: द अरबन इन्वायरनमेन्ट।*

यह कार्य प्रपत्र शहरी पर्यावरण पर आधारित है जोकि नीति निर्माताओं और व्यवसायिकों पर केन्द्रित है।

रॉय, जे. एण्ड बी. क्रो, 2004। ''*जेण्डर रिलेशन एण्ड एक्सेस टू वॉटर: व्हाट् वी वान्ट टू नो अबाउट सोशल रिलेशन्स एण्ड वीमेन्स टाइम एलोकेशन,*'' सेन्टर फॉर ग्लोबल, इण्टरनेशनल एण्ड रीजनल स्टडीज, डब्ल्यू.पी. 2004–5, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, शान्ताक्रूज।

सीडा, 1997। *इकोनोमिक रिफॉर्म एण्ड पावर्टी: ए जेण्डर एनलिसिस।*

यह रिपोर्ट जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सुधारों व गरीबी पर हुए वाद–विवाद की चर्चा पर आधारित है। इसमें नीति व क्रियान्वयन के प्रभावों पर भी विचार दिये जाते हैं।

उपलब्ध है: http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re50.pdf

यूनेप, 2002। वॉअर फॉर द पुअर

यह रिपोर्ट गरीबों तक जल सेवाएं पहुँचाने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती है जो कि यह दर्शाती है कि किस प्रकार व्यवसाय ने प्रगति में तेजी लाने का उचित माहौल तैयार किया है।

यूनेप, 2002। व्हेयर आर द पुअर? इक्सिपीरिएन्स विथ द डेवलेपमेन्ट एण्ड यूज ऑफ पावर्टी मैप्स।

यह प्रकाशन दर्शाता है कि किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय निर्णयकर्ता निकाय रोडमैप का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं।

उपलब्ध है: http://pdf.wri.org/wherepoor.pdf

यूनाईटेड नेशन्स, 2002। *ए वर्ल्ड सम्मिट ऑन सस्टेनेबल डेवलेपमेन्ट टाइप 2 पार्टनरशीप, यू.एन.,* जोहान्सबर्ग। उपलब्ध है:
www.johannesburgsummit.org/html/documents/crps/a_conf199_crp5.pdf

आई.डब्ल्यू.एम.आई, 2000। *फ्राम बकेट टू बेसिन: मैनेजिंग रिवर्स बेसिन्स टू एल्लिविएट वॉअर डेप्रिवेशन।* उपलब्ध है: http://www.iwmi.cgiar.org/pubs/WWVisn/PovGender.htm

आई.डब्ल्यू.एम.आई, 2000। *पेडलिंग आउट ऑफ पावर्टी: सोशल इम्पैक्ट ऑफ ए मैनुअल इरिगेशन टेक्नोलॉजी इन साउथ एशिया।*

यह शोध रिपोर्ट सिंचाई की ट्रैडल पम्प तकनीक के सामाजिक प्रभावों का आंकलन करती है। यह पंप गरीबी रोकने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

उपलब्ध है: http://www.iwmi.cgiar.org/pubs/Pub045/Report45.pdf

सी.टी.ए., 1999। *रिड्यूसिंग पावर्टी थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रेटजीज इन इस्टर्न एण्ड साउदर्न अफ्रीका*

यह कार्यशाला रिपोर्ट पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका में गरीबी कम करने की रणनीतियों का सारांश प्रस्तुत करती है।

उपलब्ध है: http://www.cta.int/pubs/redpov/report.pdf

उपाध्याय, बी, 2003। *वॉटर पावर्टी एण्ड जेण्डर रिव्यू ऑफ एविडेन्स फ्राम नेपाल, इण्डिया एण्ड साउथ अफ्रीका* / सारांश उपलब्ध है: http://www.iwaponline.com/wp/00505/wp005050503.htm

चटर्जी, अशोक, 1991, ''वीमेन एण्ड डोमेस्टिक वॉटर एण्ड सैनिटेशनः इश्यूज फॉर द नाइन्टीज'', रूरल रिकन्सट्रक्शन (एफ्रो–एशियन रूरल रिकन्सट्रक्शन ऑर्गजनाईजेशन) वाल्यूम 24, संख्या 2

शर्मा, कल्पना, 1994। वेटिंग फॉर वॉटरः द इक्सपिरीएन्स ऑफ पुअर कम्यूनिटीज इन बाम्बे। उपलब्ध है: http://www.hic-net.org/document.php?pid=2400

जल एक दुर्लभ संसाधन है और यह प्रत्येक वर्ष और भी दुर्लभ होती जा रही है। समस्या यह नहीं है कि पृथ्वी पर कितना जल हमारे लिए उपलब्ध है बल्कि समस्या यह है कि उसका वितरण किस प्रकार किया जाता है। क्योंकि जल के असमान विरतण से प्रायः गरीब परिवारों और महिलाओं को परेशानी होती है। यही कारण है कि कुछ लोग जो धनी हैं जल को खरीदने में सक्षम हैं और अन्य इसकी चोरी करते हैं।

ए.जे.जेम्स, जोप वरहेगेन, क्रिस्टीन वॉनविक, रीमा नानावती, मीता पारिख, मिहिर भट्ट (17 दिसम्बर 2002) *ट्रान्फार्मिंग टाईम इन्टू मनी यूजिंग वॉटरः अ पार्टिसिपेटरी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड जेण्डर इन रूरल इण्डिया,* नेचुरल रिर्सोसेज फोरम, अ यूनाईटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवेलपमेन्ट जरनल, वाल्यूम 26, इश्यू 3, पेज 205–217। उपलब्ध है: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118949370/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

इस प्रपत्र में यह बताया गया है कि जब जलापूर्ति में सुधार किया जाता है और महिलाओं को लघु उद्यमों द्वारा आय के नये स्रोत प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं तो जल को लाने में जो समय खर्च होती है उसकी बचत होती है और यह समय महिलायें आय के नये स्रोत को खोजने में लगा सकती हैं जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार होगा। इसके अलावा इससे महिलाओं को और भी अन्य फायदे होंगे। यह प्रपत्र गुजरात के बनासकांठा जिले में चल रही योजना के बारे में भी बताता है।

यूथ फॉर एक्शन (वाई.एफ.ए.) अक्टूबर 2000, सस्टेनिंग लाइवलीहुड थ्रू वॉटरशेड इनिसिएटिव्सः अ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम हैदराबाद। उपलब्ध है: http://www.dainet.org/sdnp/success.htm

यह आन्ध्रप्रदेश के महबूबनगर जिले की एक कहानी है जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जिसके कारण किसानों को खेती करने में परेशानी होती थी। वाई.एफ.ए. ने वहां की महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया और जलागम की व्यवस्था से जुड़े पहलों की शुरूआत हुई। कई महिलाओं ने इस कार्य में हिस्सा लिया और उनके इस अथक प्रयास की वजह से वहां पानी की समस्या का निदान हो सका। अब किसान अच्छी फसल उगा रहे हैं।

राव, बी., 1996। ड्राई वेल्स एण्ड डिजर्टेड वीमेनः जेण्डर, इकोलॉजी एण्ड एजेन्सी इन रूरल इण्डिया, इण्डियन सोशल इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली।

प्रमुख वेबसाइट

यू.एन.डी.पी., मानव विकास रिपोर्ट

इस साइट पर विश्व भर से विकास सूचकांक के साथ पर विभिन्न मानव विकास रिर्पोटों को प्रस्तु करती है। यह विकास के क्षेत्रों व सभी स्तरों के लिए उपयोगी है और अच्छे संदर्भ आंकड़े उपलब्ध कराती है। http://hdr.undp.org/

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गई:

- भारतः अर्द्ध–शुष्क क्षेत्रों में घरेलू जलापूर्ति से आर्थिक लाभ एवं जेण्डर
- जॉर्डनः रैकिन गाँव में जल टंकी को लगाने से घरेलू जल को सुरक्षित करती ग्रामीण महिलाएँ
- दक्षिण एशियाःजमीनी स्तर पर जल एवं गरीबी संबंधी मुद्दों का संबोधनः क्षेत्रवार जल भागीदारी एवं महिलायें तथा दक्षिण एशिया के जल नेटवर्कों पर एक केस अध्ययन

3.4 जेण्डर, स्वच्छता और स्वास्थ्य

परिचय

यदि गरीबों के हित और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति को प्राप्त करना है तो, जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने तथा शिक्षा को एकीकृत इकाई के रूप में समझना अत्यन्त आवश्यक है। स्वच्छता और स्वास्थ्य ऐसे विषय हैं जो महिलाओं तथा जल आपूर्ति अथवा इसकी कमी के साथ गहराई से जुड़े हैं। वैश्विक स्तर पर अधिकांश लोगों को स्वच्छता सुविधाओं के बजाय पानी आसानी से उपलब्ध है। डब्ल्यू.एच.ओ. और यूनिसेफ के संयुक्त अनुश्रवण कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2002 के अन्त तक, 110 करोड़ को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हुआ, और 260 करोड़ (विश्व की जनसंख्या का 40 प्रतिशत) लोगों को स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध नहीं हुईं। परिणामस्वरूप विकासशील देशों में प्रत्येक वर्ष 22 लाख लोग पर्याप्त स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं की कमी और खराब सफाई व्यवस्था के कारण होने वाली बिमारियों से मरते हैं। सफाई व्यवस्था (स्वच्छता, अपशिष्ठ एकत्र और उपचार को सम्मिलित करते हुए) को अनदेखा करने की तुलना में समाज, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की कीमत, स्वच्छता एवं सफाई को जल आपूर्ति कार्यक्रमों में शामिल करने की कीमत से कहीं अधिक है।

स्वच्छता और सफाई के लिए होने वाली पहल हेतु जेण्डर विभिन्नताओं पर ध्यान देना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, और क्रियान्वयन हेतु बनने वाली नीतियों तथा संरचनाओं में जेण्डर समानता के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेषकर महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता, सुरक्षा, गोपनियता और मानवीय प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यद्यपि पर्याप्त शौचालयों के उपलबधता वाले क्षेत्रों में भी विभिन्न सामाजिक प्रतिबंधों, सामाजिक नियमों और मान्यताओं के कारण, यह जरूरी नहीं है कि स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता का उचित और प्रभावशाली उपयोग हो रहा हैं।

शौचालयों के निर्माण और उनके लम्बे समय तक टिकाऊ इस्तेमाल के अन्तर्गत सामान्यतः स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा कि सामान्यतः घरेलू आय का नियंत्रण पुरूषों के हाथों में रहता है इसलिए स्वच्छता को बढ़ावा देने और उससे जुड़ी शिक्षा को उन पर ही केन्द्रित करने की आवश्यकता है जिससे स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण एवं रखरखाव के लिए उपलब्ध संसाधनों को सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रमों को टिकाऊ बनाने के लिए स्वच्छता परियोजनाओं हेतु लागत की पुनःप्राप्ति को गरीबों की आय अर्जन गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है।

महिलाएं स्वच्छ शौचालयों के अभाव में गंभीर रूप से प्रभावित होती हैंः

- जब महिलाओं को खुले में मल त्याग और मूत्र त्याग के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है तो वे दिन के समय अक्सर कम मात्रा में पानी पीती हैं जो कि सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मूत्र मार्ग संबंधी सक्रमण के रूप में परिणामित होती हैं।
- जब कभी भी महिलाएं खुले में मल त्याग अथवा मूत्र त्याग के लिए जाती हैं तो वे यौन शोषण अथवा हमले का शिकार होती हैं।
- सामान्यतः सार्वजनिक मल त्याग के स्थानों पर सफाई व्यवस्था बहुत ही खराब होती है जोकि कीड़ों और अन्य जलजनित बीमारियों को बढ़ावा देती है।
- बालिकाएं अपनी युवा अवस्था के दौरान, उचित स्वच्छता व्यवस्थाओं के अभाव में विद्यालय जाना छोड़ देती हैं।

नीति अवलोकन

नीतिगत स्तर पर जल संसाधनों में स्वच्छता काफी पीछे है, और बहुत से नवीन कार्यों में सफाई एवं पर्यावरणीय स्वच्छता जैसे विषयों को बाद में आये विचार के तौर पर जोड़ा जाता है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए टिकाऊ विकास पर शिखर सम्मेलन के दौरान, स्वच्छता को राजनैतिक प्राथमिकता में अभूतपूर्व रूप से उच्च स्थान पर रखा गया। पहली बार विश्व के विभिन्न राजनेता इस बात पर सहमत हुए कि वर्ष 2015 तक उन लोगों की संख्या को आधा करना है जिनको आधारभूत स्वच्छता सुविधाएं

उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल के एक भाग के रूप में स्वच्छता को जल आपूर्ति के लक्ष्य में सम्मिलित किया गया। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश की सरकार ने वर्ष 2010 तक शतप्रतिशत स्वच्छता विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया है। यद्यपि, स्वच्छता को नीतिगत दस्तावेजों में अभी भी उचित स्थान नहीं मिल सका है जिसकी आवश्यकता है।

स्वच्छता के क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाम्बे में स्वच्छता कार्यक्रमों में जेण्डर समानता के लिए सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। जेण्डर समानता से जुड़े सरोकारों को प्रकट करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों के साथ सक्रिय क्षेत्रीय नीतियों को जोड़ा गया है। ये देश जल और स्वच्छता के क्षेत्र में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

घाना में मई, 1999 में स्थानीय सरकार के मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति का निर्माण किया गया। दस्तावेज के अनुसार, स्वच्छता लोगों की भलाई के लिए है अतः यह सभी देशवासियों, समुदायों, निजी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, और सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी है। डब्ल्यू.एस.एस.डी. के बाद सेनेगल एकमात्र ऐसा पहला देश था जिसने एक मंत्रालय का गठन किया जो सीधे तौर पर स्वच्छता एवं सफाई को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है (अब इसे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्रालय कहा जाता है)। जबकि इन राष्ट्रीय नीतियों में पुरूषों और महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में स्पष्टतः न लिखा गया हो। समुदाय आधारित संगठनों और व्यक्तिगत घरों की जिम्मेदारियाँ इनमें सम्मिलित की गई हैं।

क्षेत्र के प्रमुख कर्ता

राष्ट्रीय सरकार के स्तर पर विभिन्न मंत्रालय, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, जल संसाधन एवं सामाजिक सेवा आदि प्रमुख कर्ता हैं और इनकी जल संसाधनों व स्वास्थ्य नीतियों में स्वच्छता, सफाई को बढ़ावा देने वाली शिक्षा तथा जेण्डर समानता को सम्मिलित करने और इसे सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सभी मंत्रालय जेण्डर समानता को स्वच्छता नीतियों तथा कानूनी ढाँचों में सम्मिलित करने के लिए इच्छुक और प्रेरित होने चाहिए।

समुदाय स्तर पर, स्वच्छता और सफाई को महिलाओं से जुड़े मुद्दों के रूप में देखा जाता है, किन्तु ये महिलाओं तथा पुरूषों दोनों को ही प्रभावित करते हैं। अभी भी सामाजिक अड़चने स्वच्छता सुधार कार्यक्रमों में निर्णय लेने के लिए महिलाओं की भागीदारी को लगातार बाधित करती हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि, स्वच्छता और सफाई से जुड़ी शिक्षा को महिलाओं, पुरूषों और बच्चों सभी के सरोकारों के रूप में देखा जाए न कि केवल महिलाओं के। पुरूषों और लड़कों तक पहुँचने के लिए पृथक संदेश मार्गों, सामग्रियों तथा तरीकों का विकास करना होगा। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए समुदाय के नेताओं को भी लक्ष्य बनाना आवश्यक है।

जलजनित बीमारियों को फैलने से रोकने और स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए विद्यालयों में स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना चाहिए व अनुदान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। छात्र बदलाव के प्रमुख कारक हैं क्योंकि वे अपने परिवार के सदस्यों और माता–पिता को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही वे आने वाले कल के वयस्क होंगे। जब वे स्वच्छता संबंधी आदतों को सीखते हैं जैसे हाथ धोना, तब वे इस ज्ञान को अपने परिवार और समुदाय तक पहुँचा सकते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार व लड़कियों की विद्यालय में अधिक उपस्थिति जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि विद्यालयी स्वच्छता एवं सफाई कार्यक्रम लड़कों एवं लड़कियों दोनों को ही ध्यान में रखकर बनाया जाए।

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जिस एक प्रमुख समस्या को देखा गया है वह शौचालयों की बनावट से संबंधित है जो कि प्रमुखता पुरूष कारीगरों द्वारा तैयार किये जाते हैं इसीलिए निर्मित होने वाले शौचालयों में लड़कियों की आवश्यकताओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि मासिक के दौरान जबकि उनके विद्यालय में शौचालय निर्मित होता है, वे विद्यालय नहीं जा सकतीं। छोटे बच्चों के संदर्भ में भी मूत्रालय काफी ऊँचाई पर बने होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी

अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि लड़कों के लिए अलग शौचालय का निर्माण किया जाए ताकि लड़कियों के लिए बने शौचालयों का प्रयोग लड़के न करने पाएं। लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालयों को भी पास–पास नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक रूप से अपंग लड़कों और लड़कियों के लिए भी शौचालयों की बनावट को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि वे उनके लिए सुविधाजनक हों।

सेनेगल में 5000 से अधिक विद्यालयों में किये गये एक अध्ययन के अनुसार, 53 प्रतिशत विद्यालयों में जल आपूर्ति तथा 46 प्रतिशत विद्यालयों में स्वच्छता की व्यवस्था नहीं थी। मात्र आधे विद्यालयों में ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था थी (सेनेगल का गणतंत्र और यूनीसेफ 2002)। भारत में स्कूली बच्चों के लिए किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग आधी बीमारियाँ स्वच्छता सुविधाओं की खराब स्थिति तथा व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी से संबंधित है। (यूनिसेफ एवं आई.आर.सी. 1998)।

इस क्षेत्र में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के तरीकों को बढ़ावा देते समय पुरूषों एवं महिलाओं दोनों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधार हेतु अलग–अलग स्वच्छता एवं सफाई संबंधी रणनीतियों को निर्माण तैयार किया जाना चाहिए।

स्वच्छता एवं सफाई में जेण्डर मुद्दों की महत्ता को देखते हुए विशिष्ट संस्थागत् व्यवस्थाएं अत्यन्त आवश्यक हैं ताकि विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के दक्ष व प्रभावशाली क्रियान्वयन में जेण्डर को एक अभिन्न अंग के रूप में सुनिश्चित किया जा सके। स्वच्छता सेवाओं के विस्तार में धन की उपलब्धता प्रमुख रूकावट है, आंशिंक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश नीतियां स्थानीय सरकारों को धन उपलब्ध कराती हैं। सरकारें, गैर सरकारी संगठन लघुस्तरीय व्यवसायी, विकास सहयोगी और पुरूष सामुदायिक नेता महत्वपूर्ण कर्ता हैं जिन्हें नीति निर्माण में जेण्डर समानता संबंधी मुद्दों को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए और इसे भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून निर्माण और कानूनों के स्वीकार करने से पहले उनका जेण्डर संबंधी मुद्दों पर समीक्षा होनी चाहिए।

अन्त में, यह अत्यन्त आवश्यक है कि, स्वच्छता परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन के समय महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में, अक्वा प्राइवी के इस्तेमाल के समय महिलाओं की आवश्यकताओं को अनदेखा किया गया। शौचालयों के दरवाजे रास्ते की ओर खुलते थे, जो कि महिलाओं के लिए उलझन भरा और परेशानी का कारण था। जब शौचालयों का टैंक भर जाता था तब इसको खाली करने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी और इस कार्य को करने वाली अधिकांश महिलाओं के बारे में ऐसा समझा जाता था कि उनकी शादी नहीं हो सकती।

अनियमित बस्तियों को शहरी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना एक विलक्षण चुनौती है। शहरी समस्याएं अत्यन्त जटिल होती हैं और जलापूर्ति तथा आधारभूत स्वच्छता के पारंपरिक पहलुओं के पीछे बहुत से मुद्दे शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, झुग्गी बस्तियों में बहुत से लोग उन जमीनों के वैधानिक हक से वंचित होते हैं जिनमें वे रहते हैं और उनके पास राजनैतिक सहयोग बहुत ही कम या नहीं होता है। शहरी क्षेत्रों के बहुत से गरीब, उनकी ग्रामीण व्यवस्था के विपरीत उनको स्वच्छता एवं जलापूर्ति सेवाओं के लिए नगद भुगतान करना आवश्यक होता है और इस प्रकार उन्हें उन सभी आवश्यक सुविधाओं के बगैर ही रहना पड़ता है।

विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों के परिणाम काफी विचारणीय हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, केन्या में नेटवास अंतर्राष्ट्रीय (2003) द्वारा किये गये एक शोध अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि, महिलाओं का शैक्षणिक स्तर उनके स्वच्छता व्यवहारों से संबंधित हैं। वे महिलाएं जिन्होनें प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है वे कुछ हद तक स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को दर्शाती हैं किन्तु अधिक शिक्षित महिलाएं अच्छे ढंग से हाथ धोने का ज्ञान, कौशल और व्यवहार दर्शाती हैं साथ ही शौचालय का उपयोग करती हैं। शिक्षित महिलाएं और लड़कियाँ परिवर्तन का प्रमुख कारक होती हैं।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि स्वच्छता सुविधाओं में सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और घरों को प्रभावित करती है। महिलाओं और पुरूषों से अर्थपूर्ण परामर्श लिया जाना चाहिए और उन्हें स्वच्छता और सफाई से जुड़े शैक्षणिक कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन और अनुसरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

संदर्भः

एप्लेटॉन, बी. एण्ड स्माउट, (इडीएस), 2003। *द जेण्डर एण्ड वॉटर डेवलेपमेन्ट रिपोर्टः जेण्डर पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिसीज इन द वॉटर सेक्टर, जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स (जी.डब्ल्यू.ए.)।*
उपलब्ध हैः
http://www.genderandwater.org/content/download/307/3228/file/GWA_Annual_Report.pdf

शार्ट, काथलीन एण्ड सैन्डी, केयर्नक्रास, 2004। *सस्टेनेबल हाइजिन विहैवियर एण्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ चेन्ज इण्टरवेन्शन्सः फाइण्डिंग ऑ ए मल्टी–कन्ट्री रिसर्च स्टडी एण्ड इम्पलिकेशन्स ऑफ वॉटर एण्ड सैनिटेशन प्रोग्राम्स,* बुकलेट 2। इण्टरनेशनल वॉटर सैनिटेशन सेन्टर (आई.आर.सी.)। उपलब्ध है publications@irc.nl

वेजेलिन–चुरिंगा, मेडेलिन एण्ड पॉलीन इकुमी, 1997। *रिपोर्ट ऑन सेनिटेशन एण्ड कम्यूनिकेशन सिचुएशन एनलिसिस इन पर–अरबन एण्ड रूरल एरियाज इन जाम्बिया, आई.आर.सी.* उपलब्ध हैः
Available from: publications@irc.nl

आई.आर.सी., 1994। *वर्किंग विथि वीमेन एण्ड मेन ऑन वॉटर एण्ड सैनिटेशन। एन अफ्रीकन फील्ड गाइड।*
यह संदर्शिका कार्यक्रम नियोजन चक्र की सहायता से अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। अवधारणाओं के अन्तर्गत जेण्डर, जेण्डर संबंधी जागरूकता जेण्डर नीति, साझेदारी, एकीकृत जल आपूर्ति परियोजनाएं, पर्यावरणीय समस्याएं एवं टिकाऊपन शामिल है। यह संदर्शिका जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं में महिलाओं एवं पुरूषों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करती है।
उपलब्ध हैः http://www.irc.nl/page/1858

विक सिजबेस्मा, सी.ए, 1998। ''सिन्ड्रेला एण्ड द मीसिंग स्लीपरः सैनिटेशन एण्ड जेण्डर'' इन *जेण्डर इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेण्ट, वॉअर सप्लाई एण्ड सैनिटेशनः रोल्स एण्ड रियलिटीज रीविजिटेड, डेल्टः आई. आर.सी.।*

अतिरिक्त संसाधन

कोट्स, एस, 1999। *ए जेण्डर एण्ड डेवलेपमेन्ट एप्रोच टू वॉटर, सैनिटेशन एण्ड हाईजीन प्रोग्राम्स, ए वॉटर एड ब्रिफिंग पेपर।* उपलब्ध हैः
http://www.wateraid.org/documents/a_gender_development_approach.pdf

एल्स, कैथी, 2005। *ब्रिनिंग पिट इम्पटिंग आउट ऑफ द डार्कनेसः ए कम्पैरिजन ऑफ एप्रोचेज इन डरबन, साउथ अफ्रीका, एण्ड काईबीरिया, केन्या।*
लंदनः बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर डेपलेपमेन्ट (बी.पी.डी.), सैनिटेशन पार्टनरशिप सीरिज।
हाल के वर्षों में जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में साझेदारी पर काफी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इस पुस्तक में स्वच्छता संबंधी केस स्टडियों की श्रृंखला दी गयी है। जिसमें साझेदारी पर विशेष जानकारी दी गयी है।

आई.आर.सी./एस.ई.यू, 1996। *द कम्यूनिटी मैनेज्ड सैनिटेशन प्रोग्राम इन केरलाः लर्निंग फ्राम इक्सपिरीएन्स।* डेल्टः आई.आर.सी. एण्ड केरलाः सोशियो–इकोनॉमिक यूनिट।

शॉर्ट, कैथलीन एण्ड सैन्डी केनक्रॉस, 2004। *सस्टेनेबिलिटी ऑफ हाइजीन विहैवियर एण्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ चेन्ज इन्टरवेन्सन्स, बुकलेन 2,* डेल्ट आई.आर.सी.।

यह पुस्तिका बहुद्देशीय अध्ययन के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के निष्कर्षों एवं प्रभावों को प्रस्तुत करती है। शोध के अन्तर्गत स्वच्छता कार्यक्रम के पश्चात् स्वच्छता संबंधी आदतों में आये बदलाव व उसके टिकाऊपन के बीच संबंध शामिल हैं। इसमें घाना, केन्या, श्रीलंका, भारत, नेपाल व युगाण्डा देशों से शोध दिये गये हैं।
उपलब्ध है: publications@irc.nl

खान, मोहम्मद तैमूर अली, 2005। *लावलिहुड्स एण्ड जेण्डर इन सैनिटैशन, हाईजीन एण्ड वॉटर सर्विस एमान्ग द अरबन पुअर,* लंदनःडी.एफ.आई.डी.। मैथ्यू, टी, 1998। ''न्यू स्किल्स, न्यू लाइव्सः केरलाज वीमेन मासन्स'', *वॉटरलाइन्स, 17(1), पी.पी. 22–24*

सिम्पसन, मेलिंग, रॉन शॉयर एण्ड लकी क्लार्क, 1997। *द फास्ट इनिसिएटिवः पार्टीसिपेटरी हाईजीन एण्ड सैनिटैशन ट्रान्सफॉरमेशन, ए न्यू एप्रोच टू वर्किंग विथ कम्यूनिटीज, यू.एन.डी.पी.–वर्ल्ड बैंक वॉटर एण्ड सैनिटेशन प्रोग्राम, डब्ल्यू.एच.ओ. जिनेवा।*

यह एक जल एवं स्वच्छता क्षेत्र पर सूचना दस्तावेज है। इसमें स्वच्छता एवं सुधारों हेतु नये दृष्टिकोण को तैयार किया गया है जिससे संबंधित सिद्धान्त, सहभागी साधन व चार अफ्रीकी देशों में किये गये आंकलन के परिणाम शामिल है।

नेटवास, 2003। *इगाकू एक्शन प्लानः की फाइन्डिंग्स फॉर द रैपिड स्टडी फॉर द वॉश प्रोग्राम इन सोविटो एण्ड कोरोगोचो विलेजेज इन नैरोबी, केन्या।* नेटवर्क फॉर वॉटर एण्ड सैनिटेशन, नेटवास।

सीडा, 1997। हेल्थ–*सैनिटेशनः हैण्डबुक फॉर मेनस्ट्रीमिंग ए जेण्डर पर्सपेक्टिव इन द हेल्थ सेक्टर.* उपलब्ध है: http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=HDD1997.8%5B1%5D.pdf&a=2512

यूएसनेट (यूगाण्डा वॉअर एण्ड सैनिटेशन एन.जी.ओ. नेटवर्क) एण्ड वॉटर एड यूगाण्डा, 2002।फ *मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इन सैनिटेशन एण्ड हाईजीन इन यूगाण्डा।*

यह प्रपत्र दक्षिणी अफ्रीका में हुए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्वच्छता क्षेत्र में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु जानकारी दी गयी थी। इसमें युगाण्डा में स्वच्छता स्थिति, संचालित कार्यक्रमों की प्रगति, कमियाँ व अनुभव की जानकारी शामिल है।
उपलब्ध है: http://www.wateraid.org/documents/ugnangender.pdf

वूरडेन, कैरोलिन वेन डर एण्ड कैथी एल्स, 2002। *मेन्स्ट्रीमिंग जेण्डर इन साउथ अफ्रीकन सैनिटेशन प्रोग्राम्स' ए ब्लाइन्ड स्पॉट ऑर कॉमन प्रेक्टिस?*
पेपर प्रिपेयर्ड फॉर द अफ्रीकनसैन कान्फ्रेन्स, साउथ अफ्रीका 2002।

डब्ल्यू.एच.ओ., यूनीसेफ, यू.एन. हैबिटैट, यू.एन./देसा, यूनेप, 2004 *द सैनिटेशन चैलेन्जेजः टर्निंग कम्मिटमेन्ट इन्टू रियलिटी।*

यह दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता विकास लक्ष्यों, कानून एवं वचनबद्धताओं, क्षमता विकास, जेण्डर एवं निष्पक्षता मुद्दे और अनुश्रवण की प्रगति पर आधारित हैं
उपलब्ध है: http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/sanchallengecomp.pdf

राइट, एल्बर्ट एम, 1997। *टूवार्ड ए स्ट्रेटजिक सैनिटेशन एप्रोचः इम्प्रूविंग द सस्टेनेबलिटी ऑफ अरबन सैनिटेशन इन डेवलपिंग कन्ट्रीज। यू.एन.डी.पी./वर्ल्ड बैंक वॉटर एण्ड सैनिटेशन प्रोग्राम।*
उपलब्ध है: wsp@worldbank.org या http://www.wsp.org/publications/global_ssa.pdf

डब्ल्यू.एस.एस.सी.सी. एण्ड डब्ल्यू.एच.ओ., 2005। *सैनिटेशन एण्ड हाईजीन प्रमोशनः प्रोग्रामिंग गाइडेन्स।* जिनेवाः वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन कोलैबरेटिव काउंसिल (wsscc@who.int) एवं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (bookorders@who.int).

यह दस्तावेज नीति निर्माताओं के लिए स्वच्छता एव स्वास्थ्य सुधार परियोजनाओं से जुड़ी विशिष्ट पहलुओं पर आधारित है। यह पूर्व में विकसित यूनिसेफ की हैण्डबुक पर आधारित है जिसका प्रमुख लक्ष्य संपूर्ण आबादी को विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को बेहतर स्वास्थ्य व गरिमापूर्ण जीवन के लिए उचित माहौल प्रदान करना है।

लीलाम्मा–देवासिया, 1998। सेफ ड्रिंकिंग वॉटर एण्ड इट्स इक्विसिजनः रूरल वीमेन्स पार्टिसिपेशन्स इन वॉटर मैनेजमेन्ट इन महाराष्ट्र, भारत। इन *इण्टरनेशनल जरनल ऑफ वॉटर रिर्सोसेज डेवेलपमेन्ट, 1998,* 14:4, 537–546।
उपलब्ध हैः http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713672365

अग्रवाल, बीना (1981)। वॉटर रिर्सोसेज डेवेलपमेन्ट एण्ड रूरल वीमेन, नई दिल्ली, भारत, आई.आर.सी. इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सैनिटेशन सेन्टर, 171–172 जेण्डर इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट, वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन फोड फाउण्डेशन।

मित्रा, आलोका, 1984। ''वॉटर सैनिटेशन एण्ड रूरल वीमेन, अ केस स्टडी ऑन रूरल वीमेन इन वेस्ट बंगाल, भारत। इन पिकफोर्ड, जॉन एण्ड कॉटन, एन्ड्रयू। वॉटर एण्ड सैनिटेशन इन एशिया एण्ड द पैशेफिक। दसवां डब्ल्यू.ई.डी.सी. सम्मेलन, सिंगापुर, 28–31 अगस्त 1984। लॉफ बारो, यू.के., यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू.ई.डी.सी. पृष्ठ संख्या 79–82।

नीलांजना मुखर्जी, 1990 पिपुल वॉटर एण्ड सैनिटेशनः व्हाट् दे नो, बिलीव एण्ड डू इन रूरल इण्डिया, नई दिल्ली, भारत। राष्ट्रीय पेयजन मिशन।

श्रीवास्तव, जे.सी., 1990, ''वीमेन एण्ड हैंडपंप मेन्टीनेन्स''। इन *वॉटर एण्ड वेस्टवॉटर इण्टरनेशनल,* छठां सस्करण पृष्ठ संख्या 37–42।

सुंदररमन, वीना, 1986। द सोशल फिजीबिलिटी स्टडी इन द रोल ऑफ वीमेन इन रूरल सैनिटेशनः रिपोर्ट ऑफ द स्टडी इन फोर विलेजेज इन महाराष्ट्र स्टेट। एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेन्टर फॉर वीमेन्स स्टडीज।

गांगुली, वर्षा। वीमेन एण्ड सैनिटेशनः इक्सपीरिएन्सेज इन वेस्टर्न इण्डिया। उपलब्ध हैः
http://www.wsscc.org/pdf/publication/Women_and_Sanitation_papers/West%20India.pdf
यह प्रपत्र गुजरात और महाराष्ट्र में काम कर रहे कुछ एजेन्सियों के अनुभवों पर आधारित है। इसमें इन राज्यों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए समुदाय स्तरीय अनुभवों और सीख का उल्लेख किया गया है।

वायसेजः वीमेन इन सैनिटेशन। आगा खान डेवेलपमेन्ट नेटवर्क।
उपलब्ध हैः http://www.akdn.org/publication/2005_akpbs_women_sanitation.pdf
इस केस स्टडी में 75 साल की एक महिला जिसका नाम कर्माबेन राख्या अहिर का उल्लेख किया गया है। अपने जीवन के पहले 40 वर्षों में कर्माबेन ने कभी भी शौचालय नहीं देखा था। पहली बार उन्होने बस स्टैंड पर शौचालय देखा और तब से उनके मन में अपने घर में एक शौचालय के निर्माण का विचार आया। उनका यह सपना तब पूरा हुआ जब उनके बेटे ने घर में शौचालय का निर्माण किया। इस प्रपत्र में यह बताया गया है कि केवल एक शौचालय के निर्माण से महिलाओं के जीवन में कितने परिवर्तन हो सकते हैं और उनका जीवन खुशहाल बन जाता है।

पाण्डा, स्मिता मिश्रा, वीमेन्स रोल इन लोकल वॉटर मैनेजमेन्ट इनसाइट फ्रॉम सेवाज मिलेनियम वॉटर कैम्पेन इन गुजरात (भारत)
उपलब्ध है:
http://www.google.co.in/search?hl=en&q=panda%2c+smita+mishra+women%E2%80%99s+role+in+local+water+managment%3a+insights+from+sewa%E2%80%99s&btnG=search&meta=&aq=f&oq=
इस प्रपत्र ने स्मिता मिश्रा पाण्डा ने सेवा संस्थान का उदाहरण देते हुए गुजरात में चल रहे मिलेनियम वॉटर कैम्पेन के बारे में जानकारी दी है। जल को एक मौलिक अधिकार मानते हुए सेवा ने महिलाओं को साफ और स्वच्छ पानी मिले इसके लिए प्रयास किया और निरंतर प्रयासों के बाद महिलाओं और समुदाय दोनों को जल संसाधनों पर नियंत्रण हासिल हुआ और महिलायें जल संसाधन का सफल तरीके से प्रबंधन करने लगीं।

कुलकर्नी, विद्या, वीमेन लीड टोटल सैनिटेशन ड्राई इन महाराष्ट्र।
उपलब्ध है: http://www.unisef.org/india/wes_1364.htm
इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह सिर्फ बचत के लिए नहीं होते हैं बल्कि अगर इन समूहों के साथ मिलकर कार्य किया जाए तो महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के साथ–साथ समुदाय में भी विभिन्न

प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के एक आदिवासी गांव का उल्लेख किया गया है जहां पर एक संस्था यूनिसेफ के मार्गदर्शन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गांव में शौचालय का निर्माण करवाया और आज इन्हीं प्रयासों के कारण ये गाँव खुले में शौच जाने वालों से मुक्त है। गांव में पहले से ही बने हुए कई शौचालयों का लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। महिलाओं ने उनमें भी जागरूकता लाने की कोशिश की जिससे आज इस गांव में सब शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अनुपम श्रीवास्तव, 16 मार्च 2006, बिहार निर्मल ग्राम– ए वीमेन्स मूवमेन्ट, पटना
उपलब्ध है: http://www.unisef.org/india/wes_1431.htm

इस प्रपत्र में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अन्तर्गत आने वाली चार पंचायतों में वहां की महिलाओं द्वारा उठाये गये कदम का उल्लेख है। ये एक ऐतिहासिक केस स्टडी है जिसमें मुजफ्फरपुर की चार गांव की महिलायें एक साथ इस आंदोलन में शामिल हुयीं और महिला सामाख्या, यूनिसेफ और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट (पी.एच.ई.डी.) की सहायता से पूरे गांव के प्रत्येक घर में एक शौचालय का निर्माण करवाया। महिलाओं का यह कहना था कि गांव में शौचालय न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी इसलिए इन गांव की महिलायें एक साथ आयीं और निश्चय किया कि प्रत्येक घर में एक शौचालय का निर्माण किया जायेगा। आज इन महिलाओं की प्रयास की वजह से पूरा गांव स्वच्छ है। महिलाओं के इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने इस गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया।

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी है:

मिश्रः जल एवं स्वच्छता में समुदाय एवं घरेलू निर्णयों में महिलाओं का भागीदारी हेतु सशक्तिकरण

घानाःसमारी–क्वान्ता समुदाय के ग्रामीण जल परियोजना में जेण्डर एकीकरण

- भारतः अलगाव से एक सशक्त समुदाय की ओरः एक स्वच्छता परियोजना में जेण्डर के मुख्यधारा से जुड़ाव के दृष्टिकोण को लागू करना, तमिलनाडु
- निकारागुआः जल एवं स्वच्छता तक पहुँच के लिए जेण्डर समानता
- दक्षिण अफ्रीकाः स्वच्छता एवं ईंट निर्माण परियोजना में महिलायें, माबुल गाँव
- टोगोः स्कूल एस.एस.एच.ई. में स्वच्छता के प्रचार–प्रसार में जेण्डर एकीकरण
- जिम्बाम्बेः चिंपिन्गे जिले के मैन्जवीर गाँव में जलापूर्ति और स्वच्छता में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव

3.5 जेण्डर, घरेलू जलापूर्ति और सफाई

परिचय

सभी लोगों, पुरूषों, महिलाओं और बच्चों को प्रतिदिन पीने, नहाने, खाना बनाने, स्वच्छता (देखें 3.4) तथा साफ–सुथरे कपड़ों व रहने योग्य स्वच्छ स्थान के लिए पानी की आवश्यकता होती है। घर के प्रत्येक सदस्य हेतु जल की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता का ध्यान रखना दुनिया भर में महिलाओं का ही उत्तरदायित्व है। परंपरागत रूप से वे घरेलू जल स्रोतों का प्रबन्धन करती हैं तथा कभी–कभी बेटियों के साथ दूर से जल लाने के लिए भी जाती हैं। वे ज्यादातर घरेलू कार्य करती हैं जिसके कारण वे घर में अथवा घर में अथवा घर के बाहर जल का सबसे अधिक उपयोग करने वाली बन जाती हैं। हालांकि पुरूष और विशेषकर पुरूष नेताओं का प्रायः जल के स्रोतों पर नियंत्रण है और वे उपलब्ध सुविधाओं के प्रकार व उनकी स्थिति से संबंधित प्रमुख निर्णय लेते हैं। घरेलू जलापूर्ति में सुधार के अधिकारिक प्रयास लिए प्रायः भेदभावपूर्ण जेण्डर संबंधों के आधार पर लागू किये जाते हैं। हालांकि यह सर्वविदित है कि जल प्रबन्धन प्रक्रिया तभी कारगर सिद्ध होगी जब नियोजन, निर्माण, संचालन व रखरखाव में महिला और पुरूष दोनों सक्रिय रूप से शामिल होगें। उपयुक्त और टिकाऊ समाधान तभी प्राप्त होगा जब महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप में सार्थक ढंग से शामिल किया जाए। घरेलू जल प्रबंधन में महिलाओं के कौशल उनके हितों को सम्मिलित कर समाज में व्याप्त जेण्डर असमानता को संबोधित करने तथा समानता की ओर अग्रसर होने की अपार क्षमता है।

जलापूर्ति क्षेत्र के परंपरागत तरीके आमतौर पर जेण्डर अनुकूल नहीं होते हैं तथा इस क्षेत्र में महिलाओं की जरूरतों और योगदानों को महत्व नहीं दिया जाता है। जल स्रोतों और इसके कई उपयोग संबंधी महिलाओं के ज्ञान को सार्थक मान्यता नहीं दी गयी है। जब महिलाओं की जल तक पहुँच होगी तब उनके पास बच्चों के देख–भाल करने व उन आर्थिक गतिविधियों हेतु अधिक समय होगा जिसके द्वारा वे अपने परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ–साथ अपने स्वास्थ्य व हितों पर भी ध्यान रख सकेगीं।

स्वच्छता टिकाऊ और सुरक्षित जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जल का आधे से ज्यादा संदूषण पानी भरने के बाद ही होता है। यह भी हो सकता है कि पानी गन्दे बर्तनों में या खराब जलस्रोतों से एकत्र किया गया हो क्योंकि लोग एक ही जलस्रोत से स्वयं को तथा पालतू जानवरों को भी पानी देते है। हालांकि स्वास्थ्य सुधार और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम प्रमुख रूप से महिलाओं और लड़कियों पर केन्द्रित होते हैं जिसमें पुरूष शामिल नहीं होते हैं, जो घरों में प्रमुख निर्णय लेते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को स्वच्छता संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे यह प्रक्रिया ठीक ढंग से कार्य कर सके। अक्सर पुरूष और लड़के एक आदर्श के रूप में माने जाते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छता को बढ़ावा देने और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को जेण्डर अनुकूल बनाने के लिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त माध्यमों के द्वारा, पुरूषों एवं लड़कों को शामिल करने की आवश्यकता है।

जेण्डर एवं पेयजल आपूर्ति क्षेत्र

पेयजल आपूर्ति क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा जल क्षेत्र है जो महिलाओं की ओर कुछ ध्यान देता है, क्योंकि बहुत से राष्ट्रों में महिलाएं ही सुदूर क्षेत्र से पानी लेकर आते हुए दिखाई देती हैं। जलापूर्ति में सुधार संबंधी प्रयासों ने जेण्डर आधारित तरीकों को अपनाने के लिए रास्ता खोल दिया है जिसके अन्तर्गत बदलते सामाजिक ढांचों में परिवर्तन आया और इसका प्रभाव यह हुआ कि महिलाएं एवं पुरूष जल संसाधनों को इस्तेमाल व इसका प्रबंधन करने लगे हैं। स्थानीय पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम में जेण्डर विश्लेषण को समाहित करने से इन कार्यक्रमों को सफलता प्राप्त हुई है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सहभागी टूल किटों का निर्माण किया गया है:

हालांकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है:

- जेण्डर को न तो जलापूर्ति प्रणाली के अभियांत्रिकी व तकनीकी डिजाईन में और न ही सभी स्तरों पर इस क्षेत्र के प्रबन्धन में शामिल किया गया है।

- आपूर्ति विभाग के कर्मचारी महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति बहुत कम संवेदनशील होते हैं तथा गाँवों व मलिन बस्तियों में रहने वाले अपने समकक्ष पुरूषों से ही बात करना पसंद करते हैं।
- निवेश का एक विषम हिस्सा बड़े व बहुग्रामीण योजनाओं में चला जाता है जो भागीदारी के अवसरों को कम कर देता है, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में (जी.डब्ल्यू.ए. 2003)।
- कुशल जल प्रबंधन व इसके टिकाऊपन को बढ़ाने हेतु स्थानीय जल स्थिति संबंधी महिलाओं व पुरूषों के विभिन्न कौशलों और ज्ञान को उपयोग करने की आवश्यकता है।
- जेण्डर विश्लेषणों के निष्कर्षों को परियोजना के डिजाइन एवं संचालन तथा रखरखाव संबंधी प्रक्रियाओं में बहुत कम ही शामिल किया जाता है।
- स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन संबंधी एकीकृत प्रयास महिलाओं के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं क्यों कि उन्हें अक्सर ही पुरूषों के साथ प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है जो जलापूर्ति की सीमित मात्रा का प्रयोग कृषि एवं अपने जानवरों के लिए करते हैं।
- हालांकि पुरूष ही निर्णयकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं फिर भी स्वच्छता संबंधी मुद्दों को केवल महिलाओं का ही कार्यक्षेत्र समझा गया है।
- सीमांत समूहों जैसे गरीब महिंलाओं व पुरूषों, स्थानीय जनता, जातीय अल्पसंख्यकों, विवाद की परिस्थितियों में शरणार्थियों हुए लोगों की रूचियों व आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी है।

ढाँचों के विकास एवं प्रावधानों पर विचार करें तो पेयजल व स्वच्छता तक पहुँच में सुधार संबंधी प्रयास परिवारों के आर्थिक हित में बहुत बदलाव ला सकते हैं क्योंकि महिलाओं को आर्थिक व व्यक्तिगत गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त समय व ऊर्जा प्राप्त हो सकती है।

घरेलू जलापूर्ति के आर्थिक लाभ

भारत के सेल्फ–इम्प्लॉएड वीमेन्स एसोशिएसन (सेवा–SEWA) आई.आर.सी.–इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सैनिटेशन सेन्टर तथा फाउण्डेशन ऑफ पब्लिक इन्टरेस्ट (एफ.पी.आई.) द्वारा घरेलू जलापूर्ति के आर्थिक लाभ व जेण्डर पर संचालित शोध परियोजनाओं से यह प्रदर्शित हुआ कि अर्धशुष्क क्षेत्रों में लघु उद्योग विकास के साथ सुव्यवस्थित जलापूर्ति व महिलाओं हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों द्वारा गरीबी को कम किया जा सकता है। यह गणना जल संग्रहण में लगने वाले समय में बचत व इस बचे हुए समय के संभावित लाभदायक उपयोगों के आधार पर की गयी।

घरों व समुदायों में, पुरूषों, महिलाओं व बच्चों के लिए जल व स्चच्छता के संबंध में अलग–अलग कार्य होते हैं। इस प्रकार के असमान शक्ति संबंधों के कारण ही उनकी दैनिक प्रक्रिया को आकार मिलता है। घरों में अलग–अलग महिलाओं के अलग–अलग उत्तरदायित्व होते हैं। कुछ संस्कृतियों में स्वच्छता संबंधी अज्ञानता के कारण, बहुओं, जो कि अधिकतर खाना पकाने का काम करती हैं, को अपने हाथों को धोने व शौचालायों को इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, क्योंकि इसे एक ऐश्वर्य की वस्तु के रूप में देखा जाता है जिसके लिए वे योग्य नहीं हैं।

नीति अवलोकन

राष्ट्रीय जल नीतियों में, यदि वे अस्तित्व में है तो; शायद महिलाओं की मुख्य भूमिका का उल्लेख है और उससे भी अधिक इसमें महिलाओं एवं पुरूषों के मध्य उत्तरदायित्वों का विभाजन भी सम्मिलित है, परन्तु इन नीतियों एवं कानूनों/विधानों में अभी भी जेण्डर संबंधी सोच को पूर्णतया अर्न्तनिहित नहीं किया गया है (जी.डब्ल्यू.ए. 2003)।

सामाजिक निष्पक्षता एवं विविधता के परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखा जा सकता है कि विभिन्न समूहों (सामाजिक–आर्थिक, धार्मिक, विशेष आस्था वाले समूह, जाति) के मध्य असमानता अभी भी एक बहुत गंभीर समस्या है तथा यह समस्या इन समूहों के महिलाओं एवं पुरूषों के मध्य भी व्याप्त है। हालांकि बहुत ही कम नीतियां ऐसी हैं जो विविधता एवं जेण्डर असमानताओं दोनों को एक साथ मान्यता देती हैं लेकिन उन्हें व्यापक तौर पर संबोधित नहीं करती हैं।

बहुत से राष्ट्रों में जल क्षेत्रों में हुए सुधारों ने कई संस्थानों का निर्माण किया है जिनमें कुछ जेण्डर इकाईयाँ भी सम्मिलित हो सकती हैं। फिर भी संस्थानों की कार्यपद्धति पर इनका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। यूगाण्डा में वर्ष 2003 में जल क्षेत्र संबंधी जेण्डर रणनीतियों की शुरूआत की गयी। जिसका प्रमुख लक्ष्य जल प्रबंधन के सभी स्तरों पर महिलाओं को शामिल करना था। हालांकि यह एक प्रशंसनीय पहल है फिर भी जमीनी स्तर पर रणनीतियों के प्रभावों का आकलन काफी मुश्किल है। पुरूषों की भूमिकाओं व समाज में उनकी स्थिति पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यता है तथा उनके इस क्षेत्र में जेण्डर समानता को समर्थन दे सकने अथवा न दे सकने की स्थिति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अन्य सकारात्मक उदाहरणों के अन्तर्गत लेसोथो, यूगाण्डा एवं दक्षिण अफ्रीका के जल मंत्रालय के अधिनियम में सकारात्मक कार्यवाही नीतियों को शामिल किया गया है जिसमें कितना प्रतिशत महिला कर्मचारियों का होना चाहिए स्पष्ट करता है। वर्ष 1996 के दक्षिण अफ्रीकी संविधान में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वे पेयजल व स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की आधारभूत मात्रा पा सकें तथा महिलाओं एवं पुरूषों में समानता को भी मान्यता दें। डोमिनिकन गणतंत्र में राष्ट्रीय जल प्राधिकरण में यह अधिनियम है कि कम से कम 40 प्रतिशत जल समितियों में महिलायें ही होनी चाहिए।

इस क्षेत्र के प्रमुख कर्ता

बहुत से देशों में स्थिति जल प्रावधान उपलब्ध कराने संबंधी कार्यों से आगे बढ़ चुकी है और अब गरीबी उन्मूलन संबंधी नीतियों पर केन्द्रित हो गयी है जोकि जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए एक उचित माहौल तैयार कर रही हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, विशेषकर (परन्तु सिर्फ यही नहीं) छोटे व स्थानीय सेवा प्रदाता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हालांकि उनके कार्यवाही ढाँचों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह तब आवश्यक है जब शहरी या शहरी सीमा क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था निजी क्षेत्र को दे दी जाती है। इस स्थिति में कम आय वाले समुदाय के हितों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी.डब्ल्यू.ए. सदस्य अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि जलापूर्ति के निजीकरण की स्थिति में गरीब महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।

पेयजल आपूर्ति प्रणाली के नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन व रखरखाव की गुणवत्ता व टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि महिलाएं ही प्रमुख हितधारक होती हैं तब भी समुदायों में पुरूष ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में हावी होने की कोशिश करते हैं। गैर सरकारी संगठन व समुदाय आधारित संगठन (सी.बी.ओ.), जेण्डर संवेदी व समानता के आधार पर नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन व रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए क्षमता विकास हेतु सहयोग अत्यन्त आवश्यक हैं।

क्षेत्र में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना

जल परियोजना के प्रभावीपन व टिकाऊपन के साथ–साथ इसकी संपूर्ण सफलता को सुनिश्चित करने में जेण्डर एक महत्वपूर्ण कारक है। जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना यह सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रमों व परियोजनाओं के नियोजन, संचालन, रखरखाव व प्रबंधन में महिलाओं एवं पुरूषों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है।

क्षेत्र में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया में आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

- ग्रामीण एवं शहरी विकास में सुधार के लिए एकीकृत एवं व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिससे महिलाओं को सशक्त किया जा सके व साथ ही उन सुविधाओं को जोकि उनकी घरेलू तथा आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ उनके विशिष्ट अनुभवों का भरपूर उपयोग करती है जिससे वे डिजाईन और सेवाओं के स्थान के निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम हो सकें।

- जलापूर्ति सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समुदायों व स्थानीय सरकारों के साथ–साथ अनुभवी समुदाय आधारित व गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने की भी आवश्यकता है तथा वर्तमान नीतियों के पुर्ननिर्माण में लघु उद्यमों के विकास का समर्थन भी जरूरी है।
- प्राकृतिक संसाधन के निजी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं की आवश्यकताओं, ज्ञान व आर्थिक विकास के लिए की जाने वाली निर्वाह संबंधी गतिविधियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- जेण्डर समानता के लिए क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ–साथ एन.जी.ओ., सी.बी.ओ. व प्रबंधकों के क्षमता विकास की भी आवश्यकता है।
- जल प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने हेतु जल एवं स्वच्छता सुविधाओं को स्पष्ट, उचित एवं सही दर पर उपलब्ध कराना चाहिए। भुगतान प्रणाली महिलाओं और पुरूषों के अनुरूप होनी चाहिए क्योंकि वे भिन्न आर्थिक समूहों से आते हैं जिसमें उनके आय के स्रोत भी भिन्न होते हैं।

संदर्भ

जेण्डर एण्ड वॉअर एलायन्स (जी.डब्ल्यू.ए.), 2003। *द जेण्डर एण्ड वॉटर डेवलेपमेन्ट, जेण्डर पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिसीज। डेल्ट, नीदरलैण्ड्सः* जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स। उपलब्ध हैः
http://www.genderandwater.org/page/287

जेण्डर एण्ड वॉअर एलायन्स, 2003। टैपिंग इन्टू सस्टेनेबलिटीः इश्यूज एण्ड ट्रेन्ड्स इन जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन वॉटर एण्ड सैनिटेशन। ए बैकग्राउण्ड डाक्यूमेन्ट फॉर द जेण्डर एण्ड वॉटर सेशन, थर्ड वर्ल्ड वॉटर फोरम, कोयोटो, जापान। उपलब्ध हैः http://www.genderandwater.org/page/156/offset/10

इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सैनिटेशन सेन्टर (आई.आर.सी.), 1994। ऑकेजनल पेपर सीरिज। *वर्किंग विथ वीमेन एण्ड मेन ऑन वॉटर एण्ड सैनिटेशनः एन अफ्रीकन फील्ड गाइड।*
उपलब्ध हैः http://www.irc.nl/page/1858

महाराज, नॉयला, 2003। *द ग्लोबल एप्रोच टू वॉटर मैनेजमेन्टः लेशन्स लर्न्ट अराउण्ड द ग्लोब।* फाइण्डिंग्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कान्फ्रेन्स सीरिज कन्विन्ड बाय द जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स, डेल्ट, नीदरलैण्ड्स। इक्सामिन इमरजिंग लेशन्स फ्रॉम 82 केस स्टडीज ऑन जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन द वॉटर सेक्टर। उपलब्ध हैः http://www.genderandwater.org/page/725

डब्ल्यू.ई.डी.सी., 2004। *द जेण्डर मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोलः* व्हाट् वॉटर, सैनिटेशन एण्ड हाईजीन कैन डू। ब्रिफिंग नोट 4, लंदन वॉटर इंजीनियरिंग एण्ड डेवलेपेमेन्ट सेन्टर (डब्ल्यू.ई.डी.सी.)।
उपलब्ध हैः
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing%20Notes/BN%20Gender.htm

विक–सिजबेस्मा, सी. वैन, 1998। *जेण्डर इन वॉअर रिसोर्स मैनेजमेन्टः रोल्स एण्ड रियलिटीज रिविसिटेड,* टेक्निकल सीरिज 33–ई, द हॉगः इण्टरनेशनल रिफरेन्स सेन्टर फॉर वॉटर एण्ड सैनिटेशन।

अतिरिक्त संसाधन

ए.डी.बी., जेण्डर चेकलिस्ट फॉर वॉटर एण्ड सैनिटेशन

इस प्रकाशन में जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं में जेण्डर क्यों आवश्यक है पर चर्चा की गयी है, साथ ही परियोजना चक्र के लिए प्रमुख प्रश्नों की सूची व कार्यवाही बिन्दु दिये गये हैं। इसके अलावा परियोजना डिजाईन से नीति संबंधी चर्चा में जेण्डर विश्लेषण पर विवरण दिया है।
उपलब्ध हैः
http://www.adb.org/Documents/Manuals/Gender_Checklists/Water/gender_checklist_-------water.pdf

अहमद, एस. 2002। ''मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इक्वीटी इन वॉटर मैनेजमेन्टः इन्स्टीच्यूशन्स, पॉलिसी एण्ड प्रेक्टिस इन गुजरात, इण्डिया'', इन *नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेन्ट एण्ड जेण्डरः ए ग्लोगल सोर्सबुक।* एम्सटर्डमः के.आई.टी. (द रॉयल ट्रोपिकल इन्स्टीच्यूट) एण्ड ऑक्सफोर्डः ऑक्सफैम।

आल्टर, आर.सी. 2001। *वॉटर फॉर पिपुलः स्टोरिज अबाउट पिपुल एण्ड डेवलेपमेन्ट इन द हिमालयाज, नई दिल्लीः* ओरिएन्ट लॉन्गमैन।

यह हिमालयी समुदाय और उनके बेहतर जीवन स्तर जिसमें वे स्वयं और उनका पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के लिए संघर्ष की कहानी है। इन पहाड़ी जावों में महिलायें समुदाय आधारित (पाइप) जलापूर्ति योजनाओं के विकास एंव रखरखाव के साथ–साथ, स्थानीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने मं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कूलेन लो, मेर्ना, 2000। मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इन वॉटर एण्ड सैनिटेशनः लीट्रेचर *रिव्यू फॉर द साउथ अफ्रीकन डिपार्टमेन्ट ऑफ वॉटर एण्ड सैनिटेशन,* जेण्डर लिन्क्स।

इस प्रपत्र में जल एवं स्वच्छता में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने पर अर्न्तराष्ट्रीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। यह अध्ययन दक्षिण अफ्रीका के जल मामले एवं वन विभाग द्वारा दी गयी थी। समीक्षा निम्न विषयों पर आधारित थीः

1. प्रमुख जेण्डर अवधारणाएं
2. जल एवं स्वच्छता में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी प्रमुख अनुभव
3. जल एवं स्वच्छता में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी सर्वश्रेष्ठ तरीके

उपलब्ध हैः http://www.gdrc.org/uem/water/gender/genderinwatersanitation.pdf

डेनिडा, 1999। *जेण्डर एण्ड वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशनः गाइडिंग क्वेश्चन्स वर्किंग पेपर।*

यह दस्तावेज जलापूर्ति व स्वच्छता क्षेत्र के लिए दिशा–निर्देश देने वाले प्रश्नों के बारे में बताता है जिसके अन्तर्गत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुधार तथा जल संसाधन आंकलन एवं सुधार शामिल है। इसमें प्रश्न, कार्यवाहियाँ व उदाहरण दिये गये हैं जोकि विभिन्न विषयों में जेण्डर आयामों को दर्शाती हैं।

उपलब्ध हैः यू.एम. इनफॉरमेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एशियाटिस्क प्लैड्स 2, 1448, कोपेनहेगेन। ई–मेलः info@um.dk

डी.एफ.आई.डी., 2002। *जेण्डर इश्यूज इन द मैनेजमेन्ट ऑफ वॉटर प्रोजेक्ट्स।*

डी.एफ.आई.डी., डब्ल्यू.एस.पी., इण्डिया केस, कम्यूनिटी मैनेजेमेन्ट फील्ड नोट्सः *सस्टेनेबल कम्यूनिटी मैनेजमेन्ट ऑफ ए मल्टी–विलेज वॉटर सप्लाई इन कोल्हापुर, महाराष्ट्रा, इण्डियाः स्मॉल प्राइवेट इनिसिएटिव्स (एस.पी.आई.) इन द वॉटर एण्ड सैनिटेशन इन इण्डिया।*

यह भारत में जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा की गयी छोटी पहल पर अनुभव आधारित लेख की श्रृंखला है। इसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कई सफल अनुभव शामिल किये गये हैं जो गरीबों पर केन्द्रित हैं।

डी.एफ.आई.डी., 1998। *गाइडेन्स मैनुअल फॉर वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन प्रोग्राम्स।*

यह जल एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर लंदन एवं लॉगबर्ग द्वारा तैयार की गयी निर्देशिका है जिसे लॉगबर्ग विश्वविद्यालय के वॉटर इंजीनियरिंग एवं डेवलेपमेन्ट सेक्टर द्वारा तैयार प्रकाशित किया गया।

उपलब्ध हैः इंजीनियरिंग एण्ड डेवलेपेमेन्ट सेन्टर (डब्ल्यू.ई.डी.सी.), लॉगबर्ग विश्वविद्यालय, यू.के.।

मैकुले, डायना, 1997। *वॉटर एण्ड सैनिटेशन फॉर ऑलः पार्टनरशीप एण्ड इन्नोवेशन्सः जेण्डर पर्सपेक्टिव। जल मंत्रालय, तंजानियाँ।*

यह प्रपत्र जल एवं स्वच्छता में जेण्डर मुद्दों को तंजानियां के केस में प्रस्तुत करता है। इसमें तंजानियां की महिलाओं की स्थिति प्रस्तुत की गयी है और साथ ही साथ जल एवं स्वच्छता संबंधी वास्तविक स्थिति भी बतायी गयी है। उपलब्ध हैः इंजीनियरिंग एण्ड डेवलेपेमेन्ट सेन्टर (डब्ल्यू.ई.डी.सी.), लॉगबर्ग विश्वविद्यालय, यू.के.।

फिन्निडा, 1993। *लुकिंग एट जेण्डर, वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन।* फिनीश इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट एजेन्सी (फिनीडा), हेलसिन्की।

फिन्निडा, 1994। *लुकिंग एट जेण्डर, वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन।* फिनीश इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट एजेन्सी (फिनीडा), हेलसिन्की।

आई.आर.सी., इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सैनिटेशन सेन्टर, *एबस्ट्रैक्ट ऑन वीमेन, वॉटर एण्ड सैनिटेशन।*
यह नये प्रकाशनों व संसाधनों (जरनल, लेख, पुस्तक, शोध प्रकाशन व रिपोर्ट) की जल, स्वच्छता एवं जेण्डर पर वार्षिक सूची है जोकि वर्ष 1998 से वेब आधारित संसाधन में परिवर्तित कर दिया गया।
उपलब्ध है: http://www.irc.nl/page/6130/offset/20.

इण्टरएजेन्सी टास्कफोर्स ऑन जेण्डर एण्ड वॉटर, द यू.एन. कमिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलेपमेन्ट, 13वां सत्र। ए जेण्डर पर्सप्रेक्टिव ऑन वॉटर रिर्सोसेज एण्ड सैनिटेशनः बैकग्राउण्ड पेपर 2, 2005।
इस प्रपत्र में संसाधनों तक निष्पक्ष पहुँच, भागीदारी, संसाधन जुटाना, कीमत निर्धारण व निजीकरण, जल संसाधन व संघर्ष जैसे मुद्दों को शामिल किया है। उसमें कार्यवाही हेतु सरकार समुदाय व अन्य संस्थानों के लिए सुझाव दिये गये हैं। उपलब्ध है: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/documents/bground_2.pdf

खोसला, प्रभा, क्रिस्टीन वेन विक, जोएप वेरजेन, एण्ड वीरू जेम्स, 2004। जेण्डर एण्ड वॉटर, टेक्निकल ओवरव्यू पेपर, आई. आर.सी.। उपलब्ध है:

रथजेबर, ईवा एम, एन.डी.। *वीमेन, मेन एण्ड वॉअर रिसोर्स मैनेजमेन्ट इन अफ्रीका,* आई.डी.आर.सी.
यह प्रपत्र उन सरोकारों का समर्थन करता है जिससे अफ्रीकी सरकार व अनुदानदाता जल परियोजनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए।
उपलब्ध है:

रेग्मी, एस.सी एण्ड बी फॉएट्ट, 1999। ''इन्टीग्रेटिंग जेण्डर नीड्स इन्टू ड्रीन्किंग वॉटर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल'', इन सी. स्वीटमैन (ईडी) *वीमेन, लैण्ड एण्ड एग्रीकल्चर, ऑक्सफोर्ड:ऑक्सफैम।*

रेग्मी, एस.सी एण्ड बी फॉएट्ट, 2001। ''मेन्स रोल्स, जेण्डर रिलेशन्स, एण्ड सस्टेनेबीलिटी इन वॉटर सप्लाईजः सम लेशन्स फ्राम नेपाल'', इन सी. स्वीटमैन (ईडी) *मेन्स इन्वाल्वमेन्ट इन जेण्डर एण्ड डेवलेपमेन्ट पॉलिसी एण्ड प्रेक्टिसः बियॉन्ड रेहटोरिक।* ऑक्सफोर्डः ऑक्सफैम।

रेग्मी, एस.सी एण्ड बी फॉएट्ट, 2001। *जेण्डर इम्पलीकेशन्स ऑफ द मूव फ्रॉम सप्लाई–ड्रीवेन टू डिमाण्ड–ड्रीवेन एप्रोचेज इन द ड्रिन्किंग वॉटर सेक्टरः ए डेवलेपिंग कन्ट्री पर्सपेक्टिव।*
यह प्रपत्र काठमांडू में नवम्बर 2001 में हुए पहले साउथ एशिया फोरम ऑन वॉटर में प्रस्तुत किया गया। यह लेख अर्न्तराष्ट्रीय जल नीतियों में जेण्डर सरोकारों की कमी पर तर्क प्रस्तुत करता है। ऐसी नीतियों से हुए जलआपूर्ति सुधार न तो महिलाओं की शसक्त करते हैं जो कि विकास के लिए जरूरी है और न ही महिलाओं और पुरूषों को टिकाऊ लाभ पहुँचा पाते हैं।

सिंह, एन.जी. जैक्स एण्ड पी. भट्टाचार्य, 2005। ''वीमेन एण्ड कम्यूनिटी वॉअर सप्लाई प्रोग्राम्सः एन एनलिसिस फ्रॉम ए सोशियो–कल्चरल पर्सपेक्टिव'', *नेचुरल रिसोर्स फोरम, वाल्यूम 29, पीपी. 213–23।*
सिंह, एन, पी. भट्टाचार्य, जी. जैक्स एण्ड जे.ई. गुस्ताफसोन, 2004। ''*वीमेन एण्ड मॉडर्न डोमेस्टिक वॉटर सप्लाई सिस्टमः* नीड फॉर ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव'', *वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट,* वाल्यूम 18, पीपी. 237–248।

यूनिसेफ, 1998। *ए मैनुअल ऑन मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इन वॉटर, इन्वायरनमेन्ट एण्ड सैनिटेशन (डब्ल्यू.ई. एस.) प्रोग्रामिंग।* वॉटर, इन्वायरनमेन्ट एण्ड सैनिटेशन टेक्निकल गाइडलाइन्स सीरिज नं 4।
यह निर्देशिका यूनिसेफ के सिद्धान्तों पर आधारित जेण्डर नीतियों व रणनीतियों के स्वरूप को प्रस्तुत करती है इसमें जल पर्यावरण एवं स्वच्छता कार्यक्रमों से जुड़े वर्तमान मुद्दे, केस स्टडीयां व अनुभव दिये गये हैं।
उपलब्ध है: wesinfo@unicef.org

यू.एन. डेसा, डॉ, 2005। *वीमेन 2000 एण्ड वियॉन्डः वीमेन एण्ड वॉअर। जेण्डर पर्सपेक्टिव, नेचुरल रिसोर्सेज, राइट्स, एक्सेज, सैनिटेशन, हेल्थ, इकोनॉमिम्सं उपलब्ध है:*
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Feb05.pdf

डब्ल्यू.ई.डी.सी., 2004। *द इन्वायरनमेन्टल सस्टेनेबिलिटी मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल, व्हाट वॉटर, सैनिटेशन एण्ड हाईजीन कैन डू: ब्रिफिंग नोट 6,* वॉटर, इंजीनियरिंग एण्ड डेवलपमेन्ट सेन्टर (डब्ल्यू.ई.डी. सी.), लॉगबर्ग विश्वविद्यालय, यू.के.। उपलब्ध है:
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing%20Notes/BN%20Environmental%20Sustainability.htm

डब्ल्यू.ई.डी.सी., 2004। *द एच.आई.वी./एड्स मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल, व्हाट वॉटर, सैनिटेशन एण्ड हाईजीन कैन डू: ब्रिफिंग नोट 5,* वॉटर, इंजीनियरिंग एण्ड डेवलेपमेन्ट सेन्टर (डब्ल्यू.ई.डी.सी.), लॉगबर्ग विश्वविद्यालय, यू.के.। उपलब्ध है:
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing%20Notes/BN%20HIV%20AIDS.htm

डब्ल्यू.ई.डी.सी., 2004। *द चाइल्ड हेल्थ मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल, व्हाट वॉटर, सैनिटेशन एण्ड हाईजीन कैन डू: ब्रिफिंग नोट 3,* वॉटर, इंजीनियरिंग एण्ड डेवलेपमेन्ट सेन्टर (डब्ल्यू.ई.डी.सी.), लॉगबर्ग विश्वविद्यालय, यू.के.। उपलब्ध है:
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing%20Notes/BN%20Child%20Healthl.htm

वर्ल्ड बैंक/वॉटर एण्ड सैनिटेशन प्रोग्राम टूलकिट फॉर जेण्डर इन वॉटसन प्रोजेक्ट्स।

इस वेब पेज पर परियोजनाएं व क्षेत्र संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करते समय महत्वपूर्ण जेण्डर मुद्दों को ध्यान में रखने के लिए जाँच सूची दी गयी है। इसके साथ ही पूरे परियोजना चक्र में संकेतकों की भी सूची दी गयी है। इसके अतिरिक्त जेण्डर और विकास पर लेख, टूलकिट, प्रशिक्षण सामग्री जैसे संसाधन दिये गये हैं जिनके कि वेबलिंक तथा डाउनलोड किये जा सकने वाली पी.डी.एफ. फाइलें भी दी गयी हैं।
उपलब्ध है: http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/toolkit.pdf

व्हाइट पेपर ऑन पॉलिसी, साउथ अफ्रीका, 1997।

यह प्रपत्र दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नीतियों पर आधारित हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका में जल संबंधी कानूनों में हुए सुधार की समीक्षा भी दी गयी है।
Available at: http:/www.policy.org.za/html/govdocs/white_paper.htlm#contents

वर्ल्ड बैंक, 1999। *रूरल वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन इन इण्डिया, न्यू देलही: एलायड पब्लिशर्स।*

कृष्णकुमार, आशा, 2003। वीमेन एण्ड वॉटर, फ्रन्टलाइन, जेण्डर इश्यूज, वाल्यूम 20 इश्यू 20 सितम्बर 27–अक्टूबर 10। उपलब्ध है:
http://www.hindu.com/thehindu/fline/fl2020/stories/20031010001107700.htm

दातार, सी.1997। ''रूरल वीमेन एण्ड पाइप्ड ड्रिन्किंग वॉटर प्रोजेक्ट्स: चैलेन्जेज एण्ड इक्सपीरिएन्सेज ऑफ कम्यूनिटी डेवेलपमेन्ट कन्सलटेन्सी''। जरनल ऑफ सोशल वर्क मुम्बई: टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस।

लीलाम्मा–देवासिया, 1998। सेफ ड्रिकिंग वॉटर एण्ड इट्स इक्विसिजनः रूरल वीमेन्स पार्टिसिपेशन्स इन वॉटर मैनेजमेन्ट इन महाराष्ट्र, भारत। इन *इण्टरनेशनल जरनल ऑफ वॉटर रिर्सोसेज डेवेलपमेन्ट, 1998,* 14:4, 537–546।
उपलब्ध है: http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713672365

अग्रवाल, बीना (1981)। वॉटर रिर्सोसेज डेवेलपमेन्ट एण्ड रूरल वीमेन, नई दिल्ली, भारत, आई.आर.सी. इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सैनिटेशन सेन्टर, 171–172 जेण्डर इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट, वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन फोड फाउण्डेशन।

मित्रा, आलोका, 1984। ''वॉटर सैनिटेशन एण्ड रूरल वीमेन, अ केस स्टडी ऑन रूरल वीमेन इन वेस्ट बंगाल, भारत। इन पिकफोर्ड, जॉन एण्ड कॉटन, एन्ड्रयू। वॉटर एण्ड सैनिटेशन इन एशिया एण्ड द पैशेफिक। दसवां डब्ल्यू.ई.डी.सी. सम्मेलन, सिंगापुर, 28–31 अगस्त 1984। लॉफ बारो, यू.के., यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू.ई.डी.सी. पृष्ठ संख्या 79–82।

योगेश कुमार, 1989। रिपोर्ट ऑन कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन इन रूरल वॉटर सप्लाई प्रोग्राम, पायलट प्रोजेक्ट इन इलाहाबाद, लखनऊ, भारत। प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट, यू.पी. डेवेलपमेन्ट सिस्टम्स कॉरपोरेशन।

नीलांजना मुखर्जी, 1990 पिपुल वॉटर एण्ड सैनिटेशनः व्हाट् दे नो, बिलीव एण्ड डू इन रूरल इण्डिया, नई दिल्ली, भारत। राष्ट्रीय पेयजन मिशन।

शर्मा, हीरा, 1989। नाउ वीमेन ऑफ थारू सिडुल्ड ट्राइब इन्श्योर ड्रिकिंग वॉटर थ्रू इण्डिया मार्का–2 हैंडपंप, लखनऊ, भारत। उत्तर प्रदेश जल निगम।

श्रीवास्तव, जे.सी., 1990, ''वीमेन एण्ड हैंडपंप मेन्टीनेन्स''। इन *हेल्थ फॉर द मिलियन्स, वाल्यूम 14,* संख्या 5, पृष्ठ संख्याः 3–7।

श्रीवास्तव, जे.सी., 1990, ''वीमेन एण्ड हैंडपंप मेन्टीनेन्स''। इन *वॉटर एण्ड वेस्टवॉटर इण्टरनेशनल,* छठां सस्करण पृष्ठ संख्या 37–42।

सुंदररमन, वीना, 1986। द सोशल फिजीबिलिटी स्टडी इन द रोल ऑफ वीमेन इन रूरल सैनिटेशनः रिपोर्ट ऑफ द स्टडी इन फोर विलेजेज इन महाराष्ट्र स्टेट। एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेन्टर फॉर वीमेन्स स्टडीज।

चटर्जी, अशोक, 1991, ''वीमेन एण्ड डोमेस्टिक वॉटर एण्ड सैनिटेशनः इश्यूज फॉर द नाइन्टीज'', रूरल रिकन्सट्रक्शन (एफ्रो–एशियन रूरल रिकन्सट्रक्शन ऑर्गजनाईजेशन) वाल्यूम 24, संख्या 2

धर, सुधा सचदेवा, 1989–90, ''वीमने पार्टिसिपेशन इन रूरल इन्वायरनमेन्टल सैनिटेशन प्रोग्राम इन मिडिल एण्ड नार्थ इण्डियन स्टेट्सः एन एप्रेजल, ''थर्ड वर्ल्ड साइंस एण्ड इन्वायरमेन्ट पर्सपेक्टिव्स, वाल्यूम 1 नं. 4।

नंदिता सिंह, प्रसुन भट्टाचार्य, गुनार जैक्स एण्ड जैन अरिक गुस्ताफांसों, जून 2004। वीमेन एण्ड मार्डन डोमेस्टिक वॉटर सप्लाई सिस्टम्सः नीड फॉर ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट, वाल्यूम 18 नं. 3, स्प्रींगर नीदरलैण्ड।

> महिलाओं को घरेलु जल प्रबंधक के रूप में पहचान मिली है और यह समझा जाता है कि पानी का स्रोत घर के नजदीक रहे और महिलाओं को निरंतर जलापूर्ति होती रहे अर्थात जलापूर्ति उनके लिए सुविधाजनक हो। विकासशील देशों के कुछ हिस्सों में यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं को यह सब सुविधायें मिलें परन्तु इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि स्थानीय समुदाय के लोग अपने तरीके से महिलाओं के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की भूमिकाएं निभाते आ रहे हैं। इस प्रपत्र में यह बताया गया है कि प्राचीन पंरपराओं और जलापूर्ति के आधुनिक तकनीकों मे किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाए।

उपलब्ध हैः http://www.springerlink.com/content/q6m437605543573j/

पाण्डा, स्मिता मिश्रा, वीमेन्स रोल इन लोकल वॉटर मैनेजमेन्ट इनसाइट फ्रॉम सेवाज मिलेनियम वॉटर कैम्पेन इन गुजरात (भारत)
उपलब्ध है:
http://www.google.co.in/search?hl=en&q=panda%2c+smita+mishra+women%E2%80%99s+role+in+local+water+managment%3a+insights+from+sewa%E2%80%99s&btnG=search&meta=&aq=f&oq=

> इस प्रपत्र ने स्मिता मिश्रा पाण्डा ने सेवा संस्थान का उदाहरण देते हुए गुजरात में चल रहे मिलेनियम वॉटर कैम्पेन के बारे में जानकारी दी है। जल को एक मौलिक अधिकार मानते हुए सेवा ने महिलाओं को साफ और स्वच्छ पानी मिले इसके लिए प्रयास किया और निरंतर प्रयासों के बाद महिलाओं और समुदाय दोनों को जल संसाधनों पर नियंत्रण हासिल हुआ और महिलायें जल संसाधन का सफल तरीके से प्रबंधन करने लगीं।

ए.जे.जेम्स, जोप वरहेगेन, क्रिस्टीन वॉनविक, रीमा नानावती, मीता पारिख, मिहिर भट्ट (17 दिसम्बर 2002) *ट्रान्फार्मिंग टाईम इन्टू मनी यूजिंग वॉटरः अ पार्टिसिपेटरी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड जेण्डर*

इन रूरल इण्डिया, नेचुरल रिर्सोसेज फोरम, अ यूनाईटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवेलपमेन्ट जरनल, वाल्यूम 26, इश्यू 3, पेज 205–217। उपलब्ध है:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118949370/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

इस प्रपत्र में यह बताया गया है कि जब जलापूर्ति में सुधार किया जाता है और महिलाओं को लघु उद्यमों द्वारा आय के नये स्रोत प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं तो जल को लाने में जो समय खर्च होती है उसकी बचत होती है और यह समय महिलायें आय के नये स्रोत को खोजने में लगा सकती हैं जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार होगा। इसके अलावा इससे महिलाओं को और भी अन्य फायदे होंगे। यह प्रपत्र गुजरात के बनासकांठा जिले में चल रही योजना के बारे में भी बताता है।

कुलकर्नी, विद्या, वीमेन लीड टोटल सैनिटेशन ड्राई इन महाराष्ट्र।
उपलब्ध है: http://www.unisef.org/india/wes_1364.htm

इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह सिर्फ बचत के लिए नहीं होते हैं बल्कि अगर इन समूहों के साथ मिलकर कार्य किया जाए तो महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के साथ–साथ समुदाय में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के एक आदिवासी गांव का उल्लेख किया गया है जहां पर एक संस्था यूनिसेफ के मार्गदर्शन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गांव में शौचालय का निर्माण करवाया और आज इन्हीं प्रयासों के कारण ये गाँव खुले में शौच जाने वालों से मुक्त है। गांव में पहले से ही बने हुए कई शौचालयों का लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। महिलाओं ने उनमें भी जागरूकता लाने की कोशिश की जिससे आज इस गांव में सब शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अनुपम श्रीवास्तव, 16 मार्च 2006, बिहार निर्मल ग्राम– ए वीमेन्स मूवमेन्ट, पटना
उपलब्ध है: http://www.unisef.org/india/wes_1431.htm

इस प्रपत्र में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अन्तर्गत आने वाली चार पंचायतों में वहां की महिलाओं द्वारा उठाये गये कदम का उल्लेख है। ये एक ऐतिहासिक केस स्टडी है जिसमें मुजफ्फरपुर की चार गांव की महिलायें एक साथ इस आंदोलन में शामिल हुयीं और महिला सामाख्या, यूनिसेफ और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट (पी.एच.ई.डी.) की सहायता से पूरे गांव के प्रत्येक घर में एक शौचालय का निर्माण करवाया। महिलाओं का यह कहना था कि गांव में शौचालय न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी इसलिए इन गांव की महिलायें एक साथ आयीं और निश्चय किया कि प्रत्येक घर में एक शौचालय का निर्माण किया जायेगा। आज इन महिलाओं की प्रयास की वजह से पूरा गांव स्वच्छ है। महिलाओं के इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने इस गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया।

उपाध्याय, भावना, 2004 जेण्डर रोल्स एण्ड मल्टिपल यूजेज ऑफ वॉटर इन नार्थ गुजरात, वर्किंग पेपर नं0 70, इण्टरनेशनल वॉटर मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, कोलम्बो
उपलब्ध है: http://www.iwmi.cgiar.org/.../working_papers/working/WOR70.pdf

कैथलिन ओ रीली, 2005 *''ट्रेडिशनल'' वीमेन, ''मार्डन'' वॉटरः लिंकिंग जेण्डर एण्ड कमोडिफिकेशन इन राजस्थान,* भारत। जीओ फोरम। वाल्यूम 37 इश्यू 6 नवंबर 2006, पृष्ठ संख्या 958–972।

इस प्रपत्र में राजस्थान के पेयजल आपूर्ति परियोजना में जल और महिलाओं के बीच के संबंधों को बताने की कोशिश की गयी है। इस शोध के परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पानी को वस्तु के रूप में सिर्फ नहीं लिया जाय बल्कि इस पूरे प्रक्रिया में अन्य तकनीकों का भी इस्तेमाल करते हुए अन्य कई तकनीकों से उसका सही मूल्य लगाया जाए।

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडियाँ दी गयी हैं:

मिश्रः जल एवं स्वच्छता में समुदाय एवं घरेलू निर्णयों में महिलाओं का भागीदारी हेतु सशक्तिकरण
निकारागुआः जल एवं स्वच्छता तक पहुँच के लिए जेण्डर समानता
नाइजीरियाः उत्तरी क्रास नदी राज्य में ओबुडु पठार के समुदायों के पेयजल स्त्रोतों को सुरक्षित करने में मदद करने हेतु जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रियाओं का प्रयोग
पाकिस्तानः पहल एक की –राहत सभी कीः बांदा गोल्रा जल आपूर्ति योजना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
यूगांडाः नीति में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ावः यूगांडा की जेण्डर जल रणनीति का परीक्षण

जिम्बाम्बेः चिंपिन्गे जिले के मैन्जवीर गाँव में जलापूर्ति और स्वच्छता में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव

जिम्बाम्बेः सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा जल एवं स्वच्छता परियोजना में लैंगिक विचारधारा को लागू करने संबंधी पहल

3.6 जेण्डर व जल निजीकरण

परिचय

1970 के दशक के अन्त में व 1980 के दशक के प्रारंभ में तथा वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक (डब्ल्यू.बी.) एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने अपनी नीतियों में बदलाव किया तथा उन देशों से जिन्होने कर्ज के लिए आवदेन किया उनसे वृहद् आर्थिक एकीकरण, आर्थिक संतुलन एवं बाजार विकास नीतियों की मांग की। 1980 की दशक की शुरूआत में आयी आर्थिक मन्दी एवं 1990 की दशक की शुरूआत में सम्पूर्ण विश्व में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव हुआ जोकि राज्य द्वारा अपनायी गयी कंपनियों में आई अदक्षता व आर्थिक वृद्धि एवं विकास में निजी क्षेत्रों की संभावित भूमिका पर केन्द्रित था। यहीं से सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त उद्यमों, सार्वजनिक कंपनियों व उनकी सेवाओं के निजीकरण की शुरूआत हुई।

ऐसा तर्क दिया गया कि आने वाले दशकों में पेयजल व स्वच्छता की बढ़ती माँग को पूरा करने की चुनौतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारी प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए निजी निवेश और अनुदान की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, दक्षिण के किसी एक शहर में 40–60 प्रतिशत जल की हानि पाइपलान में हुए लीक या चोरी के कारण होती थी; निजीकरण से ऐसी आशा है की इससे यह हानी कम होगी व आपूर्ति प्रणाली की दक्षता भी बढ़ेगी। तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, यह समझना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि निजीकरण गरीबों को किस प्रकार प्रभावित करता है, विशेषकर गरीब महिलाओं को तथा कैसे नकारात्मक प्रभावों को भी संबोधित किया जा सकता है।

जल के लिए मानवाधिकार

नवंबर 2002 में; आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर बनी संयुक्त राष्ट्र समिति (सामान्य टिप्पणी 15 के अनुसार) ने यह नियम बनाया कि घरेलू एवं व्यक्तिगत उपयोग हेतु स्वच्छ जल की एक निश्चित मात्रा तक लोगों की पहुँच उनका मूलभूत अधिकार है जिसके लिए वे अधिकृत हैं। यह नियम राजय के जल पर अधिकार की पूर्ति करने हेतु उत्तरदायित्वों पर जोर देता है जो कि बिना किसी भेद–भाव के प्राप्त हो और साथ ही व्यक्तिगत व घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त व सुरक्षित जल की न्यूनतम आवश्यक मात्रा तक सभी की पहुँच की गारण्टी लेता हो। जल को प्राथमिक तौर आर्थिक निधि न समझकर एक सामाजिक व सांस्कृतिक निधि समझना चाहिए। इसके मान्यता के अनुसार राष्ट्रों को बाजार या निजी क्षेत्रों या सहायता राशि में कमी पर भरोसा करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पेयजल एवं स्वच्छता की मूलभूत मात्रा तक लोगों की पहुँच को सुनिश्चित करना चाहिए।

निजीकरण की कीमत

जबकि निजीकरण को जल सेवाओं के राज्य अधिकृत कंपनियों से निजी कंपनियों में बदलने से समझा जाता है। उसी समय यह भी आवश्यक है कि सरकार नयी जिम्मेदारी ले और इन कंपनियों पर नियंत्रण रखे या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे जैसा कि पूर्व में राज्य द्वारा अधिकृत कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाता था। निजी क्षेत्रों की कंपनियाँ, अनुबंध की अनदेखी कर अपने निवेश को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर सकती हैं, अथवा वे अनुमानित लाभ को प्राप्त करने में विफल होने पर वे इस अनुबंध से पीछे हट भी सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में संचालन और रखरखाव दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं, तथा सरकार इस लापरवाही की भरपाई हेतु मांग कर सकती हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं के निजीकरण के बारे में इतना सब कुछ कहे व लिखे जाने के बावजूद भी, महिलाओं पर पड़ रहे निजीकरण के वास्तविक प्रभावों के बारे में बहुत कम मात्रात्मक सूचनाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि अधिकारों के निजीकरण को रोकने संबंधी महिलाओं की योग्यता के बारे में बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं ने उनके मूलभूत अधिकारों के लिए निजीकरण का विरोध किया है।

निजीकरण का जेण्डर संबंधी प्रभाव

अनुभव के आधार पर तीन जेण्डर संबंधी मुद्दे सामने आते हैं:

- निजीकरण उन महिलाओं हेतु काफी नुकसानदायक है जो निजी सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं;
- निजीकरण का अर्थ है, अन्य वस्तुओं में से, जल उपयोगर्ताओं की दर में वृद्धि और इसलिये यह गरीब लोगों, विशेषकर, गरीब महिलाओं व स्त्री प्रधान घरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है;
- निजीकरण, सामुदायिक जल प्रबंधन के अनुभवों व जेण्डर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने में विफल रहता है।

अधिकतम लाभों को प्राप्त करने हेतु, निजी कंपनियाँ, जल उपयोगकर्ता दरों में वृद्धि व दैनिक वेतन तथा नौकरियों में कटौती द्वारा, अपनी शुरूआती पूँजियों को जहाँ तक संभव हो शीघ्र अतिशीघ्र पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। इस स्थिति में महिलाएं और अदक्ष मजदूर वेतन कटौती व लाभों को प्राप्त न कर पाने के कारण सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसा विशेषकर उन देशों में होता है जहां सरकारें श्रम कानूनों व अन्य नियमों को मजबूत नहीं बनाती हैं और व्यापार संघों या संगठनों की समझौते की शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। ऐसी परिस्थितियों से बचने हेतु, सरकारों को राज्य अधिकृत जल एवं स्वच्छता कंपनियों में कार्य कर रहे लोगों पर निजीकरण के प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए।

जलापूर्ति सेवाओं के निजीकरण से, गरीब परिवारों व विशेषकर, महिला प्रधान घरों द्वारा प्राप्त सुविधा सेवओं पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकता है ऐसा इन तथ्यों के कारण हैः

- निवेश की गयी पूंजी के अधिकतम वापसी हेतु निजी कंपनियां उन क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करती हैं जो आर्थिक तौर पर समृद्ध हों, आस–पास के गरीबों की अनदेखी करते हों तथा खासकर वहां पर अवैध बस्तियां हों।
- जल कर में वृद्धि से, गरीब परिवारों को मिल रही सेवायें बाधित हो सकती हैं। जब जल उपयोग दरों में वृद्धि होगी तो घरों के सब्जी बागान जो कि महिलाओं की आय व घरों के पोषण को पूर्ण करती हैं, भी प्रभावित होंगे।
- निजीकरण योजनायें जो कंपनियों को पेयजल सेवायें उपलब्ध कराने के लिए अनन्य अधिकार देती हैं, इससे सामुदायिक पेयजल व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जिसमें मजदूर के रूप में महिलाओं का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। यह ग्रामीण एवं शहर की सीमा पर रह रहे समुदायों से उनका मालिकाना हक ले लेने जैसा है।

निजीकरण के परिणामस्वरूप जल सेवाओं की वास्तविक कीमत व जल उपयोग की दरों में वृद्धि

विली में, वर्ष 1990 के बाद जल एवं स्वच्छता सेवाओं का निजीकरण हुआ था पूरे देश में जल व स्वच्छता सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा लागू औसत जल दर में आए परिवर्तन पर एक शोध किया गया। अध्ययन दर्शाता है कि जल दरों से हुई कुल आय के 68 प्रतिशत को जिसे कि व्यवस्थाओं व सुविधाओं के सुधार, हानि कम करने, नई तकनीकी लाने, व्यवस्थाओं के निजीकरण आदि में खर्च किया जाना था जोकि इन गतिविधियों में नहीं किया गया। जबकि इस खर्च के लिए निजी कंपनियों ने वायदा किया था परन्तु कंपनी के निष्कर्ष तथा नियामक निकाय के संकेतक व आंकड़े उपर दी गयी परिस्थिति को दर्शाते हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि वर्ष 1989 से 2003 अर्थात् 14 सालों में जल उपयोगकर्ता दरों में 314 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि हम यह माने कि तीन में से एक घर स्त्री प्रधान घर है तो इसका प्रभाव उन पाँच लाख लोगों पर नाटकीय रूप से पड़ेगा जो अपने असतित्व हेतु इन महिलाओं पर निर्भर रहते हैं।
(स्रोतः एलेमिया एवं सेलेडॉन 2005)

खराब एवं दूषित पेयजल के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जल संबंधी बिमारीयाँ फैलती हैं। यह परिस्थिति उन बूढ़ी महिलाओं व बच्चों हेतु अत्यन्त गंभीर है जो अफ्रीका के एड्स संक्रमित क्षेत्रों में घरों की प्रमुख होती हैं। जब जल उपयोग दरों में वृद्धि होती है तो महिलाओं को घरेलू आय का एक बड़ा हिस्सा; भोजन, स्वास्थ्य, कपड़ों व

शिक्षा के खर्चों में कटौती कर जल के बिल भुगतान में देना पड़ता है। यह सभी परिस्थितियाँ गरीब महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित करती हैं।

वर्ष 2000 में बोलीविया के कोचाबाम्बा में ''जल के लिए युद्ध''

इस प्रसिद्ध क्रान्ति में महिलाओं ने जल संबंधी अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जोकि न केवल शहरी जल उपयोगकर्ताओं के जल उपयोग दर में हुई वृद्धि की चुनौती से संबंधित था बल्कि यह संघर्ष इससे कहीं आगे निकल गया: बोलीविया जैसे राष्ट्र में जहाँ लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या अपने अस्तित्व के लिए कृषि पर निर्भर है व 70 प्रतिशत के लगभग गरीब समुदायों की स्थानीय जनसंख्या सामुदायिक जल प्रबंधन के पारंपरिक संस्कृति के साथ निवास करती हैं, जल क्षेत्र के निजीकरण के कारण स्थानीय जनता के जल अधिकारों का हनन हुआ व स्वप्रबंधित प्रणालियाँ प्रभावित हुईं जिनका निर्माण सरकार द्वारा उपलब्ध इन सेवाओं की विफलता के विकल्प के रूप में किया गया था। जनता से परामर्श लिए बिना सरकार द्वारा निजीकरण को अनुमति देने संबंधी कानून के लागू होने से इस प्रकार के संघर्ष का जन्म हुआ।
(स्रोत: पैरेडो बेल्त्रान, 2003)

उपर्युक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि निजीकरण के कारण स्थानीय जनता व ग्रामीण एवं शहरी सीमा के समीप रहने वाली महिलायें, जो अपने घरों के लिए भोजन व जल उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं, पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जल संसाधनों के क्षरण व पारितंत्रों के आगामी नुकसान का महिलाओं पर अधिक पड़ता है।

निष्कर्ष

लोग, जिसमें गरीब महिलायें व पुरूष सम्मिलित हैं, गुणात्मक सेवाओं हेतु उपयुक्त व उचित कीमत का भुगतान करने के इच्छुक होते हैं। हांलाकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि, निजीकरण से गरीब घरों या परिवारों जिसमें विशेषकर महिलायें व महिला प्रमुख परिवार शामिल हैं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, हेतु स्पष्ट नियमों व अधिनियमों की आवश्यकता है।

संदर्भ:

अफ्रीकन वीमेन्स इकोनॉमिक पॉलिसी नेटवर्क (ए.डब्ल्यू.ई.पी.ओ.एन.), 2003। *स्टडी ऑन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉटर।* उपलब्ध है:: http://www.awepon.org/report_docs/reports_page.htm

अल्जीरिया, मारिया एण्ड एन्जीलिका एण्ड इयूगिनीयो सिलीडॉन, 2004 *एनलिसिस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्रॉसेस ऑफ द वॉटर एण्ड सैनिटेशन सेक्टर इन चिली।* प्रोजेक्ट कामर्सिलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एण्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू वॉटर, यूनाईटेड नेशन्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलेपमेन्ट (यू.एन.आर.आई.एस.डी.)।
उपलब्ध है:
http://www.unrisd.org/unrisd/website/projects.nsf/(httpAuxPages)/B9983741A6570E17C1256F41003D599A?OpenDocument&category=Case+Studies
या
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/httpNetITFramePDF?ReadForm&parentunid=B9983741A6570E17C1256F41003D599A&parentdoctype=projectauxiliarypage&netitpath=80256B3C005BB128/(httpAuxPages)/B9983741A6570E17C1256F41003D599A/$file/dcalvo.pdf

अमेन्गा–इटेगो, आर., 2003। *वॉटर प्राइवेटाइजेशन इन घाना: वीमेन अण्डर सेज।* आई.एस.ओ.डी.ई.सी., इण्टीग्रेटेड सोशल डेवलेपमेन्ट सेन्टर, एक्रा, घाना, 2003।
उपलब्ध है: http://www.isodec.org.gh/Papers/water_women%27srights.PDF

जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स, जेण्डर एण्ड वॉटर डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट 2003: जेण्डर पर्सप्रेक्टिव्स ऑन पॉलिसीज इन द वॉटर सेक्टर, आई.एस.बी.एन. पेपरबैक 1 84380 021 7. पृष्ठ. 28-29.
http://www.genderandwater.org/content/download/307/3228/file/GWA_Annual_Report.pdf

इण्टरनेशनल लेबर ऑफिस (आई.एल.ओ.) 2001। *द इम्पैक्ट ऑफ डीसेन्ट्रलाइजेशन एण्ड प्राईवेटाइजेशन ऑन म्यूनिसिपल* सर्विसेज। डिशकसन पेपर फॉर द ज्वाइन्ट मीटिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ *डीसेन्ट्रलाइजेशन एण्ड प्राईवेटाइजेशन ऑन म्यूनिसिपल* सर्विसेज, जिनेवा, अक्टूबर, 2001।
उपलब्ध है: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/jmms01/jmmsr.pdf

किकेरी, सुनीता एण्ड एश्येतु फातिमा कोलो (2005) *''प्राईवेटाईजेशनः ट्रेण्ड्स एण्ड रिशेन्ट डेंवलपमेन्ट्स''*, वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 3765, नवम्बर 2005। उपलब्ध है:
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/11/08/000016406_20051108153425/Rendered/PDF/wps3765.pdf
या http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/11/08/000016406_20051108153425/Rendered/PDF/wps3765.pdf

सैफो, एमॉस, 2003। *द इफेक्ट्स ऑफ वॉटर प्राईवेटाईजेशन ऑन वीमेन*। ग्रेट लेक्स डायरेक्ट्री उपलब्ध है: http://www.greatlakesdirectory.org/articles/0603_women.htm

स्टिनशन, जेने, *''प्राईवेटाईजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेजः व्हाट् डज इट मिन फॉर वीमेन?''*, द कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक इम्प्लाइज (सी.यू.पी.ई.), 2004।
उपलब्ध है:
http://www.cupe.ca/updir/Privatization_of_Public_Services_-_What_does_it_Mean_for_Women.pdf

यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स, 2002। *सस्टेनेबल इश्यूज एराईजिंग इन द इम्पलिमेन्टेशन ऑफ द इण्टरनेशनल कोविनेन्ट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स। जनरल कमेन्ट संख्या नं. 15। द राइट टू वॉटर (आर्टस 11 एण्ड 12)*। 29 सेशन। जिनेवा, नवम्बर 11–19।
उपलब्ध है: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/gc15.doc

व्हाइट, मेलिसा, 2003। *जेण्डर, वॉटर एण्ड ट्रेड*। इण्टरनेशनल जेण्डर एण्ड ट्रेड नेटवर्क। उपलब्ध है:
http://www.igtn.org/pdfs/149_waterfs03.pdf

अतिरिक्त संसाधन

बेन्नेट, विविने, 2005। ''जेण्डर, क्लास, एण्ड वॉटरः द रोल ऑफ वीमेन इन द प्रोटेस्ट्स ओवर वॉटर'', *इन द पालिटिक्स ऑफ वॉटरः अरबन प्रोटेस्ट, जेण्डर, एण्ड पावर इन मोन्टेरे, मैक्सिको*। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, 1995, आई.एस.बी.एन.: 0822939088, प्रकाशन तिथिः 11/01/1995। प्रकाशकः यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग

इवान्स बरबरा, जो मैकमोहन एण्ड केन कैपलेन, 2004। *द पार्टनरशिप पेपरकेसः स्ट्रक्चरिंग पार्टनरशिप एग्रीमेन्ट्स इन वॉटर एण्ड सैनिटेशन इन लो–इन्कम कम्यूनिटीज,* पब्लिकेशन ऑफ बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर डेवलेपमेन्ट, www.bpdws.org
उपलब्ध है: http://www.bpd-waterandsanitation.org/english/docs/paperchase.pdf

ग्रीन, जॉन, © टीयरफण्ड एण्ड वॉटरएड, 2003, *एडवोकेसी गाइडः प्राईवेट सेक्टर इन्वाल्वमेन्ट इन वॉटर सर्विसेज*

यह निर्देशिका गैर सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक संगठनों को जल नीति सुधार प्रक्रिया जिसमें निजी क्षेत्र सम्मिलित हैं को उचित जानकारियों से योग्य बनाते हैं।
उपलब्ध है:

http://www.tearfund.org/webdocs/Website/Campaigning/Policy%20and%20research/Advocacy%20guide%20to%20private%20sector%20involvement%20in%20water%20services.pdf

हेनरिक बोल फाउण्डेशन, 2003। *''वॉटर प्राइवेटाइजेशन फ्रॉम ए जेण्डर पर्सपेक्टिव''।* हेनरिक बॉल फाउण्डेशन, थाईलैण्ड एण्ड साउथ इस्ट एशियन रीजनल आफिस। उपलब्ध है: http://www.hbfasia.org/southeastasia/thailand/downloads/water_privatization.pdf

जीयाद, अहमद, एम., 1996। *द सोशल बैलेन्स शीट ऑफ प्राईवेटाईजेशन इन द अरब कन्ट्रीज,* सेन्टर फॉर डेवलेपमेन्ट्स स्टडीज, यूनिवर्सिटास बर्जेन्सिस, चैप्टर: जेण्डर इश्यूज अण्डर प्राईवेटाईजेशन। उपलब्ध है: http://www.fou.uib.no/fd/1996/f/712004/index.htm

मेन्जेन–डीक, रूथ, एट ऑल, 1997। *जेण्डर, प्रॉपर्टी राइट्स एण्ड नेचुरल रिर्सोसेज।* फूड कन्जम्शन एण्ड न्यूट्रीशन डिवीजन, एफ.सी.एन.डी. डिश्कसन पेपर नं. 29।
उपलब्ध है: http://www.ifpri.org/divs/fcnd/dp/papers/dp29.pdf

डॉ, सीरा, तिथि रहित। *एक्सेसज टू वॉटर एस ए बेसिस ह्यूमन एण्ड जेण्डर राइट: द ईयू पोजिशन एट द डब्ल्यू.टी.ओ.* / नेटवर्क ऑफ अफ्रीकन वीमेन इकोनोमिक्स्ट।
उपलब्ध है: http://www.wtoconference.org/Sirra%20Ndow%20Brussels%209.11.2005.pdf

नीनान, एन, 2003। ''प्राईवेट वॉटर, पब्लिक माइसरी'', इण्डिया रिसोर्स सेन्टर, ई–पब्लिकेशन।
उपलब्ध है: http://www.indiaresource.org/issues/water/2003/privatewaterpublicmisery.html

पब्लिक सिटीजन। *जेण्डर्ड पर्सपेक्टिव ऑन वॉटर प्राईवेटाईजेशन: केस स्टडी फ्रॉम अराउण्ड द वर्ल्ड।*
http://www.harmonizationalert.org/cmep/Water/gender/index.cfm

सैमसन, मेलानियो, 2003। *डम्पिंग ऑन वीमेन: जेण्डर एण्ड प्राईवेटाईजेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेन्ट।*
म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोजेक्ट (एम.एस.पी.) एण्ड द साउथ अफ्रीकन म्यूनिसिपल वर्कस यूनियन (एस.एम. एम.डब्ल्यू.यू.)।
उपलब्ध है: http://www.queensu.ca/msp/pages/Project_Publications/Books/DOW.pdf

एस.एम.एम.डब्ल्यू.यू., म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोजेक्ट, 2002। *प्राईवेटाईजेशन इज ए जेण्डर इश्यू!* रिपोर्ट बैक, जेण्डर एण्ड लोकल गर्वनमेन्ट रिसर्च एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट नेशनल वर्कशॉप, डरबन, साउथ अफ्रीका। उपलब्ध है: http://www.queensu.ca/msp/pages/Conferences/Gender.htm

शिवा, वी., 2002। *वॉटर वार्स: प्राईवेटाईजेशन, पाल्यूशन एण्ड प्रॉफिट,* नई दिल्ली: इण्डिया रिसर्च प्रेस।

यूनीफेम एट ए ग्लान्स: वीमेन एण्ड वॉटर (प्राईवेटाईजेशन केस स्टडीज):
उपलब्धर है: www.unifem.org/attachments/stories/at_a_glance_water_rights.pdf

वीमेन्स इन्वायनमेन्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.ई.डी.ओ.), 2003। *डाईवर्टिंग द फ्लो: ए रिसोर्स गाइड टू जेण्डर, राइट्स एण्ड वॉटर प्राईवेटाईजेशन।*
उपलब्ध है: http://www.wedo.org/files/divertingtheflow.pdf

वर्ल्ड बैंक, 2004। ड्राफ्ट बुक, 2004: *एप्रोचेज टू प्राईवेट पार्टिसिपेशन इन वॉटर सर्विसेज–ए टूलकिट'',* फण्डेड बाई द पब्लिक–प्राईवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी फेसिलिटी, द वर्ल्ड बैंक, एण्ड द बैंक–नीदरलैण्ड्स वॉअर पार्टनरशिप। उपलब्ध है:
http://www.indepen.co.uk/panda/docs/water_services_toolkit.pdf

शिवा, वी. 1988। वीमेन्स वॉटर राइट्स। इन वॉटर लाइन्स, प्रेक्टिकल पब्लिशिंग, 1998, 17: 1, 9–11।
उपलब्ध है:

http://www.ingentaconnect.com/content/itpub/wtl/1998/00000017/00000001/art00005

वॉटर फॉर प्रोडक्शन–वीमेन इन डिसेन्ट्रेलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम्स इन महाराष्ट्र 2008। उपलब्ध है: http://www.indiawaterportal.org/.../Water_for_Production_Nov_2008_SOPPECOM.pdf

> सिंचाई के क्षेत्र में जो भी आश्चर्यजनक परिवर्तन हुये हैं वो ज्यादातर मूलभूत ढांचों को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं। कई हितधारक जल संसाधनों के सुधार के लिए इन परिवर्तनों की वकालत करते हैं और कई यह कहते हैं कि जल संसाधनों में सुधार के लिए विकेन्द्रीकरण ही सबसे बेहतर विकल्प है। महिलाओं, खेतिहर किसानों, दलितों, गरीबों के लिए विकेन्द्रीकरण के द्वारा जल संसाधनों में सुधार कारगर साबित होता है और उन्हें जल से संबंधित निर्णयन में भी सहभागिता प्राप्त होती है। इस प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य ऐसे कारकों को समझना है जो ग्रामीण महिलाओं को जल स्रोतों के उपर उनके अधिकार को सुनिश्चित करती है या इस अधिकार से उन्हें वंचित रखती है।

रिफॉर्मिंग वॉटर, एडिंग वीमेनः डज डीसेन्ट्रलाइज्ड वॉटर गर्वनेन्स फरदर जेण्डर जस्टिस इन इण्डिया? इश्यूज एण्ड रिकमेन्डेशन्स। उपलब्ध है: http://www.indiawaterportal.org/.../reforming_water_adding_women_Nov_2008.pdf

> यह शोध प्रपत्र महाराष्ट्र और गुजरात में चल रहे विकेन्द्रिकृत जल शासन के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की जांच करता है। यह शोध 2006–2008 में एस.ओ.पी.पी.ई.सी.ओ.एम., उत्थान और टी.आई.एस.एस. के द्वारा किया गया है। यह शोध विकेन्द्रिकृत जल शासन में महिलाओं की भागीदारी को प्रस्तुत करता है। इस शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि जल से जुड़े कार्य, निर्णयन, जल संसाधनों तक पहुँच में जेण्डर असमानता है और महिलाओं को निर्णयन प्रक्रिया में पूर्णरूप से भागीदार करके उन्हें सशक्त बनाने की आवश्कयता है।

अहमद, एस. (1999), चेन्जिंग जेण्डर रोल्स इन इरिगेशन मैनेजमेन्टः सद्गुरूज लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव्स, इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम 34, नं 51 (दिसम्बर 18–24, 1999), पृष्ठ संख्या 3596–3606। उपलब्ध है: http://www.jstor.org/stable/4408739

> यह प्रपत्र सद्गुरू परियोजना क्षेत्र (गुजरात) के अन्तर्गत चल रहे तीन लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं और लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव्स का गहराई से निरीक्षण करने के बाद कोऑपरेटिव्स की कार्यकारी समिति में महिलाओं एवं उनकी भूमिकाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इस प्रपत्र में सद्गुरू परियोजना के द्वारा उठाये गये कदमों जैसे पॉलिसी एडवोकेसी (जो महिलाओं को कार्यकारी समिति में प्रतिनिधित्व का मौका देती है) और जेण्डर संवेदी तंत्रों, जिसमें समस्त कर्मचारियों एवं सामुदायिक कर्मियों की विकास में भागीदारी से संबंधित प्रशिक्षण भी कराया गया, की वजह से क्या महिलाओं की निर्णयन क्षमता में सहभागिता बढ़ी है? इस तथ्य को समझने की कोशिश की गयी है।

प्रमुख वेबसाइट

वीमेन्स ह्यूमन राइट्स नेट *वीमेन एण्ड वॉटर प्राइवेटाजेशन*
http://www.whrnet.org/docs/issue-water.html

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी हैं:

- इण्डोनेशियाः एक्वा डैनोन एडवोकेसी प्रोग्राम में महिलाओं की भागीदारी के प्रभाव– क्लातेन जिले की केस स्टडी, केन्द्रीय जावा
- संयुक्त राष्ट्रः मिशिगन वेल्फेयर राइट ऑर्गनाइजेशन[2], द्वारा–मॉरीन टेलर
- उरुग्वेः विरोध के साथ निजीकरण

3.7 जेण्डर, जल और कृषि

कृषि क्षेत्र में जेण्डर क्यों एक चिन्ता का विषय है?

कृषि प्रणालियां और महिलाओं एवं पुरूषों की भूमिकाएं, संबंध तथा उत्तरदायित्व, कृषि, पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार भिन्न–भिन्न होते हैं। हालांकि महिलाएं विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जैसे घरेलू खाद्य पदार्थ उत्पादन में उपसहारा अफ्रीकी क्षेत्र में 70 से 80 प्रतिशत, एशिया में 65 प्रतिशत तथा लैटिन अमेरिका में 45 प्रतिशत (विश्व बैंक 1996)। महिलाएं, पुरूषों की अनुपस्थिति में भू–प्रबन्धन, जल व पशुधन संसाधन प्रबन्धन में अपना योगदान दे रही हैं फिर भी उन्हें हमेशा किसान के रूप में पहचान नहीं दी जाती है। सामाजिक मापदण्डों, संस्थागत व्यवस्थाओं और कृषि विपणन प्रणाली में बढ़ते उदारीकरण के कारण जेण्डर आधारित असमानताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है, (बैडेन, 1998)।

बहुत से विकासशील देशों में महिलएं भू–अधिकारों से वंचित रहती हैं, चाहे वह निजी या आम संपत्ति हो, या बाजार से पट्टे पर ली गई अथवा खरीदी गई भूमि हो। इसका प्रभाव उनकी आजीविका संबंधी रणनीतियों, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक स्थितियों पर पड़ता है (अग्रवाल, 1994)। महिलाओं की भूमि पर स्वतंत्र या संयुक्त पट्टेदारी, उन्हें अपने नाम से बैंक लोन (कृषि संबंधी उधार) लेने संबंधी छूट के साथ–साथ कृषि संबंधी विस्तार सेवायें और सूचना प्रणाली, जो कि अधिकांशतः पुरूषों पर केन्द्रित होती है, तक उनकी पहुँच के अवसर भी उपलब्ध करा सकती है। लेकिन कई देशों में, हुए भू–सुधार गतिविधियाँ, जो कि गरीब व भूमिहीन किसानों हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, वे सामान्यतः घर के पुरूष वर्ग पर ही केन्द्रित होती हैं तथा महिलाओं को भूमि संबंधी पट्टेदारी से अलग कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप सिचाईं के लिए पानी तथा सामुदायिक संस्थानों में उनकी भागीदारी प्रभावित होती है (डीयरे एण्ड लियोन, 1998, वैन कोपेन, 1998)।

महिलाओं और पुरूषों की सिचाईं तक पहुँच

सिंचित कृषि क्षेत्र विश्व का लगभग 40 प्रतिशत खाद्यान्न उपलब्ध कराता है तथा विश्व का लगभग 75 प्रतिशत नवीनीकृत स्वच्छत जलीय संसाधनों का उपभोग करता है (जी.डब्ल्यू.ए., 2003: 30)। हालांकि अधिकांश किसान सिंचाईं के पारपंरिक तरीकों पर निर्भर हैं, फिर भी विश्व भर में सिंचाईं में निवेश ने वृहद् परियोजनाओं (बांध व नहरों) पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसका लाभ बड़े किसानों को मिलता है व इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व सीमान्त किसानों का होता है जिन्हें उनकी भूमि से बेदखल, विस्थापित या उनकी भूमि पर उनके स्वामित्व को ही खत्म कर दिया जाता है (www.fao.org/sd)। इन परियोजनाओं के साथ–साथ गहन निजी लघु सिंचाईं प्रणालियों के कारण (ट्यूबवेल, बोरवेलं) जल भराव तथा नमकीन जल का भूमिगत जल में प्रवेश तथा घरेलू उपयोग हेतु जल की उपलब्धता व गुणवत्ता संबंधी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन व उर्वरकों तथा कीट–नाशकों के रिसने से बढ़ रहे प्रदूषण के कारण महिलाओं को घरेलू आवश्यकताओं हेतु स्वच्छ जल की खोज में काफी दूरी तय करनी पड़ती है।

सिंचाई संबंधी नियोजन तथा नीतियां महिलाओं और पुरूषों की अलग–अलग आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं की उपेक्षा करती है। क्योंकि ये प्रमुख रूप से प्रणालियों के निर्माण व रखरखाव, प्रभावी जल वितरण तथा बढ़े हुए कृषीय उत्पादन पर केन्द्रित है न कि उत्पादित फसलों की प्रकृति या श्रम बाजार पर सिंचाई के प्रभाव अथवा जल के उत्पादक एवं उपभोग आधारित प्रयोग पर (क्लीवर, 1998)। उदाहरण के लिए अफ्रीका के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में रहने वाली महिला किसान पौष्टिक फसलों को उगाने के लिए कम पानी का प्रयोग करती हैं जबकि पुरूष आधारित कृषि तंत्र एक या कुछ फसलों, जिसमें पानी का सबसे अधिक प्रयोग होता है जैसे–गन्ना एवं चावल लगाते हैं। परन्तु यह देखा गया है, कि लम्बी अवधि के सूखे के दौरान, फसलों का चयन भी अन्य कारकों पर निर्भर करता है जैसे लोगों का खेतों में काम करने के लिए उपलब्ध होना (काफी पुरूष इस दौरान प्रवास कर जाते हैं), तथा पशुधन भी सूखे के कारण अत्यधिक प्रभावित होता है। (चारे की कमी व पशुओं को नहलाने तथा पीने के लिए जल की कमी) ये सभी कारक फसलों के चयन को प्रभावित करते हैं।

स्थानीय स्तर पर सिंचाई प्रबंधन के में किये गये परिवर्तन के प्रयास जैसे सहभागिता आधारित सिंचाई प्रबंधन नीतियां केवल ''जमींदारों'' पर केन्द्रित होती हैं। विशेषकर घर के पुरूष मुखिया ही जल उपयोग संगठनों के सदस्य होते हैं तथा जल के वितरण व प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ग्रामीण घरों को सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है न कि हितों के विरोधी के रूप में तथा इनमें रहने वाली महिलाएं, अपने पतियों के जल संबंधी अधिकार के कारण अप्रत्यक्ष रूप से सह किसानों के रूप में लाभान्वित होती प्रतीत होती हैं।

हांलाकि महिलायें अपने पारिवारिक भूखण्ड पर सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं, जैसे एक वर्ष में एक या एक से अधिक फसलों के उत्पादन हेतु पर्याप्त जल की आवश्यकता को बांट सकती हैं फिर भी जलापूर्ति के समय व समयावधि संबंधी मतों में अन्तर हो सकते हैं (ज्वार्तेवीन, 1997)। सिंचाई के काम के के साथ महिलाओं को अन्य घरेलू कार्यों के साथ संतुलन बनाना पड़ता है तथा सामाजिक रीति–रिवाजों व सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें रात्रि में सिंचाई संबंधी कार्यों में काफी कठिनाई होती है, विशेषकर तब जब वे अकेली महिला हैं। महिला प्रमुख घरों में सिंचाई के लिए उन्हें (पुरूष) मजदूर को मजदूरी पर रखना पड़ता है अथवा सबसे प्रमुख मौसम में उन्हें परिवार व मित्रों के सामाजिक तंत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। महिला किसानों, जो पुरूषों की ही भांति एक जैसी फसलों का उत्पादन करती हैं, को भी बराबर मात्रा में पानी का प्रयोग करने का अधिकार है फिर भी वे पानी के प्रयोग के अपने अधिकारों की मांग करने व प्राप्त करने (विशेषकर जब पानी की कमी हो) में उन्हें काफी कठिनाई होती है।

कभी–कभी सिंचाई से खाद्य असुरक्षा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि किसान आजकल नगदी फसलों की ओर उन्मुख हुए हैं जिसके कारण बाजार पर घरेलू निर्भरता बढ़ जाती है एवं स्वदेसी ज्ञान प्रणाली की महत्ता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए गांम्बिया में दलदली चावल को उगाने की पारंपरिक प्रक्रिया तथा इससे संबंधित ज्ञान लुप्त होता जा रहा है क्योंकि यहाँ की अधिकतर जमीन का प्रयोग, आयात हेतु, सिंचित फल व सब्जियों के उत्पादन में किया जाने लगा है (www.fao.org/gender)। शोध से यह पता चला है कि नगदी फसलों के उत्पादकों के बच्चों का पोषण साधारण कृषि पर आश्रित महिला किसानों के बच्चे की अपेक्षा कम होता है।

हांलाकि सिंचाई का मिलाजुला प्रभाव महिला मजदूरों की भागीदारी पर भी पड़ता है। यह महिलाओं के लिए उनके पति के भूखण्डों पर रोजगार के अवसर (भुगतान रहित, अतिरिक्त कार्य) उपलब्ध कराता है अथवा उन्हें बड़े किसानों की भूमियों पर कृषक मजदूर बना देता है। ठीक उसी समय, सूखाग्रस्त भूमियों अथवा वर्षा आश्रित्र क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से संकटकालीन प्रवास (विशेषकर महिलाओं द्वारा) में कमी हो सकती है, क्योंकि इसके कारण परिवार द्वितीयक अथवा तृतीयक फसलों को उगाने में सक्षम हो जाते हैं (अहमद, 1999)। महिलायें सिंचाई हेतु जल का प्रयोग अन्य कार्यों में भी करती हैं जैसे–पशुओं को पानी पिलाने, नहरों में कपड़े व बर्तन धोने या अपने किचन गार्डन को पानी देने में।

जेण्डर अनुकूल तकनीकी को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है जो सिंचाई के क्षेत्र में महिलाओं की पहुँच को बढ़ावा देती है। नैरोबी के उपनगरीय कृषि के अध्ययन के अनुसार, अधिकतर महिला किसानों ने जलपम्पों को काफी महंगा व इसका रखरखाव को काफी मुश्किल पाया है (हाइड एवं कामानी 2000)। महिलायें अक्सर अपने आप को पुरूष समाज से अलग–थलग पाती हैं। कल पुर्जों व मरम्मत संबंधी कार्यों से दूर रहती हैं (चान्सलर एट एल, 1999)। इसके विपरीत, पूर्वी भारत के जल प्रचुर क्षेत्र में स्थित इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट इन्टरप्राइज नामक गैर सरकारी संगठन ने छोटे व सीमांत महिला किसानों को पैडल वाले पम्प को खरीदरने व उसके रखरखाव पर केन्द्रित (बाजार शोध के आधार पर) बाजार आधारित रणनीतियों को पूरी तरह बदल दिया है (प्रभु, 1999)।

सामुदायिक सिंचाई प्रबंधन संस्थानों में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना

महिला सिंचकों की विभिन्न आवश्यकताओं को मिली पहचान के बावजूद, सामुदायिक जल प्रबंधन संघ में उनकी भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा, विभिन्न सामाजिक व संस्थागत कारणों की वजह से काफी सीमित व कम है। इन संघों में औपचारिक सदस्यता ग्रहण करना केवल उन लोगों तक सीमित है जिनके पास वैधानिक रूप से अपना सिंचित भूखण्ड हो या वे गृह प्रमुख हों अथवा कभी–कभी ये दोनों कारक/अवयव

योग्यताएं उनमें होनी चाहिए। चूँकि ये सभी श्रेणियां प्रमुखतया पुरूषों से संबद्ध हैं इसलिए महिला कृषक सदस्यता ग्रहण करने के योग्य नहीं मानी जाती हैं। यद्यपि अधिकतम परिस्थितियों में वे पुरूष जो प्रवास कर चुके हैं की अनुपस्थिति में भूमि पर फसल उत्पादन अथवा उसका प्रबंधन करती हैं। भारत में सिंचाई नीतियों में हुए परिवर्तनों ने जल उपयोगकर्ता संगठन की कार्यकारी समिति में महिलाओं की सदस्यता संबंधी आरक्षण को बढ़ावा दिया। यह जानते हुए भी कि वे वैधानिक रूप से इस समिति की सदस्य नहीं हो सकती हैं। यद्यपि इस प्रकार का साधारण प्रतिभाग महिलाओं को मताधिकार नहीं प्रदान करता है, यह केवल उन्हें महिला किसानों से जुड़े विशेष सरोकारों; जैसे जलापूर्ति का समय व समयावधि, को सुस्पष्ट करने का अवसर देता है। अकेली महिला, विधवा व सीमांत परिवारों अथवा घरों से संबंधित महिलायें यदि जल वितरण की समस्याओं का सामना कर रही हैं तो वे आसानी से महिला समिति की सदस्यता को ग्रहण कर सकती हैं तथा महिलायें जल उपयोगकर्ताओं से फीस एकत्र करने व जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यू.यू.ए.) के अन्तर्गत चल रहे विवादों को सुलझाने में अधिक दक्ष होती हैं।

हालांकि पुरूषों व महिलाओं के उचित व्यवहार, जैसे बुजुर्ग पुरूषों के सामने जन सभा में बोलना, संबंधी प्रचलित प्रथायें, विशेषकर दक्षिण एशियाई ग्रामीण सदर्भ में, महिलाओं के सक्रिय प्रतिभाग को प्रतिबंधित करती हैं। नेपाल के छत्तीस मौजा सिंचाई योजना में महिलाओं ने बताया कि वे डब्ल्यू.यू.ए. को किसी भी जनसभा में कभी भी उपस्थित नहीं होती हैं क्योंकि वे अपने सरोकारों व आवश्यकताओं को प्रकट करने में सक्षम नहीं होती। अधिकतर महिलायें औपचारिक संस्थागत ढांचों में प्रतिभाग करने के बजाय चोरी से जल को प्राप्त करना सुलभ मानती हैं (वार्टवीन एण्ड न्यूपेन, 1996)। कई अफ्रीकी शहरों में शहरी सिंचक अपनी गतिविधियों को औपचारिक करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए यह एक अवसर प्रधान गतिविधि है तथा कुछ के लिए (अधिकतर महिलाओं के लिए) यह असंवैधानिक है। गाम्बिया में गरीब शहरी महिलायें बिना निश्चित समयावधि पर लिये गये, भू–खण्डों (अधिग्रहीत नदी तट) में समूह में बागवानी करने में व्यस्त रहती हैं तथा जाम्बिया में पानी के नलों तक लोगों की पहुँच बहुत सीमित है और वे उपचार संयत्र से निकलने वाले बेकार पानी पर ही निर्भर रहते हैं।

हालांकि यह स्पष्ट है कि सिंचाई तक पहुँच, शक्ति व विवादों का एक स्रोत है। फिर भी समाज के अन्तर्गत निहित अधिकारों व दायित्वों को सुस्पष्ट करने के लिए क्षमता विकास एवं सूचना संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिभागिता तथा जेण्डर संवेदी वाह्य संचालकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सिंचाई में 'सामाजिक निर्माण' के एक उदाहरण के रूप में एक्वाडोरियन इण्डियन समुदाय बहुहितधारकों की निर्णय लेने में महत्ता को दर्शाता है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह शामिल होते हैं (बोयेलेन्स एण्ड एपोलिन, 1999)। एफ.ए.ओ. 2001 द्वारा विकसित सिंचाई क्षेत्र संबंधी साधन; सिंचाई इन्जीनियरों, सरकारी एजेन्सियों व गैर सरकारी संगठनों को सहभागिता आधारित योजना प्रारूप उपलब्ध कराता है जो सिंचाई योजनाओं के संपादन में सुधार के साथ–साथ ग्रामीण महिलाओं व गैर लाभान्वित समूहों की स्थिति को भी बल प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कई सामाजिक संगठनों ने डब्ल्यू.यू.ए. के सफल ''माडलों'' को प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है जहाँ महिला किसानों व अन्य सीमान्तकारी समूहों के सहयोग से कृषि क्षेत्र में टिकाऊ जल प्रबन्धन तथा कानून में हुए परिवर्तनों से समझौता करने संबंधी विषय में काफी परिवर्तन आया है।

संदर्भः

अग्रवाल, बी., 1994। *ए फील्ड ऑफ वन्स ओनः जेण्डर एण्ड लैण्ड राइट्स इन साउथ एशिया,* कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

अहमद, एस, 1999। ''चेन्जिंग जेण्डर रोल्स इन एरिगेशन मैनेजमेन्टः सद्गुरूज लिफ्ट–एरिगेशन कोआपरेटिव्स, ''*इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली,* 34(51), पृष्ठ 3569–3606।

बोइलेन्स, आर. एवं एफ. एपोलिन, 1999। *एरिगेशन इन द एन्डियन कम्यूनिटीः ए सोशल कन्सट्रक्सन।* आई.डब्ल्यू.एम.आई. द्वारा एक दृश्य श्रव्य संसाधन अंग्रेजी और स्पेनी भाषा में प्रकाशित किया गया, कोलम्बो। उपलब्ध हैः iwmipublications@cgiar.org

चान्सलर, एफ., हैसनिप, एन. एवं डी. ओ नील, 1999। जेण्डर–सेन्सिटिव इरीगेशन डिजाईन (भाग 1), ओ. डी. 143, एच आर वैलिंगफोर्ड लिमिटेड, ओएक्स 108 बीए, यू.के.

क्लीवर, एफ., 1998। '' इन्सेन्टिव्स एण्ड इन्फॉरमल इन्स्टीच्युशन्सः जेण्डर एण्ड द मैनेजमेन्ट ऑफ वॉटर'', *एग्रीकल्चर एण्ड ह्यूमन वैल्युज,* 15, पृष्ठ 347–360।

डीयरे, सी. डी. एवं एम. लिओन, 1998। ''जेन्डर, लैन्ड एण्ड वाटरः फ्राम रिफार्म टू काउन्टर रिफार्म इन लैटिन अमेरिक,'' *एग्रीकल्चर एण्ड ह्यूमन वैल्यूज,* 15, पृष्ठ 375–386।

एफ.ए.ओ. 2001। इरिगेशन सेक्टर गाइड सोशियो–इकोनॉमिक एण्ड जेण्डर एनलिसिस प्रोग्राम (एस.ई.ए. जी.ए.), उपलब्ध हैः http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/IrrigationEn.pdf

हाइड, जे एवं जे. कमानी, 2000। इन्फॉरमल इरिगेशन इन द पेरी–अरबन जोन ऑफ नैरोबी, केन्या, ओ. डी./टी.एन. 98, एच.आर. वालिंगफोर्ड, ओएक्स 108 बीए, यू.के.।

वैन हूवे, ई. एण्ड बी. वैन कूपेन, 2005। *बियाण्ड फेचिंग वॉटर फॉर लाइफ स्टॉकः ए जेण्डर्ड सस्टेनेबल लाइवलिहुड फ्रेमवर्क टू असेस लाइवस्टॉक–वॉटर प्रोडक्टिवीटी।* (iwmi@cgiar.org).

वैन कोपेन, बी., 1998। ''वॉटर राइट्स, जेण्डर एण्ड पावर्टी एलिविएशनः इन्क्लूशन एण्ड इक्सक्लूशन ऑफ वीमेन एण्ड मेन स्माल होल्डर्स इन पब्लिक इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट,'' *एग्रीकल्चर एण्ड ह्यूमन वैल्यूज,* 15, पृष्ठ 361–374।

प्रभु, एम, 1999। ''मार्केटिंग ट्रेडल पंप्स टू वीमेन फारमर्स इन इण्डिया,'' *जेण्डर एण्ड डेवलेपमेन्ट, 7(2),* पृष्ठ 25–34।

अप्टॉन, एम. 2004। *द रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन इकोनॉमिक डेवलेपमेन्ट इन पावर्टी रिडक्शन।* प्रो पुअर लाइवस्टॉक पॉलिसी इनिसिएटिव। वर्किंग पेपर नं. 10, एफ ए ओ।

विश्व बैंक, 1996। *टूलकिट ऑन जेण्डर इन एग्रीकल्चर,* वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक जेण्डर एनलिसिस, पावर्टी एण्ड सोशल पॉलिसी डिपार्टमेन्ट उपलब्ध हैः http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2000/02/24/000094946_99031910562625/Rendered/PDF/multi_page.pdf

ज्वार्तेविन, एम, 1997। ''वाटरः फ्रॉम बेसिक नीड टू कमोडिटीः ए डिशकसन ऑन जेण्डर एण्ड वॉटर राइट्स इन द कान्टेक्स्ट ऑफ एरिगेशन,'' *वर्ल्ड डेवलेपमेन्ट,* (25) 8।

ज्वार्तेविन, एम. एण्ड एन. न्यूपैने, 1996। *'फ्री–राइडर्स ऑर विक्टिम्सः वीमेन्स नॉन–पार्टिसिपेशन इन एरिगेशन मैनेजमेन्ट इन नेपाल्स छत्तीस मौजा एरिगेशन स्कीम'* कोलम्बोः इण्टरनेशन वॉअर मैनेजमेन्ट इन्स्टीच्यूट, शोध रिपोर्ट संख्या 7।

अतिरिक्त संसाधन

अदातो, एम. एण्ड मेन्जेन–डिक, आर. 2002। *असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑन पावर्टी यूसिंग द सस्टेनेबल लाइवलिहूड्स फ्रेमवर्क।* एफ.सी.एन.डी. डिशकसन पेपर 128। ए.पी.टी.डी. डिशकसन पेपर 89। वाशिंगटन, डी.सी.: इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्सटीच्यूट।

अहलर्स, आर. एण्ड एस. वलार, 1995। *अप टू द स्काईः ए स्टडी ऑन जेण्डर इश्यूज इन एरिगेशन इन कम्बोडिया इन द प्राविन्सेज ऑफ टैकियो एण्ड प्री वेंग,* इडे (नीदरलैण्ड्स): एस.ए.डब्ल्यू.ए.।

बबाकर, बी. एण्ड अब्राहमने, 1997। *जेण्डर एण्ड पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चरल डेवलेपमेन्ट प्लानिंगः लेशन फ्रॉम ट्यूनिशिया,* एफ.ए.ओ.। उपलब्धर है:
http://www.fao.org/GENDER/Static/CaseSt/Tun/tuntoc-e.htm#TopOfPage

बस्तीदार, ई.पी., 1999। *जेण्डर इश्यूज एण्ड वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन इरिगेटेड एग्रीकल्चरः द केस ऑफ टू प्राईवेट इरिगेशन कैनाल इन कार्ची, इक्वाडोर।* (iwmi@cgiar.org)

यह रिपोर्ट सिंचाई परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने पर आधारित है। इस रिपोर्ट में अध्ययन क्षेत्र, उपयोगकर्ताओं, उनकी आवश्यकताओं, महिलाओं की भागीदारी के स्तर आदि पर जानकारी प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में ज्यादातर उदाहरण सिंचाई व कृषि में महिलाओं की सहभागिता से जुड़े कारकों पर केन्द्रित हैं अध्ययन यह सुझाव देता है कि परिवारों के आंतरिक संबंधों को महिलाओं की भागीदारी के संबंध में समझना अत्यन्त आवश्यक है।

बेल, सी, 2002। *वॉटर फॉर प्रोडक्शनः एन ओवरव्यू ऑफ द मेन इश्यूज एण्ड कलेक्शन ऑफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज,* ब्रिज रिपोर्ट नं. 64, ब्रिग्टॉनः इन्स्टीच्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट स्टडीज।

यह रिपोर्ट जल प्रबंधन मुद्दों पर कार्य करने वाली विकास संस्थाओं के लिए विचार व सुझाव प्रदान करती है। इसमें जेण्डर संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए संसाधन भी दिये गये हैं जिसमें केस स्टडी, अनुभव आदि पर जानकारी दी गयी है। उपलब्ध हैः http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/water.pdf

बियानी, सी, 2001। प्रमुख मुद्देः बैकग्राउण्ड पेपर्स। इनः यूनीफेम (ईडीएस.) *वीमेन्स लैण्ड एण्ड प्रापर्टी राइट्स इन सिचुएशन्स ऑफ कॉन्फिलक्ट एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन।* ए रीडर बेस्ड ऑन द फरवरी 1998 इण्टर–रिजनल कन्सलटेशन इन किगाली, रवाण्डा, न्यूयार्कः यूनिफेम।

बर्नाल, वी, 1988। *लोसिंग ग्राउण्डः वीमेन एण्ड एग्रीकल्चर इन सूडान्स एरिगेटेड स्कीम्सः लेशन्स फ्रॉम ए ब्लू नाइल विलेज, इन* जे. डेविड्सन (ई.डी.) *एग्रीकल्चर, वीमेन एण्ड लैण्ड। द अफ्रीकन इक्सपिरीएन्स,* पृष्ठ 131–156, बोल्डरः वेस्टव्यू।

बोएलेन्स, आर एण्ड एफ. एप्पालिन, 1999। *इरिगेशन इन द इण्डियन कम्यूनिटीः ए सोशल कन्सट्रक्शन।* एन आडियो–विजुअल रिशोर्स पब्लिस्ड इन इंग्लिश एण्ड स्पेनिश बाई आई.डब्ल्यू.एम.आई. कोलम्बो।

यह प्रशिक्षण किट व विडियो जेण्डर संतुलित व समुदाय आधारित ग्रामीण विकास में प्रयुक्त सहभागी प्रक्रियाओं की जानकारी प्रस्तुत करता है। इन दस्तावेजों में चरणबद्ध तरीके से परियोजना संचालन हेतु सुझाव दिये गये हैं। उपलब्ध हैः iwmipublications@cgiar.org

बोइलेन्स, आर. एवं एम. ज्वार्तेविन, 2002। ''जेण्डर डाईमेन्शन्स ऑफ वॉटर कन्ट्रोल इन एन्डियन एरिगेशन,'' इन बोइलेन्स, आर. एण्ड पी. हूजेन्डॉम ईडीएस (2002) *वॉटर राइट्स एण्ड इम्पावरमेन्ट,* एशेन (द नीदरलैण्ड्स) कोनिनक्लीजे वैन गॉरकम।

ब्रवो–बाओमैन, एच, 2000। *जेण्डर एण्ड लाइव स्टॉक; कैपिलटाईजेशन ऑफ इक्सपिरीएन्सेज ऑन लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट्स एण्ड जेण्डर वर्किंग डाक्यूमेन्ट,* स्वीस एजेन्सी फॉर डेवलेपमेन्ट एण्ड कोआरपरेशन, बर्ने।

चान्सलर, एफ., हैसनिप, एन. एण्ड डी. ओ, नील, 2000। जेण्डर सेन्सिटिव एरिगेशन डिजायन। ऑक्सफोर्डः एच.आर. वालिंगफोर्ड कन्सलटैन्ट्स (फॉर डी.एफ.आई.डी.)

ये छः रिपोर्टें दक्षिण अफ्रीका में सिंचाई के सूक्ष्म कार्यक्रमों पर की गयी एक शोध परियोजना के निष्कर्षों को प्रस्तुत करती हैं। इसका उद्देश्य सिंचाई के सूक्ष्म कार्यक्रमों में डिजाइन और क्रियान्वयन में जेण्डर संवेदनशीलता लाकर सुधार करना था। इसमें जेण्डर आधारित कमियों और मौजूदा सिंचाई विकास में अन्य संभावनाओं को पहचान कर, एवं उचित रणनीतियों के द्वारा सुधार प्रक्रियाओं को अपनाकर नकारात्मक प्रभावों को कम और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के तरीकों को अपनाया गया।

इस्टॉन, पी, एण्ड आर. मार्ग्रेट, 2000। ''सीड ऑफ लाइफः वीमेन एण्ड एग्रीकल्चरल बायोडायवर्सिटी इन अफ्रीका,'' *इन इन्डिजीनेस नॉलेज नोट्स,* विश्व बैंक, 23 अगस्त।

एफ.ए.ओ., 1997। *जेण्डर एण्ड पार्टीसिपेशन इन एग्रीकल्चर डेवलेपमेन्ट प्लानिंगः की इश्यूज फ्रॉम टेन केस स्टडीज।*

इस प्रपत्र में: अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की अलग–अलग केस स्टडीयों को दिया गया है जिनमें राष्ट्रीय नीति निर्माण, स्थानीय स्तर पर नियोजन और पशुधन, वानिकी तथा संरक्षण पर केन्द्रित परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इस प्रपत्र में संसाधनों और तरीकों, क्षमता विकास, जेण्डर से जुड़ी सूचनाओं, संबंधों और संगठन निर्माण तथा प्रमुख अनुभवों और सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी दिशा निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।
http://www.fao.org/docrep/X4480E/x4480e04.htm#TopOfPage

एफ.ए.ओ., 1999। *पार्टिसिपेशन इन इन्फारमेशनः द की टू जेण्डर रिसपॉन्सिव एग्रीकल्चरल पॉलिसी।*

यह प्रपत्र कुछ प्रमुख मुद्दों जैसे–कृषि संबंधी योजना निर्माण, विविधता को प्रकट करने के साधन और तरीके, सामाजिक और आर्थिक बदलाव, ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और कार्य पर प्रभाव आदि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता है। इस प्रपत्र को नीति निर्माण एवं नियोजन से जुड़े मुद्दों पर बहस हेतु एक उत्तम परिचय पत्र के रूप में देखा जा सकता है।
http://www.fao.org/sd/seaga/index_ar.htm
उपलब्ध है: www.fao.org/docrep/x2950e/x2950e00.htm

एफ.ए.ओ. 2001। *सोशियो इकोनॉमिक एण्ड जेण्डर एनॉलिसिस* (सेगा) *एरिगेशन सेक्टर गाइड*

इस निर्देशिका का उद्देश्य सिंचाई संबंधी योजनाओं के सहभागिता आधारित नियोजन को सहायता पहुंचाना और नियोजन प्रक्रिया में सामाजिक–आर्थिक व जेण्डर संबंधी मुद्दों को शामिल करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई योजनाओं की कार्यक्षमता को सुधारना और पिछड़े समूह व ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को मजबूती प्रदान करना है। सेगा विकास का एक तरीका है जो सामाजिक–आर्थिक तथ्यों और महिलाओं एवं पुरूषों की प्राथमिकताओं की क्षमताओं की सहभागिता आधारित पहचान के विश्लेषण पर आधारित है। सेगा के तरीके का प्रमुख उद्देश्य, लोगो की आवश्यकताओं और विकास के परिणामों के बीच की दूरियों को खत्म करना है। इसमें तीन क्षेत्र स्तरीय पुस्तिकाएं संसाधन के रूप में सम्मिलित हैं जो विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयनकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गयी हैं।
उपलब्ध है: http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/IrrigationEn.pdf

हैन्डी ए, 2002। *रोल ऑफ जेण्डर इश्यूज इन वॉटर रिसोर्सेज मैनेजमेन्ट एण्ड एरीगेटेड एग्रीकल्चर,,* प्रोसिंडिंग्स ऑफ द सी.आई.एच.ई.ए.एम./एम.ए.आई.बी.ए.आर.आई. स्पेशल सेशन इन द फर्स्ट रीजनल कान्फ्रेन्स ऑन पर्सपेक्टिव्स ऑफ अरब वॉटर कोआपरेशनः चैलेन्जेज, कान्सट्रेन्ट्स एण्ड अर्पाच्युनिटीज, कैरियो।

जैक्शन सी, 1998। ''जेण्डर, एरिगेशन एण्ड इन्वायनमेण्टः आर्गुयिंग फॉर एजेन्सी,'' *एग्रीकल्चर एण्ड ह्यूमन वैल्यूज,* 15, पृष्ठ 313–324।

कबीर, एन. एण्ड तरन थी वान एन, 2000। *लीविंग द राइसफील्ड्स बट नॉट द कन्ट्रीसाइडः जेण्डर लाइवलिहुड डाईवर्सिफिकेशन एण्ड प्रो–पुअर ग्रोथ इन रूरल वियतनाम,* ऑकेजनल पेपर नं0 13, जिनेवाः यू.एन.आर.आई.एस.डी.

खडोजिया, एम् 2005। *लॉ, जेण्डर एण्ड एरिगेशन वॉटर मैनेजमेन्ट,* फैकल्टी डेस साइन्स जीरिडिक्यू, पॉलिटिक्यूज इट सोशिएलिज, एरियाना, ट्यूनिशिया।

वैन कूपेन, बी., 1998। *मोर जाब्स पर ड्रॉपः टारगेटिंग एरिगेशन टू पुअर वीमेन एण्ड मेन।* एमस्टरडमः द रॉयल ट्रापिकल इन्स्टीच्यूट (के.आई.टी.)

यह पुस्तक, सरकारी और गैर सरकारी सिंचाई एजेन्सियो के गरीब लोगों विशेषकर गरीब महिलाओं को शामिल करने या न शामिल करने संबंधी भूमिकाओं का विश्लेषण करती है। यह विभिन्न देशों के अनुभवों पर आधारित है। इसमें उन प्रमुख कारकों को पहचानने की कोशिश की गयी है जिससे तकनीकी व आर्थक सहयोग देने वाली संस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

वैन कूपेन, बी., 1999। *शेयरिंग द लॉस्ट ड्रॉपः वॉटर स्कारसिटी, इरिगेशन एण्ड जेण्डर पावर्टी इरैडिकेशन,* इण्टरनेशनल वॉटर मैनेजमेन्ट इन्सटीच्यूट, कोलम्बो, श्रीलंका।

वैन कूपेन, बी., 1999। ''टारगेटिंग इरिगेशन सपोर्ट टू पुअर वीमेन एण्ड मेन,'' इण्टरनेशन जरनल ऑफ वॉटर रिर्सोसेज डेवलेपमेन्ट, 15 (1/2), पृष्ठ 121–140।

वैन कूपेन, बी., 2002। *ए जेण्डर पर्फामेन्स इण्डिकेटर फॉर एरिगेशनः कान्सेप्ट्स, टूल्स एण्ड एप्लीकेशन्स,* आई.डब्ल्यू.एम.आई. रिसर्च रिपोर्ट 59, कोलम्बोः आई.डब्ल्यू.एम.आई.
http://www.iwmi.cgiar.org/pubs/pub059/Report59.pdf

वैन कूपेन बी, 2003। *टूवर्ड्स ए जेण्डर एण्ड वॉटर इन्डेक्स,* कोलम्बोः आई.डब्ल्यू.एम.आई., ई–कान्फ्रेन्स पेपर उपलब्ध हैः http://www.generoyambiente.org/

वैन कूपेन, बी. एण्ड एस, महमूद, 1996। *वीमेन एण्ड वॉटर पम्प्स इन बांग्लादेशः द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीसिपेशन इन इरिगेशन ग्रुप्स ऑन वीमेन्स* स्टेटस। लंदनः इन्टरमीडिएट टेक्नोलॉजी पब्लिकेशन।

कूपमेन, जे. क्वेका, आर., बोया, एण्ड एस.एम. वान्गे, 2001। *कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्रेडिशनल इरिगेशन स्कीम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स इन तंजानियाः रिपोर्ट ऑफ ए कोलैबरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। दार–एस–सलामः* इरिगेशन सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड कोआपरेटिव्स।

यह रिपोर्ट इकोनॉमिक एण्ड सोशल रिसर्च फाउण्डेशन के सिंचाई विभाग के स्टाफ द्वारा आयोजित शोध परियोजना के निष्कर्षों के बारे में है। इस शोध के अन्तर्गत विभिन्न समूहों (पुरूष, महिला, मालिक व निर्भर लोग) के परियोजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सहभागिता से जुड़े सकारात्मक प्रमाण मिलते हैं। जिसके कारण सिंचाई योजनाओं में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय टिकाऊपन में सुधार नजर आया।

लोरेन्जो कोटूला, 2002। *जेण्डर एण्ड लॉः वीमेन्स राइट्स इन एग्रीकल्चर,* एफ.ए.ओ. लेजिसलेटिव स्टडी नं. 76।

यह अध्ययन कृषि संबंधी कानूनों में जेण्डर आयाम, महिलाओं के तीन प्रमुख क्षेत्रों में कानूनी स्थिति का निरीक्षणः भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, महिला कृषि कामगारों के रूप में अधिकार तथा कृषि संबंधी स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़े अधिकार के विश्लेषण के बारे में है।

उपलब्ध हैः
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y4311E/Y4311E00.HTM

लोकूर–पंगारे, वी, 1998। *जेण्डर इश्यूज इन वॉटर शेड डेवलेपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट इन इण्डिया।* एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड एक्टेन्सन नेटवर्क पेपर 38, लंदनः ओवरसीज डेवलपमेन्ट इन्स्टीच्यूट। उपलब्ध हैः http://www.odi.org.uk/agren/papers/agrenpaper_88.pdf

मरे, डी. एण्ड एस. बाविस्कर, 1998। (ई.डी.एस.), *जेण्डर एनलिसिस एण्ड रिफॉर्म ऑफ इरिगेशन मैनेजमेन्टः कन्सेप्ट, केसेज एण्ड गैप्स इन नॉलेज,* कोलम्बोः आई.डब्ल्यू.एम.आई.।

निरून्डन, टपाचाई, 1990। *वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन इरिगेशन मैनेजमेन्टः ए केस स्टडी ऑफ हाउसवाइफ्स इन हुवे एंग टैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट, थाईलैण्ड।* (अनपब्लिस्ड थेसिस)

सिंचाई प्रबंधन में गृहणियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस दस्तावेज के उद्देश्यों व महत्ता पर शिक्षा व जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। गृहणियों को सिंचाई प्रबांन से जुड़े निर्णय लेने के अवसर भी प्रदान करने चाहिए।

उपलब्ध हैः (वागेनिंगेन यू.आर. लाइब्रेरी)
http://sfx.library.wur.nl:9003/sfx_local?sid=SP:AR&id=pmid:&id=&issn=&isbn=&volume=&issue=&spage=&pages=&date=1990&title=&atitle=Women%20participation%20in%20irrigation%20management%3a%20A%20case%20study%20of%20housewives%20in%20Huay%20Aeng%20Tank%20irrigation%20project%2e&aulast=Nirundon-Tapachai&pid=%3CAN%3E96079951%3C%2FAN%3E%3CAU%3ENirundon%20Tapachai%3C%2FAU%3E%3CDT%3EMonograph%3bNumerical%20Data%3bThesis%20or%20Dissertation%3bSummary%3bNon%20Conventional%3C%2FDT%3E

पैचरिन, लफानुम, 1992। ''रोल ऑफ वीमेन इन नार्थईस्ट थाईलैण्ड ऑन वॉटर मैनेजमेन्टः ए केस स्टडी एट बानफुआ, टैम्बोन फ्रलाप, एम्फो माउंग, खोन खेन प्रोविन्स, *खोन खेन यूनिवर्सिटी जरनल,* पृष्ठ 3–4। उपलब्ध हैः (वागेनिंगेन यू.आर. लाइब्रेरी)

http://sfx.library.wur.nl:9003/sfx_local?sid=SP:AR&id=pmid:&id=&issn=&isbn=&volume=&issue=&spage=&pages=&date=1997&title=&atitle=%5bRole%20of%20women%20in%20Nort%20East%20of%20Thailand%20on%20water%20management%3a%20A%20case%20study%20at%20Banphua%2c%20Tambon%20Phralap%2c%20Amphoe%20Muang%2c%20Khon%20Kaen%20province%5d%2e&aulast=PatcharinLaphanun&pid=%3CAN%3E2000064268%3C%2FAN%3E%3CAU%3EPatcharin%20Laphanun%3C%2FAU%3E%3CDT%3EMonograph%3bSummary%3bNon%20Conventional%3C%2FDT%3E

पुले, टी.ए., लतीफ, एस. एण्ड ए. श्रेष्ठा, 2003। *बिल्डिंग जेण्डर रिसपोन्सिव वॉटर यूजर एसोशिएसन इन नेपाल* / मनीलाः एडीबी। उपलब्ध हैः http://www.adb.org/Gender/aip-nep-2003.pdf

रजवी, एस. (ईडी) 2003। *एग्रेरियन चेन्ज, जेण्डर एण्ड लैण्ड राइट्स,* ऑक्सफोर्डः ब्लैकवेल पब्लिशिंग एण्ड जिनेवाः यूनाईटेड नेशन्स रिसर्च इन्स्टीच्यूट फॉर सोशल डेवलेपमेन्ट।

सरकार, एस, 2001। ''वॉटर वीमेन'' *न्यूजरिच,* द इन–हाउस जरनल ऑफ प्रडान। प्रडानः 3, कम्यूनिटी सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली 110, इण्डिया से उपलब्ध।
ई–मेलः pradanho@ndb.vsnl.net.in [आल्सो रिवाज्ड वर्जन इन अहमद, एस. (एड.) 2005, *फ्लोईंग अपस्ट्रीमः इम्पावरिंग वीमेन थ्रू वॉटर मैनेजमेन्ट इनिसिएटिव्स इन इण्डिया,* दिल्लीः फाउण्डेशन बुक्स एण्ड अहमदाबादः सेन्टर फॉर इन्वायरनमेन्ट एजुकेशन।

सेन्क–सैण्डबर्जेन, एल. एण्ड ओ. चोलामनी–खाम्पुई, 1995। *वीमेन इन राइस फील्ड एण्ड ऑफिसेजः इरिगेशन इन लाओस–जेण्डर–स्पेसिफिक केस स्टडीज इन फोर विलेजेज, हिलो।*

शाह, ए, 1998। ''डेवलपिंग रेनफेड एग्रीकल्चरः इम्पलिकेशन्स फॉर वीमेन', इन सी. दतार (एड.)। *नरचरिंग नेचरः वीमेन एट द सेन्टर ऑफ नेचुरल एण्ड सोशल रिजनरेशन,* बाम्बेः अर्थकेयर बुक्स।

सिम्स–फेल्डस्टेन, एच. एण्ड जीगिन्स, जे, 1994। (ईडीएस), *टूल्स फॉर द फील्डः मेथोडोलॉजीज हैण्डबुक फॉर जेण्डर एनलिसिस इन एग्रीकल्चर* / वेस्ट हार्टफोर्डः कुमारियन प्रेस।

स्वेन्डसेन, एफ., मैरी, डी.जे. एण्ड टी. शाह, तिथि रहित। *हाइड्रो–पॉलिटिक्स इन द डेवलेपिंग वर्ल्डः ए साउदर्न अफ्रीका पर्सपेक्टिव* /
उपलब्ध हैः
http://www.iwmi.cgiar.org/Assessment/files/Synthesis/River%20Basins/River%20basin%20management%20reconsidered%20WESTER.pdf

वैन डेर ब्लूटेन, एन, 2001। ''(अप)लिफ्टिंग वॉटर एण्ड वीमेन ऑर लीप सर्विस ओन्ली? द जेण्डर डाईमेन्शन ऑफ ए लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम'', इन आर.के. मूर्ति (एड.) *बिल्डिंग वीमेन्स कैपेसिटिजः इन्टरवेन्शन्स इन जेण्डर ट्रान्सफॉरमेशन, न्यू दिल्लीः शेज पब्लिकेशन्स।*

वाइल्ड वी., 1999। ''*द रिसपोन्सिव प्लानरः ए फ्रेमवर्क फॉर पार्टिसिपेटरी जेण्डर रिसपोन्सिव एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट* /

यह दस्तावेज एफ.ए.ओ. के कार्यअनुभवों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें कृषि क्षेत्र में जेण्डर को शामिल करने संबंधी परियोजनाओं की कमियों को भी उजागर किया गया है। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अनुभवों को प्रस्तुत किया है।

उपलब्ध हैः http://www.fao.org/docrep/X4480E/x4480e05.htm#P1_15

वोरनिक, बी. एण्ड जे. स्कैलविक, 1998। *इरिगेशन एण्ड इक्विटी विटविन वीमेन एण्ड मेन* / स्टॉकहोमः स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट कोआपरेशन एजेन्सी (सीडा)।

सिंचाई पहल में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने संबंधी लघु लेख दिये गये हैं। इस दस्तावेज में सिंचाई नियोजन संबंधी दो प्रमुख उदाहरण दिये गये हैं जिसमें जेण्डर समानता से जुड़े मुद्दों की महत्ता को दर्शाया गया है।

1) पहल की सफलता को सुनिश्चित करता है
2) पर्यावरणीय स्थाईत्व को सुनिश्चित करत है।
3) यह भी सुनिश्चित करता है कि महिलायें एवं पुरूष दोनों लाभान्वित होंगें।

ज्वार्टेवीन, एफ. 1997। *ए प्लॉट ऑफ वन्स ओनः जेण्डर रिलेशन्स एण्ड इरिगेटेड लैण्ड एलोकेशन पॉलिसीज इन बुरकिना फासो।* उपलब्ध हैः http://www.iwmi.cgiar.org/pubs/pub010/REPORT10.PDF

ज्वार्तेविन, एम. एण्ड आर मेन्जिक–डिक, 2001। ''जेण्डर एण्ड प्रापर्टी राइट्स इन द कॉमन्सः इक्साम्पल्स ऑफ वॉटर राइट्स इन साउथ एशिया'', *एग्रीकल्चर एण्ड ह्यूमन वैल्यूज, वाल्यूम 18,* पृष्ठ 11–25।

ज्वार्तेविन, एम. जे. 2006। *वेडलॉक ऑर डेडलॉक?: फेमिनिस्ट' अटेम्ट्स टू इनगेज इरिगेशन इंजीनियर्स।* वाशिंगटन यूआर, वागेनिंगेन।

राममूर्ति, पी. 1991। रूरल वीमेन एण्ड इरिगेशनः पैट्रिआर्की, क्लास एण्ड द मॉर्डनाइजिंग स्टेट इन साउथ इण्डिया (चेप्टर 7 पृष्ठ संख्या 103–121) इन कैरोलिन ई. साच्स (संस्करण) वीमेन वर्किंग इन द इन्वायरनमेन्ट, टेलर एण्ड फ्रांसिस, 1997। उपलब्ध हैः
http://books.google.co.in/books?id=bfDc7JTprYwC&printsec=frontcover&source=gbs_navlinks_s

अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए भारत जैसे विकासशील देश में सिंचाई व्यवस्था को ही एक प्रमुख रणनीति के रूप में देखा जाता है। यह प्रपत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारत में सिंचाई प्रणाली में जेण्डर समाहित नहीं है और इसकी वजह से महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आन्ध्रप्रदेश में नहर सिंचाई तंत्र का उदाहरण देते हुए महिलाओं के बुरे हाल का विवरण किया गया है। यह प्रपत्र महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ नीतिगत प्रक्रियाओं का सुझाव देता है।

शेंक, शेंडबर्जन, एल. 1991। इम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेनः इट्स स्कोप इन अ बायलेट्रल डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्टः ए स्माल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट इन नार्थ बंगाल। इन इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 26:17, डब्ल्यू.एस.–27– डब्ल्यू.एस.–35, बी.एल.डी.एस.सी., 45 रेफ।

स्टैनबरी पी. 1992। वीमेन एण्ड वॉटर इफेक्ट ऑफ इरिगेशन डेवलेपमेन्ट इन ए नार्थ इण्डियन विलेज। इन डव, एम.आर.; कारपेन्टर, सी. संस्करण, सोशियोलॉजी ऑफ नेचुरल रिर्सोसेज इन पाकिस्तान एण्ड एडज्वायनिंग कन्ट्रीज, लाहौर, पाकिस्तानः वैन गार्ड बुक्स। पृष्ठ संख्या 372–399।

दलवाई, अशोक, 1997। 'कैन वीमेन डू पी.आई.एम.'? इन इण्टरनेशनल ऑन पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेन्ट, आई.एन.पी.आई.एम. न्यूजलेटर नं0 5 पृष्ठ संख्या 4–5
उपलब्ध हैः http://www.inpin.org/leftlinks/newsletters/N5/newsletters/N5/n5a5.htm

इस प्रपत्र में उड़िसा राज्य का उदाहरण देते हुए सहभागी सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं के योगदान की चर्चा की गयी है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि जो मुद्दे उड़िसा राज्य में थे वे आज भी अन्य स्थानों पर विद्यमान हैं। इसलिए हमें ऐसे ही कदम उठाने की आवश्यकता है।

स्टैनबरी, पामेला, 1984। वीमेन्स रोल इन इरिगेटेड एग्रीकल्चरः रिपोर्ट ऑफ द 1984 डायग्नोस्टिक वर्कशॉप, दाहोद टैंक सिंचाई परियोजना, मध्यप्रदेश, भारत, फोर्ट कॉलेन्स, सी.ओ., यू.एस.ए., कोलरेडो स्टेट यूनिवर्सिटी, वॉटर मैनेजमेन्ट सिंथेसिस प्रोजेक्ट।

स्टैनबरी, पामेला, 1984। इरिगेशन्स इम्पैक्ट ऑन द सोशियों इकोनॉमिक रोल ऑफ वीमेन इन अ हरियाणा वीलेज। टूक्सॉन, ए.जेड., यू.एस.ए.। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। मानव विज्ञान विभाग।

केआ आचार्य, द वॉटर वीमेनः अ केस स्टडी ऑफ टैंक रिस्टोरेशन, सीड्स ऑफ होप, लोकायन। उपलब्ध हैः

सन् 1980 में ग्राम विकास संस्थान ने छोटे स्तर पर कोलार जिले के होरोथल्ली गांव में कार्य आरंभ किया। इनका मुख्यकार्य बच्चों का विकास था। परन्तु धीरे–धीरे वे महिलाओं की स्थिति को भी सुधारने के प्रयास में लग गये। कुछ वर्षों बाद संस्था को आभास हुआ कि यदि महिलाओं के जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन लाना है तो उनके जमीन की उपज को बढ़ाना होगा और ऐसा करने के लिए वहां की सूखी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना होगा। संस्था ने स्वंय सहायता समूह की महिलाओं के साथ काम करना आंरभ किया। इसके तहत् महिलाओं ने सर्वप्रथम जल के संरक्षण का काम शुरू किया और गांव में स्थित टैंक को वापस उसी स्थिति में लेकर आयीं। धीरे–धीरे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होने लगा।

सीमा कुलकर्णी, जुलाई 08, 2009। इन सर्च ऑफ वॉटर, इन्फोचेन्ज इण्डिया न्यूज। उपलब्ध है:
http://infochangeindia.org/200709076504/Agenda/Women-At-Work/In-searc-of-water.html

पीने योग्य जल की कमी गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए परेशानियों का कारण बनती है। सूखे की त्रासदी भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है और इन सबका एकमात्र कारण जेण्डर आधारित अलग–अलग भूमिकायें हैं, जिसमें कवेल महिलायें ही जल एकत्रण का काम करती हैं। दूसरी तरफ अच्छी सिचाई व्यवस्था के कारण खेती अच्छी होती है परन्तु इसकी वजह से भी महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रपत्र में इन्ही सब मुद्दों को बताया गया है।

यूथ फॉर एक्शन (वाई.एफ.ए.) अक्टूबर 2000, सस्टेनिंग लाइवलीहुड थ्रू वॉटरशेड इनिसिएटिव्सः अ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम हैदराबाद। उपलब्ध है:
http://www.dainet.org/sdnp/success.htm

यह आन्ध्रप्रदेश के महबूबनगर जिले की एक कहानी है जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जिसके कारण किसानों को खेती करने में परेशानी होती थी। वाई.एफ.ए. ने वहां की महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया और जलागम की व्यवस्था से जुड़े पहलों की शुरूआत हुई। कई महिलाओं ने इस कार्य में हिस्सा लिया और उनके इस अथक प्रयास की वजह से वहां पानी की समस्या का निदान हो सका। अब किसान अच्छी फसल उगा रहे हैं।

अहमद, एस. (1999), चेन्जिंग जेण्डर रोल्स इन इरिगेशन मैनेजमेन्टः सद्गुरूज लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव्स, इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम 34, नं 51 (दिसम्बर 18–24, 1999), पृष्ठ संख्या 3596–3606।
उपलब्ध है: http://www.jstor.org/stable/4408739
यह प्रपत्र सद्गुरू परियोजना क्षेत्र (गुजरात) के अन्तर्गत चल रहे तीन लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं और लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव्स का गहराई से निरीक्षण करने के बाद कोऑपरेटिव्स की कार्यकारी समिति में महिलाओं एवं उनकी भूमिकाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इस प्रपत्र में सद्गुरू परियोजना के द्वारा उठाये गये कदमों जैसे पॉलिसी एडवोकेसी (जो महिलाओं को कार्यकारी समिति में प्रतिनिधित्व का मौका देती है) और जेण्डर संवेदी तंत्रों, जिसमें समस्त कर्मचारियों एवं सामुदायिक कर्मियों की विकास में भागीदारी से संबंधित प्रशिक्षण भी कराया गया, की वजह से क्या महिलाओं की निर्णयन क्षमता में सहभागिता बढ़ी है? इस तथ्य को समझने की कोशिश की गयी है।

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी है:

- भारतः सहभागी सिंचाई प्रबंधन में जेण्डर का मुख्य धारा से जुड़ावः आगा खाँ ग्रामीण सहयोग कार्यक्रम पर एक केस स्टडी
- केन्याः सामुदायिक जल प्रबंधन में जेण्डर भेद, मचाकोस

3.8 जेण्डर, जल और पर्यावरण

परिचय

जल संसाधनों के उपयोग और प्रबन्धन में महिलाओं एवं पुरूषों की विभिन्न भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का सीधा संबंध पर्यावरणीय हित एवं परिवर्तन से है। यह तथ्य दोनों के लिए बिल्कुल सत्य है कि किस प्रकार महिलायें व पुरूष अपने आर्थिक व घरेलू गतिविधियों से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार से पर्यावरण में हुआ परिवर्तन जन समुदाय के हितों को प्रभावित करता है। इन जेण्डर विभिन्नताओं की समझ को नीतियों के विकास का प्रमुख अंग होना चाहिए जिसका लक्ष्य बेहतर पर्यावरणीय परिणाम हित तथा स्वास्थ्य में सुधार है।

जेण्डर संबंध एवं पर्यावरणीय प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां

महिलायें पर्यावरण के क्षेत्र; विशेषकर वनों, शुष्क क्षेत्रों तथा नम भूमियों में पेड़–पौधों व जीव–जन्तुओं के प्रबंधन, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं (बाक्स देखें)। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं का प्राकृतिक संसाधनों, खाद्य पदार्थों, जैवभार ईंधनों, पारंपरिक दवाओं व कच्चे माल के संग्रहण तथा उत्पादन के कारण घनिष्ठ संबंध होता है। गरीब महिलायें एवं बच्चे अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु टिड्डों, लार्वों, अण्डों तथा पक्षियों के घोंसलों को एकत्र कर सकते हैं (वैन एस्ट, 1997)। उदाहरण के लिए बुर्किनाफासों में, ग्रामीण महिलायें अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु कृषि आधारित अनाजों जैसे ज्वार–बाजरा व स्थानीय पौधों के फलों, पत्तों व जड़ों पर निर्भर रहते हैं। केवल साहेल में ही लगभग 800 से भी अधिक खाने योग्य जंगली पेड़–पौधों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है (इस्टन एण्ड रोनाल्ड, 2000, इन यूनेप, 2004)

पश्चिम अफ्रीका में महिलायें एवं नमभूमियां

पश्चिम अफ्रीका में जीवन को यथावत बनाये रखने के लिए नमभूमियां मूलभूत पारितंत्र का कार्य करती हैं। सदियों से लोग इन नमभूमियों पर खाद्य पदार्थों, जल, प्राकृतिक संसाधनों व परिवहन जैसी सेवाओं के लिए निर्भर रहे हैं। महिलाओं के लिए नमभूमि पारितंत्र व उससे मिलने वाली वस्तुएं उनकी ग्रामीण आजीविका को संचालित करती हैं। नमभूमि क्षेत्रों में, महिलाओं द्वारा की जा रही प्रमुख आर्थिक गतिविधियां इस प्रकार हैं:

जंगली संसाधन, बर्तनों व निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी उपलब्ध कराते हैं तथा उनके आहार व स्वास्थ्य में सुधार, खाद्य सुरक्षा, आय उत्पादन व जीनिक प्रयोग में सहयोग भी देते हैं।

वर्ष भर विभिन्न मौसमों में भिन्न–भिन्न उपकरणों के माध्यम से मछती पकड़ी जाती हैं। बाँधों, नदियों के दिशा परिवर्तन व जलवायु परिवर्तन के कारण नमभूमियों में आने वाली बाढ़ से मछली पकड़ने के व्यवसाय से मिलने वाले राजस्व में कमी आती है।

कृषि, के अन्तर्गत शुष्क भूमि पर ज्वार व बाजरे की खेती, मौसमीय दलदली चावल की खेती, बाढ़ रोकने के लिए खेती तथा सिंचित खेती सम्मिलित है। मौसमीय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उगने वाला चावल सबसे प्रमुख फसल है।

भेड़ों, बकरियों व पशुओं को *शुष्क मौसम में घास चराने,* की प्रक्रिया तब की जाती है जब शुष्क मौसम में चरवाहे इन स्थानों से होकर गुजरते हैं।

शहरी केन्द्रों में, महिलाएं मत्स्य उत्पादों का प्रसंस्करण, विशेषकर मछलियों को भाप देने व सीपियों के पालन–पोषण संबंधी कार्य करती हैं। हाल ही में विभिन्न महिला संगठन, शहरी कृषि में (बाजार संबंधी बागीचे) सम्मिलित हुए हैं।

स्रोतः डायोप, एम.डी., 2004।

चूंकि वे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बांटते हैं इसलिए लड़कियां एवं महिलायें अपने पर्यावरण विशेषकर वहां की जैवविविधता के बारे में अच्छी समझ विकसित कर लेती हैं। उनका अनुभव उन्हें पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए आवश्यक बहुमूल्य कौशल प्रदान करता है। पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन में महिलायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं (यूनेप, 2004)।

ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का प्रकृति के साथ में एक विशेष संबंध होता है परन्तु इस बात पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि सभी लोग पर्यावरण पर निर्भर है तथा जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग की जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए।

चुनौतियां

निर्णय लेने में जनसहभागिता

पर्यावरणीय प्रबन्धन में जनसहभागिता को पर्यावरणीय नीतियों के अभिन्न अंग के रूप में देखा जा रहा है। 1990 के दशक में हुए विभिन्न बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जिसमें यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस ऑन इन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट (रियो डे जेनेरियो, 1992) तथा फोर्थ वर्ल्ड कान्फ्रेन्स ऑन वीमेन (बीजिंग, 1995) सम्मिलित है, ने पर्यावरणीय प्रबंधन तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार है तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को मजबूती प्रदान करने हेतु कार्यवाहियाँ की गयीं। हालांकि स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक, पर्यावरणीय नीतियों के निरूपण, नियोजन व क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी काफी सीमित रही है। यदि महिलाएं पर्यावरणीय प्रबन्धन में योगदान देती भी हैं तो वह केवल स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, मैक्सिको, रूसी फेडरेशन व यूक्रेन की महिलायें, महिला समूहों व संगठनों के माध्यम से, स्वच्छ जल संसाधनों के नियोजन व प्रबधंन में सम्मिलित होती रही हैं। वे समुदायों को एकजुट कर व संसाधनों के संरक्षण के साथ–साथ स्वच्छ जलापूर्ति की सुरक्षा भी करती आयी हैं।

संवेदनशील पर्यावरण

लोगों के दैनिक जीवन पर पर्यावरण के क्षरण का प्रभाव, पुरूषों व महिलाओं के लिए एक समान नहीं होते हैं। जब भी पर्यावरण क्षरित होता है तो महिलाओं की दैनिक गतिविधियों जैसे– ईंधन व जल का एकत्रण इत्यादि में अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है जिससे वे अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए कम समय निकाल पाती हैं। जब पानी की कमी होती है तब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों को पानी की खोज में काफी दूरी तय करनी पड़ती है तथा शहरी क्षेत्र में उन्हें सामुदायिक जल स्रोतों पर लम्बे समय तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है।

उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद शुष्क क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को गरीब से भी अत्यधिक गरीब श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाता है तथा इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं होता है। उन्हें अक्सर भू–विकास एवं संरक्षण परियोजनाओं, कृषि विस्तार संबंधी गतिविधियों व नीतियों में प्रतिभाग नहीं करने दिया जाता है जिनका सीधा प्रभाव उनके जीवन निर्वाह पर पड़ता है। मवेशियों व पशुधन संबंधी अधिकांश निर्णय पुरूषों द्वारा ही लिये जाते हैं। यहां तक कि उन घरों में भी जहाँ महिलायें ही घर की मुखिया होती हैं पुरूष उनके परिवार से जुड़े अन्य सदस्यों के माध्यम से निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण शुष्क क्षेत्रों में क्षरण के विरूद्ध संघर्ष में महिलाओं एवं पुरूषों की समान भूमिका संबंधी दृष्टिकोण आवश्यक होगी।

संसाधनों तक पहुँच व उस पर नियंत्रण

अधिकांश राष्ट्रों में, अधिकार मुख्यतः महिलाओं के वैवाहिक स्थिति से जुड़े होते हैं; जिसमें विधवा व तलाकशुदा महिलायें उन अधिकारों से अक्सर वंचित रह जाती हैं। यहाँ तक कि उन देशों का कानून भूमि पर महिलाओं और पुरूषों का समान अधिकार देने का आश्वासन देता है, जहाँ महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत न हों या परंपरायें अथवा रीतिरिवाज उन्हें उनके स्वामित्व संबंधी अधिकार से बेदखल कर रखा है। उदाहरण के लिए बुर्किनाफांसो, कैमरून व जिम्बाम्बे में महिलाओं के पास भूमि व पेड़ों का स्वामित्व है परन्तु वास्तव में उनकी सम्पत्तियों पर पुरूषों का ही नियंत्रण है।

इस प्रकार के असुरक्षित भूमि अनुबंध इस बात को प्रभावित करते हैं कि विभिन्न समूह, प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग किस प्रकार करते हैं। महिलायें, गरीब व अन्य सीमान्त समूह दूसरों की भूमि पर समय व संसाधन को खर्च करने अथवा पर्यावरण हितैषी टिकाऊ प्रक्रियाओं को कम ही अपनाते हैं। कांगों के पूर्वी लोकतान्त्रिक गणतंत्र में, शोधकर्ताओं ने पाया कि पुरूष संरक्षित पट्टे वाली घरेलू भूमियों पर स्थाई पेड़ व

फसलों को लगाते हैं जैसे– कॉफी। महिलाओं को खाद्य संबंधी फसलों के लिए किराये वाली ढलुआ व क्षरित होती जमीनें दे दी जाती हैं। चूकिं पट्टे पर ली गयी भूमि असुरक्षित होती है इसलिए महिलायें मृदा संरक्षण उपायों में निवेश करने में कम ही रूचि दिखाती हैं।

महिलाओं के भू–संबंधी अधिकारों पर प्रतिबन्धों के कारण अन्य संसाधनों व सूचनाओं तक उनकी पहुँच की संभावनाएं भी बाधित होती हैं। इसके साथ ही वे इस तरह की भूमि पर कर्ज लेने में असमर्थ होती हैं। नई तकनीकियों को अपनाने व आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों को मजदूरी पर रखने में भी परेशानियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त महिलायें अन्य सहायक सेवाओं जैसे कृषि विस्तार व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ होती हैं। कृषि विस्तार करते एजेन्ट पारंपरिक रूप से पुरूष किसानों पर ही केन्द्रित रहते हैं उन क्षेत्रों में भी जहाँ पुरूष कृषि क्षेत्रों में कार्यरत नहीं हैं तथा महिलायें ही प्रमुख कृषक के रूप में कार्य करती हैं (पापुलेशन रिफरेन्स ब्यूरो, 2002)।

जलागम प्रबंधन

महिलायों कभी–कभी जलागम प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में भाग लेती हैं जैसे– महिलायें, नहरों एवं जलाशयों में मृदा अपरदन के कारण बाढ़ व सिल्ट की समस्या को कम करने हेतु वनाच्छादन का रखरखाव करती हैं। इसके विपरीत जलागम के विकास संबंधी तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः पुरूषों पर ही केन्द्रित होते हैं। महिलाओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जोर प्रयोगात्मक पहलुओं पर ही होता है जैसे– पेड़ लगाना। परिणामस्वरूप इसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं में समुदाय आधारित निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया व जलागम के विकास प्रबंधन के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने तथा समुदाय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक कौशल, ज्ञान व आत्मविश्वास नहीं होता है (पैंगारे, 1998, इन राथ गेबर, इवा 2003)। ज्यादातर जलागम विकास परियोजनाओं में जेण्डर विश्लेषण नहीं हैं।

ठीक इसी प्रकार वृहद परियोजनाओं के निर्माण के समय विस्थापित स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों को शायद ही जेण्डर परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया है (बरूआ, 1999, इन राथ गेबर, इवा 2003)। बहुत से मामलों में, नियोजनकर्ता विस्थापन योजनाओं में जेण्डर सरोकारों को शामिल करने संबंधी परिणामों के बारे में जानते हैं परन्तु वे इस पर कार्य शायद ही कर पाते हैं। भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा बाँध परियोजना के मामले में काफी लोगों को उस क्षेत्र से विस्थापित कर दिया गया था जो बाढ़ग्रस्त हो गया था। जिसके कारण महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए आवश्यक वन एवं जैवभार संबंधी संसाधनों को एकत्र करने में काफी परेशानी होती थी। सभी प्रकार के जलीय स्रोतों को बाँध से जोड़ दिया गया था तथा उसके पास के भू–क्षेत्र भी स्थानीय जनसंख्या की पहुँच से बाहर हो गये थे (राथजेबर, इवा 2003)।

जेण्डर के एकीकरण की ओर

जैवविविधता संरक्षण में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए पर्यावरणीय नियोजन में जेण्डर संबंधी सरोकारों को शामिल करने संबंधी निम्न कार्यवाहियों को अपनाना चाहिएः

- महिलाओं एवं पुरूषों द्वारा संसाधनों के उपयोग, संसाधनों से संबंधित ज्ञान, उन तक पहुँच व नियंत्रण संबंधी आंकड़ों के एकत्रण में सुधार। लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों की अलग–अलग सूचनाओं का एकत्रण, जेण्डर प्रभावी नीतियों व कार्यक्रमों के विकास का प्रथम चरण होता है।
- जल संसाधनों व पर्यावरणीय परिणामों से जुड़े जेण्डर संबंधी पहलुओं की प्रासंगिकता पर कर्मचारियों व प्रबंधन से जुड़े लोगों का प्रशिक्षण।
- पर्यावरणीय परियोजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण व मूल्यांकन में जेण्डर परिप्रेक्ष्यों को शामिल करने की प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- पर्यावरणीय नीतियों व कार्यक्रमों के निर्णय प्रक्रिया के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी के अवसरों को सुनिश्चित करना जिसके अन्तर्गत डिजाइनर, नियोजनकर्ता, क्रियान्वयनकर्ता व विश्लेषक सम्मिलित हैंः उनके पर्यावरणीय सरोकारों के बारे में बात करने तथा नीती संबंधी निर्णयों में योगदान देने के लिए महिलाओं को औपचारिक माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से राष्ट्रो ने इस दिशा में सकारात्मक कार्यवाहियों की पहल की है।

- कार्यक्रमों और नीतियों में जेण्डर सरोकारों को शामिल करने के लिए स्थानीय राष्ट्रीय सभी स्तरों पर वचनबद्धताओं को बढ़ावा देना जिससे ज्यादा न्यायसंगत व टिकाऊ विकास संभव हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वीमेन्स इन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट ऑर्गनाइजेशन ने यूनाईटेड नेशन्स कान्फ्रेन्स ऑन इन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट (रियो, 1992) में ''वीमेन एक्शन 21'' की शुरूआत की। इसके साथ ही हाल ही में जोहान्सबर्ग में आयोजित डब्ल्यू.एस.एस.डी. के दौरान ''एक्शन 2015–वीमेन फॉर ए हेल्दी एण्ड पीसफुल प्लैनेट'' पहल की शुरूआत की गयी।
- राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीतियों में जेण्डर परिप्रेक्ष्यों को एक नीती उद्घोषणा के रूप में शामिल करना चाहिए जो सरकार की वचनबद्धताओं को दर्शाये। राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर कार्य कर रहे तकनीकी कर्मचारियों के लिए संदर्भ दस्तावेज हो तथा जेण्डर संबंधी सरोकारों को व्यक्त करने हेतु महिलाओं व पुरूषों दोनों के क्षमता विकास की प्रक्रियाओं के लिए रूपरेखा हो।

संदर्भ

इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका (सी.ई.ए.), 1999। *इवैलूएशन रिपोर्टः वीमेन एण्ड इन्वायरनमेन्ट* / सिक्स्थ रीजनल कान्फ्रेंन्स ऑन वीमेनः हाफ–वे इवैलुएशन कंसर्निंग द इम्लिमेन्टेशन ऑफ रिक्मेन्डेशन्स ऑफ दकार प्लेटफार्म एण्ड बिजिंग एक्शन प्लान।

पॉपुलेशन रिफरेन्स ब्यूरो, 2002। *वीमेन, मेन एण्ड इन्वायरनमेन्टल चेन्जः द जेण्डर डाइमेन्शन्स ऑफ इन्वायरनमेन्टल पॉलिसीज एण्ड प्रोग्राम्स* / वाशिंगटन, डी.सी. उपलब्ध हैः
http://www.prb.org/Template.cfm?Section=PRB&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=5473

रथजेबर, इवा, 2003। *ड्राई टैप्स.....जेण्डर एण्ड पावर्टी इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट* / फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनाईजेशन ऑफ द यूनाईटेड नेशन्स (एफ.ए.ओ.)। उपलब्ध हैः
http://www.fao.org/DOCREP/005/AC855E/AC855E00.HTM

यूनाईटेड नेशन्स इन्वायरनमेन्ट प्रोग्राम (यूनेप); 2004। *वीमेन एण्ड द इन्वायरनमेन्टः पॉलिसी सीरिज ब्रिफिंग* / डीईपी / 0527 / एनए, मई 2004 / 03–63959। उपलब्ध हैः
http://hq.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=468&ArticleID=4488&l=en

वैन इस्ट, डी. 1997: द चेन्जिंग यूज एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ द फ्लडप्लेन इन्वायरनमेन्ट बाय मॉसगोम वीमेन इन नार्थ कैमरून। इनः एम.डी.ब्रुजीन, आई. वैन हाल्सिमा एण्ड एच. वेन डेन होमबर्ग (ईडीएस), जेण्डर एण्ड लैण्ड यूज; डाईवर्सिटी इन इन्वायरनमेन्टल प्रेक्टिसेज। थेला पब्लिशर्श, एम्सटरडम, पृष्ठ संख्या 9–26।

वीमेन एण्ड डेवलेपमेन्ट कमीशन, 2004। *जेण्डर एण्ड इन्वायरनमेन्ट* / उपलब्ध हैः
http://www.dgcd.be/documents/fr/themes/gender/CFD%20300mmA-environnement%20FR.pdf (फ्रेंच)

अतिरिक्त संसाधन

ब्रडोट्आी, रोसी, चारकिविक्स, ईवा, हसलर, सबीन एण्ड सस्कीया वरेन्जा, 1994। *वीमेन द इन्वायरनमेन्ट एण्ड सस्टेनेबल डेवलेपमेन्टः टूवार्ड्स ए थ्योरिटिकल सिन्थेसिस* / लंदनः जेड बुक्स।

डन्केलमैन, आईरिन, 2003। *जेण्डर, इन्वायरनमेन्ट एण्ड सस्टेनेबल डेवलेपमेन्टः थ्योरिटिकल ट्रेन्ड्स, इमर्जिंग इश्यूज एण्ड चैलेन्जेज* / रिव्यू पेपर। सान्तो डोमिन्गोः इन्स्ट्रा।

एफ.ए.ओ., 2003। *द स्टेट ऑफ फूड इन्सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड* / उपलब्ध हैः
http://www.fao.org/docrep/006/j0083e/j0083e00.htm

आई.यू.सी.एन., 2003। *मैक्जिमाईजिंग कंजरवेशन इन प्रोटेक्टेड एरियाजः गाइडलाइन्स फॉर जेण्डर कन्सीडरेशन* / आई.यू.सी.एन. सैन जोस एण्ड पापुलेशन रिफरेन्स ब्यूरो, वाशिंगटन, डी.सी.।

लिन, कारोल यॉन्ग ओई, 2001। ''जेण्डर इम्पैक्ट ऑफ रिसेटेलमेन्टः द केस ऑफ बाबागोन डैम इन सबाह, मलेशिया,'' *जेण्डर, टेक्नोलॉजी एण्ड डेवलपमेन्ट, 5(2), पृष्ठ 223–244* /

इस अध्ययन में पुरूषों की तुलना में महिलाओं पर परिवर्तनों से कहीं ज्यादा प्रभाव होते हैं, दर्शाया गया है। यह अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि देशज समुदायों को पुर्नवास प्रयासों में शामिल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस पर मलेशिया के एक देशज समुदाय का उदाहरण दिया गया है।

माथई, डब्ल्यू, 2004। *द ग्रीन बेल्ट मूवमेन्ट* / *उपलब्ध है:*
http://www.lanternbooks.com/detail.html?id=159056040X

नीरेनबर्ग, डैनियल, 2002। *करेक्टिंग जेण्डर मायोपियाः जेण्डर इक्विटी, वीमेन्स वेलफेयर एण्ड द इन्वायनमेन्ट* / वर्ल्डवाच पेपर 161, वांशिंगटन, डी.सी., वर्ल्डवाच इन्स्टीच्यूट।

रोचेल्यू, डी., थॉमस–स्लेटर, बी. एण्ड डी. एडमुन्डस, 1995। ''जेन्डर्ड रिसोर्स मैपिंगः फोकसिंग ऑन वीमेन्स स्पेसेज इन द लैण्डस्केप,'' *कल्चरल सरवाईवल क्वार्टर्ली,* 18 (4) पृष्ठ संख्या 62–8।

यूनेप, 2000। *सक्सेज स्टोरिजः जेण्डर एण्ड द इन्वायरनमेन्ट* / नैरोबीः यूनाईटेड नेशन्स इन्वायरनमेन्ट प्रोग्राम।

यूनेप, 2004। *रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल वीमेन्स एसेम्बली ऑन इन्वायरनमेन्ट* / फर्स्ट मीटिंग, यूनाईटेड नेशन्स इन्वायरनमेन्ट प्रोग्राम, यूनेप / डीपीडीएल / वेब / 1. नैरोबीः यूनाईटेड नेशन्स इन्वायरनमेन्ट प्रोग्राम।

डब्ल्यू.ई.डी.ओ., 2003। *अनटैप्ड कनेक्शन्स* / *जेण्डर, वॉटर एण्ड पावर्टी* / न्यूयार्कः डब्ल्यू.ई.डी.ओ.। उपलब्ध है: http://www.wedo.org/files/untapped_eng.pdf
डब्ल्यू.ई.डी.ओ., 2003। *कॉमन ग्राउण्डः वीमेन्स एक्सेज टू नेचुरल रिसोर्सेज एण्ड द यूनाईटेड नेशन्स मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल्स* / न्यूयार्कः डब्ल्यू.ई.डी.ओ.।

झोअु, वी वेन, 1996। ''वॉटर रिर्सोसेज एण्ड डेवलेपमेन्ट ऑफ वीमेन इन एरीड रीजन्स इन नार्दन चाइना'', *नेचुरल रिसोर्सेज फोरम,* 20 (2) पृष्ठ संख्या 105–109।

चीन के शुष्क क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही कठिन परिस्थितियों का वर्णन इस प्रपत्र में दिया गया है। इसमें महिलाओं की शुष्क क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार व गरीबी उन्मूलन में प्रमुख भूमिका पर जानकारी दी गयी है।

उपलब्ध है (वेगेननिन्गेन लाइब्रेरी यू.आर.एल.)।
http://sfx.library.wur.nl:9003/sfx_local?sid=SP:CABI&id=pmid:&id=&issn=01650203&isbn=&volume=20&issue=2&spage=105&pages=105109&date=1996&title=Natural%20Resources%20Forum&atitle=Water%20resources%20and%20development%20of%20women%20in%20arid%20regions%20in%20northern%20China%2e&aulast=Brewster&pid=%3CAN%3E19971804058%3C%2FAN%3E%3CAU%3EZhou%20WeiWen%3bBrewster%2c%20M%3C%2FAU%3E%3CDT%3EJournal%20article%3C%2FDT%3E

पंगारे, वसुधा लोकुर। जेण्डर इश्यूज इन वॉटरशेड डेवलेपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट इन इण्डिया। नेटवर्क पेपर 88। एग्रेन। ओ.डी.आई. एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड एक्सटेन्शन नेटवर्क। जुलाई 1998।

बरूआह, बिपाशा। द नर्मदा वैली प्रोटेक्टः डिस्प्लेसमेन्ट ऑफ लोकल पापुलेशन्स एण्ड इम्पैक्ट ऑन वीमेन, नेचुरल रिसोर्सेज फोरम 23 (1999): 81–84।

कृष्ण कुमार आशा, 2003। *द स्टेट एण्ड वॉटर राइट, फ्रन्टलाइन जेण्डर इश्यूज वाल्यूम 20 इश्यू 20 सितम्बर 27–अक्टूबर 10* / उपलब्ध है:
http://www.flonnet.com/fl2020/stories/20031010000807800.htm

भारत में सन् 1947 में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता 5000 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष थी जो 2002 में घटकर लगभग 2000 क्यूबिक मीटर हो गयी है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक यह घटकर 1500 क्यूबिक मीटर हो जायेगी। आज भारत जल की कमी की समस्या का सामना कर रहा है। दूसरी ओर जहां सरकार पहले सामाजिक संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम करती थी वहीं आज संचालक की भूमिका निभा रही है। डॉ0 सारा अहमद महिलाओं को केन्द्र में रखते हुए कहती हैं कि जल नीति में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को कभी भी शामिल नहीं किया गया है। अधिकतर महिलाओं और समुदायों को एक ही स्तर पर देखा जाता है जिसकी वजह से महिलाओं की आवश्यकताओं और उनके अधिकारों का हनन होता है। इस प्रपत्र में इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है।

कपूर अदिती, अक्टूबर 16, 2000। व्हाट् जेण्डर, वॉटर? बिजनेस लाइन, फायनेन्सियल डेली, फ्रॉम द हिन्दु ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। उपलब्ध है:
http://hinduonnet.com/businessline/2000/10/16/stories/101674m3.htm

दस साल पहले राजस्थान के जाम कुनेरिया गांव में एक संस्था की पहल द्वारा ग्रामीण स्तर पर जलागम का निर्माण होना था। परन्तु गाव वालों ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके पीछे का एक प्रमुख कारण यह था कि इस परियोजना में महिलायें पूर्ण रूप से सहभाग कर रही थीं। उनका कहना था कि यदि महिलाओं की इसमें सहभागिता हुई तो वे इसमें कोई सहयोग नहीं करेंगी। परन्तु आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज महिला और पुरूष साथ में मिलकर गांव में एक चेक बांध का निर्माण कर रहे हैं। वर्ष 1995–96 में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय का यह निर्देश आया कि सभी जलागम परियोजनाओं में महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए परन्तु कई गांवों में इसका विरोध हुआ है और इसका पालन नहीं किया गया। कई संस्थायें इस मुद्दे को लेकर काम करते हुए असफल हुईं। कच्छ महिला विकास संस्थान को इसमें सफलता मिली। इस प्रपत्र में इसी संस्थान की कार्यशैली का उल्लेख किया गया है।

लायला मेहता, बीना श्रीनिवासन, 2000। बैलेन्सिंग पेन्स एण्ड गेन्स। अ पर्सपेक्टिव पेपर्स ऑन जेण्डर एण्ड लार्ज डैम्स, वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स सेक्रेट्रिएट, दक्षिण अफ्रीका। उपलब्ध है:
http://scholar.google.co.in/scholar?q=research+on+gender+and+water+by+TISS&hl=en&um=1&ie=UTF-8&oi=scholart

मेहता, एल., 1997। वॉटर, डिफरेन्स एण्ड पॉवर: कच्छ एण्ड द सरदार सरोवर (नर्मदा) प्रोजेक्ट। इन वर्किंग पेपर इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेन्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स (यू.के.) नं.54, पृष्ठ संख्या 31। उपलब्ध है: http://www.ntd.co.uk/idsbookshop/details.asp?id=369

स्टैनबरी पी. 1992। वीमेन एण्ड वॉटर इफेक्ट ऑफ इरिगेशन डेवलेपमेन्ट इन ए नार्थ इण्डियन विलेज। इन डव, एम.आर.; कारपेन्टर, सी. संस्करण, सोशियोलॉजी ऑफ नेचुरल रिर्सोसेज इन पाकिस्तान एण्ड एडज्वायनिंग कन्ट्रीज, लाहौर, पाकिस्तान: वैन गार्ड बुक्स। पृष्ठ संख्या 372–399।

ब्रून्स, बी.आर. एवं आर.एस. मिनजेन–डिक (संस्करण), 2000। निगोशिएटिंग वॉटर राइट्स, नई दिल्ली, विस्तार पब्लिशर्स।

हम यह जानते हैं कि जल ही जीवन है। खेती, जीवन और पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही जल संसाधलनों पर निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण व कृषि के लिए जल की बढ़ती मांग के कारण जल की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। राज्यों में, देशों में जल की कमी की समस्या को लेकर तनाव भी बढ़ता जा रहा है। जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह प्रपत्र कुछ ऐसी ही नीतियों का विश्लेषण करता है तथा कुछ केस स्टडी के द्वारा इन नीतियों में जो कमियां रह गयी हैं उन्हें बताता है।

शिवा, बंदना 1985। ''व्हेयर हैज ऑल द वॉटर गॉन? द केस ऑफ वॉटर एण्ड फेमिनिजम इन इण्डिया''। इन *वीमेन एण्ड द इन्वायरनमेन्टल क्राइसिज* फोरम 85; अ रिपोर्ट ऑफ द प्रोसिडिंग्स ऑफ द वर्कशॉप ऑन वॉटर, इन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवेलपमेन्ट, जुलाई 10–20, 1995, नैरोबी, केन्या, इन्वायरनमेन्ट लायजन सेन्टर।

लायला मेहता, 2005, द पॉलिटिक्स एण्ड पॉयटिक्स ऑफ वॉटर: द नेचुरलाईजेशन ऑफ स्केयरसिटी इन वेस्टर्न इण्डिया/लायला मेहता–नई दिल्ली: ओरिएण्ट लॉन्गमैन। उपलब्ध है:

http://books.google.co.in/books?id=GwgujkjzZkC&pg=PA119&dq=gender+and+water+issues+in+India&Ir=

21वीं सदी में जल की कमी की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। परन्तु क्या हमने कभी सोचा है कि यह प्राकृतिक संसाधन किस कारण कम होता जा रहा है। इसमें पश्चिम भारत में जल की कमी से संबंधित समस्याओं के कुछ केस स्टडीज को लेकर जल की कमी को समझने का प्रयास किया गया है।

रजनी मनि, मई 2004। रूरल वॉटर, पिपुल फर्स्ट। उपलब्ध है:
http://www.indiatogether.org/2004/may/env-rurwater.htm

इस प्रपत्र में महाराष्ट्र में रालेगांव से लेकर पनौली तक जलागम विकास परियोजना के निर्माण से संबंधित सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इन सभी स्थानों पर जलागम परियोजना को सुचारू रूप से चलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

ब्रेट ओ बैनन, 1994। द नर्मदा रीवर प्रोजेक्ट; टूवार्ड्स द फेमिनिस्ट मॉडल ऑफ वीमेन इन डेवेलपमेन्ट, पॉलिसी साईन्सेज, वाल्यूम 27, संख्या 2/3, फेमिनिज्म एण्ड पब्लिक पॉलिसी। पृष्ठ संख्या 247–267। उपलब्ध है: http://www.jstor.org/stable/4532317

इस प्रपत्र में वृहद् विकासशील परियोजनाओं के कारण महिलाओं पर होने वाले परिणामों का कई प्रारूपों जैसे उदार एकीकरण प्रारूप, सीमान्त प्रारूप, पूंजीवादी प्रारूप और सामाजिक प्रारूप के लाभों की तुलना करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर परियोजना को केस स्टडी के रूप में लेकर इन सभी प्रारूपों के निष्कर्षों या परिणामों को प्रस्तुत किया गया है तथा तीसरे विश्व एवं विकासशील नीतियों में इन परियोजनाओं को जेण्डर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की गयी है।

सिंह नंदिता, जेण्डर कन्सर्न इन वॉटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्ट रिथिंकिंग जेण्डर इनिसिएटिव्स इन इण्डिया। उपलब्ध है: http://www.sasnet.lu.se/EASASpapers/16NanditaSingh.pdf

यह प्रपत्र भारत में जलसंसाधनों के प्रबंधन और सरकार के तरफ से लिये गये जेण्डर आधारित पहलों का बेहतर ढंग से विश्लेषण करता है। प्रपत्र के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे भारतीय महिलाओं को पहले सिर्फ लाभदायक समूहों के रूप में देखा जाता था और किस प्रकार के परिवर्तन हुए जिससे अब महिलाओं को जल संरक्षक संबंधी कार्यों के लिए प्रमुख कर्ता के रूप में पहचान मिली।

यूथ फॉर एक्शन (वाई.एफ.ए.) अक्टूबर 2000, सस्टेनिंग लाइवलीहुड थ्रू वॉटरशेड इनिसिएटिव्सः अ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम हैदराबाद। उपलब्ध है: http://www.dainet.org/sdnp/success.htm

यह आन्ध्रप्रदेश के महबूबनगर जिले की एक कहानी है जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जिसके कारण किसानों को खेती करने में परेशानी होती थी। वाई.एफ.ए. ने वहां की महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया और जलागम की व्यवस्था से जुड़े पहलों की शुरूआत हुई। कई महिलाओं ने इस कार्य में हिस्सा लिया और उनके इस अथक प्रयास की वजह से वहां पानी की समस्या का निदान हो सका। अब किसान अच्छी फसल उगा रहे हैं।

राव, बी., 1996। ड्राई वेल्स एण्ड डिजर्टेड वीमेनः जेण्डर, इकोलॉजी एण्ड एजेन्सी इन रूरल इण्डिया, इण्डियन सोशल इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली।

अग्रवाल, बीना, 1992, द जेण्डर एण्ड इन्वायरनमेन्ट डिबेटः लेशन्स फ्रॉम इण्डियन फेमिनिस्ट स्टडीज, वाल्यूम 18, नं. 1 (स्प्रीन्ग 1992), पृष्ठ संख्या 119–158। उपलब्ध है:
http://www.jstor.org/stable/3178217

इस प्रपत्र में भारत के गांव में रहने वाली महिलाओं पर पर्यावरण क्षरण के कारण हो रही कठिनाईयों को व्यक्त किया गया है। इसमें लिखा गया है कि यह प्रक्रिया जेण्डर आधारित तरीके से होती है। इस प्रपत्र में यह भी लिखा गया है कि ये महिलायें जहां एक ओर इससे प्रभावित हो रही हैं वहीं दूसरी ओर ये महिलायें पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेती हैं तथा इन आंदोलनों में एक जेण्डर दृष्टिकोण का भी निर्माण करती हैं। इस प्रपत्र में यह बताया गया है कि महिलायें किस प्रकार पर्यावरण में शोषित की जाती हैं और कैसे यही महिलायें पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी करती हैं।

शर्मा, कुमुद, 1994। जेण्डर इन्वायरनमेन्ट एण्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट। इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली, वाल्यूम 29, नं0 18 (अप्रैल 30, 1994) पृष्ठ संख्या डब्ल्यू.एस. 5–डब्ल्यू.एस. 11।
उपलब्ध है: http://www.jstor.org/stable/4401131

डेविड मोजे, 2003। द रूल ऑफ वॉटरः स्टेट क्राफ्ट, इकोलॉजी एण्ड कलेक्टिव एक्शन इन साउथ इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
उपलब्ध हैः http://www.conservationandsociety.org/c_s_2_1-brev-2.pdf

प्रमुख वेबसाइटें

यनीफेम के टिकाऊ विकास के अनुभव– टिकाऊ विकास में महिलाओं के योगदान को विभिन्न संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों व शिखर सम्मेलनों में माना गया है जहां पर्यावरणीय प्रबंधन में जेण्डर परिप्रेक्ष्य स्पष्टतया जोड़ा गया है। http://www.unifem.org/

'जेण्डर एवं पर्यावरण' http://www.genderandenvironment.org/ आई.यू.सी.एन. का शोध दस्तावेजीकरण व अनुभवों के आदान प्रदान हेतु समर्पित शिक्षण समुदाय है जो पर्यावरणीय प्रबंधन पहल में जेण्डर समानता के परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करता है।

डब्ल्यू.ई.डी.ओ. http://wedo.org/ पक्ष समर्थन पर कार्यरत एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान है जो सभी स्तरों पर नीतिनिर्माताओं की शक्ति में वृद्धि करना चाहता है जिससे आर्थिक व सामाजिक न्याय, स्वस्थ्य व शान्तिपूर्ण ग्रह तथा सभी के लिए मानवाधिकार प्राप्त किया जा सके।

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी हैंः

ब्राजीलः महिला नेतृत्व को विशेष बढ़ावा
ग्वाटेमालाः''एल नारंजो'' के नदी जलागम संगठन में महिलाओं और पुरूषों की जल आवश्यकताओं की प्राप्ति

3.9 जेण्डर और मत्स्य उद्योग

परिचय

विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका और संसाधन प्रबंधन में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को काफी पहले से स्वीकारा जा चुका है, परन्तु इनके इस योगदान को पुरुषों के योगदान की तुलना में कम आंका गया है। मत्स्य उद्योग में, महिलायें पारंपरिक रूप से समुद्री खाद्य उत्पादों के पूर्व और बाद की उपज प्रक्रिया तथा पकड़ी गयी मछलियों के विपणन में शामिल रहती हैं।

महिलाएं और पुरुष मत्स्य उद्योग से जुड़ी अन्य पूरक गतिविधियों में भी व्यस्त रहते हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में, उपतट और गहरे समुद्री जल में मछली पकड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली बड़ी नावों में पुरुष होते हैं, जबकि महिलायें इसके लिए छोटी नावों का इस्तेमाल करती हैं। कई महिलायें अल्पविकसित उपकरण के साथ मछली पकड़ने की गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं और शंखमीन तथा समुद्री शैवालों को एकत्र करते हुए समुद्रतट पर काफी मेहनत करती हैं। समुदाय में महिलायें मुख्यतः तट पर होने वाली दक्ष और समय उपभोगी कार्यों, जाल बनाने और उसकी मरम्मत, पकड़ी गई मछलियों का प्रसंस्करण और उसका विपणन इत्यादि शामिल है, को संपादित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं।

मत्स्य उद्योग से जुड़े जेण्डर पहलू

कई देशों में, ज्यादातर ग्रामीण महिलायें अपने आस–पास के क्षेत्रों में मछली पकड़ने में व्यस्त रहती हैं। अफ्रीका में वे नदियों और तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य करती हैं। एशिया में, जहाँ मछली और समुद्री भोजन कई संस्कृतियों के आहार का अभिन्न अंग है, महिलायें तट संबंधी कारीगरी और वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग दोनों क्षेत्रों में क्रियाशील रहती हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में महिलायें बैकवॉटर में झींगा मछलियों को पकड़ती हैं। थाइलैंड और लाओस में वे नहरों से मछलियाँ पकड़ती हैं। फिलीपिंस में, महिलायें समुद्रतटीय झीलों में नौकाओं की मदद से मछलियाँ पकड़ती हैं। जल संवर्धन (एक्वाकल्चर) पद्धति में तेजी से आई संवृद्धि में महिलाओं की मुख्य भूमिका को स्वीकार किया गया है। वे प्रायः मछली और शंखमीन को भोजन देने और इन्हे संचयित करने के साथ–साथ पकड़ी गयी मछलियों के प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों को करती हैं। लिसोथो और अन्य दक्षिणी अफ्रीकी देशों में महिलाओं ने एफ.ए.ओ. द्वारा संचालित एक्वाकल्चर फॉर लोकल कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लिया और लघु घरेलू तालाबों की प्रबंधक बनीं। इन तालाबों में पैदा की गयी मछलियों को या तो परिवार द्वारा स्वयं उपयोग में लाया जाता है या अन्य भोज्य पदार्थों को खरीदने के लिए बेच दिया जाता है। प्रायः समुद्र के किनारे महिलायें और बच्चे शंखमीनों को इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार की आमदनी तथा पोषण को बढ़ाते हैं (एफ.ए.ओ., 2004)।

कई क्षेत्रों में, महिलायें महत्वपूर्ण मत्स्य उद्यमी बन गयी हैं। उदाहरणतः यूरोपीय संघ में मत्स्य उद्योग के 39 प्रतिशत हिस्से पर महिलाओं का नियंत्रण है और वे इसको संचालित करती हैं तथा धनराशि पर भी नियंत्रण रखती हैं। इस प्रकार से वे अपने घर और समुदाय के लिए पर्याप्त आय अर्जित करती हैं (ऐग्यूलर, 2002)। इस प्रकार, महिलायें धन कमाती हैं, धनराशि को संचालित और उस पर नियंत्रण रखती हैं, विविध प्रकार के मत्स्य–आधारित उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और अपने घर के साथ–साथ समुदाय के लिए भी पर्याप्त आय अर्जित करती हैं।

जेण्डर और मत्स्य उद्योग से जुड़े मुख्य मुद्दे

मत्स्य उद्योग में महिलाओं की भूमिका पर बहुत कम ही दस्तावेज मौजूद हैं जिसके कई कारक हैं। प्रथम, आज भी राष्ट्रीय नीति कार्यसूचियों में उत्पादन लक्ष्य ही प्रभावी रहते हैं। अतः इस क्षेत्र से संबंधित शोध का पूरा ध्यान, प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्र (महिला प्रभावी) के बजाय मछली पकड़ने के क्षेत्र (पुरुष प्रभावी) पर ही केंद्रित रहता है। द्वितीय, प्रायः शोध प्रायः जेण्डर संबंधी भेद–भाव पर आधारित होता है इसलिए इससे आजीविका की व्यापक तस्वीर स्पष्ट नहीं होती है। यह शोध ऐसे शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, जो प्रायः सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं के साक्षात्कारों और चर्चाओं को शामिल नहीं

कर पाता है या शायद वे ऐसा मानते हैं कि बात करने के लिए परिवार का पुरुष सदस्य ही सही व्यक्ति होता है। तृतीय, राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य उद्योग के आँकड़ों को प्रायः कृषि क्षेत्र के साथ संकलित किया जाता है और जिसमें कोई भी लिंग संबंधी महिलाओं एवं पुरुषों के अलग–अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं है, और इसी कारण मत्स्य उद्योग क्षेत्र और विशेष रूप से जेण्डर से संबंधित जानकारियों को अलग कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।

मत्स्य उद्योग क्षेत्र में कार्य के जेण्डर विभाजन का आशय यह है कि महिलायें प्रमुखतः निचले जल क्षेत्रों की गतिविधियों (जिसमें पूर्व–वित्तीय मछली पकड़ने की गतिविधियाँ भी शामिल हैं) के लिए उत्तरदायी होती हैं, परन्तु वे मछली पकड़ने जैसी मुख्य गतिविधि में बहुत कम ही शामिल होती हैं। फिर भी, मछली पकड़ने की गतिविधियों में आई गिरावट और मछुआरा समुदाय की खराब होती आर्थिक दशा के कारण मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल महिलाएं प्रभावित हो रही हैं।

संसाधन तक सीधी पहुँच की समस्या काफी जटिल होती है। महिलाओं को मछली पकड़ने से रोकने का कोई वास्तविक सांस्कृतिक कारण नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि कठिन शारीरिक गतिविधि को केवल पुरुषों के उपयुक्त ही समझा जाता है। महिलाओं के लिए दिन के समय मछली पकड़ने वाले जलपोतों पर उपस्थित पुरुषों के साथ होना असुविधाजनक भी हो सकता है। महिलाओं को कुछ तटवर्ती मत्स्य–उद्योगों या तालाबों पर उदाहरणतः साओ टोम, गाम्बिया और सेनेगल, में काम करते देखा जा सकता है। हांलाकि जब महिलायें नौकाओं की प्रमुख होती हैं, प्रतिकूल जलवायु के दौरान मछलियों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए पुरुषों को मछली पकड़ने के लिए नियुक्त कर सकती हैं। परन्तु इससे एक अन्य समस्या उत्पन्न हो जाती है, जब पुरुष अपने द्वारा पकड़ी गयी मछलियों को दूसरे समुद्रतटों पर उतारकर या अन्य स्थानों पर छोड़कर, उन्हें ठगने का प्रयास करते हैं। गाम्बिया में तांजी समुदाय और नाइजीरिया में इपाटा–जेबा समुदाय के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि महिलाओं ने पूर्वनिर्दिष्ट बिंदुओं पर मछली उतारने के लिए पुरुषों पर दबाव डालने के लिए घाट की अपनी आवश्यकता के लिए आवाज उठायी है (होरेमंस और जैलो, 1997)।

बेन्नेट एवं अन्य (2004) ने ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार से संबंधित जेण्डर भेद–भाव के बारे में लिखा है जहाँ महिलायें पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कमाती हैं। ये महिलाएं प्रायः अपने संसाधनों को मत्स्य–उद्योग के क्षेत्र में पुर्ननिवेश करती हैं कि यह उद्योग उनके लिए एक पारिवारिक धरोहर है बल्कि इस आशा से करती हैं कि उन्हें मछली पकड़ने की गतिविधि में प्रथम प्राप्तकर्ता भी समझा जाय। इसके बावजूद अनुभव यह दर्शाता है कि महिलायें हमेशा से ही स्वयं को पराजय की स्थिति में पाती हैं क्योंकि उनके पास नियंत्रण और निर्णय लेने की शक्ति का अभाव होता है।

शोधकर्ताओं ने (बेन्नेट एवं अन्य, 2004) यह स्वीकार किया है कि इन संसाधनों के प्रबंधन के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता भी एक समस्या है। हांलाकि, महिलाओं की जल क्षेत्र संबंधी गतिविधियां इन संसाधनों पर ही निर्भर करती हैं फिर भी महिलाओं की पहुँच प्रबंधन की प्रक्रिया तक बहुत कम ही रहती है। वास्तव में, यह स्वीकार किया गया कि महिलायें मत्स्य उद्योग प्रबंधन के औपचारिक संस्थानों या स्थानीय ग्रामसभाओं, जो कि मत्स्य–उद्योग संसाधनों को प्रबंधित करती है, का बहुत कम ही प्रतिनिधित्व करती हैं। नाइजर के केस में पुरुषों और महिलाओं के बीच जेण्डर समानता को लागू करने संबंधी परियोजना का अनुसरण करते हुए, दो महिलायें गाँव के वयस्कों की सभा में अंततः शामिल कर ली गयीं। इससे स्पष्ट हुआ कि शक्ति ढाँचों और सूचनाओं तक पहुँच की तुलना में संसाधन और वित्तीय पूँजी तक लोगों की पहुँच को दूसरे स्थान पर रखा गया है। परिणामस्वरूप यह उन व्यक्तियों, जो बाजार और वाणिज्य–आधारित गतिविधियों में व्यस्त हैं, के लिए बहुत शक्तिशाली साधन हो सकता है। सेनेगल में, मछुआरा समुदाय की कई महिलायें पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में नजर आती हैं। वे प्रायः स्वयं की पूँजी और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखती हैं और पुरुष उनके यहाँ नौकरी करते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब महिलायें अपनी शक्तियों का उपयोग लाभदायक तरीके से करती हैं तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य उद्योग प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने संबंधी वास्तविक शक्ति ढाँचों तक उनकी पहुँच हो जाती है।

मत्स्य–उद्योग क्षेत्र में जेण्डर अनुकूल उपाय

वर्ष 1975 में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक (इण्टरनेशनल डिकेड फॉर विमेन) की शुरूआत से ही महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और पुरुषों तथा महिलाओं के बीच के असंतुलन को ठीक करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे जुड़े कार्य निम्नलिखित पर आधारित हैं:

- औपचारिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता कक्षायें, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं को उपलब्ध कराना;
- बच्चों की देखभाल, स्वच्छता और पोषण संबंधी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना;
- महिलाओं के कार्य संबंधी बोझ को कम करके उनकी कार्य–क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और विधियों को प्रस्तुत करना;
- ज्यादा आय सृजन करने वाली गतिविधियों और ऋण तक लोगों की पहुँच के लिए अवसरों को विकसित करना; और
- महिलाओं को, सामुदायिक गतिविधियों, निर्णय लेने और परियोजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करना।

इस प्रकार की सहयोगात्मक गतिविधियों को, मछुआरा समुदाय की महिलाओं के लिए मछली पकड़ने से जुड़ी परियोजनाओं हेतु निर्दिष्ट की जा रही हैं। मत्स्य–उद्योग परियोजनाओं ने महिलाओं के विकास और उनमें नेतृत्व की भावना लाने के साथ–साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी साझेदारी को भी बढ़ाया है जोकि उनके भविष्य और उनके समुदाय को प्रभावित करता है।

बुनियादी ढाँचे में सुधार

महिलाओं के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी और सुविधाओं में सुधार हेतु कुछ सहायता प्रदान की गयी है। कई अफ्रीकी देशों में सड़क और बाजार बुनियादी ढाँचे में सुधार से महिलाओं पर उनके मत्स्य–संबंधी उत्पादों के विपणन और वितरण में, पड़ने वाला दबाव कम हुआ है। कुछ बुनियादी ढाँचों का विकास विशेषकर महिलाओं को ही ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन सब सुधारों के फलस्वरूप यात्रा में लगने वाले समय के साथ–साथ कार्य–संपादन की अवधि भी कम हुई है, जिससे न केवल उनके गतिविधियों के संचालन से संबंधित क्षमता में वृद्धि हुई है बल्कि इससे उनको अपने परिवार की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिला है। कार्यक्षमता में वृद्धि से उनकी आमदनी बढ़ी है जो कि मुख्य रूप से खाद्य और अन्य घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च होता है। घरेलू, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी और वित्तीय समर्थन आवश्यक है। शोध, विस्तार और प्रशिक्षण, बैंकिंग सेवाओं या ऋण सुविधाओं द्वारा यह समर्थन दिया जा सकता है।

प्रबंधन पहल

मछुआरा समुदाय की महिलाओं को मत्स्य उद्योग क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल करने का दूसरा तरीका यह है कि विशेष रूप से मछली पकड़ने के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किये जाने वाली प्रबंधन पहल को इसमें शामिल किया जाए। उदाहरणतः समुद्र के किनारे मैंग्रूव वनस्पति क्षेत्रों, रेतीली भूमियों और तालों के प्रबंधन रणनीतियों में महिलाओं की मदद, यह पता लगाने में की जा सकती है कि कौन–कौन सी प्रजातियाँ वहाँ पर उपलब्ध हैं, कौन से परिवर्तन उनको प्रभावित करते हैं तथा इन समस्याओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार से वे ज्ञात समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करके उसके समाधान में योगदान प्रदान करने के योग्य होंगी।

नेटवर्किंग

महिलायें समुदाय प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क में सक्रिय रूप से भाग भी ले सकती हैं। इन मंचों का प्रयोग करके वे क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं और सीखे गये अनुभवों को बांट भी सकती हैं।

शोध

शोध के वे क्षेत्र जो मत्स्य–उद्योग क्षेत्र में जेण्डर संतुलन को सुधारने के लिए योगदान देते हैं, निम्नलिखित हैं:

- देश की आवश्यकताओं विशेषकर मत्स्य–उद्योग प्रबंधन के जेण्डर पहलुओं से संबंधित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में;
- मत्स्य–उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, संस्थान और दक्षता का अभिलेखीकरण;
- प्रचलित प्रबंधन व्यवस्थाओं एवं ये किस प्रकार परिवर्तित या रूपांतरित हुई हैं का मूल्यांकन और अभिलेखीकरण;
- ग्रामीण समुद्रतटीय समुदायों में मछली पकड़ने की प्रवृत्ति और उपभोग के तरीके;
- पूर्व में क्रियान्वित प्रबंधन परियोजनाओं से सफल सूचकों का विकास;
- स्थानीय स्तर पर लक्ष्यित प्रजातियों और उनके वितरण से संबंधित तरीकों की सूची; और
- उन घटकों का मूल्यांकन जो कि मछली की प्रचुरता और वितरण तथा ज्ञात समस्याओं को संबोधित करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं।

संदर्भः

एग्यूलर, एल, 2002। *फिशरिज एण्ड एक्वाकल्चर इन कोस्टल जोन्सः जेण्डर मेक्स द डिफरेन्स*। जिनेवाः आई.यू.सी.एन. ब्रिफिंग नोट्स।

एफ.ए.ओ., 2004: जेण्डर एण्ड फूड सिक्योरिटी। फिशरीज। उपलब्ध हैः http://www.fao.org/Gender/en/fish-e.htm

होरेमैन्स, बी. डब्ल्यू, एण्ड, ए. एम. जैलो (ईडीएस), 1997। *रिपोर्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑन जेण्डर रोल्स एण्ड इश्यूज इन आर्टिजिनल फिशरीज इन वेस्ट अफ्रीका, दिसम्बर 11–13, 1996, लोमे*। काटोनूः प्रोग्राम फॉर द इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेन्ट ऑफ आर्टिनिजल फिशरीज इन वेस्ट अफ्रीका। IDAF/WP/97.उपलब्ध है: http://www.fao.org/DOCREP/x0205e/x0205e00.htm

वितायकी, ज्वायली एण्ड आईरिन न्वायजेक, 2003। फिलिंग द गैप्सः इण्डिजिनस रिसर्चस, सब्सिस्टेन्स फिशरीज एण्ड जेण्डर एनॉलिसिस, एस.पी.सी. विमेन इन फिशरीज इनफॉरमेशन, बुलेटिन #13, उपलब्ध है: http://www.spc.int/coastfish/News/WIF/WIF13/Veitayaki.pdf

बेन्नेट, एलिसाबेथ। वैलेट, हेलिन रे माइगा, कॉसोम याकूबा एण्ड मॉडेस्टा मैडार्ड, 2004। *रूम टू मैन्यूवरः जेण्डर एण्ड कोपिंग स्ट्रेटजिज इन द फिशरीज सेक्टर*। उपलब्ध हैः http://www.onefish.org/servlet/BinaryDownloaderServlet?filename=1114519604671_Englishversion_report.doc&refID=247648

अतिरिक्त संसाधनः

आरमेन्जा मन्दन्दा, 2003। *कर्मशियलाईजेशन एण्ड जेण्डर रोल्स एमन्ग लेक विक्टोरिया शोर फिशिंग कम्यूनिटीज ऑफ युगाण्डा*। डिर्पाटमेन्ट ऑफ विमेन एण्ड जेण्डर स्टडीज मकैरर यूनिर्वसिटी, कम्पाला युगाण्डा। उपलब्ध है http://www.wougnet.org/Documents/CommercialisationGenderRolesLakeVictoria.doc#_Toc59246071

होन्देकॉन, बी.आर., टेम्पलमैन, डी.ई. एण्ड ए.एम. आईजीएफ, 1990। *रिपोर्ट ऑफ राउण्ड टेबल मीटिंग ऑन विमेन्स एक्टिविटीज एण्ड कम्यूनिटी डेवलेपमेन्ट इन आर्टिजिनल फिशरीज* (प्रोजेक्ट) इन वेस्ट

अफ्रीका। आई.डी.ए.एफ. वर्किंग पेपर #30, काटोनू: इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेन्ट ऑफ आर्टिनिजल फिशरीज इन वेस्ट अफ्रीका।

आई.सी.एस.एफ., 1997। *विमेन फर्स्टः रिपोर्ट ऑफ द विमेन फिशरीज प्रोग्राम ऑफ आई.सी.एस.एफ. इन इण्डिया– वाल्यूम 1,* चेन्नईः इण्टरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशर वर्करस। (समुद्र डोशियर, विमेन इन फिशरीज सीरिज नं. 2)

रथजेबर, ईवा, 2003। *ड्राई टैप्स / जेण्डर एण्ड पावर्टी इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट /* फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनाईजेशन ऑफ द यूनाईटेड नेशन्स (एफ.ए.ओ.)। उपलब्ध हैः
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/AC855E/AC855E00.pdf

सातिया, बी.पी. एण्ड सी.जेड वेतोहाउसो, (ईडीएस) 1996। *रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन विमेन्स की रोल एण्ड इश्यूज रिलेटेड टू जेण्डर इन फिशिंग कम्यूनिटीज /* आई.डी.ए.एफ. वर्किंग पेपर # 79, काटोनू: प्रोग्राम फॉर द इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेन्ट ऑफ आर्टिनिजल फिशरीज इन वेस्ट अफ्रीका।

सियर, एस. वी. एण्ड एल. एम. कैनेबा, 1998। ''विमेन एण्ड द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबल डेवलेपमेन्ट इन ए फिलीपिन्स फिशिंग विलेज,'' *इण्टरनेशनल जरनल ऑफ सस्टेनेबल डेवलेपमेन्ट एण्ड वर्ल्ड इकोलॉजी,* 5(1), pp. 51-58.

टुअरे, आई, 1996। *स्टडी ऑन विमेन्स आर्गनाईजेशन्स इन ब्रुफत एण्ड गुन्जर कम्यूनिटीज एण्ड द फैक्टर्स दैट फेवर ऑर इम्पिड देयर सस्टेनेबिलिटी इन गाम्बिया /* आई.डी.ए.एफ. वर्किंग पेपर # 88, काटोनू: प्रोग्राम फॉर द इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेन्ट ऑफ आर्टिनिजल फिशरीज इन वेस्ट अफ्रीका।

प्रमुख वेबसाइटें

एफ.ए.ओ.– संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भूखमरी को समाप्त करने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए फूड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन का गठन किया। जेण्डर व भोजन सुरक्षा पर आधारित वेबपेज में विभिन्न विषयों जैसेः कृषि, श्रम का विभाजन, पर्यावरण, वानिकी, पोषण, मत्स्य उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं, आबादी व शिक्षा पर जानकारी दी गई है।
www.fao.org/Gender/

आई.सी.एस.एफ.–महिला कार्यक्रम– इण्टरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिश वर्करस (आई.सी. एस.एफ.) एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जो जेण्डर समानता, समता, आत्मनिर्भरता व टिकाऊ मत्स्य उद्योग की स्थापना का कार्य लघु स्तरीय कारीगरों के समूह के लिए कर रही है। आई.सी.एस.एफ. का अधिदेश वर्ष 1984 में रोम में हुए मत्स्य क्षेत्र के कारीगरों व सहयोगियों हेतु ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तैयार हुआ था जो कि एफ.ए.ओ. द्वारा मत्स्य प्रबंधन एवं विकास पर आयोजित विश्व सम्मेलन के साथ–साथ हो रहा था।
www.icsf.net

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी हैं:

- सेनेगलः मत्स्य संसाधनों व समुद्री पर्यावरणों हेतु समुदाय प्रबंधन के मॉडल में महिलाओं की भूमिका, कायर।
- तंजानियाः जेण्डर एवं स्वच्छ जलीय संसाधनों का संरक्षण।

3.10 जेण्डर और समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंधन

परिचय

टिकाऊ समुद्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन और संरक्षण के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच विभिन्नताओं तथा असमानताओं की स्पष्ट समझ आवश्यक है क्योंकि जलीय संसाधनों के आधार पर उनकी आवश्यकतायें और रुचियाँ प्रायः भिन्न–भिन्न होती हैं। इन संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण, इनसे मिलने वाले लाभ तथा इससे संबंधित निर्णयन प्रक्रिया जेण्डर द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

समुद्रतटीय क्षेत्रों से संबंधित जेण्डर समानता के मुद्दे

अन्य पर्यावरणों की तरह समुद्रतटीय पर्यावरण में महिलाओं एवं पुरुषों की विभिन्न उत्पादक, आर्थिक और सामाजिक भूमिकाओं के बावजूद भी ये दोनों अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संसाधनों के प्रयोग के तरीके, भूमि, प्राकृतिक संसाधनों, उपकरणों, श्रम, पूँजी, वाह्य आमदनी और शिक्षा तथा महिलाओं व पुरुषों का इन संसाधनों पर नियंत्रण आदि में काफी विभिन्नताएँ हैं (ऐनोन, 1998 में वान इंजेन एवं अन्य, 2002)।

समुद्रतटीय क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच सबसे ज्यादा देखे गये कार्यों की विभिन्नताओं में मत्स्य–उद्योग काफी अलग है। अध्ययन से पता चलता है कि पुरुष उपतट या मुख्य नजदीकी जल निकायों में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलायें समुद्रतट के नजदीक मछलियाँ पकड़ती हैं। महिलायें मत्स्य पालन से संबंधित बाद की गतिविधियों विशेषकर लघु–स्तरीय मत्स्य उद्योग में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय होती हैं। ये विभिन्नताएँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि महिलाओं के कार्यों को प्रायः आर्थिक विश्लेषणों में नहीं गिना जाता है या उन्हें (उदाहरणतः प्रौद्योगिकी मदद, ऋण या प्रशिक्षण के संदर्भ में) प्राप्त नहीं है। पुरुषो की अपेक्षा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को श्रेणीबद्ध करना कठिन हो सकता है। महिलायें एक साथ कई गतिविधियाँ करती हैं (उदाहरणार्थ सब्जी उद्यानों या मत्स्य–प्रसंस्करण के साथ संयुक्त जलसंवर्धन), जबकि पुरुषों के कार्य प्रायः एक प्रकार अंतर्संबंधी गतिविधियों पर केंद्रित होता है।

समुद्रतटीय क्षेत्रों में स्थित भूमि और जल संसाधनों पर महिलाओं और पुरुषों की पहुँच और नियंत्रण भिन्न–भिन्न होती हैं। आजीवन और वैधानिक अधिकारों या पारंपरिक और औपचारिक पट्टेदारी से संबंधित अधिकारों के लिए उनके बीच संघर्ष भी हो सकता है। महिलायें प्रायः भूमि पर अपना स्वामित्व रखने के बजाय परिवार के पुरुष सदस्यों (पति, पिता या भाई) को प्राथमिकता देती हैं। पट्टेदारी अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनको प्रभावित करता है जो भूउपयोग के बारे में औपचारिक निर्णय ले सकते हैं, विकास योजनाओं पर परामर्श देते हैं और जो अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे ऋण और विस्तार सेवाओं तक पहुँच रखते हैं।

प्रायः समुद्रतटीय क्षेत्र के प्रबंधन से संबंधित निर्णय महिला हितधारकों और विशेषज्ञों के परिप्रेक्ष्य और नेतृत्व को शामिल किये बिना किए जाते हैं। महिलायें राजनीतिक प्रक्रियाओं में आज भी अल्पसंख्यक निर्णयकर्ता हैं, क्योंकि महिलायें पुरुषों की अपेक्षा निर्णयकारी और स्थानीय निर्णयकारी रचनाओं, जो समुद्रतटीय प्रबंधन से संबंधित हैं, तक कम पहुँच रखती है।

पर्यावरणीय खतरों के विषय में चर्चा करें तो, समुद्रतटीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई संवेदनशीलता को विशेषकर कुछ महिलाओं के लिए उजागर करना बहुत आवश्यक है। उदाहरणार्थः दिसम्बर, 2004 में हिन्द महासागर में आये सुनामी जैसी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं एवं पुरुषों पर इसके प्रभाव भिन्न–भिन्न थे क्योंकि उन क्षेत्रों में उत्पादन एवं पुनरूत्पादन गतिविधियों के लिए श्रम का जेण्डर के आधार पर विभाजन काफी प्रबल था। पारंपरिक तौर पर पुरुष मछली पकड़ने और विपणन की देखभाल करते हैं जबकि महिलायें मत्स्य संसाधन के प्रसंस्करण की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसलिए कई पुरुष समुद्री गतिविधियों में शामिल नहीं थे जबकि महिलायें तट संबंधी गतिविधियों में शामिल थीं जिससे महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई। फिर भी, कई राहत और पुनर्वास येाजनाएं आज भी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों पर ही ज्यादातर केंद्रित हैं। प्रभावी परिणाम के लिए जेण्डर भिन्नता को समझना और मापना आवश्यक है। जीवित बचे लोगों का आयु और लिंग संबंधी महिलाओं एवं पुरुषों के

अलग–अलग आंकड़ों का विश्लेषण आवश्यक है। आजीविका विकल्पों को प्रदान करने में आई रूकावट को महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के संदर्भ में नकार देना चाहिए जिससे टिकाऊ परिणाम प्राप्त हो सकें (ए. पी.एफ.आई.सी., 2005)।

जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना

शासन और नियोजन में सुधार

- नियोजक संसाधनों के उपयोग, निर्णय लेने और सामुदायिक प्राथमिकताओं में जेण्डर विभिन्नताओं से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के साथ कार्य करने हेतु जेण्डर विश्लेषण के साधन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुरुषों और महिलाओं के हितों को रूढ़िबद्ध न किया जाए। लिंग संबंधी महिलाओं एवं पुरुषों के अलग–अलग आंकड़ों को एकत्र कर उसे समुद्रतटीय क्षेत्र योजनाओं और परियोजनाओं में सम्मिलित करना आवश्यक है। जब महिलाओं की प्राथमिकताओं को कार्यक्रमों या परियोजनाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है तब वे उनमें भाग लेना बंद कर देती हैं।
- समुद्रतटीय शासन तक नागरिक संगठनों की पहुँच को व्यापक बनाना भी आवश्यक है। जेण्डर और जनसंख्या मुद्दे नये नागरिक संगठनं साझेदारों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर तटीय शासन के लिए एक मंच प्रदान करता है। हांलाकि इस पहुँच को प्रभावी तौर पर उपयोग करने के लिए क्षमता विकास अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए पलावाँ, फिलीपिंस में स्थित तांबुयोग डेवलपमेंट सेंटर ने समुद्रतटीय प्रबंधन गतिविधियों में व्यस्त ग्रामीण महिलाओं के लिए नेतृत्व, जन सुनावाई, पक्ष समर्थन और पर्यावरणीय जागरूकता पर प्रशिक्षण का आयोजन किया।

संसाधन उपयोग और प्रबंधन में बदलाव

- नीति प्रभावों के पूर्वानुमान हेतु, संसाधन के प्रयोग और पहुँच, घरेलू जनसांख्यिकी, प्रवास करने की प्रवृत्ति, बाजार, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी नीति विश्लेषण और जेण्डर–संबंधी जानकारियों की आवश्यकता होगी। इस तरह की जानकारी से ऐसा कम ही होगा कि समुद्रतटीय क्षेत्रों की नीतियाँ सामान्य रूप से महिलाओं और स्त्रि प्रधान घरों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
- जेण्डर–आधारित ज्ञान का उपयोग समुद्रतटीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए होना चाहिए। महिलाएं संसाधन प्रयोगकर्ता के रूप में प्रायः समुद्र, समुद्रतट और एश्च्यूरी से संबंधित जैवविविधता के बारे में पुरुषों की तुलना में अलग तरह का ज्ञान रखती हैं। कई देशों में, महिलायें ही हैं जो नजदीकी जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने में व्यस्त रहती हैं। अफ्रीका में, महिलायें नदियों और तालाबों से मछली पकड़ती हैं। भारत के कई भागों में, महिलायें बैक वॉटर से झींगा मछली पकड़ती हैं। लाओस और थाइलैंड में महिलायें नहरों से मछली पकड़ती हैं। फिलीपिंस में महिलायें समुद्रतटीय ताल में नौकाओं की मदद से मछली पकड़ती हैं। शंखमीन, समुद्री खर–पतवार और समुद्री पादप भोजनों को लोगों और पशुओं के लिए एकत्र करना महिलाओं, बच्चों और वयोवृद्ध महिलाओं का कार्य होता है जो जीवों से संबंधित आवश्यक ज्ञान रखती हैं।

पर्यावास पुनरुद्धार (हैबिटैट रिस्टोरेशन) परियोजनाएँ

संसाधनों के प्रयोगकर्ता के रूप में महिलायें आसानी से पर्यावासों, जाति प्रचुरता और वितरण में हो रहे परिवर्तनों को पहचान सकती हैं तथा इन परिवर्तनों से संबंधित घटकों को भी आसानी से अलग कर सकती हैं। महिलायें पर्यावास के पुनरुद्धार से संबंधित सभी कार्यों में सहायक भी हो सकती हैं। अधिकांश प्रबंधन पहलों की शुरूआती अवस्था/चरणों में व्यवहारिक गतिविधियों का आरंभ किया जाता है, जिसमें समुदायों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद फिर अन्य प्रबंधन गतिविधियों का आरंभ किया जाता है। पर्यावास पुनरुद्धार में मैंग्रूव वनस्पतियों, प्रवालों व सामुद्रिक वनस्पतियों का पुनःरोपण तथा अन्य, गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। इस स्तर पर पुनरुत्पादन संबंधी गतिविधियां व्यापक प्रबंधन मुद्दों को समावेशित करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती हैं। सेनेगल के समुद्रतटीय क्षेत्रों में मैंग्रूव वनस्पति पुनरुत्पादन से संबंधित कई पहल अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संरक्षण संस्थाओं उदाहरणार्थ आई.यू.सी.एन. और वेटलैंड इंटरनेशनल के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को शामिल करते हुए विकसित किया गया। मैंग्रूव

दलदली क्षेत्रों के पुनरुद्धार और रख–रखाव में महिलाओं के शामिल होने और इनके ज्ञान से समुद्रतटीय पारिस्थितिकी में जैवविविधता को लाभ मिलेगा और टिकाऊ समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंधन संभव होगा।

संदर्भः

एशियन पैसेफिक फिशरीज कमीशन–ए.पी.एफ.सी., 2005: डिफरेन्ट इम्पैक्ट्स ऑफ द तिसुनामी ऑन मेन एण्ड विमेन। उपलब्ध हैः
http://64.233.183.104/search?q=cache:cfffo5rwkhyj:www.apfic.org/modules/xfsection/download.php%3ffileid%3d22+gender+fisheries&hl=en

डायमण्ड, एन, स्क्वैलेन्टे, एल. एण्ड हाले, एल.जेड. क्रॉस, 2004। *क्रॉस करेन्ट्सः नेविगेटिंग जेण्डर एण्ड पापुलेशन लिन्केजेज फॉर इन्टीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेन्ट*/ द यूनिवर्सिटी ऑफ रोदे आईसलैण्ड। कोस्टल रिसोर्स सेन्टर। उपलब्ध हैः www.crc.uri.edu/download/WIL_0051.PDF

एफ.ए.ओ., 1998। ''इन्टीग्रेटेड कोस्टल एरिया मैनेजमेन्ट एण्ड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एण्ड फिशरीज।'' *इनवायरनमेन्ट एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज सर्विस/ उपलब्ध हैः*
http://www.fao.org/sd/epdirect/epre0048.htm .

वोरनिक, बी. एण्ड जे स्कैलविक, 1998। *कोस्टल जोन मैनेजमेन्ट एण्ड इक्विटी विटविन मेन एण्ड विमेन/ कनेडियन इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट एजेन्सी (सीडा)*/ उपलब्ध हैः www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/12zones.pdf

वैन इन्जेन, टी, कवाअु, सी एण्ड एस वेल्स, 2002: *जेण्डर इक्विटी इन कोस्टल जोन मैनेजमेन्टः इक्सपीरिएन्सेज फ्रॉम टोन्गा, तन्जानिया*/ आई.यू.सी.एन. ईस्टर्न अफ्रीका रीजनल प्रोग्राम।

अतिरिक्त संसाधन

एग्यूलर, एल एण्ड कास्टानेडा, आई, 2001। *अबाउट फिशरमैन, फिशरविमेन, ओशियन्स एण्ड टाइड्सः ए जेण्डर पर्सप्रेक्टिव इन मरिन–कोस्टल जोन्स*/ सन जोस, कोस्टा रिकाः आई.यू.सी.एन.–ओ.आर.एम.ए.।

एफ.ए.ओ., 2004। *जेण्डर एण्ड फूड सिक्योरिटी*/ फैक्ट शीट ऑन फिशरीज। उपलब्ध हैः
http://www.fao.org/Gender/en/fish-e.htm

मैकेलाईजर, ई, 2002। ''*द रोल ऑफ विमेन इन फिशरीज*''/ डी.जी.फिश। यूरोपियन यूनियन। टेन्डर फिश/2000/01– लॉट नं. 1 फाइनल रिपोर्ट 1443/आर/03/डी उपलब्ध हैः
www.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/liste_publi/studies/women/index.htm

हिन–स्लजर, वैन डेर जे. एण्ड एस. सेन, 1994। *मीटिंग इन्फॉरमेशन नीड्स ऑन जेण्डर इश्यूज इन एक्वाकल्चर*/ फील्ड डाक्यूमेन्ट नं. 33। ए.एल.सी.ओ.एम. हरारे, जिम्बाबवे। यहाँ से प्राप्त किया जा सकता हैः:http://www.fao.org/fi/alcom/alcompub.htm

तटीय प्रबंधन जोन (सी.एम.जेड.) अधिसूचना, 2008 पर जनपरामर्श रिपोर्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से सेन्टर फॉर इन्वायरनमेण्ट एजुकेशन (सी.ई.ई.) द्वारा संचालित परामर्श कार्यशालाओं की रिपोर्ट, सितम्बर 2008। (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध)

प्रमुख वेबसाइटें:

वीमेन एक्वेटिक नेटवर्क (डब्ल्यू.ए.एन.–वान) एक निजी व गैर लाभान्वित संस्थान है जिसे वर्ष 1985 में कोलम्बिया जिले में महिलाओं और पुरूषों को उनके समुद्री व जलीय नीति, शोध, कानून व अन्य क्षेत्रों में रूचि के अनुसार स्थापित किया गया। वान एक ऐसा नेटवर्क है जिससे महिलाएं व पुरूष आपस में समुद्री

व जलीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यह ऐसे व्यक्तियों, समूहों, संगठनों, कार्यक्रमों और/या रोजगार के अवसरों जिससे उस क्षेत्र से जुड़े हितों व विशेषज्ञता के अनुसार सदस्यों को लाभ मिलें, पर जानकारी देता है। इसके अलावा समुद्र व जल से जुड़े मुद्दों पर मंच भी प्रदान करता है।
www.womensaquatic.net/

रोहड्ड द्वीप विश्वविद्यालय के **कोस्टल रिर्सोसेज सेन्टर** का कार्य विश्वभर में समुद्रतटीय प्रबंधन संबंधी कार्यों का विस्तार करना है। यह केन्द्र संयुक्त राष्ट्र व रोहड्ड द्वीप में तटीय प्रबंधन कार्यक्रमों के विकास व क्रियान्वयन में मदद के अलावा विश्व भर के देशों में स्थित तटीय संसाधनों के प्रयोग से जुड़े लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करता है।
www.crc.uri.edu

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी हैं:

- सेनेगलः मत्स्य संसाधनों व समुद्री पर्यावरणों हेतु समुदाय प्रबंधन के मॉडल में महिलाओं की भूमिका, कायर।

3.11 जेण्डर और जल–संबंधी आपदाएँ

परिचय

पूरा विश्व प्राकृतिक जलवायुवीय परिवर्तनशीलता मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बढ़ी है। जिससे समुदाय विशेषतया महिलाएं, गरीब और संवेदनशील समूह जोखिम में पड़ गये हैं। जबकि सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं हमारी जलवायु की बार–बार होने वाली विशेषताएं हैं, उनके प्रभाव मानव के हस्तक्षेपों जैसे– भूजल का अति दोहन या बाढ़–प्रभावी क्षेत्रों में तटबंधों का निर्माण, बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व और सघन कृषि, निर्वनीकरण और आपदा–प्रभावी क्षेत्रों में मानव बस्तियों के विस्तार के द्वारा बढ़ गये हैं। समय–समय पर सूखा और बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों ने मौसमी जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए जेण्डर के अनुसार जटिल अनुकूलन रणनीतियों को विकसित किया है। इसके अन्तर्गत जल और भूमि संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए, फसल और पशुधन विविधता को व्यवस्थित करने के लिए स्थान परिवर्तन, प्रवासन और संस्थागत तैयारियाँ शामिल हैं (मोइंक और दीक्षित, 1994; यामिन एवं अन्य, 2005)।

जेण्डर, संवेदनशीलता और आपदाओं को समझना

यद्यपि गरीबी संवेदनशीलता का मुख्य आयाम है–सभी गरीब संवेदनशील होते हैं–सभी संवेदनशील लोग गरीब नहीं होते हैं (ऐक्शन ऐड, 2005:7)। संवेदनशीलता गरीबी की तुलना में ज्यादा गतिशील अवधारणा है क्योंकि यह आपदा के प्रभाव के द्वारा हुए नुकसान या व्यक्तिगत, समुदाय और तंत्र के असमान जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील होता है। प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन के भौतिक व सामाजिक स्थान संबंधी व्यवस्थाओं में संवेदनशीलता, पहले से ही संवेदनशीलता के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हैं। इसमें शामिल हैं: बस्तियों का स्थान और प्रकृति; भौतिक ढाँचे, सूचना और संचार व्यवस्थाओं तक पहुँच; सामाजिक पूँजी का स्वरूप; और विभिन्न समूहों या व्यक्तियों की वैकल्पिक आजीविका को सुरक्षित करने की योग्यता और आजीविका को सुरक्षित बनाये रखने के लिए वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक संसाधनों के प्रवाह को सुनिश्चित करना (ट्विग, 2001)।

विश्व भर में गरीब महिलायें, बच्चे और बूढ़े सभी में अलग–अलग स्तर की संवेदनशीलता होती है। यहाँ तक कि जाति, मानवजाति संबंधी, वंश या धर्म के द्वारा सीमांकित समुदायों के बीच 'संवेदनशीलता' को देखते हुए ये 'समूह' उच्चतम जोखिम की श्रेणी में आते हैं (विसनर एवं अन्य, 2004)। महिलाओं का अलग तरह का कार्य, उत्पादनकारी संसाधनों पर नियंत्रण में कमी, और सामूहिक सामना करने की व्यवस्थाओं जैसे– औपचारिक ऋण सुविधाएं (लघु)– बीमा या बचाव संबंधी कौशल (उदाहरणतः बाढ़–प्रभावी क्षेत्रों में तैरने की कला) साथ ही साथ प्रतिबंधित करने वाली प्रथाओं (उदाहरणतः परदा या लाज का अभ्यास आदि) ने उनके लिए आपदाओं के प्रभाव को बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के अधिकारों का प्रायः आपदा संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लंघन किया जाता है जब बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों में विविध सामाजिक श्रेणियों से परे महिलाओं की विभिन्न आपदा प्रभावों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को नहीं समझा जाता है (अरियाबंधु एवं विक्रम सिंघ्हे, 2003:45)।

जेण्डर संबंधों पर सूखा और बाढ़ के भिन्न प्रभाव

सूखा, फसल की असफलता या कम पैदावार के द्वारा ग्रामीण आजीविका पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जो शहर की तरफ पलायन, भूख और बहुत बड़ी मात्रा में भुखमरी को बढ़ावा देता है। कई अप्रत्यक्ष परिणाम भी होते हैं जैसे– मानव उपभोग, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुरक्षित जल की कमी, बीमारियों के प्रसार को बढ़ावा देती है। बाढ़ विश्व के कई भागों में अक्सर होने वाली घटना है और कुछ प्रकार की बाढ़ उदाहरणतः समय–समय पर आने वाली नदियों की बाढ़ जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और डेल्टा में पारिस्थतकी और जैवविविधता को बनाना; मत्स्य प्रवासन और भूजल पुर्नभरण को सुनिश्चित करना; नदीय परिवहनः और उर्वर मृदा तक पहुँच। हाल के दशकों में, बढ़ती हुई जनसंख्या, अनियोजित शहरी बस्तियाँ, निर्वनीकरण, नम भूमियों (वेटलैण्ड) को हटाना और अनुपयुक्त संरचनात्मक हल के फलस्वरूप बाढ़ में वृद्धि हुई है–विशेषतया शहरी क्षणिक बाढ़ में जो कि विकसित और विकासशील देशों दोनों में आजीविका, भूप्रयोग, घरों और लोक ढाँचों पर नकारात्मक गंभीर प्रभाव डालती है। यद्यपि बाढ़ और सूखे के प्रभाव पर लिंग संबंधी महिलाओं और पुरुषों के अलग–अलग सीमित आँकड़े मौजूद हैं, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया

गया है, जेण्डर संबंधी प्रभावों पर गुणात्मक और संख्यात्मक अनुभवों संबंधी जानकारी पर ध्यान दिया जा रहा है:

आर्थिक प्रभाव

भुगतान रहित कार्यों पर ज्यादा समय देना

- सूखा–प्रभावी क्षेत्रों में महिलायें घरेलू जल के एकत्रीकरण में ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च करती हैं जिससे उत्पादनकारी कार्य के लिए उपलब्ध समय प्रभावित होता है (एनर्सन, 2000);
- बाढ़ के बाद महिलाओं के कामों का बोझ बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें अपने रोजाना के कार्यों के अतिरिक्त घर की मरम्मत सफाई और रखरखाव में भी मदद करनी होती है (नसरीन, 2000)।

संपत्ति और अन्य नुकसान

- महिला किसान खाद्य सुरक्षा से वंचित हो जाती हैं जब बाढ़ से उनकी भूमि, भंडारित बीज और पशुधन नष्ट हो जाते हैं;
- परिवार अपनी गृहस्थी की संपत्तियों को बेचने या महिलाओं के गहनों को गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं;
- खाद्य उपभोग के तरीकों और भोजन तक पहुँच में जेण्डर विभिन्नता हो सकती है।

उत्पादनकारी कार्यों के लिए उपलब्ध कम अवसर

- शहरी और ग्रामीण दोनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महिला श्रमिक भुगतान वाले कार्यों से संबंधी स्रोतों में कमी आ सकती है क्योंकि खेत या कार्यस्थल जाने लायक नहीं रहते हैं। (एनरसन एवं मॉरो, 1998);
- वे महिलाएं जो स्थान नहीं बदल सकती हैं, वे प्रायः सरकारी सूखा राहत कार्यों से जुड़ जाती हैं जो कि बहुत कठिन होता है और साथ ही उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। (फर्नेन्डो एवं फर्नेन्डो, 1997);
- पुरुषों का मौसमी या लंबी–दूरी का प्रवासन महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है क्योंकि प्रायः उन्हें आवश्यक सुविधाओं तक पहुँच के बिना भूमि को प्रबंधित करना पड़ता है।

सामाजिक प्रभाव

शिक्षा

- लम्बे सूखे की घटना वाले वर्षों में नामांकन और ठहराव की दरें प्रभावित हो सकती हैं;
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल भराव रहने तक विद्यालय बंद रहते हैं, जबकि ऊँची जमीनों पर स्थित विद्यालयों को अस्थायी समुदाय आश्रय के रूप में प्रयोग किया जाता है।

स्वास्थ्य, सफाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता

- सूखे के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए उपलब्ध सीमित जल के कारण महिलाओं में नियमित स्नान की दिनचर्या प्रभावित होती है विशेषतया रजःस्त्राव के दौरान ;
- बाढ़ के बाद स्वच्छता सुविधाओं के न मिलने के कारण कई महिलाएं विशेषतया वयोवृद्ध मलत्याग या पेशाब के लिए बार–बार सुरक्षित स्थान ढूँढ़ने से बचने के लिए कम खाना खाती हैं और पानी पीती हैं जिससे यूरीनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) से संबंधित बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है;
- प्रायः सामुदायिक आश्रय में रहने वाली लड़कियाँ समूह में रहती हैं जिससे उनको अनिश्चित वातावरण से सुरक्षा मिलती है।

संघर्ष और जेण्डर संबंधी हिंसा

- सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल के लिए लगी पंक्तियों में महिलाओं के बीच होने वाले संघर्ष में वृद्धि देखी गयी है (देखें: www.utthangujarat.org);

- भारत में सीमान्त महिलाएं, उदाहरणतः *दलित* और *आदिवासी* अतिरिक्त यौन–उत्पीड़न का सामना करती हैं (मालेकर 2000) और प्रायः सेक्स कार्यों में धकेल दी जाती हैं।

अनुकूल रणनीतियाँः सामुदायिक पुनरूत्थान की ओर

ऐतिहासिक तौर पर, सूखा एवं बाढ़ग्रस्त समुदायों में महिलाओं और पुरुषों ने अपनी स्वयं की रणनीतियों को विकसित किया है जिसके अन्तर्गत परिवारों को संपत्तियों की आजीविका की सुरक्षा तथा आपदा के समय बचाव विधियाँ शामिल हैं। इसमें बाढ़ के दौरान और बाद में खेती के लिए परिवारों को मदद करने के लिए बीज भंडारण और सूखे खाद्यों का प्रसंस्करण शामिल है। समुदाय–आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की पहल को मृदा और जल संरक्षण पर केन्द्रित किया जा सकता है (उदाहरणार्थ, जलागम (वॉटरशेड) प्रबंधन)। आजीविका विविधीकरण, चाहे गैर खेती आधारित लघु–उद्यम हो या मौसमी प्रवासन, यह भी सूखा या बाढ़ के लिए तैयारी करने के लिए आमदनी सृजन की एक महत्वपूर्ण रणनीति है (लिटिल एवं अन्य, 2004ः वरगन एवं भट्ट, 2003)। सूखे से बचाव, उदाहरणार्थ, अर्धशुष्क जॉर्डन वैली और पूर्वी अफ्रीका के उच्च मैदान, दक्षिण और दक्षिण–पूर्वी एशिया में छत वर्षाजल एकत्रीकरण ने घरेलू जल सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है (www.idrc.ca)।

गैर सरकारी संगठन और अन्य नागरिक संगठन, घरेलू और समुदायों को आगे आने वाले परिवर्तनों के अनुकूल बनाने और उनकी आजीविका को पुनःव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक दक्षता, संपत्तियों और संसाधनों को प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उदाहरणतः आपदा के पहले और बाद में बचत और लघु–ऋण तथा लघु–बीमा तक पहुँच को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को एकजुट कर और स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) के गठन से कई महिलाओं ने लाभ उठाया है जिनको अन्यथा अपने गहनों को गिरवी रखना या अपने पशुधन को बेचना पड़ता था। जिंबाबवे में, आक्सफैम की साझेदारी में एसोसिएशन ऑफ वोमेन क्लब ग्रामीण महिलाओं को उनकी आमदनी, नयी दक्षता सीखने और लघु–ऋण चक्रीय फंड की सहायता संबंधी अन्य अवसरों को खोजने में मदद की है (www.oxfamamerica.org/emergency/art3158.html)।

इसके अतिरिक्त, कई गैर सरकारी संगठनों ने मिश्रित समुदाय स्तर की संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आपदा से बचाव के लिए नेतृत्व दक्षता के विकास तथा आजीविका, अधिकारों और मानवीय सुरक्षा हैं।

आपदा बचाव में राज्य की भूमिका

यद्यपि हयोगो फ्रेमवर्क फॉर ऐक्शन (आई.एस.डी.आर., 2005) ने अधिकांश देशों में सभी आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं, नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए कहा है। फिर भी आपदाओं की स्थिति में राज्य की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है–उदाहरणत, कार्य के लिए भोजन कार्यक्रमों के द्वारा सूखा राहत या बाढ़ पीड़ित घरों के लिए मुआवजा। विशेषतया इस प्रकार के प्रयास, भ्रष्टाचार और कमजोर योजनाओं से लिप्त होते हैं, इसके बावजूद भी आपदा प्रबंधन एजेंसियों पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जाती है। नागरिक संगठनों की सहभागिता काफी महत्वपूर्ण है, विशेषतया जेण्डर–संवेदी पेशेवरों की जो कि आपदा के पहले और बाद में जेण्डर के अनुसार अलग–अलग आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, दक्षता और क्षमता को पहचान सकते हैं (http://www.gencc.interconnection.org/comtact.htm)। कुछ पहल जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एक संघ के द्वारा 2001 में जल और जलवायु पर बहु–हितधारकों का विचार–विमर्श आयोजित किया गया जो मुख्यतः इस बात पर केंद्रित था कि किस प्रकार बढ़ती हुई जल परिवर्तनशीलता की स्थिति में जल संसाधनों को प्रबंधित किया जा सकता है (देखेंः http://www.waterandclimate.org)।

संदर्भ

एक्शनएड इण्टरनेशनल, 2005। *पार्टीशिपेटरी वल्नरेबिलिटी एनलिसिसः ए स्टेप–बाय–स्टेप गाइड फॉर फील्ड स्टाफ* / उपलब्ध हैः
http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/108_1_participatory_vulnerability_analysis_guide.pdf

अरियाबन्दु, एम.एम. एण्ड एम. विक्रमासिंघे, 2003। *जेण्डर डाइमेन्शन्स इन डिजास्टर मैनेजमेन्टः ए गाइड फॉर साउथ एशिया,* कोलम्बोः आई.टी.डी.जी. (इण्टरमीडिएट टेक्नोलॉजी डेवलेपमेन्ट गुप) साउथ एशिया पब्लिकेशन्स। उपलब्ध हैः आई.टी.डी.जी. साउथ एशिया, 5 लॉनेल एडिरीसिंघे मवाथा, किरूलापोन, कोलम्बो 5, श्रींलका।

एनरसन, ई., 2000। *जेण्डर एण्ड नेचुरल डिजास्टर्स* / इन फोकस प्रोग्राम ऑन क्राईसेस रिस्पॉन्स एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन, वर्किंग पेपर नं. 1। जिनेवाः आई.एल.ओ.।

एनरसन, ई. एण्ड बी. एच. मॉरो (ईडीएस), 1998। *द जेण्डर्ड टेरेन ऑफ डिजास्टरः थ्रू वीमेन्स आईज,* वेस्टपोर्ट, सीटीः ग्रीनवुड पब्लिकेशन्स।

फर्नान्डो, पी. एण्ड वी. फर्नान्डो (ईडीएस), 1997। *साउथ एशियन वीमेनः फेसिंग डिजास्टर्स, सिक्योरिंग लाइफ* / कोलम्बोः आई.टी.डी.जी. पब्लिकेशन्स फॉर दुर्योग निवारण। उपलब्ध हैः http://www.duryognivaran.org और http://www.itdg.org

फॉरधम, एम., 1999। ''द इण्टरसेक्शन ऑफ जेण्डर एण्ड सोशल क्लास इन डिजास्टरः बैलेन्सिंग रेजिलिएन्स एण्ड वल्नरेबिलिटी,'' *इण्टरनेशनल जरनल ऑफ मॉस इमरजेन्सिज एण्ड डिजास्टर्स,* 17(1)। पृष्ठ संख्या 15–36।

इण्टरनेशनल स्ट्रेटजि फॉर डिजास्टर रिडक्शन (आई.एस.डी.आर.), 2005। *होगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005–2015ः बिल्डिंग द रिजिलिएन्स ऑफ नेशन्स एण्ड कम्यूनिटीज टू डिजास्टर्स* / जिनेवाः इण्टरनेशनल स्ट्रेटजि फॉर डिजास्टर रिडक्शन। उपलब्ध हैः http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf

लिटिल, पी.डी, एम. प्रिसिला स्टोन, टी. मोग्यूज, ए. पीटर कैस्ट्रो एण्ड डब्ल्यू नेगाटू, 2004। *''चर्निंग'' ऑन द मारजिन्सः हाऊ द पुअर रिसपॉन्ड टू ड्राउट इन साउथ वोलो,* इथोपिया। बेसिस ब्रीफ नं. 21 उपलब्ध हैः http://www.basis.wisc.edu/live/basbrief21.pdf

मालेकर, ए., 2000। ''साइलेन्स ऑफ द लैम्बसः लैण्डलार्ड्स एक्सप्लॉएट द ड्राउट–हीट दलित वीमेन''

मोन्च, एम. एण्ड ए. दीक्षित (ईडीएस), 2004। *एडप्टिव कैपेसिटी एण्ड लाईवलिहुड रिजिलिएन्सः एडॉप्टिव स्ट्रेटजिज फॉर रिसपॉडिंग टू फ्लड्स एण्ड ड्राउट्स इन साउथ एशिया* / बोल्डर, सी.ओ. एण्ड काठमाण्डू (नेपाल): इन्स्टीच्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक ट्रान्जिशन। उपलब्ध हैः www.i-s-e-t.org

नसरीन, एम., 2000। ''कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ रूरल वीमेन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग फ्लड्सः ए जेण्डर पर्सपेक्टिव।'' इन एन. अहमद एण्ड एच. खातून (ईडीएस), *डिजास्टर्सः इश्यूज एण्ड जेण्डर पर्सपेक्टिव, डिपार्टमेन्ट ऑफ ज्योग्राफी एण्ड इन्वायरनमेन्ट,* यूनिवर्सिअी ऑफ ढाका।

ट्विग, जे. 2001। *सस्टेनेबल लाइवलिहुड्स एण्ड वुल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स,* नंदनः बेनफील्ड ग्रेग हेजार्ड रिसर्च सेन्टर। उपलब्ध हैः http://www.benfieldhrc.org/disaster_studies/working_papers/workingpaper2.pdf

वरहेगेन, जे. एम. भट्ट, 2002। *कम्यूनिटी–बेस्ड डिजास्टर रिस्क मिटीगेशनः ए केस स्टडी इन द सेमी–एरिड एरियाज ऑफ गुजरात* प्रेजेन्टेड ऐट ए.डभ्.बी. कान्फ्रेन्स ऑन वॉटर एण्ड पावर्टी। ढाका, बांग्लादेश।

विजनर, बी, पी. ब्लैकि, टी. कैनन एण्ड आई. डेविस, 2004। *एट रिस्कः नेचुरल हेजार्ड्स, पिपुल्स वुल्नरबिलिटी एण्ड डिजास्टर,* लंदन एण्ड न्यूयार्कः रोटलेज।

यामीन, एफ, ए., रहमान एण्ड एस हक, 2005। '' वुल्नरबिलिटी, एडाप्शन एण्ड क्लाईमेट डिजास्टर्सः ए कन्सेप्चुअल ओवरव्यू,'' *आई.डी.एस. बुलेटिन, 36 (4)* / पृष्ठ संख्या 1–14।

अतिरिक्त संसाधन

एग्यूलर, एल., 2004। *आई.सी.यू.एन. फैक्ट शीटः क्लाईमेट चेन्ज एण्ड डिजास्टर मिटीगेशन–जेण्डर मेक्स द डिफरेन्स* /

जलवायु परिवर्तन एवं आपदा शमन से जुड़ी पहल में जेण्डर समानता के तरीकों से जुड़ाव के बारे में आंकड़ा–प्रपत्र जिसमें अर्न्तराष्ट्रीय पहल में हुए अनुभवों को भी दिया गया है।

उपलब्ध है:
http://www.generoyambiente.org/admin/admin_biblioteca/documentos/Climate.pdf

अरियाबन्दु, माधवी, एम. एण्ड मैथ्री विक्रमासिंघे, 2003। *जेण्डर डाईमेन्शन इन डिजास्टर मैनेजमेन्टः ए गाइड फॉर साउथ एशिया,* कोलम्बोः आई.टी.डी.जी. (इण्टरमीडिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेन्ट ग्रुप) साउथ एशिया पब्लिकेशन्स। उपलब्ध हैः आई.टी.डी.जी. साउथ एशिया, 5 लॉयनेल इडिरिसिंघे मवाथा, किरूलापोन, कोलम्बो 5, श्रीलंका।

यह संसाधन संदर्शिका आपदा की परिस्थिति में महिलाओं और पुरूषों की विशिष्ट संवेदनशीलता व क्षमता को प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक दक्षिण एशिया के नीति–निर्माताओं, विकास विशेषज्ञों के लिए हैं जिनका प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन तथा टिकाऊ विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

ब्रेडशॉ, सारा, 2004। *सोशियो–इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्सः ए जेण्डर एनलिसिस* / यूनाईटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट एण्ड ह्यूमन सेटेलमेन्ट डिविजन, चिली, सेपाल–सीरिज मैनुअल्स 32।

इस प्रपत्र के अन्तर्गत आपदा के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण जेण्डर दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है और संकट की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले संकेतकों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

केयर, 2002। *फ्लड इम्पैक्ट ऑन वीमेन एण्ड गर्ल्स इन प्रे वेंग प्रोविन्स, कम्बोडिया* / फन्डेड बाय डी.आई.पी.ई.सी.एच.ओ. एण्ड कैरिड आउट फॉर केयर बाय आई.डी.पी. एजुकेशन आस्ट्रेलिया एण्ड केयर, कम्बोडिया।

ईनारसन, ई. एट आल, 2003। *वर्किंग विथ वीमेन एट रिस्कः प्रेक्टिकल गाइडलाइन्स फॉर असेसिंग लोकल डिजास्टर रिस्क* / इण्टरनेशनल हरिकेन सेन्टर, फ्लोरिडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी। उपलब्ध हैः
http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/IHC2003.pdf

मसिका, राचेल (संस्करण), 2002। *जेण्डर, डेवलेपमेन्ट एण्ट क्लाईमेट चेन्ज* / ऑक्सफैम फोकस ऑन जेण्डर। ऑक्सफैम, यूके।

प्रो–वेन्सन, 2004। *''शोसल वल्नरविलिटी एण्ड कैपेसिटी एललिसिस (वीसीए)ः एन ओवरव्यू'',* डिशकशन पेपर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रो–वेन्शन कोन्सोरटीयम वर्कशॉप एट द इण्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसायटीज (आई.एफ.आर.सी.), 25–26 मई, जिनेवा। उपलब्ध हैः
http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/VCA_ws04.pdf

यूनाईटेड नेशनल इन्वायरनमेन्ट प्रोग्राम (यूनेप), 2005। *मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इन इन्वायरनमेन्टल असेसमेन्ट एण्ड अर्ली वार्निंग* /

यह रिपोर्ट यूनेप के पूर्व सूचना व आंकलन कार्यक्रम में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी प्रमुख प्रश्नों को समझने में मदद करती है। विश्लेषण में प्रमुख मुद्दे हैं जल, गरीबी, सुरक्षा, संघर्ष, पूर्व सूचना, आपदा व पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता आदि।

उपलब्ध है:
http://www.earthprint.com/show.htm??url=http://www.earthprint.com/cgi-bin/ncommerce3/ProductDisplay?prrfnbr=514436&prmenbr=27973

सीमा कुलकर्णी, जुलाई 08, 2009। इन सर्च ऑफ वॉटर, इन्फोचेन्ज इण्डिया न्यूज। उपलब्ध है:

http://infochangeindia.org/200709076504/Agenda/Women-At-Work/In-searc-of-water.html

पीने योग्य जल की कमी गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए परेशानियों का कारण बनती है। सूखे की त्रासदी भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है और इन सबका एकमात्र कारण जेण्डर आधारित अलग–अलग भूमिकायें हैं, जिसमें कवेल महिलायें ही जल एकत्रण का काम करती हैं। दूसरी तरफ अच्छी सिचाई व्यवस्था के कारण खेती अच्छी होती है परन्तु इसकी वजह से भी महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रपत्र में इन्ही सब मुद्दों को बताया गया है।

कुलकर्णी एस., राव एन., 2002। जेण्डर एण्ड ड्राउट इन साउथ एशियाः डॉमिनेन्ट कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड अल्टरनेटिव प्रपोजिशन्स। इस्लामाबाद में, ''ड्राउट इन साउथ एशिया'' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुत प्रपत्र।

ब्रेट ओ बैनन, 1994। द नर्मदा रीवर प्रोजेक्ट; टूवार्ड्स द फेमिनिस्ट मॉडल ऑफ वीमेन इन डेवेलपमेन्ट, पॉलिसी साईन्सेज, वाल्यूम 27, संख्या 2/3, फेमिनिज्म एण्ड पब्लिक पॉलिसी। पृष्ठ संख्या 247–267। उपलब्ध है: http://www.jstor.org/stable/4532317

इस प्रपत्र में वृहद् विकासशील परियोजनाओं के कारण महिलाओं पर होने वाले परिणामों का कई प्रारूपों जैसे उदार एकीकरण प्रारूप, सीमान्त प्रारूप, पूंजीवादी प्रारूप और सामाजिक प्रारूप के लाभों की तुलना करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर परियोजना को केस स्टडी के रूप में लेकर इन सभी प्रारूपों के निष्कर्षों या परिणामों को प्रस्तुत किया गया है तथा तीसरे विश्व एवं विकासशील नीतियों में इन परियोजनाओं को जेण्डर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की गयी है।

प्रमुख वेबसाइटें

दुर्योग निवारण

यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ आपदा से बचाव है। यह वेबसाइट आपदाओं से जुड़े विभिन्न विकल्पों का समर्थन करती है व साथ ही इससे जुड़े सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान देती है। आपदाओं और आजीविकाओं से जुड़े मुद्दे पर शोध भी इस साइट पर उपलब्ध है। दक्षिण एशियाई देशों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित सर्वोत्तम पद्धति पर केस स्टडीज दी गयी हैं। नेटवर्क के प्रकाशनों पर जानकारी व विभिन्न आपदा स्थितियों पर फोटो गैलरी भी है।
http://www.duryognivaran.org

द इण्टरमीडिएट टेक्नालॉजी डेवलेपमेन्ट ग्रुप

यह वेबसाइट आई.टी.डी.जी. के उन तरीकों पर प्रकाश डालती है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के खतरों का पर्यावरणीय क्षरण व नागरिक संघर्षों का सामना करने के लिए गरीब लोगों द्वारा तकनीकों के प्रयोग को मजबूत करने हेतु जानकारी दी गयी है। साथ ही भंगुर पर्यावरण में रहने वाले लोगों को पर्यावरणीय क्षरण के कारण आजीविका के अवसरों पर पड़ने वाले खतरों का सामना करने हेतु तैयारी व संवेदनशील समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव व पुनः अपने घरों व आजीविकाओं को तैयार करने हेतु तैयार करती है। इसके अलावा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के लिए होने वाली प्रतियोगिता से जुड़े संघर्षों को रोकने व सम्भालने हेतु तैयारी करवाती है।
http://www.itdg.org/

जेण्डर एण्ड डिजास्टर नेटवर्क

यह आपदा के संदर्भ में महिलाओं और पुरूषों के जेण्डर संबंधों पर आधारित शैक्षिक परियेाजना पहल है। यह नेटवर्क आपदाओं के पूर्व, दौरान व बाद के महिलाओं और पुरूषों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण व विश्लेषण करता है जिसमें वृहद राजनैतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संदर्भों तथा जेण्डर संबंधों की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया है।
http://www.gdnonline.org/

ब्रिटिश कोलम्बिया प्रोविन्सीयल इमरजेन्सी प्रोग्राम एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपदा संबंधी तैयारी व प्रतिक्रिया पर ऑनलाइन वर्कबुक दी गयी है। इसमें कैसे महिला सेवा संगठन आपदा के समय समस्याओं व मांगों से निपट सकते हैं उसके लिए ''इट कैन हैपेन टू योर एजेन्सी–टूल्स फॉर चेन्ज,

इमरजेन्सी मैनेजमेण्ट फॉर वीमेन सर्विस'' पर जानकारी दी गयी है जिसे बी.सी. एसोसिएशन द्वारा तैयार किया गया है।
http://www.pep.bc.ca/management/Women_in_Disasters_Workbook.pdf

सी.आर.आई.डी.: रीजनल डिजास्टर इनफॉरमेशन सेन्टर की साइट पर जेण्डर व आपदा से जुड़े लेखों का अंग्रेजी व स्पेनिश भाषा में अर्न्तराष्ट्रीय संकलन मौजूद है। देखें : www.crid.or.cr/

आर.ए.डी.आई.एक्स.:रेडिकल इन्टरप्रिटेशन्स ऑफ डिजास्टर साइट के अन्तर्गत आपदा संबंधी संवेदनशीलता, प्रतिक्रिया व बचाव पर जेण्डर संवेदी विश्लेषण उपलब्ध हैं।
देख: http://www.radixonline.org/

केस स्टडी
इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी है।

- बांग्लादेशः समुदाय आधारित बाढ़ जोखिम प्रबंधन में जेण्डर को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रक्रियाएं।

3.12 जेण्डर, जल और क्षमता विकास

परिचय

जल क्षेत्र के सभी स्तरों पर जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु विभिन्न हितधारकों का क्षमता विकास आवश्यक है। निचले स्तर की महिलाओं में जल संसाधनों, जल आपूर्ति, और स्वच्छता कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन और संचालन तथा रख–रखाव में सार्थक रूप से भाग लेने की क्षमता में कमी पायी जाती है। जल क्षेत्र से संबंधित संस्थानों के प्रबंधन स्तर पर पुरूष ही प्रभावी होते हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए महिलाओं को केन्द्रित करते हुए सु–निर्दिष्ट क्षमता विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जबकि गरीब महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति पुरूषों को संवेदनशील बनाने हेतु पुरूषों को लक्ष्यित करते हुए अन्य कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है।

हालांकि क्षमता विकास को व्यक्तिगत स्तर से परे भी जाने की आवश्यकता है। एल–अवर (2003) क्षमता विकास को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, "यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह, संस्थान, संगठन और समाज टिकाऊ रूप से विकासात्मक चुनौतियों को पहचानने और उसका सामना करने के लिए अपनी योग्यताओं को बढ़ाता है''। कई देशों में, जल क्षेत्रों में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। कई देशों में जल और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए निर्धारित बजट को खर्च करने की भी क्षमता का भी अभाव होता है। विशेष रूप से, जल संसाधनों और स्वच्छता से संबंधित क्षेत्रों में हितधारकों के लिए, नीतिगत उद्देश्यों को ठोस जेण्डर–अनुकूल कार्यक्रमों के अर्न्तगत क्रियान्वित करने हेतु संस्थानिक क्षमता विकास की आवश्यकता है।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) में क्षमता विकास एवं जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना

आज प्रशिक्षण के रूप में क्षमता विकास का समकालीन दृष्टिकोण, क्षमता विकास के परम्परागत ज्ञान के परे जा चुका है। इसके अर्न्तगत नीतिगत ढाँचों, संस्थागत सुधार और मानव संसाधन विकास द्वारा सुयोग्य पर्यावरण का सृजन करना भी शामिल है।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने की अवधारणा अब जल क्षेत्र में अपनी जड़े मजबूत कर रही है तथा जेण्डर परिप्रेक्ष्य को समर्थन देने के लिए सरकारी एजेंसियों, एन.जी.ओ., दानदाताओं और तकनीकी समर्थन देने वाली एजेंसियों की रूचियों को भी बढ़ा रही है। इसके बावजूद जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी अवधारणा की समझ और नीतियों तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय संगठनों के अंर्तगत इसे लागू करने के प्रयास बहुत धीमी गति से चल रहे हैं और इसके लिए अत्यधिक प्रयास व समय की आवश्यकता है।

कई जल विशेषज्ञों के पास इंजीनियरिंग की शिक्षा तो होती है परन्तु उनके पास अपने कार्यों में जेण्डर एवं सामाजिक समानता को शामिल करने का बहुत कम अनुभव होता है। अतः अपने कार्यों में जेण्डर अनुकूल सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों एवं प्रशिक्षण विधियों द्वारा जेण्डर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम एक ठोस एवं उत्तम साधन उपलब्ध कराता है।

विकासशील देशों में महिलाएं औपचारिक शिक्षा को पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम ही ग्रहण कर पाती हैं। परिणामस्वरूप संस्थागत स्तर पर महिलायें बहुत कम प्रतिनिधित्व कर पाती हैं तथा निम्नस्तरीय महिलायें निर्णय लेने या संचालन एवं रखरखाव के कार्यों को करने में कठिनाई महसूस करती हैं। इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सुव्यवस्थित क्षमता विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। जमीनी स्तर पर महिलाओं पर केन्द्रित क्षमता विकास कार्यक्रम को एक बार के प्रयास से कहीं बढ़कर एक लम्बी प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। इसके लिए एक ऐसे सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है जिससे ऐसे कौशल का विकास हो सके जिसमें साक्षरता आवश्यक न हो तथा यह प्रशिक्षण महिलाओं द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं पर आधारित हो तथा इसे जेण्डर संवेदी प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान की जाए। प्रायः संचालन एवं रखरखाव में अयोग्य लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा वे महिलायें जो पहले से ही प्रशिक्षित हैं उन्हें व्यवहारिक कार्य प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

यद्यपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है फिर भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कार्यक्रमों के नियोजन में, महिलाओं हेतु सुलभ समय व स्थान का ध्यान रखना चाहिए तथा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षार्थियों को दी जाने वाली प्रशिक्षण सामग्रियाँ उनके लिए सुलभ व उचित हों। दक्षिण अफ्रीका में, जल परियोजना के उचित रखरखाव को सुनिश्चत करने के लिए मुओला ट्रस्ट की सभी जल समितियों में लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं की आवश्यकता थी। समिति के सदस्यों को रखरखाव संबंधी कार्य के साथ–साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया और जल परियोजनाओं को तैयार करने, स्थान या तकनीकी में जब भी परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता था तो समिति के सदस्यों से विचार–विमर्श भी किया जाता था। इस प्रक्रिया को जल मामलों और वानिकी विभाग (डिपार्टमेन्ट ऑफ वॉटर अफेयर्स एण्ड फॉरेस्ट्री) के द्वारा अपनाया गया।

भारत के गुजरात राज्य के कई गाँवों में गुजरात जलापूर्ति एवं नगर पालिका परिषद (जी.डब्ल्यू.एस.एस.बी.) द्वारा प्रदान किये गये हैण्ड पम्प ही पेयजल के एकमात्र स्रोत हैं। यद्यपि जी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. ने इन पम्पों के रखरखाव में काफी परेशानियों का अनुभव किया। कुछ मामलों में, शिकायतों को दूर करने में छः महीने तक लग गये। इन सेवाओं के बेहतर रखरखाव संबंधी अपने सदस्यों के उत्साह को देखकर, एस.ई.डब्ल्यू.ए.–सेवा ने 41 हैण्डपम्पों के रखरखाव हेतु एक निविदा प्रस्तुत की। इसके बावजूद जी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. ने महिलाओं को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वे आवश्यक शैक्षिक मानकों को पूरा नहीं करती थीं। परिणामस्वरूप सेवा ने हैण्डपंप के कारीगरों के प्रथम बैच को प्रशिक्षित करने के लिए एक एन.जी.ओ. को बुलाया। महिलाओं का संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि ग्रामीणों ने जी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. के इंजीनियरों की तुलना में महिलाओं की दक्षता पर कम विश्वास किया। सेवा के सक्रिय समर्थन से ये जल कारीगर अपने अकेले के प्रदर्शन द्वारा जी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. और ग्रामीणों के विश्वास को जीतने में सफल रहे अब सेवा के समर्थन से प्रशिक्षित यह कारीगर 1500 से भी अधिक हैण्ड पम्पों का रखरखाव करते हैं तथा वे खराब हो चुके हैण्ड पंपों की मरम्मत अब दो दिनों के अन्दर ही कर देते हैं जिसमें पहले 6 हफ्ते लग जाते थे।

स्रोतः वरहेगेन एवं सेवा, 2002

प्रमुख लोग

जल क्षेत्रों में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी क्षमता विकास कार्यक्रम में कई प्रमुख लोगों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेन्सियों, दानदाताओं और गैर सरकारी संगठनों ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए आवश्यक सुयोग्य पर्यावरण के सृजन संबंधी प्रयास में समर्थ भूमिका निभाई है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स (जी.डब्ल्यू.ए.) और इण्टरनेशनल वॉटर एण्ड सैनिटेशन सेन्टर (आई.आर.सी.) ने ज्ञान एवं सूचना के प्रचार–प्रसार को संचालित करने के लिए स्थानीय ज्ञान एवं संसाधनों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया। सी.बी.ओ. एवं समुदाय के सदस्यों के क्षमता विकास में एन.जी.ओ. को भी शामिल किया गया। हालांकि एन.जी.ओ. के अनुभव से बहुत सी नई प्रक्रियाएं भी सामने आई हैं परन्तु उनके कार्यक्रमों में प्रतिकृति की क्षमता सीमित होने के कारण इनका विस्तार कम था।

राष्ट्रीय स्तर पर क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने संबंधी आवश्यकताओं को मान्यता देने के प्रयासों में बढ़ोत्तरी हो रही है और कई देश जैसे भारत और नेपाल– जल क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण या ज्ञान सृजन करने वाली संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया में लीन हैं। यद्यपि, इन केंद्रों की पहुँच माध्यमिक एवं सामुदायिक स्तर पर हितधारकों तक बहुत कम है।

आई.डब्ल्यू.आर.एम. में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी क्षमता विकास कार्यक्रम

आई.डब्ल्यू.आर.एम. में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी प्रयास में क्षमता विकास जैसे माध्यमों/साधनों का प्रयोग, कर्मचारियों की क्षमता को निर्धारित करने और उन कमियों को पहचानने हेतु किया जा सकता है जहाँ पर क्षमताओं के पुनः विकास की आवश्कता है।

संस्थागत् विकास साधन मंत्रालय, विभाग और एन.जी.ओ. जैसे संस्थानों द्वारा संस्थागत् स्तर पर जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी साधनों के विकास करने हेतु मदद करते हैं। इन साधनों का प्रयोग भर्ती प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण एवं संस्थानों के सामान्य प्रक्रियाओं में आन्तरिक जेण्डर नीतियों व रणनीतियों को प्रतिबिम्बित करने हेतु किया जा सकता है। जेण्डर संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी प्रगति को अनुश्रवण करने हेतु सूचकों को विकसित करना चाहिए।

सामाजिक क्षमता विकास साधन यह प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार स्थानीय समुदायों के विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण से महिलाएं और लड़कियाँ लाभ पा सकती हैं। वे यह भी दर्शाते हैं कि महिलाओं को परियोजना प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने संबंधी अवसर प्रदान करने से परियोजना और समुदाय के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता में भी वृद्धि होगी।

> बांग्लादेश में लघु–स्तरीय जल संसाधन विकास क्षेत्र परियोजना के अर्न्तगत सामाजिक क्षमता विकास द्वारा खेती, मछली पकड़ने और भूमिहीन परिवारों की महिलाओं को संस्थागत व्यवस्था तक पहुँच के योग्य बनाना है। साथ ही महिलाओं को वाटर मैनेजमेंट कोऑपरेटिव एसोसिएशन (डब्ल्यू.एम.सी.ए.) के सदस्य होने का अवसर भी प्रदान किया है। डब्ल्यू.एम.सी.ए. में महिलाओं की भागीदारी के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का निर्धारण और एक महिला को प्रथम प्रबंधन समिति का सदस्य होने की अनुमति प्राप्त है।
> स्रोतः बेगम, 2002

सहभागी शिक्षण साधन एक ऐसा सृजनात्मक साधन है जो विकासात्मक गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन से संबंधित गरीब महिलाओं और पुरुषों के सरोकार के मुद्दों की जाँच करता है। वे लोगों के ज्ञान के बारे में विद्यमान पक्षपात और पूर्व–धारणा को चुनौती देते हैं। इस साधन के प्रयोग में कल्पना से लेकर साक्षात्कार और समूह कार्य शामिल है। इसमें आम विषय क्रियाशील शिक्षण, साझा ज्ञान और लचीले, ढाँचागत विश्लेषण का प्रोत्साहन करना है। ये साधन उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों और स्थितियों की व्यापक सीमा में मूल्यवान साबित हुए हैं।

संदर्भ

अब्राम्स, लेन, तिथि रहित। *कपैसिटी बिल्डिंग फॉर वाटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन डेवलेपमेन्ट एट लोकल लेवल।* यह शोध पत्र यू.एन.डी.पी. के जल क्षेत्र में क्षमता विकास के द्वितीय सिम्पोजियम, डेल्फ, नीदरलैण्ड्स में प्रस्तुत किया गया।
उपलब्ध है: http://www.thewaterpage.com/capacity_building.htm#5

बेगम, शमसुन नाहर, 2002। *जेण्डर, वॉटर एण्ड पावर्टी, एक्सपीरिएन्सेज फ्रॉम वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश।* यह शोध प्रपत्र 22–26 सितम्बर 2002 को ढाका बांग्लादेश में जल व गरीबी पर हो रही क्षेत्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया।

एल अलवर, फराज, 2003। *कैपेसिटी डेवलेपमेन्ट एप्रोचेज एण्ड टूल्स फॉर वॉटर डिमाण्ड मैनेजमेन्ट (डब्ल्यू.एम.डी.) इम्प्लिमेन्टेशन इन द मिडिल इस्ट एण्ड नार्थ अफ्रीका।* यह शोध पत्र 18–19 जनवरी 2004 को कायरो, मिश्र में आई.डी.आर.सी., कनाडा की डब्ल्यू.डी.एम. II की परामर्श बैठक के लिए लिखित। उपलब्ध है:
http://www.idrc.ca/uploads/user-S/10983457021Capacity_Development_Report.doc

जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स 2003। *द जेण्डर एण्ड वॉटर डेवलपमेन्ट रिपोर्ट 2003: जेण्डर पर्सपेक्टिव ऑन पालिसीज इन वॉटर सेक्टर।* जी.डब्ल्यू.ए., नीदरलैण्ड। उपलब्ध है:
http://www.genderandwater.org/content/download/307/3228/file/GWA_Annual_Report.pdf

वरहैगेन, जोएप व सेल्फ इम्प्लॉएड वीमेन्स एसोशिएसन (सेवा), 2001। *सेवा की बेयरफुट वॉटर टेक्निशियन्स इन साबरकांठा।* जल के लिए महिलाओं का संघर्ष भाग 1, सेवा के जल अभियान के अन्तर्गत विकसित नोट्स व पोस्टरों की श्रृंखला। अहमदाबाद, भारतः सेवा।

अतिरिक्त संसाधन

एलियर्टस, जी.जे., एफ.जे.ए. हॉर्टवेल्ट व एफ.एम. पातोरनी, 1999। *कपैसिटी बिल्डिंग एज नॉलेज मैनेजमेन्टः परपज, डेफिनिशन्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स व संस्करण।* जल क्षेत्र में क्षमता विकासः अवधारणाएं व साधन। यू.एन.डी.पी. के जल क्षेत्र में क्षमता विकास के द्वितीय सिम्पोजियम, डेल्फ।

अकेरकर, सुप्रिया, 2001। *जेण्डर एण्ड पार्टिशिपेसन, ओवरव्यू रिपोर्ट,* ब्रिज, इन्स्टीच्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूके।

यह रिपोर्ट जेण्डर संबंधी परिप्रेक्ष्यों एवं उससे जुड़ी सहभागिताओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। इस रिपोर्ट में जेण्डर एवं सहभागिता की अवधारणा से संबंधित पृष्ठभूमि भी दी गयी है। इसमें सहभागिता को परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों एवं संस्थानों में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है, के बारे में जानकारी दी गयी है। यह रिपोर्ट किसी परियोजना में जेण्डर एवं सहभागी प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रयासों पर प्रकाश भी डालती है।

ब्लैन्कों, लारा एवं जिसेल राड्रीज, 2000। *प्रेक्टिसिंग व्हाट् वी प्रीचः मैनेजमेन्ट एण्ड डिसिजन मेकिंग प्रॉसेसेज विथ इक्विटी।* सहभागिता की ओर श्रृंखला संख्या 7। सैन जोसः वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन एवं अर्यास फाउण्डेशन।

बॉयजैक, सॉन्जा, रायदा अल–जुबी, पाओला ब्राम्बेला, एलेना क्रिलोवा एण्ड एमा बेल, 2002। *रिपोर्ट एर्न 65 ऑन जेण्डर वेबसाइट्स।* स्विस एजेन्सी फॉर डेवलेपमेन्ट एण्ड कोऑपरेशन के लिए विकसित, ब्रिज, इन्स्टीच्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूके।

वेबसाइटों का यह संकलन स्विस एजेन्सी फॉर डेवलेपमेन्ट एण्ड कोऑपरेशन (एस.डी.सी.) द्वारा संचालित है। इसमें सूचीबद्ध वेबसाइट एस.डी.सी. के पांच प्रमुख कार्यक्षेत्रों पर केन्द्रित हैः सामाजिक विकास; समस्या समाधान; शासन; कार्य/श्रम एवं आय; तथा प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण। इसके अन्तर्गत अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्पेनिश व रूसी भाषाओं से संबंधित वेबसाइटें सूचीबद्ध हैं।

कनेडियन इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट एजेन्सी (सी.आई.डी.ए.), तिथि रहितं *एक्सिलरेटिंग चेन्जः रिर्सोसेज फॉर जेण्डर मेन्स्ट्रीमिंग।* उपलब्ध हैः 200 Promenade du Portage Gatineau, Quebec, K1A 0G4, दूरभाषः (819) 997-5006 टोल फ्रीः 1-800-230-6349 फैक्सः (819) 953-6088, ई–मेलः info@acdi-cida.gc.ca

यह फरवरी 2000 में सानूर, इण्डोनेशिया में आयोजित जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने से संबंधित तकनीकी कार्यशाला के कार्य विवरण से उभरकर तैयार हुई एक विशेष निर्देशिका है। यह निर्देशिका उन लोगों के लिए एक प्रयोगात्मक संसाधन है जो विभिन्न संदर्भों में जेण्डर समानता को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी प्रयासों से जुड़े हुए हैं।

सेन्टर फॉर स्ट्रेटजिक एण्ड इण्टरनेशनल स्टडीज (सी.एस.आई.एस.) एण्ड सैण्डिया नेशनल लेबोरेटरिज (एस.एन.एल.), 2005। *एड्रेसिंग आवर ग्लोबल वॉटर फ्यूचरः ए व्हाइट पेपर बाय द सी.एस.आई.एस. एण्ड एस.एन.एल.।* वाशिंगटन यू.एस. डिर्पाटमेन्ट ऑफ एनर्जीज नेशनल न्यूकलियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड सी.एस.आई.एस.।

यह प्रपत्र बढ़ते जलाभाव व जल की घटती गुणवत्ता के गंभीर प्रभावों से निपटने के लिए बढ़ती वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करता है। इस प्रपत्र का द्वितीय अनुभाग प्रभावी एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता तथा क्षमता विकास को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। इस प्रपत्र में इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि सहभागी एकीकृत जल परियोजनाएं जेण्डर समानता में सुधार ला सकती है।
उपलब्ध हैः http://www.sandia.gov/water/docs/CSIS-SNL_OGWF_9-28-05.PDF

एल अनवर, फराज, 2004। *कपैसिटी डेवलपमेन्ट एप्रोचेज एण्ड टूल्स फॉर वॉअर डिमाण्ड मैनेजमेन्टः इम्प्लिमेन्टेशन इन द मिडिल इस्ट एण्ड नार्थ अफ्रीका।* यह शोध पत्र 18–19 जनवरी 2004 को कायरो, मिश्र में आई.डी.आर.सी., कनाडा की डब्ल्यू.डी.एम. II की परामर्श बैठक के लिए लिखित।

गुईट, आईरिन, 1996। *क्वेश्चन्स ऑफ डिफरेन्सः पी.आर.ए., जेण्डर एण्ड इन्वायरनमेन्ट–ए ट्रेनिंग गाइड।* लंदनः इण्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट फॉर इन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलपमेन्ट।

जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स, 2003। *जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन इण्टिग्रेटेड वॉटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्टः ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स पैकेज।*

यह प्रशिक्षण सामग्री उन प्रबंधकों, नियोजकों एवं प्रशिक्षकों के लिए विकसित की गयी है जो नीति विकास एवं एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में कार्यरत् हैं। इस सामग्री का प्रमुख उद्देश्य कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में जेण्डर अनुकूल तरीकों को अपनी गतिविधियों के अन्तर्गत सहयोग देना है।

उपलब्ध है:

http://www.cap-net.org/captrainingmaterialsearchdetail.php?TM_ID=101

जी.डब्ल्यू.ए., 2003। *टैपिंग इन्टू सस्टेनेबिलिटीः इश्यूज एण्ड ट्रेन्ड्स इन जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन वॉटर एण्ड सैनिटेशन।* जेण्डर एवं जल पर सत्र के लिए पृष्ठभूमि दस्तावेज। तीसरा विश्व जल फोरम, क्योटो, जापान उपलब्ध है: http://www.genderandwater.org/page/156

हिल, सी.एल.एम., 2003। *गाइड फॉर जेण्डर डिस्एग्रीगेटेड डाटा इन एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, एफ.ए.ओ., सियागा।*

यह निर्देशिका कृषि संबंधी आंकड़ों व साख्यिकीयों को प्रदान करने वाले लोगों की क्षमता विकास में सहायक हो सकती है।

उपलब्ध है: http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/GDDEn.pdf

केलर, बोनी, एनि–लिज क्लाउजेन एण्ड स्टेला मुकासा, 2000। *द चैलेन्ज ऑफ वर्किंग विथ जेण्डर, एक्सपीरिएन्सेज फ्रॉम डैनिश–युगाण्डन डेवलेपमेन्ट कोऑपरेशन,* विदेशी मामलों का दानिश मंत्रालय (डैनिडा)।

वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथी वैश्विक बैठक के पंचवर्षिय अनुश्रवण कार्यक्रम में सहयोग देने की एक पहल के रूप में डैनिडा द्वारा कमीशन प्राप्त दानिश व यूगाण्डी विकास सहयोग पर आधारित एक शोध है। यह प्रकाशन जेण्डर व अच्छी विकास प्रक्रियाओं का केवल संकलन मात्र ही नहीं है बल्कि

Available at: http://www.siyanda.org/docs_genie/danida/challenge.pdf

लेसिरिगोंला, कोसिमो, एटेफ हैम्डी एण्ड मैडेन टोडोरोविक, तिथि रहित। *रीजनल एक्शन प्रोग्राम ऑन वॉटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्टः एन ओवरव्यू ऑफ एक्शन्स टूवार्ड्स बेटर वॉटर यूज इन मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर।* सी.आई.एच.ई.ए.एम.

''जल संसाधन प्रबंधन'' पर क्षेत्रीय कार्यवाही कार्यक्रम (रीजनल एक्शन प्रोग्राम ऑन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट–आर.ए.पी.–आर.एम.) सेन्टर इण्टरनेशनल डैस ह्यूटेस एट्यूडेस एग्रोनोमिकेस मेडिटरेनियस (सी.आई.एच.ई.ए.एम.) एवं इसके चार संस्थानों द्वारा ई.यू.गतिविधियों की रूपरेखा के अन्तर्गत विकसित वृहद् कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव संसाधन विकास संस्थागत् क्षमता विकास और कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को प्रशिक्षण, शोध, सूचना आदान–प्रदान इत्यादि द्वारा बढ़ाना है।

उपलब्ध है: http://ressources.ciheam.org/om/pdf/b44/03001793.pdf

लिडोन्डे, आर.ए., डी. डी जान्ग, एन बैरोट, बी.एस. नाहर, एन. महराज एण्ड एच. डर्बीशायर, 2003। *एडवोकेसी मैनुअल फॉर जेण्डर एण्ड वॉटर एम्बेसडर्स,* जी.डब्ल्यू.ए., डेल्ट, नीदरलैण्ड्स।

इसके अन्तर्गत गोष्ठियों, व्याख्यानों व सम्मेलनों, प्रशिक्षण मॉड्यूल व केस स्टडी के लिए दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

उपलब्ध है:

http://www.genderandwater.org/content/download/235/2112/file/00483_GWA_Advocacy_manual_insides.pdf

लिआओ, मैरी ई, 2004। *जेण्डर एण्ड वॉटर डिमाण्ड मैनेजमेन्टः डायग्नोस्टिक स्टडी (रीजनल वॉटर डिमाण्ड इनिसिएटीव फॉर द मिडिल इस्ट एण्ड नार्थ अफ्रीका प्रोजेक्ट),* कायरोः इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट रिसर्च सेन्टर (आई.डी.आर.सी.)।

इस समस्या समाधान/निदानकारी अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य मध्यपूर्वी एवं उत्तरी अमेरिका (मिडिल ईस्ट एण्ड नार्थ अमेरिका–एम.ई.एन.ए.) क्षेत्र के देशों में जेण्डर एवं जल के मांग के प्रबंधन संबंधी मुद्दों का अवलोकन करना तथा वादीमीना (डब्ल्यू.ए.डी.आई.एम.ई.एन.ए.) परियोजना के अन्तर्गत जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी

तरीकों को खोजना भी है। यह पुनरावलोकन मिडिल ईस्ट एण्ड नार्थ अमेरिका में जेण्डर मुद्दों व जल की मांग के प्रबंधन हेतु इसकी सार्थकता की महत्ता पर प्रकाश डालता है। यह पुनरावलोकन जेण्डर एवं जल के माग के प्रबंधन संबंधी एजेण्डे के लिए शोध, नीति एवं विकास स्तरीय आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।
उपलब्ध है: http://www.idrc.ca/wadimena/ev-66734-201-1-DO_TOPIC.html

मोजर, कारोलिने ओ. एन, 1993। *जेण्डर प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेन्टः थ्योरि, प्रेक्टिसेज एण्ड ट्रेनिंग।* न्यूयार्कः रूटलेज।

पार्कर, ए. रानी, 1993। *ऐनदर प्वाइंट ऑफ व्यूः ए मैनुअल ऑन जेण्डर एनलिसिस ट्रेनिंग फॉर ग्रास रूट्स वर्कस।* न्यूयार्कः यूनीफेम।

रोज, लिडोन्डे, 2001। *जेण्डर एण्ड पार्टिसिपेशन।* 27वीं डब्ल्यू.ई.डी.सी. कान्फ्रेन्स जोकि लुसाका, जाम्बिया में हुआ था में प्रस्तुत प्रपत्र।
यह सहभागी मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाओं के विकास की पृष्ठभूमि को उपलब्ध कराता है।
उपलब्ध है:
http://www.lboro.ac.uk/wedc/papers/27/5%20-%20Institutional%20Issues/11%20-%20Lidonde.pdf

स्कैलविक, जे. 2000। *इक्सरसाईजेज इन जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग, जेण्डर इन डेवलेपमेन्ट, मोनोग्राफ सीरिज,* यू.एन.डी.पी. जेण्डर इन डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम।
यह समूह अभ्यास के लिए तैयार की गयी अभ्यास की एक श्रृंखला है जिसे जी.आई.डी.पी. कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए तैयार की गया है। इस अभ्यास श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य कार्यशाला के प्रतिभागियों को जेण्डर समानता संबंधी मुद्दों को पहचानने से संबंधित कुछ अनुभवों से परिचित कराता है। अभ्यास प्रपत्रों की यह श्रृंखला यू.एन.डी.पी. के विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों (गरीबी, शासन, मानवाधिकार, जल संसाधनों, इत्यादि) से संबंधित काल्पनिक ''केस स्टडी'' पर आधारित है।

स्विस एजेन्सी फॉर डेवलेपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन (एस.डी.सी.), 2005। *जेण्डर एण्ड ट्रेनिंगः मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इक्वालिटी एण्ड द प्लानिंग, रियलाईजेशन एण्ड इवैलुएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,* बर्ने, फेडरल डिपार्टमेन्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स।
यह प्रपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में जेण्डर समानता को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी सूचनाओं के साथ–साथ प्रायोगिक पहल को प्रस्तुत करता है।
उपलब्ध है: http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_24712.pdf; Swiss एजेन्सी फॉर डेवलेपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन (एस.डी.सी.), फेडरल डिपार्टमेन्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (डी.एफ.ए.), 3003 बर्न, दूरभाष.: 031 322 44 12; फैक्स: 031 324 13 48; info@deza.admin.ch
अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च और स्पेनिश भाषा में उपलब्ध ।

थामस, एच, जे. स्कैलविक एण्ड बेथ वोरोनिक, 1996। *ए जेण्डर पर्सपेक्टिव इन द वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट सेक्टरः हैण्डबुक फॉर मेनस्ट्रीमिंग,* स्टॉकहोमः स्वीडिश। इण्टरनेशनल डेवलेपमेन्ट कोऑपरेशन एजेन्सी, पब्लिकेशन्स ऑन वॉटर रिसोर्स, संख्या 6।
यह पुस्तिका जल संसाधन प्रबंधन में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने हेतु आवश्यक जागरूकता, वचनबद्धता एवं क्षमता–विकास पर प्रकाश डालता है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र विश्लेषण एवं नीति विकास हेतु जेण्डर समानता व जल संसाधन प्रबंधन के मध्य जुड़ावों को विश्लेषण भी शामिल है। यह पुस्तिका, परियोजना के नियोजन चक्र के विभिन्न चरणों में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु आवश्यक लक्ष्यों दिशा–निर्देशों को बनाने/पहचानने में भी मदद करती है।

यूनेप, 2003। *इम्पावरिंग वीमेन इन वॉटर मैनेजमेन्ट एण्ड अदर डेवलेपमेन्ट इनिसिएटिव्स। ए ट्रेनिंग मैनुअलः फोकसिंग ऑन रेनवॉटर हार्वेस्टिंग।* अर्थ केयर अफ्रीका मॉनिटरिंग इन्सट्रीच्यूट, नैरोबी, केन्या।

डब्ल्यू.ई.डी.सी., 2001। *प्रेक्टिकल गाइड टू मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इन वॉटर प्रोजेक्ट्सः गाइडलाइन्स फॉर वॉटर इन्जीनियर्स एण्ड मैनेजर्स,* लागबोरोग यूनिवर्सिटी, यू.के.।

यह इन्जीनियरों एवं प्रबंधकों हेतु एक सार्थक संदर्शिका है, जिसमें महिलाओं एवं पुरूषों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने संबंधी परियोजनाओं हेतु केस अध्ययनों की श्रृंखला एवं प्रशिक्षण सामग्री भी है।

जल्दना, क्लाउडिया, 2000। *इन यूनिटी देयर इज पावरः प्रोसेसेज ऑफ पार्टिसिपेशन एण्ड इम्पावरमेन्ट।* टूवार्ड्स इक्विटी सीरिज नं–5 सैन जोसः वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन एण्ड एरियाज फाउण्डेशन।

मिहिर भट्ट, 1995 ''वीमेन इन वॉटर मैनेजमेन्टः द नीड फॉर लोकल प्लानिंग, डेवेलपमेन्ट इन प्रेक्टिस, वाल्यूम 5, नं0 3, अगस्त 1995, पृष्ठ संख्या 254–258। आक्सफैम जी.बी. के सौजन्य से टेलर एण्ड फ्रांसिस लिमिटेड द्वारा प्रकाशित। उपलब्ध हैः
http://www.jstor.org/stable/4029145

जब भी जल से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है तो उसमें जेण्डर दृष्टिकोण की कमी रहती है। कोई भी सर्वेक्षण के दौरान यह समझने की कोशिश नहीं करता है कि महिलाओं और जल का एक घनिष्ठ संबंध है। इस प्रपत्र के माध्यम से इन्हीं सब बातों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्रीवास्तव, जे.सी., 1990, ''वीमेन एण्ड हैंडपंप मेन्टीनेन्स''। इन *वॉटर एण्ड वेस्टवॉटर इण्टरनेशनल,* छठां सस्करण पृष्ठ संख्या 37–42।

श्रीवास्तव, जे.सी., 1990, ''वीमेन एण्ड हैंडपंप मेन्टीनेन्स''। इन *हेल्थ फॉर द मिलियन्स, वाल्यूम 14,* संख्या 5, पृष्ठ संख्याः 3–7।

प्रमुख वेबसाइटें

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर क्षमता विकास (कैप–नेट):

कैप–नेट आई.डब्ल्यू.आर.एम. में क्षमता विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। यह जल क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए वचनबद्ध स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों और नेटवर्कों की साझेदारी से बना है।
http://www.cap-net.org

जेण्डर एण्ड वाटर एलायंस (जी.डब्ल्यू.ए.)

जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स का क्षमता विकास कार्यक्रम का गठन प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए नये उपयुक्त और उन्नत प्रणालियों, साधनों और सामग्रियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए किया गया था।
http://www.genderwater.org

ग्लोबल इनवायरनमेण्ट मानीटरिंग सिस्टम (जेम्स):

ग्लोबल इनवायरनमेण्ट मानीटरिंग सिस्टम प्रशिक्षण, अनुश्रवण और जल गुणवत्ता प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रशिक्षण निर्देशिका पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला को वर्णित किया है जो कि जेम्स जल कार्यक्रम और हमारे साझेदारों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विकासशील देशों को जल संसाधन प्रबंधन के लिए आधारभूत योग्यताओं को स्थापित करने या विद्यमान कार्यक्रमों का आधुनिकीकरण करने में मदद देने के प्रति अभिमुख है।
http://www.gemswater.org/capacity_building/index-e.html

विश्व बैंक क्षमता विकास गतिविधियाँ (डब्ल्यू.बी.)

क्षमता विकास जल आपूर्ति और स्वच्छता में विश्व बैंक के समर्थन के लिए प्रमुख है। देशों को विश्व बैंक का समर्थन करके सीखने की पहुँच का अनुसरण करता है जो क्षमता विकास, सुधार और निवेशों को सम्मिलित करता है। विश्व बैंक क्षमता विकास गतिविधियाँ मुख्यतया विश्व बैंक के ग्राहकों उदाहरणार्थ, नीति निमार्ताओं और सरकारी अधिकारियों को लक्ष्यित हैं। यद्यपि, विश्व बैंक के साझेदार उदाहरणतः विकास विशेषज्ञ, मीडिया प्रतिनिधि और द्विपक्षी और बहुपक्षीय संघटन, गैरसरकारी संघटनों के कर्मचारी और अन्य भी बैंक के कई विद्यार्जन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTWSS/0,,contentMDK:20262460~menuPK:533815~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:337302,00.html

केस स्टडी

इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी हैं:

- ब्राजीलः महिला नेतृत्व हेतु प्रयास
- पाकिस्तानः पहल एक की राहत सभी की– बांदा गोलरा में जलापूर्ति योजना में महिला नेतृत्व
- साउथ अफ्रीकाः स्वच्छता एवं ईंट निर्माण परियोजनाओं में महिलायें, माबुल गाँव

3.13 जल क्षेत्रों में जेण्डर संबंधी नियोजन और साधन

परिचय

जेण्डर विश्लेषण की रूपरेखा यह दर्शाती है कि इस तरह का विश्लेषण चरणबद्ध तरीके से कैसे करें, इन मुद्दों से जुड़े प्रश्नों को उठाने में, सूचना को विश्लेषित करने और रणनीतियों तथा नीतियों को विकसित करने में भी मदद करता है, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करती है। जेण्डर विश्लेषण रूपरेखा महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों तथा संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण में विभिन्नता का विश्लेषण करने में मदद करती है। विश्लेषण नियोजकों और निर्णयकर्ताओं की यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार नीतियों और कार्यक्रमों को महिलाओं और पुरुषों के समान योगदान को प्रोत्साहित करने हेतु परिवर्तित किया जा सकता है जिससे वे जेण्डर समानता को संबोधित करें। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट कर सकता है कि क्यों कुछ कार्यक्रमों, परियोजनाओं और नीतियों के महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं। महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कार्यक्रम या परियोजना चक्र में अतिशीघ्र संभव बिंदुओं पर जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह मूलतः संपूर्ण कार्यक्रम या परियोजना संकल्पना और क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकता है।

जेण्डर विश्लेषण के तहत् संपूर्ण नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। जेण्डर–अनुकूल दृष्टिकोण योजना विकास में एक पहलू पर केन्द्रित की जाने वाली अकेली गतिविधि नहीं है। जेण्डर–संवेदी दृष्टिकोण प्रायः स्पष्ट नीति कथन के साथ शुरू होती है जो जेण्डर नियोजन के लक्ष्यों को परिभाषित करती है; तत्पश्चात्, इसको पूरी योजना के क्रियान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता होती है।

जेण्डर संबंधी नियोजन

जेण्डर संबंधी नियोजन विकास कार्यक्रमों व परियोजनाओं को जेण्डर अनुकूल बनाने की ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न जेण्डर संबंधों, भूमिकाओं और आवश्यकताओं तथा विभिन्न महिलाओं और पुरुषों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखती है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उचित तरीकों का चयन शामिल है जोकि केवल महिलाओं और पुरुषों की व्यवहारिक आवश्यकताओं को ही संबोधित नहीं करती है, बल्कि असमान संबंधों को बदलने और अपेक्षित आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले बिंदुओं की भी पहचान करती है।

कार्यक्रमों व परियोजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करने में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने का आशय केवल महिलाओं और पुरुषों को शामिल करना ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन चरणों में उनकी सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है। महिलाओं और पुरुषों को कार्यक्रम के भागीदार और लाभार्थी के रूप में समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा, यह प्रक्रिया दक्षता और कार्यक्रम के टिकाऊपन को बढ़ावा देती है और महिलाओं को सशक्त करने तथा जेण्डर समानता को प्रोत्साहित करने से संबंधित लक्ष्यों का अनुश्रवण करने के योग्य बनाती है।

महिलाओं को परियोजना या कार्यक्रम को तैयार करने के दौरान शामिल न किये जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। उदाहरणतः, नेपाल में, परियोजना के नियोजन में महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान न देने के परिणामस्वरूप महिलाओं का बोझ अनजाने में बहुत अधिक बढ़ गया। अध्ययन में शामिल सभी समुदायों में महिलाओं ने शिकायत की कि जल सेवाओं में सुधार के बावजूद उनका जल एकत्रण में लगने वाला समय काफी बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि नल और ट्यूबवेल सड़क के किनारे लगे होने से महिलाओं का वहाँ पर नहाना और कपड़े धोना मुश्किल हो गया क्योंकि वहाँ से गुजरने वाले लोग उन्हें देखते थे। इस स्थिति से बचने के लिए पूर्व नेपाल में हाइल गाँव में रहने वाली महिलायें रोजाना कई बार अपने घरों में जल ढोकर ले जाती हैं और इसके कारण उनका काफी समय नष्ट होता है। तीन गाँवों में महिलाओं ने बताया कि वे नहाने और कपड़े धोने के लिए अंधेरा होने की प्रतीक्षा करती थीं। महिलाओं ने शिकायत की कि सर्वेक्षणकर्ताओं ने उन्हें नलों और ट्यूबवेलों[7] की डिजाईन करने तथा उनके स्थान के चयन की प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं किया था।

जेण्डर नियोजन साधन और कार्य प्रणालियाँ उदाहरणतः जेण्डर विश्लेषण, सामाजिक मानचित्रण और लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़े ऐसे साधन हैं जो ऐसे विश्लेषण के लिए जरूरी है जहाँ यह देखा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है या नहीं। जेण्डर विश्लेषी साधन का प्रयोग नियोजन में केवल इस उद्देश्य से नहीं किया जाता कि महिलाओं और पुरुषों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सफलता में वृद्धि हो, बल्कि महिलाओं के स्तर में सुधार और विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को बढ़ावा भी मिले।

क्षेत्र के प्रमुख कर्ता

सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों के विभिन्न स्तरों पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, निजी कम्पनियों में, गैर सरकारी संगठनों, महिला समूहों और व्यक्तिगत घरों में योजना बनती है। ये सभी लोग संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विविधता की ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है जिसमें पुरुष और महिलाओं के साथ–साथ विभिन्न आयु समूह, वर्ग, जाति, धार्मिक आस्था वाले समूह, देशी और सांस्कृतिक समुदाय आदि के लोग शामिल हैं। कुछ सीमांत समूह कई बार इसमें छूट सकते हैं यदि उन तक पहुँचने के लिए विशेष प्रयास नहीं किये गये।

नियोजकों का प्रयास उन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिलेवार योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विकास करना होता है जो नीति निर्माताओं के द्वारा स्थापित लक्ष्यों, रणनीतियों और नीतियों के अनुकूल हों। नियोजक मंत्रालय की नियोजन इकाई या इसकी विभिन्न एजेंसियों या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और संगठनों में नियुक्त अर्थशास्त्री, प्रबंधक, समाज विज्ञानी या प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होते हैं। सफल कार्यक्रमों में सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखा है और कार्यक्रम की गतिविधियों में सहभागी तरीकों और जेण्डर नियोजन का प्रयोग किया है।

जल क्षेत्रों में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु नियोजन साधन

जेण्डर संबंधों पर ध्यान देना और नियोजन के लिए जेण्डर–संवेदी साधनों का प्रयोग, बेहतर परियोजना नियोजन और प्रबंधन में योगदान देते हैं और जल कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सफलता की संभावनाओं में वृद्धि कर सकते हैं। जेण्डर की ओर ध्यान देना विशेषतया जल क्षेत्रों के लिए वैध है क्योंकि महिलायें और पुरुष विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं, और साथ ही जल संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण रखते हैं।

विशेष परियोजना या कार्यक्रम के लिए साधन जैसे *जेण्डर विश्लेषण* कार्यक्रम के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समझ में वृद्धि कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की रुचियाँ और आवश्यकताएँ और उनकी विभिन्न प्राथमिकताएँ, ज्ञान, सोंच और जल सेवाओं से संबंधित प्रयोग भी शामिल हैं। उदाहरणार्थ, जल सेवाओं के लिए 'उपभोक्ता–अदायगी' व्यवस्था लागू करने से महिलाओं पर बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि प्रायः उनके पास जल की व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनके पास आय नहीं होती है। महिलायें प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन सांस्कृतिक या सामाजिक कारकों के कारण वे अपनी नयी दक्षताओं और ज्ञान का प्रयोग करने में असमर्थ हो सकती हैं।

सामाजिक मानचित्रण एक ऐसा साधन है जो समुदाय के बारे में उसकी रचना, उपलब्ध संसाधनों, गतिविधियों, पहुँच और जल संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में सूचना प्रदान कर सकता है। मानचित्रण जेण्डर, वर्ग और धार्मिक आस्था के आधार पर जल संसाधनों तक पहुँच, प्रयोग और नियंत्रण को पहचानने में मदद करते हैं। इस प्रकार के साधन समुदाय की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं क्योंकि वे स्थानीय परिस्थितियों के विशेषज्ञ होते हैं। यह लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़ों को एकत्रित करने का सर्वोत्तम साधन है जो कि जल स्रोतों के लिए वरीयता, स्थान और सुविधाओं को तैयार करने और स्वच्छता से संबंधित सांस्कृतिक वरीयताओं पर जानकारी देता है। अन्वेषणात्मक और नियोजन साधन के रूप में सामाजिक मानचित्रण सामुदायिक स्तर पर जल संसाधनों तक पहुँच में असमानताओं और अंतरालों को उजागर करने के साथ–साथ सामुदायिक स्तर पर हो रहे कार्यों के प्रभावों

के आकलन के लिए परियोजना कर्मचारियों के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। यह समुदाय, महिलाओं और पुरुषों दोनों को परियोजना में शामिल करने का सर्वोत्तम तरीका है।

लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़े साधन के रूप में अत्यंत लाभदायक है, किंतु स्वयं में अपर्याप्त है। जबकि यह स्वीकार किया गया है कि जेण्डर सरोकारों को राष्ट्रीय सांख्यिकी में लागू करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे महिलाओं और पुरुषों के जीवन और संबंधों की वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित करते हैं के लिए एकत्रित आँकड़ों की जाँच करने की आवश्यकता है। महिलाओं के भुगतान रहित श्रम और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य को प्रतिबिम्बित करने के लिए संकेतकों को तैयार करने की आवश्यकता है, उदाहरणतः, मानक सरकारी सांख्यिकी में इस प्रकार के उपायों, महिलाओं के आर्थिक योगदान को कम आकलित कर अवहेलना करने की प्रवृत्ति होती है।

लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़ों से संबंधित मुद्दे जेण्डर–संवेदी संकेतकों से जुड़े हैं, जो कि नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं और पुरुषों के हुये लाभ को मापने और परिवर्तनों का अनुश्रवण करने के योग्य बनाते हैं। उदाहरणार्थ, जेण्डर–संवेदी संकेतक महिलाओं और पुरुषों की व्यवहारिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए लक्ष्यित गतिविधियों के प्रभाव और प्रभावीपन को नाप सकते हैं।

हिस्टोग्राम एक अन्य साधन है, जो समुदाय की स्थिति का अवलोकन करने में शोधकर्ताओं और नियोजनकर्ताओं की मदद करता है। इससे वे, गाँव और क्षेत्र में हुई जल संसाधन प्रबंधन और गरीबी को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को जान सकते हैं। यह समुदायों की उन घटकों का विश्लेषण करने में मदद करता है जो उनकी वर्तमान समस्याओं पर प्रभाव डालते हैं। हिस्टोग्राम साधन प्रवृत्ति विश्लेषण (ट्रेन्ड एनेलिसीस) से भिन्न है, क्योंकि यह कई ऐसी घटनाओं (राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन या प्राकृतिक आपदाएँ) को शामिल करता है जो समुदाय में पूर्व में घटित हुई हैं। यह समय–समय पर प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तनों की रफ्तार को समझने में लाभप्रद है। जो समुदाय में वर्तमान समस्याओं को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार के साधन को समुदाय में सभी सदस्यों विशेषतया बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

पाकेट चार्ट शोधकर्ता को गुणात्मक सामाजिक–आर्थिक और लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़ों को एकत्रित करने और उन्हें व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर निर्धारित करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, यह केवल महिलाओं और पुरुषों के लिए आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पहचानने और उनके निर्धारण में ही मदद नहीं करता है, बल्कि प्रस्तुतीकरण और नेतृत्व स्थितियों में लाभ और परिवर्तन में भी मदद करता है।

कल्याण या समृद्धि श्रेणी से समुदायों की उनकी स्वयं की सामाजिक–आर्थिक वर्गीकरण व्यवस्था को लागू करने में मदद मिलती है। यह संबंधित हित (जैसे, शिक्षा, भोजन, जल, स्वास्थ्य, स्थिति, संपत्ति, आधारभूत ढाँचा और रोजगार) के समुदाय के स्वयं के संकेतकों को दर्शाता है। यह समुदाय के स्व–मूल्यांकन और सामाजिक–आर्थिक समूहों के विभिन्न स्तरों के लगभग प्रतिशत की पहचान का अच्छा साधन है। यह साधन यह जाँचने के लिए है कि गरीब महिलाएं और पुरुष निर्णय लेने और जल संसाधनों तक पहुँच में भाग लेना जारी रखते हैं या नहीं।

जेण्डर–अनुकूल तरीके और जल क्षेत्रों में नियोजन के लिए साधन, दक्षता, सामाजिक निष्पक्षता और जेण्डर–समानता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। लक्ष्य जैसे जल और स्वच्छता के लिए मिलेनियम डेवेलपमेन्ट गोल में दिये गये लक्ष्य जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है यदि जेण्डर परिप्रेक्ष्य को नियोजन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता है।

दिशा निर्देश, पुस्तक और "साधन टूल किट" नियोजकों को विकास गतिविधियों के प्रत्येक चरण में जेण्डर सरोकारों को एकीकृत करने में मदद करती है। ये लाभदायक संसाधन नियोजन में जेण्डर निष्पक्षीय तरीकों को सरल बनाने के लिए सामान्य अवधारणाओं, तकनीकों, साधनों और मॉडलों को एक साथ जोड़ता है।

संदर्भ

चन्द्रा रेगमी, शीबेश एण्ड बेन फॉकेट्, 1999। ''इन्टिग्रेटींग जेण्डर नीड्स इन्टू ड्रिन्किंग वॉटर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल'', *जेण्डर एण्ड डेवेलपमेन्ट,* 7(3).

जेण्डर एण्ड डेवलेपमेन्ट ट्रेनिंग सेन्टर, नीदरलैण्ड्स डेवेलपमेन्ट आर्गनाईजेशन (एस.एन.वी.), 2000। *मैनुअल फॉर द पार्टिसिपेटरी जेण्डर ऑडिट* / हारलेम, द नीदरलैण्ड्स।
मार्च, सी. एट ऑल, *की कन्सेप्ट्सः ए गाइड टू जेण्डर एनलिसिस फ्रेमवर्क* / ऑक्सफोर्डः ऑक्सफैम।

मोजर, सी, 1993। *जेण्डर प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्टः थ्योरि, प्रेक्टिसेज एण्ड ट्रेनिंग* / लंदनः राउटलेज।

ओक्साल, जोए एण्ड साल्टी बडेन, 1997। *जेण्डर एण्ड इम्पावरमेन्टः डेफिनिशन्स, एप्रोचेज एण्ड इम्प्लिकेशन्स फॉर पॉलिसी* / ब्रिफिंग पेपर प्रिपेयर्ड फॉर द स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवेलपमेन्ट कोऑपरेशन एजेन्सी (सीडा), ब्रिज, इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेन्ट स्टडीज, रिपोर्ट संख्या 40। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ब्रिगटॉन, यू.के.। उपलब्ध हैः http://www.bridge.ids.ac.uk/Reports/re40c.pdf

वाच, एच. एण्ड हजेल रिव्स, 2000। *जेण्डर एण्ड डेवेलपमेन्टः फैक्ट्स एण्ड फिगर्स,* रिपोर्ट संख्या 56, ब्रिज, इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेन्ट स्टडीज, यू.के.।

अतिरिक्त संसाधन

एग्यूलर, लोरेना। 1999। *ए गुड स्टार्ट मेक्स ए बेटर इन्डिंगः राईटिंग प्रपोजल्स विथ ए जेण्डर पर्सपेक्टिव* / टूवार्ड्स इक्विटी सीरिज संख्या–1. सैन जोसः वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन एण्ड एरियाज फाउण्डेशन।

लेखक ने जेण्डर निष्पक्षता के परिप्रेक्ष्य को परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के दौरान शामिल करने के लिए आवश्यक सूचनाओं व चरणों का विवरण दिया है।

उपलब्ध है:
http://www.generoyambiente.org/admin/admin_biblioteca/documentos/Modulo%201.pdf **(English)**
http://www.generoyambiente.org/admin/admin_biblioteca/documentos/modulo%201.pdf **(Sapnish)**

एग्यूलर, लोरेना, गुस्तावो ब्रिकेनो, एण्ड इल्से वेलिंसिआनो, 2000। *सीक एण्ड ये शैल फाइन्डः पार्टिसिपेटरी अप्रेजल्स विथ ए जेण्डर इक्विटी पर्सपेक्टिव,* टूवार्ड्स इक्विटी सीरिज संख्या–2. सैन जोसः वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन एण्ड एरियाज फाउण्डेशन।

के.आई.टी. / ऑक्सफैम, (2002)। *नेचुरल रिर्सोसेज मैनेजमेन्ट एण्ड जेण्डरः ए ग्लोबल सोर्सबुक* / (क्रिटिकल रिव्यूज एण्ड एन्नोटेड बिब्लियोग्राफिक्स सीरिज)

यह पुस्तक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी अनुभवों को प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक भिन्न प्राकृतिक संसाधनों को अलग–अलग परिप्रेक्ष्यों जिसमें पश्चिमी अफ्रीका की महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, भातर की जल नीतियों में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना, युगाण्डा में नमभूमि विकास में जेण्डर आधारित नियोजन आदि जैसे मुद्दों को निरीक्षण करती है।

उपलब्ध हैः के.आई.टी. (रॉयल ट्रॉपिकल इन्स्टीट्यूट), पी.ओ. बॉक्स 95001, 1090 एचए एम्सटरडम, द नीदरलैण्ड्स, ई–मेलः publishers@kit.nl, वेबसाइटः www.kit.nl

अल्फारो, मारिया सेसिलिया, 1999। *अनविलिंग जेण्डरः बेसिक कन्सेप्चुअल एलिमेन्ट्स फॉर अन्डरस्टैन्डिंग इक्विटी,* सैन जोसः वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन एण्ड एरियाज फाउण्डेशन।

अल्फारो क्वेसेडा, सेसिलिया, 2002। *इफ वी ऑर्गनाइज इट वी कैन डू इटः प्रोजेक्ट प्लानिंग विथ ए जेण्डर पर्सपेक्टिव* / टूवार्ड्स इक्विटी सीरिज संख्या–3. सैन जोसः वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन एण्ड एरियाज फाउण्डेशन।

एथिल, कथेरिन, तिथि रहित। *टूलकिटः ऐन इन्टीग्रेटेड रिसोर्स फॉर इम्लिमेन्टिंग द जेण्डर मैनेजमेन्ट सिस्टम सीरिज।* लंदनः कॉमनवेल्थ सचिवालय

जेण्डर प्रबंधन तंत्र, कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा विकसित जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने का व्यापक तरीका है। इस तंत्र का उद्देश्य समाज में आधारभूत व टिकाऊ बदलाव लाना है। यह किट जेण्डर कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों को मदद करने के लिए विकसित की गयी है जिसमें सरकार, संस्थान व अन्य संगठन शामिल हैं।

असऐड गाइड टू जेण्डर एण्ड डेवेलपमेन्ट वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन, 2000। *जेण्डर गाइडलान्स वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन* सप्लिमेन्ट टू गाइड टू जेण्डर एण्ड डेवेलपमेन्ट, असऐड, (अपडेटेड अप्रैल, 2005)। उपलब्ध है: http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/gender_guidelines_water.pdf

बेक, टोनी, 1999। *ए क्विक गाइड टू यूजिंग जेण्डर–सेन्सटिव इण्डिकेटर्स।* लंदनः कामनवेल्थ सचिवालय

इस निर्देशिका को प्रयोगकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर जेण्डर अनुकूल संकेतकों का चयन, प्रयोग तथा विवरण में सहायता करने हेतु तैयार की गयी है। यह मुख्यतः सरकार के लिए काफी उपयोगी होगी जोकि जेण्डर प्रबंधन तंत्र बना रही हो या राष्ट्रीय स्तर का जेण्डर संकेतकों का डेटाबेस। इसके अलावा अन्य संस्थान भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

उपलब्ध है:
http://publications.thecommonwealth.org/publications/html/DynaLink/pages/20/page/2/pub_details.asp

बेक, टोनी, तिथि रहित। *यूजिंग जेण्डर–सेन्सटिव इण्डिकेटर्स। ए रिफरेन्स मैनुअल फॉर गवर्नमेन्ट्स एण्ड अदर स्टेकहोल्डर्स।* लंदनः कामनवेल्थ सचिवालय

यह जेण्डर प्रबंधन तंत्र की शृंखला की संदर्भ निर्देशिका है जो जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए साधन व क्षेत्र विशिष्ट दिशा–निर्देश प्रदान करती है। इस निर्देशिका की शृंखला के अन्य दस्तावेजों के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। यह निर्देशिका सरकारों को उनकी वचनबद्धताओं के अनुसार कार्यवाही योजना के क्रियान्वयन में उनकी मदद करता है।

उपलब्ध है:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BD30AA2D0-B43E-405A-B2F0-BD270BCEFBA3%7D_ugsi_ref.pdf

ब्राम्बिला, पाओला, 2001। *जेण्डर एण्ड मॉनीटरिंगः ए रिव्यू ऑफ प्रेक्टिकल इक्सपीरिएन्सेज,* पेपर प्रिपेयर्ड फॉर द स्विस एजेन्सी फॉर द डेवेलपमेन्ट एण्ड कोऑपरेशन एजेन्सी (एस.डी.सी.), ब्रिज, इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेन्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ब्रिगटॉन 19 आर.ई., यू.के.।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य एक ऐसा प्रायोगिक साधन प्रदान करना है जिसका प्रयोग वर्तमान अनुश्रवण व मूल्यांकन प्रणालियों में जेण्डर दृष्टिकोण को शामिल करने में किया जा सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि संकेतकों का इस्तेमाल कैसे, इस प्रक्रिया में किन लोगों को शामिल तथा परियोजना चक्र के दौरान कब करना चाहिए।

उपलब्ध है: http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re63.pdf

कैनेडियन इण्टरनेशनल डेवेलपमेन्ट एजेन्सी (सी.आई.डी.ए.), 1997। गाइड टू *जेण्डर–सेन्सटिव इण्डिकेटर्स।*

यह निर्देशिका कैनेडियन सीडा के विकास पहल के निष्कर्षों के मापन में प्रयुक्त जेण्डर अनुकूल संकेतकों का एक उपयोगी साधन कैसे है का विवरण देती है। यह कुछ विशिष्ट परियोजनाओं का उदाहरण लेते हुए संकेतकों के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। इस निर्देशिका के साथ में संदर्भ गाइड के रूप में एक पुस्तिका भी शामिल है।

उपलब्ध है:
http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/WID-HAND-E.pdf (project level handbook)
http://w3.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf (guide to Gender Sensitive Indicators)

दयाल, आर., सी.ए. वैन विक–सिज्बेस्मा, एण्ड एन. मुखर्जी, 2000। *मेटगाइडः मेथडोलॉजी फॉर पार्टिसिपेटरी असेस्मेन्ट विथ कम्यूनिटीज, इन्स्टीट्यूशन एण्ड पॉलिसी मेकर्सः लिंकिंग सस्टेनेबिलिटी विथ डिमाण्ड, जेण्डर एण्ड पावर्टी। (यू.एन.डी.पी.–वर्ल्डबैंक, वॉटर एण्ड सैनिटेशन प्रोग्राम)।*

डर्बीशायर, हेलेन, 2000। *जेण्डर मैनुअलः ए प्रेक्टिकल गाइड फॉर डेवेलपमेन्ट पॉलिसी मेकर्स एण्ड प्रेक्टिसनर्श* / लंदनः डी.एफ.आई.डी.

यह जेण्डर निर्देशिका गैर जेण्डर विशेषज्ञों की मदद के लिए तैयार की गयी है जिससे वे अपने कार्यों में जेण्उर संवेदी मुद्दों को सम्मिलित कर सकें। इसमें जेण्डर से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट करने के साथ–साथ जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रियाओं पर भी जानकारी दी गयी है।

उपलब्ध है: http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/gendermanual.pdf

फॉन्ड, एम.एस., डब्ल्यू. वॉकमैन एण्ड ए भूषन, 1996। *वर्किंग ऑन जेण्डर इन वॉटर एण्ड सैनिटेशनः जेण्डर टूलकिट* सीरिज संख्या 2 (यू.एन.डी.पी.–वर्ल्डबैंक, डब्ल्यू.एस.पी.)। उपलब्ध हैः http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/toolkit.pdf

जेण्डर एण्ड डेवेलपमेन्ट ट्रेनिंग सेन्टर, नीदरलैण्ड्स डेवेलपमेन्ट ऑर्गनाईजेशन (एस.एन.वी.), 2000। *मैनुअल फॉर द पार्टिसिपेटरी जेण्डर ऑडिट* / हारलेम, द नीदरलैण्ड्स।

यह निर्देशिका डच गैर सरकारी संगठन एस.एन.वी. द्वारा विकसित की गयी जिसमें संगठन के कार्यक्रमों में सहभागी जेण्डर आडिट करने हेतु साधन दिये गये हैं। यह स्व–आकलन विधि पर आधारित है जिसमें कोई भी संगठन जेण्डर निष्पक्षता व महिला सशक्तिकरण कार्यों के कार्य संपादन में सुधार हेतु इस्तेमाल कर सकता है।

उपलब्ध है:
http://www.snvworld.org/cds/rgGEN/Chapter%201/AuditManualEngDefinit.doc

जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स (जी.डब्ल्यू.ए.), 2003। *ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स पैकेजः जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन इन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट* / उपलब्ध है: http://www.genderandwater.org/page/766

जी.डब्ल्यू.ए., तिथि रहित। *जेण्डर स्कैन* /

जेण्डर स्कैन एक नया साधन है जोकि किसी भी संगठन को जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के संदर्भ में आंतरिक परिवर्तन या रणनीति परक नियोजन प्रक्रिया में मदद कर सकता है। इसमें उदाहरणस्वरूप केस स्टडी भी दी गयी हैं।

उपलब्ध है: http://www.streamsofknowledge.net/

जी.टी.जेड., 1998। *जेण्डर ट्रेनिंग टूलकिट,* जर्मन टेक्निकल कोऑपरेशन सेल्फ–हेल्प फण्ड प्रोजेक्ट।

यह टूलकिट जेण्डर संबंधी जागरूकता को बढ़ाने से जुड़े प्रमुख पहलुओं को सहभागी जेण्डर अनुकूलन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करती है। दिये गये दिशा–निर्देश अनुभवों पर आधारित है। टूलकिट में विभिन्न तकनीक, अभ्यास, खेल, हैण्डआउट आदि शामिल किये गये हैं जिससे लोग अपने अनुभवों का आकलन कर प्रस्तुत कर सकें।

नेशनल कमीशन ऑन द रोल ऑफ फिलीपिनो वीमेन एण्ड द कैनेडियन इण्टरनेशनल डेवेलपमेन्ट एजेन्सी, 2002। *ए गाइडबुक ऑन जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग / हाऊ फार हैव वी गॉन?*

यह गाइडबुक जेण्डर व विकास एजेन्सियों, तकनीकी कार्य समूहों के सदस्यों तथा अन्य संबंधित समितियों की मदद करने के लिए तैयार की गयी है। इसमें जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने की मूल्यांकन रूपरेखा दी गयी है जिससे प्रक्रिया की प्रगति पर ध्यान रखा जा सके।

उपलब्ध है: http://www.ncrfw.gov.ph/publication/publication.htm

रथजेबर, ईवा एम, तिथि रहित। ''वॉटर मैनेजमेन्ट इन अफ्रीका एण्ड द मिडिल इस्टः चैलेन्जेज एण्ड अपाच्यूनीटिज'', वीमेन, मेन एण्ड वॉअर रिसोर्स मैनेजमेन्ट इन अफ्रीका, आई.डी.आर.सी.

यह प्रपत्र उन सरोकारों का समर्थन करता है जिससे अफ्रीकी सरकार व अनुदानदाता जल परियोजनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए।

उपलब्ध है: http://www.idrc.ca/fr/ev-9334-201-1-DO_TOPIC.html
या http://www.idrc.ca/fr/ev-31108-201-1-DO_TOPIC.html

रोचेल्यू, डी.बी. थामस–स्लेयटर एण्ड डी. एडमुन्ड्स, 1995। ''जेण्डर रिसोर्स मैपिंगः फोकसिंग ऑन वीमेन्स स्पेस इन द लैण्डस्केप'', *कल्चरल सर्वाइवल क्वार्टरली,* 18(4).

रोडरिज, ज्यूसेले एट ऑल, 1999। *टेकिंग द पल्स ऑफ द जेण्डरः जेण्डर–सेन्सिटिव सिस्टम्स फॉर मॉनीटरिंग एण्ड अप्रेजल,* वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन एण्ड एरियाज फाउण्डेशन, सैन जोस।

रोडरिज विल्लाबोस, रोकियो, 1999। *माड्यूल 8ः शेयरिंग सिक्रेट्सः सिस्टमेटाईजेशन फ्रॉम ए जेण्डर पर्सपेक्टिव,* वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन एण्ड एरियाज फाउण्डेशन, सैन जोस।

यू.एन.डी.पी., 2003। *मेनस्ट्रीमिंग जेण्डर इन वॉटर मैनेजमेन्टः ए प्रेक्टिकल जर्नी टू सस्टेनेबिलिटी।*
इस निर्देशिका में परियोजना चक्र के दौरान जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है।
उपलब्ध है: http://www.undp.org/water/docs/resource_guide.pdf

यूनाईटेड नेशन्स इन्वायरनमेन्ट प्रोग्राम (यूनेप), 1997। *यूनेप प्रोजेक्ट मैनुअलः फॉरमुलेशन, अप्रूवल, मॉनीटरिंग एण्ड इवैलुएशन।* यूनेप, नैरोबी।

सदर्न अफ्रीकन डेवेलपमेन्ट कम्यूनिटी (एस.ए.डी.सी.): *पॉलिसीज, प्लान्स एण्ड एक्टीविटीज।*
इसमें क्षेत्र की जेण्डर परियोजनायें, गतिविधियां तथा नीतियां दी गयी हैं और साथ ही विभिन्न सरकारों द्वारा जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उठाये गये कदमों पर भी सूचना शामिल है।
उपलब्ध हैः एस.ए.डी.सी. जेण्डर डिपार्टमेन्ट, प्राईवेट बैग 0095, गाबोरोने, बोत्सवाना।

थॉमस, हेलेन, जोहन्ना स्कैलकिक एण्ड बेथ वोरनिक, 1996। *हैण्डबुक फॉर मेनस्ट्रीमिंगः ए जेण्डर पर्सपेक्टिव इन द वॉटर रिसोर्स मैनेजमेण्ट सेक्टर।* पब्लिकेशन्स ऑन वॉटर रिसोर्स, संख्या 6 (स्टॉकहोम, स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवेलपमेन्ट कोऑपरेशन एजेन्सी)।
मुख्यधारा पर यह पुस्तक परियोजना चक्र से जुड़े प्रमुख प्रश्नों, परामर्श प्रक्रिया के दौरान लिये जाने वाले मुद्दों, जेण्डर सहभागिता संबंधी विशिष्ट संकेतकों के चयन तथा जेण्डर समान तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए बजट के निर्धारण के बारे में हैं।
उपलब्ध है:
http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=WaterRes6%5B1%5D.pdf&a=2527

थॉमस–स्लेयटर, बारबरा, जेवियर रचेल पोलेस्टिको, आन्द्रे एस्सार, ओक्टिवा टेलर; एण्ड एल्विना मुतुआ, 1995। *मैनुअल फॉर सोशियो–इकोनॉमिक एण्ड जेण्डर एनलिसिसः रिस्पॉन्डिंग टू द डेवलेपमेन्ट चैलेन्जेज।* टोटोटो होम इन्डस्ट्रीज, केन्या, द फिलिपीन्स यूनिवर्सिटी।
यह निर्देशिका सामाजिक, आर्थिक तथा जेण्डर विश्लेषण तरीके पर आधारित है जोकि पुरूषों और महिलाओं की प्राथमिकताओं और संभावनाओं का विश्लेषण करने में मदद करती है। यह क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों के लिए अच्छी संसाधन सामग्री है जोकि पर्यावरण, समाज तथा आर्थिक परिवर्तनों से जुड़े सामाजिक कारकों की सार्थकता दर्शाती है।
उपलब्ध (बिक्री हेतु) : क्लार्क यूनिवर्सिटी, आई.डी.सी.ई. ग्रेजुएट प्रोग्राम 950, मेन स्ट्रीट, वोरसेस्टर, एम.ए. 01610, दूरभाष: 508-793-7201, फैक्स: 508-793-8820, ई–मेल: idcepub@clarku.edu
उपलब्ध है: http://clarku.edu/departments/idce/publications.shtml

टोर्टजाडा, सेसिला, 2002। *कन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन टू द प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ वॉटर रिसोर्स इन लैटिन अमेरिका।* रिसर्च रिपोर्ट।
उपलब्ध है: http://www.thirdworldcentre.org/epubli.html

वाइल्ड वी. एण्ड वैनो–मटिला ए, 1996। *जेण्डर एनलिसिस एण्ड फारेस्ट्री ट्रेनिंग,* रोम, फुड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनाईजेशन ऑफ द यूनाईटेड नेशन्स (एफ.ए.ओ.)।
यह एशिया के अनुभवों पर आधारित पूर्ण प्रशिक्षण पैकेज है जिसमें जेण्डर विश्लेषण की महत्ता, प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियोजन व आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश, केस स्टडी तैयार करने; प्रशिक्षण संबंधी लेख व समाग्रियाँ शामिल हैं।

कृष्णकुमार, आशा, 2003। वीमेन एण्ड वॉटर, फ्रन्टलाइन, जेण्डर इश्यूज, वाल्यूम 20 इश्यू 20 सितम्बर 27–अक्टूबर 10। उपलब्ध हैः
http://www.hindu.com/thehindu/fline/fl2020/stories/20031010001107700.htm

कृष्ण कुमार आशा, 2003। *द स्टेट एण्ड वॉटर राइट, फ्रन्टलाइन जेण्डर इश्यूज वाल्यूम 20 इश्यू 20 सितम्बर 27–अक्टूबर 10* / उपलब्ध है:
http://www.flonnet.com/fl2020/stories/20031010000807800.htm

भारत में सन् 1947 में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता 5000 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष थी जो 2002 में घटकर लगभग 2000 क्यूबिक मीटर हो गयी है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक यह घटकर 1500 क्यूबिक मीटर हो जायेगी। आज भारत जल की कमी की समस्या का सामना कर रहा है। दूसरी ओर जहां सरकार पहले सामाजिक संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम करती थी वहीं आज संचालक की भूमिका निभा रही है। डॉ0 सारा अहमद महिलाओं को केन्द्र में रखते हुए कहती हैं कि जल नीति में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को कभी भी शामिल नहीं किया गया है। अधिकतर महिलाओं और समुदायों को एक ही स्तर पर देखा जाता है जिसकी वजह से महिलाओं की आवश्यकताओं और उनके अधिकारों का हनन होता है। इस प्रपत्र में इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है।

ब्रून्स, बी.आर. एवं आर.एस. मिनजेन–डिक (संस्करण), 2000। निगोशिएटिंग वॉटर राइट्स, नई दिल्ली, विस्तार पब्लिशर्स।

हम यह जानते हैं कि जल ही जीवन है। खेती, जीवन और पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही जल संसाधलनों पर निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण व कृषि के लिए जल की बढ़ती मांग के कारण जल की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। राज्यों में, देशों में जल की कमी की समस्या को लेकर तनाव भी बढ़ता जा रहा है। जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह प्रपत्र कुछ ऐसी ही नीतियों का विश्लेषण करता है तथा कुछ केस स्टडी के द्वारा इन नीतियों में जो कमियां रह गयी हैं उन्हें बताता है।

मिहिर भट्ट, 1995 ''वीमेन इन वॉटर मैनेजमेन्ट: द नीड फॉर लोकल प्लानिंग, डेवेलपमेन्ट इन प्रेक्टिस, वाल्यूम 5, नं0 3, अगस्त 1995, पृष्ठ संख्या 254–258। आक्सफैम जी.बी. के सौजन्य से टेलर एण्ड फ्रांसिस लिमिटेड द्वारा प्रकाशित। उपलब्ध है:
http://www.jstor.org/stable/4029145

जब भी जल से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है तो उसमें जेण्डर दृष्टिकोण की कमी रहती है। कोई भी सर्वेक्षण के दौरान यह समझने की कोशिश नहीं करता है कि महिलाओं और जल का एक घनिष्ठ संबंध है। इस प्रपत्र के माध्यम से इन्हीं सब बातों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

टीना वैलेस, दीपा जोशी, शीवेश रेग्मी, जुलाई 2003, फाइन्डिंग फ्रॉम रिसर्च इन इण्डिया एण्ड नेपाल: वॉटर ए जेण्डर इश्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन। उपलब्ध है:
http://users.ox.ac.uk/~cccrw/working%20papers/wallace1.pdf

हाल ही में बनने वाली जल नीतियां अक्सर जेण्डर असमानता को बढ़ावा देती हैं। ये यह तय करती हैं कि जल तक किसकी पहुंच होगी और किसकी नहीं। शोधकर्ताओं ने भारत में तीन घरेलू जल परियोजनाओं की समीक्षा की है। इस पूरे शोध में अर्न्तराष्ट्रीय जल नीतियों को जेण्डर परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की गयी है।

कुलकर्णी, एस, अहमद एस., आर्य एस., ज्वॉय के.जे. एण्ड परांजपे एस., 2007, ''वीमेन, वॉटर एण्ड लाइवलीहुड: ए रिव्यू ए पॉलिसी। टूवार्ड्स इवाल्विंग अ जेण्डर जस्ट वीजन फॉर वॉटर''। डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन. एवं एस.ओ.पी.पी.ई.सी.ओ.एम., पुणे।

लाहिड़ी–दत्त, कुन्तला (2003)। 'रिफलेक्शन ऑन वॉटर: जेण्डर इन द गर्वनेन्स ऑफ वॉटर इन इण्डिया', डेवेलपमेन्ट बुलेटिन, द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी।
उपलब्ध है: http://rspas.anu.edu.au/gwn/resources/reflections_on_water_article.pdf

इस प्रपत्र के माध्यम से भारत में जल संबंधित विभिन्न पहलुओं को सामने रखने की कोशिश की गयी है। इस प्रपत्र में महिलाओं को केन्द्र में रखते हुए पानी से जुड़ी हुयी उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार एवं समाज को इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है।

पाण्डा, स्मिता मिश्रा, वीमेन्स कलेक्टिव एक्शन एण्ड सस्टेनेबल वॉटर मैनेजमेन्ट: केस ऑफ सेवा वॉटर कैम्पेन इन गुजरात, भारत
उपलब्ध है: http://www.capri.cgiar.org/pdf/capriwp61.pdf

लाहिड़ी–दत्त, कुन्तला (2007)। डाईल्यूटेड सिटिजनशिपः वीमेन, वॉटर एण्ड राइट्स इन द मिड ऑफ इन्इक्वालिटीज इन इण्डिया।
उपलब्ध हैः http://rspas.anu.edu.au/blogs/rmap/files/2007/03/diluted-citizenship.pdf

केस स्टडी
इस संसाधन संदर्शिका के अन्त में पूर्ण केस स्टडी दी गयी है।

अफ्रीकाः अफ्रीकी शहरों हेतु जलः यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सेटेलमेन्टस प्रोग्राम (यू.एन.–हैबिटैट) व जेण्डर व वॉटर एलायन्स के बीच साझेदारी।

3.14 जल क्षेत्रों में जेण्डर अनुकूल बजट तैयार करना

परिचय

महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता, उनके बीच सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों, के साथ–साथ मानवाधिकारों और संसाधनों तक उनकी पहुँच तथा निर्णय लेने की शक्ति में महिलाओं व पुरूषों के बीच समानता और निष्पक्षता को बनाये रखने के लिए असंख्य सभाएँ, घोषणाएँ व कार्यवाही योजनाएँ बनाई गयी हैं। पिछले 30 वर्षों में जल क्षेत्रों ने इस प्रकार की कई वचनबद्धतायें की हैं।

हांलाकि जल संस्थानों और नीतियों में अन्तरानुभागीय विश्लेषण को समावेशित करते हुए जेण्डर समानता की शुरुआत की गयी है, परन्तु इसका क्रियान्वयन धीमी गति से हो रहा है। इसके अतिरिक्त, पिछले 12 से 20 वर्षों में लागू की गयी नयी व्यापक और न्यायसंगत नीतियों का क्रियान्वयन कई कारकों के कारण प्रभावित हुआ है, जिसमें राजनैतिक इच्छा और वचनबद्धता में कमी, जल संसाधन प्रबंधन में एकीकृत तरीके की कमी, जो महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक भेद–भाव जैसे कारक शामिल हैं।

जेंडर रेस्पांसिव बजट इनीशिएटिव्स (जी.आर.बी.आई.) एक ऐसा साधन उपलब्ध कराता है जो सम्मेलनों, नीतियों और वचनबद्धताओं को क्रियान्वित करने में मदद करता है।

जी.आर.बी.आई. को वृहद्–आर्थिक नीतियों और बजटों में जेण्डर असमानता को पहचानने के लिए विकसित किया गया था (डीएन एल्सन द्वारा किये गये कार्यों को देखें)। प्रथम जेण्डर– रेस्पांसिव बजट आस्ट्रेलिया में वर्ष 1984 में प्रस्तुत किया गया था। वृहद्–आर्थिक नीतियाँ और बजट महिलाओं के भुगतान रहित श्रम को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पुरुषों के योगदान की तुलना में महिलाओं के योगदान को स्वीकारा नहीं जाता है। किसी भी देश की विकास प्राथमिकताओं के लिए राष्ट्रीय बजट ही मुख्य दस्तावेज होता है। यदि सरकार का राष्ट्रीय बजट जेण्डर–अनुकूल नहीं है अर्थात् राष्ट्रीय विकास प्रयासों में महिलाओं की भूमिकाओं और योगदानों का अभाव है तो वह महिलाओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा नहीं करता है। सभी देशों में महिलाएं और पुरुष भिन्न–भिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं और संसाधन तथा निर्णयन प्रक्रिया में प्रायः असमान पहुँच और नियंत्रण रखते हैं, इसलिए बजट उन्हें भिन्न–भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है।

जेण्डर–अनुकूल बजट पहल (जेंडर रेस्पांसिव बजट इनीशिएटिव्स)

जेण्डर अनुकूल बजट पहल (जी.आर.बी.आई.) जेण्डर परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नीतियों, कर–निर्धारण, राजस्व, व्यय और घाटों को विश्लेषित करते हैं। यह ऐसे साधन हैं जो बजट के विश्लेषण को संभव बनाती हैं जिससे यह मूल्यांकित करने में आसानी होती है कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रमों का प्रभाव महिलाओं व पुरूषों तथा लड़कों एवं लड़कियों पर भिन्न–भिन्न व असमान होता है। जी.आर.बी.आई. महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी प्रकार का अलग बजट नहीं हैं। वास्तव में यह बजट प्राथमिकताओं में जेण्डर–अनुकूल विश्लेषणों को शामिल करने की बात करता है। इस संसाधन का प्रयोग बजट के निरूपण के बजाय बजट के विश्लेषण में किया जाता है। इसके द्वारा किया गया विश्लेषण बजट संशोधनों के निरूपण में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त, यह विश्लेषण बजट के उस भाग को ही केवल केन्द्रित नहीं करता है जिसमें जेण्डर सरोकारों व महिलाओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। संपूर्ण जेण्डर बजट विश्लेषण सरकारों के सभी क्षेत्रीय प्रावधानों द्वारा महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच करता है। यह पहल इससे कहीं आगे जाकर जेण्डर–आयु समूहों के उप–समूहों पर विचार कर सकता है (बडलेंडर, 2000:1366)।

हांलाकि अधिकांश जी.आर.बी.आई. का अंतिम उद्देश्य सरकारी बजट में परिवर्तन करना है, फिर भी कई अन्य लाभ भी प्राप्त किये जा सकते हैं। जी.आर.बी.आई. विशेषकर जनता की भागीदारी और वित्त तथा निर्णयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और शासन स्तरीय सुधार कर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का एक तरीका है। जी.आर.बी.आई. सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के उत्तरदायित्वों

को सुधारने और सेवाओं को लक्ष्यित करने की अनुमति देने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय और नगरपालिकाएँ अपने निर्वाचन–क्षेत्रों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए क्रियाशील हों। यह पहल इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि नीतियों को संबंधित बजट निर्धारण के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में सरकारी वचनबद्धताओं को क्रियान्वित करने में मदद भी करता है (खोसला, 2003:5)।

जल क्षेत्रों में जेण्डर–अनुकूल बजट

जेण्डर बजट विश्लेषण के लिए जल को एजेन्डे में शामिल करने से टिकाऊ और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन का दृष्टिकोण विकसित होता है क्योंकि इसमें बजट विश्लेषण के लिए बहु–क्षेत्रीय हितधारकों से जुड़े तरीके भी शामिल होते हैं। जल क्षेत्रों में गरीब महिलाओं की आवश्यकताओं और जेण्डर पक्षपात को संबोधित करने के लिए वरिष्ठ निर्णयकर्ताओं और क्रियान्वयन एजेंसियों की सुस्त प्रतिक्रिया से बढ़ती हुई कुण्ठा के कारण जी.आर.बी.आई. को लाने के लिए आवाज उठने लगी। तंजानिया जेंडर नेटवर्किंग प्रोग्राम (टी.जी.एन.पी.) ने अपने तंजानिया नेशनल बजट (2003–2004) को जेण्डर–अनुकूल विश्लेषण द्वारा जी.आर.बी.आई. की आवश्यकताओं का पूर्णरूप से समर्थन किया है। टी. जी.एन.पी. के अनुसार, राष्ट्रीय बजट राज्य की प्राथमिकताओं को बताने हेतु सबसे उचित संकेतक है। दुर्लभ संसाधनों के वितरण की प्रक्रिया सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को व्यक्त करती है और उनके पक्षपाती संघटकों की भी पहचान भी करती है, जब निर्णयकर्ताओं को नीतिगत् प्राथमिकताओं में से इन्हें चुनने के लिए दबाव डाला जाता है। इसके अतिरिक्त नीतियों और बजट से संबंधित दिशा निर्देश मानकों को और लक्ष्यों की दिशा भी प्रदान करते हैं, वास्तव में बजट राजनैतिक इच्छा को प्रदर्शित करता है।[10]

क्षेत्र में मुख्य पात्रः जी.आर.बी.आई. को कौन लागू कर सकता है?

सरकार के विभिन्न स्तरों और उनके संबंधित मंत्रालयों व विभागों के साथ–साथ समूह तथा अन्य नागरिक संगठनों से जुड़े साझेदार जेण्डर–अनुकूल बजट पहलों में मुख्य कर्ता हैं। उन देशों में जहाँ जी.आर.बी. आई. का प्रयोग हो रहा है वे सबसे ज्यादा सफल हैं। इन देशों में इसका क्रियान्वयन संबंधित मंत्रालय, महिलाओं की एजेंसी या एन.जी.ओ. और/या शोध केंद्र या विश्वविद्यालय द्वारा होता था। जी.आर.बी.आई. पर केस अध्ययन को कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा निर्मित पुस्तकों में देखें।[11] इसमें जल क्षेत्रों से केस अध्ययन ही नहीं बल्कि सरकार के अन्य क्षेत्रों और स्तरों पर आधारित केस अध्ययन भी हैं जहाँ जेण्डर बजट विश्लेषण की शुरूआत की गयी थी।

क्षेत्र में जेण्डर समानता को लागू करने के लिए जी.आर.बी.आई.

जेण्डर–असंकलित लाभार्थी मूल्यांकन जैसे जी.आर.बी.आई. साधन वर्तमान जल और स्वच्छता लोक सेवाओं तथा विद्यमान बजट निर्धारण के प्रति उनके संबंध का मूल्यांकन कर सकता है। जल क्षेत्र के निजीकरण से संबंधित मामले में, यह मूल नीतियों के निर्धारण और महिलाओं तथा पुरुषों की आमदनी से इसके संबंधों व लोक सेवाओं तक इसकी पहुँच से संबंधित विश्लेषण करने में मदद भी कर सकता है। यह जल सेवाओं के प्रावधान के लिए बजट पुनर्निधारण की आवश्यकता को उन लोगों के लिए, जिनके पास ये सेवायें नहीं हैं या इन सेवाओं तक जिनकी पहुँच कम है, भी प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार के साधनों से गैर लाभान्वित समूहों या गरीब महिलाओं व पुरुषों, स्त्री प्रधान घरों, बिना भू–स्वामित्व वाली महिलाओं, कम भूमि वाली महिलाओं और पुरुषों के समूहों से संबंधित स्थिति का पता चलता है।

समय के प्रयोग पर बजट के प्रभाव का असंकलित विश्लेषण ऐसा साधन है जो यह प्रदर्शित करता है कि सरकार द्वारा प्रदान किये गये कार्यों को करने में महिलाओं द्वारा कितना समय लगा। उदाहरणार्थ, महिलायें, परिवार और बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने में अपना ज्यादातर समय खर्च कर देती हैं। ऐसे मामलों में जहाँ जल तक पहुँच न के बराबर होता है वहाँ महिलायें अपना ज्यादा समय जल के पुनर्चक्रण एवं संरक्षण उपायों और गृहस्थी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बजाय जल को दूरस्थ जल स्रोतों से एकत्र करने में व्यतीत करती हैं। यदि आर्थिक विषय में गणना की जाये तो महिलाओं के समय का मूल्य राज्य द्वारा प्रदत्त ऐसी सेवा के लिए दिये गये आर्थिक सहायता के बराबर होता है जिसको प्रदान करने के लिए राज्य प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है।

लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आकस्मिक लोक व्यय लाभों का विश्लेषण एक अन्य लाभदायक साधन है। जल निजीकरण प्रायः जल और स्वच्छता ढाँचे को अलग करता है जो कि मुख्यतया सरकारी निवेश और ऋणों के लिए छोड़ दिया जाता है तथा यह सरकारी व्यय के लाभार्थी विश्लेषण से सरकार में धनी लोगों के प्रति किए गए व्यय में पक्षपात को भी प्रदर्शित करता है। धनी लोग उन गरीब महिलाओं जो जल के लिए भुगतान करने की असामर्थ्यता के कारण अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जल का कम उपभोग करती हैं, की तुलना में गोल्फ कोर्स, स्वीमिंग पूल और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ज्यादा खर्च करते हैं।

असंकलित कर आपात विश्लेषण बाजार और गृहस्थ स्तर पर कर निर्धारण नीतियों के परीक्षण को संभव बनाता है। गृहस्थी स्तर पर जल प्रावधान और प्रबंधन में महिलाओं के भुगतान रहित कार्य के अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक कर दोनों ही सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक कि निजीकृत जल प्रबंधन के संदर्भ में स्वच्छता सुविधाओं को प्रदान करना प्रायः सरकार की जिम्मेदारी होती है जो इन निवेशों को वित्तीय सहायता देने के लिए राजस्व का प्रयोग करती है। बाजार के संदर्भ में, अनौपचारिक क्षेत्र और लघु उद्यमों में प्रमुख के रूप में कार्यरत् महिलायें कर का भुगतान करती हैं। जब जल सुविधाओं से संबंधित ढाँचे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं।

कुछ जी.आर.बी.आई. जल क्षेत्रों के कई आयामों पर विशेष रूप से केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए, जेण्डर–अनुकूल बजट का प्रयोग जल और स्वच्छता सेवाओं, सिंचाई के लिए जल की निष्पक्ष उपलब्धता या एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आई.डब्ल्यू.आर.एम.) के लिए किया जा सकता है। जी.आर.बी.आई. ने दक्षिणी अफ्रीका में, ग्रामीण क्षेत्रों की कई गरीब महिलाओं के लिए जल सेवाओं के प्रावधान में आयी कमी के मामले को अन्य मूलभूत सेवाओं जैसे बिजली की उपलब्धता के साथ उठाया है। हाल ही में, तंजानिया में, टी.जी.एन.पी. ने जल और पशुधन के मंत्रालय के बजट के विश्लेषण में जी.आर.बी.आई. की उपयोगिता को प्रदर्शित किया। जेण्डर हिंसा और नीति, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, कर निर्धारण, पेंशन, खाद्य संबंधी आर्थिक सहायक नीतियों और भूमि का वितरण जैसे क्षेत्रों में आई.डब्ल्यू.आर.एम. के क्षेत्र में जी.आर.बी.आई. ने अपनी महत्ता को प्रदर्शित करता है।

संदर्भ

बडलेन्डर, डेबी, 2000। ''द पॉलिटीकल इकॉनमी ऑफ वीमेन्स बजट्स इन द साउथ'', *वर्ल्ड डेवेलपमेन्ट,* 28(7)। पृष्ठ संख्या 1365–1378।

एल्सन, डियेन, 2002। *जेण्डर रिस्पांसिव बजट इनिसिएटिव्सः सम की डायमेन्सन्स एण्ड प्रेक्टिकल इक्जाम्पल्स* / हेनेरिक बॉल फाउण्डेशन, बर्लिन द्वारा 19–20 फरवरी 2002 में आयोजित ''जेण्डर बजट, वित्तीय बाजारा व विकास के लिए वित्तीय सहायता पर आधारित सम्मेलन में प्रस्तुत प्रपत्र। उपलब्ध हैः
http://www.idrc.ca/en/ev-66707-201-1-DO_TOPIC.html

एल्सन, डियेन, 2002। ''इन्टीग्रेटिंग जेण्डर इन्टू गर्वनमेन्ट बजट्स विथ ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म'', इन डेबी बडलेन्डर, डियेन एल्सन, गाय हेविट एवं तानी मुखोपाध्याय, *जेण्डर बजट्स मेक सेन्ट्सः अन्डरस्टैडिंग जेण्डर रिस्पांसिव बजट्स* / लंदन, कॉमनवेल्थ सचिवालय।

खोसला, प्रभा, 2003। *वॉटर, इक्विटी एण्ड मनीः द नीड फॉर जेण्डर रिसपांसिव बजटिंग इन वॉटर एण्ड सैनिटेशन* / द नीदरलैण्ड्स काउसिंल ऑफ वीमेन।
उपलब्ध है: http://www.gender-budgets.org/en/ev-80859-201-1-DO_TOPIC.html

अतिरिक्त संदर्भ

ए.सी.एफ.ओ.डी.ई., 2005। *जेण्डर बजट ट्रेनिंग मैनुअल* / कम्पाला, युगाण्डा।

इस जेण्डर बजट प्रशिक्षण निर्देशिका को युगाण्डा की ए.सी.एफ.ओ.डी.ई. नामक संस्था ने प्रशिक्षकों के लिए तैयार किया है। यह जिला और सब काउन्टी स्तर पर जेण्डर–अनुकूल बजट तैयार करने वाले नीति–निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों की क्षमता विकास करने वाले प्रशिक्षकों के लिए है।

उपलब्ध है: http://www.idrc.ca/gender-budgets/ev-81782-201-1-DO_TOPIC.html

कूपू, सिकन्दर। तिथि रहित। *वीमेन एण्ड लोकल गर्वनमेन्ट रेवेन्यू*, इडासा, दक्षिण अफ्रीका।
उपलब्ध है: www.idasa.org.za/gbOutputFiles.asp?WriteContent=Y&RID=474

बडलेन्डर, डेबी, 2004। *बजटिंग टू फुलफिल इण्टरनेशनल जेण्डर एण्ड ह्यूमन राइट्स कमीटमेन्ट्स* / यूनीफेम।
उपलब्ध है:
http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11141152661CEDAW_Southern_Africa_Brochure.pdf

बडलेन्डर, डेबी एण्ड गॉय हेविट, 2003। *इनजेण्डरिंग बजट्सः अ प्रेक्टिकल गाइड टू अन्डरस्टैन्डिंग एण्ड इम्प्लिमेन्टिंग जेण्डर रिसपांसिव बजट्स* / लंदनः द कॉमनवेल्थ फाउण्डेशन।

कॉमनवेल्थ सचिवालय के लिए जेण्डर अनुकूल बजट तैयार करने का कार्यक्रम एक सुस्थापित पहल है जोकि सरकार, सामाजिक संस्थाओं व विकास एजेन्सियों के लिए है। यह पहल 20 से भी ज्यादा कॉमनवेल्थ देशों में चल रही है। यह पुस्तक सभी संगठनों के लिए उपयोगी है।

उपलब्ध है:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BFBF59912-40C3-47A6-89C2-F3E5A0EA9B74%7D_Engendering%20Budgets%20final%20doc.pdf

डेबी बडलेन्डर, डियेन एल्सन, गाय हेविट एवं तानी मुखोपाध्याय, 2002। *जेण्डर बजट्स मेक सेन्ट्सः अन्डरस्टैडिंग जेण्डर रिस्पांसिव बजट्स* / लंदन, कॉमनवेल्थ सचिवालय।

यह प्रकाशन जेण्डर–अनुकूल बजट पहल की समझ प्रदान करता है जोकि चार भागों में बंटा है। जिसमें सैद्धांतिक रूपरेखा, इतिहास, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं का विश्लेषण तथा उनके अनुभवों को शामिल किया गया है।

उपलब्ध है:
http://publications.thecommonwealth.org/publications/html/DynaLink/cat_id/33/category_details.asp

डेबी बडलेन्डर, एण्ड गाय हेविट, 2002, *जेण्डर बजट्स मेक मोर सेन्ट्सः कन्ट्री स्टडीज एण्ड गुड प्रेक्टिस* / लंदन, कॉमनवेल्थ सचिवालय।

यह पुस्तक विश्वभर से जेण्डर अनुकूल–बजट पर किये गये कार्यों के अच्छे अनुभवों के दस्तावेजों का संकलन है। इसमें एन्डियन क्षेत्र, आस्ट्रेलिया, कोरिया, मैक्सिको, फिलीपीन्स, रवाण्डा, स्कॉटलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य के पहल से जुड़ी सफलतायें व चुनौतियां दी गयी हैं।

उपलब्ध है:
http://publications.thecommonwealth.org/publications/html/DynaLink/cat_id/33/category_details.asp

बडलेन्डर, डेबी एण्ड रौंदा सॉर्प विथ केरी एलेन, 1998। *हाऊ टू डू अ जेण्डर रिसपांसिव बजट एनॉलिसिसः कन्टेम्पोरेरी रिसर्च एण्ड प्रेक्टिस* / कैनबराः ऑसएड एवं लंदनः कॉमनवेल्थ सचिवालय।

यह दस्तावेज उन देशों जहां जेण्डर–अनुकूल बजट लागू किया जा चुका है (ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, तस्मानिया, श्रीलका, बारबडोस) के आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न देशों के विविध तरीकों, कार्यविधियों व रणनीतियों पर जानकारी दी गयी है। इस पुस्तक को विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ हुयी कार्यशालाओं की शृंखला के आधार पर निर्मित किया गया है।

उपलब्ध है:
http://www.llbc.leg.bc.ca/Public/PubDocs/docs/360141/AusAIDTr.pdf

हर्ट, कैरेन एवं डेबी बडलेन्डर, (संस्करण) 2000। *मनी मैटर्स–2* / *वीमेन एण्ड द लोकल गवर्नमेन्ट बजट* / इडासा, दक्षिण अफ्रीका।

इण्टर–पार्लियामेन्ट्री यूनियन, यूनिफेम, यू.एन.डी.पी., एण्ड डब्ल्यू.बी.आई., 2004। *पार्लियामेन्ट द बजट एण्ड जेण्डर।*

यह संदर्भ साधन या पुस्तिका अंग्रेजी, फ्रेंच व अरबी भाषा में उपलब्ध है। यह इण्टर–पार्लियामेन्ट्री यूनियन द्वारा विकसित छठां संस्करण है जोकि संसद की बजट पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता को बढ़ाने उन्हें तैयार करने व बजट को जेण्डर परिप्रेक्ष्य में जानने संबंधी साधनों को प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है।

अंग्रेजी में उपलब्ध: http://www.idrc.ca/gender-budgets/ev-85201-201-1-DO_TOPIC.html
अरबी में उपलब्ध: http://www.idrc.ca/gender-budgets/ev-85203-201-1-DO_TOPIC.html
फ्रेंच में उपलब्ध: http://www.idrc.ca/gender-budgets/ev-85202-201-1-DO_TOPIC.html

सेन, गीता, 1999। *ए क्विक गाइड टू जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन फॉयनान्स।* लंदनः कॉमनवेल्थ सचिवालय। उपलब्ध हैः
http://publications.thecommonwealth.org/publications/html/DynaLink/pages/50/cat_id/34/category_details.asp

बशीर के.पी.एम. (मंगलवार, जनवरी, 22, 2002) डिमाण्ड फॉर जेण्डर सेन्सेटिव बजट, द हिन्दु। उपलब्ध हैः http://www.hinduonnet.com/2002/01/22/stories/2002012203100300.htm

परसाई गार्गी (सोमवार, दिसम्बर 11, 2000), 'इवैलुएट इम्पैक्ट ऑफ वॉटर पॉलिसीज ऑन वीमेन', द हिन्दु। उपलब्ध हैः
http://www.hinduonnet.com/2000/12/11/stories/0211000p.htm

प्रमुख वेबसाइटें

राष्ट्रमंडल सचिवालय जेण्डर समानता को लागू करने, जेण्डर निष्पक्षता और जेण्डर तथा वृहद्–आर्थिक मामलों के लिए कई सालों से समावेशित कर रहा है। उनकी वेबसाइट में इन विषयों जिसमें जी.आर.बी.आई. भी शामिल है, पर काफी जानकारी उपलब्ध है। वृहत्–आर्थिक और जेण्डर–अनुकूल बजट पर ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए देखें:
http://www.thecommonwealth.org/Templates/Colour.asp?NodeID=34005&int2ndParentNodeID=33895&int3rdParentNodeID=33899

महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और अधिकारों पर यू.एन.आई.एफ.ई.एम. का कार्यक्रम

कई वर्षों से यू.एन.आई.एफ.ई.एम. सक्रिय रूप से नवरूपीय कार्यक्रमों और रणनीतियों जो महिलाओं के मानवाधिकार, राजनैतिक सहभागिता और आर्थिक सुरक्षा के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम अर्थशास्त्र और महिलाओं की गरीबी को कम करते हुए इसने सभी विश्व क्षेत्रों में जी.आर.बी.आई. पर किए जा रहे व्यापक कार्य को सहायता प्रदान की है।
http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics/

यू.एन.आई.एफ.ई.एम., राष्ट्रमंडल सचिवालय और आई.डी.आर.सी.

यह जेंडर रेस्पांसिव बजट इनीशिएटिव (जी.आर.बी.आई.) वेबसाइट यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट फंड फॉर वोमेन (यू.एन.आई.एफ.ई.एम.) (http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=19), राष्ट्रमंडल सचिवालय (http://www.thecommonwealth.org/Templates/Colour.asp?NodeID=34021) और कनाडा के इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर (आई.डी.आर.सी.) (http://www.idrc.ca/index_en.html), का जेण्डर परप्रेक्ष्य से राष्ट्रीय और/या स्थानीय बजट का विश्लेषण करने में, और इस विश्लेषण को जेण्डर अनुकूल बजट के प्रतिपादन के लिए लागू करने में सरकार और सिविल समाज की मदद करने के लिए एक सहयोगी प्रयास है। यह पहल नेटवर्क के निर्माण/समर्थन, धारणाओं, साधनों और प्रशिक्षण सामग्रियों के अग्रवर्ती विकास, प्रशिक्षकों का वैश्विक प्रशिक्षण, दक्षिण–दक्षिण विनिमय, और अंतर्राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक संगठनों के साथ सहयोग के द्वारा साझेदारी करते हुए वैश्विक उद्देश्यों और अन्योन्य–प्रादेशिक सूचना को समर्थित करने का प्रयास करती है।
http://www.idrc.ca/en/ev-64152-201-1-DO_TOPIC.html
यह साइट फ्रेंच और स्पेनिश में भी उपलब्ध है।

अध्याय 4: जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए परियोजना चक्र

विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं की कमियों में जेण्डर, गरीबी और पर्यावरण के मुद्दों को प्रायः बाद में आए विचार की तरह या अलग–थलग रूप में जोड़ा जाना शामिल है। यदि जेण्डर मुद्दों को परियोजना की संकल्पना के समय संबोधित किया जाता है तो उन्हें आसानी से योजना में, उसके क्रियान्वयन में और मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है। वे कार्यक्रम जो महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं को महत्व नहीं देते हैं और उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई वास्तविकताओं के परियोजना के सभी चरणों में ध्यान नहीं देते हैं वे योजनाएं अक्सर अप्रभावी, अदक्ष और टिकाऊ न होने के जोखिम में होती हैं। यह अध्याय एक व्यापक परियोजना चक्र को प्रस्तुत करता है जिसे स्थानीय संदर्भ में अपनाया जा सकता है। यह जेण्डर पहलुओं को भी प्रदर्शित करता है जिनको परियोजना चक्र के प्रत्येक चरण में ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। देश के अधिकारी जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मदद कर रहे हैं, परियोजना कार्यालय, जेण्डर विशेषज्ञ और वे लोग जो परियोजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत जेण्डर में रुचि रखते हैं, व्यापक परियोजना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। परियोजना के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जेण्डर और निष्पक्षता मुद्दों के संबंध में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रखे।

कुछ प्रश्न जिन्हें परियोजना चक्र में शामिल करने की आवश्यकता है, वे हैं:

- किस प्रकार परियोजना में पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकताएं प्रतिबिम्बित होती है?
- विचार–विमर्श किससे किया गया है?
- विभिन्न सामाजिक वर्गों के पुरुषों और महिलाओं से विचारो को जानने के लिए किस प्रकार परामर्श प्रक्रिया अपनाई गयी?
- क्या परियोजना की योजना, लक्ष्य समूहों में जेण्डर विभिन्नताओं की समझ पर आधारित है?
- क्या परियोजना में समय, श्रम और वित्तीय वादों के अनुसार अपेक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है?
- क्या उद्देश्यों को स्पष्ट करने और अनुश्रवण को सफल बनाने के लिए जेण्डर–अनुकूल सूचकों की पहचान की गयी है?
- परियोजना में किस प्रकार जेण्डर समानता और महिलाओं की भागीदारी के उद्दश्यों का पालन किया जायेगा? क्या विशेष रणनीतियों को तैयार किया गया है?
- क्या उन सभी बाधाओं को पहचाना गया है, जो समाज के सभी क्षेत्रों से पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी में अवरोध डाल सकती हैं, और क्या इनसे निपटने के लिए रणनीतियाँ बनायी गयी हैं?
- क्या परियोजना प्रबंधन संरचना जेण्डर और विविधता पर आवश्यक विशेषज्ञता को प्रदान करती है?
- क्या विविधता और जेण्डर के कारण बजट पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा गया है?
- क्या अनुश्रवण के उद्देश्य के लिए परियोजना के विविध पहलुओं में भागीदारी और चयनित सूचकों पर लिंग–संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़ों के एकत्रीकरण को ध्यान में रखा गया है? (एस.आई.डी.ए., 1996 का रूपान्तरण)
- क्या परियोजना की समाप्ति के पश्चात् जेण्डर पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा गया है?

परियोजना चक्र में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले मुद्दे और प्रश्न

4.1 कार्यक्रम और परियोजना की पहचान

चरण 1: कार्यक्रम या परियोजना की पहचान हेतु बाहरी सहयोगी संस्था की सहभागिता
इसके अर्न्तगत मुख्य विकास कार्यक्रमों और प्रवृत्तियों के मूल्यांकन को शामिल किया गया है साथ ही उन्हें भी जो वैश्विक सम्मेलनों और सभाओं में संबोधित किये गये हैं।

मुद्दे और प्रश्न

- किस प्रकार बाहरी सहयोगी संस्था जेण्डर समानता और टिकाऊ विकास दोनों के लिए राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है?
- क्या बाहरी सहयोगी संस्था उन अवसरों को पहचानने में मदद कर सकती है, जहाँ संसाधनों के टिकाऊ उपयोग (विशेषतया जल) व महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को समर्थन के प्रयासों के साथ जोड़ा जा सकता है?
- क्या समस्त सहयोगी व्यवस्थाओं का ध्यान इस विश्लेषण पर जाता है कि किस प्रकार जेण्डर असमानता पर्यावरणीय मुद्दों को प्रभावित करती है?
- क्या जेण्डर समानता के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थान प्राथमिकताओं को निश्चित करने में शामिल हैं?
- क्या महिला संगठन और जेण्डर समानता समर्थक, प्राथमिकताओं को निश्चित करने में शामिल हैं?

चरण 2: नीतियों का विश्लेषण

मुद्दे और प्रश्न

- क्या जेण्डर और विविधता मुद्दों पर आई.डब्ल्यू.आर.एम. क्षेत्र में वर्तमान राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के विश्लेषण पर ध्यान दिया गया है?
- क्या आई.डब्ल्यू.आर.एम. में राष्ट्रीय कार्यक्रम और निवेश से, महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेषतया गरीब महिलाओं और पुरुषों के लिए निष्पक्ष रूप से, लाभ और अवसरों के बढ़ने की संभावना है?

चरण 3: राष्ट्रीय विकास के लिए नीति ढाँचे पर संवाद में मुख्य सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों की भागीदारी

मुद्दे और प्रश्न

- क्या जेण्डर समानता के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थानों को शामिल कर उनसे विचार–विमर्श किया गया है?
- क्या महिलाओं के संगठनों और जेण्डर समानता समर्थकों को शामिल और उनसे विचार–विमर्श किया गया है?
- क्या आई.डब्ल्यू.आर.एम. में विशेषज्ञता वाले संगठनों के साथ जेण्डर मुद्दों पर विचार करने में उनकी रुचियों और क्षमता के बारे में विचार–विमर्श किया गया है?
- क्या सभी स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं?
    - जमीनी स्तर पर विचार–विमर्श?
    - जल पेशेवरों के रूप में?
    - सरकार के सभी स्तरों पर?
- क्या विविध महिलाओं की सहभागिता के अवरोधों का विश्लेषण किया गया है और इन अवरोधों को हटाने के लिए रणनीतियाँ बनायी गयी हैं?

चरण 4: सामुदायिक स्तर पर परियोजना में निर्माण संबंधी मुद्दों का मूल्यांकन

मुद्दे और प्रश्न

- तकनीकी डिजाईनः क्या महिलाओं और पुरुषों दोनों के प्रौद्योगिकी विकल्पों और डिजाईन विशेषताओं के बारे में विचारों को ध्यान में रखा गया है?
- प्रयोगकर्ता का योगदानः क्या महिलाओं और पुरुषों के श्रम, सामग्री या धन के योगदान की इच्छाओं और योग्यताओं के बीच विभिन्नताओं को निर्धारित किया गया है?

- समय/कार्यभार संबंधी विचारः क्या पहल के कारण निर्माण के दौरान और बाद में महिलाओं/पुरुषों/लड़कियों/लड़कों के कार्यभार में वृद्धि हुई है? क्या महिलाओं और लड़कियों के भुगतान रहित श्रम की माँग बढ़ी है? क्या वहाँ पर परस्पर–विरोधी माँगें हैं?
- संचालन और रख–रखावः विविध महिलाओं और पुरुषों के बीच संचालन और रख–रखाव अधिकार तथा उत्तरदायित्वों को किस प्रकार बांटा जाता है? क्या ये उनकी सेवा व्यवस्था के प्रयोग को प्रतिबिम्बित करता है?

4.2 कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निरूपण

चरण 5: संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करना

मुद्दे और प्रश्न

क्षमता विकास परियोजनाओं में जेण्डर मुद्देः

- जेण्डर परिप्रेक्ष्य के साथ कार्य करने के लिए संस्थानों में और व्यक्तिगत स्तर पर कितनी क्षमता मौजूद है?
- महिलाओं और पुरुषों की सहभागिता को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित करने के लिए संस्थानों और व्यक्तिगत स्तर पर कितनी क्षमता है?
- विविध महिलाओं और पुरुषों में तकनीकी क्षेत्रों में, निर्णय लेने के पदों में, और सामुदायिक स्तर पर भाग लेने के लिए कितनी क्षमता है?
- क्या संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए नीतियाँ मौजूद हैं?

चरण 6: परियोजना विकास में जेण्डर संबंधी विचार

मुद्दे और प्रश्न

- क्या वर्तमान जल अधिकारों में जेण्डर विभिन्नताओं की पहचान की गयी है?
- क्या जल स्रोतों की पहुँच के वर्तमान तरीकों और नियंत्रण को विश्लेषित और संबोधित किया गया है?
- क्या कानूनी ढाँचे और संस्थागत सुधार के लिए सोच–विचार किया गया है ताकि महिलाओं और पुरुषों दोनों का उत्पादनकारी संसाधनों तक निष्पक्षीय पहुँच के प्रति कार्य किया जा सके।
- क्या महिलाओं और पुरुषों की आवश्यकताओं और भूमिकाओं को संबोधित किया गया है?

चरण 7: संदर्भ और आधारभूत आँकड़ों को समझना

कार्यक्रम या परियोजना डिजाईन में प्रतिभागी को शुरूआत में ही एक आम समझ बना लेनी चाहिए जिसमें सामाजिक–आर्थिक, जेण्डर और जैव–भौतिकीय विशेषताएँ शामिल हों।

परियोजना का आधार तैयार करने के लिए आवश्यक लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आंकड़ों, जहाँ भी संभव हो को एकत्र किया जाना चाहिए।

हितधारक विश्लेषण जरूरी है।

मुद्दे और प्रश्न

जल क्षेत्रों में क्या विश्लेषण किया गया है जिसमें आवश्यकताओं, संसाधनों और सीमान्त समुदाय की विभिन्न प्राथमिकताओं जिसमें जाति, आयु, अक्षमता/योग्यता, वर्ग, आदि शामिल है पर विचार किया गया है। उदाहरणतः,

- क्या वर्तमान जल प्रयोग और प्रबंधन के अंतर्गत, महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को जल के प्रयोग और प्रबंधन में प्रलेखित किया गया है? (घरेलू और उत्पादनकारी, वाणिज्यिक कृषि प्रयोग, जीविका उत्पादन, शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था आदि)।
- विभिन्न सामाजिक–आर्थिक वर्गों (भूमि स्वामित्व और पूँजीगत संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार तरीकों, ऋण आदि); श्रम आपूर्ति (परिवार द्वारा किया गया भुगतान रहित श्रम, भुगतान सहित रोजगार आदि) में महिलाओं और पुरुषों के बीच जल से संबंधित सभी स्रोतों पर पहुँच और नियंत्रण की तुलना करना।

चरण 8: संकल्पना तैयार कर, पहचानी गयी समस्याओं को संबोधित करना

विभिन्न हितधारक समूहों के द्वारा जिसमें महिला और पुरुष भी शामिल हैं, समस्याओं के मूलभूत कारणों को प्रायः विभिन्न रूप में अनुभव किया जाता है। सहभागिता प्रक्रिया में अनुभव स्थिति की व्यापक समझ विकसित करने में मददगार साबित हो सकता है।

समस्याओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया के दौरान, सहभागी देशों में या और कहीं भी समान अनुभवों पर शोध भी कर सकते हैं।

मुद्दे और प्रश्न

- किससे विचार–विमर्श किया गया और वे किस प्रकार विचार–विमर्श प्रक्रिया में सम्मिलित थे?
    - क्या महिलाओं और पुरुषों से विचार–विमर्श किया गया? क्या जेण्डर समानता समर्थकों और विशेषज्ञों (अकादमिक, शोधकर्ता, नीति विश्लेषक) को सम्मिलित करने के विशेष प्रयास किए गए?
    - क्या विचार–विमर्श प्रक्रिया का आयोजन इस प्रकार किया गया ताकि महिलाओं और जेण्डर समानता समर्थकों से अधिकतम सुझाव लिये जा सकें?

चरण 9: वैकल्पिक रणनीतियों की पहचान

हितधारकों को वैकल्पिक रणनीतियों को ढूँढना चाहिए ताकि नवीन तरीके या नये अवसर छूट न जायें और संभावित जोखिमों की पहचाना हो सके।

मुद्दे और प्रश्न

- वैकल्पिक रणनीतियों को देखते हुए उन रणनीतियों के संभावित लाभों को समझा जाय जो महिलाओं की सहभागिता और टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन के प्रति कार्य को प्रोत्साहित करते हैं।

चरण 10: सबसे सटीक रणनीति का चुनाव

कार्यक्रम या परियोजना रणनीति पर निर्णय लेने से पहले यह आवश्यक है कि संभव समाधानों के प्रभावों को ध्यान में रखें जिसके अन्तर्गत उसके कारण पड़ने वाला प्रभाव, वे अवसर जो बन्द भी हो सकते हैं और कार्य बन्द होने की स्थिति में दो रणनीतियों के बीच में एक रणनीति का चयन करना महत्वपूर्ण है:

जोखिमः गतिविधियों के क्रियान्वयन में कुछ जोखिम तथा नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

अवसरः प्रस्तावित गतिविधियों के निर्धारित कार्यक्षेत्र के कारण नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु उपायों की खोजना बाधित हो सकता हैं। अवसरों को देखने से सृजनात्मक हलों के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं।

उचित लाभ उठानाः यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न रणनीतियों के बीच उचित लाभ और अवसर की कीमत को समझा जाये।

संबंधित संगठनों, संस्थानों और व्यक्तियों की गतिविधियों को प्रभावी, दक्षता और टिकाऊ रूप में संचालित करने की क्षमता को जाँचना भी जरूरी है।

मुद्दे और प्रश्न

- उचित लाभों के अनुसार यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं को नुकसान न हो?
- क्या जोखिम विश्लेषण में महिलाओं व पुरुषों, युवाओं व बूढ़ों पर संभव और विभिन्न नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभावों को देखा गया है?
- क्या महिलाओं की सहभागिता और महिलाओं व पुरुषों, युवायों व बूढ़ों के निष्पक्ष लाभों को सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन और संभावना के अवसरों का विश्लेषण किया गया है?
- पहल के साथ जुड़े मंत्रालयों और संस्थाओं की क्षमता को देखते हुए क्या उनमें जेण्डर मामलों को पहचानने और उनके साथ कार्य करने की क्षमता है? उदाहरणतः
    - क्या उनके पास क्षेत्र में जेण्डर–संबंधी मुद्दों से जुड़ी सूचनाएं हैं?
    - क्या उनके पास आई.डब्ल्यू.आर.एम. में जेण्डर आयामों से संबंधित प्रश्नों का निरूपण और विश्लेषित करने का कौशल है?
- क्या संस्थान ने लोक भागीदारी और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए ऐसी रणनीति विकसित की है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के दृष्टिकोणों और प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करता हो?

चरण 11: उद्देश्यों और निष्कर्षों का निर्धारण

प्रतिभागियों को परियोजना डिजाईन के लिए समर्थन देने के लिए कार्य करना चाहिए; अर्थात्, उद्देश्यों, निष्कर्षों, गतिविधियाँ और संबंधित जानकारी के बारे में लिखना चाहिए के पदानुक्रम की पहचान करना।

मुद्दे और प्रश्न

- यह अवश्य विचार करें कि जेण्डर से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों को रखना उचित है या नहीं। यदि जेण्डर से संबंधित प्रत्यक्ष अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तब परियोजना का जेण्डर पक्ष कमजोर रह जायेगा। प्रायः परियोजना नियोजन दस्तावेज में अपेक्षित परिणामों पर केन्द्रित होने की प्रवृत्ति होती है।

चरण 12: तर्कसंगत रूपरेखा का प्रयोग करना

तर्कसंगत रूपरेखा (लॉजिकल फ्रेमवर्क) एक मेट्रिक्स है जो कार्यक्रम और परियोजना के डिजायन में मुख्य तत्वों का सार प्रस्तुत करती है।

मुद्दे और प्रश्न

- क्या जेण्डर मामलों को तर्कसंगत रूपरेखा में स्पष्टतः दिया गया है?
- क्या विविधता और जेण्डर समानता से संबंधित सूचकों की पहचान की गयी जिससे परिणामों का अनुश्रवण किया जायेगा?
- क्या सूचकों को लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग–अलग देखा जायेगा?

चरण 13: गतिविधियों का निर्धारण

जब परिणामों पर सहमति हो जाती है तो उन गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए जिनसे ये परिणाम प्राप्त होंगे।

मुद्दे और प्रश्न

- जेण्डर मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कौन सी गतिविधियाँ आवश्यक हैं?
- क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है?
- क्या यह आवश्यक है कि विशेष मुद्दों पर शोध किया जाए या कुछ विशेष हितधारकों को शामिल किया जाए?

- अनुभव ने दर्शाया है कि गतिविधियों में जेण्डर को ध्यान में रखने के लिए उचित नियोजन की आवश्यकता है।

चरण 14: प्रबंधन व्यवस्थाओं का निर्धारण

परियोजना निरूपण के समय, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किस प्रकार गतिविधियाँ कार्यान्वित होंगी ताकि निर्धारित समय सीमा में, गुणवत्ता और लागत के अंदर कार्यक्रम के लिए सहयोग या परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

मुद्दे और प्रश्न

- क्या क्रियान्वयन एजेंसी या संस्था जेण्डर समानता और परियोजना के द्वारा महिलाओं के लिए सकारात्मक नतीजों को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है?
- क्या परियोजना में जेण्डर पहलुओं से संबंधित उत्तरदायित्वों और अपेक्षाओं को परियोजना दस्तावेजों, अनुबंधों या संविदा–पत्रों में स्पष्टतः दी गयी है?

चरण 15: अनुश्रवण और मूल्यांकन सूचकों का निर्धारण

सूचक उन अपेक्षित परिणामों को निर्धारित करने में मदद करते हैं जहाँ तक एक कार्यक्रम या परियोजना उन्हें प्राप्त कर सकती है।

ऊपर दी गई परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा के द्वारा, प्रतिभागी इस बात से सहमत होता है कि किस प्रकार उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रगति को मापना है और सफलता के सूचक क्या होंगे।

अनुश्रवण और मूल्यांकन व्यवस्थाओं को कार्यक्रम या परियोजना और उसके उद्देश्यों के निरूपण के दौरान निर्धारित करना आवश्यक है।

मुद्दे और प्रश्न

- उन परियोजनाओं में जिनमें समुदाय आधारित पहल को शामिल किया गया है, क्या सूचकों के सृजन में समुदाय से महिला और पुरुष दोनों ने भाग लिया है?
- क्या सूचकों को निर्धारित करने में अन्य संबंधित महिलाएं और पुरुष शामिल हुए हैं?
- क्या महिलाओं की सहभागिता, जेण्डर परिप्रेक्ष्य के साथ कार्य करने के लिए संगठन के पास क्षमता, महिलाओं का जल को प्राप्त करने में लगने वाले समय में कमी आदि से संबंधित विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने में हो रही उन्नति पर नजर रखने के लिए सूचक हैं?

चरण 16: वाह्य घटकों और जाखिमों की पहचान

वाह्य घटक वे घटनाएँ या निर्णय हैं जो कार्यक्रम या परियोजना के प्रबंधकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं और जो उद्देश्यों को प्राप्त करने व निष्कर्षों, गतिविधियों के क्रियान्वयन और निवेशों के उपयोग और वितरण को प्रभावित नहीं करते हैं

मुद्दे और प्रश्न

पहल में भाग लेने की महिलाओं की योग्यता कई ऐसे विविध कारकों से प्रभावित होती है जो कार्यक्रम प्रबंधकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे, भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति, बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों, साक्षरता व समय में कमी आदि।

चरण 17: पूर्व के दायित्वों की पहचान

जोखिमों को कम करने का आम तरीका यह है कि गतिविधियों को कुछ निश्चित शर्तों के पूरा होने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए।

मुद्दे और प्रश्न

यह मानीटर करना महत्वपूर्ण है कि क्या जेण्डर मामलों से संबंधित शुरूआती शर्तों को पूरा किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि योजना में दर्शाया गया है कि एक जेण्डर विशेषज्ञ को सम्मिलित किया जायेगा तो क्या ऐसा किया गया है?

4.3 क्रियान्वयन

चरण 18: अर्थपूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करना

मुद्दे और प्रश्न

- क्या सरकारी संस्थान क्रियान्वयन के दौरान सामने आये जेण्डर निष्पक्षता और समानता के लिए उत्तरदायी हैं?
- क्या परियोजना टीम में आई.डब्ल्यू.आर.एम. के अनुभव वाली किसी संस्था से कोई व्यक्ति शामिल है?
- क्या महिलाओं को तकनीकी क्षेत्रों और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है?
- क्या पहल ने निर्माण के दौरान महिलाओं/पुरुषों/लड़कियों/लड़कों के भुगतान रहित कार्यभार में वृद्धि की है जो कि शुरूआती भविष्यवाणी से अलग है ?

4.4 अनुश्रवण और मूल्यांकन

चरण 19: अनुश्रवण

मुद्दे और प्रश्न

- वार्षिक रिपोर्ट एवं समीक्षा को तैयार करने में पिछले वर्ष किए गए परिवर्तनों का विश्लेषण करें, उदाहरणार्थः
    - जेण्डर समानता पर नया कानून, सरकारी नीतियाँ या वचनबद्धतायें (ये भूमि काश्तकारी, ऋण, एन.जी.ओ. नीतियों आदि से संबंधित हो सकती हैं);
    - नया महिलाओं का नेटवर्क या संगठन या वर्तमान संगठन की परिवर्तित रूपरेखा/क्षमता;
    - उन आर्थिक और सामाजिक दशाओं या प्रवृत्तियों में परिवर्तन जो डब्ल्यूआरएम क्षेत्र में प्राथमिकताओं, संसाधनों और आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं।
- क्या अनुश्रवण के लिए लिंग संबंधी महिला और पुरूषों के अलग–अलग आंकड़े लिये गये हैं?

चरण 20: मूल्यांकन

मुद्दे और प्रश्न

- क्या मूल्यांकन में निर्धारित शर्तों के अनुसार जेण्डर मुद्दे व प्रश्न मूल्यांकन हेतु लिये गये हैं?
- क्या मूल्यांकन महिलाओं और पुरुषों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में विभिन्नताओं के संदर्भ के साथ परियोजना के निष्कर्षों/परिणामों पर विचार करेगा?
- क्या मूल्यांकन टीम के पास परियोजना के विशेष संदर्भ (सिंचाई, जल आपूर्ति और साफ–सफाई, नम भूमि आदि) में जेण्डर मुद्दों को देखने की विशेषज्ञता है?
- मूल्यांकन संचालित करने में, क्या मूल्यांकनकारी व्यक्ति नेः
    - आँकड़ों को लिंग के आधार पर अलग किया है।
    - महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच विभिन्नताओं तथा समानताओं का विश्लेषण किया है?
- क्या मूल्यांकन जल संसाधन प्रबंधन में जेण्डर परिप्रेक्ष्य के साथ कार्य करने से संबंधित 'अनुभवों' को पहचानेंगे ताकि इनकों पूरे संगठन में प्रसारित किया जा सके?

संदर्भ

फॉंग, मोनिका एस., वेन्डि वॉकमैन और अंजना भूषण, 1996. वर्ल्ड बैंक टूलकिट ऑन जेण्डर इन वॉटर एण्ड सैनिटेशनः जेण्डर टूलकिट सीरिज संख्या 2, जेण्डर एनलिसिस एण्ड पॉलिसी, पावर्टी एण्ड सोशल पॉलिसी डिपार्टमेन्ट; यू.एन.डी.पी.–विश्व बैंक जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, परिवहन, जल एवं शहरी विकास विभाग।

विदेशी मामलों का मंत्रालय, डी.ए.एन.आई.डी.ए./एस.क्यू., 1999। जेण्डर एण्ड वॉटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशनः गाइडिंग क्वेश्चन्स। वर्किंग पेपर, अगस्त (मिमीयो)।

स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलेपमेण्ट कोऑपरेशन एजेन्सी (सीडा), 1996। ए जेण्डर पर्सपेक्टिव इन वॉटर रिर्सोसेज मैनेजमेण्ट सेक्टर, स्टॉकहोम।

थॉमस, हेलेन, जोहन्ना स्कैलकिक एण्ड बेथ वोरनिक, 1997। हैण्डबुक फॉर मेनस्ट्रीमिंगः ए जेण्डर पर्सपेक्टिव इन द वॉटर रिसोर्स मैनेजमेण्ट सेक्टर। प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण विभाग के साथ परामर्श से सीडा द्वारा विकसित।

अतिरिक्त संसाधन

जी.टी.जेड., 1998. जेण्डर ट्रेनिंग टूलकिट। स्वयं सहायता अनुदान परियोजना

यह टूलकिट सहभागी जेण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण व जेण्डर जागरूकता से जुड़े प्रमुख पहलुओं पर जागरूकता बढ़ाने पर दिशा निर्देश प्रदान करती हैः जोकि अनुभव द्वारा सीखने पर केन्द्रित है। इस टूलकिट में विभिन्न तकनीक, अभ्यास, खेल, हैण्डआउट के प्रयोग, विश्लेषण द्वारा सीखने तथा अपने अनुभवों को प्रस्तुत करने पर आधारित है। इसके अन्तर्गत जेण्डर अनुकूल परियोजना नियोजन भी शामिल है।

देखें: http://www.siyanda.org/docs_genie/gtz/Gen.trng.fin.doc

यू.एन.डी.पी., (तिथि रहित)। जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग लर्निंग एण्ड इनफॉरमेशन पैक्स

यह सूचना पैक स्वप्रशिक्षण संसाधन है जिसे जेण्डर को मुख्यधाराओं में शामिल करने के लिए की जाने वाली कार्यशालाओं में प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक सूचना पैक में संक्षेप में सूचना, वक्ता के लिए नोट्स, हैण्ड आउट, अभ्यास, अन्य इण्टरनेट स्रोतों से लिंग दिया गया है।

देखें: http://www.undp.org/women/docs/GM_INFOPACK/GenderAnalysis1.doc

बियॉण्ड रेटोरिकः मेल इन्वाल्वमेण्ट इन जेण्डर एण्ड डेवलेपमेण्ट पालिसी एण्ड प्रेक्टिस, जेण्डर ट्रेनिंग विथ मेन।

यह पुरूषों को जेण्डर प्रशिक्षण देने के लिए लेखों का संकलन है। इसमें कई विभिन्न देशों व संस्कृतियों के अनुभव शामिल हैं। देखें: http://www.brad.ac.uk/acad/dppc/gender/mandmweb/seminar5.html

वॉटरएड, 2002। इण्डिकेटर्स फॉर ए जेण्डर सेन्सिटीव एप्रोच टू सेनिटेशन प्रोग्राम एण्ड सर्विसेज।
वॉटरएड, 2002। इण्डिकेटर्स फॉर ए जेण्डर सेन्सिटीव एप्रोच टू वॉटर सप्लाई सर्विसेज।

अध्याय 5: जल क्षेत्र नीतियों और संस्थाओं में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना

जेण्डर नीति क्या है?

जेण्डर नीतियों के अन्तर्गत वंश, वर्ग, जाति, धार्मिक आस्था, आयु, योग्यता और भौगोलिक स्थिति की अर्न्तरानुभागीय पहचान शामिल है। यह जेण्डर मुद्दों को गंभीरता से लेने वाले किसी भी देश का लोक कथन या किसी संगठन की वचनबद्धता है। यह संगठन के कार्य के संदर्भ में प्रस्तुत एक कार्यकारी रूपरेखा है। जल संसाधन प्रबंधन में जेण्डर नीति निम्नलिखित दोनों बिन्दुओं से संबंधित हैः

- संगठन का कार्यः– अर्थात्, घरेलू जल आपूर्ति, सिंचाई, स्वच्छता या पर्यावरणीय सुरक्षा के नियोजन, निर्माण, संचालन, रख–रखाव और प्रबंधन में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी;
- संगठन की कार्यकारी संस्कृति एवं स्टाफ स्वरूप– महिला और पुरुष कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मुद्दे; उदाहरणार्थ, महिला और पुरुष कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और प्रशिक्षण के अवसर, लिंग आधारित भेद–भाव और उत्पीड़न तथा बच्चों की देखभाल, पैतृत्व या मातृत्व अवकाश और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था जैसे मुद्दे (जेंडर एंड वाटर एलायंस, 2003)।

जेण्डर नीति का विकास क्यों आवश्यक है?

जेण्डर नीति का विकास, किसी संगठन में और उसके कार्य में जेण्डर मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आवश्यक और आम शुरूआती बिंदु है। उन संगठनों के लिए जिन्होंने जेण्डर के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये पहले से ही कुछ कदम उठाये हैं (उदाहरणार्थ, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और दिशानिर्देश प्रदान करना), उनके लिए जेण्डर नीति का विकास कदमों को संगठित और औपचारिक रूप देने, और भविष्य के बारे में रणनीतिपूर्ण सोच विकसित करने का अवसर है।

जेण्डर नीति हैः

- संगठन के कार्यों में जेण्डर एवं सामाजिक निष्पक्षता क्यों आवश्यक है तथा इस नीति को लागू करने के क्या प्रभाव होंगे पर सोचने के लिए कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों को शामिल करने का बहुमूल्य अवसर;
- किसी संगठन का ऐसा लोक कथन है जो यह दर्शाता है कि वह संगठन जेण्डर मुद्दों को गंभीरता से लेने के लिए कितना वचनबद्ध है;
- सहमति प्राप्त जेण्डर–संबंधी कार्यों और परिवर्तन की सूचक भी है;
- किसी संगठन के उत्तरदायित्वों को दर्शाने का ऐसा साधन है जिससे संगठन के कार्य संपादन का मूल्यांकन किया जा सकता है।

जेण्डर नीति को विकास और क्रियान्वयन के लिए संस्थान या संगठन के सभी सदस्यों और सहभागियों के क्षमता विकास के लिए कार्यकारी रणनीति की आवश्यकता होती है।

नीति विकास कोई असाधारण प्रक्रिया ही नहीं है। उन जेण्डर नीतियों का पुनरीक्षण आवश्यक है जो कुछ समय से मौजूद हैं। इस मौजूद नीति के कार्य संपादन का मूल्यांकन व अनुभवों की समीक्षा के आधार पर नीति को संशोधित कर लागू करना। अगले पृष्ठ पर दिये गये रेखांकन स्पष्ट करता है कि किस प्रकार नीति निरूपण एक सतत् प्रक्रिया होनी चाहिए।

नीति निरूपण एक सतत् प्रक्रिया

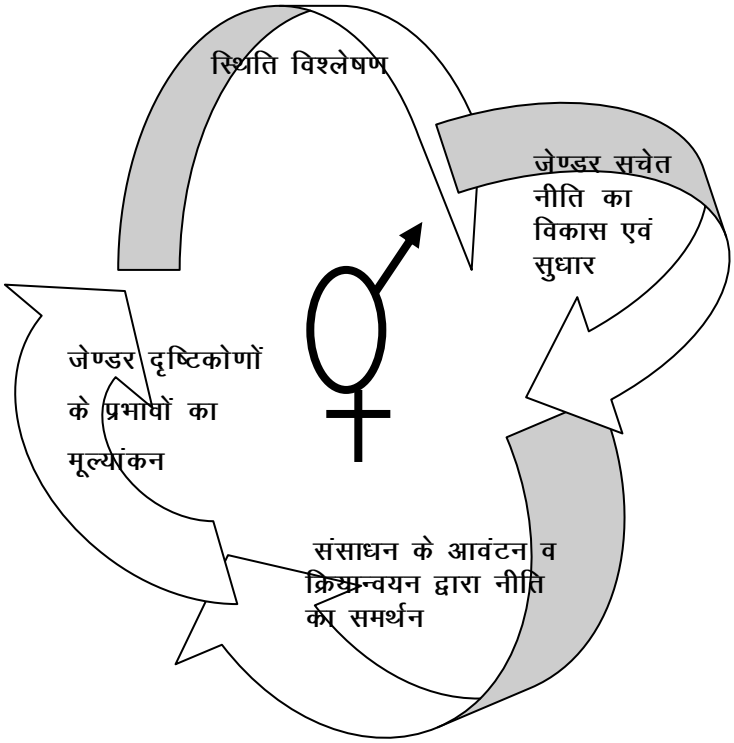

नीति के घटक

एक प्रभावकारी जेण्डर नीति के लिए तीन सुस्पष्ट घटक महत्वपूर्ण हैं:

- स्थिति विश्लेषण– लाभार्थी समूहों और संगठनों से संबंधित जेण्डर मुद्दों को जाँचना। संगठन के अन्तर्गत जेण्डर मुद्दों के ज्ञान, दक्षता, वचनबद्धता और कार्यवाही तथा कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले जेण्डर मुद्दों को जाँचना (जैसे, पदोन्नति के अवसर पर जेण्डर संबंधी भेद–भाव या कार्यालय स्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न शामिल हैं) शामिल हैं।
- नीति– इसे स्थिति विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और एक स्पष्टीकरण समाविष्ट करना चाहिए कि क्यों संगठन जेण्डर मुद्दों को महत्वपूर्ण मानता है, जेण्डर–अनुकूल कार्यवाही के लिए संगठन का दृष्टिकोण, और कई अन्य तरीके जिनसे यह समझ संगठन के कार्यों को प्रभावित करेगी।
- क्रियान्वयन रणनीति या कार्यवाही योजना– यह सुनिश्चित करती है कि किस प्रकार नीति, विशेष समयावधि में क्रियान्वित होगी जिसमें गतिविधियाँ, समयबद्ध लक्ष्य, बजट, उत्तरदायित्व और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के सूचक भी शामिल हैं।

नीति संबंधी दस्तावेज प्रायः जन दस्तावेज होते हैं। रणनीतियाँ और कार्यवाही योजनाएँ प्रायः आंतरिक दस्तावेज होते हैं। कुछ संगठनों में जन दस्तावेजीकरण को स्थिति विश्लेषण के पहलुओं में शामिल किया जाता है; जबकि अन्य दस्तावेजीकरण को नीति के लिए चिन्हित करते हैं। नीतियों का विवरण भिन्न होता है– संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार दो से कई पृष्ठों की हो सकती है।

संस्थानों को सक्षम बनाना

नीति का क्रियान्वयन सहयोगी सांस्थागत् रूपरेखा पर काफी हद तक निर्भर करेगा। इसलिए संगठनों पर किसी एक संस्था या संगठन मे जेण्डर निष्पक्षत से जुड़े मुद्दों पर उचित समझ व क्षमता विकसित करना, संस्थागत बदलाव की एक लम्बी प्रक्रिया है। गतिविधियाँ जैसे क्षमता विकास, बजट प्रावधान, सूचक का निर्धारण और अनुश्रवण को लागू करने की आवश्यकता है। अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका जेण्डर–संवेदी नीति के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक बिन्दुओं पर जानकारी देती है।

तालिकाः जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने वाली संस्थाओं के लिए संगठनात्मक केंद्र

जाँच प्रश्नों की सूची	विचारणीय मुद्दे	संगठनात्मक परिवर्तन हेतु उठाये जाने वाले कदम
कार्य और कार्यक्रम		
नीति और कार्यवाही योजनाएं जेण्डर नीतियाँः सभी नीतियों में जेण्डर पर ध्यान देना।	• क्या जेण्डर नीति है? • यह कब विकसित हुआ और इसमें कौन–कौन शामिल थे? • क्या इसमें लिंग संबंधी महिलाओं व पुरूषों के अलग–अलग आँकड़े का प्रयोग किया गया है? क्या इसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जा रहा है?	यदि कोई भी जेण्डर नीति नहीं है लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को संबोधित करना चाहते हैं तब ऊपर दिये गये चरणों का अनुसरण करें।
नीति को प्रभावित करना	• वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों की जेण्डर मुद्दों के प्रति क्या सोच है? औपचारिक और अनौपचारिक मत के नेता कौन हैं? • कौन सी बाहरी एजेंसियाँ या लोग संगठन पर प्रभाव रखते हैं? • निर्णय लेने वाले निकाय कौन से हैं?	• उनकी पहचान जो जेण्डर समानता और निष्पक्षता के हिमायती हैं। • सभी संबंधित और संभाव्य कर्मचारी और प्रबंध तंत्र को शामिल करना। • नीति विकास के लिए सहभागी और सकारात्मक पर्यावरण का सृजन करना।
मानव संसाधन • जेण्डर प्रमुख कर्मचारी • सभी कर्मचारी	• क्या मनोनीत जेण्डर इकाई/प्रमुख लोग हैं? • वे क्या करते हैं? उनके पास कौन से संसाधन हैं? क्या अन्य कर्मचारी सदस्य जेण्डर के बारे में जानकारी रखते हैं? • क्या जेण्डर के लिए संवेदनशीलता को कार्य विवरण में सम्मिलित किया गया है और कार्य मूल्यांकन पर मूल्यांकित किया गया है?	• इकाई/प्रमुख व्यक्तियों के लिए स्पष्ट टी.ओ.आर. होना। • जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने व इसके समर्थन के लिए प्रशिक्षण को सतत प्रक्रिया में कार्यवाही लक्ष्यों के रूप में लागू करना। • विपरीत परिस्थितियों में पेशेवर समर्थन रखना। • मौजूद प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों के भाग के रूप में प्रमुख इकाईयों को शामिल करना।

वित्तीय / समय संसाधन • जमीनी स्तर पर जेण्डर समानता पहल • कर्मचारी क्षमता विकास पहल	• क्या जेण्डर पर क्षमता विकास के लिए अनुदान उपलब्ध है? • क्या जमीनी स्तर पर जेण्डर कार्यवाहियों के लिए अनुदान उपलब्ध है?	• कर्मचारी क्षमता विकास और जमीनी स्तर पर कार्यवाहियों के लिए बजट का प्राविधान। • कार्यकारी स्तर पर कार्यवाहियों के लिए समय का निर्धारण। • कार्य प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए सूचकों का विकास।
तंत्र कार्यविधियां और साधन	• क्या नियमित तंत्रों या कार्यविधियों में जेण्डर को शामिल किया गया है (सूचना तंत्र, समीक्षा, नियोजना और अनुश्रवण) • क्या जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कर्मचारियों का मार्गनिर्देशन किया गया है?	• तंत्र और कार्यविधियों में जेण्डर को सम्मिलित करना। • लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आंकड़ों के सूचना तंत्र का विकास करना। • कर्मचारियों के अनुबंध शर्तों और साक्षात्कार में जेण्डर को सम्मिलित करना। • जेण्डर के क्रियान्वयन में नीति की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए सूचक तैयार करना। • मिलान सूची और दिशा निर्देश का विकास करना।
कार्य संस्कृति		
स्टॉफ स्वरूप संबंधी आंकड़े	• भूमिकाओं और क्षेत्रों के अनुसार संगठन में प्रत्येक स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है? • रोजगार और नियुक्ति नीतियों की जाँच।	• ऐसी जेण्डर संवेदी नियुक्ति नीतियों को तैयार करना जो भेदा–भावपूर्ण नहीं हैं, यद्यपि इसका आशय महिलाओं और पुरूषों की संख्या में संतुलन लाना नहीं है। • निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कर्मचारियों को शामिल करना।
महिलाओं और पुरुषों की व्यावहारिक और महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ	• क्या संगठन महिलाओं और पुरुषों के लिए सुरक्षित और व्यावहारिक माहौल प्रदान करता है, उदाहरणार्थ, परिवहन, शौचालय, बच्चों की देखभाल और कार्यघंटों का लचीलापन?	• महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति संगठन की संवेदनशीलता का विश्लेषण। • संगठनात्मक संपत्तियों जैसे, उपकरण, फर्नीचर, शौचालय की डिजाईन और पहुँच आदि को देखना। क्या वे महिलाओं

		और पुरुषों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं?
संगठन की कार्य संस्कृति	• सूचना किस प्रकार प्रसारित होती है और किस हद तक उसमें महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया जाता है? • मुख्य साझा मूल्य क्या हैं? क्या वे समानता से संबंधित हैं? और विशेषतया जेण्डर से? • क्या संगठन में निर्णय केंद्रित या विकेंद्रित रूप में लिये जाते हैं? • महिला या पुरुष कर्मचारियों के प्रति कैसी सोच है?	• एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को अपनाना जिसमें महिलाओं और पुरुषों के परिप्रेक्ष्य को समान रूप से महत्ता दी जाती है। • सभी नीतियों और कार्यक्रमों में जेण्डर समानता से जुड़े उसकी वचनबद्धताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। • निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों दोनों की समान रूप से बात सुनी जाए अर्थात् विकेंद्रित निर्णय लिया जाए।
कर्मचारी सोच	• जेण्डर के प्रति पुरुष और महिला कर्मचारियों की क्या सोच है?	• जेण्डर क्षमता विकास और जागरूकता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन यह सोच बदलने के लिए करना चाहिए कि जेण्डर को अनुदान दाता की आवश्यकताओं के कारण नहीं जोड़ा गया है बल्कि यह संगठन का एक मुख्य मूल्य है।
नीति और कार्यवाहियाँ	• क्या संगठन के पास समान अवसर प्रदान करने की नीतियाँ हैं? नीति के अन्तर्गत क्या–क्या सम्मिलित है? किस प्रकार इसको प्रोत्साहित और क्रियान्वित किया जाता है?	• संगठन की संरचना, संस्कृति और स्टॉफ स्वरूप के साथ–साथ कार्यक्रमों, नीतियों और कार्यविधियों में समानता के प्रति ध्यान दिया जाता है। • व्यापक समीक्षा करने के लिए जेण्डर संवेदी सूचकों का प्रयोग करते हुए लगातार आंकलन व मूल्यांकन करना।

स्रोतः डर्बीशायर, 2002 से रूपांतरित।

संदर्भ

डर्बीशायर, हेलेन, 2003। जेण्डर मैनुअलः ए प्रेक्टिकल गाइड फॉर डेवलेपमेण्ट पॉलिसी मेकर्स एण्ड प्रेक्टिशनर्स। सोशल डेवलपमेण्ट डिवीजन, डी.एफ.आई.डी., यू.के.

जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स (जी.डब्ल्यू.ए.), 2003। पॉलिसी डेवलेपमेण्ट मैनुअल फॉर जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स मेम्बर्स एण्ड पार्टनर्स। डेल्फ्ट, नीदरलैण्ड। उपलब्ध हैः http://www.genderandwater.org

जी.डब्ल्यू.ए., 2003। जेण्डर पर्सपेक्टिव ऑन पोलिसीज इन द वॉटर सेक्टर। लीसिस्टरशायर, यू.के., डब्ल्यू. ई.डी.सी. द्वारा प्रकाशित, लॉफबोरो विश्वविद्यालय, लीसिस्टरशायर, यू.के. फॉर द जी.डब्ल्यू.ए.।

प्रमुख संसाधन

शैनर, बारबरा, बारबरा वेन कोपेन एण्ड कैथी एल्स, 2003। जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इन वॉटर पॉलिसी एण्ड लेजिसलेशनः द केस ऑफ साउथ अफ्रीका। पेपर डेवलप्ड फॉर द जेण्डर इन कोर्ट सेशन ऐट द थर्ड वर्ल्ड वॉटर फोरम, कोयोटो, जापान।

स्टेटस ऑफ वूमेन इन कनाडा, 1998। जेण्डर बेस्ड एनलिसिसः ए गाइड फॉर पोलिसी मेकिंग, गर्वनमेण्ट ऑफ कनाडा, पुनः प्रकाशित। उपलब्ध हैः
http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/gbaguide/index_e.html

वॉकमैन, वेन्डी, सुसन डेविस, क्रिस्टीना वेन विक एण्ड अल्का नथानी, 1996। सोर्सबुक फॉर जेण्डर इश्यूज एट द पॉलिसी लेवल इन द वॉअर एण्ड सेनिटेशन सेक्टर। वॉटर एण्ड सेनिटेशन कोलैबरेटिव काउंसिल।

अध्याय 6: भारत – जल प्रबंधन में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय नीतियाँ

जल संसाधनः एक परिदृश्य

ऐसा अनुमानित है कि भारत की जनसंख्या आने वाले 20–40 वर्षों में दुगुनी हो जायेगी, वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि तेजी से घट रहे जल संसाधन पर वैश्विक मांग की इस दर से दुगुनी होगी। भारत में संपूर्ण जल की मांग 552 क्यूबिक मीटर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 1050 विलियन क्यूबिक मीटर हो जायेगी जिसके लिए देश के सभी उपलब्ध जल संसाधनों को प्रयोग करने की आवश्यकता होगी (विश्वबैंक, 1999)। वर्तमान में जल उपयोग का 92 प्रतिशत कृषि कार्यों के लिए समर्पित है, 3 प्रतिशत उद्योगों में और 5 प्रतिशत घरेलू कार्यों जैसे पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों में प्रयुक्त हो रहा है (डब्ल्यू.आर.आई. 2000)।

देश में उपयोग हो सकने योग्य कुल सतही जल का आंकलन 1869 घन किमी. किया गया है। किन्तु वास्तविक रूप से उपयोगी कार्यों में इस्तेमाल हो सकने वाली जल की कुल मात्रा काफी कम है, जिसका कारण विभिन्न बाध्याताएं जैसे– भू आकृति, स्थल आकृति, विभिन्न राज्यों के आंतरिक मुद्दे और कम खर्च में प्रभावी ढंग से जल संसाधन को प्राप्त कर सकने से जुड़ी तकनीकियों की वर्तमान स्थितियाँ हैं। वास्तव में, वर्तमान समय में उपलब्ध कुल जल संसाधन का 60 प्रतिशत ही उपयोग करने योग्य है (राष्ट्रीय जल नीति दस्तावेज 2002)।

भारत में जल का टिकाऊ प्रबंधन एक तात्कालिक आवश्यकता बनती जा रही है। इसका कारण देश में जल संसाधनों से जुड़ा गंभीर संकट है, जो कि आने वाले दशकों में जनसंख्या और पर्यावरण की सुरक्षा और आजीविका के लिए खतरा बन जाएगा। लगातार बढ़ती हुयी जनसंख्या और बढ़ते हुए विकास के दबाव ने प्रदूषण, अनियंत्रित दोहन और प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ दशकों में, अप्रभावी सरकारी नीतियों और आर्थिक मदद जैसी परियोजनाओं ने जल संसाधनों के गैर टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा दिया है। जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जो विभिन्न स्रोतों जिसके अन्तर्गत कृषि, औद्योगिक एवं घरेलू क्षेत्र शामिल हैं के बढ़ते दबावों को संबोधित करेगा।

भारत में जेण्डर से जुड़े मुद्दे

भारतीय समाज में महिलाओं और पुरूषों के अनुपात के संबंध में, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 103 करोड़ जनसंख्या में से 49.6 करोड़ महिलायें हैं। यह दर्शाता है कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या आधे से कुछ कम है। दशकीय वृद्धि दरें भी दर्शाती हैं कि पुरूषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या की वृद्धि दर काफी कम है। इसके कारण कुछ मुद्दे जैसे महिलाओं की कमी, लापता महिलायें, महिलाओं का अस्तित्व आदि उभरे हैं । भारत में प्रति एक लाख जीवित बच्चों के जन्म में मातृ मृत्यु दर 407 आंकलित है। यद्यपि वर्ष 1991 व 2000 के मध्य महिलाओं की साक्षरता दर में 39.3 प्रतिशत से 54.3 प्रतिशत का सुधार हुआ है। परन्तु सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और समूहों के लिए अभी भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।

पारंपरिक पैतृक व्यवस्था ने महिलाओं को उनकी जमीन, संपत्तियों पर मौलिक अधिकारों को नकारकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक वर्गीकरण में निचले पायदान पर रखने में अहम् भूमिका निभाई है। बालिका भ्रूण हत्या और बाल–विवाह जैसी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति काफी प्रभावित हुयी है। कमजोर सामाजिक ढाँचे जैसे विद्यालयों या स्वास्थ्य केद्रों, पेयजल, स्वच्छता एवं सफाई सुविधाएं आदि की कमी भी महिलाओं के एक बहुत बड़े वर्ग को इन सुविधाओं के उपयोग से वंचित रखती है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए जेण्डर निष्पक्षता व समानता पर कार्य करने की आवश्यकता है।

जेण्डर और जलः एक संबंध

हाल के वर्षों में जल संसाधनों की स्थिति के कारण, इस संसाधन की महत्ता के प्रति सजगता बढ़ी है। इण्डियन मार्केट रिसर्च ब्यूरों द्वारा किये गये अध्ययनों के अनुसार, वे घर जो पानी को खुले स्रोतों जैसे तालाबों, झीलों, नहरों आदि से एकत्र करते हैं; वे कुँओं पर दिन में 12 बार, सार्वजनिक नलों पर 9 बार,

खुले स्रोतों जैसे झीलों पर 6 बार जाते हैं। इसके लिए तय की गयी कुल दूरी 100 से 1000 मीटर की होती है। महिलायें, जो कि इसके लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होती हैं वे इस कार्य के लिए अनुमानतः एक दिन में ढाई घण्टे का समय लगाती है (इण्डिया कन्ट्री रिपोर्ट, 2001)। एक ओर उपलब्धता में कमी और दूसरी ओर इस विचारधारा ने कि जल का उचित प्रबंधन अत्यन्त आवश्यक है, ने पेयजल और सिंचाई दोनों ही के लिए जल आपूर्ति के प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित प्रयासों को बढ़ावा दिया है।

नीतिगत हस्तक्षेप

जेण्डर समानता से जुड़ा प्रश्न लगभग एक सदी से भारतीय विचारधारा का आधार रहा है।

भारत का संविधान जेण्डर संबंधी निष्पक्षता एवं समानता के सिद्धान्त में दृढ़तापूर्वक विश्वास रखता है। यह कानून में समानता का समर्थन करता है और इसे लागू करने के प्रति वचनबद्ध है जिसमें उत्पीड़न की रोकथाम व सार्वजनिक नौकरियों में महिलाओं और पुरूषों को समान अवसर उपलब्ध हों। यह कहता है कि एक भारतीय महिला एक नागरिक की तरह कार्य करेगी और राष्ट्र के निर्माण में वह एक व्यक्तिगत सहयोगी की भूमिका निभायेगी, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति, भूमिका अथवा गतिविधियाँ कुछ भी हों।

जबकि मातृत्व एक महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान कहता है कि यह भारत की महिला के लिए एक 'मात्र भूमिका' नहीं है। इसके अतिरिक्त भी भारतीय महिला की राष्ट्र निर्माण के सहायक के रूप में बहुत सी अन्य भूमिकायें हैं।

सभी लोागों के विकास के दृष्टिकोण के अन्तर्गत भारत की सरकार द्वारा महिलाओं के विकास को राष्ट्रीय विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। इस सोच को विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में निम्नवत् लागू किया गया हैः

- प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए विशेष रूप से योजनाओं और परियोजनाओं में नियत स्थान रखा जाता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में महिलाओं की राजनीति में लोकतंत्र के बुनियादी स्तर पर भागीदारी को शामिल किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण को अनिवार्य घोषित किया गया है।
- महिलाओं के विकास हेतु मातृत्व और शिशु देखभाल के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण जैसे तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।
- भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकारों से संबंधित प्रपत्रों जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, को समर्थन दिया है। इनमें से वर्ष 1993 में महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के जातिगत भेदों को दूर करने संबंधी सम्मेलन का समर्थन महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन महिलाओं और पुरूषों के मध्य समानता हेतु महिलाओं के लिए एक समान पहुँच और राजनैतिक तथा जनजीवन में एक समान मौकों को सुनिश्चित करने संबंधी विचार को आधार प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तथा महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में देखा जाना भी सम्मिलित है।
- भारत सरकार, बीजिंग घोषणा में अधोहस्ताक्षरी है और कार्यवाही के मंच को समर्थन दिया है। सभी मुख्य क्षेत्रों की अधिकारिक नीतियां, जेण्डर असमानता पर देश में हुए विश्लेषण व समझ के आधार पर तैयार की गयी है जिसका प्रमुख लक्ष्य पारिस्थितियों मं बदलाव लाना है।

राष्ट्रीय जल नीति से जुड़े जेण्डर सरोकार

भारत में सितम्बर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को लागू किया गया तब से अब तक जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन से जुड़े अनेकों मुद्दे और चुनौतियाँ उभरकर सामने आयीं हैं। संशोधित राष्ट्रीय जलनीति 2002 साफ तौर पर यह व्याख्या करती है कि जल बहुत ही सीमित और अनमोल राष्ट्रीय संसाधन है जिसे राज्यों की आवश्यकताओं और सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर एकीकृत और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दक्ष विधियों द्वारा योजना बनाकर विकसित, संरक्षित और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। यह विकासात्मक नियोजन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है।

नीति दस्तावेज कहता है कि जल वितरण के संबंध में सामाजिक न्याय और समानता जैसे जटिल मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन हेतु समुदाय की आवश्यकताओं संबंधी सरोकारों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

जल क्षेत्र में जेण्डर से संबंधित दो नीति अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण हैं:

- अनुच्छेद 6.8 दर्शाता है कि ''लाभार्थियों और अन्य हितधारकों की सहभागिता एवं संबद्धता को परियोजनाओं के नीति निर्धारण के समय से ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए''।
- अनुच्छेद 12 दर्शाता है कि ''विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन में सहभागिता संबंधी दृष्टिकोण को शामिल किया जाना चाहिए; इसे उपयोगकर्ता को योजना, निर्माण, विकास और जल संसाधन प्रबंधन योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर शामिल करके किया जा सकता है।

महिलाओं की उचित भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रूप से कानूनी और संस्थानगत बदलावों को अपनाना चाहिए।

राष्ट्रीय जल नीति अपने वर्तमान स्वरूप में एक कथन प्रतीत होती है क्यों कि यह किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है और न ही इसका कोई कार्यवाही प्रारूप है। यह न तो किसी को कोई भी अधिकार प्रदान करती है और न ही किसी को इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी सौंपती है। नीति जल और निवेश परिदृश्य हेतु किसी भी प्रकार की आर्थिक लागत को उपलब्ध नहीं कराती है। नीति में संवैधानिक व्यवस्था और कानूनी मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए नीति को एक उचित कार्यवाही योजना को विकसित करने और उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

सरकार की पहल

जेन्डर समानता एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधी कार्यों की देखरेख का कार्य, मानव संसाधन विकास मत्रालय, भारत सरकार का **महिला एवं बाल विकास विभाग** करता है, जोकि इसके लिए नोडल एजेन्सी भी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नेशनल रिसोर्स सेन्टर फॉर वीमेन (एन.आर.सी.डब्ल्यू.) की स्थापना भी की है। एन.आर.सी.डब्ल्यू. के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- महिलाओं के विकास के क्षेत्र में सूचना आधार एवं सूचनाओं के प्रचार–प्रसार का निर्माण करना तथा विकास में महिलाओं के समकालीन मुद्दों पर आंकड़ों के संकलन के लिए कार्य का संचालन करना है।
- महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत संस्थानों व व्यक्तियों का नेटवर्क बनाना।
- चयनित क्षेत्रों की नीतियों, नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में जेन्डर परिप्रेक्ष्य को आत्मसात करना।

अधिक जानकारी के लिए देखें: http://wcd.nic.in/; http://nrcw.nic.in/

महिलाओं की रूचियों एवं अधिकारों की सुरक्षा एवं उनको बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अर्न्तगत, एक वैधानिक इकाई के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अधिक जानकारी के लिए देखें: http://nrcw.nic.in/shared/linkimages/24.htm and http://ncw.nic.in/

अगस्त 1953 में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण परिषद (सी.एस.डब्ल्यू.बी.) की स्थापना की गयी तथा उसने समाज के अति पिछड़े, सीमान्तस्थ एवं योग्य वर्गों हेतु कल्याणकारी सेवाओं को लागू करने के लिए कई कार्यक्रमों की पहल की। आज यह देश में महिलाओं के विकास व सशक्तीकरण के क्षेत्र में राष्ट्र स्तरीय अग्रणी संगठन है। सी.एस.डब्ल्यू.बी. सरकार एवं देश के सामाजिक विकास के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य एक संयोजक के रूप में कार्य करता था। अधिक जानकारी के लिए देखें: http://nrcw.nic.in/shared/linkimages/28.htm

राष्ट्रीय महिला कोष– नेशनल वीमेन्स फण्ड का गठन महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में पंजीकृत संस्था के रूप में वर्ष 1993 में किया गया था। इसका प्रमुख कार्य आजीविका एवं इससे संबंधित गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के प्रावधानों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। अधिक जानकारी के लिए देखें: http://nrcw.nic.in/shared/linkimages/27.htm

यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम द्वारा प्रायोजित, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की परियोजना ''स्ट्रेंग्थेनिंग ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स'' के एक भाग के रूप में, दूरस्थ शिक्षण प्रक्रिया पर आधारित 'जेन्डर/महिला सशक्तीकरण' संबंधी प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया। यह सामग्री http://persmin.nic.in/dopt/index.html

वर्ष 1989 में महिला सामाख्या योजना का शुभारम्भ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, विशषकर वे जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सीमान्त समूहों के रूप में हैं, की शिक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु ठोस कार्यक्रम के अर्न्तगत शिक्षा एवं सशक्तीकरण पर आधारित राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य को पाने हेतु किया गया था। अधिक जानकारी के लिए देखें: http://nrcw.nic.in/index1.asp?linkid=36

राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की महिला शैक्षणिक इकाई, लड़कियो एवं महिलाओं के मुद्दों एवं शिक्षा संबंधी कार्यों को करती है तथा महिलाओं की समानता एवं सशक्तीकरण को प्रात्साहित भी करती है। यह शोध, विकास, प्रशिक्षण एवं पक्ष समर्थन संबंधी गतिविधियों का संचालन भी करती है। अधिक जानकारी के लिए देखें: http://www.ncert.nic.in/html/profile.aspx?deptid=D003

जेन्डर संबंधी मुद्दों को पहचानने एवं महिलाओं के दृष्टिकोण से संबंधित उपलब्ध कृषि तकनीकियों/कार्यक्रमों/नीतियों की उपयुक्तता के परीक्षण के साथ–साथ कृषि कार्य करने वाली महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु शोध एवं विस्तार योजनाओं में जेन्डर को मुख्य धारा में जोड़ने संबंधी प्रयासों के प्रोत्साहन के लिए नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर की स्थापना की गयी। इसका प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित महिलाओं की आवश्यकताओं को प्रकट करने में सक्षम बनाने हेतु वैज्ञानिकों, नियोजनकर्ताओं एवं नीति निर्धारकों का क्षमता विकास करना है। वेबसाइट: http://www.icar.org.in/anrep/200607/10-Gender-Issues.pdf

जेन्डर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (जी.टी.आई.) की स्थापना यूरोपीय संघ के सहयोग से की गयी थी। इसका मानना है कि सभी अपने आप में नीति निर्धारक हैं तथा परिवर्तन लाने में प्रभावी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एवं साथ ही जी.टी.आई. के सभी कार्यक्रमों में संभावित प्रतिभागी भी हैं। प्रशिक्षण मुख्य रूप से विद्यमान सामाजिक गठन पर आधारित है तथा प्रतिभागी जेन्डर असमानता संबंधी सोच को परिवर्तित व सुधार करने से संबंधित हल को खोजने व वास्तविकता का विश्लेषण करते हैं। स्रोत: http://www.csrindia.org/Reports&Documents/Docket%20Inner%20Page.pdf

इन्डिया वॉटर पोर्टल, विशेषज्ञों एवं जन सामान्य के बीच जल प्रबंधन संबंधी ज्ञान के आदान प्रदान हेतु एक व्यापक, सम्मिलित करने योग्य, वेबआधारित मंच है। नवंबर 2008 में, काफी वर्षों से संचालित अंगेजी संस्करण के वेबसाइट के साथ, हिन्दी संस्करण की भी शुरूआत की गई। इस पोर्टल का उद्देश्य जल क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुभवों को संकलित कर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उनके ज्ञान से संबंधित सामग्रियों का निर्माण तथा तकनीकियों के माध्यम से उनको महत्व देने के साथ–साथ इन्टरनेट के माध्यम से इस सामग्रियों को वृहद स्तर पर लोगों तक पहुँचाना है। इसका मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्र से जुड़े समानता एवं टिकाऊपन संबंधी मुद्दे को संबोधित करना है। अधिक जानकारी के लिए देखें: http://www.indiawaterportal.org/

नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय, दूरगामी एवं एकीकृत रणनीतियों से संबंधित आठ ''राष्ट्रीय मिशनों'' को उल्लेखित करता हुआ एक राष्ट्रीय दस्तावेज है।

नेशनल वॉटर मिशन एक ऐसी योजना है जिसने यह तथ्य उजागर किया कि आज भी देश के कई हिस्से जलाभाव में जी रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यह समस्या और भी गम्भीर हो सकती है। इसलिए योजना में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है जल उपयोग को और भी प्रभावी बनाया जाए, संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति को बढ़ाने संबंधी अवसरों की तलाश की जाए तथा जल संसाधनों का प्रभावी तौर पर प्रबंध किया जाए।

संदर्भ

नेशनल वॉटर पॉलिसी, नई दिल्ली, अप्रैल 2002, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।
स्रोतः http://www.nih.ernet.in/belgaum/NWP.html

नेशनल पॉलिसी फॉर दी इम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेन, 2001
स्रोतः http://www.wcd.nic.in/empwomen.htm

प्लैटफॉर्म फॉर एक्शन 10 ईयर आफ्टर, इन्डिया कन्ट्री रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मत्रालय, भारत सरकार। स्रोतः http://wcd.nic.in/PFA-BOOK+10.pdf
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेन्ज (एन.ए.पी.सी.सी.), 2008, प्राइम मिनिस्टर काउन्सिल ऑन क्लाइमेट चेन्ज, भारत सरकार। स्रोतः http://pmindia.nic.in/pg01-52.pdf

रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन इम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेन फॉर द XI प्लान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 11^{th} प्लान (2007–2012), 2006

ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑन जेन्डर इस्यूस इन डेवलपमेन्ट, इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट इन गवर्नमेन्ट, तिरूवनन्तपुरम, 2003।

स्रोतः http://persmin.nic.in/otraining/Gender%20Issues%20(Training%20Module).pdf
आर्टिकल ऑन वीमेन राइट्स एन्ड स्टेटसः क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस एन्ड मीसरमेन्ट बाई अनीता गुरूमुर्ती (मई 1998)। स्रोतः http://nird.ap.nic.in/clic/rrdl106.html

शब्दावली

अनुकूलन (अनुकूल क्षमता और अनुकूल रणनीति) का संदर्भ, आजीविका व्यवस्था की योग्यता को रणनीतियों के द्वारा संवेदनशीलता के आधार पर सामना करने या अनुकूलित होने के लिए, लिया गया है, जैसेः अपेक्षित दक्षताओं और क्षमताओं के साथ–साथ समर्थनीय संसाधनों जैसे लघु–ऋण तक पहुँच को विकसित कर आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित करना।

आपदा एक ऐसी गंभीर घटना है जिससे किसी समुदाय या समाज को व्यापक मानव, सामग्री, आर्थिक या पर्यावरणीय नुकसान होता है। जिससे प्रभावित समुदाय को अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग कर सामना करने की योग्यता भी प्रभावित होती है। एक आपदा विभिन्न खतरों के फलस्वरूप होने वाली क्रिया हैः जोखिम + भेद्यता।

सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं और पुरूष दोनो शामिल हैं, के जीवन पर नियंत्रणः उनके स्वयं के एजेंडे की स्थापना करता है, दक्षता सीखता, आत्मविश्वास, समस्याओं का हल, और आत्मनिर्भर बनाता है। कोई भी किसी को सशक्तिकृत नहीं कर सकता हैः केवल व्यक्ति ही स्वयं को चयन करते हुए या स्पष्ट बोलते हुए सशक्तिकृत हो सकता है। यद्यपि, संस्थान जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता एजेंसियाँ शामिल हैं, प्रक्रियाओं को समर्थ कर सकते हैं जो व्यक्ति या समूहों का स्व–सशक्तिकरण का पोषण कर सकते हैं।

जेण्डर विशेषताओं का सांस्कृतिक तौर पर विशिष्ट समूह है जो महिलाओं और पुरुषों के सामाजिक व्यवहार और उनके बीच के संबंधों को पहचानता है। जेण्डर, अतः, साधारणतया महिलाओं और पुरुषों को ही नहीं, बल्कि उनके संबंधों उन तरीकों जिससे यह सामाजिक तौर पर निर्मित है, को भी संदर्भित करता है। क्योंकि यह संबंधात्मक विषय है, जेण्डर में महिलाओं और पुरुषों को भी शामिल होना चाहिए। वर्ग, वंश और प्रजातीय आधार की धारणा के समान, जेण्डर सामाजिक प्रक्रियाओं (स्टेटस ऑफ वोमेन, कनाडा, 1996) को समझने के लिए एक विश्लेषणात्मक साधन है।

जेण्डर विश्लेषण महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं को विकास में और महिलाओं और पुरुषों पर विकास के विभिन्न प्रभावों पर ध्यान देने का एक क्रमबद्ध तरीका है। तत्वतः, जेण्डर विश्लेषण 'कौन' प्रश्न को पूछता हैः कौन क्या करता है, किस पर कितनी पहुँच और नियंत्रण रखता है, किससे लाभ लेता है, विभिन्न आयु समूहों, वर्गों, धर्मों, प्रजातीय आधार समूहों, वंशों और जातियों के दोनों जेण्डरों के लिए? जेण्डर विश्लेषण का यह भी आशय है कि प्रत्येक मुख्य जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी), सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक समूह में आँकड़ों को जेण्डर के द्वारा अलग किया जाता है और अलग तरीके से जेण्डर के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। जेण्डर विकास प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था पर महिलाओं और पुरुषों पर अलग तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता पर केन्द्रित होता है। व्यक्ति को यह हमेशा पूछना चाहिए कि किस प्रकार एक विशेष गतिविधि, निर्णय या योजना पुरुषों को महिलाओं से अलग तरीके से प्रभावित करेगा, और कुछ महिलाओं या पुरुषों को अन्य महिलाओं और पुरुषों से अलग तरीके से प्रभावित करेगा (रानी पार्कर, 1993)। यह देखते हुए कि किस प्रकार जल प्रबंधन कार्य जेण्डर और आयु समूहों के बीच विभाजित हैं, यह उदाहरणतः किन पहलुओं पर जल परियोजनाओं को महिलाओं या पुरुषों के साथ, परिवारों के अंतर्गत, महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न श्रेणियों जो विभिन्न कार्यों को करने की प्रवृत्ति, निर्णय लेने शक्ति और ज्ञान को रखते हैं के रूप में दर्शाता है (वान विज्क, 1998)।

जेण्डर समानता का आशय यह है कि महिला और पुरुष दोनों की समान प्रतिष्ठा हो। जेण्डर समानता का आशय है कि महिला और पुरुष अपने पूर्ण मानव अधिकार को प्राप्त करने की समान दशाओं, और राष्ट्रीय, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को योगदान करने की क्षमता, और परिणामों से लाभ लेने की क्षमता रखते हैं। जेण्डर समानता, अतः, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानताओं और विभिन्नताओं दोनों, और परिवर्ती भूमिकाओं जो वे निभाते हैं, उदाहरणार्थ, जल संसाधन

प्रबंधन में महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं को समाज के द्वारा समान मूल्यांकन किया जाना है।

जेण्डर निष्पक्षता महिलाओं और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया है। निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक और सामाजिक अलाभों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायः उपाय करना आवश्यक है जो समान क्षेत्र में अन्यथा संचालन से महिलाओं और पुरुषों को बाधा डालता है। निष्पक्षता समानता को बढ़ावा देती है। जल क्षेत्रों में जेण्डर निष्पक्षता को प्रायः विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता है जो महिलाओं के तकनीकी विकास, और इन क्षेत्रों में निर्णय लेने में उनके ऐतिहासिक अलाभों को संबोधित करने के लिए जल संसाधन प्रबंधन में भाड़े पर लेने और प्रोत्साहन पर केंद्रित हैं।

जेण्डर को मुख्यधारा से जुड़ाव एक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं और पुरूषों पर पड़ने वाले प्रभावों का निर्धारण करना है जिसमें कानून, नीति और कार्यक्रम से जुड़े सभी क्षेत्र और सभी स्तर भी शामिल हैं, तक पहुँच की प्रक्रिया है। यह महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों के सरोकारों और अनुभवों को सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिक्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के एकीकृत आयाम के लिए रणनीति है ताकि महिलाओं और पुरुषों की समानता और असमानता को समान रूप से लाभ पहुँचाना चिरस्थायी नहीं है। इसका अंतिम लक्ष्य जेण्डर समानता को प्राप्त करना है {मुख्यधारा का स्वरूप बदलकर} (ई.सी.ओ.एस.ओ.सी., 1997, जोड़ दिया गया है)।

जेण्डर संबंध संस्थानों की एक श्रृंखला के द्वारा संघटित और निर्मित हैं जैसे, परिवार, कानून व्यवस्था, या बाजार। जेण्डर संबंध महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति के श्रेणीबद्ध संबंध हैं और अलाभ महिलाओं के लिए प्रवृत्त है। ये अनुक्रम प्रायः "प्राकृतिक" के रूप में स्वीकृत हैं किंतु सामाजिक तौर पर निर्धारित संबंध, सांस्कृतिक तौर पर आधारित हैं और समय के साथ परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हैं।

जोखिम प्राकृतिक या मानव–निर्मित घटना है जिससे भौतिक नुकसान, आर्थिक हानि होती है और मनुष्य के जीवन और कल्याण को खतरे में डाल देती है।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन या आई.डब्ल्यू.आर.एम. एक ऐसी प्रक्रिया है जो जैव पारिस्थितिकी के टिकाऊता को बिना जोखिम में डाले उचित ढंग में परिणामी आर्थिक और सामाजिक कल्याण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के क्रम में जल, भूमि और संबंधित संसाधनों के समन्वित विकास और प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। (वैश्विक जल सहभागिता/तकनीकी सलाहकार समिति।)

अन्तरानुभाग यह स्वीकार करने के लिए कि महिलाएं भिन्नता और मानव अधिकारों के उल्लंघन को ही अपने जेण्डर की आधार पर अनुभव नहीं करती हैं, बल्कि अन्य शक्ति संबंधों से भी अनुभव करती हैं जो कि उनकी वंश, प्रजातीय आधार, वर्ग, आयु, योग्यता/अयोग्यता, धर्म और अन्य कारणों की बहुलता भी समावेशित हैं यदि वे देशी हैं, के कारण हैं।

आजीविका जीवन–निर्वाह के साधन के लिए आवश्यक योग्यताओं, संपत्तियों (सामग्री और सामाजिक) और गतिविधियों को समाविष्ट करता है। आजीविका को टिकाऊ तब कहा जा सकता है जब इसे बलाघात और आघात, तथा इसकी योग्यताओं और संपत्तियों को बिना प्राकृतिक संसाधन आधार को क्षति पहुँचाए बनाए रखने या वृद्धि करने से सामना कर सकता है और पुनः प्राप्त कर सकता है।

लचीलापन किसी तंत्र की वह क्षमता है जिसमें, समुदाय या समाज की इस क्रम में विरोध करने या परिवर्तित करने कि वह क्रियाविधि और संरचना में एक स्वीकार्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। यह उस श्रेणी के द्वारा निर्धारित है जिससे सामाजिक व्यवस्था स्वयं को संघटित करने के योग्य है और अपनी क्षमता से सीखने और अनुकूलन, जिसमें आपदा (स्व–संघटित) से संभलने की क्षमता भी शामिल है, के लिए बढ़ाने की योग्यता रखता है।

खतरा अतिसंवेदनशीलता और आपदाओं के सम्मिलन के कारण प्रत्याशित क्षति या नुकसान है। वे लोग खतरे में माने जाते हैं जब वे किसी आपदा का सामना करने में अयोग्य होते हैं।

हितधारक वे हैं जो किसी विशेष निर्णय व्यक्ति या समूह के प्रतिनिधि के रूप में रुचि रखते हैं। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो किसी निर्णय को प्रभावित करते हैं या इसे कर सकते हैं साथ ही साथ इसके द्वारा वे प्रभावित होते हैं।

संवेदनशीलता भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय घटकों जो आपदाओं के प्रभाव के लिए समुदाय की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, के परिणामस्वरूप दशाओं और प्रक्रियाओं की स्थिति को परिभाषित करते हैं।

संलग्न: केस स्टडी

शीर्षक	पृष्ठ
अफ्रीका: अफ्रीकी शहरों हेतु जल: जी.डब्ल्यू.ए. एवं यू.एन.–हैबिटैट के बीच साझेदारी	144
बांग्लादेश: बाढ़ आपातकालीन प्रबन्धन में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने पर आधारित प्रक्रियाएं।	148
बांग्लादेश: महिला, पुरुष एवं जलपम्प	151
ब्राजील: महिला नेतृत्व को विशेष बढ़ावा	153
कैमरून: ''साथी हाथ बढ़ाना'' महिलाओं की भागीदारी से जल प्रबंधन में बदलाव– हुओण्डा	156
मिस्र: जल एवं स्वच्छता में समुदाय व घरेलू निर्णयों में महिलाओं का भागीदारी हेतु सशक्तिकरण	159
घाना: समारी–क्वान्ता समुदाय की ग्रामीण जल परियोजना में जेण्डर एकीकरण	162
वैश्विक: जल एवं स्वच्छता विषयक पेपर पर सुझाव: इंटरएजेंसी जेण्डर एवं जल कार्यदल से जुड़ी केस स्टडीज	165
ग्वाटेमाला: "एल नारान्जो" नदी जलागम (वॉटरसेड) संगठन में महिलाओं और पुरुषों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति	172
भारत: अलगाव से एक सशक्त समुदाय की ओर: एक स्वच्छता परियोजना में जेण्डर के मुख्यधारा से जुड़ाव के दृष्टिकोण को लागू करना, तमिलनाडु	175
भारत: अर्द्ध–शुष्क क्षेत्रों में घरेलू जलापूर्ति से आर्थिक लाभ एवं जेण्डर	178
भारत: सहभागी सिंचाई प्रबंधन में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव: आगा खाँ ग्रामीण सहयोग कार्यक्रम का एक केस अध्ययन	182
भारत: आर्सेनिक शोधन कार्यक्रम एवं महिलाओं की भूमिका, पश्चिम बंगाल	185
भारत: समय के साथ बदलती सोच	191
भारत: सामूहिक प्रयासों से दूर की पानी की समस्या	195
इंडोनेशिया: एक्वा डैनोन एडवोकेसी प्रोग्राम में महिलाओं की भागीदारी – क्लातेन जिले की केस स्टडी, केन्द्रीय जावा	196
इंडोनेशिया: महिला सहभागिता एवं जल प्रबंधन, जावा	199
जॉर्डन: कुशल प्रबंधन, महिलायें एवं टिकाऊ परियोजनाएं	201
केन्या: सामुदायिक जल प्रबंधन में जेण्डर भेद–भाव: मचाकोस	204
निकारागुआ: जल एवं स्वच्छता तक पहुँच के लिए जेण्डर समानता	206
नाइजीरिया: पेयजल स्रोतों की सुरक्षा और जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना	209
पाकिस्तान: परदे से सहभागिता की ओर	212
पाकिस्तान: जागरूकता से जुड़ी आत्मविष्वास की ओर: बांदा गोल्रा जल आपूर्ति योजना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व	215
सेनेगल: समुद्री एवं समुद्रतटीय संसाधनों में महिलाओं की भूमिका, कायर	218
दक्षिण अफ्रीका: स्वच्छता एवं ईंट निर्माण परियोजना में महिलायें, माबुल गाँव	224
दक्षिण एशिया: जमीनी स्तर पर जल एवं गरीबी संबंधी मुद्दों का संबोधन: क्षेत्रवार जल भागीदारी एवं महिलायें तथा दक्षिण एशिया के जल नेटवर्कों पर एक केस स्टडी	227
तंजानिया: जेण्डर व स्वच्छ जलीय संसाधनों की सुरक्षा	233
टोगो: स्कूल एस.एस.एच.ई. में स्वच्छता के प्रचार–प्रसार में जेण्डर एकीकरण	234
यूगांडा: नीति में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव: यूगांडा की जेण्डर जल रणनीति का परीक्षण	237
संयुक्त राष्ट्र: पीछे हटने से इन्कार *द्वारा–मॉरीन टेलर, मिषिगन वेल्फेयर राइट ऑर्गनाइजेशन*	240
उरुग्वे: विरोध के साथ निजीकरण	242
जिम्बाम्बे: चिंपिन्गे जिले के मैन्जवीर गाँव में जलापूर्ति और स्वच्छता में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव	244
जिम्बाम्बे: सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा जल एवं स्वच्छता परियोजना में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव संबंधी पहल	247

अफ्रीका:
अफ्रीकी शहरों हेतु जल: जी.डब्ल्यू.ए. एवं यू.एन.-हैबिटैट के बीच साझेदारी

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी यू.एन. हैबिटैट का प्रमुख कार्यक्षेत्र सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ मानवीय आवासों को बढ़ावा देना है। यह एजेन्सी वर्ष 1999 से अफ्रीकी देशों के शहरों को *अफ्रीकी शहरों हेतु जल कार्यक्रम* की सहायता से जल और स्वच्छता के प्रबंधन में सहायता दे रही है।

अफ्रीकी शहरों हेतु जल कार्यक्रम का लक्ष्य, मिलेनियम डेवलेपमेण्ट गोल में दिये गये जल और स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों को पाने में सहयोग करना है। जल की आवश्यकता के अनुसार कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन द्वारा शहरी जल संकट को कम करना, स्वच्छ जलीय संसाधनों पर शहरीकरण के कारण पड़ रहे पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए क्षमता विकास एवं जल प्रबंधन व संरक्षण पर जागरूकता को बढ़ाकर सूचना का प्रचार–प्रसार करना इस कार्यक्रम की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

जेण्डर एण्ड वॉटर एलायंस का गठन, जून 2000 में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के आधारभूत हिस्से के रूप में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु किया गया। यह एलायंस, नीति निर्धारकों एवं जल क्षेत्र से जुड़े संगठनों व समुदायों के साथ काम करता है तथा जेण्डर विश्लेषण से जुड़े मुद्दे पर उनके कौशल का विकास करने के साथ–साथ जेण्डर समानता से जुड़ी उनकी समझ व उनकी वचनबद्धता का भी विकास करता है। यह सभी स्तरों पर ''शीर्ष'' से लेकर ''नीचे'' तक के विभिन्न तंत्रों के साथ साझेदारी का विकास भी करता है। इसके लिए जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने और उसके समर्थन से जुड़े मुद्दों पर क्षमता विकास, सूचनाओं का आदान–प्रदान व इससे जुड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जेण्डर विश्लेषण साधनों एवं प्रक्रियाओं के वितरण व प्रणालियों के साथ किसी विशेष संदर्भ में जेण्डर संबंधी प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु एक लक्षित पहल भी आवश्यक है।

अ. जेण्डर समानता संबंधी रणनीतियों की पहल (जी.एम.एस.आई.)

यह जानते हुए कि जल को एकत्र करने की पूर्ण जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं और बच्चों पर होती है तथा सहयोगी देशों में जल की अपर्याप्त आपूर्ति के प्रतिकूल परिणामों को देखते हुए यू.एन. हैबिटैट ने जी.डब्ल्यू.ए. के साथ मिलकर जनवरी 2005 में जी.एम.एस.आई. कार्यक्रम का आरंभ किया।

जी.एम.एस.आई. का उद्देश्य गरीब शहरी परिवारों तक स्वच्छ जल की आपूर्ति व उन्हें स्वच्छता सुविधाओं का लाभ उठाने के योग्य बनाने के लिए जेण्डर संवेदी नियमों व मानकों के विकास द्वारा जल एवं स्वच्छता सुविधाओं में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को जोड़ने संबंधी कार्यों का संचालन करना है। जी. एम.एस.आई. के अन्तर्गत आठ सिद्धान्त हैं:

- सहभागिता; सीखने–सिखाने, जागरूकता के प्रचार–प्रसार व राजनीतिक वचनबद्धता लाने हेतु महत्वपूर्ण है, इस सोच पर आधारित एक सहभागिता आधारित शोध प्रणाली की आवश्यकता है।
- चूंकि स्थानीय विशेषज्ञों के पास स्थानीय वास्तविकताओं के साथ–साथ स्थानीय कार्यक्रमों के बारे में वाह्य विशेषज्ञों से अधिक व गहन जानकारी होती है तथा वे उसी भौगोलिक स्थिति में

ही कार्य करने के इच्छुक रहते हैं इसलिए इस सोच पर आधारित स्थानीय विशेषज्ञों व संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से वे एक अमूल्य मानव संसाधन हैं।

- राष्ट्रीय नीतियों व क्षेत्र विस्तार के पुर्नगठन संबंधी सूचना प्रदान करने व उन्हें प्रभावित करने संबंधी विश्लेषण को आधार मानकर स्थान विशेष के संदर्भों, ज्ञान व परिस्थितियों की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अत्यन्त गरीब व जेण्डर संवेदी हैं।
- ज्ञान के प्रचार–प्रसार व साझेदारियों के माध्यम से स्थानीय क्षमता विकास के समर्थन हेतु वर्तमान में कार्यरत प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे बहुक्षेत्रीय तरीकों को बढ़ावा मिल सके।
- जागरूकता के प्रचार प्रसार और क्षमता विकास के प्रयासों को समर्थन देने के लिए नवीन, सृजनात्मक और लाभदायक ज्ञानात्मक तथा सूचना संप्रेषण सामग्रियाँ आवश्यक हैं।
- टिकाऊ दूरगामी परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता विकास की प्रक्रिया को रणनीतियों से जोड़ा जाना आवश्यक है।
- जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी टिकाऊ रणनीतियों और शहरी स्तरीय कार्यवाही योजना की तैयारी और क्रियान्वयन में जानकारियों का आदान–प्रदान, प्रक्रियाओं के तरीकों और परिस्थितियों के अनुसार विश्लेषण को जोड़ा जाए।
- ठोस कार्यवाहियों के क्रियान्वयन में अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत किया जाए। रणनीति केवल ऐसी योजनाओं को तैयार नहीं करेगी जो सिर्फ जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने के साक्ष्यों को प्रस्तुत करे बल्कि यह जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्यों को सुनिश्चित तौर पर प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर की जा रही ठोस कार्यवाहियों को भी बढ़ावा देंगे।

ब. यू.एन. हैबिटैट और जी.डब्ल्यू.ए. के मध्य हुई साझेदारी की उपलब्धियाँ

वर्ष 2005 में यू.एन. हैबिटैट ने जी.डब्ल्यू.ए. को 14 देशों के 17 शहरों में त्वरित जेण्डर मूल्यांकन (रैपिड जेण्डर असेसमेन्ट) करवाने के लिए नियुक्त किया। इनके नाम हैं अबिदजान, कोट डी. आईवरी; आक्रा, घाना; आदिस अबाबा, डायरदावा और हरार, इथोपिया; बेमाको, माली; दुकार, सेनेगल; दार–एस–सलाम, तंजानिया; दौआला और यान्दे, कैमरून; जौस, नाइजीरिया; कम्पाला, यूगाण्डा; कीगाली, वाण्डा; लूसाका, जाम्बिया; नैरोबी, केन्या; और यूयागाडोगोउ, बुर्किना फासो।

आर.जी.ए. का प्रमुख उद्देश्य; अत्यन्त गरीब व जेण्डर दृष्टिकोण का प्रयोग करके, नीचे सूचीबद्ध किये गये अफ्रीकी शहरों हेतु जल परियोजना के द्वितीय चरण के 6 प्राथमिक विषयों के अनुसार आंकड़ों को देखना, एकत्र करना व विश्लेषण करना था। 17 अफ्रीकी शहरो से आये प्रतिभागियों द्वारा इन प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया था।

1. गरीबी से प्रभावित जल शासन व अनुश्रवण निवेश

उपर्युक्त विषय से संबंधित संस्तुतियाँ प्रमुख रूप से इस बात पर केन्द्रित हैं कि किस प्रकार स्थानीय स्तर पर कार्यरत विभाग, गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को कम खर्चे में जल और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं को प्रदान करेंगे।

2. गरीबों के लिए स्वच्छता

वित्तीय प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्वच्छता संबंधी सुविधाओं पर समुदाय के सभी लोग विशेषकर गरीब और विशिष्ट रूप से गरीब महिलाओं व पुरूषों का समान अधिकार है। संस्तुतियों में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार को लक्ष्य बनाया गया है। विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं और पुरूषों को विभिन्न क्षेत्रों में

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएं जैसे शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट का पुनः चक्रण व पुनः प्रयोग तथा इससे प्राप्त उत्पादों का प्रयोग विशेषकर स्त्री प्रधान घरों के लिए नये ऋण लेने, बचत करने व प्रशिक्षण देने हेतु आवर्ती अनुदानों के रूप में कर सकते हैं।

3. शहरी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन

अर्धशहरी स्थानों पर रहने वालों लोगों तक सुविधाजनक, सस्ते और सुरक्षित जल की आपूर्ति होनी चाहिए। इस विषय की संस्तुतियाँ पर्याप्त और निरंतर स्वास्थ्य संबंधी संदेशों के माध्यम से जल के प्रभावी और स्वच्छ उपयोग को सुधारने के लिए पारंपरिक जल स्रोतों में कुछ सुधारों के क्रियान्वयन से संबद्ध हैं।

एजेन्सियों और संस्थानों को कार्यक्रमों की तैयारी, उसके क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रक्रिया में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी विचारों को सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी विचार को शामिल करने के लिए शहरी नियोजनकर्ताओं की मदद करने के लिए जेण्डर विश्लेषण आधारित कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है तथा गरीब महिलाओं और पुरूषों की आवश्यकताओं को शहरी नियोजन कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए मदद भी दी जा सकती है।

4. जल का आवश्यकतानुसार प्रबंधन

जल संरक्षण और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जल का आवश्यकतानुसार प्रबंधन आवश्यक है। जेण्डर संवेदी मुद्दों और अत्यन्त गरीब परिवारों के परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित करने हेतु रणनीतियों एवं योजनाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। जल का आवश्यकतानुसार प्रंबधन रणनीतियों के संस्थागत व विधिसम्मत रूपरेखा में जेण्डर मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए।

5. विद्यालयों व समुदायों में जल संबंधी शिक्षा

पाठ्यपुस्तकों को लिखने में जेण्डर भूमिकाओं के पारंपरिक दृष्टिकोणों को परिवर्तित करने के साथ–साथ लैंगिक समानता और समता में शिक्षकों एवं पाठ्यचर्या की भूमिका को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। परामर्शों में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक सामग्रियों को तैयार करने पर जोर दिया गया है जो महिलाओं एवं पुरूषों दोनों की आवश्यकतों को स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर सके।

6. समर्थन, जागरूकता का प्रचार–प्रसार और सूचनाओं का आदान–प्रदान

इस विषय से संबंधित संस्तुतियाँ उन स्थानीय सरकारों पर केन्द्रित थीं जो जेण्डर आधारित सूचनाओं, शिक्षा और सूचना संप्रेषण सामग्रियों व उपकरणों के विकास में कार्यरत हैं। सार्वजनिक बैठकों में अब अनौपचारिक आवासों एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले महिलाओं और पुरूषों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जल तथा स्वच्छता संबंधी मुद्दों के प्रोत्साहन और जेण्डर समानता की संवृद्धि में विभिन्न प्रकार की मीडिया जैसे ड्रामा, खेल और प्रदर्शनी का प्रयोग करके सूचनाओं का आदान–प्रदान और वितरण किया जा सकता है।

निष्कर्ष

शहरों द्वारा तैयार की गयी कार्यवाही योजना, वर्तमान समय में कार्यवाहियों के विभिन्न स्तरों पर है परन्तु स्वामित्व की भावना और करके सीखने की प्रक्रिया के त्वरित परिणाम काफी प्रशंसनीय है। एक तरफ प्रशिक्षण की आवश्यकता को अन्य प्रशिक्षण तरीकों और क्षमता विकास कार्यक्रमों के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ यू.एन.हैबिटैट और जी.डब्ल्यू.ए. 17 अफ्रीकी

देशों के हितधारकों के साथ होने वाले उच्च स्तरीय नीति निर्धारकों की बैठकों के लिए विचारार्थ विषयों को तैयार कर रहा है जो विभिन्न शहरों में क्रियान्वित कार्यवाही योजनाओं की प्रगति को प्रदर्शित कर, उसमें उपस्थित कार्यक्रमों पर ध्यान दे सके तथा जेण्डर संवेदी नीतियों की योजना को तैयार कर सके।

संपर्क करें:

सुश्री मरियम यूनूसा
वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक
वॉटर सेनिटेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्रान्च
पो.बाक्स नं0 30030, नैरोबी–केन्या
दूरभाष: 254- 20- 7623067; फैक्स: 254 -20-7623588
ई–मेल: mariam.yunusa @unhabitat.org
वेबसाइट: http://www.unhabitat.org

सुश्री जोक माउल्विक
कार्यकारी निदेशक
जेण्डर एण्ड वॉटर एलायन्स
पो.बाक्स नं0– 114, 6950 ए.सी.डियरेन
होगस्ट्रैट–20, 6953 ए.टी.डियरेन
नीदरलैण्ड
दूरभाष: +31 313 427230
ई–मेल: jokemuylwijk@chello.nl
और secretariat@gwalliance.org
वेबसाइट: www.genderandwater.org

बांग्लादेशः
बाढ़ आपातकालीन प्रबन्धन में जेण्डर की मुख्यधारा से जुड़ाव की प्रक्रिया

चुनौतियाँ

बांग्लादेश में, बाढ़ जैसी घटनाओं के लिए घरों और समुदायों की प्रतिक्रिया उनकी संवेदनशीलता की सीमा, घटनाओं और आपदा की तीव्रता को सामना करने की क्षमता के स्तर की एक सूचक हैं। जानकार व जागरूक लोग समय से आगे रहते हैं, वे आपदा से बचने व निपटने के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने समुदाय में नुकसान के खतरों को कम कर सकते हैं।

बाढ़ संबंधी तैयारी काफी हद तक दो बातों पर निर्भर करती हैः प्रथम, संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए संबंधित राष्ट्रीय, स्थानीय और सामुदायिक संस्थानों की योग्यता; और द्वितीय, प्रयोगकर्त्ता की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर संचार व्यवस्थाओं का निर्धारण और प्राथमिकीकरण। जल की उपलब्धता से संबंधित पारंपरिक भविष्यवाणी को करने में समय की कमी होती है, और स्थानीय लोग खतरों से जुड़े तकनीकी शब्दों को नहीं समझ पाते हैं। भविष्यवाणी को प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकतानुसार बताने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में महिलाओं एवं पुरूषों की विभिन्न भूमिकाओं के कारण सूचनाओं के संप्रेषण के संदर्भ में उनकी क्षमताएं और उसके प्रति उनकी संवेदनशीलता भी भिन्न–भिन्न होती है। इसलिए वे आपदा के द्वारा विभिन्न तरीके से प्रभावित होते हैं। कई संदर्भों में पुरूषों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन तथा रेडियो तथा टी.वी. जैसे संचार के विविध माध्यमों तक पहुँच के कारण व अनौपचारिक समुदायिक नेटवर्क एवं अधिकारियों के साथ बातचीत करने के कारण पुरूष वर्ग पूर्व चेतावनी व्यवस्था से बेहतर तरीके से जुड़ा होता है। महिलायें घरेलू कार्य में व्यस्त रहती हैं जिससे वे सामुदायिक गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं कर पाती हैं इसके परिणामस्वरूप वे अपने समुदाय पर पड़ने वाले आपदाओं के खतरों से संबंधित सूचनाओं और ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। नीतियों व निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में खतरों को कम करने संबंधी महिलाओं के विचारों पर कम ध्यान दिया जाता है।

कार्यक्रम / परियोजनाएँ

2004 की शुरूआत में, सेंटर फॉर एन्वार्यनमेंट ऐंड जियोग्राफिक इन्फार्मेशन सर्विसेस (सी.ई.जी.आई.एस.) ने अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बाढ़ की संवेदनशीलता, खतरों को कम करने और बाढ़–प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय–आधारित सूचना तंत्र के द्वारा बेहतर तैयारी पर आधारित परियोजना के लिए पहल की शुरूआत की। इसके अन्तर्गत संवेदनशीलता और जोखिम को कम करने के संबंध में बाढ़ के खतरे को कम करने संबंधी कार्यक्रम पर जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने के कारण पड़ रहे प्रभावों का विश्लेषण भी शामिल है। इसका उद्देश्य बाढ़ से निपटने की तैयारी, सूचना प्रसार, विशेषकर घरों की महिलाओं के लिए, और बाढ़ की संवेदनशीलता तथा खतरे में कमी लाने से संबंधित बेहतर प्रक्रियाओं को पहचानना था।

प्रक्रिया की शुरूआत गैर सरकारी संगठनों और आपदा प्रशमन समूह (डी.एम.आई.) द्वारा पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकताओं को पहचानने के लिए स्थानीय सरकारी संस्थान में आयोजित एक सभा द्वारा हुई। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने के लिए साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, फोकस समूहों और मुक्त परिचर्चा का प्रयोग करते हुए शोध किया गया। इस प्रक्रिया को पहले क्षेत्र

में परीक्षित किया गया और उसके बाद इसे लागू किया गया। सी.ई.जी.आई.एस.के द्वारा किए गए घरेलु सर्वेक्षण में 98 प्रतिशत घरों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।

इस शोध के परिणामस्वरूप, जोकि उस साल के मानसून के दौरान तैयारी के लिए किया गया था, बाढ़ सूचना संप्रेषण के नये रूपों का परीक्षण किया गया। प्रत्येक गाँव के लिए नदी के बहाव के खतरे के स्तर को निर्धारित किया गया। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे पोस्टर, फोटोग्राफ और आडियो टेप का प्रयोग करके बाढ़ से संबंधित चेतावनियों को स्थानीय भाषा में तैयार किया गया। इन सभी माध्यमों का चयन स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने और लोगों विशेषकर निरक्षर व्यक्तियों तक सूचनाओं को पहुँचाने के रूप में किया गया, इन सूचनाओं के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां भी सम्मिलित थीं जैसे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, आपातकाल की स्थिति से पहले खाद्य पदार्थों का एकत्रण और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नावों का इंतजाम।

निष्कर्ष

परियोजना के लागू होने के बाद किये गये एक अध्ययन से पता चला कि वर्ष 2004 में आयी बाढ़ में, समुदाय के महिलाओं और पुरुषों को जैसे, फ्लैग नेटवर्क, मस्जिदों में माइक्रोफोन और ढोल पीटकर दी जाने वाली चेतावनियों की नई प्रक्रिया से काफी लाभ पहुँचा। समुदाय की कुछ महिलाओं ने कहा कि वे अब फ्लैग नेटवर्क और बाढ़ चेतावनी सूचना की महत्ता को समझने का प्रयास कर रही हैं।

कार्यक्रम पर प्रतिक्रियाः

पद्मा रानी ने कहा कि समय से प्राप्त हो जाने वाली सूचना संदेशो जोकि ग्रामीण महिलाओं के सरोकारों को संबोधित करती है से उन्हें बाढ़ से निपटने में मदद मिल सकती है। *''यदि हम भविष्यवाणी को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं तो हम अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं; मुर्गी पालन के व्यवसाय की सुरक्षा कर उससे भविष्य में भी आय सृजित कर सकते हैं, धान के फसल को सुरक्षित रख सकते हैं तथा बाढ़ से बचने के लिए अपने आप को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं।''*

ओमर सुल्तान जोकि दिन–प्रतिदिन बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए अपने धान के भण्डार (करीब 150 ढेर) को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित थे और इसे ऊँचे स्थान पर ले जाने के लिए खर्चे का वहन भी करने वाले थे, किंतु जब उन्होंने चेतावनी पद्धति से संबंधित सफेद झंडे को देखा (जिसका अर्थ जल स्तर का घटना था), तो वे ऐसा करने से बच गये और स्थानान्तरण में होने वाले निवेश से भी बच गये। उन्होने कहा *"हमने फ्लैग नेटवर्क चेतावनी पद्धति को समझ लिया है और यह हमारे लिए लाभदायक है।"*

सफलता के प्रमुख कारक

- *जेण्डर विश्लेषण ढाँचाः* आपदा से संबंधित विविध समुदाय–आधारित पद्धतियों जिन्हें जेण्डर के संदर्भ में विश्लेषित किया गया, के अध्ययन के लिए प्रारूप विकसित किया गया। पारंपरिक जेण्डर भूमिकाएँ, संचार के साधनों तथा अन्य संसाधनों तक पहुँच और उन पर नियंत्रण तथा आपदा के पहले, दौरान और बाद में महिलाओं एवं पुरूषों पर पड़ने वाले प्रभाव सम्मिलित हैं।
- *अतिरिक्त ढाँचेः* जेण्डर विश्लेषण ढाँचे के बाद जिसमें जेण्डर और आपदाओं से संबंधित समस्त, आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिकाओं को दृष्टिगोचर करने के लिए हारवर्ड एनेलिटिकल तथा नियंत्रण ढाँचों का प्रयोग किया गया।

मुख्य अवरोध

- *भविष्यवाणी को स्थानीय रूप से अनुकूलित नहीं किया गया:* सर्वेक्षण में शामिल सभी पुरुषों और महिलाओं ने कहा कि वे भविष्यवाणी से पूर्ण रूप से जुड़ने के लिए अयोग्य थे क्योंकि उन्हें स्थानीय स्थिति के लिए अनुकूलित नहीं बनाया गया था। कहीं–कहीं भविष्यवाणी से संबंधित भाषा और मीट्रिक पद्धति उनके संस्कृति से भिन्न थी या फिर नदी के जल के स्तर के बारे में प्रदान की गयी जानकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए लाभदायक नहीं थी।
- *सूचना अभिग्रहण में जेण्डर असमानता:* सामान्यतया, बाढ़ के पहले और इसके दौरान पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बहुत कम सूचनाएं प्राप्त होती थीं, क्योंकि वे बच्चों की देखभाल करने, पेयजल एकत्रित करने और बीजों, ईंधन, खाद्य और धन संपत्ति की सुरक्षा में व्यस्त रहती थीं। दूसरों के साथ बातचीत करने और रेडियो तथा टीवी तक पहुँच के कारण पुरूषों को चेतावनी संबंधी सूचना की जानकारी आसानी से मिल जाती थी।

परियोजना का भविष्य:

अन्य स्थानों में भी आपदा के खतरों में कमी लाने के क्रम में, दो प्रमुख लोगों की भूमिकाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की आवश्यकता है:

- *समुदाय:* समुदाय आपदा के खतरों में कमी लाने से संबंधित कार्यक्रम के लिए प्रमुख घटक है। समुदाय के सदस्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के प्रमुख लोग तथा प्राथमिक लाभार्थी हैं।
- *सरकार:* राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारी एजेंसियों को बाढ़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों को लागू करने में महिलाओं को पुरुषों के साथ प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्हें आपदा से संबंधित तैयारी, राहत, और पुनर्वास की सभी अवस्थाओं के नियोजन के दौरान पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इन प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी कार्यों को संस्थागत करने की आवश्यकता है।

अधिक जानकारी के लिए:

- शोधकर्ता से संपर्क करें:
  एस.एच.एम. फखरुद्दीन
  suddin@cegisbd.com
- सेंटर फॉर इनवायरनमेण्ट ऐंड जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेस के बारे में जानकारी के लिए देखें: http://www.cegisbd.com
- रिवरसाइड टेक्नोलॉजी, के बारे में जानकारी के लिए देखें: http://www.riverside.com

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

बांग्लादेशः
महिला, पुरुष एवं जलपम्प

यान्त्रिक सिंचाई उपकरण में अभिनव परिवर्तन से ग्रामीण बांग्लादेश में सिंचित खेती का तेजी से विस्तार हुआ है। यह तकनीक मुख्यतः उन पुरुषों के द्वारा प्रयोग की जा रही है जो अपनी भूमि की सिंचाई करने और/या जल विक्रय के लिए पंपों का प्रयोग करते हैं।

इस इस आय उत्पादित गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों ने महिला समूहों और महिलाओं और पुरूषों दोनों को सम्मिलित कर बनाये गये सिंचाई समूहों की शुरूआत की है जोकि स्वयं या सामूहिक रूप से पंप का इंतजाम करते हैं।

इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सामग्रियों और सामाजिक संसाधनों दोनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के योग्य बनाना है जोकि जल बाजार में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक है। इसके लिए चार विभिन्न तरीके हैंः

- घर की आमदनी को बढ़ाने के घरेलू तरीके;
- सशक्तीकरण का तरीका आय उत्पादित गतिविधियों पर केन्द्रित था जोकि महिलाओं की आमदनी को बढ़ाता था उदाहरण के लिए पंप को व्यवस्थित करने और चलाने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाना।
- गरीबी उन्मूलन तरीके, उदाहरण के लिए, लाभप्रद उद्यमों जैसे जल की बिक्री में गरीबों को प्रतिभाग करने के लिए मदद करना;
- और हितधारकों तक पहुँच जिसमें व्यक्ति (सिंचाई समूह नहीं) ऋण लेने और उसको चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

यदि अपने खेतों की सिंचाई करना महत्वपूर्ण लक्ष्य है तो पुरुषों की स्वयं की रुचि सर्वोपरि है; इसके विपरित यदि जल की बिक्री मुख्य लक्ष्य है तो महिलाओं के लिए स्वतंत्र रूप से अनुदान को संग्रहित करने और श्रम करने के पर्याप्त अवसर हैं। केवल वे ही महिला सिंचाई समूह, जो निर्णयन और समस्या समाधान में प्रमुख व प्रभावी हैं, और अपने स्वयं के अनुदानों के संग्रहण और श्रम को करने के योग्य है, सिंचाई गतिविधि को व्यवस्थित और उनपर नियंत्रण रख सकते हैं।

केस स्टडी के परिणाम दर्शाते हैं कि बांग्लादेश में संचालित अधिकांश महिला सिंचाई समूहों (एफ.आई.जी.) के लिए सिंचाई पंप को खरीदने हेतु एन.जी.ओ. से ऋण प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले पहल मुख्यरूप से पुरूषों की रूचि से संबंधित थे और फसल उत्पादन के लिए सीमित पहुँच के कारण जल बिक्री संबंधी गतिविधि एक सामान्य उद्देश्य के रूप में उभर कर सामने आयी है। यांत्रिक सिंचाई में प्रतिभाग करने से उन महिलाओं को सीमित आर्थिक लाभ पहुँचा जो जल बिक्री से संबंधित सिंचाई समूहों, मजबूत व दृढ़ समूहों व स्त्री प्रधान घरों में थीं।

महिलाओं की सिंचाई संबंधी गतिविधियों में शामिल होने के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन तरीके के अन्तर्गत दो महिला सिंचाई समूह तथा भागीदारी के तरीके के अन्तर्गत महिलाओं व पुरूषों दोनों को सम्मिलित कर बनाये गये दो सिंचाई समूहों का अध्ययन किया गया। श्यामपुर की मजबूत एफ.आई.जी. ने प्रबंधन और तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण के द्वारा स्वतंत्र रूप से टिकाऊ प्रबंधन एवं वित्तीय क्षेत्र पर मजबूत परिप्रेक्ष्य के साथ सामुहिक जल बिक्री उद्यम की शुरूआत करने और उसका प्रबंधन करने में सफलता प्राप्त की। निश्चित रूप से उद्यम में शामिल होने के परिणामस्वरूप ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। यह देखा गया कि 3/4 मामलों में

पुरूष प्रधान घरों में महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में सुधार होने के साथ–साथ 1/2 मामले में महिलाओं एवं पुरूषों के संबंधों में भी सुधार हुआ।

फुलझुरी गाँव का एक मामला यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि महिलाओं को अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के क्रम में नये उद्यम की शुरूआती अवस्था के प्रबंधन स्तर में ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। 6 साल पहले फुलझुरी गाँव में पुरूषों के एक समूह ने ग्रामीण बैंक में कार्यरत् एक महिला कैशियर और गाँव के एक महिला केन्द्र को इस शर्त पर एक डी.टी.डब्ल्यू. (डीप ट्यूबवेल) लोन लेने के लिए तैयार किया गया कि ऋण महिला के नाम पर लिया जायेगा और इसके लिए एक महिला प्रबंधक का चयन किया जायेगा जो क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को क्रियान्वित करेगी। यद्यपि महिलाओं के इस प्रबंधन समूह के पीछे पुरूष ही इस डी.टी.डब्ल्यू. के वास्तविक प्रबंधक थे और अन्त में इस गाँव में एक पुरूष प्रबंधन समिति की स्थापना हुयी। इसके बावजूद भी गाँव में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके लोक व्यवहार में काफी सुधार हुआ और समुदाय की गतिविधियों में उनकी भागीदारी में भी वृद्धि हुयी।

जिबन नगर में बी.आर.ए.सी. (बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमिटी) द्वारा प्रायोजित डी.टी.डब्ल्यू. योजना के अन्तर्गत भागीदारी तरीके में महिलाओं एवं पुरूषों को सम्मिलित कर बनाये गये एक सिंचाई समूह को शामिल किया गया। गरीब भागीदारों, अधिकांशतः महिलाओं ने यह दुख प्रकट किया कि वे इस योजना के भागीदार तो बन गये हैं परन्तु वे इस योजना से तब तक नहीं अलग होंगे जब तक कि इस योजना में लगाये गये धन को बिना खोए कुल ऋण को चुका नहीं देते। आई.जी. के निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारों के समूह में महिलाओं एवं पुरूषों को शामिल करने के बी.आर.ए.सी. के तरीकों को परिलक्षित नहीं किया गया जिसके कारण व समूह पुरूष प्रधान बनकर रह गया। आई.जी. में केवल महिला प्रबंधक की महत्वाकांक्षा, उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक–आर्थिक वर्ग, योजना समिति में उनके पूर्व के अनुभवों, महिला हितधारकों से प्राप्त अधिक से अधिक समर्थन और पति द्वारा प्राप्त समर्थन से वह पुरूषों के गंभीर विरोध एवं गाँव में महिलाओं द्वारा क्षेत्रों में गतिविधियों को संचालित न करने के कठोर नियमों के बावजूद वह प्रबंधक बनी अर्थात् महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ।

जनखली के डी.टी.डब्ल्यू. उद्यम में महिला और पुरूष प्रबंधकों ने गरीब विक्रेताओं और धनी खरीददारों के दो समूहों और उनके बीच के शक्ति के संतुलन को प्रस्तुत किया। अन्य समूहों के धनी पुरूषों, जोकि इस उद्यम पर अपना नियंत्रण वापस पाना चाहते थे, के द्वारा महिला प्रबंधकों को अपने पद से हटने के लिए दबाव डाला जाता था।

केस क्या स्पष्ट करता हैः

- महिलायें सिंचाई प्रबंधन को विशेषकर सशक्तिकरण के तरीके के अधीन प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए सुयोग्य हैं।
- बी.आर.ए.सी. के भागीदारी के तरीके महिलाओं को अपने उत्तरदायित्वों और प्रबंधन कार्यभार को संपादित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं।
- यद्यपि आर्थिक लाभों पर महिलाओं का स्वनियंत्रण अनिश्चित है; फिर भी एफ.आई.जी. के सदस्यों की निजी, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- अपने पुरुष संबंधियों के लिए ऋण के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही महिलाओं के लिए अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ और उन्नत स्थिति संभव बोझ से प्रभावशाली होनी चाहिए।
- गरीब महिला हितधारकों के लिए अलाभप्रद उद्यमों को छोड़ने और पहले से ही प्रदत्त पूँजी किश्तों को वापस पाने या आंशिक मालिकाना अधिकार मान्यता पाने का प्रावधान होना चाहिए।

स्रोतः अज्ञात। यदि आप पाठकगण इस केस अध्ययन का स्रोत जानते हैं तो हमें बताने का कष्ट करें।

ब्राजीलः
महिला नेतृत्व को विशेष बढ़ावा

चुनौतियाँ

साओ जोएओ डी एलिएन्का का समुदाय ब्राजील के मध्य पठार क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर अतिरिक्त नगदी फसलों के रोपण के लिए वहाँ की स्थानीय वनस्पतियों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। यहाँ पर लगभग 6,700 लोग निवास करते हैं। जिसमें से अधिकांश लोग कृषि करते हैं। नगरपालिका के पास वाहित मल के एकत्रण एवं उसके उपचार की व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में कुल जनसंख्या का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा जल के लिए वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करता है। इस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:

- मृत पशुओं का ड्रेस ब्रेन्कास नदी में विसर्जन और घरेलू अपशिष्टों का नदी के तटों पर निस्तारण;
- कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों के कारण लोगों तथा पर्यावरण पर पड़ रहा प्रभाव;
- कृषि क्षेत्रों से कीटनाशकों के नदी में पहुँचने के कारण वर्षा ऋतु में अतिसार जैसी बीमारियों में बढ़ोत्तरी, और
- जेण्डर असमानता संबंधी मुद्दों का पुरूष मानसिकता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरण।

कार्यक्रम / परियोजनाएं

वर्ष 2000 में क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता के खराब होने से संबंधित किसानों के मुद्दे को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण कर्मचारी संघ ने ब्राजीलिया विश्वविद्यालय के सहयोग से समुदाय के साथ मिलकर एक जल परियोजना को निर्मित किया। इस परियोजना के माध्यम से डेस ब्रेन्कास नदी में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया जिसके अन्तर्गत डेस ब्रेन्कास नदी के तटों को पुर्नजीवित करने के लिए महिलाओं द्वारा स्थानीय वनस्पतियों के रोपण की पहल की गयी और इसे ''जल–महिला परियोजना'' कहा गया। इस परियोजना को इस प्रकार से तैयार किया गया कि प्रत्येक समूह की महिलाएं अपने प्रतिदिन के क्रियाकलापों में पर्यावरण हितैषी प्रक्रियाओं को अपनाएं। कुछ गतिविधियाँ जो इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित की गयी हैं वे हैं:

पर्यावरण के बारे में जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देनाः

- अत्यधिक क्षरित हो चुके नदी तटों को मृदा अपरदन और भूमि कटाव से बचाने, स्थानीय बनस्पतियों को संरक्षित करने और जल की गुणवत्ता एवं उसके स्तर में सुधार लाने के लिए, स्थानीय पौध प्रजातियों के बीजों के रोपण का एक सामूहिक प्रयास किया गया;
- कूड़े के उचित निस्तारण और उससे जीवों तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ी जागरूकता हेतु एक कचरा मुक्ति अभियान चलाया गया; और
- पर्यावरण शिक्षण में एक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विकसित किया गया। इसका उद्देश्य 11 स्थानीय विद्यालयों में जल संरक्षण और सुरक्षा संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देना और रूचि विकसित करना था, साथ ही शिक्षकों को इस योग्य बनाना था ताकि वे संबंधित विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ सकें। छात्रों के लिए कार्यशालाओं तथा स्कूल आधारित प्रतियोगिताओं ने स्थानीय पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षित और पुर्नस्थापित करने से जुड़ी जागरूकता को बढ़ावा दिया।

जेण्डर समानता और सम्पूर्ण समुदाय की सहभागिताः

- संघ के अन्तर्गत एक महिलाओं के समूह का गठन किया गया जिसका उद्देश्य जनता की सहभागिता को प्राप्त करना और समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करना था। वे परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए समुदाय के सदस्यों के पास गयीं, उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया और उनके सहयोग को प्राप्त किया। उन्होनें एक बैठक आयोजित कर भविष्य की गतिविधियों और योजनाओं पर विचार–विमर्श भी किया;
- इस परियोजना में महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में थीं, साथ ही स्थानीय संघ का अध्यक्ष और ब्राजील विश्वविद्यालय का तकनीकी सहायक का पद भी उन्हीं के पास थे; और
- पुरूषों ने रोपे गये पौधों को संरक्षित किया और सफाई संबंधी अभियान के समर्थन के लिए कलाकृतियों और संगीत को विकसित किया।

निष्कर्ष

पर्यावरणीय प्रभावः

- नदी में मौजूद अपशिष्टों और नदी के तटों पर घरेलू कूड़े–कचरे का न होना, नदी के तटों पर स्थानीय पौध प्रजातियों की वृद्धि और मृदा अपरदन में कमी।

सामुदायिक प्रभावः

- सभी आयु और वर्ग के लोगों की सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि; और
- स्थानीय पर्यावरण के प्रति समुदाय की जागरूकता में आश्चर्यजनक वृद्धि।

परियोजना के नेतृत्व में महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी भागीदारीः

- महिलाओं की भागीदारी ने पर्यावरणीय शिक्षा की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया तथा नदी और वनस्पतियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया। इस प्रक्रिया में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी मजबूत हुई और उनकी नेतृत्व क्षमताओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव भी आया।

सकारात्मक प्रभावों को राष्ट्रीय मान्यताः

- संस्था ने वर्ष 2002 में ब्राजील–जर्मनी के साओ पॉलो चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्री द्वारा प्रायोजित पर्यावरणीय पुरस्कारों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की।

गैर सरकारी संगठन का गठनः

- इस परियोजना के अन्त में अपने कार्यों को जारी रखने के उद्देश्य से प्रतिभागियों ने एक गैर सरकारी संगठन के गठन का निश्चय किया। अप्रैल 2002 में महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार, नवीन रोजगारों और आय सृजन के साधनों के विकास, युवाओं और वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने तथा संस्कृति एवं परंपराओं को बचाने संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व क्षेत्र के सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लिए 'जल महिलाएं' नामक गैर सरकारी संगठन की शुरूआत की गई; और
- जल महिला संगठन को स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय भूखमरी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मोबलाइजेशन समिति के एकीकरण हेतु नियुक्ति के द्वारा इसकी नेतृत्व क्षमता को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई है।

दृष्टिकोण में बदलावः

- जल महिला एन.जी.ओ. को समुदाय के पुरूष सदस्यों की ओर से आदरभाव और सहानुभूति प्राप्त हुई; और

- अब समुदाय की प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की इस नई भूमिका को बड़े पैमाने पर स्वीकारोक्ति और सम्मान मिल रहा है जो कि उनके लिए संस्थागत कार्यों हेतु सामुदायिक बैठकों में बराबरी की साझेदारी के रूप में परिणामित हो रही है।

सफलता के प्रमुख कारक

क्षमता विकास और जुटाव (Moblization)

- संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान एक अर्न्तविषयी समूह द्वारा तकनीकी सहायता;
- पर्यावरणीय शिक्षा और सहभागी क्षेत्रीय कार्यों हेतु पाठ्यक्रमों का प्रावधान। महिलाओं के लिए टिकाऊ आजीविका हेतु आय–सृजन से संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रावधान; और
- विभिन्न आयुवर्ग और योग्याताओं वाले समुदाय के सभी प्रतिनिधियों को सहभागिता के लिए योग्य बनाने हेतु अलग–अलग गतिविधियों का प्रयोग करना, जिसके अन्तर्गत स्कूल स्तरीय क्रियाशील शैक्षणिक कार्यक्रम और दस्तावेजीकरण एवं धार्मिक परंपराओं को पुर्नस्थापित करना सम्मिलित है।

जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ना:

- परियोजना निर्माण के समस्त चरणों, विशेषकर महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने और सहारा देने की निर्णयन प्रक्रिया में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने के दृष्टिकोण को सम्मिलित करना।

प्रमुख अवरोध

इस परियोजना में पुरूषों का सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी और समूह कार्यशालाओं में प्रतिभागियों ने यह भी बताया की कुछ महिलाएं जिन्होनें परियोजना में काम करना शुरू किया उन्होनें अपने पतियों का सहयोग प्राप्त न होने के कारण काम छोड़ दिया। विवाहित महिलाओं के लिए पुरूषों की सहायता को प्राप्त कर पाना निश्चित रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था।

परियोजना का भविष्य

भविष्य की चुनौतियाँ:

- उनके कार्यों को आर्थिक सहायता देकर विशिष्ट लक्ष्यों को चिन्हित करना तथा उनके कार्यों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित सूचकों के लिए नई परियोजनाओं का निर्माण करना व पहले से ही क्रियान्वित कार्यवाहियों के अनुश्रवण के लिए संसाधनों का पता लगाना;
- जल महिला समूह की आन्तरिक संगठनात्मक क्षमता में सुधार; और
- शहरी प्रशासन जोकि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि विभागों आदि से संबद्ध है, के साथ साझेदारी के रूप में कार्य करने के नए रास्तों को खोजना।

अधिक जानकारी के लिए

- शोधकर्ता से संपर्क करें; सबरिना मेल्लो सूजा: sabrimello@terra.com.br
- संगठन से संपर्क करें: mulheresdasaguas@terra.com.br
- साओ जोआओ डी एलिएन्का में संचालित 'जल महिला' परियोजना के बारे में जानने के लिए देखें: http://www.prac.ufpb.br/anais/anais/meioambiente/mulheres.pdf

स्रोत:

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

कैमरून
''साथी हाथ बढ़ाना'' महिलाओं की भागीदारी से जल प्रबंधन में बदलाव- हुओण्डा

****

यह केस अध्ययन परिलक्षित करता है: –स्थानीय जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी से सृजनात्मकता में वृद्धि होती है।

****

वर्ष 1995 में हुओण्डा की सामुदायिक जल प्रबंधन प्रणाली बिखराव की स्थिति में पहुँच गयी थी। गाँव की जल प्रबंधन समिति क्रियात्मक नहीं थी। प्रणाली के गठन की भौतिक स्थिति तथा लोगों की मानसिकता दोनों ही क्षरित हो चुकी थीं। समिति के अध्यक्ष बैठकों का आयोजन नहीं करते थे। वह एकपक्षीय निर्णय लेते थे तथा धन का अनियमित व्यय करते थे। समिति का प्रभारी, गाँव के केवल कुछ क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करता था क्योंकि उसे उपयोगकर्ताओं की ओर से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता था। पाइपलाइनों में बहुत से छिद्र हो चुके थे तथा कई नलें टूट चुकीं थी जिसके परिणामस्वरूप जल की कमी, विशेषकर शुष्क मौसम के दौरान, हो गयी थी। इन सबके कारण जल प्रबंधन समिति के सदस्यों व फोसेट समुदायों, जो जल का प्रयोग करती थीं, के मध्य गंभीर संघर्ष आरंभ हो गया था। जल प्रबंधन प्रणालियों के रखरखाव के लिए आवश्यक अनुदानों में कमी आ गयी थी। चूंकि प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही का अभाव था इसलिए वहां की जनसंख्या ने भुगतान करने से मना कर दिया।

हुओण्डा की महिलाएं जल प्रबंधन समिति की सदस्या नहीं थीं इसलिए वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होती थीं तथा वे मासिक सहयोग संबंधी भुगतान देने से मना भी कर देती थीं।

किसी ने बाहरी प्रेक्षक को बताया, ''वे लोग जो धन को एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ईमानदार नहीं हैं। वे हमें भुगतान हेतु कहते हैं, जबकि वे एवं उनकी पत्नियाँ भुगतान नहीं करती हैं तथा वे आशा करते हैं कि भुगतान वे लोग करें जिनके पति भुगतान करने की आर्थिक स्थिति में नहीं होते हैं''।

समुदाय के प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती थी कि वे प्रत्येक माह में 17 यू.एस. सेन्ट के लगभग राशि का सहयोग देंगें परन्तु ऐसा कोई भी दस्तावेज वहां मौजूद नहीं था। एक नयी प्रणाली को आरंभ करने का प्रयास किया गया था जिसमें संग्रहकर्ता को उन नामों की एक सूची बनानी थी जिन्होनें सहयोग दिया था। परन्तु यह सूची कभी भी हस्ताक्षरित नहीं हुयी थी। लोगों ने बताया कि उनके द्वारा दिये गये सहयोगों को कभी भी रिकार्ड नहीं किया जाता था। संग्राहक धन की कुछ मात्रा का गबन भी करते थे। लोगों ने कहा कि उनके योगदान का लेखा जोखा कहीं भी नहीं रखा गया, धन एकत्र करने वालों ने पता नहीं क्या किया, अनुदानों के प्रबंधन संबंधी मुद्दों की सूचना भी उन्हें नहीं दी गयी तथा प्रबंधन समूह ने क्या अपेक्षित है उसका अनुमान भी नहीं लगाया।

एक बूढ़ी महिला ने कहा, ''ये लोग समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं होते हैं तथा हम जो भी धन सहयोग के रूप में देते हैं वे उन्हें कहीं अभिलिखित नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने कभी भी सहयोग दिया ही नहीं''।

जलापूर्ति प्रणाली में पानी के बहाव को बढ़ाकर बढ़ती मांग को पूर्ण करने हेतु नये जलग्रहण क्षेत्रों के निर्माण के लिए स्थानीय सामग्रियों की आपूर्ति में गाँव वाले पूर्ण रूप से प्रतिभाग नहीं करते थे।

इन परिस्थितियों में सुधार तब हुआ जब गाँव में समुदाय की मदद करने व उनकी समस्याओं का विश्लेषण कर आवश्यक कदम उठाने हेतु एक सहभागी कार्यवाही (पी.ए.आर.) टीम ने प्रवेश किया। गाँव के प्रमुख ने अपने सभी क्षेत्रों के उच्च पदाधिकारियों को नये जलग्रहण क्षेत्रों के निर्माण कार्य में हुए अवरोध संबंधी मुद्दों पर विवेचना करने के लिए बुलाया। सहभागिता में आयी कमी के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा गया। इसके बाद प्रमुख ने पी.ए.आर. टीम से सहयोग की माँग की।

पी.ए.आर. टीम ने ग्रामीण महिलाओं को बोलने के लिए कहा। शीघ्र ही वास्तविक कारणों के साथ–साथ उनके समाधान भी खोज लिये गये। समुदाय ने जलग्रहण क्षेत्र पर चल रहे कार्य पर अगले दिन लौटने का आश्वासन दिया। क्षेत्र प्रमुख ने कहा कि वे आज रात समुदाय के सदस्यों को सूचित करेंगे की वे लोग कार्य करने के लिए उपस्थित होगें तथा इसके साथ ही एक अनुश्रवण प्रणाली का गठन किया जायेगा जिससे यह ज्ञात होगा कि कौन लोग इस प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं। महिला समूह की अध्यक्षा ने समस्त महिलाओं के कार्यों की देख–रेख हेतु स्वेच्छापूर्वक कार्यभार ग्रहण किया व उन्होने आश्वासन दिया कि वे प्रातःकाल में ही उन लोगों को सूचित कर देंगी।

ग्राम प्रमुख ने पी.ए.आर. टीम से कहा, ''आप यहाँ आये और हमें महिलाओं की भागीदारी की महत्ता के बारे में बताया परन्तु हमने ऐसे परिवर्तन की कल्पना ही नहीं की थी जैसा हम अब देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि यदि संभव हो तो आप उन्हें प्रशिक्षण देने के कार्य को जारी रखें। मैं इन्हें उसी प्रकार कार को चलाते हुए देखना चाहता हूँ जैसे फॉमबोट शहर में मैने उन महिलाओं को देखा था''।

यह एक व्यवहारिक परिवर्तन की शुरूआत थी जो कि भौतिक परिवर्तन द्वारा जारी रखी गयी। नये पाईपों को खरीदा गया व पुराने लीक कर रहे पाईपों को बदला गया। पानी की कमी के दौरान पानी को राशन के तौर पर नियंत्रित रूप में वितरण करने वाली तकनीकी पूर्णतया परिवर्तित हो चुकी थी जिससे प्रत्येक क्षेत्र को सप्ताह में दो दिन पानी मिल जाता था चूंकि प्रबंधन संबंधी सम्पूर्ण कार्यों को क्षेत्र स्तर पर विकेन्द्रिकृत कर दिया गया था इसलिए टूटे हुए नलों की मरम्मत भी ठीक समय पर होती थी। मोहल्ले के कुछ लोगों को, नये ढाँचों के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता राशियों व अनुदानों को एकत्र करने हेतु, चयनित किया गया। खड़े हुए पाईपों के चारों ओर की सफाई करने हेतु एक नई प्रणाली का गठन किया गया जिसमें; खड़े पाईपों के आस–पास रहने वाली महिलाएं बारी–बारी से उस स्थान की सफाई करने हेतु एकत्रित होती थीं।

गाँव में रहने वाले महिलाओं एवं पुरूषों के मिलेजुले प्रयासों से ही ये सभी सफलतायें प्राप्त हुई थीं। जल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से मिले सम्मान को महिलाओं ने सराहा तथा कार्य में सुधार लाने हेतु मजदूरी में हाथ भी बंटाया।

जब नये जल ग्रहण परियोजना का पुनःशुभारम्भ हुआ तब एक महिला ने कहा, ''यह परियोजना उस समय आरंभ हुई जब हम अपने खेतों में अत्यधिक व्यस्त थे। परन्तु अध्यक्ष ने समय निकालकर इस प्रकार बातें की, कि हम इस कार्य में प्रतिभाग करने में कभी संकोच नहीं कर पाये''।

समिति के अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि महिला समूह के अध्यक्ष के सहयोग बिना वह कभी भी सफल नहीं हो सकती थीं।

गाँव हेतु अनुदानों को मुहैया कराने संबंधी कार्य, दस्तावेजों के उचित रखरखाव, उत्तरदायित्वों का निर्वहन व कार्य में पारदर्शिता आरंभ हो चुका था– परिणामस्वरूप भौतिक तंत्र में धीरे–धीरे सुधार हुआ। अनुदान एकत्रण करने संबंधी समस्त प्रणालियों को कठोर कर दिया गया।

महिलाओं की बातें अब सुनी जाने लगीं

आज जब जल क्षेत्र से जुड़े अधिकारी गाँव में आते हैं तो महिलाएं घरों की खिड़कियों से झांकती हुई नहीं दिखाई देती हैं। वास्तविक तौर पर वे पुरूषों के साथ सत्रों में उपस्थित रहती हैं और निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में भी भाग लेती हैं। इण्टरनेशनल सेन्टर फॉर वाटर एण्ड सैनिटेशन के एक प्रतिनिधि जब अप्रैल 2001 में गाँव में आये तो बहुत सी संख्या में महिलाएं उनके स्वागत के लिए घर से बाहर आयीं, तब प्रमुख ने कहा,

''जब आप पहले यहाँ आये थे तब आपके पास केवल हड्डियाँ ही थीं, परन्तु आज आप हड्डियों के साथ–साथ माँसयुक्त शरीरों को भी देखने जा रहे हैं। जी हाँ! अभी तक तो आपने केवल वही सुना ओर देखा है जो पुरूषों ने किया है, परन्तु आज आप वो देखने जा रहे हैं जो यहाँ की महिलाओं ने किया है।''

तालियों व जयघोष के बीच उन्होने महिला समूह की सक्रिय अध्यक्षा अमीनातो का मंच पर स्वागत किया। वह निर्भीक होकर आईं तथा भीड़ के सामने खड़ी हो गयीं और पहले से तैयार भाषण को पढ़ा। बाद की एक जनसभा में जब पुरूषों ने यह संकेत दिया कि वे महिलाओं द्वारा उनके अपने सहयोग के संदर्भ में, लिये गये निर्णयों में सहयोग नहीं देंगें तब महिलाओं ने निर्भीकतापूर्वक खुलकर कहा कि उनके पास इस निर्णय को पारित करने के अन्य उपाय भी हैं। यदि वे इसमें सहयोग देने से मना कर रहे हों तो वे उन्हें भोजन देने से मना कर देंगी। इसके कारण महिलाओं और पुरूषों के मध्य एक विवाद आरंभ हो गया। एक जवान पुरूष ने महिलाओं को मिल रहे अत्यधिक ज्ञान से उत्पन्न खतरों से अवगत कराया जिससे आगे चलकर गाँव में तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तब एक महिला खड़ी हुई और उसने चुनौती देते हुए कहा कि, तलाक इस स्थिति से पहले भी दी जा सकती है तब जवान पुरूष वापस बैठ गया।

अनुदानदाताओं के प्रति विश्वास के साथ ही साथ ग्रामवासियों का व्यवहार उनके प्रति काफी सकारात्मक हो गया था।

एक जनसभा में एक प्रमुख दानदाता संगठन के प्रतिनिधि से क्षेत्र प्रमुख ने कहा, ''हम जानते हैं कि हम लोग आपसे मदद का अनुरोध करते हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं की यदि आप हमें सहयोग नहीं देते हैं तो हम जीवित नहीं बचेगें। जब आपको कोई क्रोधपूर्वक भोजन भी देता है तो आप भोजन करने के बाद भी भूखा ही महसूस करेगें।''

समुदाय के जल प्रबंधन कार्यक्रम में युवा संघ भी समर्थक के रूप में कार्यवाहियों का आरंभ कर रहे हैं।

संघ के एक सदस्य ने कहा, ''एकता में बल है''।

स्रोतः अज्ञात, यदि पाठक इस केस अध्ययन के स्रोत के बारे में जानते हैं तो कृपया हमें बतायें।

मिश्रः
जल एवं स्वच्छता में समुदाय एवं घरेलू निर्णयों में महिलाओं का भागीदारी हेतु सशक्तिकरण

चुनौतियाँ

इस केस स्टडी में बेहतर जीवन जीने के साथ विकास {हाऊ द बेटर लाइफ एसोसिएशन फॉर काम्प्रीहेन्सिव डेवलपमेंट (बी.एल.ए.सी.डी.)} को जल और स्वच्छता परियोजना के एक प्रमुख भाग के रूप में जेण्डर समानता के रूप में दर्शाया गया है। इस परियोजना को उन्होंने जनवरी 2003 से दिसम्बर 2004 तक ऊपरी मिश्र में नजलेत फारागल्लाह गाँव में क्रियान्वित किया गया। परियोजना बिना स्वच्छता सुविधाओं वाले करीब 700 घरों पर केन्द्रित थी जिनमें लक्ष्य किये गये लोगों में से 60 प्रतिशत महिलायें थीं (बी.एल.ए.सी.डी., 2002)।

अधिकांश लोग कृषि में कभी–कभी मजदूर की तरह कार्य करते हैं और उनके पास शायद थोड़ी सी ही आय होती है। गाँव में केवल एक प्राथमिक विद्यालय तथा एक स्वास्थ्य इकाई है। परियोजना के पहले नजलेत फारागल्लाह गाँव के 1500 घरों में से आधे से अधिक घरों के पास शौचालय नहीं था तथा स्वच्छ व ठीक जलापूर्ति नहीं थी। सबसे ज्यादा सामान्य बीमारियाँ जिसमें डायरिया और गुर्दे की बीमारी शामिल है, पेयजल की कमी और खराब स्वच्छता से सीधे तौर पर संबंधित थीं। महिलायें अपने परिवारों को पीने तथा धोने व अपशिष्ट निपटान के लिए जल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थीं। परियोजना से पहले उनका जल का मुख्य स्रोत सामूहिक हैंडपंप था। नजलेत फारागल्लाह गाँव के कुछ प्रमुख सरोकारों में शामिल हैं:

जल और स्वच्छता:

- जल का एकत्रीकरण, जिसके लिए ज्यादा समय और मेहनत की आवश्यकता होती है क्योंकि महिलाओं को पर्याप्त जल प्राप्त करने के लिए एक दिन में चार बार फेरे लगाने पड़ते हैं। इस कार्य के कारण महिलायें अन्य घरेलू कार्यों, निजी स्वच्छता तथा अन्य गतिविधियों मे ज्यादा समय नहीं दे पाती हैं;
- मलजल द्वारा संक्रमित जल में कपड़े और बर्तनों को धोना;
- मनुष्य अपशिष्ट को नहर में फेंकने से उसका जल प्रदूषित हो जाता है और जल का रंग पीला हो जाता है इसके साथ–साथ जल बदबूदार व बेस्वाद हो जाता है;
- महिलाओं और लड़कियों को शौच के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है और साथ ही उन्हें हिंसा व अत्याचार का भी सामना करना पड़ता है।

पारंपरिक जेण्डर भूमिकाएँ और जेण्डर असंतुलन:

- पारंपरिक जेण्डर भूमिकाओं ने महिलाओं को कुछ अधिकार सौंपे हैं। महिलायें घर के बाहर की गतिविधियों में कम ही भाग लेती थीं, और वे पूरी तरह से जल इकट्ठा करने, अपने बच्चों की देखभाल करने और अन्य घरेलू कार्यों को निपटाने में व्यस्त रहती थीं। वे वाह्य सामाजिक भूमिकाओं में भाग लेने के लिए असमर्थ और अधिकांशतः निरक्षर थीं; और
- महिलाओं कों सामुदायिक जीवन जीने से रोकने के लिए कानूनी अवरोध भी थे उनकी उचित पहचान नहीं थी क्योकि महिला के रूप में उनके जन्म का पंजीकरण होना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था।

कार्यक्रम / परियोजनाएँ

नजलेत फारागल्लाह गाँव के लोगों ने पड़ोसी गाँवों में शौचालयों और नलों को सफलतापूर्वक लगते हुए देखकर मदद के लिए पहले बी.एल.ए.सी.डी. से संपर्क किया। नजलेत फारागल्लाह में परियोजना के तीन मुख्य घटक थेः जल की आपूर्ति, घरेलु स्तर पर शौचालय को बनाना; और स्वच्छता शिक्षा। बी.एल.ए.सी.डी. ने अपनी नयी परियोजना में जेण्डर संबंधी सोच को जोड़ने, जेण्डर समानता से जुड़ी पहल और परियोजना के प्रभावीपन को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। इसके परिणामस्वरूप निरीक्षक (विजिटर) मॉडल के विकास को बढ़ावा दिया गया जिसमें परियोजना प्रबंधन में महिलाओं की सभी स्तरों पर औपचारिक उपस्थिति पर पुरुषों के द्वारा आपत्ति होने के बावजूद वे सक्रिय रूप से शामिल हो सकीं।

बी.एल.ए.सी.डी. ने ग्राम स्वास्थ्य निरीक्षक योजना की जल और स्वच्छता के बारे में अभियानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद की और जल तथा स्वच्छता, मूलभूत स्वास्थ्य, पोषण, बच्चा और जननी स्वास्थ्य तथा प्राथमिक उपचार के साथ–साथ संप्रेषण कौशल पर प्रशिक्षण प्रदान किया। स्वास्थ्य निरीक्षकों ने सर्व सहमति के आधार पर परियोजना के लाभार्थियों को चुनने में भाग लिया। महिलाएं और पुरुष दोनों ही परियोजना के नियोजन के साथ–साथ परियोजना में भाग लेने के घरेलु स्तर के निर्णयों में शामिल थे।

निष्कर्ष

बी.एल.ए.सी.डी. की सफलता के निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रभावः

- 700 घरों को दो नल और एक शौचालय के साथ जल के स्वच्छ, सुविधाजनक स्रोत तक सीधी पहुँच तथा अपशिष्ट के निपटान के लिए ज्यादा स्वास्थ्यकर साधन प्रदान किये गये;
- रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ी जो स्वच्छता संबंधी आदतों के परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं; और
- जल एकत्र करने और अपशिष्ट के निपटान में लगने वाले समय में कमी आई (मुख्यतः महिलाओं के लिये)।

महिलाओं और पुरूषों की सम्मिलित भागीदारी और उनका सशक्तिकरणः

- पारंपरिक पुरुष–प्रधान समुदाय में परियोजना द्वारा महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए जेण्डर समानता का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया;
- यह दर्शाया कि महिला स्वास्थ्य निरीक्षकों का समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता हैं;
- समुदाय और घरेलू स्तरों पर निर्णय लेने में विशेषतः स्वास्थ्य, कल्याण और आजीविका के संबंध में महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा निर्णय लेने में महत्वपूर्ण रूप से तथा प्रत्यक्षतः वृद्धि हुयी;
- महिलाओं और पुरुषों दोनों में उनके घर तक जल की सीधी पहुँच पर गर्व की अनुभूति का विकास हुआ, और
- महिलाओं की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता के बोध में वृद्धि।

भविष्य की गतिविधियाँ और विकास लक्ष्यः

- उन लोगों के लिए जो परियोजना के पूर्ण होने के बाद अपनी सामुदायिक गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं, महिला–आधारित सामुदायिक विकास संघ स्थापित किया गया;
- जल तक पहुँच के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को सहयोग प्रदान किया गया; और

- इस प्रकार अन्य विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं में वृद्धि हुयी।

मुख्य अवरोध

वर्तमान में मौजूद शक्ति समीकरण महिलाओं के सशक्तिकरण में विशेषतः प्रबंधन स्तर पर बाधा डालते हैं। यद्यपि, परियोजना का ग्रामीणों तथा स्थानीय अधिकारियों दोनों के द्वारा स्वागत किया गया, शुरूआत में महिलाओं के शामिल होने को लेकर काफी असंतोष था। सामुदायिक नेताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि परियोजना प्रबंधन समिति में केवल पुरुष ही कार्य करने में समर्थ होंगे। कुछ स्वास्थ्य निरीक्षकों ने परिवार के पुरुष सदस्यों के विरोध का सामना किया, जैसा कि कुछ महिलाओं ने भी किया जो कि जलापूर्ति कार्यक्रम में भाग लेना चाहती थीं।

कई अवरोधों के बावजूद विकास संघ जो इस परियोजना के परिणामस्वरूप बना था अब औपचारिक रूप से पंजीकृत हो गया है।

सफलता के प्रमुख कारक

जेण्डर–अनुकूल जल और स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए परियोजना एक प्रभावी मॉडल है। इसके परिणाम दर्शाते हैं कि महिलाओं की जल और स्वच्छता परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलु स्तर पर जल, स्वच्छता और उसके प्रावधान व रखरखाव में उनकी मुख्य भूमिका के कारण ही संभव हुआ। परियोजना ने इस बात को भी मान्यता प्रदान की कि साझेदारी में साथ–साथ कार्य करते हुए महिला और पुरुष प्रभावी हैं और घरेलु स्तर पर दोनों लिंगों के बीच सहयोग में वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

परियोजना का भविष्य

इस परियोजना ने दर्शाया है कि सीमांकित समुदायों की आवश्यकताओं पर कार्य करना संभव है जिसमें पारंपरिक जेण्डर भूमिकाओं में परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। गठित विकास संघ इस परियोजना के दौरान प्राप्त अनुभवों का प्रयोग करते हुए भावी गतिविधियों पर कार्य कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

- शोधकर्ताओं से संपर्क, घाडा महमोद हमामः ghada.hamman@pdpegypt.org
- बेटर लाइफ एसोसिएशन फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव डेवलपमेंटः
  http://www.novib.nl/content/?type=Article&id=3572
  (organization introduction) or email info@blacd.org
- डिआकोनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिएः
  http://www.diakonia.se/main_eng.htm

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

घानाः
समारी–क्वान्ता समुदाय की ग्रामीण जल परियोजना में जेण्डर एकीकरण

चुनौतियाँ

घाना में, पारंपरिक तौर पर, महिलायें और बच्चे घरेलू जल के प्राथमिक एकत्रक, उपयोगकर्ता और प्रबंधक हैं। जब जल व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है तो महिलायें और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि तब उन्हें घरेलू उपयोग के लिए जल की खोज में दूर–दूर तक जाना पड़ता है। महिलायें स्वच्छता आदतों में परिवर्तनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं, यद्यपि जल संसाधन प्रबंधन में उनके ज्ञान और अनुभव के बावजूद, ग्रामीण महिलाओं के योगदान और भूमिकाओं की प्रायः अनदेखी की जाती है या जल और स्वच्छता नीतियों के निर्माण में उस अनुभव का ही प्रयोग किया जाता है।

इस परियोजना को घाना की राजधानी आक्रा से करीब 373 किमी. दूरी पर स्थित करीब 650 निवासियों वाले समारी–क्वांता में शुरू किया गया। यह एजुरा–सेक्येदुमासी जिले में स्थित है, जो कि अशांति नामक प्रदेश का करीब 7 प्रतिशत भाग है और वर्ड विजन घाना (डब्ल्यू.वी.जी.) क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रमुख स्थान है। यह एक ग्रामीण समुदाय है जहाँ पर आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और आर्थिक रूप से सक्रिय 60 प्रतिशत जनसंख्या इसमें शामिल है। जल परियोजना के पहले, इस क्षेत्र की महिलायें औसतन 19 घंटे कार्य करती थीं, जबकि पुरुष 12 घंटे कार्य करते थे। शुष्क मौसम में जब समुदाय के नियमित जल स्रोत सूख जाते थे, तो महिलाओं और लड़कियों को अपने परिवारों के लिए जल और जलौनी लकड़ी लाने के लिए खतरनाक क्षेत्रों से होते हुए करीब 3 से 4 मील तक पूरे दिन में एक बार तथा कभी–कभी एक से ज्यादा बार जाना पड़ता था। उनके प्राथमिक जल स्रोत क्षेत्र को "अबेरवा अंको" के रूप में वर्णित किया गया था जिसका अर्थ यह है कि बूढ़ी महिलायें वहाँ नहीं जा सकतीं। कई लड़कियों को जल एकत्र करने के लिए अपना स्कूल छोड़ना भी पड़ता था।

कार्यक्रम / परियोजनाएँ

समुदाय का जल और स्वच्छता कार्यक्रम ग्वानिया कृमि की गंभीर समस्या को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया जिससे कि कई दशकों से समुदाय के सदस्य संक्रमित थे। घाना में, ग्वानिया कृमि अधिकांशतः दूरस्थ क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ कुछ कुएँ मौजूद हैं और लोग तालाबों तथा जलाशयों से पेयजल प्राप्त करते हैं। इस कृमि का संक्रमण अत्यधिक दुःखदायी है और इससे चिरस्थायी अपंगता हो सकती है। इस क्षेत्र में पेयजल तक सीमित पहुँच की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992 में समारी–क्वांता जल एवं स्वच्छता परियोजना की शुरूआत हुयी।

1982–1983 में घाना में गंभीर सूखा पड़ने पर डब्ल्यू.वी.जी. ने घाना वाटर ऐंड सीवरेज कारपोरेशन (1993 में इसका नाम बदलकर घाना वाटर कम्पनी कर दिया गया) और घाना वाटर रिसोर्स ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को उन समुदायों में जहाँ पर डब्ल्यू.वी.जी. संचालित था, जल आपूर्ति पर एक सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया। वर्ष 1984 के सर्वेक्षण ने डब्ल्यू.वी.जी. के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पेयजल की कमी को एक विशेष अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी प्रतिक्रिया में, संगठन ने घाना रूरल वाटर प्रोजेक्ट (जी.आर.डब्ल्यू.पी.) को विकसित किया। उसके बाद इस परियोजना को पूर्ण रूप से प्रौद्योगिकी–संचालित न बनाकर "इसे पूर्ण करो" दृष्टिकोण के साथ समुदाय–आधारित, जनोन्मुख, माँग–आधारित रूप में परिवर्तित किया गया, जिसमें यह माना गया कि जेण्डर मुद्दों, गरीबी कम करने और बच्चों के कल्याण के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

जी.आर.डब्ल्यू.पी की पहल के द्वारा, डब्ल्यू.वी.जी. ने दो हैंडपंप, दो सामुदायिक वेंटिलेटेड इंप्रूव्ड पिट शौचालय (वी.आई.पी.) और एक मूत्रालय को समारी–क्वांता गाँव में लगाया। इसके उपरांत इस जल और स्वच्छता परियोजना को समुदाय की अच्छी सहभागिता मिली और जेण्डर समानता के रूप में पहचान और इस परियोजना से उनकी जिंदगी के कई क्षेत्रों में काफी राहत मिली।

निष्कर्ष

परियोजना के सकारात्मक परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जेण्डर समानता का समर्थनः पुरूष प्रधान सोच में महिलाओं और पुरूषों के बीच समान शक्ति व निर्णय लेने की क्षमता विशेषकर वाट्सन समिति में, बदलाव हुआ;
- महिलाओं एवं पुरूषों की भूमिकाएंः महिलाओं को उत्पादक कार्यों जैसे अपने खेतों, घरों में काम करने और अन्य गतिविधियों के लिए औसतन पाँच से ज्यादा घंटे मिल जाते हैं;
- शिक्षाः प्राथमिक विद्यालयों में 1995 में 43 प्रतिशत की तुलना में अब 53 प्रतिशत लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं;
- जल तक पहुँचः जल तक अच्छी पहुँच के कारण खेती उन्नत हो गयी है, और
- स्वास्थ्य और स्वच्छताः संपूर्ण जल प्रयोगकर्ता समूह के बीच ग्वानिया कृमि का उन्मूलन हो गया है।

व्यापक रूप में, परियोजना के परिणामस्वरूप समुदाय के अधिकांश लोग शिक्षित हुए उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और महिलाओं के प्रति सम्मान में वृद्धि हुई। अब महिलायें भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा समय बिताती हैं। गाँव में एक व्यक्ति ने बताया, "मेरी शादीशुदा जिन्दगी में सुधार हुआ है और हमारा संबंध ज्यादा स्नेहपूर्ण हो गया है। हमारे पास अन्य आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों के लिए भी समय है।"

सफलता के प्रमुख कारक

वे मुख्य घटक जिन्होंने इस परियोजना की सफलता में योगदान दिया वे थे:

- परियोजना की शुरूआत में जेण्डर समानता के प्रति संवेदनशीलता और जन–जागरूकता प्रशिक्षण व प्रोत्साहन का प्रयोग किया गया;
- यह सुनिश्चित किया गया कि वाटसन समिति में पुरुष और महिलाओं दोनों को समान स्थान व उनकी सहभागिता हेतु प्रशिक्षण मिले;
- यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाएं और पुरुष दोनों प्रयोगकर्ता समान रूप से जल व्यवस्था के रखरखाव और संचालन के जिम्मेदार होंगे; और
- समुदाय में महिलाओं और पुरुषों दोनों से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया गया।

इसके अतिरिक्त, जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव और सहभागिता के तरीकों के प्रयोग ने महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित योगदान दिये:

- वाटसन समिति, पी.एम.वी. और शौचालय निर्माण तथा सामान्यतः समुदाय में पुरुषों के समान महिलाओं की भूमिकाओं को मान्यता में वृद्धि मिलीः और
- समारी समुदाय के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों का उनके जल और स्वच्छता संसाधनों के स्वामित्व का वास्तविक बोध हुआ।

मुख्य अवरोध

पारंपरिक जेण्डर भूमिकाओं के विषय में, घाना में कुछ मोस्लेम समुदाय में प्रचलित पुरुष प्रधानता विशेषतः समारी–क्वांता में स्पष्ट दिखती थी। महिलाओं ने मान लिया था कि उनको जल सुविधा प्रबंधक के रूप में नयी भूमिकाओं की चाहत नहीं रखनी चाहिए और उन्होंने दूसरी महिलाओं को पुरुष भूमिका को अपनाने के लिए हतोत्साहित किया। यद्यपि नियोजन में महिलाओं और पुरुषों दोनों को सजग भाव से शामिल करने के डब्ल्यू.वी.जी. के निर्णय ने सामुदायिक सदस्यों को उनके वर्तमान जेण्डर भूमिकाओं पर पुनः विचार करने को बढ़ावा दिया। इसमें डब्ल्यू.वी.जी. द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं और पुरुषों को वाटसन समिति में समान रूप से भूमिकाएं प्राप्त हों। महिलाओं को जल व्यवस्था संचालन और रखरखाव तथा पर्यावरणीय स्वच्छता विधियों में प्रशिक्षण समान रूप से प्रदान किया गया।

परियोजना का भविष्य

प्राथमिक तौर पर समुदाय इन परिणामों को प्राप्त करने और साथ ही साथ स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक ज्यादा निष्पक्ष पहुँच प्राप्त करने के योग्य हुआ क्योंकि परियोजना ने पुरुषों और महिलाओं के और घाना की सरकार और वर्ड विजन घाना के बीच सहभागिता और समन्वयन के एक अच्छे वातावरण को तैयार किया।

आगे की सूचना के लिए संपर्क करें:

- शोधकर्ता से संपर्क:
  Nana Ama Poku Sam, email: ns394@bard.edu
- घाना साथ ही साथ घाना में वर्ड विजन के समावेशन के बारे में मूलभूत जानकारी के लिए देखें: http://www.wvi.org/wvi/country_profile/ghana.htm
  http://wedc.lboro.ac.uk/publications/pdfs/24/akama.pdf

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

वैश्विकः
जल एवं स्वच्छता विषयक पेपर पर सुझावः
इंटरएजेंसी जेण्डर एवं जल कार्यदल से जुड़ी केस स्टडीज
(मर्सिया ब्रिवस्टर, टास्क मैनेजर)

क. स्थानीय जल पहलों को वित्तीय सहायता देने हेतु नए मॉडल

दक्षिण अफ्रीका के माबुले गाँव में, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं और अत्यधिक व्यापक बीमारियों जैसे हैजा की गंभीर समस्याओं की रोकथाम के लिए मांबुले सैनीटेशन प्रोजेक्ट विकसित किया गया। कई महिलाओं और लड़कियों को स्वच्छता सुविधाओं के खराब निर्माण और स्वच्छता के कारण उनका प्रयोग बहुत कठिन हो गया। यह परियोजना डिपार्टमेंट ऑफ वाटर अफेयर्स ऐंड फारेस्ट्री (डी.डब्ल्यू.ए.एफ.) और समुदाय की एक संयुक्त शुरूआती पहल है जिसको वित्तीय सहायता माबुला ट्रस्ट से प्राप्त हुई। डी.डब्ल्यू.ए.एफ. उन समुदायों को स्वच्छता परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हुआ जहाँ पर जेण्डर–संतुलित निर्णय लिया जाता था। परियोजना ने शौचालय निर्माण के लिए एक ईंट–निर्माण परियोजना स्थापित की जिससे आय भी हो सके और साथ ही महिलाओं के लिए उन्नत स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा भी दिया। इसके कारण, अब समुदाय के पास सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक शौचालय हैं तथा जिससे स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार आया है। समुदाय के सदस्यों, स्थानीय सरकार और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा महिलाओं की नेतृत्व भूमिका के प्रति स्वीकृति बढ़ी है, इसके साथ ही महिलाओं और पुरुषों के बीच सहयोग भी बढ़ा। ईंट–निर्माण परियोजना में 10 लोग की नियुक्ति हुई है, जिनमें से 6 महिलायें हैं और यहाँ से समुदाय को सस्ती कीमत पर ईंटें प्राप्त होती हैं।

[जाबू, एम. (आने वाला)। दक्षिण अफ्रीकाः स्वच्छता एवं ईंट निर्माण परियोजना में महिलायें, माबुल गाँव

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)]

पाकिस्तान के एक छोटे गाँव, बांदा गोलरा में रहने वाली एक गरीब औरत नासीम बीबी ने एक समुदाय–आधारित महिलाओं का संगठन (सी.बी.ओ.) का गठन वर्ष 2002 में किया जिससे वे सरहद ग्रामीण सहयोग कार्यक्रम (एस.आर.एस.पी.) नामक एक गैर सरकारी संगठन से ऋण लेने योग्य बना सका जोकि समुदाय–आधारित समूहों को धन उधार देता था। सी.बी.ओ. के सदस्यों ने एक बचत योजना शुरू की और दो वर्ष की अवधि में ही 21 महिलाओं ने एस.आर.एस.पी. से ऋण प्राप्त किये, जिसमें से सभी ने सफलतापूर्वक ऋण चुकाया। उनकी मासिक सभाओं के दौरान, महिलाओं ने प्राथमिक कार्यवाही के रूप में जल तक अच्छी पहुँच को पहचाना और एक जल आपूर्ति योजना विकसित करने का निर्णय लिया। योजना में गाँव में विभिन्न स्थानों पर सात नये हैंडपंपों को लगाना शामिल था। समुदाय को लागत का 20 प्रतिशत और एस.आर.एस.पी. को 80 प्रतिशत का योगदान करना था। प्रत्येक भाग लेने वाले परिवार को रु0 1000 (यूएस डॉलर 16) का योगदान देना था और हैंडपंप की खुदाई में शामिल श्रमिकों के लिए बारी–बारी से भोजन और आवास प्रदान करना था। प्रत्येक हैंडपंप के लिए धन सात परिवारों के एक समूह द्वारा दिया गया। बांदा गोलरा में स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशा में सुधार आया, घरेलु स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि हुई विशेषकर महिलाओं की जो की जल और ऋण योजनाओं में शामिल थीं, और उनकी जन गतिविधियों में सहभागिता के महत्व की पहचान में भी वृद्धि हुई।

[बोखारी, जोहदाह (आने वाला)। पाकिस्तानः पहल एक की –राहत सभी कीः बांदा गोलरा जल आपूर्ति योजना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर

रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)].

भारत में 'स्वयं शिक्षण प्रयोग' ने 1000 से भी ज्यादा महिलाओं के बचत और ऋण समूहों का गठन किया जिन्होंने अपनी बचतों का उपयोग किसी कार्य के लिए एक दूसरे को ऋण प्रदान करने के लिए किया। महिलायें विकास के मुद्दों जैसे उनके समुदाय में जल आपूर्ति, को संबोधित करने के लिए संगठित होना शुरू हो गयीं। (स्वयं शिक्षण प्रयोग परियोजना वेबसाइट, http://www.sspindia.org/index.htm)।

भारत में स्व–रोजगार महिला संघ (सेवा) उत्पादनकारी उद्यमों के लिए जल तक पहुँच को प्राप्त करने पर केंद्रित है, जो कि अक्सर तथाकथित स्व–रोजगार श्रमिक वर्ग के लिए होता है। आज भारत में 93 प्रतिशत से भी ज्यादा सभी श्रमिकों को स्व–रोजगार श्रमिक के रूप में जाना जाता है, उनमें से आधे से अधिक महिलायें हैं। सेवा ने भारत में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए फाउंडेशन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट (एफ.पी.आई.) के द्वारा प्रदत्त तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण के द्वारा जल संरक्षण के लिए प्लास्टिक की परत वाले तालाबों को विकसित करने के लिए मदद दी। स्थानीय महिलायें अब अपने स्वयं के गाँव के तालाबों को प्रबंधित करती हैं, जिसमें सभी तरह का हिसाब–किताब और लेखा–जोखा शामिल है। गुजरात के बनास्कांठा जिले के आठ गाँवों में, महिलाओं ने अपनी स्वयं की जल समितियों का निर्माण किया। इनके द्वारा वे परिरेखा बंधन (कन्टूर बांइडिंग), चेकडैम का निर्माण, गाँव के तालाबों की मरम्मत और अन्य जल संरक्षण संबंधी निर्माण का कार्य करती हैं।
[माकिको, डब्ल्यू. (2004)। **सेवाः** भारत की स्व–रोजगार महिला संगठनः स्व–रोजगार महिला कार्यकत्री। देखें: http://www.gdrc.org/icm/makiko/makiko.html; और http://www.sewa.org]

ख. संस्थागत विकास और राजनीतिक प्रक्रियायें

यूगांडा ने वर्ष 2003 में जल क्षेत्र जेण्डर रणनीति तैयार की, जिसमें एक स्वीकारात्मक कार्यवाही घटक शामिल था। इसके अन्तर्गत सभी प्रशासनिक स्तरों पर ग्राम स्तर से मंत्रालय तक कम से कम 30 प्रतिशत महिलायें शामिल होनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं ने आवाज उठायी और गाँव में जल स्रोतों का पता लगाने, सुविधाओं के लिए स्थान का निर्णय करने और पंपों की मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षित की गयी। इससे सुविधाओं के खराब होने की घटना में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई। महिलाओं ने व्यवसाय में भी भाग लिया; ग्रामीण क्षेत्रों में बोरहोल के लिए कल–पुर्जों की दुकान खोला और शहरी क्षेत्रों में जल व्यवस्था को प्रबंधित किया। जल उपयोगकर्ता संघों में महिलायें प्रायः वित्तप्रबंध के लिए जिम्मेदार थीं। विद्यालय के स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए जल और शिक्षा के मंत्रालयों के बीच साझेदारी हुई जहाँ दोनों की मुखिया महिलायें ही थीं। साथ–साथ काम करते हुए मंत्रियों ने बेहतर तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक पृष्ठभूमि प्राप्त करने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकार्य कार्यवाही कार्यक्रम तैयार कियो। [सी.एस.डी.–13 को एच.ई. मरिया मुत्तागाम्बा का कथन, अप्रैल 2005]

दक्षिणी अफ्रीका में जल क्षेत्र में स्वीकार्य कार्यवाही नीतियों में 'जल क्षेत्र में महिलायें' पुरस्कार और जल क्षेत्र में जीविका पाने के लिए युवतियों के लिए पद शामिल हैं। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के सफल तरीकों के रूप में सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त, अ–लैंगिक समानता का सिद्धांत दक्षिणी अफ्रीका के 1996 के संविधान में अभिलिखित है, और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कोटा पद्धति लागू की गयी। दक्षिणी अफ्रीकी कानून 'जेण्डर–अनुकूल' है, अर्थात्, सरकार उन्हीं कम्पनियों से सामग्री और सेवाएँ ले सकती है जहाँ कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य कर रही हों। इस प्रकार की 'बाध्यता' महिलाओं को स्वयं के उद्धार के लिए

सहभागिता और आत्मविश्वास प्रदान करती है। महिलाओं का सशक्तिकरण दक्षिणी अफ्रीका में गरीबी उन्मूलन और मूलभूत सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए आवश्यक सिद्ध हो गया है। [सी.एस.डी.–13 को एच.ई. बाईला सोन्जिका का कथन]

यूक्रेन में, रेलवे तेल टैंको की सफाई जब अपर्याप्त मलजल व्यवस्था से मिल गई तो यह गन्दा जल घरों और गलियों में प्रवाहित होने लगा। जब महिलायें स्थानीय अधिकारियों के पास गयीं तो उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने से इन्कार कर दिया। एक पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन की सहायता से महिलायें वहाँ के निवासियों से मिलीं, एक राजनीतिक अभियान शुरू किया और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ एक कानूनी अर्जी दाखिल की। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने सीवर पंप के निर्माण के कार्य को संपादित करने के लिए संसाधनों का प्रावधान किया, पर्यावरणीय कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की और खतरनाक तेल–टैंक की सफाई सुविधा को बंद किया। [खोसला, प्रभा (2002) एम.ए.एस.ए.–86 व यूक्रेन में पेयजल अभियान, जेण्डर एण्ड वॉटर एलांयस द्वारा प्रस्तुत।]

कई उदाहरण यह दर्शाते हैं कि परियोजनाएँ ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं जब महिलायें इसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं। उदाहरणार्थ, कोलम्बिया में ला सिरेना शहर में महिलायें कानावरेयेजो नदी के जल की गुणवत्ता को सुधारना चाहती थीं जो कि बहुत ज्यादा प्रदूषित थी। वर्ष 1995 में, महिलाओं ने कार्यवाही बोर्ड में नेतृत्व पद प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। यह बोर्ड पुरुषों द्वारा संचालित था और महिलाओं को भाग लेने के लिए स्वयं धाक जमानी थी। एक बार जब महिलाओं ने स्वयं की क्षमता को सिद्ध कर दिया और नेतृत्व के पद पर आसीन हो गयीं, तो एक अभिक्रिया संयंत्र का निर्माण किया गया। तब से वहाँ पर कई सुधार हुए। उदाहरणार्थ, डायरिया और अन्य बच्चों की त्वचा संबंधी रोगों में कमी आई है और शहर हैजा की महामारी से बच गया। [आई.आर.सी. अर्न्तराष्ट्रीय जल व स्वच्छता केन्द्र (तिथि रहित)। समुदाय आधारित जल आपूर्ति प्रबंधन केस स्टडीज। ला सिरेना, महिलाओं ने ली प्रमुख भूमिकाएं।
http://www2.irc.nl/manage/manuals/cases/sirena.html (26 March 2004 को देखा गया)]

ग. क्षमता विकास और सामाजिक सीख

टोगो के इस्ट–मोनो क्षेत्र में, जहाँ पर केवल 10 प्रतिशत आबादी की ही शुद्ध पेयजल तक पहुँच है, में जल और स्वच्छता सुविधाओं को सुधारने के लिए एक परियोजना लागू की गयी जिससे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई और ये सुविधायें अप्रयुक्त बनकर रह गयीं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक नयी परियोजना तैयार की गयी जिसने सभी ग्रामीणों, छात्र और छात्राओं, पुरुष और महिला अध्यापकों और प्रशासकों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया। विद्यालयों में समस्याओं के निदान के लिए स्वच्छता प्रोत्साहन की एक कार्यवाही योजना को विद्यालयों और गाँवों की स्वीकृति से तैयार किया गया। परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक गाँव के विद्यालयों के लिए जल और स्वच्छता सुविधायें, साथ ही साथ शैक्षिक संसाधन प्रदान किए गये। छात्रों के बीच जेण्डर असंतुलन को संबोधित करने व संपूर्ण समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत परिणामों से परे लम्बे समय तक रहने वाले प्रभावों को बढ़ावा दिया गया। लड़कियों ने नेतृत्व की भूमिका को लिया और अपने आत्म–सम्मान को बढ़ाया। जेण्डर–संतुलित विद्यालय स्वास्थ्य समितियाँ उपकरण और स्वच्छता का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं। [अलुका एस. (आने वाला)। विद्यालयों में जेण्डर समानता के द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा।; जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।]

नाइजीरिया में, ओबुडु पठार पर एक पर्यटक सैरगाह के निर्माण ने निर्वनीकरण को बढ़ावा दिया और जिससे जल संसाधनों और पर्यावरण पर पड़ रहे दबाव और बढ़ गया है, जैसे अत्यधिक चराई और गैर टिकाऊ कृषि प्रयोग। स्थानीय बेचेव महिलाओं ने जल को एकत्रित करने में हो रही समय की बर्बादी, जल की खराब गुणवत्ता और मात्रा तथा खराब पारिवारिक स्वास्थ्य की शिकायत की। इसके परिणामस्वरूप, नाइजेरियन कंजरवेशन फाउन्डेशन (एन.सी.एफ.) ने वर्ष 1999 में ओबुडु पठार पर एक जलागम प्रबंधन परियोजना की शुरूआत की, और महिलाओं को परियोजना की निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला नेताओं को प्रबंधन समिति में चयनित किया गया, जो समुदाय में महिलाओं के लिए गर्व की बात थी, और वे जल कुंड के निर्माण और रखरखाव में शामिल हुईं। जल एकत्रित करने के समय में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई जिससे महिलायें आय कमाने की गतिविधियों जैसे कृषि और विपणन में ज्यादा समय दे पायीं। बेचेव महिलायें और फुलानी आदिवासियों के बीच जल तक पहुँच के लिए संघर्ष पर समझौते के द्वारा निपटारा किया गया, और महिलाओं को समय से जल प्राप्त हो ऐसा सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई, और 2004 में डायरिया के केस में 45 प्रतिशत की कमी हुई। [माजेकोदूमनी ए.ए. (आने वाला)। नाइजीरियाः उत्तरी क्रॉस रिवर स्टेट में ओबुडु पठार के समुदायों के लिए जेण्डर समानता प्रक्रियाओं के प्रयोग से पेयजल स्रोतों को सुरक्षित रखने में मदद। जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)]

भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में आठ मलिन बस्तियों में नगरमहापालिका के द्वारा निर्मित शौचालय खराब रखरखाव के कारण अनुपयोगी हो गये। खराब स्वच्छता और संक्रमित जल ने सभी परिवारों को बीमारियों से ग्रसित कर दिया और उनके चिकित्सकीय खर्चे बढ़ गये। पुरुष सामुदायिक नेताओं ने उन्नत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। महिलाओं द्वारा सरकार से बेहतर सेवाओं के लिए किया गया निवेदन भी किसी काम नहीं आया, जब तक कि लोग ग्रामालय नाम का एक संगठन जो, जल और स्वच्छता परियोजनाओं पर कार्य कर रही थी, के साथ नहीं जुड़ गये। पेयजल सुविधाओं और निजी शौचालयों के निर्माण के साथ–साथ जेण्डर का मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्रित सामुदाय को एकजुट करने के लिए परियोजना तैयार की गयी। वाटरऐड ने उपकरण और निर्माण लागत के लिए सहयोग दिया जबकि ग्रामालय ने क्षमता विकास और समुदाय एकजुट करने से संबंधी घटकों पर कार्य किया। सरकार ने सामुदाय के सदस्यों के लिए स्थान, विद्युत, जल आपूर्ति, और ऋण प्रदान किया। समुदाय न केवल उन्नत जल और स्वच्छता सुविधाओं तथा बेहतर स्वास्थ्य का लाभ उठा रहा है, बल्कि महिलाओं ने आत्मविश्वास भी प्राप्त किया है। महिलायें जिनके प्रति पहले अधिकारियों का बहुत खराब बर्ताव होता था, अब उन्हें इज्जत दी जाती है जब भी वे सरकारी कार्यालयों में जाती हैं। [बर्ना, आई. वी. (आने वाला)। भारतः अलगाव से एक सशक्त समुदाय की ओरः एक स्वच्छता परियोजना में जेण्डर के मुख्यधारा से जुड़ाव के दृष्टिकोण को लागू करना। जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)]

घ. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान का उपयोग

आस्ट्रेलिया में विजिरा राष्ट्रीय उद्यान में, महान आर्टीसियन बेसिन में चरवाहों के कारण 'माउंड स्प्रिंग' (जुरकुर्पा स्थल के रूप में संदर्भित) क्षेत्र में अत्यधिक क्षरण हुआ। पशुधन के लिए घेराबंदी और कई जल स्रोतों को हो चुके नुकसान के कारण, आदिवासी लोग वहाँ पहुँचने में असमर्थ थे और उस स्थान पर नहीं पहुँच सकते थे जो कि उच्च सांस्कृतिक महत्व का था। जब चरवाहे अपने पशुधन के लिए नये जल–स्रोत की खोज में वह स्थान छोड़ कर जाने लगे तो उन आदिवासी

लोगों को जो माउंड स्प्रिंग में रह रहे थे, को अपनी पारंपरिक भूमि प्रबंधन तरीकों को पुनः प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हुए। देशज लोगों ने माउंड स्प्रिंग को पुनः संरक्षित करने के लिए पारंपरिक भूमि प्रबंधन दक्षता को पश्चिमी वैज्ञानिक विधियों के साथ जोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन से एक सहभागी प्रबंधन संरचना को लागू करने के लिए बातचीत की; उन्होंने एक प्रबंधन बोर्ड बनाया जिसमें इरवन्येरे लोगों का बहुमत था, जिन्होंने उद्यान पर 99 वर्ष का पट्टा लिया था। उद्यान दक्षिणी आस्ट्रेलियाई सरकार की ही संपत्ति रही, किंतु पट्टे से इरवन्येरे लोगों को वहाँ रहने, उद्यान का प्रबंधतंत्र की योजनानुसार प्रयोग और प्रबंधन करने की अनुमति मिल गयी। सहभागी प्रबंधन तंत्र की प्रक्रिया से कुछ स्थानों को पुनः सुरक्षित किया गया। [डीन अह ची (1995)। ग्रेट अर्टेसियन बेसिन में इण्डीजीनियस पिपुल्स कनेक्शन वीथ क्वाटे (जल)। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन विभाग, 1995। वितजीरा नेशनल पार्क मैनेजमेण्ट प्लान डी.ई.एन. आर.[http://www.gab.org.au/inforesources/downloads/gabfest/papers/ahchee_d.pdf]

केंद्रीय ब्राजील में साओ जाओ डी' अलिआंका के समुदाय में दास ब्रंकास नदी के प्रदूषण को खत्म करने और नदी के किनारों पर मूल वनस्पतियों को पुनर्वासित करने के लिए, ब्रासीलिया विश्वविद्यालय (यू.एन.बी.) के सहयोग से ग्रामीण श्रमिकों की स्थानीय यूनियन ने समुदाय के साथ एक जल परियोजना की रूपरेखा तैयार की। महिला–नेतृत्व वाली इस पहल को, जिसे 'वाटर वोमेन' परियोजना कहा गया में, महिलाओं के प्रत्येक समूह ने अपनी रोजाना की गतिविधियों में पर्यावरणीय–मित्र तरीकों को अपनाया। अप्रैल, 2002 में इस क्षेत्र के सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को सहयोग देने के लिए एक वाटर वोमेन संगठन की शुरूआत की गयी, जो महिलाओं की स्थिति में सुधार, नये रोजगार और आमदनी के अवसर, युवा और वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, और विद्यमान संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखने पर केंद्रित थी। सामुदायिक शिक्षा के अन्तर्गत स्थानीय लोगों को नदी में अपने मलजल बहाने, और किस प्रकार नदी के किनारों पर मूल जातियों के पेड़ों को रोपित किया जाय के बारे में बताया गया। इसके परिणामस्वरूप, नदी में अपशिष्ट के कारण होने वाला प्रदूषण कम हुआ, नदी के किनारों पर मूल जातियों की नयी वनस्पतियों में काफी वृद्धि हुई और मृदा अपरदन में कमी स्पष्ट रूप से दिखी। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता मजबूत हुई और उनके नेतृत्व क्षमताओं के बारे में लोक धारणाओं में बदलाव आया। [साउजा, एस. एम. (आने वाला)। ब्राजीलः महिला नेतृत्व को विशेष बढ़ावा जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)]

ग्वाटेमाला में एल नारान्जो नदी के जलागम क्षेत्र का प्रयोग साफ जल के लिए किया जाता था, किंतु अब ऊपरी जलागम क्षेत्र में कम और प्रदूषित जल की आपूर्ति है। वह समुदाय जो इसके जल पर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए निर्भर है, जो कि पुरुषों और महिलाओं तथा शहरी और ग्रामीण समुदायों के अनुसार अलग–अलग हैं। इन विविध आवश्यकताओं ने वहाँ पर संघर्ष का रूप ले लिया जो कि स्थानीय संस्थाओं की क्षमता साथ व पारंपरिक झगड़ा–निवारण क्रियाविधियों के नियंत्रण के परे हो गया। उन्होंने वर्तमान कानूनी विनियमन और जल प्रशासन के लिए उनके उपयोग के बारे में, स्थानीय अधिकारियों तथा नेताओं से कई सवाल किए। वर्ष 2002 में, सोलर फाउंडेशन ने एक त्रिवर्षीय परियोजना की शुरूआत ज्यादा टिकाऊ संसाधन–समुदाय संबंध के निर्माण के द्वारा सामाजिक शांति को प्रोत्साहित करने के लिए एन.ओ.वी.आई.बी. (आक्सफैम का डच संबंधन) की मदद से की गयी। यह परियोजना प्रयोगकर्ताओं के अधिकारों और दायित्वों, सेवा प्रदानकर्ताओं और स्थानीय लोक अधिकारियों पर केंद्रित थी तथा जल प्रयोग में प्रवृत्ति को मानीटर भी करती थी। सामाजिक योजना और संगठन प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण के द्वारा स्थानीय नेता और अधिकारी, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन के बारे में शिक्षा ले रहे हैं। [वैन डेन हूवेन, एल. (आने वाला)। ग्वाटेमालाः "एल नारान्जो" नदी जलागम

संगठन में महिलाओं और पुरुषों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति। जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)]

ड. लक्ष्य निर्धारण, मानीटर करना और मूल्यांकन का क्रियान्वयन

मोरक्को में, विश्व बैंक की ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना का उद्देश्य लड़कियों के बोझ को "जो पारंपरिक तौर पर जल ढोने में शामिल थीं" उनकी विद्यालय में उपस्थिति को सुधारने के लिए था। छह प्रांतों में जहाँ परियोजना की शुरूआत हुई, यह पाया गया कि लड़कियों की विद्यालय में उपस्थिति चार सालों में 20 प्रतिशत बढ़ गयी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि लड़कियों का कम समय जल ढोने में लगाना पड़ रहा था। यह भी पाया गया कि सुरक्षित जल तक सुविधाजनक पहुँच से महिलाओं और जवान लड़कियों द्वारा जल ढोने में लगने वाले समय में 50 से 90 प्रतिशत तक की कमी आयी। [विश्व बैंक (2003) *मोरक्कों राज्य के लिए ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता परियोजना में 10 मिलीयन यू.एस.डॉलर के ऋण के द्वारा संचालित कार्यक्रम की रिपोर्ट, रिपोर्ट नं. 25917।* देखें: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/06/17/000090341_20030617084733/Rendered/PDF/259171MA1Rural1ly010Sanitation01ICR.pdf (accessed on 22 March 2004)]

बांग्लादेश में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग सुविधाओं के साथ विद्यालय स्वच्छता परियोजना से लड़कियों की 1992 से 1999 के बीच विद्यालय में उपस्थिति में प्रतिवर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। [संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ (2003)। सभी के लिए स्वच्छताः देखें: http://www.unicef.org/wes/sanall.pdf (22 March 2004 के अनुसार)]

विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा (एस.एस.एच.ई.) अभियान, यूनिसेफ तथा आई.आर.सी. इंटरनेशनल वाटर ऐंड सैनीटेशन सेंटर, वाटर सप्लाई ऐंड सैनीटेशन कोलैबोरेटिव काउंसिल (डब्ल्यूएसएससीसी) और अन्य की एक संयुक्त परियोजना थी जिसका उद्देश्य सभी छात्रों के स्वास्थ्य को सुधारना और लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में जल और स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करना था। शोध और सर्वेक्षण दर्शाता है कि यदि लड़कियों की विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाना है तो लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग सुविधाएँ प्रदान करना जरूरी है। इस परियोजना की शुरूआत फरवरी 2000 में बरकिना फासो, कोलम्बिया, नेपाल, निकारागुआ, वियतनाम और जाम्बिया में हुई। स्थानीय सहभागिता पर जोर के साथ एस.एस. एच.ई. कम–लागत वाली शैक्षिक सहायता, समुदाय द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और प्राथमिक विद्यालयों के लिए जीवन–दक्ष स्वच्छता शिक्षा प्रदान करने पर केन्द्रित है। (देखें http://www.unicef.org/wes/index_schools.html)

घाना के एजुरा–सेक्येदुमासी जिले में घाना रूरल वाटर प्रोजेक्ट (जी.आर.डब्ल्यू.पी.) की शुरूआत ग्वानिया कृमि के गंभीर उत्पीड़न और पेयजल तक कम पहुँच को संबोधित करने के लिए वर्ड विजन घाना (डब्ल्यू.वी.जी.) के द्वारा शुरू की गयी। इस परियोजना को पूर्ण रूप से प्रौद्योगिकी–संचालित तरीके से बदलकर समुदाय–आधारित, लोगों की ओर उन्मुख, माँग–संचालित होने पर केन्द्रित किया गया जिसमें जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव, गरीबी खत्म करने और बच्चों का कल्याण शामिल था। यद्यपि जी.आर.डब्ल्यू.पी. पहल के अनुसार, डब्ल्यू.वी.जी. ने गाँव में हैंडपंप सहित दो बोरवेल, दो पब्लिक वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट (वी.आई.पी.) शौचालय और एक मूत्रालय की आपूर्ति की। तब समुदाय ने इस जल और स्वच्छता परियोजना को समुदाय सहभागिता और जेण्डर एकीकरण के साथ अपनाया। इससे लड़कियों की शिक्षा में सुधार हुआ, जहाँ 1995 में प्राथमिक

विद्यालय में 43 प्रतिशत छात्र थे वहीं 2005 में 53 प्रतिशत छात्र हो गये। [पोकू सैम, एन.ए. (आने वाला) घाना: समारी–क्वान्ता समुदाय की ग्रामीण जल परियोजना में जेण्डर एकीकरण। जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)]

जावा, इंडोनेशिया के क्लातेन जिले में वर्ष 2002 में शुरू हुए एक बोतलबंद पेय जल संयंत्र ने उस क्षेत्र के प्राथमिक जल स्रोत से ठीक 20 मीटर की दूरी पर झरने के जल की बड़ी मात्रा को प्रयोग किया। इससे जिले में जल की आपूर्ति में काफी कमी आ गयी और सिंचाई जल तक समुदाय की पहुँच में भी कमी हो गयी, और कुएँ सूखने शुरू हो गये। वर्ष 2003 में समुदाय के सदस्य इस मुद्दे पर कार्य करने के लिए क्लातेन पीपुल्स कोलिशन फॉर जस्टिस (के.आर.ए.के.ई.डी.) को स्थापित करने के लिए एकजुट हुए। के.आर.ए.के.ई.डी. का मुख्य उद्देश्य बोतलबंद जल संयंत्र को बंद करवाना था; इसका अल्पकालिक उद्देश्य इसके निष्कर्षण की दर को कम करना और एक सामुदायिक अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित करना था। यद्यपि महिलाओं के पास पारंपरिक तौर पर निर्णय लेने की कम शक्ति थी, परन्तु उन्होने के.आर.ए.के.ई.डी. कार्यक्रम में भाग लिया। इससे उन्होंने एक शोध परियोजना को समुदाय के जल पर बोतलबंद पेयजल संयंत्र के प्रभाव का अनुश्रवण किया। परियोजना का लक्ष्य स्थानीय सरकार और स्थानीय संसद, पत्रकार और कम्पनी के कर्मचारीगण भी थे। इस प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता के द्वारा के.आर.ए.के.ई.डी. की परियोजना काफी लोगों तक पहुँच पायी। यह समझना आसान हुआ कि किस प्रकार महिलाएं और पुरूष सूचना का आदान–प्रदान करते हैं तथा इससे जागरूकता बढ़ाने में किस प्रकार योगदान मिलता है। [एरधाएन एन. (आने वाला) इण्डोनेशियाः एक्वा डैनोन एडवोकेसी प्रोग्राम में महिलाओं की भागीदारी के प्रभाव– क्लातेन जिले का केस अध्ययन, केन्द्रीय जावा जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)]

ग्वाटेमालाः
"एल नारान्जो" नदी जलागम (वॉटरशेड) संगठन में महिलाओं और पुरुषों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति

चुनौतियाँ

एल नारान्जो नदी का जलागम ग्वाटेमाला में सैन मारकोस और क्वेजाल्टेनैन्जो के विभागों के बीच स्थित है। यहाँ से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाता है, जिससे नदी के ऊपरी जलागम में जल की कमी हुई है और वहाँ प्रदूषण भी पर्याप्त मात्रा में व्याप्त है। स्थानीय समुदाय इसके जल पर विभिन्न प्रकार की जल आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं तथा यह आवश्यकताएं पुरुषों और महिलाओं तथा शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच घटती–बढ़ती रहती हैं। उदाहरण के लिए पुरुष अधिकांशतः जल का प्रयोग अपनी जानवरों को पानी देने, सिंचाई और निर्माण के लिए करते हैं, जबकि महिलाओं को विभिन्न घरेलू कार्यों, जैसे भोजन बनाने, साफ–सफाई और धुलाई, के लिए जल की आवश्यकता होती है। महिलाओं को प्रत्येक दिन आवश्यक जल की मात्रा को लाने या एकत्र करने में काफी समय लगता था। इन विभिन्न आवश्यकताओं की वजह से एक ऐसा संघर्ष उत्पन्न हो गया जोकि स्थानीय संस्थागत क्षमता के साथ–साथ पारंपरिक समस्या समाधान से परे जा रहा था। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और नेताओं के समक्ष कानूनी नियंत्रण की वर्तमान स्थिति और उनकी जल के प्रबंध के लिए दिये गये आवेदन पर कई सवाल खड़े किए।

समुदाय के पुरुषों और महिलाओं के संदर्भ में उनकी जल तक पहुँच और नियंत्रण को सुधारने के लिए उन्हें संगठित करने की आवश्यकता है ताकि वे उत्पादक सामुदायिक और पर्यावरणीय दोनों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था कर सकें, साथ ही साथ नगरपालिका के निर्णयन प्रक्रिया में उनकी आवश्यकताओं का समर्थन भी हो सके। इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग यह है कि सामुदायिक रुचियों को परिभाषित करने और प्रतिनिधित्व करने में महिलाओं की समान भागीदारी हो।

कार्यक्रम / परियोजनाएँ

ग्वाटेमाला में स्थित फंडेशियन सोलर एक निजी विकास संगठन है जो सभी हितधारकों के मध्य नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के एकीकृत और टिकाऊ प्रबंधन के लिए सामाजिक क्षमताओं के सृजन को प्रोत्साहित करता है। इस संगठन के मॉडल में, जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने और सहभागी विधियों, जोकि जल संसाधनों के प्रबंधन में निष्पक्षता और दक्षता को बढ़ावा देता है, में महिलाएँ समान रूप से सहभागी हैं।

वर्ष 2002 में, फंडेशियन सोलर ने एन.ओ.वी.आई.बी. (आक्सफैम नीदरलैंड) के समर्थन से संसाधन और समुदाय के मध्य टिकाऊ संबंधों के निर्माण के द्वारा सामाजिक शांति को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में त्रिवर्षीय परियोजना की शुरूआत की। इस परियोजना को कई अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय एन.जी.ओ. के द्वारा समर्थन प्राप्त है और यह परियोजना प्रयोगकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और स्थानीय लोक अधिकारियों के अधिकारों और कर्त्तव्यों पर केंद्रित है। यह परियोजना जल के प्रयोग के तरीकों पर शोध करने, नगरपालिका के अधिकारियों और जनसामान्य नेताओं को प्रशिक्षित करने तथा सामाजिक नियोजन व संगठनात्मक प्रक्रियाओं को बल प्रदान करने का कार्य करती है, जिससे स्थानीय नेता और अधिकारी समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टिकाऊ प्रबंधन हेतु संयुक्त योजनाओं को विकसित और क्रियान्वित कर सकेंगे।

परिणाम / निष्कर्ष

- *एकल उद्देश्य के अधीन एकजुट होना:* परियोजना के पहले, लोग स्वंतत्र रूप से कार्य करते थे और अपने स्वयं की रुचियों की देखभाल भी करते थे। वे जल संसाधनों पर अपने नियंत्रण के लिए संघर्ष करते थे। परन्तु अब 74000 पुरुषों और लगभग 78000 महिला लाभार्थियों को शामिल कर 10 कानूनी संघों का गठन किया गया है। ये संघ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को उन्नत करने के लिए सामाजिक रणनीतियों को प्रोत्साहित करने हेतु समर्पित है।
- *प्रशिक्षण, सुग्राहीकरण तथा पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी:* इस परियोजना के द्वारा समुदाय को प्रशिक्षण और अनुभव आधारित सत्रों से अवगत कराया गया। लोगों ने प्रशिक्षण और संगठनात्मक प्रक्रियाओं में अपनी रुचियों को अभिव्यक्त किया। कार्यशाला के विषयों के अन्तर्गत पर्यावरण और जलागम की देखभाल, वनीकरण, लिंग समानता, समस्या समाधान और संगठनात्मक प्रक्रिया शामिल था। अब, वहाँ के लोग दूसरों के विचारों, समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देते हैं। सामुदायिक संघ सदस्यों में 51 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं जिनमें से कई महिलाएँ निदेशक परिषद में शामिल हैं। उन्होंने अपने समुदाय की अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण स्थापित किया है।
- *जल नीति में समर्थन:* हांलाकि अभी भी जल की समस्याएँ और आवश्यकताएँ विद्यमान हैं, किंतु अब वहाँ के लोग ज्यादा संगठित हैं। उनके सहयोग के परिणामस्वरूप ही ग्रामीण और पृथक् समुदायों की जल समस्याओं पर नगरपालिकाओं के द्वारा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
- *आय सृजन:* संघ कुछ अनुदानों को प्राप्त करने की शुरूआत कर रहा है, जिसका उपयोग वे लघु उत्पादनकारी पर्यावरणीय और सामुदायिक परियोजनाओं जैसे ग्रीन हाउस बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये लघु परियोजनाएँ अन्य परियोजनाओं में निवेश के लिए संसाधन प्रदान करती हैं जो संगठन को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बनाता है।

सफलता के मुख्य कारक

सामुदायिक संघों का सृजन:

- संघों ने शहरी और ग्रामीण दोनों समुदायों में मौजूद पुरुषों और महिलाओं की विविध जल आवश्यकताओं को संबोधित किया; और
- संघों में 50 प्रतिशत महिला सदस्य मौजूद थीं और संघ के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ना:

- पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न जल आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया;
- महिलाएँ प्राथमिक जल प्रयोगकर्ता हैं और अतः उनकी भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है इससे संबंधित जानकारी को प्रमुख रूप से बताया गया;
- महिलाओं ने संगठन की गतिविधियों और निर्णयन प्रक्रियाओं के साथ–साथ आमदनी–सृजन करने वाली पर्यावरणीय सामुदायिक परियोजनाओं के निर्माण में भाग लिया; और
- महिलाओं को उनकी आमदनियों पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त किया गया।

भागीदारी प्रक्रियाएँ:

- नागरिक प्राधिकरणों ने नगरपालिका की जल नीतियों की रूपरेखा तैयार की;
- ग्वाटेमाला में स्थित जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिए नगरपालिकाओं के प्रथम संघ का गठन किया गया; और

- जल संसाधनों के संदर्भ में नगरपालिकाओं और नागरिक प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गयी।

मुख्य अवरोध

लोगों को एक साथ एक मंच पर एक उद्देश्य के लिए लाना आसान कार्य नहीं था। स्थानीय भाषा में रेडियो, पोस्टर, लोक अदालतों और लाउडस्पीकरों के माध्यम से एक जन सूचना और शिक्षण अभियान की शुरूआत करनी थी। अंततः, लोग जलागम संरक्षण के विषय पर कार्य करने के इच्छुक हो गये।

परियोजना का भविष्य

अनुभवः संपूर्ण विश्व के समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए जल, पर्यावरण और सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित सामुदायिक शिक्षा जारी रहेगी। सामुदायिक सदस्य, योलान्दा पेरेज रैमिरेज, के शब्दों में:

"हमने इस परियोजना से बहुत कुछ सीखा। हमने संघ में कार्य करने, आय सृजन परियोजनाओं के संचालन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब हमारे पास एक ग्रीन हाउस है जहाँ वर्षाजल का प्रयोग करके काली मिर्च की खेती की जाती है। इसके द्वारा हमें आमदनी प्राप्त होती है। हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार कुशलतापूर्वक जल का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हमने सीखा कि जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हमें उस स्थान पर वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हम जीवन भर पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त कर सकें। महिलाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव रहा है, क्योंकि यह पहली बार था जब हमें संगठन प्रक्रिया में शामिल किया गया और अब लोग हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस परियोजना से हमें काफी अनुभव प्राप्त हुआ और दूसरे लोग इसके बारे में सुनना पसंद करते हैं।"

अधिक जानकारी के लिए:

- शोधकर्ता से संपर्क करें:
  लियॉनताइन वैन डेन हूवेन: lvdhooven@fundacionsolar.org.gt
- फंडेशियन सोलर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखें:
  www.fundacionsolar.org.gt और
  solar.nmsu.edu/funsolar/eng_index.shtml
- ग्वाटेमाला में एन.ओ.वी.आई.बी. की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखें:
  www.novib.nl/en/content/?type=article&id=5754&bck=y

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

भारतः

अलगाव से एक सशक्त समुदाय की ओरः एक स्वच्छता परियोजना में जेण्डर के मुख्यधारा से जुड़ाव के दृष्टिकोण को लागू करना, तमिलनाडु

चुनौतियाँ

भारत में शहरी जनसंख्या के केवल 43 प्रतिशत हिस्से को ही मूलभूत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं। अल्प आय वाली मलिन बस्तियों में, लगभग 15 प्रतिशत घरों में अपने खुद के शौचालय हैं तथा अन्य 21 प्रतिशत लोग सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं। यह केस अध्ययन दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली जिले के 8 मलिन बस्तियों में समुदाय आधारित स्वच्छता परियोजना का दस्तावेज है।

केस अध्ययन में लिखित मलिन बस्तियों में 6 सामुदायकि शुष्क शौचालय थे जिसमें मानवीय अपशिष्ट को खुले गड्ढे में फेंका जाता था जिसे हाथों द्वारा एकत्र किया जाता था। नगर निगम द्वारा, दो सेप्टिक टैंक युक्त शौचालयों का निर्माण कराया गया था। यद्यपि अप्रैल 1999 से पहले के नगर निगम द्वारा निर्मित सभी ढाँचे, उचित रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी हो चुके थे।

विरागुपेट्टई की महिलाओं ने बताया, ''शौचालयों के खराब रखरखाव के कारण मल में पाये जाने वाले कृमि फैलते हैं व प्रजनन करते हैं। इन कृमियों को नलों के आस–पास के अलावा उनके घरों की दिवारों के आस–पास भी देख सकते हैं। अस्वच्छता एवं दूषित जल के कारण सभी परिवार बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं तथा इसके कारण उनके उपचार पर लगने वाला खर्च भी बढ़ जाता है।

समुदाय के पुरूष नेताओं ने उपयुक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया। सरकार द्वारा बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराने संबंधी मांगों पर तब तक ध्यान नहीं दिया गया जब तक लोगों ने ग्रामालय (जल एवं स्वच्छता परियोजना का संचालन करने वाली एक गैर सरकारी संगठन), के साथ मिलकर बलपूर्वक अपनी माँगों को नहीं रखा।

कार्यक्रम / परियोजनाएं

वर्ष 2000 में इस परिस्थिति को संबोधित करने हेतु तिरूचिरापल्ली जिले के शहरी मामलों के राज्य प्राधिकरण ने एन.जी.ओ. को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा जिससे नामाकू नामे थित्तम (हमारे लिए हम) कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों की भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलें। वाटर एड द्वारा मिले अनुदान से ग्रामालय व दो अन्य संगठनों ने परियोजना की नींव रखी। इस अनुदान से विभिन्न समुदायों की 25 मलिन बस्तियों में, जिलाधिकारी व नगरआयुक्त के दिशा निर्देश से यह परियोजना चलाई गयी। ग्रामालय में ही इस परियोजना से 8 मलिन बस्तियों को लाभ मिला।

ग्रामालय के पास ग्रामीण क्षेत्रों में जल, स्वच्छता व स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं के साथ–साथ ज्ञान के प्रचार–प्रसार व परिवर्तन लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले महिला समूहों के साथ कार्य करने का पहले से ही अनुभव था। इस परियोजना के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण के प्रावधान के साथ–साथ जेण्डर समानता संबंधी मुद्दों पर केन्द्रित सामुदायिक जागरूकता एवं जुटाव भी सम्मिलित था। इस परियोजना में वाटर एड का प्रमुख कार्य उपकरणों व ढाँचों के निर्माण के लिए सहायता राशि प्रदान करना था व ग्रामालय मुख्य रूप से क्षमता विकास एवं सामुदायिक जागरूकता एवं जुटाव संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी था। इस परियोजना को संचालित करने के लिए

सरकार जमीन, बिजली, जलापूर्ति व सामुदायिक सदस्यों को ऋण वितरण संबंधी कार्य कर रही थी।

परिणाम

- महिलाओं का सशक्तीकरण;
- पुरूषों की भागीदारी;
- 'भुगतान करें व प्रयोग करें'' शौचालयों से प्राप्त आय;
- महिलाओं द्वारा सामुदायिक विकास;
- वर्मीकम्पोस्टिंग–स्वच्छता एवं आय;
- बच्चों हेतु बाल सुलभ शौचालयों का निर्माण;
- स्वच्छता सुविधाओं में सुधार; तथा
- स्वच्छता संबंधी आदतों में परिवर्तन

सफलता के प्रमुख कारक

इस एकीकृत जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं की सफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- यह परियोजना महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित थी जिसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण व महिलाओं द्वारा चलायी जा रही बचत एवं उधार योजनाओं का संचालन भी सम्मिलित था;
- समुदाय के पुरूष सदस्यों के साथ, उनके तथा उनके परिवारों व सामुदायिक महिला सशक्तीकरण के लाभों के बारे में उनमुक्त परिचर्चा;
- लेखा व सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में महिला समूहों का क्षमता विकास;
- घरेलू हिंसा व सामुदायिक समस्याओं पर पारिवारिक सलाह का प्रावधान;
- समुदाय द्वारा प्रबंधित सामुदायिक स्वच्छता सुविधाओं का विकास;
- भुगतान कर इस्तेमाल करें प्रणाली को अपनाने से सुविधाओं के रखरखाव व सामुदायिक विकास गतिविधियों को समर्थन; तथा
- सरकार, एन.जी.ओ. व समुदाय के मध्य सहयोग।

प्रमुख अवरोध

- समुदाय के अन्तर्गत झिझकः परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों का प्रारंभिक कार्य काफी धीमा व कठिनाई से भरा था। पिछले प्रयासों में हुयी विफलता के परिणामस्वरूप समुदाय के सदस्य सरकार, राजनेताओं व एन.जी.ओ. के प्रयासों पर भरोसा करने के प्रति अनिच्छुक थे। इस स्थिति को सुधारने हेतु ग्रामालय ने महिला स्वयं सहायता समूह के गठन व महिलाओं की नई भूमिकाओं तथा घरेलू कूड़ा–कचरा अपशिष्ट निस्तारण में महिलाओं को समर्थन देने के प्रति पुरूषों को मनाकर समुदाय के साथ कार्य करना प्रारंभ किया।

- सरकार से प्राप्त सहायता राशि का न मिलनाः साधारणतः सरकार द्वारा अपशिष्ट व स्वास्थ्य संबंधी निर्माण प्रक्रिया में सामुदायिक सदस्यों से सलाह लिये बिना ही कंपनियों को निविदायें दे दी गयी थीं। कभी–कभी, देख–रेख के अभाव में कार्य समाप्त नहीं होता था तथा कुछ मामलों में ठेकेदार कभी–कभी नये शौचालयों को बन्द कर देते थे व उसे 2 साल तक नहीं खोलते थे। ग्रामालय की इस परियोजना के लिए सरकार ने जमीन, बिजली, पानी व समुदाय को ऋण को उपलब्ध कराया परन्तु स्वयं वे अपनी अन्य सेवाओं को उपलब्ध नहीं कराते थे।

परियोजना का भविष्य

- विकास कार्यक्रमों में जेण्डर परिप्रेक्ष्य की सफलताः महिला सशक्तिकरण आधारित मॉडलों का प्रयोग करके जल व स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के विकास कार्यक्रम का ऐसे देश में सफल होना जहाँ अधिकांश जनसंख्या आज भी खुले में शौच जाती है। इस परियोजना के परिणाम से यह स्पष्ट हो गया कि प्रमुख सरोकारों को और अधिक प्रभावी तौर पर संबोधित करने तथा अधिकतम लाभों को प्राप्त करने हेतु सभी विकास कार्यक्रमों में जेण्डर समानता से जुड़े तरीकों को शामिल करना चाहिए।
- समुदाय से सरकार में व सरकार से पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति सम्मान का फैलनाः तिरूचिरापल्ली में जल एवं स्वच्छता सुविधाओं, सामुदायिक विकास संबंधी पहल का समर्थन, संबंधी स्वास्थ्य सुधार योजनाओं व बढ़े हुए संसाधनों से न केवल समुदाय को लाभ पहुँचा है बल्कि महिलाओं को भी अधिक से अधिक आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। महिलाएं जिनके साथ अधिकारी पहले बुरा बर्ताव करते थे अब वे उन अधिकारियों से सम्मान पाती हैं तथा बैठक के दौरान सरकारी कार्यालयों में उन्हें बराबरी का दर्जा देते हुए कुर्सियों पर बैठाया जाता है। न केवल उनके समाज के पुरूष, बल्कि सम्पूर्ण विश्व उनकी सराहना करता है एवं अब उनके कार्यो को देखने के लिए पूरे विश्व से दर्शक आते हैं। अब उनके जीवन में आशा की एक नई किरण प्रज्जवलित हुई है।

अधिक जानकारी के लिएः

- शोधकर्ता से संपर्क करेः बर्ना इग्नेशियस विक्टर berna@wateraidindia.org
- ग्रामालय के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://www.gramalaya.org
- तिरूचिरापल्ली में ग्रामालय के कार्यों को देखने व पढ़ने हेतु देखें: http://www.gramalaya.org/sanitisedslums.html

स्रोतः

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

भारतः
अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में घरेलू जलापूर्ति से आर्थिक लाभ एवं जेण्डर

परिस्थिति

यद्यपि गुंजरात राज्य सम्पूर्ण प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सबसे शीर्ष पर था, फिर भी पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य का आर्थिक भविष्य, जल की कमी की बढ़ती हुयी समस्या के कारण खतरे में था। वर्ष 1999 में गुजरात का एक बड़ा हिस्सा पिछले 50 सालों में हुए सबसे गम्भीर सूखे से प्रभावित था। हांलाकि सूखे की समस्या लगभग प्रत्येक 3 वर्ष के अन्दर अवश्य होती थी। जनसंख्या का सबसे गरीब हिस्सा इस लगातार पड़ने वाले सूखे से अक्सर प्रभावित होता था क्योंकि उनकी सम्पूर्ण आय इस सूखे के कारण नष्ट/खर्च हो जाती थी तथा वे गरीबी में बुरी तरह से जकड़ लिये जाते थे।

गुजरात राज्य में स्थित बनासकांठा जिला इस लगातार आने वाले सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जिससे यह गुजरात का एक अत्यन्त पिछड़ा जिला बन चुका था। बनासकांठा की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जिनमें से अधिकांश स्वच्छ पेयजल, बिजली व स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे।

कृषि एवं दुग्ध उत्पादन बनासकांठा के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। जनसंख्या का कुल 52 प्रतिशत किसानों एवं प्रतिशत हिस्सा कृषि मजदूरों के रूप में कार्य कर जीविकोपार्जन करता है। ज्यादातर किसान छोटे व कम भूमि वाले हैं तथा कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। इनकी आय काफी हद तक वर्षा पर निर्भर होती है इसलिए इन गरीबों की आजीविका प्रकृति द्वारा असंतुलित रहती है। जब मानसून नहीं आता है तब सम्पूर्ण समुदाय काम की तलाश और/या अपने पशुओं के चारे के लिए 6 से 8 महीने के लिए प्रवास करने हेतु बाध्य हो जाता है।

वर्ष 2000 के सूखे ने यह स्पष्ट कर दिया कि बनासकण्ठा जैसे अर्द्ध–शुष्क क्षेत्र किस प्रकार से जल पर निर्भर हैं। अधिकांश घर पर्याप्त पेयजल व घरेलू उपयोग हेतु जल को प्राप्त करने में समर्थ हुए परन्तु यह नही मालूम कि किस मूल्य पर उन्हें जल प्राप्त हुआ। इसका सबसे गंभीर प्रभाव लोगों की आजीविका की हानि थी। कृषि एवं दुग्ध व्यवसाय के संदर्भ में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, वर्षा न होने के कारण यह व्यवसाय पूर्णरूप से ठप हो चुका था। जल उपलब्धता में होने वाली कमी व आय का सीधा संबंध समय से है क्योंकि महिलायें अपना अधिकांश समय जल के एकत्रण में नष्ट कर देती हैं।

निजी एवं सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी परंपरागत जलापूर्ति परियोजनायें, जल अभाव वाले क्षेत्र में मुख्यतः पेयजल की आपूर्ति पर ही केन्द्रित होती हैं। इन परियोजनाओं से केवल समान्य सामाजिक हित को ही बढ़ावा देने की आशा की जा रही थी न कि विशेष लाभों के उत्पादन की। इसलिए इस परियोजना का निर्माण इस प्रकार से किया गया था जिसका सीधा व प्रत्यक्ष सरोकार तकनीकी व्यावहारिकता से था, जिसमें बिना किसी आर्थिक लाभ के केवल निवेश को बढ़ावा मिले।

बनासकांठा में चल रही सन्तलपुर योजना जैसी नई पीढ़ी की जलापूर्ति परियोजना में यह स्पष्ट हो चुका था कि घरेलू प्रबंधक के रूप में जल के एकत्रण व उसके उपयोग में महिलायें प्रमुख रूप से सम्मिलित रहती हैं। जलापूर्ति परियोजनाओं को सिर्फ सामान्य ''सामाजिक निवेश'' के अलावा ''महिलाओं के हित से जुड़े मुद्दे'' जैसे– महिलाओं को कड़ी मजदूरी से मुक्त कराना तथा उन्हें पर्याप्त समय व घरेलू उपयोगों के लिए पर्याप्त जल को उपलब्ध कराना आदि पर पड़ रहे प्रभावों द्वारा न्यायसंगत ठहराना उचित है। यह आशा की जाती थी कि इससे प्राप्त हुए समय का उपयोग

वे अपनी तथा घरेलू स्वच्छता में सुधार के लिए करेंगी व घरेलू कार्यों पर अपना अधिक से अधिक समय देंगी। इस कार्य से उनके हितों व सम्पूर्ण परिवार के स्वास्थ्य को लाभ पहुँचेगा।

हांलाकि इन लाभों की तभी आशा की जा सकती थी, जब उन्हें मूलभूत तकनीकी सुविधायें (पाईप, नल व पम्प) उपलब्ध करा दिये जायें। परियोजना के नियोजन व डिजाइन में महिलाओं को सम्मिलित करने व उनके निर्णय को लेने जैसे किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं किया गया तथा इस परियोजना से यह भी सुनिश्चित नहीं हुआ था कि इस आपूर्ति से वे अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर पायेंगी। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हेतु सुझाव केवल महिलाओं हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के प्रावधानों तक ही सीमित था। किस प्रकार, महिलाओं एवं पुरूषों के मध्य जेण्डर संबध, इन हितकारी लाभों को प्रभावित करेगें, इस विषय पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाया गया।

केस अध्ययन का उद्देश्य

अर्धशुष्क क्षेत्रों में घरेलू जल परियोजनाएं न केवल परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि इनके अधिक लाभ भी हैं, इस पूर्वानुमान को जांचने के लिए, भारत में गुजरात के बनासकाण्ठा जिले के संतलपुर और राधनपुर ब्लाक के 27 गाँवों में केस अध्ययन तरीके का प्रयोग कर शोध कार्यक्रम चलाया गया। यह क्षेत्र इसीलिए चुना गया क्योंकि इसमें सन्तलपुर गाँव पाईपलाइन नामक एक विकसित जलापूर्ति प्रणाली है जिसमें महिलाओं पर केन्द्रित एक सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के कुछ हिस्सों में आय उत्पादन कार्यक्रम भी आता है जो महिलाओं के लघु उद्योगों के स्थापन एवं प्रबन्धन को समर्थन देता है। इस कार्यक्रम को सेल्फ इम्प्लाएड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) द्वारा चलाया गया जिसमें आर्थिक सहयोग डच बाइलैट्रल डेवलेपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान किया गया।

यह अध्ययन, सेवा एवं एफ.पी.आई. के सहयोग से आई.आर.सी. द्वारा किया गया था। स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट कोआपरेशन ऐजेन्सी (सीडा–SIDA) ने इस अध्ययन कार्यक्रम को चलाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी थी। केस अध्ययन आर्थिक के साथ–साथ जेण्डर उद्देश्यों पर आधारित थी। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य यह देखना था कि किस प्रकार से, (अर्द्ध) शुष्क क्षेत्रों में, जल व समय, के उत्पादक उपयोग के आर्थिक लाभों को बढ़ाने के लिए घरेलू जलापूर्ति परियोजनाओं को समायोजित करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य थे– (1) (अर्द्ध) शुष्क क्षेत्रों में, महिलाओं द्वारा समय एवं जल के उत्पादक उपयोगों के लिए एक सुलभ एवं विश्वसनीय जलापूर्ति सेवाओं की महत्ता का अनुमान लगाना; (2) महिलाओं द्वारा की जा रही आय उत्पादक गतिविधियाँ किस प्रकार घरों व समुदायों में जेण्डर संबंधों में अन्तर लाती हैं इसका अनुमान लगाना; (3) सहभागिता आधारित शोध के लिए सहभागिता शिक्षण साधन को लागू करना व क्रियान्वयनकर्ता संगठन, जिसमें महिलाओं के लघु उद्योग भी सम्मिलित हैं, का क्षमता विकास करना।

प्रक्रिया

इस अध्ययन में, परियोजना में लगे कुल समय संबंधी आंकड़ों, जेण्डर आंकड़ों और उद्यम संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पार्टीसिपेटरी रूरल अपरेजल–पी.आर.ए.) विधि और साधनों का प्रयोग किया गया। इसमें से कई साधन विशेषकर इसी अध्ययन के लिए निर्मित किये गये थे। जनसंख्या व उद्योगों के लेखा संबंधी आंकड़े द्वितीयक स्रोतों के रूप में थे। महिला उद्यमी समूह की प्रतिनिधियों ने शोध साधनों के डिजाइन, एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण व अध्ययन संबंधी खोज तथा निष्कर्षों की परिचर्चा में प्रतिभाग किया था।

इस प्रक्रिया में 9 गाँवों तथा 5 परियोजना से वंचित गाँवों के 11 महिला लघु उद्योगों की महिलाओं ने समुदाय स्तरीय प्रतिभागियों के रूप में भाग लिया था। अन्य 10 गाँवों में महिला उद्यमी समूह की नेता के साथ साक्षात्कार किया गया। समस्त महिला सूक्ष्म उद्यमियों (शिल्प, दुग्ध व्यवसायी, नमक की खेती करने वाले, गोंद का एकत्रण व पेड़–पौधों तथा फलदार वृक्षों को लगाने वाली महिलाएं) को समय अथवा समय और जल दोनों की आवश्यकता है।

आर्थिक प्रभावों के निष्कर्ष

खोजों या निष्कर्षों से यह पता चला है कि सुव्यवस्थित जल सुविधाओं के अतिरिक्त जल एकत्रण में भी समय का अत्यधिक व्यय होता है। उद्यमों वाले घरों एवं परियोजना से वंचित गाँवों के घरों में महिलाओं के पास पूरे वर्ष 15–16 घण्टे के बराबर कार्यदिवस होता है। औसतन महिलाएं इसमें से 3 घण्टे का समय पानी भरने में खर्च कर देती हैं तथा इसी प्रक्रिया में उनकी बेटियाँ 83 मिनट, पुत्र 12 मिनट व उनके पति 15 मिनट प्रतिदिन व्यय करते हैं। यदि औसत निकालें तो ज्ञात होता है कि जल को एकत्र करने में एक दिन में लगभग पाँच घण्टे का समय लगता है। जल एकत्रण में कभी–कभी विशेष परिस्थितियों में इससे भी ज्यादा समय लगता है। जल एकत्रण में लगने वाला यह अधिक समय वहां पर भी अधिक है जहां दस्तावेज के अनुसार पानी को एकत्र करने में होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए वर्ष भर सभी घरों में जलापूर्ति द्वारा जल को पहुँचाया जाता है।

महिलाएं चार तरीके से अपने परिवारों के लिए आय के स्रोत उपलब्ध करा सकती हैंः घर की भूमि पर कृषि कार्य करके, बचत गतिविधियों जैसे–चारा एकत्रण व सब्जी उगाने जैसे कार्यों में व्यस्त होकर, दैनिक वेतन पर मजदूरी करके और लघु उद्यमों में हाथ बँटाकर। लघु उद्योगों में कार्य कर, विशेषकर शिल्प उद्यम में, वे उस नाजुक समय में भी अपने परिवार के लिए आय प्राप्त कर सकती हैं जब शुष्क मौसम में अन्य स्रोतों से मिल रही आय बन्द हो जाती है। मानसून व ग्रीष्मकाल में, लघु उद्यमों में कार्यरत् महिलाएं साधारण गाँवों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक समय आय उत्पादक गतिविधियों में खर्च करती हैं।

जल सेवाओं की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ता है। जलापूर्ति के अभाव में एक महिला उद्यमी को अपनी आय से 50 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह का नुकसान होता है। वास्तविक नुकसान, उद्यमों को पहुँचने वाले लाभ के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। दो ब्लाक में स्थित सेवा के समस्त लघु उद्यम समूहों के सदस्यों के औसत नुकसान का आकलन किया जाता है तो यह ज्ञात होता है कि जल सेवाओं के अनुचित संचालन व रखरखाव से 40 हजार महिलाओं के अन्तर्गत 2 लाख रूपये का नुकसान होता है। वास्तविक नुकसान का आंकड़ा इससे भी अधिक होता है, क्योंकि सूखे के दौरान दुग्ध व्यवसाय, वृक्षारोपण व कृषि से प्राप्त आय में कमी आ जाती है। आर्थिक नुकसानों के अतिरिक्त, प्रत्येक महिला ग्रीष्मकाल में औसतन सात घण्टे, उत्पादक व/अथवा व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यय करती है। जलापूर्ति में ऐसा सुधार लाना होगा जिससे महिलायें जल एकत्रण में लगभग एक घण्टे का समय व्यतीत करें जिसके परिणामस्वरूप उनकी वार्षिक आय में उद्यमों व स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 750 व 5520 रूपये की सीमा तक सुधार हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महिला घरेलू, सामाजिक और प्रबंधन गतिविधियों के लिए वर्ष भर 45 से 152 घण्टे प्रतिदन प्राप्त कर सकेगी।

जेण्डर संबंधों के निष्कर्ष

सभी गाँवों में, पिछले दस वर्षों के दौरान महिलाओं के संदर्भ में, जेण्डर संबंधों में काफी परिवर्तन हुआ। संपत्ति के स्वामित्व से लेकर निर्णय लेने की क्षमता की प्रक्रिया में भागीदारी व सामुदायिक

प्रबंधन गतिविधियों तक, साधारण गाँवों में निवास कर रही महिलओं की अपेक्षा, उद्यमी महिला सदस्यों की स्थिति में आश्चर्यजनक विकास हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप समुदाय स्तरीय मामलों में घरेलू उद्यमी महिलाओं की भागीदारी, परियोजना से वंचित गाँवों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक थी। यह उनके व अन्य गाँवों में आयोजित जनसभा में उपस्थिति, उन सभाओं में बोलना तथा वे अपने गाँवों या गाँवों के समूहों की नेता है या नहीं पर लागू होता है। उद्यमी घरों की महिलाएं सामुदायिक जल संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित भी होती थीं।

इन दोनों प्रकार के गाँवों में, जेण्डर संबंधों में काफी परिवर्तन हुए हैं। काफी महिलाएं अकेले ही घर के बाहर निकलती हैं व बच्चे स्कूल भी जाते हैं। महिला उद्यमियों के घरों में, महिलायें बचत करती हैं एवं इनके पास अपनी सम्पत्ति भी है। पुरूष को परिवार के आर्थिक लाभदाता के रूप में देखा जाता है तथा महिलाओं ने जब अपनी पारंपरिक भूमिका से अलग हटकर कार्य किया तब समाज में जेण्डर समानता व महिला सशक्तीकरण का सूत्रपात हुआ। पुरूषों ने आश्चर्यजनक रूप से यह कहा कि किस प्रकार गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण से गरीब पुरूष भी सशक्त होते हैं।

घरेलू जलापूर्ति परियोजना का निष्कर्ष व प्रभाव

महिलाओं के लिए आय–उत्पादक परियोजना के साथ–साथ, सुव्यस्थित घरेलू जलापूर्ति का मिला–जुला प्रभाव यह रहा कि इससे आजीविका व जेण्डर संबंधों में काफी सुधार हुआ। अधिकांश जल सेवाओं के डिजाइन व प्रबंधन को जल के आर्थिक उपयोग व समय की बचत के साथ संतुलित नहीं किया। जब महिलायें इन सेवाओं के नियोजन व डिजाईन में प्रतिभाग नहीं करती हैं व जल वितरण कार्य दिवस व मरम्मत की दर पर इनका कोई प्रभाव नहीं रहता है तब बहुमूल्य उत्पादक समय, जल के उपयोग व आय का व्यय होता है तथा इनकी सेवायें इस परियेाजना को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाती हैं।

स्रोतः अज्ञात, यदि पाठक इस केस अध्ययन के स्रोत के बारे में जानते हैं तो कृपया हमें बतायें।

भारतः
सहभागी सिंचाई प्रबंधन में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ावः आगा खाँ ग्रामीण सहयोग कार्यक्रम का एक केस अध्ययन

वर्ष 1983 में स्थापित, आगा खाँ रूरल सपोर्ट कार्यक्रम (ए.के.आर.एस.पी.) भारत की एक गैर सरकारी संस्था है, जो गुजरात के 3 जिलों के समुदायों व सीमान्त समूहों, विशेषकर महिलाओं को, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ संगठित व सशक्त कर रहा है। इन क्षमता विकास कार्यक्रमों/प्रयासों के अन्तर्गत उन औपचारिक व अनौपचारिक ग्रामीण स्तरीय संस्थानों का संगठन भी शामिल है जहाँ ए.के.आर.एस.पी. संघर्षों को सुलझाने व जेण्डर समानता संबंधी सरोकारों को प्रकाश में लाने हेतु सहभागिता आधारित नियोजन व प्रक्रिया का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त, ए.के.आर.एस.पी. 1990 के आरंभिक दशकों में, सहभागिता आधारित सिंचाई प्रबंधन के नीति समर्थक के रूप में कार्यरत व किसानों को जल उपयोगकर्ता संगठनों व सिंचाई निगमों के माध्यम से उनको अपनी नहर सिंचाई प्रणाली को प्रबंधित करने हेतु संगठित करना दोनों सम्मिलित थे। महिलाओं को ऐसे प्रयासों में सम्मिलित करना बहुत ही नवीन पहल है, जिसे सहभागिता आधारित सिंचाई प्रबंधन–पी.आई.एम. में जेण्डर समानता संबंधी सरोकारों को संबोधित करने की आवश्यकता को देखते हुए, ए.के.आर.एस.पी. ने विचार किया था यह एक जेण्डर संवेदी संगठनात्मक बदलाव संबंधी एक प्रयास भी है। महत्वपूर्ण रूप से इन वंशानुगत प्रक्रियाओं का संचालन ए.के.आर. एस.पी. के द्वितीय निदेशक द्वारा किया जा रहा था, जो जेण्डर असमानता को संबोधित करने हेतु एक वचनबद्ध पुरूष थे। इस प्रक्रिया में, ए.के.आर.एस.पी., लगातार इस धारणा को गलत साबित करने का प्रयास कर रहा था कि कृषि और सिंचाई कार्य केवल पुरूष वर्ग ही कर सकता है। इसके लिए उन्होंने कृषि व्यवस्था और सिंचाई में ग्रामीण महिलाओं की प्रभावी भूमिका को उल्लिखित किया।

ए.के.आर.एस.पी. के कार्यक्रम के द्वारा दक्षिणी गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नहर सिंचाई संस्थाओं में सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से जेण्डर असमानता के मुद्दे पर व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। शिल्पा वसावडा (2000) यह तर्क देती हैं कि महिलायें बहुत सी सिंचाई गतिविधियों जैसे नहरों के रखरखाव, मेड़ बाँधना (फील्ड बन्डिंग), खेतों में दिन व रात दोनों पहर के दौरान जल सिंचाई और/या पहरेदारी भी करती हैं तथा खेतों व नहर के आस–पास हो रहे संघर्षों का निपटारा भी करती हैं। इस सब के बावजूद भी निर्णय लेने के दौरान उन्हें बहुत कम बोलने का अवसर दिया जाता है क्योंकि नहर संबंधी संस्थाओं में इनकी सदस्यता बहुत कम रहती है।

सहभागिता आधारित सिंचाई व राज्य

वर्ष 1995 में गुजरात सरकार ने सहभागिता आधारित सिंचाई प्रबंधन पर एक नीति को पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि किसानों को मध्यम व वृहद सिंचाई परियोजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन व प्रबंधन में भागीदारी करनी चाहिए। इस नीति को उचित रूप से क्रियान्वित करने हेतु सरकार ने गैर सरकारी संगठनों से भी मदद माँगी। गैर सरकारी संगठनों व किसानों को इस नीति में शामिल करने हेतु एक कानूनी ढाँचे को स्थापित किया गया एवं वर्ष 2003 तक पी.आई.एम. के अन्तर्गत कुल 50 प्रतिशत सिंचाई योग्य क्षेत्रों को शामिल करने संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य का निर्धारण भी किया गया।

हांलाकि, ए.के.आर.एस.पी. जैसे अन्य एन.जी.ओ. के सीमित प्रयासों के बावजूद, किसानों को तृतीयक स्तर पर जल वितरण हेतु उत्तरदायित्वों को वहन करने संबंधी प्रक्रिया में बहुत कम ही सुधार हुआ। इसके पीछे का प्रमुख कारण नौकरशाही तंत्र द्वारा, किसानों से निर्णय लेने संबंधी शक्तियों

को बाँटने के अधिकारों का, पूर्णतया विरोध था। वर्ष 1996–1997 में सिंचाई अधिकारी तंत्र की सोच व व्यवहार को प्रभावित करने हेतु सहभागिता आधारित प्रशिक्षण की शुरूआत करने संबंधी कुछ प्रयास किये गये थे, परन्तु ऐसे किसी भी प्रशिक्षण में उपस्थित न होने के उनके सख्त विरोध के कारण यह पहल भी बीच में ही रोक दी गयी।

ए.के.आर.एस.पी.: जेण्डर समानता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

ठीक उसी दौरान ए.के.आर.एस.पी. में सिंचाई क्षेत्र में जेण्डर सरोकारों को एकीकृत करने हेतु परिचर्चा का आरंभ हुआ था। बहुत से कर्मचारियों ने, जो जेण्डर समानता के सिद्धांत को उचित मानते थे, पहले से चल रही परियोजनाओं में इस प्रकार के सरोकारों को एकीकृत करने में कठिनाई का अनुभव किया। न सिर्फ किसानों (पुरूष किसानों) को संगठित करने का कार्य ही अपने आप में चुनौतियों से भरा था अपितु राज्य सरकार शक्तियों या अधिकारों के बंटवारें को लेकर भी विरोध कर रही थी। यह कार्य 1997–98 तक नहीं हुआ जब तक कि नई नहर परियोजना में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को देखने व परियोजना के आरंभिक अवस्था से ही महिलाओं के अधिकारों को शामिल करने संबंधी प्रयास हेतु ए.के.आर.एस.पी. को अवसर नहीं दिया गया।

पी.आई.एम. संस्थाओं में महिलाओं की सदस्यता को बढ़ाने संबंधी ए.के.आर.एस.पी. के प्रयासों को ''आदिवासी'' पुरूषों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। पी.आई.एम. संस्थानों के ''आदिवासी'' पुरूषों के साथ हुए साक्षात्कार में यह पता चला कि महिलाओं के पास पुरूषों से कहीं बेहतर संघर्षों को सुलझाने की योग्यता है तथा जब नियमों को बनाने एवं लागू करने की बात होती है तो वे काफी अनुशासित रहती हैं (बसावडा 2000)। पुरूषों ने बताया कि महिलायें, सिंचाई बकायों को एकत्र करने व घरेलू स्तर पर पैसों की बचत दोनों में, काफी ईमानदार होती हैं। ऐसे मामलों में, जहाँ महिलाएं नहर की देखरेख में प्रशिक्षित रहती हैं, ऐसा देखा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने में पुरूषों से कहीं अधिक प्रभावी होती हैं, कि कहीं जल को बेकार उपयोग तो नहीं किया जा रहा है एवं वह सिंचक अपनी बारी न होने के बावजूद भी कहीं पानी तो नहीं प्राप्त कर रहा है।

सिंचाई संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने के इन प्रत्यक्ष परिणामों के अतिरिक्त, ए.के.आर.एस.पी. का केस अध्ययन यह भी दर्शाता है कि महिलाओं के लिए नहर का जल बहुत प्रकार से उपयोगी है जैसे नहाने व कपड़े तथा बर्तनों को धोने के साथ–साथ पशुओं को पानी देना आदि। इस बात को भी अब मान्यता दी जा रही है कि इन जेण्डर आवश्यकताओं को सिंचाई प्रणालियों के डिजाइन में संबोधित करने की आवश्यकता है तथा पी.आई.एम. संस्थानों द्वारा जल तक पहुँत को सुनिश्चित करने हेतु नियमों को अपनाने की आवश्यकता है। हांलाकि, इस प्रकार के प्रयास तब तक टिकाऊ नही होंगे जब तक पी.आई.एम. में जेण्डर समानता से जुड़े सरोकारों को शामिल नहीं किया जाएगा तथा इसमें भूमिहीन व अन्य हितधारकों की जल संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना भी जरूरी है।

ए.के.आर.एस.पी. की रणनीतियों से प्राप्त प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं:

- अपने प्रारंभिक अवस्था में ही ए.के.आर.एस.पी. ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका व उत्तरदायित्वों पर उनकी सोच व व्यवहारों को चुनौती देने हेतु सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए जेण्डर संवेदी प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया।
- एक समान प्रयासों की सफलता पर नई योजनाओं का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है– उदाहरण के लिए, ए.के.आर.एस.पी. द्वारा पी.आई.एम. में महिलाओं को शामिल करने संबंधी विचार से

पहले अन्य परियोजना ग्रामों में महिलाएं, समूह आधारित सिंचाई योजना का प्रबंधन सफलतापूर्वक कर चुकी थीं।

- क्षमता विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत उन अन्य विकास संगठनों से परिचय भी शामिल था जहाँ महिलायें सिंचाई व्यवस्था में हस्तक्षेप को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रबंधित करती हैं।
- महिलाओं को परियोजना के आरंभिक चरण में ही शामिल करने की आवश्यकता है जिससे वे सिंचाई संबंधी अधिकारियों के साथ वार्ता प्रक्रिया में भाग ले सकें, न कि समानता को संबोधित करने से पहले ही, सिंचाई संस्थानों के सुचारू रूप से संचालित होने का इन्तजार करें।
- पी.आई.एम. में महिलओं की भागीदारी को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने हेतु, महिलाओं को विश्वास में लेना ही नहीं अपितु उन्हें अन्य विकासात्मक हस्तेक्षप में शामिल करना भी आवश्यक है जिससे वे प्रायोगिक जेण्डर आवश्यकताओं, जैसे बचत व उधार समूहों, को उचित तरीके से संबोधित कर सकें। सशक्त समूह निर्माण, मिश्रित व केवल महिला दोनों ही, पी.आई.एम. में महिलाओं को शामिल करने संबंधी ए.के.आर.एस.पी. के प्रयासों की सफलता का एक अभिन्न अंग है।

ए.के.आर.एस.पी. की सफलता ने यह प्रदर्शित किया कि एन.जी.ओ. ऐसे मॉडलों को प्रदर्शित कर सकते हैं जो सदस्यता के लिए उन वैधानिक सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है, जो जल अधिकारों को जमींदारी से जोड़ते हैं। ऐसे मॉडलों को यह भी परिलक्षित करना चाहिए कि महिलाओं को शामिल करना केवल उन्हें सशक्त करना ही नहीं, अपितु सामुदायिक सिंचाई व्यवस्था को और कुशलतापूर्वक, प्रभावी तरीके से तथा समान रूप में प्रबंधित करना चाहिए, जिससे वे नीतियों व विधानों को प्रभावित करने में सशक्त भूमिका निभा सकें।

स्रोतः

बसावडा, शिल्पा, 2005, ''मेन्सट्रीमिंग जेन्डर कन्सर्न इन पार्टीसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेन्टः *द रोल ऑफ ए.के.आर.एस.पी.* इन साउथ गुंजरात'' से उद्धृत। फ्लो इंग अपस्ट्रीमः एम्पॉवरिंग वीमेन यू वॉटर मैनेजमेण्ट इनीसिएटिव इन इण्डिया, अहमदाबारः सेन्टर फॉर इन्वायरनमेन्ट एजुकेशन एवं नई दिल्लीः फाउण्डेशन बुक्स।

भारतः
आर्सेनिक शोधन कार्यक्रम एवं महिलाओं की भूमिका, पश्चिम बंगाल

परिचयः विश्व के कई क्षेत्रों में भूगर्भ जल में आर्सेनिक के संदूषण की घटना एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित पश्चिम बंगाल राज्य भी आर्सेनिक के संदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित है तथा आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित क्षेत्रों की सूची में इसका स्थान बांग्लादेश के बाद आता है जोकि सूची में शीर्ष पर है। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं 1980 के मध्य में प्रकाश में आयीं तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा दस वर्ष बाद अर्थात 1990 के मध्य में प्रकाश में आया। पश्चिम बंगाल में भूगर्भ जल में आर्सेनिक के संदूषण से जल की गुणवत्ता में होने वाला ह्रास एक अत्यन्त गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। पश्चिम बंगाल के पांच जिलों में यह समस्या अत्यन्त गंभीर है तथा चार अन्य जिले इस समस्या से आंशिक रूप से प्रभावित हैं जिसमें कोलकाता भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के नौ जिलों के 79 ब्लॉक जिसका क्षेत्रफल 14255 वर्ग किमी. है तथा जहां पर 16.5 लाख लोग निवास करते हैं, भूगर्भ जल में आर्सेनिक के संदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित पेयजल स्रोतों जैसे कूंए में घुलित आर्सोनिक की सांद्रता अधिकतम मानका इकाई अर्थात 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक पायी गयी है।

बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी **(बी.ई.एस.यू.–बेसू)**, वॉटर फॉर पीपुल, डेनवर, यू.एस. ए. के वित्तीय सहयोग से वर्ष 1996 से इस राज्य में भूगर्भ जल से आर्सेनिक को पूर्ण रूप से हटाने के लिए कार्य कर रहा है। बेसू ने इसके लिए आर्सेनिक शोधन फिल्टर का विकास किया तथा इस कार्य से पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित गांवों में लगभग 150 समुदायों व स्कूलों को लाभान्वित किया। जैसा कि सर्वविदित है, जल संसाधन प्रबंधन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनसहभागिता अत्यन्त आवश्यक है।

जन सहभागिता की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए बेसू ने परियोजना को टिकाऊ बनाने व स्थानीय स्तर पर प्रबंधन के लिए निम्न क्षेत्रों में सहयोग दियाः

- सामुदायिक स्थानों एवं स्कूलों में आर्सेनिक शोधन वॉटर फिल्टर की स्थापना।
- जल समितियों का गठन करके सामुदायिक ढांचे का विकास।
- जल शुल्क को लागू करना।
- स्वास्थ्य जागरूकता शिक्षा एवं समुदाय उन्मुख सहयोग।

भूगर्भ जल में आर्सेनिक संदूशण से सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं तथा इसका निराकरण

आर्सेनिक के कारण सामाजिक समस्याएंः जल में आर्सेनिक की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण जीवन में कई सामाजिक समस्याओं के रूप में परिणामित होता है। कुछ लोग आर्सेनिक प्रभावित गांवों में रहने वाले लोगों से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए तेयार नहीं होते हैं। कभी–कभी आर्सेनिक से संबंधित रोगों से ग्रस्त वैवाहिक महिलाओं को अपने पति के घर से निकाल दिया जाता है तथा उन्हें उनके माता–पिता के घर वापस भेज दिया जाता है। इस रोग से ग्रस्त स्कूली बच्चों को स्कूल में उपस्थित होने से मना कर दिया जाता है। कई बार लोग अज्ञानतावश आर्सेनिक संबंधी रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कुष्ठ रोगी समझकर उसका समाज से बहिष्कार कर देते हैं। मातायें

इस समस्या के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग बच्चों को जन्म देती हैं। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अंचल में रहने वाले कुछ लोगों का मानना है कि आर्सेनिक संबंधी रोग उनके द्वारा पिछले जन्म में किये गये पापों का परिणाम है। इसे गरीबों का रोग भी कहा जा सकता है। क्योंकि गरीब लोग कुपोषण एवं कम जानकारी के कारण इस समस्या से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं।

आर्थिक प्रभावः जल में आर्सेनिक की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है क्योंकि इसके कारण आर्सेनिक प्रभावित व्यक्ति एवं उसके परिवार की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। आर्सेनिक संबंधी रोग के कारण आयी कमजोरी से दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों एवं किसानों को अपनी आय कमाने में काफी परेशानी होती है। आर्सेनिक से ग्रस्त व्यक्ति के वाह्य लक्षण उसे दैनिक जीवन के कार्यों से विरक्त कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हथेली एवं पैर के तलवों में किरैटोसिस के लक्षण हैं तथा वह अपनी आजीविका के लिए कुछ चीजों का क्रय–विक्रय करता है तो ऐसे व्यक्ति से आम आदमी छुआछूत के डर से किसी भी वस्तु का क्रय–विक्रय नहीं करता है जिससे उस व्यक्ति की आमदनी प्रभावित होती है। सामान्यतः गरीब जनमानस ही आर्सेनिक संबंधी रोगों से ग्रस्त होते हैं इसका एकमात्र कारण कुपोषण एवं अधिक मात्रा में दूषित जल का पीना है।

प्रायः यह देखा गया है कि जब महिलायें एवं पुरूष जल प्रबंधन में बराबर की भागीदारी निभाते हैं तो इसका परिणाम बेहतर होता है। जैसे समय, धन एवं ससांधनों, जिसमें मानव संसाधन भी शामिल है, का बेहतर उपयोग; जल उपयोगकर्ताओं की निष्कपट भागीदारी एवं वचनबद्धता में वृद्धि; अपर्याप्त आपूर्ति के संरक्षण के लिए रचनात्मकता में वृद्धि। सम्पूर्ण विश्व में महिलायें ही प्रमुख जल उपयोगर्तायें होती हैं तथा अपने परिवार के लिए पर्याप्त जल एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होती हैं। आर्सेनिक शोधन फिल्टर (ए.एम.ए.एल. फिल्टर) की वर्तमान प्रणाली में आर्सेनिक को हटाने के लिए तीन प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गयाः अ– जागरूकता, ब– मांग, एवं स– भुगतान के लिए इच्छुक।

जल एवं स्वच्छता सुविधाओं तक आसानी से पहुंच के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा इससे महिलाओं व लड़कियों के पास शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर होंगे जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा।

यदि जल की कीमत अधिक हो तथा सेवा दर को पूर्ण रूप से प्राप्त करने हेतु आवश्यक जल दर को उपभोक्ता यदि वहन करने में असमर्थ हों तो ऐसी सेवाओं की दीर्घकालिकता खतरे में पड़ जाती है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाय तो कि ऐसे टिकाऊ जल दर की आवश्यकता है जो उपभोक्ता (सामर्थ्य के संदर्भ में) एवं जल प्रणाली (राजस्व उत्पादन के संदर्भ में) दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।

सामुदायिक सहभागिताः गांव वालों को ''अपनाओं, प्रयोग करो एवं देखभाल करो'' की तकनीकी पर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस परियोजना हेतु समुदाय को वित्तीय सहायता देने की लिए भी प्रोत्साहित किया गया तथा साथ ही साथ उन्हें इस परियोजना में शामिल होने तथा सक्रिया एवं निष्क्रिय रूप से सामुदायिक स्वामित्व प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया गया। सामुदायिक आवश्यकताओं का भी मूल्यांकन किया गया एवं एक गांव के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाने, सामुदायिक सहभागिता को सुदृण करने व टिकाऊपन को प्राप्त करने हेतु एक संयुक्त प्रयास किया गया।

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों को बताने के लिए जल उपचार संबंधी आवश्यकताओं पर एक जागरूकता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने तथा रखरखाव करने के साथ–साथ छोटी–छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षित भी किया गया। बेसू का कार्य प्रणाली में आयी गंभीर तकनीकी समस्याओं को सुलझाना था।

बेसू ने स्थानीय लोगों को आर्सेनिक मुक्त जल एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवायें ही उपलब्ध नही करायीं बल्कि इस व्यवस्था से जल आधारित व्यवसाय करने वाले गरीबों को आमदनी भी प्राप्त हुयी। एकीकृत जल विकास एवं प्रबंधन नियोजन तथा क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु जनसहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। सभी स्तरों पर जागरूकता के बढ़ने से हितधारकों के मध्य विचार–विमर्श में वृद्धि हुयी है तथा इसके लिए अपनाये गये सहभागी तरीकों को समर्थन भी प्राप्त हुआ है। अधिकांश गरीब परिवार आर्सेनिक संबंधी समस्या से अनभिज्ञ थे तथा यदि वे इसके बारे में जानने तथा उपचार करने की आवश्यकता को समझते हैं तो वे डॉक्टरों की चिकित्सा शुल्क का वहन करने में असमर्थ होते हैं। कई शोधकर्ताओं ने यह बताया कि लगभग 6 प्रतिशत लोग (ग्रामीण) ही डॉक्टर की चिकित्सा शुल्क का वहन करने में सक्षम हैं तथा 94 प्रतिशत लोग बहुत मुश्किल से ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए इस प्रकार कि फिल्टर को टिकाऊ स्वरूप देने हेतु ग्रामीणों से विचार–विमर्श अत्यन्त आवश्यक है।

गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों जो आर्सेनिक मुक्त जल की आवश्यकता के प्रति अविश्वास रखते थे, के मध्य इस योजना की आत्मसंतुष्टी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उनका यह मत था कि जब आर्सेनिक संबंधी रोग के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो फिल्टर को लगाने की आवश्यकता हीं नहीं है इससे सिर्फ आर्थिक बोझ ही बढ़ेगा। इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को चलाने के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। जिससे यह छोटा सा आर्थिक बोझ उन्हें आने वाले गंभीर समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है।

केस स्टडीः पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हावड़ा नगर पालिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में दाहारथुबा नामक एक स्थान है। हांलाकि यह क्षेत्र हावड़ा नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है फिर भी यह अति पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर सड़क मार्ग की भी व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग दैनिक मजदूर हैं तथा कुछ अन्य व्यवसायों में भी लगे हुए हैं। अन्य विभिन्न ट्यूबवेल के अलावा बेसू ने इस क्षेत्र के जल का परिक्षण किया। उन ट्यूबवेलों, जहां आर्सेनिक फिल्टर पहले से ही लगा हुआ है, के जल का परीक्षण करने पर पता चला कि इनमें आर्सेनिक की सांन्द्रता निर्धारित सीमा 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर – भारतीय मानक के अनुसार से ज्यादा थी।

आर्सेनिक शोधन फिल्टर का व्यवस्थापनः इस प्रकार के फिल्टर के व्यवस्थापन से पहले की जाने वाली प्रमुख तीन गतिविधियां इस प्रकार हैंः

- **स्थान का चयन एवं जरूरतों का मूल्यांकनः** व्यवस्थापन के प्रथम चरण में स्थान के चयन जिसमें उपयोगकर्ताओं की संभावित संख्या भी शामिल है का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके पश्चात् समुदाय के हितों को पहचानने तथा परियोजना के प्रस्ताव का वितरण कार्य भी किया जाता है। इस कार्य का संपादन स्थान भ्रमण एवं स्थानीय ग्रामीणों के सभी वर्गों, जिसमें निम्न आय वर्ग के सभी समुदाय विभिन्न जाति एवं धर्म की महिलाओं, सामुदायिक नेता व स्थानीय उच्च पदाधिकारी शामिल हैं से साक्षात्कार करके किया जाता है।

- **सामुदायिक सभायें,** जहां स्थानीय हितधारक प्रस्तावित परियोजना से संबंधित अपने मतों को प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात् स्थानीय स्तर पर सभा का आयोजन किया जाता है जहां परियोजना के प्रस्ताव पर पुनः विचार–विमर्श किया जाता है। सामान्यतः ऐसी सभायें ग्रामीण स्तर पर आयोजित की जाती हैं।
- **समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) का विकासः** ग्राम स्तर पर कई सभाओं को करने के बाद एक घोषणा पत्र का विकास हुआ इसके अन्तर्गत यह स्पष्ट था कि समुदाय परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग देगी तथा समुदाय ने समर्थ स्तर पर भुगतान करने की इच्छा भी जताई।

एक बेहतर एवं टिकाऊ फिल्टर निम्न चार बिन्दुओं पर निर्भर करता है तथा दाहारथुब में उनके व्यवस्थापन के समय इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गयाः

- आर्सेनिक शोधन फिल्टर का व्यवस्थापन ऐसे स्थान पर किया गया जोकि ग्रामवासियों के लिए नजदीक एवं उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता था।
- समुदाय के अन्तर्गत सामाजिक ढांचों के विकास हेतु जल समिति का गठन किया गया।
- जल दरों (वॉटर टैरिफ) की आवश्यकता एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभ के विचारों का आदान–प्रदान किया गया।
- प्राप्त अनुदान की पारदर्शिता तथा कार्यकारी समिति व हितधारकों के साथ मिलकर अनुदान का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया गया।

सामाजिक ढांचों का विकासः दाहारथुबा ग्रामवासियों के कुछ लोगों, जिनका नाम सर्वसम्मति से सबके समक्ष रखा गया, को लेकर जल समिति का निर्माण करना प्रथम लक्ष्य था। इस जल समिति का प्रमुख उद्देश्य थाः अ– जल दर का निर्धारण, ब– जल करों का एकत्रण, स– अनुदान के उचित उपयोग की देखरेख, द– फिल्टर इकाईयों एवं हैंडपंपों का रखरखाव, य– फिल्टर इकाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु दिशा–निर्देशों का निर्धारण। दिसम्बर 2004 में ग्रामवासियों एवं बेसू के प्रतिनिधियों (जिसमें लेखक भी शामिल थे) के मध्य एक समझौता हुआ किः क– समिति का चुनाव जल उपयोगकर्ताओं के मध्य से होना चाहिए; ख– समिति की चुनाव प्रक्रिया वार्षिक होनी चाहिए; ग– जल समिति में महिलाओं को शामिल करना व बैठकों में उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए (चूंकि महिलायें घरेलू उद्देश्यों के कारण एक प्रमुख जल उपयोगकर्ता हैं); घ– समिति के सदस्य, स्वास्थ्य जागरूकता एवं आर्सेनिक मुक्त जल की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे; च– लेखा विभाग में पारदर्शिता होनी चाहिए तथा जल उपयोगकर्ताओं को लेखा विभाग में हुए लाभ एवं खर्चों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

फिल्टर के व्यवस्थापन के दौरान ग्रामवासियों को श्रमदान एवं निर्माण सामग्रियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का सहयोग देने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2004–05 में ऐसा एक फिल्टर लगाने की कुल लागत 55 हजार रूपये थी, जिसका वहन वॉटर फॉर पिपुल, डेनवर के वित्तीय सहयोग से बेसू ने किया। एक 11 सदस्यीय जल समिति का गठन हुआ। अध्यक्ष एवं एक सामान्य सदस्य के पद को छोड़कर शेष सभी पदों पर महिलायें ही आसीन थीं। प्रत्येक परिवार के लिए मासिक शुल्क 15 रूपये प्रति कार्ड निर्धारित था। प्रत्येक परिवार को खाना बनाने व पीने के लिए 20 लीटर जल (चार सदस्यों को मिलाकर एक परिवार तथा प्रत्येक व्यक्ति हेतु 5 लीटर पानी का खर्च मानते हुए) का प्रावधान बनाया गया। एक स्थानीय गरीब महिला श्रीमती सुमित्रा डे जिनके पति कई दिनों से रोजगार हेतु बाहर गये हुए थे, को जनवरी 2005 में 700 रूपये मासिक आय पर प्रभारी नियुक्त किया गया। फिल्टर का कार्य आरंभ 26 जनवरी 2005 को हुआ एवं आज यह महिला प्रतिमाह

1100 रूपये प्रतिमाह कमाती है। इस महिला के पति उन घरों को या परिवारों को जलापूर्ति की व्यवस्था करते हैं जिनके पास जल को एकत्र करने का साधन नहीं होता है। इसके लिए उन्हें मासिक भुगतान भी किया जा रहा है। आज इस महिला का परिवार प्रतिमाह 5500 रूपये कमा रहा है जिससे इनके जीवन स्तर एवं आजीविका में सुधार हुआ है। महिला सदस्यों के सक्रिय प्रतिभाग के कारण जल समिति 75000 रूपये से अधिक धन को बैंक में जल समिति के नाम से एकत्र करने में सक्षम हुआ है। उन्होनें आर्सेनिक शोधन इकाई को सजाकर उस पर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता संदेश भी लिखे। जल समिति द्वारा ही सभी निर्णय लिये जाते हैं तथा चूंकि आर्सेनिक शोधन इकाई को पूरे दिन नहीं चलाया जा सकता है इसलिए उसे चलाने व बन्द रखने का समय भी जल समिति ही निर्धारित करती है।

सफलता के प्रमुख बिन्दुः

- जनजागरूकता में वृद्धि तथा निर्णयन प्रक्रिया में सभी हितधारकों के प्रतिभाग दर में वृद्धि, जल संबंधी मुद्दे, उन लोगों के व्यवहार से नजदीकी से जुड़े रहते है जो उस संसाधन का उपयोग करते हैं। जल संबंधी मुद्दों की स्थिति पर जनता की सोच को जाने बिना नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य अप्रभावी रहते हैं। एकीकृत जल विकास एवं प्रबंधन, नियोजन तथा क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जन सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। सभी स्तरों पर जागरूकता के बढ़ने से हितधारकों के मध्य विचार–विमर्श में वृद्धि हुयी तथा परियोजना को चलाने के लिए अपनाये गये सहभागी तरीके को समर्थन भी प्राप्त हुआ।

  बेसू फिल्टर व्यवस्थापन कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अवयव को भी शामिल किया गया। इसके अन्तर्गत परियोजना के आरंभिक चरणों में स्वास्थ्य शिक्षक क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते थे। हांलाकि आर्सेनिकोसिस से बचाव संबंधी जानकारी देना प्राथमिक विषय था फिर भी अन्य स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे जल का रखरखाव एवं एकत्रण, भण्डारण, हाथ धोने की आवश्यकता इत्यादि को भी बताया गया। जल उपयोगकर्ताओ, समिति के सदस्यों एवं स्वास्थ्य शिक्षकों ने यह बताया कि घर–घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने से शिक्षा संबंधी प्रयास को भी मजबूती मिली। चूंकि बेसू ने स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार करने हेतु महिलाओं को नियुक्त किया था इसलिए ग्रामवासियों ने उनको सहर्ष स्वीकार किया तथा इसका परिणाम भी सार्थक निकला। समय–समय पर जागरूकता कैंप का आयोजन भी किया जाता है जहां चलचित्रों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।

- नीतियों के क्रियान्वयन में क्षमता विकास को प्रोत्साहन; नियोजन एवं प्रबंधन, उचित प्रणाली के अभाव में अप्रभावी होता है। उदाहरण के लिए यह देखा गया है कि जल सेवा संबंधी सुविधाओं के रखरखाव से संबंधित तकनीकी योग्यता के अभाव में जल सेवाओं के प्रावधानों का हनन हुआ है। नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित सभी पहलुओं को मजबूती प्रदान करने के लिए क्षमता विकास अत्यन्त आवश्यक है। जल समिति द्वारा मासिक शुल्क का निर्धारण होता है तथा जन समुदाय की ओर से मासिक शुल्क एवं चिकित्सा संबंधी खर्चों के विवरण के साथ इसे अंतिम रूप से प्रमाणित भी किया जाता है।

निष्कर्षः उपरोक्त केस स्टडी से यह पता चलता है जहां एक ओर जल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है ठीक उसी समय इसे राजनीतिक हस्तक्षेपों से दूर रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सतत जागरूकता अभियानों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जन मानस की स्वीकृति को भी महत्ता देनी चाहिए। हम कन्फ्यूशियस के

दार्शनिक विचार का समर्थन करते हैं जिसमें कहा गया है कि *''यदि आप एक भूखे आदमी को एक मछली देते हैं तो समझिये आपने उसे एक दिन का खाना दे दिया। परन्तु यदि उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो समझिये आपने उसे जीवन भर के लिए खाना दे दिया।''* यदि लोगों को साफ एवं स्वच्छ पेयजल के लाभों के बारे में शिक्षा दी जा रही है तो वे स्वाभाविक तौर पर शिक्षण प्रक्रिया में विश्वास करने लगेंगे।

हम उन समुदायों को कभी भी एकजुट नहीं कर पायेंगे जहां जातिगत भेदभाव या राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा हो। फिर भी हमने वृहद् स्तर पर एक अच्छे कार्य के लिए लोगों को एकजुट किया।

अधिक जानकारी के लिए

- शोधकर्ता से संपर्क करें;
  देवब्रत घोष, पर्यावरण अभियंता, बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी।
  ई–मेलः ghoshdebabrata46@gmail.com

भारतः
समय के साथ बदलती सोच

परिचय

भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के मध्य तिरछी रेखा के रूप में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला शुष्क पश्चिमी थार मरूस्थल के विस्तार को रोककर पूर्वी नमी युक्त क्षेत्रों को अलग करता है। जहाँ एक ओर राज्य के पश्चिमी भाग में जल की कमी रहती है तो दूसरी ओर राज्य के पूर्वी भाग में अनेक नदियां के बहाव के कारण जल प्लावन का सामना करना पड़ता है। राज्य में इन दो विपरीत परिस्थितियों से यहाँ के निवासी चिर–परिचित है एवं स्थितिनुसार अपनी जीवनशैली जीते हैं। वर्तमान में राज्य की स्थितियों में अनपेक्षित परिवर्तन हुआ है जिसे आम इंसान समझ नहीं पा रहा है या फिर यह कहें कि बदलती परिस्थितियों को अपनाने हेतु मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाया है। एक ऐसे ही बदलाव के सफल प्रायोगिक कार्य को पर्यावरण एवं प्रकृति के क्षेत्र में कार्यरत संस्था राजपुताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने राजस्थान के भरतपुर जिले में उदाहरणार्थ लिया और कर दिखाया।

मुद्दे की महत्ता

राजस्थान के उत्तर–पूर्वी कोने में स्थित भरतपुर जिले को राज्य का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। तीन नदियों – रूपारेल, बाणगंगा व गम्भीरी – के बहाव क्षेत्र में स्थित भरतपुर यमुना नदी की बाढ़ के जलीय फैलाव की समतल भूमि का निर्माण करता है। भरतपुर की प्रजा को बाढ़ की मार से निजात दिलाने हेतु उन्नीसवीं शताब्दी में यहाँ के तत्कालीन शासक ने अंग्रेजी अभियांत्रिकों की सहायता से एक सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था करी। विश्व धरोहर व रामसर चिह्नित नमभूमी केवलादेव–घना राष्ट्रीय उद्यान की रचना भी इसी व्यवस्था की देन है। मानवीय क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप अनेक बदलाव आये। शहरीकरण व विकास की अंधी दौड़ ने नदियों के बहाव का रूख बदल दिया या रोक दिया। ऊपर से जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की कमी ने स्थितियों को और बिगाड़ दिया। 1980 के दशक में रूपारेल व बाणगंगा ने भरतपुर से मुख मोड़ लिया। इस समय तक गम्भीरी नदी ने भरतपुर की धरती के जल की आवश्यकता को कायम रखा। परन्तु इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ में गम्भीरी नदी पर स्थित पांचना बांध की ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही इसके बहाव ने भी भरतपुर का साथ छोड़ दिया। यहीं से शुरू होता है ब्रज क्षेत्र की इस भूमि के जल संकट का दौर। भरतपुर के लिये वर्तमान में ''पानी,, पानी,, सब जगह पानी,'' के स्थान पर ''पानी,, पानी,, कहाँ है पानी,'' कहना गलत नहीं होगा। जहाँ पानी की मार से लोग त्रस्त थे वे ही अब पानी की बूंद–बूंद को पाने के लिये तरस रहे हैं। दुख इस बात का है कि पानी की समस्या का स्वयं अथवा सामुदायिक स्तर पर निवारण करने के बजाय आमजन सरकार या स्थानीय प्रशासन की तरफ हाथ फैलाये खड़ा है। इन सबके अलावा भरतपुर में जातिगत भेदभाव भी बहुत अधिक है जोकि आज भी विद्यमान है। घरेलू कार्यों हेतु जल को एकत्र करने का कार्य महिलायें करती थीं जो इस बात से अनभिज्ञ थीं कि उन्हें कब तक पानी की एक बूंद के लिए कई मीलों का सफर तय करना पड़ेगा।

इस परिस्थिति से लोगों को मुक्त करने के उद्देश्य से राजपुताना सोसायटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री (आर.एस.एन.एच.) जोकि प्रकृति संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत् एक गैर सरकारी संगठन है ने प्रोजेक्ट बूंद–IV की शुरूआत की। आर.एस.एन.एच. का प्रमुख उद्देश्य भरतपुर के घर–घर तक साफ एवं सुरक्षित जल को पहुँचाना था। आर.एस.एन.एच. द्वारा आरंभ किये गये प्रोजेक्ट बूंद को तेल औद्योगिक विकास बैंक (ओ.आई.डी.बी.) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की ड्राउट रिलीफ ट्रस्ट द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त थी। इस परियोजना के अन्तर्गत जल

समस्याओं के समाधान हेतु दानदाता एजेन्सी ने क्रियान्वयनकर्ता संगठन का चयन किया। प्रारंभ में यह कार्य महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। यह प्रोजेक्ट बूंद का चौथा चरण था जिसे राजस्थान में तेल औद्योगिक विकास बैंक के डी.आर.टी. एवं बी.पी.सी.एल. द्वारा वित्तीय सहायता से लागू किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत जल संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए दानदाता एजेन्सी क्रियान्वयनकर्ता एजेन्सी का चयन करती है।

केस स्टडी

भरतपुर में जल की समस्या को दूर करने के लिए आर.एस.एन.एच. को प्रोजेक्ट बूंद–IV को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुना गया। इसके लिए सर्वप्रथम राजपुताना सोसायटी ने भरतपुर गांव के प्रत्येक घर में जाकर जल संबंधी लोगों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया तथा आमजन की इस सोच को बदलने का बीड़ा उठाया। विगत् दो वर्षों से भरतपुर की 7 तहसील में से 4 तहसील की सैकड़ों गाँव में घूम–घूम कर जागरूकता लाने की कोशिश का कार्य अब भी किया जा रहा है। जागरूकता हेतु बच्चों, शिक्षकों, गाँव की महिलाओं को सर्वप्रथम लक्ष्य समूह के रूप में लिया गया। सभाओं एवं प्रश्नपत्र सर्वे के माध्यम से सोसायटी के युवा दल ने अपना संदेश जन–जन तक पहुंचाया।

इसके अतिरिक्त जागरूकता के प्रचार–प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक, चलचित्र, व्याख्यान, प्रकृति एवं पर्यावरण संबंधी दिवसों को मनाने इत्यादि जैसी प्रमुख गतिविधियां भी की गयीं। इन सभी गतिविधियों में सबसे प्रमुख बात यह है कि इन सबमें बच्चों व महिलाओं की भागीदारी का पूर्ण ध्यान रखा गया। गांव में कार्य करने वाले लोगों में 70 प्रतिशत महिलायें ही थीं। इस परियोजना से अचलपुरा ग्राम का समुदाय विशेषकर महिलायें ज्यादा लाभान्वित हुयीं। उन्होने न केवल जल संबंधी समस्याओं को सुलझाया बल्कि अपने लिए आय के स्रोत का भी सृजन किया। जो कि ग्रामीण महिलाओं के लिए असंभव कार्य था। महिलायें यह जानती थीं कि प्रोजेक्ट बूंद का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही हो रहा है क्योंकि अब उन्हें साफ एवं स्वच्छ जल को एकत्र करने के लिए लम्बी दूरी नहीं तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि इस परियोजना से जुड़े लगभग सभी प्रकार के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक 70 प्रतिशत थी। इस परियोजना के व्यवस्थापन एवं क्रियान्वयन मे कुल 22 लाख रूपये खर्च हुए। परियोजना संबंधी ढांचों के निर्माण में लगभग 10 लाख का खर्चा हुआ वहीं दूसरी ओर 7 लाख रूपये मजदूरों को उनकी आमदनी देने में खर्च हुई। इस परियोजना की समय सीमा 6 महीने थी जिसमें से प्रारंभ के 2 महीनों मे केवल लोगों को जागरूक कर उनका क्षमता विकास किया गया। परियोजना की सफलता का श्रेय प्रमुख रूप से आर.एस.एन.एच. टीम को जाता है। आर.एस.एन.एच. टीम की बागडोर भी महिला के ही हाथों में थीं जिनका नाम श्रीमती सरिता मेहरा है। इस टीम में एक अन्य महिला विशेषज्ञ भी थीं जिनका नाम डॉ. रितु सिंह है। इन दोनों विशेषज्ञों के अतिरिक्त डॉ. अजीत एस. गोखले, प्रो. के. के. शर्मा एवं सत्यप्रकाश मेहरा जी भी संगठन के विशेषज्ञ एवं प्रबंधन टीम में थे। इन सबके अलावा सुश्री सोनाली सिंह, श्री जयकांत सैनी, श्री हरिबाबू सैनी एवं श्री हिम्मत कुम्हार भी इस परियोजना टीम के सदस्य थे।

क्या सफल रहा और क्यों?

अचलपुरा गांव में नीचली जाति की 90 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहां के ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय मजदूरी है जोकि बाजार में दैनिक वेतन पर मजदूरी करते हैं। इनमें से कुछ लोग कृषि का कार्य करते हैं जोकि मानसून पर आधारित है। नागलां मलिया गांव में केवल में पिछड़ी जाति के लोग ही रहते थे जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। खेती करने के कारण इनकी निर्भरता भी जल पर अधिक थी। परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन दोनों गावों के लोगों को कई बैठकों के बाद चुना गया। आर.एस.एन.एच. टीम के सदस्य यह जानते थे कि इन दोनों गांवों में जातिगत भेदभाव बहुत अधिक है। जहां एक ओर अचलपुरा गांव में मिश्रित

जाति के लोग रहते हैं वहीं दूसरी ओर नगला मलिया गांव में एक ही जाति के लोग निवास करते हैं। इस कठिन परिस्थिति में कार्य करने के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए आर.एस.एन.एच. ने इन दोनों गांवों का चयन किया।

आर.एस.एन.एच. की टीम ने यह पाया की भरतपुर क्षेत्र में जाति के आधार पर संसाधनों का विभाजन किया गया था। यहां तक की इस क्षेत्र के गांव में कूंओं एवं बोरवेल का विभाजन भी जाति के आधार पर था। आर.एस.एन.एच. ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा लोगों को जागरूक करने का कार्य प्रारंभ किया। नागला मलिया गांव में जातिगत समस्यायें नहीं थीं परन्तु अचलपुरा गांव में यह एक गंभीर समस्या थी। आर.एस.एन.एच. की टीम ने यह योजना बनाई कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के क्षेत्र में जाकर परियोजना संबंधी ढांचों का निर्माण करेंगे। यह योजना कारगर सिद्ध हुयी। इसके बाद आर.एस.एन.एच. ने विचार किया कि जब वे एक ही लक्ष्य को पाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो यही अवसर है कि उनके मध्य पनप रहे जातिगत दुर्भावना को भी खत्म कर दिया जाए। आर.एस.एन.एच. की टीम ने लोगों को बताया कि समस्या का समाधान करने के लिए हमें एवं आप सभी को आपस में मिलकर कार्य करना होगा। प्रोजेक्ट बूंद का सबसे ज्यादा प्रभाव युवाओं पर पड़ा। इस परियोजना में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि गांव के बच्चों ने ही अपने माता–पिता को जातिगत भावना से उपर उठकर एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। आर.एस.एन.एच. ने बच्चों के साथ मिलकर कई सभाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया। सोसायटी ने बच्चों को बताया कि यदि आज इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में यह समस्यायें अत्यन्त गंभीर हो जायेगीं ओर इनका सामना आपको व आने वाली भावी पीढ़ियों को करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से महिलाओं को काफी लाभ पहुंचा है क्योंकि इससे उन्हें अब गांव में ही अपने समस्त कार्यों हेतु पानी मिल जाता है। इस परियोजना से ग्रामीणों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हुयी जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। इस कार्य से सबसे महत्वपूर्ण सीख यह मिली कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय का अधिकार है। पहले ग्रामीण यह सोचते थे कि सरकारी जलापूर्ति एवं बोरवेल ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो उनकी समस्याओं का समाधान करने में सार्थक है बाकी सभी प्रयास निरर्थक होते हैं। प्रोजेक्ट बूंद के समापन के बाद अब ग्रामीणों को पहली मानसून का इंतजार रहता है। अब वे ऐसा सोचते हैं कि एक बार मानसून आया तो उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा। वारिश में बेकार बह जाने वाला जल अब उपयोगी हो गया। पारंपरिक पोखर के माध्यम से वर्ष भर जल मिलता रहेगा। सतही जल के पारगमन से भूगर्भीय जल का पुर्नभरण होगा। जिससे इस क्षेत्र में व्याप्त लवणीयता की समस्या का समाधान हो जायेगा।

क्या सफल नहीं रहा और क्यों?

आर.एस.एन.एच. को ऐसा विचार था कि इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरूष सक्रिय भागीदारी निभायेंगे परन्तु इसके विपरीत केवल महिलाओं एवं बच्चों ने ही इसमें अपनी रूचि दिखाई। इसके अतिरिक्त आर.एस.एन.एच. ने जातिगत् दुर्भावना को समाप्त करने का प्रयास तो किया परन्तु इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुयी। प्रोजेक्ट बूंद के समापन के पश्चात हमने पाया कि कुछ लोग इस परियोजना के बारे में नकरात्मक विचार भी लिये हुए थे। ये लोग वे थे जो न केवल उच्च जाति वर्ग के थे बल्कि इसमें से कई निम्न जाति वर्ग के सदस्य भी थे। इन्होने परियोजना संबंधी कार्यों को रोकने का प्रयास भी किया। इन सब कार्यों के पीछे एकमात्र ईर्ष्या की भावना थी। इनमें से कई लोगों ने अपने प्रभाव व शक्ति का प्रयोग करके परिवार के मुखिया को भ्रम में डालने या भ्रमित करने का प्रयास भी किया। आर.एस.एन.एच. ने पाया इन सब लोगों को सामुदायिक कार्यों में शामिल न कर पाना ही सबसे बड़ी भूल थी।

निष्कर्ष

प्रोजेक्ट बूदं–IV के माध्यम से आर.एस.एन.एच. की टीम को यह पता चला कि भारत में जातिगत भेदभाव बहुत अधिक है। हांलाकि यह भेद–भाव की भावना आम आदमी के मन मस्तिष्क में नहीं होता है बल्कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इनके मन मस्तिष्क में यह दुर्भावना उत्पन्न की जाती है। यह व्यक्ति कोई राजनेता हो सकता है, गांव का कोई धनाढ्य व्यक्ति हो सकता है इत्यादि। जनजागरूकता के माध्यम से ही इस समस्या का शोधन संभव है। इसके अतिरिक्त टीम को यह भी पता चला कि यदि किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय समस्याओं मुख्यतः जल संबंधी समस्याओं का शोधन करना है तो वैज्ञानिक समुदाय को सबसे पहले उस स्थान विशेष के पारंपरिक विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए जो कि प्रकृति में विद्यमान है।

यह परियोजना जल संबंधी समस्याओं को सुलझाने के प्राकृतिक तरीकों पर आधारित था। इस परियोजना के संचालन के दौरान स्थान विशेष की प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया व साथ ही साथ जल के प्राकृतिक बहाव को भी कोई हानि नहीं पहुंचाई गयी। इस परियोजना के माध्यम से अनुपयोगी बेकार बह जाने वाले जल को उपयोगी बनाया गया। इस कार्य को पूर्ण करने के साथ ही ग्रामवासियों की सोच में परिवर्तन देखने को मिला। जो यह सोचते थे कि सरकारी पाईपलाइन व बोरिंग से ही जल की आवश्यकता पूरी हो सकती है उनका ही यह मानना है कि जल संरक्षण एवं संवर्द्धन द्वारा स्वयं व समुदाय के छोटे–छोटे स्तर पर कार्य करके भी जल समस्या का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हमें यह मानना चाहिए कि जिस प्रकार बूंद–बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को जल आन्दोलन के कलश को भरने हेतु एक बूंद के समान बनना होगा। आज ग्रामवासियों में से ही कुछ युवा सोसायटी के इन कार्यों से जुड़ गये हैं जो अपने गांव के प्रयास को अन्य गांवों तक ले जाने में आर.एस.एन.एच. की मदद कर रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिएः

- शोधकर्ता से संपर्क करेः प्रकाश मेहरा, प्रबंधक, प्रोजेक्ट बूंद, राजपुताना सोसायटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ई–मेलः spmehra@yahoo.co.in
- प्रोजेक्ट बूंद के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://rsnhudr.org

भारतः
सामूहिक प्रयासों से दूर की पानी की समस्या, उत्तराखण्ड

नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लाक मे स्थित है ग्राम घूना जोकि पूर्ण रूप से दलित गांव है। गांव की आवादी 411 है। तथा गांव का प्रमुख व्यवसाय कृशि तथा पशुपालन है।

वर्श 1999 मे सैंणियों का संगठन द्वारा गांव मे महिला षसक्तिकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को लेकर कार्य आरम्भ किया गया। संस्था द्वारा अपने सभी कार्यक्रमों कों महिला केन्द्रित बनाते हुयें गांव मे महिला समूह का निर्माण किया ताकि समस्त गतिविधियों का संचालन महिला समूह के माध्यम से किया जा सके। गांव मे लगातार सम्पर्क और बैठकों के दौरान समूह की महिलाओं ने संस्था के कार्यक्रमों को लेकर अपनी समझ विकसित की इन बैठकों मे बचत कार्यक्रम , महिला मुददों तथा गांव की समस्याओं पर चर्चा आरम्भ की गयी। समूह चाहता था कि वह गांव मे ऐसा कार्य करे जो गांव के लिये चुनौती पूर्ण हों और जिससे महिला समूह एक ताकत के रूप मे उभर सके।

गांव की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुये समूह ने अपने गांव मे मौजूद पेयजल की समस्या को दूर करने का निष्चय किया । जिसके लिये गांव से दूर स्थित जल श्रोत से गांव मे पानी का टैक निमार्ण कर पानी को गांव तक पहुंचाने की योजना बनायी गयी योजना निर्माण के दौरान रेता, बजरी ,सिमेण्ट सरिया तथा नलों की आवष्यकता निकलकर आयी जिसके लिये समूह ने तय किया कि वे रेता बजरी पत्थर तथा लेबर की व्यवस्था स्वयं गांव से ही करेंगें। मुख्य समस्या पाइप तथा नलों की थी।

इस समस्या को दूर करने के लिये महिलाओं ने गांव बचत आरम्भ की परन्तु पाईप खरीदने के लिये बड़ी रकम चाहिये थी अतः महिलाओं की यह योजना धन की कमी के कारण बीच मे ही रूक गयी और वे निराष भी हो गयी ,परन्तु समूह ने हार नहीं मानी और हमेषा इसके लिये उपाय भी सोचती रही और उन्होंने पाईप की समस्या के लिये जिम्मेदारी लेते हुये ग्राम सभा की गांव मे बेकार पड़ी हुई पुरानी पाईप लाईन को समूह को सौपने के लिये ग्राम सभा की बैठक मे प्रस्ताव रखा तथा विकास खण्ड कार्यालय एंव जल संस्थान से सम्पर्क कर संस्था की मदद से काफी प्रयासों के बाद इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली और सामूहिक रूप से एक हजार फिट की लाईन को उखाड़ा गया जिसके लिये समूह ने श्रमदान/अषंदान भी किया इसके अतिरिक्त अतिरिक्त टैक निमार्ण को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये समूह ने अपनी इस समस्या को संस्था के पास भी रखा, जिसके लिये संस्था ने सिमेण्ट तथा लोहे की मदद की इस प्रकार समूह तथा संस्था के सामूहिक प्रयासों से गांव मे पेयजल की लाईन तथा टैक का निमार्ण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका और इस प्रयास से महिला समूह की अपने गांव के साथ–साथ अन्य गांवों मे भी पहचान बनी है।

समूह का प्रयास यही समाप्त नहीं हुआ गांव मे होने वाले विवाद ,झगड़े षराब तथा हिंसा जैसी बुराईयों को समूह के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। जिसके अर्न्तगत गांव मे उठे महिला हिंसा के मामलों को समूह की मदद से सुलझाया गया है। षराब तथा जंगल के मुददे पर ठेकेदार तथा बिचौलियों से सीधी लड़ाई की और इस समस्या को गांव से दूर किया है।

इंडोनेशियाः
एक्वा डैनोन एडवोकेसी प्रोग्राम में महिलाओं की भागीदारी – क्लातेन जिले की केस स्टडी, केन्द्रीय जावा

चुनौतियाँ

वर्ष 2002 में इंडोनेशिया में जावा स्थित क्लातेन जिले में ऐक्वा–डैनोन द्वारा एक बोतलबंद पानी का कारखाना खोला गया। कम्पनी सिजेडैंग झील से 20 मीटर दूर स्थित एक झील से जल की बहुत बड़ी मात्रा को निकालती है, यह उस क्षेत्र का प्राथमिक जल स्रोत है। प्रत्येक महीने, इस संयत्र से 15–18 मिलियन लीटर बोतलबंद पानी का उत्पादन होता है, जिसके परिणामस्वरूप जिले में जल आपूर्ति में कमी आयी है। इस संयंत्र के खुलने के समय से ही यहाँ के समुदाय ने, जिसमें अधिकांशतः किसान हैं, सिंचाई हेतु जल की मात्रा में कमी का अनुभव किया है और उनके कुँए सूखने लगे हैं। सिंचाई उद्देश्यों के लिए भूजल के उपयोग के कारण सामुदायिक कुँए सूख गये हैं। कुछ किसानों को मजबूरीवश खेती का कार्य बंद करना पड़ा है और उन्हें निर्माण कार्य या बाजार में कार्य करने वाले श्रमिकों के रूप मे कार्य करना पड़ रहा है।

कार्यक्रम / परियोजनाएँ

इन जल–संबंधी समस्याओं की प्रतिक्रियास्वरूप समुदाय के सदस्य वर्ष 2003 में के.आर.ए.के.ई.डी. (क्लातेन पीपुल्स कोलिशन फॉर जस्टिस) को स्थापित करने के लिए एकजुट हुए। सांस्कृतिक मूल्यों को कठोरता से पालन करने के बावजूद, इस संगठन ने क्लातेन की महिलाओं को संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया। के.आर.ए.के.ई.डी. का मुख्य उद्देश्य क्लातेन में ऐक्वा–डैनोन संयंत्र को बंद करवाना था; उनका दूसरा उद्देश्य इसके द्वारा किये जा रहे पानी के दोहन की दर को कम करना और एक सामुदायिक अनुश्रवण प्रणाली स्थापित करना था।

समुदाय में महिलाएँ गृहस्थी और अन्य कार्यों के लिए जल का नियमित प्रयोग करती हैं। महिलाएँ अपने पिता, पति, और भाइयों द्वारा लिए गये मुख्य निर्णयों में भागीदारी करने के साथ–साथ पारंपरिक भूमिका भी निभाती हैं। इस मामले में, के.आर.ए.के.ई.डी. में शामिल महिलाएँ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अत्यधिक प्रेरित थीं और ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त संभावनाएं भी थीं। पहले आयोजित हो चुकी सभाओं में उनकी भूमिका केवल अन्य सदस्यों के लिए भोजन और पेयजल प्रदान करने तक सीमित थी। यद्यपि, के.आर.ए.के.ई.डी. ने ऐक्वा–डैनोन के क्लातेन स्थित संयत्र के प्रभाव की बेहतर तस्वीर पाने के लिए एक शोध परियोजना की शुरूआत की। इस परियोजना में स्थानीय सरकार और संसद के सदस्य, पत्रकारों और ऐक्वा–डैनोन के कर्मचारियों की भूमिकाओं को लक्ष्य बनाया गया। के.आर.ए.के.ई.डी. ने अपने प्रत्येक सदस्य को जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों को जल की कमी के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान और जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।

परिणाम / निष्कर्ष

सूचना, जुटाव और क्षमता विकास

- के.आर.ए.के.ई.डी. के सूचना आदान–प्रदान विधि द्वारा अधिक से अधिक सामुदायिक सदस्य जल की कमी से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक हुए। स्थानीय समुदाय के साथ उनके मेल–जोल के कारण परियोजना का कार्य सुचारू रूप से संचालित हुआ; और
- प्रतिभागियों के मध्य अन्य हितधारकों के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने संबंधी योग्यता में वृद्धि।

समर्थन कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रभावः

- स्थानीय सरकार, स्थानीय संसद और ऐक्वा–डैनोन जैसे हितधारकों ने अपनी सभाओं और विचार–विमर्शों में के.आर.ए.के.ई.डी. को शामिल करना शुरू कर दिया; और
- 7 मार्च 2005 को, के.आर.ए.के.ई.डी. की दूसरी वर्षगांठ पर स्थानीय संसद ने ऐक्वा–डैनोन के जल निष्कर्षण लाइसेंस को पुनर्मूल्यांकित करने के लिए कहा। लाइसेंस जल्दी ही समाप्त हो जायेगा और कम्पनी निष्कर्षण दर की बढ़ी मांग के साथ नये लाइसेंस की माँग कर रही है। इसके फलस्वरूप, संसद द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए दिये गये अनुरोध ने के.आर.ए.के.ई.डी. की ओर से प्रचार–प्रसार के साथ–साथ प्रतिक्रियायें भी प्राप्त कीं।

सूचना के प्रसार में जेण्डर पहलुओं पर शोधः

- इस प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के साथ–साथ व्यापक श्रोताओं तक के.आर.ए.के.ई.डी. की पहुँच को सुदृढ़ बना दिया। महिलाओं और पुरूषों द्वारा सूचनाओं के आदान–प्रदान करने के तरीकों में बेहतर पारदर्शिता आई और यह भी पता चला कि किस प्रकार ये भिन्नताएं जानकारी बढ़ाने के लिए लाभदायक हैं; और
- सामान्य रूप से महिलाएँ अपने परिवारों अपने परिवारों में और अनौपचारिक नेटवर्क के द्वारा सूचनाएँ फैलाने में ज्यादा प्रभावशाली रहीं और पुरुषों ने अपने परिवारों से बाहर और औपचारिक नेटवर्क के द्वारा सूचनाएँ फैलायीं।

महिलाओं का कौशल विकास और सशक्तिकरणः

- पक्ष समर्थन कार्यक्रम में भागीदारी से महिलाओं के आत्मविश्वास और कुशलता में वृद्धि हुयी है। उन्होने शोधों को आयोजित करना, पक्ष समर्थन से संबंधित सूचनाओं का आदान–प्रदान करना और अन्य सदस्यों के साथ प्रभावी रूप से मामलों पर विचार–विमर्श करना सीख लिया है;
- समुदाय में महिलायें जल संसाधन संबंधी मुद्दों के प्रति अत्यधिक जागरूक हो गयी हैं और वे जल की महत्ता को बेहतर ढंग से सराहने लगी हैं तथा प्रभावी तरीके से इसका उपयोग करना भी सीख गयी हैं। वे जेण्डर असंतुलन से संबंधित मामलों के बारे में और इस स्थिति को सुधारने से संबंधित कार्य करने के प्रति प्रेरित भी हुयी हैं;
- पक्ष समर्थन परियोजना में शामिल महिलायें अब उन पक्ष समर्थन और शोध गतिविधियों में भाग लेने में ज्यादा रूचि रखती हैं जिसमें उन्हें पुरूषों के समान ही बराबर का अवसर प्राप्त हो; और
- के.आर.ए.के.ई.डी. के पुरुष सदस्यों ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि महिलाएँ और पुरुष दोनों ही ऐक्वा–डैनोन के संयंत्र के नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित हैं, इसलिए दोनों को पक्ष समर्थन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

सफलता के प्रमुख कारक

संगठनात्मक कार्य में पूर्व का अनुभवः

- अधिकतम भाग लेने वाली महिलाएँ, महिलाओं से संबंधित उन लघु उद्यम नेटवर्क की भी सदस्या थीं जिसने क्लातेन में महिलाओं की सहभागिता को सफलतापूर्वक स्थापित किया।

महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता या वित्तीय सेवाओं तक पहुँचः

- के.आर.ए.के.ई.डी. की महिला सदस्य क्लातेन की अधिकतम महिलाओं, जो घरों में कार्य करती हैं और गृह स्वामीनियाँ हैं, से भिन्न थीं क्योंकि उनके पास अब अपना स्वयं का लघु उद्यम है।

परिवार और पुरुष सामुदायिक सदस्यों से समर्थनः

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी की महिलाओं के पारिवारिक सदस्य घरेलु कार्यों में हाथ बंटाने के लिए तैयार थे जिससे उन्हें पक्ष समर्थन गतिविधियों के लिए ज्यादा समय मिल सका; और
- के.आर.ए.के.ई.डी. के पुरुष सदस्य, महिलाओं को पक्ष समर्थन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान कराना चाहते थे और महिलाओं को सहयोगी के रूप में देखते थे।

सभी सामुदायिक सदस्यों के द्वारा मूल्यांकनः

- आँकड़ों का एकत्रीकरण मुख्यतः फोकस समूहों से परिचर्चा द्वारा विभिन्न सामुदायिक हितधारकों जो इस कार्यक्रम में शामिल थे या नहीं, दोनों के साथ विस्तृत साक्षात्कार करके किया गया। कार्यक्रम की रिपोर्ट का प्रयोग परियोजना की पृष्ठभूमि से सूचना प्राप्त करने के लिए भी किया गया।

मुख्य अवरोध

- शुरू में के.आर.ए.के.ई.डी. में जिम्मेदारियों का विभाजन जेण्डर पर आधारित नहीं था। महिलाएँ केवल सेवा के लिए और विचार–विमर्श स्तर पर ही भाग लेती थीं तथा उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल भी नहीं होती थीं; और
- इस परियोजना का एक नकारात्मक पहलू यह है कि महिलाएँ ज्यादातर समय पक्ष समर्थन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में खर्च करती हैं, जिससे उनके व्यवसाय पर असर पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप उनकी आमदनी कम हो गयी।

परियोजना का भविष्य

यह अध्ययन निर्देशित करता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जटिल विधियों से बने विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभाग करने के शुरूआती अवसर प्रदान करने से ही महिलाओं और पुरुषों को सशक्त किया जा सकता है। पक्ष समर्थन संगठन एक महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करते हुए आरंभ कर सकता है कि हितधारकों के साथ सभी मुख्य सभाओं में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति हो और महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण और पुरुषों को जेण्डर–अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस क्षेत्र में ऐक्वा–डैनोन के संयंत्र के प्रभाव पर शोध आयोजित करने के बाद, महिलाएँ पक्ष समर्थन प्रक्रिया में अपनी भूमिकाओं को जारी रखने और उसके विस्तार संबंधी प्रक्रिया को करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित हैं।

अधिक जानकारी के लिएः

- शोधकर्ता से संपर्क करें:
  नाइला ऐरधिएनाई: n_ardhianie@yahoo.com
- क्लातेन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखें:
  http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/klaten_aqua/

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

इंडोनेशिया
महिला सहभागिता एवं जल प्रबंधन, जावा

इंडोनेशिया के जावा में बढ़ती हुई जनसंख्या और धान के 70 प्रतिशत खेतों के लिए सिंचाई हेतु बढ़ रही जल की मांग से वर्ष 2020 तक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इस द्विप की जलग्रहण क्षमता खत्म होने के कगार पर पहुँच गयी है। वर्ष 1990 के आरंभ मे टैंगेरैंग में सिडुरियन अपग्रेडिंग एण्ड वॉटर मैनेजमेण्ट प्रोजेक्ट ने परियोजना के नियोजन में महिला किसानों को शामिल करने के लिए एक पारित कार्यक्रम आयोजित किया। तब यह स्पष्ट हो गया कि जल संबंधी परियोजनाओं में महिलाओं की सहभागिता में कमी, जल प्रबंधन परियोजना को सफल बनाने में बाधा डाल रही है।

इंडोनेशियाई महिलाओं ने चावल के उत्पादन में पारंपरिक तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर भी महिला किसानों को सिंचाई विकास की सभी आवश्यकताओं में बहुत कम ही शामिल किया गया है। 1990 के शुरूआती दशकों में सिडुरियन अपग्रेडिंग एण्ड वॉटर मैनेजमेण्ट प्रोजेक्ट के द्वारा आयोजित सर्वेक्षण से यह स्पष्ट था कि वास्तव में महिलायें ही सिंचाई प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थीं। यह वहीं थीं जिन्होने सिंचाई जल के अवैधानिक निष्कर्षण को रोकने के लिए खेतों में जल की परिस्थितियों का अनुश्रवण किया। उन्होंने उन भैंसों को रोका जो नहरों को नुकसान पहुँचा रही थीं। वे गृहस्थ उद्देश्यों के लिए तृतीय सिंचाई जल का प्रयोग करती थीं अतः सिडुरियन अपग्रेडिंग एण्ड वॉटर मैनेजमेण्ट प्रोजेक्ट में उन्हें एकीकृत करने के लिए विशेष प्रयास किये गये।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि को पहचानने के लिए जनवरी 1991 से लेकर अप्रैल 1992 तक एक पायलट परियोजना को लागू किया गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इण्डोनेशिया जैसे पारंपरिक समाज में गाँव में औपचारिक महिला संगठन की कमी तथा सामाजिक अवरोध महिलाओं को सभाओं में सम्मिलित होने से रोकती हैं। इन ग्रामीण महिलाओं के निम्न शैक्षिक स्तर को ध्यान मे रखते हुए विशेष कृषि आधारित सूचना रणनीतियों पर विचार किया गया। महिला किसानों के लिए अलग से सभाओं और चार विशेष प्रशिक्षण सत्रों को आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यक्रम की मूलभूत सूचना प्रदान करना, उनकी शुरूआती झिझक को खत्म करना, उनकी सहभागिता से संबंधित रूचियों की एक सूची बनाना, ठोस योजनाएं बनाना और जल प्रयोगकर्ता संघ के लिए सक्षम नेताओं और प्रतिनिधियों को पहचानना था।

कृषि विस्तार और सामुदायिक विकास विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा एक परवर्त्ती मूल्यांकन में यह अभिलिखित है कि पृथक सभाओं से महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ जिससे उनकी झिझक कम हुई। पृथक सभाओं के परिणामस्वरूप श्रम और भुगतान के विभाजन के बारे में पुरूषों के साथ पारस्परिक सहमति के समय महिलाओं ने परामर्श बैठकों में अपने विचारों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में और अधिक वृद्धि हुयी और जल उपयोगकर्ता संघ में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

पायलट परियोजना की समाप्ति पर, महिलाओं को जल उपयोगकर्ता संघ परिषद का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना मुश्किल नहीं था। वास्तव में ग्रामीण महिलाओं ने जल्दी ही इस परिषद के महत्वपूर्ण पदों जैसे कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष और सचिव, का पदभार ग्रहण किया। उन्होनें पुरूष और महिला जल उपयोगकर्ता के संघ के प्रबंधन, सिंचाई सेवा संबंधी कर के एकत्रीकरण और रखरखाव की जिम्मेदारी को ग्रहण कर लिया।

इसके परिणामस्वरूप सिंचाई नहरों से अवैधानिक तरीके से जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया में कमी आई किन्तु इस परियोजना ने अन्य महिलाओं के स्वयं सहायता गतिविधियों को भी लक्ष्यित किया। एक गाँव में उन्होने महिलाओं को साक्षर करने हेतु कक्षाओं का आयोजन किया गया। अन्य दो गाँवों में सामुहिक बचत योजना की शुरूआत करने और सामुदायिक स्वामित्व वाले खेतों पर शुष्क फसलों के उत्पादन की शुरूआत करने के लिए महिलाओं का एक समूह बनाया गया।

यह केस वर्णित करता हैः

सिंचाई जल प्रबंधन में जेण्डर–संवेदी सहभागी प्रक्रियाओं के प्रयोग की उपयोगिता। सिंचाई जल प्रबंधन प्रक्रियाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए एक सामान्य रणनीति का निर्माण।

स्रोतः अज्ञात। यदि आप पाठक इस केस अध्ययन के स्रोत को जानते हैं तो कृपया हमें बतायें।

जॉर्डनः
कुशल प्रबंधन, महिलायें एवं टिकाऊ परियोजनाएं

परिचय

यदि किसी देश का भाग्य उसके प्राकृतिक संसाधनों से निर्धारित होता है, तो जॉर्डन का भविष्य मुख्य रूप से इसके अपर्याप्त जल संसाधनों के पर्याप्त प्रबंधन पर निर्भर करेगा। जॉर्डन विश्व के दस सबसे ज्यादा जल अभाव देशों में से एक है (वर्ल्ड वॉटर डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट, 2003)। जॉर्डन में उपलब्ध कुल जल लगभग 180 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जोकि विश्व में सबसे कम है।

इसके अतिरिक्त मध्यपूर्व में इसकी स्थिति के कारण जॉर्डन एक सक्रिय अस्थिर सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र का भाग है। वास्तव में जॉर्डन में जल के अभावा का प्रमुख कारण वर्ष 1948, 1967 एवं 1991 में सैन्य संघर्षों के कारण शरणार्थियों के जॉर्डन में आने से इसकी जनसंख्या में आई अप्राकृतिक वृद्धि है।

जॉर्डन का ग्रामीण समुदाय जल की कमी से सबसे ज्यादा पीड़ित है, और वे गृहस्थी, खेती और लघु व्यवसायों के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता के प्रबंधन की परेशानी का नियमित रूप से सामना कर रही है। समुदाय आधारित जल प्रबंधन के समर्थन संबंधित प्रयास को जॉर्डनियन जल नीति में मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गयी। सफल परियोजनाओं को देखते हुए जल संसाधनों के पर्याप्त प्रयोग के लिए समुदाय स्तरीय इन अनुभवों को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है।

समुदाय–आधारित परियोजनाओं में एक सफलतम उदाहरण रेकिन गाँव में स्थानीय महिला समूह की संयुक्त गतिविधि है जो जल प्रबंधन में जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने की महत्ता को स्पष्ट करता है। यह ग्लोबल इन्वायरनमेण्ट फेसिलिटी (जी.ई.एफ.) के स्माल ग्राण्ट प्रोग्राम (एस.जी.पी.) से वित्तीय सहायता प्राप्त गतिविधि है। रेकिन महिला संगठन रेकिन गाँव में जलकुण्ड और जल संचयन प्रणाली के निर्माण के लिए आवर्ती ऋण व्यवस्था का प्रबंध करती है। इस परियोजना से कई महिलाओं को लाभ पहुँचा है। इससे घरों को टिकाऊ सुरक्षित जल संसाधन भी उपलब्ध हुआ है।

पर्यावरणीय स्थिति

रेकिन जॉर्डन के दक्षिण में करक शासन के दक्षिण–पश्चिम में स्थित गाँवों और कस्बों के समूह का केंद्र है। रेकिन की कुल जनसंख्या 5500 है। रेकिन को जनसंख्या की औसत आमदनी के आधार पर गरीब गाँव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जोकि पूर्ण रूप से सेना और सरकार के रोजगार पर आश्रित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था राज्य के लोक संस्थानों और कृषि सेवाओं पर आधारित है। यहाँ पर मूलभूत सेवाएँ भी (जल, बिजली, दूरसंचार और सड़क) उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के में स्थित दो माध्यमिक और एक प्राथमिक विद्यालय यहाँ के शैक्षणिक स्तर को दर्शाते हैं।

इस क्षेत्र की स्थलाकृति ढलुआ है और क्षेत्र का 23–30 प्रतिशत हिस्सा काफी दुर्गम है। यहाँ की वार्षिक वर्षा दर 250–330 मिलीमीटर है। गाँव के मुख्य कृषि उत्पाद हैंः

- फल और काष्ठीय फल (नट) वाटिकाएँः मुख्यतया जैतून और बादाम;
- फसलेंः जौ और गेंहूँ;
- वनोपजः पुराने और हाल ही में रोपे गये पेड़ों से मिलने वाले उत्पाद
- मसालों की खेती;

- पशुधनः भेंड़ और बकरियों के 15000 समूह; और
- मधुमक्खी–पालन

रैकिन महिला संगठन का गठन वर्ष 1991 में चैरिटेबन ट्रस्ट के रूप में हुआ, जिसका उद्देश्य रैकिन में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना था।

चुनौतियाँ

इस क्षेत्र की स्थलाकृति, भूमि पर मनुष्य का दबाव और अनुचित भू–उपयोग प्रक्रियाएं ऐसे, कुछ कारण हैं जिसके कारण भू–क्षरण और मृदा अपरदन में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप उपजाऊ भूमि तेजी से क्षरित हो रहा है। अत्यधिक चराई के कारण, वार्षिक वर्षा की विशाल मात्रा का ह्रास होता है।

महिलाएँ गृहस्थी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निभाती हैं जिसके अन्तर्गत जल एकत्रीकरण और उसका उपयोग शामिल है। अधिकांश घराने अपनी मूलभूत खाद्य आपूर्ति के लिए आजीविका संबंधी खेती पर निर्भर हैं। जल संसाधनों की उपलब्धता घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए एक आवश्यक संघटक हैं।

मानव उपभोग, पशुधन और सिंचाई के लिए जल की अपर्याप्त आपूर्ति, एक प्रमुख समस्या है। रैकिन प्रत्येक दो सप्ताह में केवल एक बार छह घंटों के लिए पाइप के द्वारा जल प्राप्त करता है, जो कि वहाँ के निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ के निवासियों को अपनी आवश्यकताओं के लिए जल को अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता है। भंडार सुविधाओं के रूप में टंकियों के न होने की वजह से यहाँ पर स्थित घर टैंकरों द्वारा प्रदान किये गये जल को भंडारित नहीं कर पाते हैं जबकि इन परिवारों ने इसके लिए पूरा भुगतान किया है।

परियोजना विकास

मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की कमी ने रैकिन महिला संगठन को इस चुनौती का सामना करने के लिए उचित तर्क प्रस्तुत किया। इस संगठन ने जल कुण्ड और घरों में जल संचयन प्रणाली को लगाने के लिए जी.ई.एफ. के एस.जी.पी. कार्यक्रम के तहत अपना पहला अनुदान प्राप्त किया। गाँव में इस परियोजना की सफलता इस बात से सुस्पष्ट थी कि संगठन के परिषद के सदस्यों को ऋण के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। यह परियोजना 66 प्रतिशत अनुदान के पुनः भुगतान व्यवस्था पर आधारित थी जिसने प्रथम चरण में प्राप्त वित्तीय संसाधनों को अंततोगत्वा खर्च किया।

वर्ष 1998 में जॉर्डन में जी.ई.एफ. के एस.जी.पी. कार्यक्रम के पुनः सहयोग से परियोजना के द्वितीय चरण की शुरूआत हुई। जी.टी.जेड. जलागम प्रबंधन परियोजना की ओर से महिला संगठन के लिए तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ। हांलाकि यह नयी परियोजना आवर्ती अनुदान पर आधारित थी जिसमें इस प्रकार के ऋण संबंधी आवेदन करने वाले 150 से भी अधिक घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 प्रतिशत पुनः भुगतान की आवश्यकता थी। प्रशिक्षण, ऋण एवं पुनः भुगतान संबंधी प्रक्रिया के अनुश्रवण के साथ–साथ मानकों के अनुसार लाभार्थियों को चुनने, समूहों के संगठन का निर्माण करने जैसी गतिविधियों को लागू करने के लिए एक परियोजना परिचालन समिति का गठन हुआ।

परियोजना के परिणाम

परियोजना के संसाधनों के टिकाऊपन को सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत परियोजनाओं की गंभीरता को देखते हुए अनुदान के 100 प्रतिशत पुनः भुगतान को उपलब्ध कराने के लिए आवर्ती ऋण व्यवस्था को लागू किया गया था।

परियोजना के मुख्य प्रभाव और परिणाम थेः

1. सिंचाई और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए घरों में स्वच्छ जल के टिकाऊ स्रोत को सुनिश्चित किया गया;
2. वास्वविक जल उपभोग को बढ़ाने के दौरान टैंकरों से जल खरीदने की लागत तथा घरों में जल उपभोग संबंधी बिल में कमी आयी;
3. घरों और परिवारों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु कार्य करते हुए रैकिन महिला संगठन में महिलाओं का सशक्तीकरण। परिणामस्वरूप घरों में निर्णयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी की स्थिति में भी सुधार हुआ;
4. अनुदानों को प्रबंधित करने में महिलाओं द्वारा क्षमता विकास और ज्ञानार्जन।

अनुभव

1. इस परियोजना से सिद्ध होता है किः ऋणों के लिए 100 प्रतिशत पुनः भुगतान करने की व्यवस्था टिकाऊ है; उपलब्ध पूंजी को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक वितरित किया जा सका और चूंकि महिलायें घरों की अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं इसलिए पुनः भुगतान दर के उच्च अनुपात को प्राप्त करने में आसानी हुई।
2. इस परियोजना से ग्रामीण महिलाओं द्वारा क्रियान्वयन की प्रभावशीलता और कुशल प्रबंधन का प्रदर्शन हुआ। इस परियोजना में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी से परियोजना की प्रभाविकता और टिकाऊपन को बढ़ावा मिला।
3. इस परियोजना ने स्थानीय समुदायों के लिए गृहस्थ स्तर पर शीघ्र सकारात्मक प्रभावों और लाभों को परिलक्षित किया। इस परियोजना का लक्ष्य जलाभाव वाले क्षेत्रों मं टिकाऊ जल संसाधनों का संरक्षण करना भी है।
4. आवर्ती ऋण व्यवस्था जल कुण्डों को स्थापित करने के अतिरिक्त मधुमक्खी पालन व सौर ऊर्जा सेल की स्थापना जैसी गतिविधियों को भी समर्थित करता है। ऋण व्यवस्था के प्रभाव को चिर स्थाई बनाने के लिए आय उत्पादित गतिविधियों को परिवर्तित करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।
5. जलाभाव से ग्रस्त देशों में किसी भी संगठित प्रयास के लिए एक समुदाय आधारित सहभागी जल संरक्षण परियोजना जल संसाधनों को संरक्षित करने हेतु आवश्यक अंग है।

शोधकर्ताः

बातिर एम. वरदैम
आई.यू.सी.एन., वेसकाना (WESCANA) संपर्ककर्ता अधिकारी
जोर्डेनियन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संचालित
पी.ओ.बाक्स नं0 140823
अम्मान 11814, जॉर्डन
batir@nets.jo

केन्याः
सामुदायिक जल प्रबंधन में जेण्डर भेद-भाव
मचाकोस

मचाकोस जिला, केन्या में यात्ता सिंचाई योजना से जल लेने वाली महिलाओं के द्वारा अनुभव की गयी समस्याओं में से केवल एक समस्या गुंडों द्वारा हमला है। सूखे के कारण, मचाकोस में जल के लिए प्रतिस्पर्द्धा है। अधिकांश लोग अपनी फसलों को सींचने के लिए पर्याप्त जल नहीं पाते हैं। सरकार ने एक सामुदायिक प्रबंधन व्यवस्था स्थापित की है, जिसमें प्रयोगकर्ता समूह और जल प्रबंधन समिति को शामिल किया गया है। यद्यपि, आई.डी.आर.सी. सर्वेक्षण के 85 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने कहा कि जल प्राप्त करने का प्रयास करने वाली महिलायें और बच्चे, पुरुषों के उत्पीड़न और गुंडों के द्वारा आक्रमण के शिकार हैं।

शोधकर्ता, जो विकासशील विश्व में जल तक पहुँच पर महिलाओं और पुरूषों के स्तरों पर आधारित आँकड़ों को इकट्ठा करते थे, के द्वारा सर्वेक्षण में प्राप्त निष्कर्षों ने दर्शायाः

- जबकि 75 प्रतिशत परिवारों के मुखिया अधिकृत रूप से पुरुष थे, जेण्डर आँकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि करीब 35 प्रतिशत स्थितियों में, महिलायें वास्तविक आर्थिक मुखिया थीं, और उन पर घर के 5–10 लोगों की जिम्मेदारी थी। ज्यादातर घरों में 11 सदस्य थे!
- 76 प्रतिशत परिवारों में, भूमि का स्वामित्व पुरुषों के पास था। पुरुषों ने ही मुख्य निवेश संबंधी निर्णय लिए जैसे भूमि और पशुओं की खरीदारी। महिलाओं को केवल घरेलु जल और सामान्य गृहस्थी निवेश जिसमें लघु सिंचाई कार्य भी शामिल हैं, पर निर्णय लेने की अनुमति थी।
- 96 प्रतिशत परिवार अपनी फसलों को सप्ताह में तीन से चार बार सींचते थे। 44 प्रतिशत श्रम महिलाओं द्वारा किया जाता था, और केवल 29 प्रतिशत श्रम पुरुषों द्वारा किया जाता था। अन्य 12 प्रतिशत बच्चों के द्वारा किया जाता था।
- अधिकांश (92 प्रतिशत) परिवार अपने खेतों को रात में सींचते थे। इससे महिलाओं को गुंडों के आक्रमण का खतरा रहता था, और सिंचाई गतिविधियों में शामिल होने के समय बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होती थी, और ठंडी रात की हवाओं से स्वास्थ्य के प्रभावित होने का खतरा भी रहता था।
- वे किसान जो अवैधानिक रूप से सिंचाई करते थे वे नहर को अपने खेतों की तरफ मोड़ देते थे। वे ऐसा तब नहीं करते जब दूसरे पुरुष किसान भी सिंचाई कर रहे होते थे क्योंकि उन्हें झगड़ा शुरू होने का डर रहता था। वे ऐसा तभी करते थे जब महिलायें जल का प्रयोग करती थीं। महिलाओं ने उनके कारण होने वाले इस उत्पीड़न के बारे में बताया और यह भी कहा कि इससे उनकी खेती का बहुत नुकसान होता था।
- 85 प्रतिशत प्रत्यर्थी जल पहुँच समूह से संबंधित थे, किंतु कुछ ही महिलायें जल प्रबंधन समिति में थीं, क्योंकि वे अपने आप को पुरुषों के सामने व्यक्त करने से डरती थीं और वे सभाओं में उपस्थित होने के समय घर के कार्यों में बहुत ज्यादा व्यस्त थीं।
- महिलायें ही हैं जो धुलाई और पशुधन पालन का कार्य करती थीं। यद्यपि उनसे जल आपूर्ति व्यवस्था को तैयार करने के दौरान विचार–विमर्श नहीं किया गया, अतः इन गतिविधियों उदाहरणार्थ– जानवरों को पानी पिलाने के लिए हौज और धुलाई तथा स्नान के लिए सुविधाएँ प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया।
- सर्वेक्षण में प्रत्यर्थियों ने बताया कि वे लोग जिन्हें जल की कमी के समय सबसे ज्यादा जल प्राप्त हुआ वे थेः जो मुख्य जलकुंड या नहर (24 प्रतिशत) के नजदीक थे; ज्यादा उग्र व्यक्ति

और नियम तोड़ने वाले थे (24 प्रतिशत); धनी और प्रभावशाली लोग (15 प्रतिशत); पुरुष (15 प्रतिशत)।

- 99 प्रतिशत वे लोग जिन्होंने जल आपूर्ति को नियंत्रित किया वे पुरुष थे और बहुत ज्यादा संख्या में प्रत्यर्थियों ने कहा कि ये अधिकारी भ्रष्ट और पक्षपाती थे।

परामर्शदाताओं को सर्वेक्षण करने के लिए शामिल किया गया जिसमें सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने दर्शाया कि:

- महिलाओं को शामिल करने के लिए सभाओं के आयोजन के समय में परिवर्तन होना चाहिए।
- महिलाओं को सभाओं में उपस्थित होने और प्रबंधन समूहों में नेतृत्व पदों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- समुदाय को संपूर्ण प्रबंधन में अच्छी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि धनी व्यक्तियों के द्वारा भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

यह केस वर्णित करता है:

लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़ों के द्वारा आया परिवर्तन;
पारंपरिक पुरुष–महिला शक्ति संबंधों के कारण महिलाओं द्वारा सामना की जा रही प्रतिकूल परिस्थितियों; और जेण्डर दृष्टिकोण की कमी महिलाओं के संरचनात्मक निर्बलता को बढ़ावा देती है।

स्त्रोतः आई.डी.आर.सी., अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जल माँग का प्रबंधन।

निकारागुआः
जल एवं स्वच्छता तक पहुँच के लिए जेण्डर समानता

चुनौतियाँ

निकारागुआ में लगभग 43 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं जिसमें से केवल 46 प्रतिशत जनसंख्या को ही स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं। लियोन एवं चिनान्देगा के विभाग के पास भूमिगत जल स्रोतों का बड़ा भण्डार है; फिर भी, जनसंख्या एवं स्थानीय प्राधिकरणों ने इस बात पर बल दिया कि जल की कमी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। कृषि आधारित औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या व पर्यावरणीय क्षरण द्वारा यह मुद्दा और भी गंभीर हो चुका है।

वर्ष 1998 के अन्त में निकारागुआ में आए मिच (Mitch) नामक चक्रवात के कारण 4000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित लियोन व चिनान्देगा इस चक्रवात से काफी प्रभावित हुए थे और आज भी यह दिन एक बुरे वक्त का प्रतीक बनकर रह गया है। वर्ष 1999 में, इस क्षेत्र के ग्रामीण समुदायों को सूखे की मार (यह इस क्षेत्र की विशेषता है), अपर्याप्त जल संसाधनों का बहुतायत मात्रा में संदूषण जैसी दुगुनी त्रासदी का सामना करना पड़ा।

इस क्षेत्र में स्थित समुदायों के सदस्यों हेतु जल संसाधनों के साथ–साथ स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच, उसके उपयोग एवं प्रबंधन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महिलाओं एवं बच्चों पर होता था। इस अवधि के दौरान ऐसी कोई प्रक्रिया नही थी जो इन कार्यों के निष्पादन अथवा इन गतिविधियों को करने वाली महिलाओं की समस्याओं को समाजिक मान्यता देने हेतु जेण्डर समानता का समर्थन करता हो।

कार्यक्रम / परियोजनाएं

इस क्षेत्र में पड़ रहे मानवीय व पर्यावरणीय प्रभावों के साथ–साथ मिच नामक चक्रवात के कारण हुए नुकसान के परिणामस्वरूप कई संस्थानिक कार्यक्रमों का निर्माण एवं विस्तार हुआ। केयर–लियॉन के पास पहले से ही जल एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता थी। उनके द्वारा वर्ष 1995–1998 तक पहले से ही चलाये जा रहे परियोजना–वॉटर, लैट्रिन एवं सैनिटेशन परियोजना (पी.ए.एल.ई.एस.ए.–प्रथम) के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। वर्ष 1999 के आरंभ में स्विस डेवलेपमेन्ट एण्ड कोऑपरेशन एजेन्सी के वॉटर एण्ड सैनिटेशन प्रोग्राम (ए.जी.यू.ए. एस.ए.एन.) ने निकारागुआ के लियॉन कार्यालय के साथ साझेदारी करके इस परियोजना (पी.ए.एल. ई.एस.ए.–द्वितीय) के द्वितीय चरण (पी.ए.एल.ई.एस.ए.–द्वितीय) को लागू करने की पहल की तथा वर्ष 2002 व 2003 के मध्य इस परियोजना के तृतीय चरण (पी.ए.एल.ई.एस.ए.–तृतीय) का भी क्रियान्वयन किया। इस परियोजना का लक्ष्य, निकारागुआ के इन दो विभागों के 45 समुदायों में रहने वाले 17000 निवासियों के लिए जल के अधिकारों व जल क्षेत्रों तक इनकी पहुँच को सुनिश्चित करना था। शौचालयों व नए जल प्रणालियों के निर्माण द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गयी।

पी.ए.एल.ई.एस.ए.–द्वितीय की प्रमुख विशेषता एजेन्सियों व जेण्डर समानता दोनों के प्रति संस्थानिक वचनबद्धता थी, जिसका प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार था। सामुदायिक सहभागिता के पहल एवं परियोजना के टिकाऊपन को सुधारने के लिए जेण्डर असमानता एक सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे दूर करना अत्यन्त आवश्यक था।

समुदाय के सभी सदस्यों के विश्वास को प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजना के आयोजकों, महिलाओं व पुरूषों दोनों, को प्रत्येक सप्ताह में तीन दिनों तक समुदाय के साथ रहना पड़ता था। वे उस समय का इन्तजार करते थे, जब पुरूष घर में होते हैं (ज्यादातर दोपहर के समय में) तथा क्षेत्रवार आयोजित सामुदायिक सभा में निमंत्रण पत्रों का वितरण करते थे। आयोजकों ने जल के प्रयोग, उस तक पहुँच व प्रबंधन में पायी गयी जेण्डर असमानताओं को रिकार्ड भी किया। परियोजना के आयोजकों ने महिलाओं व पुरूषों दोनों को जल प्रणाली के नियोजन, संगठन, निर्देशन, निर्माण व प्रशासन में उनके एकीकरण की महत्ता को समझाने हेतु एक जेण्डर संवेदनशीलता पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया। तीन सत्रों (जिसमें से एक में सिर्फ महिलायें, एक में पुरूष व एक में दोनों उपस्थित थे) के आयोजन के बाद, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के बारे में पुरूषों की सोच परिवर्तित हुई। इसके परिणामस्वरूप 687 पुरूष प्रतिभागियों में से 85 प्रतिशत लोगों ने यह समझा कि मानवनिर्मित कुँए स्वच्छ पेयजल के सुरक्षित स्रोत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घरेलू जुड़ाव से समुदाय, महिला एवं पुरूष दोनों, को वृहद स्तर पर लाभ पहुँचेगा।

परिणाम / निष्कर्ष

- *सहभागिता में वृद्धिः* महिलाओं एवं पुरूषों के साथ वर्ष 2001 व 2002 में आयोजित जेण्डर मुद्दे संबंधी कार्यशालाओं में महिलाओं की सहभागिता सबसे अधिक (56 प्रतिशत) थी। समितियों के 70 प्रतिशत से भी अधिक पदों पर महिलाओं की नियुक्ति हुई तथा उन्हें समन्वयक, उपसमन्वयक व वित्तीय प्रबंधक जैसे वे पद मिले जिन पर पहले पुरूष आसीन थे। 276 जल संबंधी कार्यों के प्रशिक्षण, क्रियान्वयन व रखरखाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की भागीदारी दर में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक बार जब जल प्रणाली पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती थी तो महिला नेतृत्व अपनी सम्पूर्ण शक्ति व गुणों के साथ अन्य कार्यों में लग जाता था।
- *शिक्षाः* यौन शिक्षा, जेण्डर भूमिकाओं, आत्मसम्मान, अपनी पहचान, अधिकारों व वचनबद्धताओं पर हुई चर्चाओं से महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ पहुँचा है। इसके अलावा, इस परिचर्चा से जल के प्रबंधन व उपयोग संबंधी पुरूषों की सोच में भी परिवर्तन हुआ। शिक्षा एवं प्रशिक्षण अवयवों में प्रयुक्त प्रक्रिया से उन महिलाओं के ज्ञान व सूचना / जानकारी के स्तर में काफी सुधार हुआ जो कि पहले लाभों को पाने में असमर्थ थीं।

सफलता के प्रमुख बिन्दुः

- *सामुदायिक आवश्यकताओं के आंकलन में जेण्डर दृष्टिकोणः* इस दृष्टिकोण से पुरूषों को यह मानने में सहयोग प्राप्त हुआ कि घरेलू जल प्रणालियों का निर्माण उनका अधिकार है। वे समुदायों के अन्तर्गत अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति का निरंतर प्रयोग करते हैं, परन्तु समुदाय के अधिकतर लोगों ने यह भी प्रदर्शित किया कि स्वच्छता व जल समितियों का नेतृत्व प्रमुख रूप से महिलायें ही करेंगी।
- *संस्थागत प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँः* जल परियोजना के अंतर्गत जल व स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच, उसके क्रियान्वयन एवं प्रबंधन में जेण्डर समानता के एकीकरण की सफलता, संस्थागत प्रणालियों व विशिष्ट कार्यविधियों के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हुई। जहाँ एक ओर, सी.ओ.एस.यू. डी.ई.–ए.जी.यू.ए.एस.ए.एन. तथा केयर–लियॉन दोनों के जेण्डर दृष्टिकोण व नीतियों के समन्वयन ने, ग्रामीण समुदायों तक पानी को एक समान व सहभागिता आधारित पहुँच को सुनिश्चित करने संबंधी परियोजना के लक्ष्य को दृढ़ किया वहीं दूसरी ओर, लियॉन के परियोजना निदेशकों, समाजिक क्षेत्रों के समन्वयकों व पुरूष तथा महिला आयोजकों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- *महिलाओं की आश्चर्यजनक भागीदारी:* जनसंख्या के एक बड़े हिस्से (विशेषकर ग्रामीण महिलाओं) द्वारा प्राप्त जागरूकता स्तर ने परियोजना के प्रारंभिक विभिन्न चरणों में युवा, मध्यम आयु व उम्रदराज महिलाओं, जिसमें विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाली मातायें भी शामिल हैं, के आश्चर्यजनक प्रतिभाग के दर को प्राप्त करने में सहयोग दिया।

प्रमुख अवरोध

- *प्राकृतिक आपदायें:* भूमिगत जल स्रोतों के अपार भण्डार के बावजूद, वर्ष 1998 के मिच चक्रवात व वर्ष 1999 में आये सूखे ने स्वच्छ जल तक लोगों की पहुँच को और मुश्किल कर दिया।
- *महिलाओं एवं पुरूषों के मध्य जल की आवश्यकताओं में असमानता:* एक पारंपरिक पुरूष प्रधान समाज, जहाँ पुरूष जल के केवल 2 व महिलाएं 11 उपयोगों को सूचीबद्ध कर सकती हैं, में जलापूर्ति में सुधार, समुदाय के नेता के लिए प्राथमिक कार्यों में नहीं था।

परियोजना का भविष्य

प्रशिक्षण संबंधी निवेश से यह प्रदर्शित हुआ कि जल परियोजनाओं में शिक्षा संबंधी अवयव को शामिल करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षा ने, विशेषकर पुरूषों के मध्य जल को एक अनमोल आवश्यकता के रूप में देखने संबंधी व्यवहार में हुए परिवर्तन को प्रभावित किया है। उन्होंने माना कि जल तक पहुँच एक ऐसा अधिकार है जिस पर पुरूषों, महिलाओं व बच्चों सभी का समान अधिकार है।

अधिक जानकारी के लिए

- शोधकर्ता से संपर्क करें:
  मेग्दा लनूजा: arados02@yahoo.com.mx
- स्विस डेवलेपमेन्ट एण्ड कोऑपरेशन एजेन्सी (सी.ओ.एस.यू.डी.ई.) के बारे में जानने के लिए देखें: http://www.deza.admin.ch/index.php?userhash?34814011&navID=1&l=e
- निकारागुआ में सी.ओ.एस.यू.डी.ई. के कार्यों के बारे में (स्पेनिश में) जानने के लिए देखें: http://www.cosude.org.ni/
- निकारागुआ में केयर इन्टरनेशनल के कार्यों के बारे में जानने के लिए देखें: http://www.careinternational.org.uk/cares_work/where/nicaragua/

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

नाइजीरियाः
पेयजल स्रोतों की सुरक्षा और जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करना

चुनौतियाँ

ओबुडु पठार, नाइजीरिया में दो पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। ओबुडु पठार जैसे क्षेत्र में उष्णकटिबन्धीय वनों की पर्याप्त मात्रा मौजूद है जहाँ पर अद्वितीय पौधे और जन्तुओं की प्रजातियाँ भी पायी जाती हैं। इस क्षेत्र में बड़े–बड़े चारागाह भी हैं। इस पठार की चोटी पर बेकहेवे कृषि समुदाय और फुलानी चरवाहे निवास करते हैं। वर्ष 1999 में क्रास नदी राज्य सरकार ने पठार पर एक आरामदेय पर्यटन स्थल, ओबुडु रॉन्च रिसार्ट को स्थापित किया। वृहद् स्तर पर होटल के निर्माण कार्य और अन्य सुविधाओं की वजह से यहाँ वनों का नाश होने लगा। पर्यावरण पर अतिचराई तथा गैर टिकाऊ कृषि उपयोगों जैसे पूर्व विद्यमान प्रभावों के साथ–साथ विकासात्मक गतिविधियों ने उपलब्ध संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को और बढ़ा दिया है। यद्यपि समुदाय ने विकास को आमदनी के अतिरिक्त स्रोत के रूप में देखा फिर भी सीमित जलापूर्ति पर बढ़ती मांग के कारण संघर्ष का आरंभ हुआ। बेकहेवे समुदाय की महिलाओं ने बिगड़ते पारिवारिक स्वास्थ्य, जल एकत्रण में समय की बरबादी और जल की गुणवत्ता की मात्रा में आयी कमी के बारे में बताया।

कार्यक्रम / परियोजनाएँ

जल की स्थिति में आयी गिरावट को देखते हुए पठार पर कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन नाईजीरियन कन्जरवेशन फाउण्डेशन (एन.सी.एफ.) ने जलागम परियोजना की शुरूआत की। एन.सी. एफ. ने जेण्डर को मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी मुद्दों को देशभर में अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं में लागू किया। सहभागी तरीकों का प्रयोग करते हुए महिलाओं को परियोजना चक्र में शामिल किया गया है। महिलायें परियोजना के प्रत्येक स्तर, डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण में शामिल थीं।

जनवरी 1999 में ओबुडु पठार के लिए एक बहु–हितधारक प्रबंधन समिति का गठन किया गया। एन.सी.एफ., डेवलेपमेन्ट इन नाइजीरिया (डी.आई.एन.), क्रास रिवर नेशनल पार्क, ओबुडु रॉन्च रिसॉर्ट, बेकहेवे नेचर रिजर्व और फुलानी चरवाहे इस समिति के सदस्य थे। विचार–विमर्शों की एक लम्बी श्रृंखला के बाद यह सहमति हुई कि प्रत्येक गाँव के तीन प्रतिनिधियों में से एक, जिसमें बेकहेवे भी शामिल है, महिला सदस्य होनी चाहिए। समिति की शुरूआती सभा में प्रबंधन समिति ने वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करने और पठार के जलागम के टिकाऊ प्रबंधन हेतु दीर्घकालीन समाधानों की योजना बनाने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। एन.सी.एफ. ने इन सभाओं का उपयोग समुदायों को सहभागी जलागम प्रबंधन के बारे में बताने व पारितंत्रों के गैर टिकाऊ उपयोगों से होने वाले खतरों से अवगत कराने के साथ–साथ बेकहेवे समुदायों और फुलानी चरवाहों को जेण्डर संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने व परिवारों के लिए जल एकत्र करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बताने के लिए किया।

परियोजना के प्रथम चरण में, वर्ष 2000–2001 तक, पठार पर पेयजल स्थानों को ध्यान में रखते हुए एक जलागम और जलमार्गों का मानचित्र सर्वेक्षण किया गया। वर्ष 2002–03 के बीच द्वितीय चरण में एन.सी.एफ. द्वारा जलागम पारिस्थितिकी और अनुश्रवण पर एक पुस्तिका बनाई गयी। जलागम पारिस्थितिकी को संरक्षित करने, बालू के खनन के अस्थाई लाभों को बताने के लिए महिलाओं के छः समूहों और युवाओं के एक समूह को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से यह बात स्पष्ट हुयी कि अपरदन और सिल्ट से सुरक्षा करने तथा आमदनी के स्रोत को उपलब्ध कराने के लिए पेयजल स्रोतों के उद्गम स्थल के चारों ओर फल के वृक्षों को लगाया जाए।

पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए संरक्षण क्लबों की शुरूआत की गयी। सबसे प्रमुख बात यह थी कि महिलाओं को न केवल प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया अपितु उन्हें उन गतिविधियों में हाथ बंटाने के लिए भी कहा गया जिसमें पुरूष प्रमुख रूप से प्रतिभाग करते थे। तृतीय चरण में वर्ष 2003–04 तक स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ जल संबंधी स्वास्थ्य मुद्दों विशेषकर डायरिया जैसी बीमारी पर विचार–विमर्श किया गया और बाद में दो जलाशयों का निर्माण किया गया।

परिणाम / निष्कर्ष

महिला सशक्तीकरण और जेण्डर समानता पर प्रभाव

- पहली बार महिलाओं की बातों को सुना गया क्योंकि उन्होंने समुदाय के अंतर्गत निर्णयन प्रक्रिया में योगदान दिया; महिलाओं को केवल प्रबंधन समिति की सभा में उपस्थित रहने के लिए ही प्रोत्साहित नहीं किया गया, बल्कि उन गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिसमें पुरूष ही प्रमुख रूप से प्रतिभाग करते थे। प्रबंधन समिति के लिए महिला नेताओं का चयन समुदाय में सभी महिलाओं के लिए महान गौरव की बात थी;
- जलाशयों के निर्माण और रख–रखाव में महिलाओं को शामिल किया गया;
- महिलाओं द्वारा जल एकत्र करने में लगने वाले समय में कमी आयी, जिससे उन्हें गतिविधियों, खेती और विपणन के लिए अधिक समय मिलने लगा;
- वर्ष 2004 में डायरिया के मामले में 45 प्रतिशत तक की कमी आयी, जिससे महिलाओं पर पड़ने वाला स्वास्थ्य संबंधी बोझ भी कम हो गया;
- लड़कियाँ एवं महिलायें स्कूल में अधिक समय व्यतीत करने लगीं;
- समुदाय के पुरुषों को महिलाओं की भागीदार की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाया गया और यह भी दर्शाया गया कि किस प्रकार से इससे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा, और
- फुलानी चरवाहों और बेकहेवे समुदाय की महिलाएँ जल संसाधनों की आवश्यकताओं को समझने के योग्य हो गयीं।

संपूर्ण समुदाय का सशक्तिकरणः

- यह परियोजना टिकाऊ जलागम पारितंत्रों की वृहद् जानकारी और पर्यावरण तथा आसपास के समुदायों के लिए उनकी महत्ता के बारे में शिक्षित करता है;
- चूंकि समुदाय यह अनुभव करता है कि उन्होने इस परियोजना को अपनाया है और इस प्रक्रिया का संचालन किया है इसलिए समुदाय की भागीदारी में वृद्धि हुई;
- समुदाय ने यह भी सीखा कि किस प्रकार समुदाय के विकास के अनुदान के लिए सरकार तक अपनी बात को रखा जाय; और
- इस परियोजना से उन्नत स्वास्थ्य और ज्यादा स्वच्छ तथा नजदीकी जल संसाधनों में भी वृद्धि हुई।

सफलता के प्रमुख कारक

स्वयंसेवकः

- बीएनआर के कमचारियों के साथ कार्यरत चार स्वयंसेवकों ने निष्कर्षों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला। उनमें से दो स्वयंसेवी कनाडा (2000–03) के थे, जबकि अन्य दो नाईजीरिया (2003–वर्तमान) के निवासी थे। इनमें से तीन महिलायें थीं जिन्होने परियोजना के क्रियान्वयन कर्ताओं की बातचीत बेकहेवे समुदाय की महिलाओं से कराई। महिला स्वयंसेवकों की उपस्थिति

में एक आदर्श स्थापित किया जिसने यह प्रदर्शित किया कि महिलायें भी नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा सकती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकती हैं।

जेण्डर सुग्राहीकरण

- एक पुरुष स्वयसेवक ने फुलानी चरवाहा समुदाय ने एक प्रक्रिया को संचालित किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि फुलानी चरवाहा समुदाय के सदस्य महिलाओं को समय से जल तक पहुँच की सुविधा न देकर उनसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते थे। इस तरह से उनमें एक नई जागरूकता आई कि जलाशय के बन जाने पर उसे संक्रमित होने से बचाने के लिए पशुओं को नीचले स्थानों पर ले जाया जायेगा।

मुख्य अवरोध

- पारंपरिक ग्राम व्यवस्था पुरूष प्रधान है और पुरूषों के पास ही निर्णय लेने संबंधी अधिकार हैं।
- जल की उपलब्धता पर फुलानी चरवाहों और बेकहेवे समुदाय की महिलाओं के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ।
- पर्यटन विकास से पहले ही, जल संसाधन अत्यधिक चराई और गैर टिकाऊ कृषि प्रयोगों के कारण क्षरित हो चुका था।

परियोजना का भविष्य

महिलाओं को संरक्षण क्लब से प्राप्त जानकारियों को अपने बच्चों के साथ बांटने के लिए प्रोत्साहित किया गया, अतः अब वहाँ पर विद्यालय संरक्षण क्लब स्थापित हों रहे हैं जो जलमार्गों पर लगभग 1000 पेड़ों को लगाने के प्रति वचनबद्ध हैं।

जेण्डर निष्पक्षता की उपलब्धि एक लंबी प्रक्रिया है और, कार्यक्रमों व परियोजनाओं के नियोजन में जेण्डर संवेदनशीलता और सामुदायिक भागीदारी को परियोजना के विभिन्न चरणों में शामिल करना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिएः

- शोधकर्ता से संपर्क करेंः एरिकेना ए. मैजकोदूमी: ademajekodunmi@yahoo.com
- नाइजेरियन कंजर्वेशन फाउंडेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखेंः http://www.africanconservation.org/ncftemp/

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

पाकिस्तान
परदे से सहभागिता की ओर

यह केस अध्ययन प्रदर्शित करता है कि:
–महिलाएं कभी–कभी जल प्रबंधन के क्षेत्र में अधिक व्यवहारिक समाधान उपलब्ध करा सकती हैं।
–महिलाओं की भागीदारी सामुदायिक विकास को गति प्रदान कर सकती है।
–पारंपरिक प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं को शामिल करने संबंधी प्रयासों में सफलता मिल सकती है।
–महिलाओं की भागीदारी पर आधारित सफलता, महिलाओं और पुरूषों दोनों ही के व्यवहारों में परिवर्तन को बढ़ावा दे सकती है।

बाल्टिस्तान के होतों गाँव में महिलाएं पर्दाप्रथा का काफी कड़ाई से पालन करती हैं। उन्हें लोगों से मिलने की अनुमति नहीं होती है, विशेषरूप से अन्य समुदाय के पुरूष सदस्यों से। यद्यपि वे मुख्यरूप से घरेलू जल संबंधी कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होती हैं और कुछ सिंचाई संबंधी कार्य भी करती हैं, वहीं पुरूष पारंपरिक रूप से निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होते हैं जो कि जल संसाधनों के प्रबंधन को प्रभावित करते हैं।

होटो में पानी का स्वामित्व और उसका प्रबंधन स्वयं समुदाय द्वारा किया जाता है। वर्ष 1994 तक, गाँव के बुजुर्ग इसके प्रबंधन के लिए उत्तरदाई होते थे और समुदाय के सभी सदस्यों तक पानी के एक समान वितरण को सुनिश्चित करते थे। यद्यपि यह पारंपरिक संस्था नवीन तकनीकों को प्रतिबंधित कर पाने के लिए पूर्णतः समर्थ नहीं थी और पानी की उपलब्धता को सुधारने के लिए एक संस्थानिक संरचना की आवश्यकता थी।

वर्ष 1994 में एक सहभागी कार्यवाही शोध टीम गाँव में गयी और उसने वहां की जल प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने सहयोग का प्रस्ताव दिया। एक वर्ष तक होटो गाँव के पुरूष सदस्यों ने उन्हें महिलाओं से मिलने की अनुमति नहीं दी। फिर भी बातचीत के एक लम्बे समयान्तराल के पश्चात् टीम की महिला सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी गयी जिससे पेयजल से संबंधित बातचीत में महिलाओं के सुझाव प्राप्त हो सकें।

उन्होंने कहा, कि ''उन्हें बैठक से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी। पुरूषों ने भी हमें इस बैठक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, नहीं तो वे बैठक में आने के लिए स्वतंत्र थीं। फिर भी हमसे बैठक के दौरान क्या अपेक्षाएं हैं? इससे हमारा कौन सा हित जुड़ा है? यह पुरूषों का कार्य है, हमारा नहीं''।

वहां अन्य बहुत सारी कठिनाईयाँ थीं। होटो काफी फैला हुआ है और उसमें बहुत से आन्तरिक विभाजन है। यह 180 घरों वाला एक बड़ा गाँव है और, पाँच *मुहल्लों* में विभाजित है जोकि परिवार या वंशावली पर आधारित है। अन्ततः प्रत्येक *मुहल्ले* के पारंपरिक प्रतिनिधियों ने *मुहल्ला* स्तर पर जल समितियों का गठन किया, जोकि प्रत्येक घर से संपर्क कर बातचीत के लिए उत्तरदायी थीं। *मुहल्लों* के आधार पर अलग–अलग महिला समितियाँ भी गठित की गयीं।

समिति के सबसे युवा और शिक्षित सदस्य इन समितियों के प्रतिनिध बनाये गये। ऐसा इसलिए था क्योंकि पारंपरिक प्रतिनिधियों ने यह व्यक्त किया कि शिक्षित लोग इन जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार से निभा सकते हैं।
यहीं से प्रारंपरिक प्रतिनिधियों के पास केन्द्रित अधिकारों को अन्य लोगों से प्राप्त होने की शुरूआत हुई यह कुछ ऐसा था जो कि उनके लिए कर पाना आसान नहीं था। प्रत्येक समिति के दो सदस्यों

को, बड़ी पानी की समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया ताकि वे मोहल्ला स्तर पर संस्था की गतिविधियों की देखरेख व संचालन कर सकें।

महिलाओं के प्रस्ताव की पुरूषों द्वारा स्वीकारोक्ति

अन्ततोगत्वा, पुरूषों ने महिलाओं को पेयजल से जुड़ी समस्याओं को हल करने और रणनीतियों के निर्माण के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त बैठकों में भाग लेने की अनुमति दे दी। पुरूषों ने सुझाव दिया कि गैर पेयजल वितरण क्षेत्र के सभी घरों में पानी पहुँचाने के लिए सरकारी पेयजल वितरण योजना के तहत पड़े पुराने पाइपों को ही आगे बढ़ा दिया जाए।

महिलाओं ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा। उन्होनें महसूस किया कि अनुपयुक्त भूमि पर एक जल टैंक का निर्माण किया जाए, जो कि सर्वप्रथम, बेकार पड़े सार्वजनिक नलों को पानी उपलब्ध कराए। उन्होनें पूछा कि, नये नलों को लगवाने का क्या मुद्दा है जबकि पुराने नल पहले से ही इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं? इसके लिए कहीं अधिक सस्ता उपाय मौजूद था और समुदाय ने इसे अपनाया है।

इसके द्वारा गाँव में लोगों की सोच में एक गंभीर और सकारात्मक बदलाव आया। पहले पेयजल स्थितियों में सुधार के लिए महिलाएं अपनी सोच को लेकर निष्क्रिय थीं, जबकि पुरूष इसके संबंध में पहल करने के लिए इच्छुक नहीं थे क्योंकि घरेलू जल कार्य उनकी समस्या नहीं थे। अब महिलाएं सक्रिय भागीदार बन गयी हैं और उन्होनें अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों को महससू किया है।

उनमें से एक महिला सदस्य ने अभी हाल ही में कहा है कि, ''अब हमारे ऊपर पानी लाने का बोझ नहीं है''। 'अब हम घर पर रूक कर अपने बच्चों की देखरेख कर सकती हैं।' वे यह भी महसूस कर रही हैं कि वे अब अपनी स्वयं की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें पाने में समर्थ हैं। पानी की समिति की एक अन्य महिला सदस्य ने बताया कि, 'अब हम अपने कपड़ों को नुल्का जल व्यवस्था द्वारा उपलब्ध पानी से धो रही हैं।

ये महिलाएं अब समुदाय की अन्य महिला सदस्यों के लिए नई मांगे उठा रही हैं, जैसे स्वच्छता शिक्षा और अपने लिए अन्य विषयों का चयन भी कर रही हैं जिन्हें वे अपने लिए रूचिकर और आवश्यक समझ रही हैं। वे पानी के संग्रहण पर अधिक ध्यान दे रही हैं। वे अपने निजी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान दे रही है और वे यह भी महसूस कर रही हैं कि बीमारियों के फैलने के कारणों के संबंध में उनकी समझ और ज्ञान में बढ़ोत्तरी हुई है।

बाद में पानी की समिति की महिला सदस्यों ने स्वयं अपनी जल व्यवस्थाओं के संसाधन और प्रबंधन के लिए धन एकत्रण का कार्य शुरू किया। उन्होनें प्रत्येक घर से 10 रू. इकट्ठे किये। इस पैसे ने कोष को आधार प्रदान किया। वर्तमान में, पानी की समिति के सदस्य कोष को बनाये रखने के लिए घरों से पैसे इकटठे करने के बजाय अन्य स्रोतों और माध्यमों की तलाश कर रही हैं। वे महसूस कर रही हैं कि होटो के लोग इतने गरीब हैं कि वे इस प्रकार के निवेशों को लगातार जारी नहीं रख सकते।

समिति की अध्यक्षता ने बताया कि, ''हम प्रत्येक घर से एक किलोग्राम खुबानी की गुठली को खरीदने जा रहे हैं। यह प्रत्येक घर के लिए आसान होगा क्योंकि प्रत्येक घर के पास खुबानी उपलब्ध है। हम खुबानी को बाजार में बेच कर प्राप्त धन को कोष में जमा करेगें।'

निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव महिलाओं द्वारा अपनी लड़कियों के लिए शिक्षा की मांग के रूप में सामने आया है।

एक पानी की सदस्या ने कहा कि, 'हमारी इच्छा है कि हमारी बच्चियों को शिक्षा प्राप्त हो'। लेकिन गाँव में कोई भी विद्यालय नहीं था जब वे युवा थीं। हम जानते हैं कि बड़ी लड़कियां तो विद्यालय नहीं जा सकती हैं, अब हम अपनी छोटी बच्चियों को विद्यालय भेज रहे हैं। हम नहीं चाहती हैं कि वे हमारे जैसा जीवन जीएं बल्कि उन्हें हमसे अच्छा जीवन प्राप्त हो।'

वर्ष 1998, होटो में एक नया विद्यालय खोला गया जहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं।

अन्य गाँवों में इस दृष्टिकोण का क्रियान्वयन

इसके परिणामों से स्थानीय पारंपरिक प्रतिनिधि काफी प्रभावित हैं। होटो के एक पारंपरिक प्रतिनिधि शेख अली अहमद ने कहा कि, ''पी.ए.आर. परियोजना ने समुदाय को एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने में मदद की, जिसके बारे में पहले सोचना मुश्किल था। हमने सीखा है कि हम, किस प्रकार से अपने संसाधनों को व्यवस्थित कर और उनको एक साथ करके इस्तेमाल कर सकते हैं।

जब एक अन्य पारंपरिक प्रतिनिधि शेख आगा साहेब जो कि गाँव के बाहर रहते हैं वे होटो गाँव गये और देखा कि घरों में नलों के पानी का उपयोग हो रहा है और लोगों ने स्वयं ही अपनी पानी से जुड़ी समस्याओं को हल कर लिया है। उन्होनें इसी दृष्टिकोण को दूसरो गाँवों में क्रियान्ति करने के उद्देश्य से एक अल–मुन्तजर नामक संस्था का गठन किया और इस दृष्टिकोण को अन्य समुदाय विकास से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए अपनाया।

स्रोतः अज्ञात। यदि पाठक इस केस अध्ययन के स्रोत के बारे में जानते हैं तो कृपया हमें सूचित करें।

पाकिस्तान

जागरूकता से जुड़ी आत्मविश्वास की ओर: बांदा गोल्रा जल आपूर्ति योजना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

चुनौतियां

बांदा गोल्रा पाकिस्तान का एक छोटा गांव है, जहां लगभग 120 घर है। अधिकांश पुरुष सदस्य मजदूर के रुप में कार्य करते हैं जबकि महिलाएं पारस्परिक रुप से घरों से जुड़े कार्यों को करती है, उनकी निर्णय लेने में बहुत ही कम भूमिका होती है। अधिकांश परिवार बड़े हैं क्योंकि महिलाओं को परिवार नियोजन साधनों को अपनाने की अनुमति नही है। अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं, जबकि अधिकतर पुरुषों ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। महिलाएं घरों पर काम करती हैं, पालतू पशुओं की देखरेख करती हैं और अन्य घरेलू कार्यों को करती हैं। कई दशकों से इस क्षेत्र में जल की उपलब्धता और उसकी प्राप्ति एक गम्भीर समस्या रही है। गांव के जल संसाघनों के अन्तर्गत मात्र दो प्राकृतिक झरने हैं जो गाँव के लोगों के साथ–साथ, पालतू जानवरों और वन्यजीवों द्वारा प्रयोग किये जातें हैं। पेयजल के एकत्रण की जिम्मेदारी महिलाओं की है और वे इस कार्य हेतु 2 से 3 घंटे लगाती हैं। पालतू पशुओं और अन्य घरेलू कार्यों के लिये पानी को एकत्र करने में प्रत्येक सप्ताह एक दिन का समय लगता है।

इस गाँव में मौजूद सामुदायिक सरकारी पाइपलाइन में, सप्ताह में केवल दो दिन ही जल की आपूर्ति होती है तथा यह स्थानीय जल की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं थीं। बच्चों में अतिसार सम्बंधी गंभीर समस्यायें फैली हुई थीं। इन दी गई परिस्थितियों में, जल एवं स्वच्छता की व्यवस्था को लोगों तक पहुँचाने में सुधार की आवश्यकता है।

कार्यक्रम / परियोजनायें

बांदा गोलरा में, नसीम बीबी, जो एक गरीब महिला है जिनके पास फसल उत्पादन के लिए जमीन नहीं थी तथा इनके पति निर्माण कार्य में काम करते हैं, के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं ने अपनी जलापूर्ति योजना को संगठित करते हेतु अन्य ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (एस.आर.एस.पी.), एक क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठन जोकि समुदाय आधारित समूहों को धन देना है, से ऋण लेने हेतु योग्य बनने के लिए नसीम बीबी ने वर्ष 2002 में समुदाय आधारित महिला संगठन (सी.बी.ओ.) का निर्माण किया।

सी.बी.ओ. के सदस्यों ने बचत योजनाओं की शुरुआत की तथा, दो वर्षों के दौरान, 21 महिलाओं ने एस.आर.एस.पी. से ऋण प्राप्त किया, जिसे सभी महिलाओं ने सफलतापूर्वक चुका भी दिया। सी.बी. ओ.की मासिक बैठकों के दौरान महिलाओं ने जल तक लोगों की पहुँच को बनाने हेतु कार्यवाही को प्राथमिकता दी है तथा ग्राम स्तरीय जलापूर्ति योजना के निर्माण का निश्चय किया। इस परियोजना के अन्तर्गत, गाँव के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्पों को लगाना शामिल था। इसके लिए समुदाय को कुल लागत का 20 प्रतिशत तथा एस.आर.एस.पी. को 60 प्रतिशत सहयोग देना था। इस केस अध्ययन में यह स्पष्ट रुप से वर्णित है कि किस प्रकार से एक समूह अपने गाँव में जल की व्यवस्था करने में सफल रहा तथा किस प्रकार से नसीम बीबी के व्यक्तिगत नेतृत्व एवं इस योजना की स्वीकारोक्ति दिलाने हेतु महिलाओं की रणनीतियां सफल हुईं। नसीम बीबी को देखने के बाद अन्य महिलायें भी समुदाय की प्रतिनिधि बनने के लिए आगे आयीं। नसीम बीबी ने इस जल योजना परियोजना में प्रबंधक के रुप में कार्य किया तथा इस परियोजना को प्रबंधित करने हेतु तीन समितियों का गठन किया गया। प्रतिभाग करने वाला प्रत्येक घर हैन्डपम्पों को लगाने वाले मजदूरों को बारी–बारी से भोजन एवं आवास उपलब्ध कराते थे। ग्रामीण महिलायें हैण्डपम्प को लगाने हेतु जमीन को नरम करने व उसके प्लैटफार्म के निर्माण में भी मदद करती थीं।

परिणाम / निष्कर्ष

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य :

- अब यहाँ परिवारों में, विशेषकर महिलाओं एवं लड़कियों में, स्नान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा प्रत्येक परिवार अपने कपड़ों को सप्ताह में एक बार धोने के बजाय रोज धोता है। जल एकत्रण में खर्च होने वाले समय की दर घटी है, जिसके परिणामस्वरुप अन्य गतिविधियों को सुचारु रुप से चलाने हेतु समय सीमा में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है।
- अपने नए जल संसाधन की सफाई व सुरक्षा में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
- जीव –जन्तुओं के अपशिष्ट के कारण नए जल संसाधनो पर होने वाले प्रदूषण की दर घटी है।

महिला सशक्तीकरण एवं नेतृत्वकर्ता के रुप में महिलाओं को मान्यता :

- अब इस समुदाय में, लगातार गर्भधारण करने संबंधी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुली परिचर्चा, संभव हो चुकी है। लगभग 35 साल तक की महिलाओं ने निर्णय लिया कि अब वे अपना परिवार छोटा ही रखेंगी।
- घरेलू स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता मे महिलाओं की वर्तमान स्थिति मे सुधार हुआ है तथा वे जल एवं ऋण योजनाओं में भी शामिल होने लगी हैं। इसके साथ ही जनसामान्य की गतिविधियों में प्रतिभाग करने की महत्ता में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
- अब यह समझ और भी विकसित हुई है कि किस प्रकार से ये गतिविधियाँ, महिलाओं के परिवारों को इन नई सेवाओं द्वारा, लाभ पहुँचा सकती हैं तथा अब पुरुषों द्वारा इस बात की भी स्वीकृति मिल चुकी हैं कि महिलायें एक प्रभावी सामुदायिक प्रतिनिधि बन सकती हैं।
- अपने घरों से बाहर महिलाओं के सामाजिक संबंधों व सामाजिक उन्मुखीकरण के कारण उनमें स्वतंत्रता की भावनाओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

शिक्षाः

- शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच में सुधार हुआ है। गाँव में एक अनौपचारिक विद्यालय की स्थापना की गयी है, जो विशेषकर लड़कियों हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों कक्षाओं का संचालन भी करता है।

सामुदायिक भागीदारी की प्रतिशतता में वृद्धिः

- परिवार के पुरुष सदस्यों के समर्थन से कई नए लोगों ने सी.बी.ओ. की सदस्यता ग्रहण की। वे ग्रामीण जिन्होंने इन योजनाओं में प्रतिभाग नहीं किया वे समझते हैं कि यह एक ऐसी योजना है कि जिसे सम्पूर्ण समुदाय की ओर से क्रियान्वित किया गया है।

सफलता के प्रमुख कारक

समुदाय आधारित महिला संगठन इन जल योजनाओं को चलाने हेतु पुरुषों के समर्थन को प्राप्त करने में सफल रहीं क्योंकि इसका आरम्भ उन लोगों के कारण सम्भव हुआ जो अपने घरेलू संबंधों के कारण एक दूसरे पर विश्वास करते तथा जल योजनाओ को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। नसीम बीबी के नेतृत्व को उनके पति द्वारा मिले समर्थन से उन्हें ऋण एवं जल योजनाओं दोनो ही संगठनों के संचालन में काफी मदद मिली।

एस.आर.एस.पी. की लघु ऋण योजनाओं द्वारा महिलाएं अपने परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक समर्थन देने हेतु योग्य हुई, जिससे महिलाओं को परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा सम्मान मिला तथा साथ ही साथ उनके घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर निर्णयन क्षमताओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

सी.बी.ओ. सदस्यों के पुरुष रिश्तेदारों ने यह अनुभव किया कि महिलाओं के प्रतिभाग करने से सम्पूर्ण परिवार को लाभ मिलता है। परिणामस्वरुप महिलाओं को जलापूर्ति योजना हेतु पुरुषों के

समर्थन को प्राप्त करने मे मदद मिली तथा इससे यह तथ्य उभर कर आया कि साझा प्रबंधक मॉडल में ग्रामीण पुरुषों को शामिल करने से महिलाओं को काफी मदद मिलती है।

प्रमुख अवरोध

इस समाज/समुदाय में पुरुष ही गाँव के अधिकांश संसाधनों, जिसमें घर व जमींन शामिल है, को अपने पास रखते व इसका नियंत्रण करते हैं। राज्य एवं इस्लाम के कानून के अनुसार महिलायें भी पैतृक संपतियों की उत्तराधिकारी हो सकती हैं, परन्तु कई मामलों में वे इन संपत्तियों के उत्तराधिकार को प्राप्त करने में असफल रहती हैं अथवा उन पर, अपने पुरुष रिश्तेदारों के पक्ष में इन अधिकारों को त्यागने हेतु, दबाव डाला जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ही गाँव के निर्णयन क्षमता में प्रतिभाग करतें हैं, हालांकि कई महिलायें, जो जल एवं ऋण योजनाओं में शामिल रहती हैं, ने पाया कि समुदाय के सदस्य अब उनकी बातों पर ध्यान देने लगे हैं। कई महिलायें, अब परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रतिरोध के बजाय सी.बी.ओ. की अन्य गतिविधयों में समर्थन प्राप्त करने मे सफल रहीं।

परियोजना का भविष्य

जलापूर्ति एवं ऋण योजनाओं के सफलतापूर्वक समापन के बाद समुदाय के सदस्य अब नसीम बीबी को एक ऐसे अनौपचारिक प्रतिनिधि के रूप में देखने लगें हैं, जिनका गैर सरकारी संगठनों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है तथा अब वे रोजगार एवं ऋण हेतु उनके पास जाते हैं। गाँव में स्वच्छता की महत्ता सम्बंधी सोच व समझ में बदलाव इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। महिलाओं के साक्षात्कारों से यह सूचना मिली कि वे अपने सी.बी.ओ. की अगली बैठक में ग्रामीण स्वच्छता योजना को लागू करने सम्बंधी प्रस्ताव को पारित करने की योजना बना रही हैं।

अधिक जानकारी के लिए

- शोधकर्ता से संपर्क करें: जोहदा बोखारी
  johdahb@yahoo.com
- ग्रामीण सहायता कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखें:
  http://www.rspn.org

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

सेनेगलः
समुद्री एवं समुद्रतटीय संसाधनों में महिलाओं की भूमिका, कायर

यह केस स्टडी कायर, सेनेगल में महिलाओं की मत्स्य और समुद्रतटीय संसाधन प्रबंधन में भूमिका को उजागर करती है। इस संसाधन के प्रबंधन को प्रायः मछली पकड़ने के कार्य के रूप में देखा जाता है। कायर में मत्स्य संसाधनों और समुद्री पर्यावरण प्रबंधन का मॉडल लंबी प्रक्रिया का परिणाम है जो अपने स्रोत को पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों से प्राप्त करता है जिसमें महिलाएँ सीमांकित समूह के रूप में नहीं है बल्कि सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करती हैं।

परिचय

कायर, डकार के करीब 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक मछुआरा गाँव है, जहाँ पर देश में व्याप्त मछुआरा समुदायों में से सबसे महत्वपूर्ण कुशल मछुआरा समुदाय रहता है।

कायर, सेनेगल

पिछले बीस वर्षों के दौरान, विशेषतया 80 के दशक के मध्य के सूखे के वर्षों में और कृषि क्षेत्र में संकट के कारण समुद्री संसाधनों पर दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि मछली की कमी हो गयी है। विशेषतया गहरे पानी में तैरने वाली मत्स्य प्रजातियों और शंखमीनों का बहुत ज्यादा मात्रा में शिकार किया गया। सतही जल में तैरने वाली प्रजातियों को अधिकतम मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शिकार कर पकड़ा गया है। यह समस्या उत्तरी देशों से आये बड़े जहाजों के कारण काफी बढ़ गयी है, जोकि अपने यहाँ ज्यादा मछली पकड़ने के बाद पश्चिमी अफ्रीका आ गये हैं, जहाँ मछली पकड़ना ज्यादातर अविनियमित और पारंपरिक छोटी नौकाओं के समुद्री बेड़ों के द्वारा बाधित होता है, अतः कुल मछली पकड़ने के दबाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। सेनेगल के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में (ई.ई.जेड.) में करीब 400.000 टन मछली वार्षिक तौर पर पकड़ी जाती है। मछली पकड़ना वर्तमान में देश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है।

- इस क्षेत्र में लगभग 15 प्रतिशत सेनेगल के लोग कार्यरत हैं जिनकी जनसंख्या (600.000 लोग) को रोजगार मिला है।
- यूरोप, एशिया और पड़ोसी देशों को निर्यात किये जाने वाली मछली और इसके उत्पाद सेनेगल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिससे करीब 300 मिलियन यूरो का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है जो कुल निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत है।
- सेनेगल की सरकार सेनेगलीज "एक्सक्ल्यूसिव एकोनोमिक जोन" (ई.ई.जेड.) के लिए यूरोपीय और एशियाई औद्योगिक मत्स्य जहाजों के लिए प्रवेश की अनुमति देकर राजस्व प्राप्त करती है।
- सेनेगल के लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाले जंतु प्रोटीन का 5 प्रतिशत भाग मछली और इसके उत्पादों से प्राप्त होता है।

मछली पकड़ने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। उनकी मुख्य गतिविधियाँ हैं:

- मत्स्य उत्पादों प्रसंस्करण करना और उससे जुड़े कार्य जैसे स्वच्छजल और लकड़ी के ईंधन को एकत्र करना।
- व्यापार महिलाएँ मत्स्य उत्पादों को स्थानीय बाजारों, रेस्तराँ या अन्य बाजारों में बेचने और खरीदने में व्यापक रूप से शामिल हैं।

मत्स्य–उद्योग क्षेत्र से जुड़ी समस्याएँ, साधारण तौर पर संरक्षण और जैवविविधता मुद्दों से संबंधित नहीं हैं, किंतु वे स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रुचियों से गहराई से जुड़ी हैं।

महिला मत्स्य संसाधनकर्ता

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) पश्चिमी अफ्रीका कार्यालय की प्रथम मुख्य पहल उनकी याकार परियोजना ('होप' स्थानीय वोलोफ भाषा में) थी। "याकार, कायर में समुद्री संसाधनों और पर्यावरण का समुदाय प्रबंधन", ने उस क्षेत्र में मछली पकड़ने की समस्याओं को हल करने के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की। इस परियोजना का उद्देश्य मत्स्य संसाधनों का संरक्षण, मछुआरों के बीच गरीबी में कमी और समुद्री उत्पादों की सफाई में सुधार करना था।

याकार परियोजना ने वर्ष 2003 में अपनी गतिविधियों की शुरूआत की। यद्यपि, यह संरक्षण मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित थी और इसमें दूसरे मुद्दों को स्थान नहीं दिया गया था। इसमें प्राकृतिक आजीविका संसाधनों और गरीबी उन्मूलन के बीच के संबंधों को ध्यान में रखने की आवश्यकता थी।

कार्यक्रम *"सेफगार्डिंग नेचुरल मैरीन रिसोर्सेस फॉर कोस्टल कम्युनिटीज"* की शुरूआत हुई। यह कार्यक्रम प्राकृतिक आजीविका संसाधनों और गरीबी उन्मूलन पर डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ., आई.यू.सी.एन. नीदरलैंड कमेटी ऐंड फ्रैंड्स ऑफ द अर्थ के द्वारा शुरू किया गया वृहत्तर कार्यक्रम का एक भाग था। इसकी शुरूआत जनवरी 2004 में तीन–वर्ष की अवधि के लिए की गयी। इसका व्यापक उद्देश्य "प्राकृतिक समुद्री संसाधनों और उनपर निर्भर लोगों के कल्याण पर केन्द्रित था।

इस कार्यक्रम के तहत तीन मॉड्यूल तैयार किये गये जिसमें गरीबी उन्मूलन प्रमुख मुद्दा था। इन मॉड्यूलों में: समुद्रतटीय मछली पकड़ने वाले समुदायों में लघु–स्तरीय मछुआरों का गरीबी उन्मूलन; समुद्रतटीय मछली पकड़ने के लिए अन्य साधनों के बीच, आपूर्ति और उच्च कीमतों और मछुआरों की आमदनी सृजन में स्थानीय विनियमन के द्वारा बाजार अवसरों का सृजन; और मछली पकड़ने के बेहतर परिणामों के लिए क्षमता विकास की दिशा में नागरिक संगठनों के बीच सहयोग और आदान–प्रदान को समर्थ करने पर आधारित था।

जैवविविधता संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि थी:

- "मुटुएले डी'इपेरजेन एट क्रेडिट", जो करीब 6 महीने बाद (अक्टूबर 2004) संचालित हुआ। इस गतिविधि को प्राकृतिक आजीविका संसाधन और गरीबी उन्मूलन पर कार्यक्रम के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त थी।
- कायर में समुद्री सुरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने की प्रक्रिया एक सहभागी प्रक्रिया थी जिसमें सभी हितधारक, मुख्यतया कुशल मछुआरे और वे महिलाएँ जो मछली का परिरक्षण और विक्रय करती थीं, शामिल थे।

मुद्दे की महत्ता

यह समझ कि किस प्रकार लोग एक दूसरे को और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, प्रभावी संसाधन नीति का एक आवश्यक अंग था। नीति निर्माण जिसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एम.पी.ए.) भी शामिल हैं, सबसे ज्यादा जानकार व नवीनता लिये दिखाई दिये जब वे सभी हितधारकों के दृष्टिकोणों और अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार थे। यद्यपि, संपूर्ण विश्व में समुद्रतटीय और समुद्री संसाधनों के प्रयोग में उनके शामिल होने के बावजूद, कई महिलाएँ उन संसाधनों के नियोजन और प्रबंधन में

पूर्णतया भाग लेने के लिए अवरोधों का सामना करती हैं। इस प्रकार के अवरोध प्रकृति में संस्थागत, शैक्षिक या सांस्कृतिक हो सकते हैं, और गंभीर रूप से निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं जोकि समुद्री संसाधनों और समुद्रतटीय समुदायों को प्रभावित करता है। यह केस स्टडी कायर, सेनेगल में मछली पकड़ने और समुद्रतटीय संसाधन प्रबंधन में महिलाओं के पूर्णतया शामिल होने के प्रयास को उजागर करती है।

केस

समद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी

अधिकतम देशों में, महिलाएँ समुद्री और समुद्रतटीय संसाधनों के नियोजन, विकास या प्रबंधन में शामिल नहीं की जाती या अभी भी उनकी उपेक्षा की जाती है। सौभाग्य से, कायर में एम.पी.ए. के स्थापित होने की प्रक्रिया में जेण्डर और विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को टिकाऊ विकास के केंद्र के रूप में मान्यता दी गयी।

उनकी विभिन्न भूमिकाओं के कारण, एम.पी.ए. महिलाओं और पुरुषों को भिन्न तरीके से प्रभावित करता है, चाहे उनका परामर्श हो या उनकी भागीदारी, पुरुष और महिलाएँ दोनों एम.पी.ए. के क्रियान्वयन और प्रबंधन पर प्रभाव डालते हैं। जेण्डर विभिन्नताओं को मान्यता और एम.पी.ए. नियोजन में उसका एकीकरण, महिलाओं और पुरुषों दोनों के भाग लेने और एम.पी.ए. से लाभ प्राप्त करने के अवसर को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप सफलता प्राप्त होती है।

एम.पी.ए. हितधारक के रूप में महिलाएँ

जब नियोजनकर्ता संसाधन प्रबंधन में केवल पुरुषों से ही विचार–विमर्श करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे केवल आधी जनसंख्या से विचार–विमर्श कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप उनसे आधी जानकारी छूट जाती है। कायर के मामले में, प्रारंभ में ही एम.पी.ए. को स्थापित करने की सहभागी प्रक्रिया में समुदाय के पुरुष और महिलाएँ दोनों शामिल थे। महिलाओं की सहभागिता केवल उनकी संख्या से नहीं देखी जाती थी। महिलाओं को से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी होती है क्योंकि वे प्रायः भू–दृश्य के विभिन्न स्थानों का प्रयोग करती है। इसके कारण से, वे "व्यापक तस्वीर" प्रस्तुत करने के योग्य थीं जोकि केवल पुरुषों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर केंद्रित नहीं थी।

विभिन्न महिला संघ (*ग्रुपमेन्टेस डी प्रमोशन फेमिनाइन संघ,* मत्स्य संसाधन संघ, समुद्रतटीय सफाई समिति, आदि) ने ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस संदर्भ में, महिलाओं की सहभागिता के स्तर को उनके विभिन्न समितियों और स्थानीय सह–प्रबंधन निकायों में विभिन्न मुख्य पदों पर चयन के रूप में देखा जा सकता है।

कायर में मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता नजर आया। बेहतर प्रबंधन के कारण, मछली का आकार उसकी कीमत के साथ–साथ बढ़ रहा था। मछुआरे और मत्स्य प्रसंस्करणकर्ता (महिलाएँ) उत्पाद को ज्यादा मूल्यवान बनाने मिले प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए। यद्यपि, सह–प्रबंधन के कारण सभी समस्यायें नहीं सुलझी हैं, परन्तु मछुआरा और महिला संगठन सशक्तीकृत महसूस करते हैं और वे अपनी प्रबंधन व्यवस्था की गुणवत्ता से सुपरिचित हैं।

महिलाओं के लिए लघु–वित्त की स्थापना

समुद्री और समुद्रतटीय संसाधनों पर गैर टिकाऊ दबावों को कम करना, जैवविविधता को बचाने का एक साधन है। किंतु जब जीविका या मछुआरों से दबाव आता है तो स्थिति ज्यादा जटिल हो जाती

है क्योंकि लोगों की आजीविका दाँव पर लगी होती है। एक तकनीक मछुआरों को ज्यादा पर्यावरण मित्र तरीके को अपनाने और दूसरी उनकी और उनके परिवार की मछली पकड़ने से अन्य रोजगार की तरफ परिवर्तन करने में मदद करना था। ये अनिवार्यतः खर्चीले उद्यम नहीं हैं किंतु उनके लिए भी कुछ धन की आवश्यकता होती है और लघु–स्तर वाले मछुआरों के पास शायद ही पूंजी होती है। यही कारण रहा कि डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. जेण्डर–अनुकूल समुदाय आधारित लघु–वित्त व्यवस्था को शुरु करने के लिए मदद करने में सक्रिय हुआ। कायर में आज भी यह अनुभव अत्यधिक सकारात्मक है। ऋण संघ केवल धन ही प्रदान नहीं करते हैं बल्कि वे सशक्तीकृत भी करते हैं। ऋण संघ गरीबी कम करने और बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के साधन हैं। कायर में, उदाहरणार्थ, महिलाओं ने सब्जी की खेती करने, पशुधन, दुकान खोलने और "बिचौलिए" को अपने मत्स्य उत्पादों को बेचने के बजाय अपना थोक मत्स्य व्यवसाय शुरू करने में लघु वित्त का प्रयोग किया। वर्ष 2004 में संचालन शुरू करने के समय से लेकर अब तक 206 लघु ऋण दिए जा चुके हैं। शुरूआत में अनुदान की व्यवस्था डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. से लिए गए करीब 15000 यूरो के ऋण, और करीब 7500 यूरो की व्यवस्था सदस्यों के बचत फंड से पूरी की गयी। वर्तमान में, ऋण संघ ने ब्याज अदायगी से 9000 यूरो से भी ज्यादा वापस प्राप्त कर लिया है और डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. को लगभग 4000 यूरो चुका भी दिया है। यह अनुमान है कि डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. द्वारा दिया गया सभी अनुदान अक्टूबर 2007 तक अदा कर दिया जायेगा और उस समय ऋण संघ पूर्णतया स्व–सक्षम हो जायेगी।

ऋण संघ में सदस्यता समुदाय सदस्यों के लिए सीमित है और ग्रामीण समुदायों में आन्तरिक निजी संबंधों और पारिवारिक बंधनों के नजदीक हैं सामाजिक दबाव यह सुनिश्चित करता है कि धन को उचित तरीके से उधार पर लिया जाए और उसकी अदायगी भी की जाए। आज तक, कोई भी ऋण ऐसा नहीं है जिसे चुकाया न गया हो और केवल करीब 9 प्रतिशत ऋण ही अनुमानित से भी थोड़ी देरी से वापस किया जा रहा है।

मुख्य उधार लेने और देने के नियम सेनेगल के सेंट्रल बैंक द्वारा स्थापित किये गये हैं किंतु स्थानीय समुदाय इसके अतिरिक्त भी विनियमन स्थापित कर सकते हैं (उदाहरणार्थ कौन सी गतिविधियाँ ऋण योग्य हैं)। एक समुदाय काउंसिल, जो कि सदस्यों से बनी है, और एक आम सभा के रूप में समय–समय पर एकत्रित होती है। प्रत्येक ऋण संघ संचालन सिद्धांतों से सहमत होनी चाहिए, समुदाय के द्वारा विकसित होनी चाहिए, जो स्पष्टतया लिखी गयी हो कि किस प्रकार ऋण का प्रयोग और किसके द्वारा होना चाहिए। कायर में, समुदाय ने केवल उन गतिविधियों को ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया जो पर्यावरण के लिए सही थी गरीबी में कमी लाने वाली और विकास को प्रोत्साहित करने वाली थी।

ऋण संघ को स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है इसलिए डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. ने समुदायों को संगठित करने और ऋण संघ कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में मदद की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुविधाओं को सरकार के मानकों के अनुसार और समुदायों के द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार संचालित किया जा रहा है, के लिए समय–समय पर ऑडिट आयोजित की गयी।

लघु–वित्त कार्यक्रम समुदायों विशेषतया समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की महिलाओं की स्थानीय अर्थव्यवस्था के विस्तार और विविधीकृत करने में मदद करने के समर्थ व शक्तिशाली साधन के रूप में हैं। जन जागरूकता और तकनीकी समर्थन के अतिरिक्त, ऋण संघ को स्थापित करने में रुचि रखने वाले समुदायों और वे जो पहले से संचालित कर रहे हैं के बीच विभिन्न सूचना आदान–प्रदान के लिए वर्तमान योजनाएँ प्रस्तावित हैं। यह उन मछुआरों और उनके परिवारों के लिए है जिनके पास दूसरे

लोगों के साथ कार्य करने का अनुभव है। यह विशेषरूप से एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जोकि मछुआरों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष / अनुभव

क्या सफल रहा और क्यों?

एक माँग आधारित तरीकाः वैकल्पिक रोजगार अवसरों की अनुपस्थिति में कायर के मछुआरे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतया मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। अतः इस संसाधन की क्षतिपूर्ति और रखरखाव, उनकी स्थिति को और खराब होने से बचाने की पूर्वशर्त है। वास्तव में, कायर में ये मछुआरे ही थे जिन्होंने वर्ष 1994 में वित्तीय संकट से बचने के लिए एक दशक से भी ज्यादा पहले टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. का कार्यक्रम समुदायों के सहयोग से क्या करने की आवश्यकता है जानने के लिए विचार–विमर्श किये जिससे की समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों को योजित किया जा सके। लघु–वित्त की व्यवस्था की स्थापना गाँव के लोगों की एक स्पष्ट माँग थी। महिलाओं ने भी मछलियों के प्रसंस्करण के लिए नये ओवेन के निर्माण की आवश्यकता और वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण (लेखा, बजट निर्धारण) की आवश्यकता को भी व्यक्त किया। डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. की गतिविधियाँ समुदायों की उन समस्याओं के समाधान करने की कोशिश कर रहा था जो अभी भी निपटाई नहीं जा सकी थी।

कायर ने आज स्थानीय मछली पकड़ने के संगठनों अच्छी तरह से संगठित कर लिया है। कायर ही सेनेगल में केवल मछली पकड़ने वाला गाँव है जिसमें सामुदायिक प्रबंधन है। प्रायः संगठन एक आर्थिक पहलू भी रखते हैं, क्योंकि कई *ग्रुपमेन्टेस डी'एन्टीरेट इकोनामिके (जी.आई.ई.)* और महिलाओं की महत्वपूर्ण साझेदारी होती है। वे मछुआरों को सरकारी ''सर्विस डी पेचे'', मत्स्य विभाग की स्थानीय शाखा में पहचान कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। कुछ गाँवों में आंतरिक पेशेवर समुदाय में इन समूहों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि वाले होते हैं जो घाट को व्यवस्थित करते हैं। इनकी गुणवत्ता और शक्ति एक मछली पकड़ने वाले समुदाय से दूसरे में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है।

वर्ष 2000 की शुरूआत से ही, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. एक तरफ मछुआरों द्वारा समुद्री संसाधनों के दोहन और गरीबी में कमी और दूसरी तरफ केवल संरक्षणकर्ताओं की समस्याओं और अति–दोहन के खतरे के बीच की नजदीकी कड़ी से पूर्णतः अवगत था। कायर में डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ के कार्यक्रम के तरत मछुआरा समुदाय में पारंपरिक तरीकों को प्रभावित करने की व्यापक रणनीति का विकास किया। साथ ही संरक्षण एवं समुदाय में महिलाओं एवं पुरूषों के विकास के अन्तर को खत्म करने की कोशिश की। आजीविका पर पड़ने वाला तत्काल प्रभाव मछली पकड़ने, मत्स्य संसाधन के लिए ओवेन का निर्माण करने, और एक सहभागी ऋण योजना की शुरूआत करने जिसका अनुदान मछली पकड़ने के क्षेत्र (नाव, आडटबोर्ड मोटर्स, गीयर) और इसके बाहर (बागवानी, वाणिज्य) के समर्थन के कारण शायद दिखाई दिया। प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन में समुदायों की सहभागिता, परियोजना द्वारा समर्थित उपायों और स्वीकृति के स्वामित्व के लिए निर्णायक रही है। महिलाएँ संगठनात्मक योजना और गतिविधियों के क्रियान्वयन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

क्या सफल नहीं रहा और क्यों?

सेनेगल की सरकार के अनुसार कायर का मॉडल न केवल बाकी सेनेगल के लिए बल्कि अन्य के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यद्यपि, इसके विस्तार के लिए यह अनिवार्य है कि संबंधित समुदायों और उनके संगठनों को उनके प्रबंधन योजनाओं के साथ–साथ प्रवासी मछुआरों और अन्य

समुदाय सदस्यों के साथ कार्य करने के लिए कानूनी हैसियत दी जाए। कायर के लिए इस प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का प्रावधान उस रहस्यमयी तथ्य का भी स्पष्टीकरण है कि सभी सेनेगल के मछली पकड़ने वाले समुदाय जोकि लगभग एक ही प्रकार की समस्याओं को झेल रहे थे और एक ही प्रकार की सामाजिक–सांस्कृतिक परंपरा को मानते थे। केवल यही एक ऐसा अकेला समुदाय स्थिति को बदलने में कामयाब रहा।

कई उदाहरणों में, महिलाओं की भूमिका परियोजना गतिविधियों (अर्थात् प्रशिक्षण और सेमिनार, आजीविका परियोजना विकास, समर्थ और लॉबी प्रयास) में सीमित होती है। उनकी सहभागिता के परिणामस्वरूप, जेण्डर निष्पक्षता मामलों (अर्थात् संसाधन तक पहुँच, उत्पादन के घटकों तक पहुँच (कच्चा माल, अतिरिक्त पूंजी, बाजार पहुँच) को आगे बढ़ाने के अवसर हो सकते हैं जिनको अभी विकसित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह देखना ज्यादा रुचिकर होगा कि किस प्रकार महिलाएँ लाभ वितरण, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संसाधन प्रबंधन जो टिकाऊ प्रयोग, संरक्षण/पुनर्वास, और पुरुषों व महिलाओं के निष्पक्ष लाभों को समुदाय में सुनिश्चित करने में सक्षम होती हैं।

प्रमुख अनुभव

स्थानीय समुदायों की जेण्डर संरचना के बारे में जाना और पता लगाया कि महिलाएँ प्रायः पुरुषों की तरह भाग क्यों नहीं ले पाती हैं, महिलाओं और पुरुषों दोनों से चर्चा की और धीरे–धीरे पुरुषों का समर्थन भी प्राप्त किया।

- जैवविविधता के बारे में महिलाओं के ज्ञान का प्रयोग, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में समुद्री पर्यावरण से भिन्न रूप से जुड़ी होती हैं (मछली पकड़ने की बाद की गतिविधियों में इनकी भूमिका जैसे मछली की गटिंग, तथा मछली के जनन मौसम के बारे में उन्हें ज्यादा ज्ञान प्रदान कर सकती हैं)।
- सभी गतिविधियों में निष्पक्ष सहभागिता को सुनिश्चित करना, जिसमें हितधारकों और कर्मचारियों (यह मान्यता कि सहभागिता कभी भी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए) दोनों के प्रशिक्षण शामिल है। इसका अर्थ सभाओं का इस प्रकार नियोजन है जोकि महिलाओं की उपलब्धता और सुविधानुसार हो (पारंपरिक पुरुष स्थल नहीं)।
- सहभागी विधियों का प्रयोग, जैसे एकल जेण्डर समूहों और पुरुषों और महिलाओं से अलग सभाएं।
- यह मानीटर करना कि किस प्रकार महिलाएँ और पुरुष भाग लेते हैं और समुद्रतटीय संसाधन प्रबंधन से लाभ उठाते हैं।
- लिंग संबंधी महिलाओं और पुरूषों के अलग–अलग आँकड़ों को सभी नियुक्तियों, प्रशिक्षण, उद्यम समूह ऋणों, और सभाओं में खर्च किए गय बजट और दोनों जेण्डरों की भागीदारी के अनुपात में रखा जाना चाहिए।
- 'एक आदर्श' तैयार करने और नेतृत्व व जेण्डर समानता को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी लेने हेतु तैयारी करना।

अतिरिक्त जानकारी और लेखक के लिए संपर्क करें:
डॉ अरोना सौमेर
डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. वामेर
ई–मेल: asoumare@wwfsenegal.org
दूरभाष: +221 8693700 फैक्स: +221 8693702

दक्षिण अफ्रीकाः
स्वच्छता एवं ईंट निर्माण परियोजना में महिलायें, माबुल गाँव

चुनौतियाँ

दक्षिण अफ्रीका के माबुल गाँव में 450 घर स्थित थे। माबुल गाँव के पुरूष साधारणतया प्रवासी मजदूर होते हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण महिलाओं को बच्चों, बड़ों, घर की देखरेख, भोजन बनाने के साथ–साथ जलौनी लकड़ी व जल एकत्रण जैसे अत्यधिक समय की मांग वाले कार्यों का उत्तरदायित्व भी उठाना पड़ता था। अस्वास्थ्यकर पर्यावरण एवं पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण इस गाँव में कॉलरा जैसी जटिल बीमारियाँ काफी व्यापक थीं। व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता था। इस गाँव का एकमात्र निकटतम जलस्रोत 10 किमी. दूर था। स्वच्छता सुविधाओं की बनावट व अस्वच्छता के कारण कई महिलाओं व लड़कियों को, स्वच्छता सुविधाओं के प्रयोग करने में काफी परेशानी होती थी। लड़के एवं पुरूष आस–पास की झाड़ियों में ही मलत्याग करते थे। स्वच्छता संबंधी जागरूकता के अभाव के अलावा ईंट जैसी आधारभूत निर्माण सामग्रियों की कमी व ग्रामीणों में कौशल के अभाव के कारण, इस परिस्थिति को परिवर्तित करना काफी मुश्किल था।

कार्यक्रम / परियोजनाएं

इन समस्याओं के निराकरण हेतु डिर्पाटमेन्ट ऑफ वाटर अफेयर एण्ड फॉरेस्ट्री (डी.डब्ल्यू.ए.एफ.), समुदाय व मुओला ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से माबुल स्वच्छता परियोजना का निर्माण किया गया। बाद में एक गैर सरकारी संगठन ने, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु दक्षिण अफ्रीका में जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं को लागू किया। इन परियोजनाओं हेतु चयनित रणनीतियाँ पूर्ण रूप से सेवाओं के विकास व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने पर केन्द्रित थीं, क्योंकि महिलायें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने संबंधी सेवाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने में शामिल होती हैं।

स्वास्थ्य विभाग, माबुल ग्राम क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है व बच्चों हेतु रोगों की रोकथाम से जुड़े मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहा है, परन्तु यह कार्यक्रम, समुदाय के स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को परिवर्तित करने में प्रभावी नहीं रहा। गाँव की महिलाओं का एक समूह, गाँव में क्षरित होते स्वास्थ्य व स्वच्छता परिस्थितियों से संबंधित शिकायतों को लेकर आया तथा इस परिस्थिति में सुधार लाने की माँग की।

विकासशील परिवर्तनों से संबंधित माबुल ग्राम के महिलाओं की वचनबद्धता से प्रभावित होकर, मुओला ट्रस्ट व डी.डब्ल्यू.ए.एफ. ने स्वच्छता परियोजना के लिए आवश्यक परियोजना संसाधनों व सामग्रियों को उपलब्ध कराया। सरकारी स्तर पर, डी.डब्ल्यू.ए.एफ. ने केवल उस शर्त पर स्वच्छता परियोजनाओं को अनुदान देने का निर्णय लिया जिसमें निर्णय लेने की प्रणाली में जेण्डर संतुलन हो। इस परियोजना का संचालन समुदाय द्वारा चयनित समिति करती थी, जिसमें सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों को बनाया गया था। शैक्षणिक दिशानिर्देशों के कारण, वे महिलाएं जो स्वास्थ्य विभाग के पूर्ववर्ती शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ ले चुकी थीं, दस पदों पर चयनित हुईं। इसके अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण एवं आय स्रोत के उत्पादन हेतु सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए ईंट निर्माण परियोजना को लागू किया गया। स्वच्छता एवं ईंट निर्माण परियोजनाओं को जेण्डर आधारित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समुदाय एवं विशेषकर परियोजना के संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को समुदाय के सदस्यों को समझाने के लिए, परियोजना के एक भाग के रूप में, श्रम के जेण्डर विभाजन पर आधारित एक विश्लेषण किया

गया। समिति के सदस्यों में स्वच्छता व अच्छे स्वास्थ्य के लाभों से संबंधित विषय पर जागरूकता भी बढ़ी।

परिणाम / निष्कर्ष

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

- समुदाय के पास अब साफ, स्वच्छ एव आकर्षक शौचालय हैं; तथा
- समुदाय ने स्वास्थ्य व स्वच्छता में हुए सुधार का अनुभाव किया, जिसमें अपशिष्ट निस्तारण संबंधी, महिलाओं व पुरूषों की प्रतिष्ठा एवं गोपनीयता भी शामिल थीं।

महिला सशक्तीकरण

- सामुदायिक सदस्यों, स्थानीय सरकार व एन.जी.ओ. द्वारा नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाओं की भूमिका के साथ महिलाओं एवं पुरूषों के परस्पर सहयोग को भी स्वीकार किया गया; तथा
- समिति की महिलाओं ने परियोजना के सम्पूर्ण चक्र को भी प्रबंधित करना सीखा।

सामुदायिक विकास

- ईंट निर्माण परियोजना ने 10 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया; जिसमें से 4 पुरूष एवं 6 महिलायें हैं तथा अब समुदाय को ईंट आसानी से उपलब्ध हो जा रही है; तथा
- अन्य आय–उत्पादक गतिविधियों को भी वहाँ स्थापित किया गया तथा अब महिलाओं एवं पुरूषों दोनों के द्वारा समुदाय में अधिक से अधिक धन की बचत होने लगी।

सफलता के प्रमुख कारक

सम्पूर्ण समुदाय का मूल्यांकन एवं उन्मुखीकरण

- लोगों को, अपने समुदाय के संदर्भ में, जेण्डर मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया गया;
- परियोजना को तैयार करने एवं संचालन में महिलाओं व पुरूषों की रूचियों व हितों को भी स्थान दिया गया;
- स्वच्छता संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु सहभागिता को बढ़ाने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग किया गया; तथा
- समस्त समुदाय जिसमें शहरी सलाहकार एवं नेता भी सम्मिलित हैं, को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिससे वे सामुदायिक सदस्यों को यह बता सकें कि वे लोग इस प्रक्रिया के नियंत्रण में हैं।

जेण्डर विश्लेषण एवं परिप्रेक्ष्य

- जल एवं स्वच्छता संबंधी सेवाओं को प्राप्त करने में महिलाओं एवं पुरूषों को हो रही समय संबंधी परेशानियों का विश्लेषण किया गया।
- जेण्डर भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को संवेदी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से जाँचा गया जिससे यह पता चल सका कि इन्हें यदि बदला जा सकता है तो किस प्रकार से बदला जाए।
- एक सुव्यवस्थित व सुयोग्य पर्यावरण का निर्माण किया गया जिससे महिलायें प्रतिभाग कर सकें; उदाहरण के लिए; बैठकों को ऐसे समय में आयोजित किया जाता था जब महिलायें उपस्थित हो सकें तथा महिलाओं को प्रतिभाग करने हेतु, परियोजना के सभी स्तरों पर सहयोग दिया गया; तथा
- ऐसे रोजगार अवसरों का सृजन किया गया जहाँ महिलायें एवं पुरूष अलग–अलग भूमिकाओं को निभाते हुए एक साथ काम कर सकें।

प्रमुख अवरोध

- समुदाय ने विकासात्मक परियोजना में महिलाओं द्वारा नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने संबंधी विचार का समर्थन नहीं किया था। नगर–निगम यह नहीं चाहता था कि महिलायें बैंक में अपना खाता खोलें, क्योंकि उन्हें लगता था कि परियोजना समिति के पास अनुदानों को प्रबंधित करने का पर्याप्त अनुभव नहीं है।
- कुछ पतियों नें, विभिन्न गतिविधियों, विशेषकर स्वच्छता संबंधी गतिविधि में, अपनी पत्नियों को प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के इस भाग में स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर बात करना आज भी वर्जित है।

परियोजना का भविष्य

शौचालयों के निर्माण के बाद भी समिति के कुछ सदस्यों ने समुदाय में स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रचार व प्रसार व प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों को जारी रखा। परियोजना के नियोजन, प्रशिक्षण एवं क्षमता–विकास तथा अनुभवी संस्थानों के समर्थन की रणनीति के आधार पर, माबुल गाँव की महिलाओं ने पुरूष सहयोगी मित्रों के साथ बात करके अन्य सामुदायिक विकास परियोजनाओं की पहल की गई।

अधिक जानकारी के लिएः

- शोधकर्ता से संपर्क करें:
  जोबू मासान्डोः jabu@mvula.co.za
- माबुला ट्रस्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें:
  http://www.mvula.co.za

स्रोतः

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

दक्षिण एशियाः
जमीनी स्तर पर जल एवं गरीबी संबंधी मुद्दों का संबोधनः क्षेत्रवार जल भागीदारी एवं महिलायें तथा दक्षिण एशिया के जल नेट्वर्कों पर एक केस स्टडी

परिचय

इस दशक में, ''हक'' एवं गरीबी, जनसंख्या व पर्यावरण (जिसमें जल भी शामिल है)[18] के मध्य संबंधों से संबंधित विचार पर काफी गहन विश्लेषण कार्य किये जा रहे हैं। इन कार्यों से यह प्रमाणित हुआ कि महिलायें पुरूषों की अपेक्षा अधिक उपेक्षित हैं।

पर्यावरणीय संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रयोग के लिए तथा गरीबी उन्मूलन में भूमि एवं जल संसाधनों पर स्वामित्व संबंधी विचार कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। दक्षिण एशिया में, जेण्डर असमानता ने भूमि एवं जल तक लोगों की पहुँच को अवरूद्ध कर दिया है। महिलाएं ही घरेलू उपभोग के लिए जल के एकत्रण एवं भोजन पकाने व उसके प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होती हैं। इसलिए जल तक उनकी सीमित पहुँच के कारण जल एवं खाद्य सुरक्षा[19] के विरूद्ध उनका संघर्ष बढ़ जाता है। विद्यमान सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों ने उत्तराधिकार संबंधी नियमों के उद्देश्यों को पूर्णतः अनदेखा कर दिया था तथा वैधानिक ढाँचों की अपर्याप्तता के कारण महिलाओं के स्वामित्व व नियंत्रण संबंधी अधिकार सीमित हुए हैं।[20]

गरीब लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, उन 'जन सामान्य संपत्ति' संसाधनों पर अधिक विश्वास रखते हैं जो लोगों को आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जंगल, पर्वतीय स्थल, जलाशय तथा समुद्र तट के पास स्थित मछली पकड़ने वाले स्थान। दक्षिण एशिया में, जहाँ सबसे अधिक गरीबी व्याप्त है, वहाँ के परिवार एक ही स्थान से ईंधन, चारे व जल हेतु संसाधनों का उपयोग करते हैं। भारत के शुष्क क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग अपनी आय के पाँचवे हिस्से को जन सामान्य क्षेत्रों से प्राप्त प्राकृतिक वस्तुओं के साथ–साथ अनेकों गैर बाजारी वस्तुओं से प्राप्त करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र में ''गौचर'' (एक प्रकार की भूमि जिसे पालतू पशुओं और गायों को चराने व जन सामान्य हेतु सार्वजनिक संपत्ति के रूप में छोड़ दिया जाता है) के रूप में भूमि को छोड़ना, पर्यावरणीय दृष्टि से उपेक्षित भूमियों को संरक्षित व सुधारने का प्राचीन तरीका है।

दक्षिण एशिया में रहने वाली महिलाओं हेतु घरेलू जल एवं खाद्य सुरक्षा को प्रबंधित करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति तक उनकी पहुँच अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैंग्रूव वनस्पतियों के विलोपन के कारण बांग्लादेश की महिलाओं की आजीविका खत्म हो गयी तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवार गरीब हो गये। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाली महिलायें कृषि संबंधी गतिविधियों को पारंपरिक तरीके से प्रबंधित करती हैं तथा वे पुरूषों की अपेक्षा ऋण को प्राप्त करने में अधिक योग्य व सक्षम होती हैं, फिर भी उनकी पहुँच कृषि संबंधी सूक्ष्म ऋण के कुछ प्रतिशत तक ही सीमित है।

दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में इस तरह की नीतियों या रणनीतियों को देखा जा सकता है जो न केवल पर्यावरण से संबंधित होती हैं बल्कि पर्यावरण एवं जल दोनों से संबंधित होती हैं। विभिन्न देशों में महिलाओं के उत्थान के लिए अलग रणनीतियाँ होती हैं, जो महिलाओं और जल की उपलब्धता से संदर्भित होती हैं। कई देशों में, गरीबी पर आधारित नीतियाँ ही होती हैं परन्तु ऐसी कोई नीति उन देशो में नहीं है जो इन तीनों (जल, गरीबी एवं महिलाओं) को एक साथ संबोधित

करती हो। कुछ मामलों में जहाँ जेण्डर समानता से जुड़े सरोकारों एवं परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया गया है, वे सामान्य ही हैं (या कभी–कभी घरेलू जल, खाद्य एवं जलाधिकारों पर पैदल जल परिवहन संबंधी संकेत ही मिलते हैं)। जल संबंधी विशिष्ट जेण्डर प्रावधान (उदाहरण के लिए जलाशयों के संरक्षण, पुर्नरूत्थान या प्रबंधन में महिलायें प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं) बहुत ही कम दिखाई देते हैं। गरीबी व पर्यावरण के मध्य संबंधों को संबोधित करने हेतु नियोजन में महिलाओं की भूमिका भी वर्णित नहीं है।

यद्यपि, दक्षिण एशिया के कुछ क्षेत्रों में ऐसी परियोजनों के उदाहरणों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिनमें महिलाओं ने जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो और जो गरीबी से जुड़े सरोकारों को संबोधित करते हों, किन्तु उनमें राष्ट्रीय या क्षेत्रीय नीतियों और रणनीतियों का संदर्भ न लिया गया हो। उदाहरण के लिए, भारत में मुंबई के निकट स्थित एक विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा परित्यागित खनन स्थलों में वर्षा जल संचयन एवं पारिस्थितिक पुनरूत्पादन के माध्यम से[17] कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया। इस परियोजना को पूर्ण करने में लगे डिजायनरों व क्रियान्यवनकर्ताओं के रूप में मुख्यतः विश्वविद्यालय एवं क्षेत्र की स्थानीय महिलायें शामिल थीं। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान के सिंन्ध प्रान्त में स्थानीय महिलाओं व बच्चों ने एक परियोजना के अन्तर्गत नालियों की सफाई व उसके प्रबंधन पर कार्य किया जो सिंचाई संबंधी चैनल, नालियों से जुड़े कार्यों से हमेशा अलग–अलग रहे।

पहल की महत्ता

दक्षिण एशिया के गरीबों के लिए 'गरीबी उन्मूलन' का अर्थ जल, खाद्य एवं आजीविका की सुरक्षा है। क्षेत्र में बुनियादी स्तर पर जल, भोजन और आजीविका सुरक्षा (गरीबी उन्मूलन के लिए तीन प्रमुख स्तम्भों) हेतु आवश्यक कार्यवाहियों के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जिसमें महिलायें भी भागीदार हों। नीचे दिये गये दो केस अध्ययनो (पाकिस्तान व भारत दोनों से) से यह परिलक्षित होता है कि किस प्रकार जल, खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सहभागिता मंचों द्वारा जमीनी स्तर पर सुलझाया जा सकता है।

पाकिस्तान से एक केस अध्ययनः डेल्टा क्षेत्र में गरीबी संबंधी मुद्दों का संबोधन

सदियों से सिन्धु नदी अपने 14 प्रमुख नद मुखों, जिन्हें छोटी नदियां कहते हैं, के माध्यम से एक विशाल डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में आकर मिलती है। सिन्धु के इस डेल्टा के अन्तर्गत लगभग 15 लाख एकड़ भूमि (कराची से लेकर कच्छ तक) व 15 लाख की जनसंख्या सम्मिलित है जिसमें से 5 लाख आबादी मछुआरों की है।

कोटरी बैराज से लेकर सिन्धु नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र तक इस नदी के सूख जाने के कारण यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र स्थाई रूप से क्षरित हुआ। यह भी देखा गया कि समुद्री जल का अतिक्रमण 150 मील लगभग 225 किमी. तक फैल चुका है। झींगा उत्पादन की दर दसवें हिस्से तक घटी है। मैंग्रूव के जंगल जो 6 लाख एकड़ क्षेत्र में फैले हुए थे वह अब घटकर केवल ढाई लाख एकड़ में ही रह गये हैं। डेल्टा के सूखने के कारण तथा इसके परिणाम स्वरूप झींगा एवं मछली उत्पादन में आयी कमी के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निवास करने वाले मछुआरों की आधी जनसंख्या प्रभावित हुयी है।

जल उपलब्धता की वास्तविकता, इसका क्षेत्र, जलवायु, मौसम, डेल्टाई परिस्थितियाँ व बाजार परिवर्तित हो चुके हैं, जबकि खेतों को प्रबंधित करने के तरीके व कृषि कार्यों हेतु जल का उपयोग आज भी परिवर्तित नहीं हुआ है। भू–क्षेत्र के लगभग 45 प्रतिशत हिस्से का प्रयोग फसलोत्पादन के लिए किया जाता है। सिंचाई संबंधी जल के अनुचित प्रबंधन व वितरण के कारण भूमि का काफी

बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों हेतु अयोग्य हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप फसलों के उत्पादन में कमी आयी है तथा कृषि पर निर्भर स्थानीय किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है।

हाल ही में सिंध प्रान्त के पाँच जिलों (केस अध्ययन क्षेत्रों को मिलाकर) में संचालित शोध अध्ययनों के परिणामों ने यह प्रदर्शित किया कि वे लोग जो प्रतिमाह 6954 रूपये (117 यू.एस. डालर) या उससे कम कमाते हैं उन्हें गरीबों की श्रेणी में वगीकृत किया गया है। तालिका संख्या 1 थट्टा जिले में स्थित घरों, जिनकी वार्षिक औसत प्रति व्यक्ति आय, खाद्य गरीबी रेखा से नीचे या कम है व पाँच प्रमुख श्रेणीयोंः छोटे किसानों, बंटाई पर कृषि कार्य करने वाले किसान, दैनिक मजदूरों, मछुआरों एवं पशुपालन संबंधी अनुपात को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुल घरों में से 56 प्रतिशत हिस्से के लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं (जो कि घरों के आधे भाग से भी अधिक है)।

सिन्धु डेल्टा क्षेत्र (थट्टा जिला) में खाद्य गरीबी रेखा से नीचे, औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय पाने वाले घर

	छोटे किसान (%)	साझे पर कृषि करने वाले किसान (%)	दैनिक मजदूर (%)	मछुआरे (%)	पशुपालन संबंधी (%)	कुल (%)
पाकिस्तान में औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय से कम पाने वाले घर रूपये 6954 (117 यू.एस. डालर) प्रतिमाह	67	48	63	49	100	56

स्रोतः सिन्ध रूरल डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट, पी एण्ड डी, जीओस/एशियन डेवलपमेन्ट बैन्क/रास्ता/एग्रोदेव, 2000

यदि नमूने के तौर पर लिये गये सभी घरों के लिए वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय यू.एस.डॉलर 1 को गरीबी रेखा माने तों, इस प्रकार से गरीब घरों की संख्या तब भी अधिकतम ही होगी। जब यू. एस. डॉलर 1/व्यक्ति/दिन सूत्र (जहाँ यू.एस.डॉलर 1=59.25 रूपये है) को लागू करते हैं तो, यह देखा जा सकता है कि वे सभी घर जो 5000 रूपये (यू.एस.डॉलर 84.38) तक कमाते हैं, वे सभी गरीबी रेखा से नीचे थे। इसका अर्थ यह है कि सिन्धु डेल्टा के एरिया वॉटर पार्टनरशिप क्षेत्रों[27] में लगभग 67 प्रतिशत घर (लगभग दो तिहाई) गरीबी रेखा से नीचे हैं। यहाँ तक कि वे परिवारें जो प्रतिमाह 10,000 रूपये (यू.एस. डॉलर 169) तक कमाते (यू.एस.डॉलर 0.8/व्यक्ति/दिन) हैं वे गरीबी रेखा से सिर्फ थोड़ा ही उपर हैं। कमाने वाले सदस्यों की संख्या कम होने से निर्भरता की दर पर भी दबाव पड़ता है, जोकि गरीबी का ही एक अन्य सूचक है।

सिन्धु डेल्टा एरिया वॉटर पार्टनरशिप की शुरूआत ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप (जी.डब्ल्यू.पी.) जून 2001 में की गयी थी। जी.डब्ल्यू.पी. का प्रमुख उद्देश्य जल, खाद्य एवं आजीविका (कार्यक्रमों के रूप में) की सुरक्षा को बढ़ावा देना है (और साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन को भी)। इसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठन, सरकारी विभाग व राष्ट्र स्तरीय समर्थन संगठनों के साथ–साथ स्थानीय किसान व हिताधारक सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं।

भागीदारी की दूरगामी सोच के अन्तर्गतः

- सिन्धु डेल्टा का पुनरूद्धारः जिसके अन्तर्गत पारिस्थितिक तंत्र, तटीय क्षेत्रों का कायाकल्प, कृषि, मत्स्य पालन, आर्थिकी व सामाजिक विकास सम्मिलित है।

- जल क्षेत्रों में कार्यरत् विभिन्न विभागों व एजेन्सियों के मध्य पूर्ण समन्वयन के माध्यम से जल क्षेत्र का एकीकृत क्षेत्र में रूपान्तरण।

सिन्धु डेल्टा ए.डब्ल्यू.पी. के दस साल की भविष्यगत योजनाओं के कुछ आवश्यक घटक निम्नवत् हैंः

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के अन्तर्गत नवीन एवं प्रायोगिक तरीकों द्वारा सिन्धु डेल्टा में मॉडल जल प्रबंधन का विकास। समता संबंधी उद्देश्यों में उच्च स्तर से निम्न स्तर तक जल (समाज के सभी अनुभागों व) के उपयोगकर्ताओं के बीच आबंटन शामिल है।
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो न सिर्फ अपने लिए भुगतान करे बल्कि अतिरिक्त राजस्व भी पैदा करे।
- उचित सिंचाई विधियों के प्रयोग व जल के प्रभावी उपयोग द्वारा, सिंचाई प्रणाली में हो रही जल परिवहन की हानि को कम करना।
- जल एवं खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने हेतु फसल उत्पादन (जबकि जल का उपयोग कम हो रहा हो) में वृद्धि करना।

मॉडल वितरक प्रणाली (मीरपुर साकरो कमाण्ड क्षेत्र) का हितधारकों के पूर्ण प्रतिभाग द्वारा नियोजन एवं प्रबंधन, इस परियोजना का प्रथम मील का पत्थर साबित हुआ। इस सोच के अन्तर्गत कृषक संस्थानों को मजबूती प्रदान करना तथा सुव्यस्थित प्रक्रियाओं के लिए किसानों की क्षमता का विकास करना भी शामिल है।

खाद्य, जल एवं आजीविका से संबंधित मुद्दों के आधारभूत प्रयासों को समानान्तर एवं समानता संबंधी पहल के रूप में, महिला एवं जल नेटवर्क की स्थापना द्वारा, वे अब अपने कार्यों में जेण्डर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

जेण्डर को मुख्य धारा से जोड़ने में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जल संबंधी मुद्दों (साथ ही साथ गरीबी, समता व न्याय संबंधी मुद्दे) नीतियों, रणनीतियों, कार्यक्रमों व कार्यवाहियों को इस प्रकार से व्यक्त, नियोजित व क्रियान्वित किया जाना चाहिए जो महिलाओं को सहयोग दे सकें तथा जिससे महिलाओं पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव कम हों।

डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन. का निर्माण मुख्य रूप से सिर्फ महिलाओं के मंच के रूप में एक रणनीति के तहत किया गया (जो विभिन्न संस्थानों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व को भी बल प्रदान करेगें)। यह तब तक कार्य करेगा जब तक दक्षिणी एशिया में जी.डब्ल्यू.पी. व उसके संबद्ध संस्थानों के सभी स्तरों पर 50 प्रतिशत महिलायें प्रतिनिधि के रूप में शामिल न हो जाएं।

जेण्डर को मुख्य धारा से जोड़ने संबंधी सिन्धु डेल्टा के ए.डब्ल्यू.पी. की प्रक्रियाएं काफी रणनीतियुक्त हैं। जिसके अन्तर्गत– महिला सहभागिता संबंधी मुद्दों को व्यक्त करने वाले डब्ल्यू. डब्ल्यू.एन. एवं सिन्धु डेल्टा ए.डब्ल्यू.पी. की कार्यवाही समिति में डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन. के सदस्यों को भी शामिल किया गया।

एशिया वॉटर पार्टनरशिप में प्रभावी तौर से भाग लेने के लिए महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता को संबोधित करने हेतु डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन., सिन्धु डेल्टा ए.डब्ल्यू.पी. के साथ मिलकर विशिष्ट रूप से कार्य कर रहा है। यह जल संबंधी मुद्दों से जुड़ी महिलाओं व महिला संगठनों के मध्य नेटवर्क बनाने की ओर ध्यान देता है तथा मजबूत जेण्डर परिप्रेक्ष्यों को समाहित करते हुए जल उपयोग के प्रभावी रखरखाव के लिए उनकी क्षमता का विकास भी करता है। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे जल क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों, नियोजनों व कार्यवाहियों को प्रभावित करें तथा जेण्डर संवेदी एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को भी बढ़ावा दें।

आज सिन्धु डेल्टा ए.डब्ल्यू.पी. के साथ कार्य कर रहे डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन. में सदस्यों की कुल संख्या 15 हो गयी है।

आई.डी.ए.डब्ल्यू.पी. स्तर पर डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन. के कार्यक्रम, आधारभूत स्तर पर राष्ट्रीय डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन. की कार्यवाहियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं:

- उन महिला सदस्यों व संगठनों की पहचान करना जो जल मुद्दे पर महिलाओं के दृष्टिकोण को एकत्र कर उन प्रमुख मुद्दों को, जो इस क्षेत्र की महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, प्रकाश में ला सकें।
- जल क्षेत्र में महिला नेता
- जेण्डर एवं जल विशेषज्ञ
- सक्रिय जल पेशेवर
- महिलायें एवं जल संगठन
- जल क्षेत्र में रूचि रखने वाली महिलायें
- नियोजन, विकास एवं प्रबंधन में महिलाओं एवं महिला संगठनों की भूमिकाओं को सशक्त करना, ए.डब्ल्यू.पी.।
- जमीनी स्तर पर जल संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना व मजबूती प्रदान करना।
- ए.डब्ल्यू.पी. की सभी नीतियों, नियोजन, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों में जेण्डर विश्लेषण एवं जेण्डर ऑडिट को लागू करना।
- जल, खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा संबंधी ए.डब्ल्यू.पी. की पहल व कार्यक्रमों में महिला अनुकूल तरीकों व बजट के आवंटन के कार्यों को सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष एवं अनुभव

महिलाओं की आवश्यकताओं व महत्वाकांक्षाओं पर केन्द्रित होने के लिए, गरीबी व पर्यावरण के मध्य संबंधों के अन्तर्गत मौजूद जल, खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा संबंधी मुद्दों को पुर्नरीक्षित करने की आवश्यकता है। स्वच्छ जलीय व स्थलीय पारितंत्रों (जो मानवों के साथ–साथ सभी जीवित घटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है) की मात्रा एवं गुणवत्ता को संरक्षित करने हेतु महिलाओं एवं पुरूषों (और समुदायों) के सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर सभी ''वंशानुगत'' गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाना चाहिए। सिन्धु डेल्टा ए.डब्ल्यू.पी. के उदाहरण से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि जेण्डर समानता, रणनीतियुक्त जेण्डर पहल, स्थानीय सहभागिता आधारित संस्थानों के अन्तर्गत खाद्य एवं जल प्रबंधन तथा क्षमता विकास पर केन्द्रित कार्यवाही आदि, दक्षिण एशिया में व्याप्त गरीबी को स्पष्ट रूप से संबोधित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

सुश्री सीमी कमल
मुख्य कार्यकारी
रास्ता डेवलेपमेन्ट कन्सलटेन्ट्स
3–सी, कामर्शियल लेन 2, जमजामा बिल्डिंग
क्लिफ्टन, कराची 75600
पाकिस्तान
दूरभाष: +92 21 5670735, 5375654
फैक्स: +92 21 5865305
ई–मेल: Simi@raasta.com

डॉ जसवीन जैरथ
परियोजना निदेशक
सैकिवाटॅरर्स– साउथ एशिया कान्शोर्शियम ऑफ इन्टरडिसीप्लीनरी स्टडीस इन वॉटर रिर्शोसेज
हाउस नं0 बी–20, ए.एस.सी.आई. सी.एम.ई. कैम्पस
रोड नं0–3, बंजारा हिल्स
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), भारत
दूरभाष: +91 40 3544142
फैक्स:+91 40 3312954
ई–मेल: saciwaters@rediffmail.com
pmollinga@hotmail.com

तंजानियाः
जेण्डर व स्वच्छ जलीय संसाधनों की सुरक्षा

पुरूष तन्जानिया के टैन्गा तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ते थे। महिलायें छोटे घोघों को पकड़ती व चावल की खेती करती थीं। पुरूष भी फसलों को उगाते थे–परन्तु वे केवल नारियल और काजू की खेती करते थे जिसे वे बेचकर पैसा कमाते थे। सरकार व वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन–आई.यू.सी.एन. की अधिकृत टीम द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला कि वर्ष 1996 तक महिलाओं को गाँवों में सबसे अधिक गरीब समझा जाता था। महिलायें कुछ संसाधनों को ही अपने पास रखती व नियंत्रित करती थीं।

यह अध्ययन, स्थानीय जनता द्वारा अपने तटीय पर्यावरण के उपयोग व मैग्रूवों के संरक्षण के लिए सबसे टिकाऊ रास्तों को खोजने संबंधी प्रयास का एक अंग था, जो स्वच्छ जलीय संसाधनों की सुरक्षा के लिए अतिआवश्यक थे।

आरंभ में महिलायें, सभाओं में उपस्थित नहीं रहती थीं इसलिए उनके द्वारा भागीदारी न कर पाने के कारणों व परिणामों, दोनों के विश्लेषण हेतु महिलाओं के साथ विशिष्ट सभाओं का आयोजन किया गया। उन्होनें अपनी अनुपस्थिति से जुड़े समस्त कारणों को सूचीबद्ध किया जिसमें से प्रमुख यह था कि पुरूष उनकी बातों को नहीं सुनेंगे इसलिए वे अपने बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहती थीं। दूसरा कारण यह था कि सभायें ऐसे समय पर आयोजित होती थीं जो उनके लिए अनुकूल नही था। उन्होनें यह भी शिकायत की कि उन्हें सभाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती थी।

सभाओं में महिलाओं की अनुपस्थिति पर चर्चा करने हेतु महिलाओं व पुरूषों दोनों के साथ एक नर्ह बैठक का आयोजन किया गया। परिचर्चा के कुछ देर बाद पुरूषों ने वचन दिया कि वे महिलाओं की बातों को सुनेंगे जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं ने सभाओं में उपस्थित होने की सहमति दी।

अब महिलाओं को नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है तथा वे मत्स्य पालन प्रबंधन सहमति पत्र के निर्माण में भी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर रही हैं। ग्रामवासियों के स्वतः प्रयासों द्वारा मैंग्रूवों की अवैध कटान व मछली पकड़ने की अनियंत्रित प्रक्रिया जिसमें डायनामाइट के विस्फोट द्वारा मछली पकड़ना भी शामिल है, कम हुई है, तथा वहाँ पर मैंग्रूवों के पुनः रोपण व खरपतवार के निस्तारण संबंधी कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

जेण्डर समानता व वैकल्पिक आजीविका संबंधी गतिविधियों के विकास द्वारा मछली पकड़ने संबंधी दबाव को कम करने के उद्देश्यों के बावजूद कार्यक्रम को साधारण व सकारात्मक परिणाम मिले। पायलट गाँवों में कार्यरत् पर्यावरणीय समिति व ग्रामीण प्रबंधन समिति दोनों में आज अधिक जेण्डर सन्तुलन बना हुआ है।

केस अध्ययन का निष्कर्ष

जेण्डर मुद्दों से संबंधित जागरूकता, सहभागिता एवं प्रोत्साहन ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है तथा इनमें से कुछ महिलायें अब पुरूष संबंधी गतिविधियों जैसे गाँव में गस्त लगाना, में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही हैं। जैसे–जैसे महिलाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं व अध्ययन भ्रमण में भागीदारी करने तथा इन गतिविधियों के परिणामों को देखने के बाद आत्मविश्वास प्राप्त किया है वैसे ही उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ है।

स्रोतः तन्जानिया के टैन्गा क्षेत्र में नियोजन व प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी, वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन–आई.यू.सी.एन.।

टोगोः
स्कूल एस.एस.एच.ई. में स्वच्छता के प्रचार-प्रसार में जेण्डर एकीकरण

चुनौतियाँ

टोगो के ईस्टमोनो क्षेत्र के एफुमनी गाँव की 15 साल की जेन्टिल वेलेकी, अपने घर के नजदीक स्थित एकमात्र प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाती थी। प्रत्येक सुबह, जेन्टिल दूर की नदियों से जल एकत्र करके लाती थीं उसके बाद अपने घर व आंगन में झाड़ू लगाती थीं। इसके बाद वह उस लाल रंग के पानी की कुछ मात्रा को, अपने पुर्नचक्रित प्लास्टिक बोतल में भर कर स्कूल ले जाती थी। हांलाकि वह विद्यालय में देर से पहुँचती थी परन्तु फिर भी उसे शिक्षक के कार्यालय को साफ व स्वच्छ करना पड़ता था। सप्ताह में तीन बार उसे दो किलोमीटर दूर स्थित नदी से जल को एकत्रित करने जाना पड़ता था तथा वह जब कक्षा में प्रवेश करती थी पाठ का आरंभ हो चुका होता था। सप्ताह के अन्त में, सजा से बचने हेतु वह और उसकी सहेलियाँ अपनी कक्षा हेतु जल को एकत्रित करतीं व प्राधानाध्यापक के कार्यालयों की सफाई भी करती थीं जबकि इस दौरान उसका भाई फुटबाल खेलता था।

किस प्रकार से जेन्टिल अपनी दैनिक दिनचर्या का निर्वहन करती थी, वह लोगों एवं विशेषकर ईस्टमोनो क्षेत्र के कुछ सामान्य आकड़ों को प्रस्तुत करता है। ईस्टमोनो में जो कि टोगो के पानी की कमी वाले 10 क्षेत्रों में से एक था राष्ट्रीय स्तर के 51 प्रतिशत की तुलना में जनसंख्या का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही स्वच्छ जल सेवाओं को प्राप्त कर पाता था जबकि पाँच प्रतिशत टोगो निवासियों के पास पेयजल को पाइप द्वारा सुरक्षित उनके घरों में पहुँचाने की सुविधा थी, 27 प्रतिशत लोग असुरक्षित कुँए से तथा 19 प्रतिशत लोग नदियों से जल प्राप्त करते थे। ईस्टमोनो की 2 प्रतिशत जनसंख्या के पास ही घरों में स्वच्छता सुविधाएं (शौचालय) उपलब्ध थीं। पुरूष शौच हेतु अक्सर पास के जंगलों का प्रयोग करते थे तथा महिलाओं को दूर खेतों में जाना पड़ता था।

एक अन्तर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ., प्लान टोगो ने जेण्डर संबंधी मामलों को ध्यान में रखते हुए जेन्टिल के गाँव के साथ–साथ अन्य दो गाँवों में जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के अभाव को संबोधित करने हेतु आवाज उठाई परन्तु ये शौचालय प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता तथा बेकार पड़ा रहता है। एक शिक्षक ने कहा कि उचित स्वच्छता सुविधाओं और शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों को होता है। प्लान टोगो ने परियोजना की वास्तविक सीमाओं को पहचानने तथा उसे शुरूआती चरण में ठीक करने हेतु अफ्रीका में स्थित सी. आर.ई.पी.ए.(रीजनल सेन्टर फॉर कॉस्ट इफेक्टिव फ्रेस वॉटर एण्ड सैनिटैशन) नेटवर्क से समर्थन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने समस्या के रूप में उचित सलाह एवं दिशा निर्देशों की कमी तथा जेण्डर संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान का अभाव पाया।

परियोजना / कार्यक्रम

स्कूलों के लिए प्रारंभिक जल एंव स्वच्छता परियोजना द्वारा वास्तविक समस्याओं को पहचानने के बाद सी.आर.ई.पी.ए. ने प्रारंभिक परियोजना के डिजाइन में सभी गाँवों को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया। लगभग 6 महीने के लिए 3 स्थानीय समन्वयक उन गाँवों में रूके, ग्रामीणों के साथ नेटवर्क बनाया तथा सभी हितधारकों के समक्ष परियोजना को प्रस्तुत भी किया। इनके कार्यों में घरों व परिवारों से मिलना, छात्र एवं छात्राओं के साथ–साथ महिला एवं पुरूष शिक्षकों व प्रशासकों के प्रतिभाग को उच्चस्तरीय समर्थन देना तथा विद्यालय में स्वच्छता एवं सफाई संबंधी समस्याओं का पता लगाने हेतु जल एवं स्वच्छता व्यवस्था निरीक्षण इत्यादि सम्मिलित है।

इन बिन्दुओं के आधार पर स्कूलों एवं गाँवों द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रचार–प्रसार संबंधी कार्यवाही योजना को स्वीकृति दी गई। पूर्ण नियोजित परियोजना एवं इसमें दिये गये उत्तरदायित्वों को ग्रामीण जनसभा में लोगों का फीडबैक लेने व सहमति देने के लिए प्रस्तुत किया गया। इस परियोजना ने प्रत्येक गाँव व स्कूल को जल व स्वच्छता सुविधाओं के साथ शैक्षणिक संसाधनों को उपलब्ध कराया। इसके अन्तर्गत निम्न सुविधाएं शामिल हैं:

- प्रत्येक स्कूल में हैण्डपंप का निर्माण;
- लड़कियों हेतु उचित शौचालय व्यवस्था;
- हाथ धोने का बर्तन;
- कूंड़ा–कचरा एकत्रित करने हेतु स्थान;
- प्रत्येक कक्षा हेतु स्वच्छ पेयजल के लिए प्लास्टिक का बर्तन; तथा
- प्रत्येक स्कूल हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई जा सकने योग्य 9 रंगीन शैक्षणिक किट। परियोजना की सफलता व टिकाऊपन को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक गाँव में 2 समितियों का गठन किया गया:
- जल समिति धन का प्रबंधन व उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत की देखरेख करती है; तथा
- स्कूल स्वास्थ्य समिति सभी उपकरणों के उचित उपयोग व स्वच्छता की देखरेख करती है। स्कूल स्वास्थ्य समिति में जेण्डर संतुलन को बनाये रखने के लिए शिक्षकों व शिष्यों का चयन किया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य समिति परिवर्तनों को लागू करने संबंधी कार्य करती है। वे छात्र जो साफ–सुथरे नहीं हैं उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है। वे जो अपने हाथों को नहीं धोते हैं उन्हें ऐसा करने हेतु प्रेरित किया जाता है तथा अस्वच्छ छात्रों को सजा भी दी जाती है।

निष्कर्ष

आय में बढ़ोत्तरी

- स्कूल न केवल जीवन में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करते हैं बल्कि जल के विक्रय, जिसे बहुत पवित्र कार्य माना जाता है, द्वारा वे आय के नये स्रोत का सृजन भी कर रहे हैं। तीन जल समितियों ने अब तक लगभग 1 लाख 82 हजार एफ.सी.एफ.ए. (लगभग 330 यू.एस. डॉलर) की बचत की है; तथा
- अब महिलाओं के पास आय उत्पादक गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु काफी समय रहता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- ग्रामीणों को अब यह समझ आ गया था कि अस्वच्छ जल एवं पर्याप्त स्वच्छता के अभाव से ही कई बीमारियाँ फैलती हैं।
- समुदाय, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ एवं बीमारियों के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या घट गयी।

जेण्डर समानता पर प्रभाव

- लोग जेण्डर असन्तुलन के स्रोतों/कारणों का पता लगा सकते हैं; तथा
- महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ एवं वे जेण्डर असमानता संबंधी मुद्दे को संबोंधित करने के लिए लोक स्तरीय वाद–विवाद का आयोजन करवाना चाहती है।

समुदायों पर प्रभाव:

- समुदाय के सदस्यों ने जल, भोजन एवं अपशिष्ट संबंधी स्वच्छता प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु अपने व्यवहारों में परिवर्तन भी किया है; तथा
- अब अगान के चार सजातीय समुदायों के मध्य मजबूत सामाजिक बंधन जुड़ा है।

सफलता के प्रमुख कारक

इस परियोजना के प्रभाव के कारण छात्रों के मध्य जेण्डर असन्तुलन के मुद्दे को संबोधित करने व संपूर्ण समुदाय के प्रतिभाग को सुनिश्चित करने में अत्यधिक सफलता मिली। उदाहरण के लिए लड़कियों के अन्दर स्वाभिमान की भावना बढ़ी एवं उनको प्रतिनिधि के रूप में सम्मान भी प्राप्त हुआ। जेण्डर, संतुलित, स्कूल स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी उपकरणों व प्रयासों की देखरेख का नियंत्रण करती थी।

प्रमुख अवरोध

- स्वच्छता संबंधी व्यवहारों/आदतें एवं खराब सुविधाएं; तथा
- स्वच्छ जल सेवाओं तक पहुँच में कमी।

परियोजना का भविष्य

सी.आर.ई.पी.ए. एवं प्लान टोगो ने समुदायों के मन में यह विश्वास जगाया दी कि किसी भी परियोजना की सफलता हेतु जेण्डर समानता को उससे जोड़ना कितना आवश्यक है। सी.आर.ई.पी.ए. एवं प्लान टोगो ने टोगो के अन्य देशों में इसी प्रकार की परियोजनाओं को चलाने हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।

अधिक जानकारी हेतु

- शोधकर्ता से संपर्क करें:
  सेना एलौका, yvetogo@hotmail.com
- प्लान टोगो के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: www.plantogo.org
- सी.आर.ई.पी.ए. के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें:
  http://conference2005.ecosan.org/abstracts/a2.pdf

स्रोतः

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

यूगांडाः
नीति में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ावः यूगांडा की जेण्डर जल रणनीति का परीक्षण

चुनौतियाँ
यद्यपि युगांडा को विकास के क्षेत्र में जेण्डर के प्रति संवेदनशील देश के रूप में जाना जाता है, किन्तु वर्ष 1990 तक कुछ नीतिगत क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता थी, इसमें जल और स्वच्छता क्षेत्र भी शामिल थे। वर्ष 1999 में, वहां की सरकार ने एक जल नीति तैयार की, और वर्ष 2003 में जल विकास निदेशालय (डी.डब्ल्यू.डी.) ने उनकी योजनाओं और गतिविधियों में जेण्डर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक स्पष्ट रणनीति को तैयार किया। इस केस स्टडी में निदेशालय का उदाहरण लेते हुए युगांडा सरकार की जेण्डर को उनकी नीतियों व योजनाओं में जोड़ने से जुड़ी वचनबद्धताओं का आकलन करने का प्रयास किया गया है। इसके आधार के रूप में राष्ट्रीय जेण्डर नीति का संदर्भ लिया गया है।

कार्यक्रम / परियोजनाएँ
जेण्डर रणनीति निदेशालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं और पुरूषों के समान अधिकार, उनकी जल प्रबंधन में बराबर की भागीदारी और गरीबी को खत्म करने के लिए जल संसाधनों तक समान पहुँच और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। रणनीति में उद्देश्य, कारण और लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखे गये हैं। इस रणनीति को जल क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को उनकी कार्ययोजनाओं में जेण्डर को कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए पर दिशानिर्देशों प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। साथ ही इस रणनीति में जिलों को स्वयं जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश दिये गये हैं।

निदेशालय के सभी चार विभागों के पास तकनीकी कर्मचारी हैं जो जल क्षेत्र हार्डवेयर (सुविधा ढांचों) गतिविधियों का संचालन करते हैं साथ ही साथ सामाजिक वैज्ञानिक हैं जो साफ्टवेयर (क्रियान्वयन संबंधी जानकारी) गतिविधियों का संचालन करते हैं। जेण्डर, साफ्टवेयर गतिविधियों के अन्तर्गत आता है जबकि हार्डवेयर गतिविधियों में इंजीनियरी और भौतिक संरचनायें आती हैं। इस रणनीति में वर्ष 2003 से 2007 तक के, निदेशालय के जेण्डर संबंधी लक्ष्यों को अभिलिखित किया गया है। इसमें साफ्टेवयर और हार्डवेयर दोनों ही में जेण्डर के एकीकरण के लिए विशिष्ट उपायों व लक्ष्यों को दिया गया है। लक्ष्यों के अन्तर्गत हैः

- महिलाएँ और पुरुष इस जल क्षेत्र की सभी निर्णय लेने वाली सभाओं में भाग लेगें।
- इस क्षेत्र में प्रमुख प्रबंधनकर्ताओं एवं निवेशकों की वचनबद्धता को, बेहतर जेण्डर समानता की ओर कार्य करने हेतु, प्राप्त किया जायेगा।
- इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को तैयार करने वाले संस्थानों के साथ उचित जेण्डर पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने के लिए शामिल करना जिसमें एडमिशन का लक्ष्य 25 प्रतिशत तक सुधरेगा। भर्ती के मानकों एवं प्रक्रियाओं में जेण्डर अनुकूल परिवर्तन लाने होंगे।
- सहभागी स्वच्छता एवं सफाई रूपांतरण विधियों का प्रयोग करके सामुदायिक स्तर पर महिलाओं एवं पुरूषों में जलापूर्ति संबंधी सुविधा छात्रों के एकीकरण के बारे में जागरूकता लाने हेतु बदलाव लाना होगा। इसके साथ ही जल के स्वच्छता पूर्ण उपयोग व समुदाय आधारित जल आपूर्ति का अनुश्रवण करने के लिए भी रूपांतरण विधियों को अपनाना होगा।

निष्कर्ष

ग्रामीण जल विभाग की कार्ययोजना दर्शाती है कि किस प्रकार ग्रामीण जल के नियोजन में जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। वर्ष 2004 में साफ्टवेयर गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए योजना बनायी गयी। वर्ष 2004 की योजना में साफ्टवेयर गतिविधियों के लिए कुल बजट का 12 प्रतिशत का प्रावधान हो पाया जो कि पूर्व में कभी नहीं हुआ। ''वर्ष 2005–06 के दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कुल जल क्षेत्र के सर्शत अनुदान का 12 प्रतिशत साफ्टवेयर कार्यों हेतु खर्च किया जा सकता है.....''(जल, भूमि व पर्यावरण मंत्रालय, 2004)। इन कार्यों के अंतर्गत तकनीकी कार्यों को करने संबंधी कार्य के प्रत्येक स्तर पर पक्ष समर्थन (एडवोकेसी), सभाओं व प्रशिक्षणों जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

निदेशालय में प्रबंधन सूचना तंत्र के वरिष्ठ जल प्रभारी ने ऐसा पाया कि "अब समुदाय को जोड़ने व उनकी भागीदारी के लिए धन उपलब्ध है। इसमें 3–12 प्रतिशत तक की बढ़त हुयी है। जिलों में इस धन का प्रयोग साफ्टवेयर गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत जेण्डर भी शामिल है''। यह जेण्डर मामलों को संबोधित करता है। क्योंकि इस तरह की पहल के द्वारा समुदाय में महिलाओं को पुरूषों के साथ–साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसी आशा है कि सरकार इन गतिविधियों और अन्य साफ्टवेयर गतिविधियों को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाना जारी रखेगी और इसके अतिरिक्त बजट का प्रावधान जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए न कि दिखावे के रूप में होना चाहिए।

सफलता के प्रमुख कारक

- नियोजन में जेण्डर एकीकरणः जेण्डर संबंधी परिप्रेक्ष्य नियोजन ने जेण्डर की आवश्यकता के अनुसार कार्य करने के तरीकों को विकसित करने में मदद की। संबंधित कार्यवाही योजना के उद्देश्यों में प्रत्येक गतिविधि के लिए स्पष्ट जेण्डर–एकीकृत गतिविधि रूपरेखा, समय ढाँचा और लोग शामिल हैं। प्रत्येक विभाग में प्रभारी अधिकारी भी दिशा निर्देश के अनुसार जेण्डर को एकीकृत करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- जेण्डर–अनुंकूल अनुश्रवणः रणनीति के बनने से पहले निदेशालय ने जल क्षेत्र में कार्य संपादन को मापने के लिए आठ संकेतकों का प्रयोग किया है। जेण्डर–अनुकूल संकेतकों का प्रयोग सबसे अच्छी विधि है जिसकी कि दूसरों के द्वारा पुनरावृत्ति की जा सकती है जिन्हें उनकी जेण्डर गतिविधियों के प्रभावीपन को मापने में कठिनाई होती है। यह क्रियान्वयनकर्ता को भी उनकी गतिविधियों के जेण्डर संबंधी प्रभावों को मापने के लिए दबाव डालती है क्योंकि इसका सीधा संबंध रिपोर्ट तैयार करने से है।
- सहयोगः निदेशालय के द्वारा पूरे देश में कई एन.जी.ओ. और संस्थाओं के साथ कार्य करने में सहयोगी दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा रहा है। यह निदेशालय की जल और स्वच्छता सेवाओं के विकास एवं वितरण के नये तरीके का एक प्रमुख भाग है।

मुख्य अवरोध

- दिशानिर्देश की कमीः निदेशालय ने महसूस किया कि, जेण्डर को प्रभावी जल प्रबंधन और प्रयोग से अलग नहीं किया जा सकता, इस तथ्य के बावजूद भी, जल क्षेत्र में जेण्डर को किस प्रकार से मुख्यधारा से जोड़ा जाए से संबंधित कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है।
- प्रशिक्षित महिलाओं की कमीः अध्ययन के समय निदेशालय द्वारा नियुक्त महिलाओं का एक छोटा प्रतिशत ही था। ऐसा मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था की अभी तक जल संबंधी मामलों में विज्ञान और इंजीनियरी से संबंधित तकनीकी दक्षताओं को ही प्राथमिकता दी गयी

थी। यूगांडा में ऐतिहासिक रूप से विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में कुछ ही महिलायें थीं अतः इसके कारण निदेशालय में महत्वपूर्ण जेण्डर संतुलन निर्मित हो गया।

- नियुक्ति पर नियंत्रण में कमीः निदेशालय का सरकार के दूसरे अंगों पर नियंत्रण नहीं है। उदाहरणार्थ, जल क्षेत्र में नियुक्ति को लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापित और संचालित किया जाता है, जो कि जल क्षेत्र से अलग शासनादेश रखता है। इसने निदेशालय के पुरुष/महिला कर्मचारी अनुपात को सुधारने की योजना में नकारात्मक प्रभाव दिखाया है।

परियोजना का भविष्य

जल क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरूषों की एक समान भागीदारी से जुड़ी रणनीति इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी रणनीति के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर नीति और योजना में लागू किया जा सकता है। रणनीति यह दर्शाती है कि, राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और योजनाओं को जिला स्तरीय कार्ययोजनाओ एवं गतिविधियों के साथ सीधे तौर पर प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है। निदेशालय ने रणनीति की सफलता के अनुश्रवण के लिए संकेतकों का विकास किया है और इसमें किसी भी तरह की कमी से बचने के लिए लगातार पुनरीक्षण की योजना बनायी है। यह रणनीति जल क्षेत्र में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव को लागू करने वाले मंत्रालयों और समान–सोच वाले संगठनों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करती है। इसके फलस्वरूप, निदेशालय को देशभर के लिए जल संबंधी विकास गतिविधियों में टिकाऊपन जेण्डर–एकीकृत तरीकों को विकसित करने व संचालन करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय जल क्षेत्र की जेण्डर रणनीति के विकास ने इस गलत धारणा को भी दूर किया है कि जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केवल अनुदानदाताओं की शर्तों व उनकी प्राथमिकताओं के कारण ही लागू किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

- शोधकर्ता से संपर्कः
  फ्लोरेंस एबिला: febila@ss.mak.ac.ug
- यूगांडा में जल विकास के निदेशालय के बारे में जानकारी के लिएः
  http://www.dwd.co.ug

स्रोत

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

संयुक्त राष्ट्रः
पीछे हटने से इन्कार
द्वारा–मॉरीन टेलर, मिशिगन वेल्फेयर राइट ऑर्गनाइजेशन

वर्ष 2002 के ग्रीष्मकाल के दौरान, जब डेट्रॉयट में गैस एवं बिजली की कटौती के विरोध में आन्दोलन चलाए जा रहे थे, तब मिशिगन वेल्फेयर राइट ऑर्गनाइजेशन (एम.डब्ल्यू.आर.ओ) को कुछ ऐसी सूचनायें मिलीं जो काफी हैरान कर देने वाली थीं: दस हजार से भी अधिक निवासियों को जल की आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित कर दिया गया था। एम.डब्ल्यू.आर.ओ. जो कि वकीलों का एक संघ है और निम्न आयवर्ग एवं निराश्रितों के कल्याण के लिए कार्य करता है, ने इस खतरे को महसूस कर आन्दोलनों को आरम्भ किया तथा अपनी सहयोगी संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे भी इसमें शामिल हो एवं यह तथ्य भी उजागर किया कि ये मानवाधिकार का हनन है जिसका प्रभाव गरीब महिलाओं पर पड़ता है।

डेट्रॉयट के जल एवं वाहितमल विभाग (डेट्रॉयट जल एवं सीवेज डिपार्टमेन्ट) के अनुसार, 1जुलाई 2001 एवं 30 जून 2002 के मध्य डेट्रॉयट क्षेत्र के 40,752 घरों की जल आपूर्ति को बन्द कर दिया था। 13 जनवरी को डी.डब्ल्यू.एस.डी. ने यह बताया कि उन्होंने पिछले 79 कार्यदिवसों के लिए 4,523 घरों की जलआपूर्ति को बन्द कर दिया था।

अमेरिका में मिशिगन नगरनिगमों व समुदायों जैसे– अन्य प्रभावित क्षेत्रों की तरह ही, डेट्रॉयट में महिलाओं द्वारा संचालित घर अत्यंत गरीब हैं। यह इस देश की आन्तरिक स्थिति है। पुरुष अधिक से अधिक धन कमाते हैं। जब कभी भी निलंबन की बात आती है, तो महिलायें अधिकांशतः अश्वेत महिलाओं को ही सबसे पहले निकाला जाता है।

इस प्रकार डेट्रॉयट में, महिलाओं द्वारा संचालित संगठनों (और अन्य महिलायें जो व्यक्तिगत रूप से इन संगठनों में शामिल हुयीं) द्वारा मानवाधिकार हनन संबंधी विरोधों की पहल की गयी जो कि डेट्रॉयट के मामले में उचित था। स्वीटवॉटर एलायंस, (एक ऐसा बहुदलीय संगठन जो आवश्यक संसाधनों पर निगमित निकायों के नियंत्रण की देखरेख करता है) ने छोटी टुकड़ियों के रूप में एम. डब्ल्यू.आर.ओ. से मिलकर डेट्रायट की नौकरशाही की कमियों के विरोध में अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच का दुर्भाव उभरकर सामने आया। इस अभियान के पहले कदम के रूप में डेट्रायट के जल आयुक्त से व्यक्तिगत बैठक करना था जिसमें कटौतियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जानी थी, जहाँ उन्हें उनकी समस्याओं की अनदेखी का सामना करना पड़ा। परिषद की अध्यक्षा –मैरियन मॉफे–जो कि एक महिला थी–इस कार्य हेतु आगे आयीं। उन्होंने तुरंत ही एक आपातकालीन सेवा संबंधी कार्यवाही दल का गठन किया, जिसमें एम.डब्ल्यू.आर.ओ एवं स्वीटवॉटर एलायंस के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। कार्यवाही दल के एक टी.वी सत्र में एम.डब्ल्यू. आर.ओ के प्रमुख मॉरीन टेलर व अन्य लोगों ने जलाभाव में जी रहें लोगों के बारे में बोला। इस कार्य के दौरान उनका सामना उनके विरोधियों से भी हुआ। डेट्रॉयट के जलविभाग के नए मुख्य प्रशासक, विक्टर मरकेडो, एक सत्र में उनके साथ उपस्थित हुए, जो कि थेम्स जल निगम, विश्व की एक सबसे बड़ी निजी कम्पनी के उच्च्य पदाधिकारी भी रह चुके थे। उन्होने हाल ही में ऋण एकत्रण एवं पैसा ना देने पर कटौती संबंधी आक्रामक नीति को पारित किया, जिसमें घरों को पानी न प्रयोग करने देने के लिए शट–ऑफ वॉल्व के चारों ओर एम.डब्ल्यू.आर.ओ के कर्मचारियों द्वारा सीमेन्ट के अवरोधों के निर्माण की प्रकिया भी शामिल है। वे महिलायें जो इस कटौती का विरोध कर रही थीं। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि यह संघर्ष अब केवल कटौती से ही संबंधित नही है। बल्कि कुछ अन्य समस्यायें भी हैं।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षों से शहरी सेवाओं व बुनियादी ढॉचों के अभाव के साथ–साथ जल की कटौती से निपटने के लिए डी.डब्ल्यू.एस.डी. के राजस्व स्रोतों को उस सीमा तक सुधारा जाए जहाँ व्यवसायिक कंपनियाँ नीलामी में बोली लगाकर उसे अधिग्रहित कर लें। इसी प्रक्रिया में वर्ष 2002 में डेट्रॉयट की जल वितरण दर 9 प्रतिशत तक बढ़ गयी। इसके अतिरिक्त जल कंपानी के पास योग्य कर्मचारी वर्ग एवं कार्यालय संबंधी सेवाओं की क्षमता का अभाव था इसलिए उन्हें कम प्रभावी उप ठेकेदारों का चयन करना पड़ा साथ ही प्रबंधन पदों को बढ़ाकर जनाधिकारों का हनन करने के लिए पूर्ण विकसित वातावरण तैयार करना पड़ा। कटौती के संकट के साथ–साथ अब निजीकरण का खतरा मंडराने लगा था।

निजीकरण की योजना बनाने वालों ने इस बात पर विचार किया कि नागरिक इस बात से चिंतित थे कि जल कंपनियाँ उनके जल संबंधी अधिकारों हेतु कुछ कर पायेंगी या नहीं। एम.डब्ल्यू.आर.ओ., स्वीटवॉटर एलायन्स एवं अन्य संगठनों की महिलाएं इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होने पुनरूत्थान रैलियों के अंग के रूप में शिक्षा अभियान की शुरूआत की। तीन सोमवार तक, नागरिकों को अपने हाथों में पानी का बिल लेकर जल विभाग के कार्यालयों के पास इन टुकड़ियों में शामिल करने हेतु बुलाया गया और एम.डब्ल्यू.आर.ओ. या स्वीटवॉटर प्रतिनिधियों के साथ अपने जलाधिकारों को वापस लेने तथा कटौती से छुटकारा पाने के लिए कार्यालयों में गये। इससे सामुदायिक वार्ता का निर्माण हुआ जिसने जल क्षेत्र के अधिकारियों को शर्मनाक स्थिति में पहुँचा दिया।

आज, यह अभियान जारी है। आज भी बहुत से लोग जल के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं तथा मीशिगन की गर्वनर जेनिफर ग्रेन होम, मानवाधिकार से जुड़े संदर्भों में एक उदासीन नेता साबित हुयीं।

उरुग्वे:
विरोध के साथ निजीकरण

द्वारा– जुआन बरहाव, डिरीजेन्टेस डे लॉ फेडेरेशिओन डे फन्सियोनेरिओस डे लैस ओबरास सैनिटेरियास डेल एस्टैडो एफ.अफ.ओ.एस.ई एवं कार्लोस सेन्टोस, फ्रेन्डस आफ अर्थ उरुग्वे (आर.ई.डी.ई.एस)

उरुग्वे के सामाजिक और आर्थिक रुप से दो अलग–अलग समुदायों में, महिलाएं जल के निजीकरण के विरुद्ध दो अलग–अलग लड़ाईयों का नेत्रत्व कर रही हैं।

मालडोनैडो विभाग में, जल सेवाओं को एक समस्या के रुप में नही महशूस किया जा रहा था जब तक कि इसका एक प्रक्रिया के तहत निजीकरण नही किया गया। इसी निजीकरण प्रक्रिया को, लोगों के औपचारिक सुझाव के अभाव और केवल होटल, उद्योग, बड़ी सरकारों द्वारा समर्थित होने के कारण एक प्रसिद्ध प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मालडोनैडो में पानी के निजीकरण से संबंधित निर्णय, जल संसाधनों के प्रबंधन के लिये जिम्मेदार प्राधिकरणों और नगर पालिका द्वारा लिया गया। इसके अतिरिक्त निजीकरण से संबंधित निर्णय, यद्यपि कार्यकारी शाखा की नीति के अनुसार था जिसे अर्न्तराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों जैसे अर्न्तराष्ट्रीय आर्थिक कोष (आई.एम.एफ) के साथ हुई सहमति के अनुसार निर्मित किया गया था।

निजीकरण में दो कम्पनियों में भाग लिया। मालडोनैडो शहर में निजी ऑपरेटर उरुग्वे जोकि स्पैनिश कम्पनी आगुआस डी बिल्बाओं की सहायक थी और समुद्रतटीय क्षेत्र में, अटलांटिक समुद्रतटीय क्षेत्र पर, निजी ऑपरेटर आगुआस डी जा कोस्टा जोकि विशाल बहुराष्ट्रीय स्वेज की सहायक थीं। मालडोनैडों शहर की अधिकांश आबादी में कामगार सम्मिलित हैं, जबकि समुद्रतटीय क्षेत्र में अधिकांशतः धनी सम्पत्ति के मालिक, पर्यटक (जो वहां गर्मी के मौसम में तीन से चार महीने तक रहते हैं) निवास करते हैं।

इन दोनों आबादियों में अन्तर के कारण, निजीकरण के प्रति इनका विरोध भी काफी हद तक अलग–अलग था। समुद्र तटीय क्षेत्र में लोगों की शिकायतें पानी की गुणवत्ता और उसके मूल्य पर केन्द्रित थीं। पड़ोस की ही एक संस्था का शीर्षक ''जल हॉ ,लूट नही" था। मालडोनैडो के गरीब क्षेत्रो में पड़ोसी संस्थाओ के कार्य समुदायिक नलो को बचाए रखने से जुड़े संघर्षें पर केन्द्रित थे।

समुदायिक नलों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ओ.एस.ई द्वारा लगवाया गया था। ताकि, उन क्षेत्रों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलधता को सुनिाश्चत किया जा सकें जिन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल का अभाव है। समुदायिक पेयजल पाइपों जिनकी जिम्मेंदारी ओ.एस.ई की थी में लगने वाले धन की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं द्वारा निभाई गई। दोनों ही क्षेत्रों में, मालडोनैडो, जहां निजी कम्पनियां कार्य कर रही थीं वहां उनका पहला कार्य सामुदायिक पेयजल पाइपों को हटाना था। ऐसा एक रणनीति के तहत किया गया ताकि लोग निजी कम्पनियों द्वारा घरों में उपल्ब्ध कराए जाने वाले पेय जल पाइपों के लिये अधिक शुल्क चुकाएं। इसके विपरीत समुद्रतटीय क्षेत्रों में निजी कम्पनियां बहुत सी समस्याओं के बगैर सामुदायिक पेयजल पाइपों को हटाने में समर्थ हुई किन्तु गरीबी वाले क्षेत्रों के निवासी पेयजल पाइपों को लगवाने के लिये अधिक शुल्क देने में असमर्थता के कारण जल आपूर्ति सुविधाओं से वंचित हो गये।

दोनों क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं के समाधान उनकी तुलनात्मक सामाजिक आर्थिक–परिस्थितियों पर आधारित हैं। धनी क्षेत्रो में कुछ लोगों ने अपने निजी जल कुओं (कुछ असुरक्षा की भावना के साथ क्योकि जल की स्वयं आपूर्ति से संबंधित कानून स्पष्ट नही हैं) को

बनवाया और अन्य लोगों ने अपने प्राथमिक जल आपूर्ति स्रोत के रुप में वर्षा जल संचयन प्रक्रिया को चुना। इन सभी मामलों में महिलाएं ही आगे आई क्योंकि वे ही सस्ती जल उपलब्धता के लिये उत्तरदायी थीं। यद्यपि, वर्षा जल संचयन टैंको की सफाई एवं देखरेख की जिम्मेदारी महिलाओं की थी। और उन मामलों में जहां पर्याप्त जल उपलब्धता नहीं थी और पानी को दूसरे स्थानों से ढोकर लाना पड़ता था यह कार्य भी महिलाओं और बच्चों की जिम्मेदारियों के अन्तर्गत ही आता था।

मालडोनैडों शहर के गरीब क्षेत्रों में अलग तरह की प्रतिक्रिया हुई। महिलाओं में समुदायिक पेयजल पाइपों को हटाये जाने के प्रति प्रबल प्रतिरोध प्रकट किया।

सैन ऐन्टोनिओ जिला III जो कि मालडोनैडो शहर के उत्तर में स्थित है में, निजी कम्पनी के कार्य ग्रहण करने के तुरन्त बाद ही समुदायिक पेयजल पाइपों को हटाने की घोषणा की गयी। सैन ऐन्टोनियों का पड़ोसी आयोग, जो कि प्रमुखतः महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा था और जो लगभग दस वर्षो से महत्वपूर्ण समुदायिक कार्य कर रही थी ने समुदायिक पेयजल पाइपों के रखरखाव के लिये विभिन्न स्थानीय प्राधिकारों को एकजुट किया। पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित व्यय की जिम्मेदारी नगरपालिका आई.एम.एम. की होने के बावजूद जिले में जल आपूर्ति को जारी रखा।

सैन ऐन्टोनिओ III जिले में लगभग 90 परिवार निवास करते थे उनमें से लगभग 60 प्रतिशत परिवारों में महिलाए ही घरों की प्रमुख थीं। पड़ोस में लगा हुआ सामुदायिक पेयजल आपूर्ति पाइप न केवल इन परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराता था बल्कि यह अन्य जिलों के पड़ोसियों को भी जल उपलब्ध कराता था जहां सामुदायिक आपूर्ति पाइपों को हटा दिया गया था अथवा जल आपूर्ति के बढ़े हुये व्यय को अदा न कर पाने के कारण घरों की जल आपूर्ति पाइपों को काट दिया गया था।

सैन ऐन्टोनियों कें आयोग की एक सदस्य नोरमा बेन्ठिन, जो कि अपनी स्वंय के जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण सक्रिय कार्यकर्ता थीं, पड़ोस में बच्चों के लिए एक खाद्य कार्यक्रम का संचालन करती थीं। उन्होने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि बहुत से लोग सामुदायिक पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर ही निर्भर हैं और विभिन्न सामुदायिक पेयजल आपूर्ति पाइपों के बावजूद वहां पर लोग बहुत सी जल जनित बीमारियों और शुद्ध पेय जल की कमी से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं। उन्होने स्वीकार किया कि तब इस समुदायिक पेयजल आपूर्ति पाइपों के महत्व को उन्होंने महसूस नही किया था जब तक कि उन्हें निजी कम्पनी द्वारा इनके बन्द किये जाने सम्बन्धी सूचना नही प्राप्त हुई।

यहां, समुदाय की महिलाओं ने एकजुट होकर अन्य घरों के लिये सामुदायिक पेयजल पाइपों से अनौपचारिक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की। इस प्रकार, समुदाय अपने स्वयं के जल को प्रबंधित करने में सफल हुआ, किन्तु संसाधनों के अभाव में सेवाओं की गुणवत्ता अभी भी काफी निम्न स्तर की है। जल कम्पनी द्वारा वितरण की सेवा समुदायिक पेयजल नलों तक ही सीमित है और पड़ोस के लोगों को स्वयं ही जल की सभी तक उपलब्धता की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी।

मालडोनाडो के पड़ोसियों के विभिन्न उदाहरण और समुद्रतटीय क्षेत्रों की विभिन्न पारिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि इस प्रकार के निजीकरण के पहले जल प्रबंधन में बदलाओं के कारण क्षेत्र में होने वाले तात्कलिक और सीधे प्रभावों से जुड़ी आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। जब जल प्रबंधन नीतियों पर बातचीत की जाती है तो निर्णय कर्ताओं को सभी के लिये जल के एक समान वितरण के साथ–साथ इस संसाधन के टिकाऊ उपयोग से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जिम्बाम्बे:
चिंपिन्गे जिले के मैन्जवीर गाँव में जलापूर्ति और स्वच्छता में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव

चुनौतियाँ

वर्ष 1980 में जिम्बाम्बे की स्वतंत्रता के तुरन्त बाद स्थापित की गयी जलापूर्ति व्यवस्थायें सामान्यतः पूर्ति संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित थीं जोकि टिकाऊ नहीं थीं। महिलायें अपने बहुमूल्य और उत्पादक समय में से अधिकांश समय परिवार के लिए लंबी दूरी से जल को एकत्र करने में ही लगा देती थीं। इसने लड़कियों के विद्यालय में नामांकन को भी प्रभावित किया। यह अधिकांश विद्यालयों में स्वच्छता एवं शौचालय संबंधी सुविधाओं के अभाव में, लड़कियों के युवावस्था में विद्यालय छोड़ने की घटना से भी जुड़ा हुआ है।

वर्ष 1993 में जिम्बाम्बे ने जल क्षेत्र में व्याप्त असमानता और सुविधाओं के टिकाऊपन के प्रश्न को ध्यान में रखकर जल क्षेत्र में सुधार की शुरूआत की। जेण्डर, जल एवं स्वच्छता के मध्य के गहन संबंधों की वैश्विक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर परियोजना की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। चार वर्ष बाद, चिंपेन्गे जिले ने जल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया और इसे कुछ वार्डों और मेंजवीर गाँव में लागू किया।

मेंजवीर गाँव की कुल जनसंख्या 5500 है जिसमें कुल 514 घर हैं। लगभग 290 घरों को व्यक्तिगत 'ब्लेयर' शौचालय (हवादार उन्नत पिट शौचालय) और 180 घरों को पिट शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। लगभग 45 घरों को उचित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं है किन्तु उन्हें अस्थाई रूप से अपने पड़ोसी की सुविधाओं को इस्तेमाल करने की अनुमति है। इस गाँव में कोई भी सतही जल उपलब्ध नही है, सबसे नजदीकी जल स्रोत 'सेव' नदी है जो कि लगभग 15 किमी. दूर है। लोग जलापूर्ति स्रोतों के रूप में कुओं का प्रयोग करते हैं। गाँव में कुल 10 कुँए हैं जिसमें से 8 कुँए ठीकठाक हैं और कार्य कर रहे हैं। एच.आई.वी./एड्स और गाँव से शहर की ओर पलायन ने लगभग 80 प्रतिशत परिवारों को महिलाओं द्वारा संचालित या आश्रित बना दिया है।

कार्यक्रम/परियोजना

वर्ष 2003 में, यूनिसेफ ने जलापूर्ति व्यवस्था के पुर्नस्थापन के लिए लगभग 4000 यू.एस. डालर राशि की सहायता चिंपिन्गे ग्रामीण जिला परिषद (आर.डी.सी.) को उपलब्ध करायी। बाहरी अनुबन्धन के उच्च व्यय के कारण आर.डी.सी. ने समुदाय आधारित दृष्टिकोण को अपनाया और उपलब्ध राशि को समुदाय को संगठित करने तथा स्थानीय कुँओं एवं शौचालयों के निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित करने पर खर्च किया।

उचित तकनीकों के लिए नीति निर्माण और चुनाव तथा नये जल क्षेत्रों के चुनाव के साथ–साथ वर्तमान में उपलब्ध प्रणालियों में सुधार तथा पुर्नस्थापन, कुछ ऐसे कार्य थे जो कि पुरूषों और महिलाओं दोनों की सहभागिता पर आधारित थे। मैन्जवायर में, महिलाओं ने इस्तेमाल होने वाली तकनीकी के चुनाव के साथ ही स्थान की स्थिति का भी निर्धारण किया। एक बुजुर्ग ने टिप्पणी की कि, ''महिलाएं ही हैं जो इस संसाधन के साथ अधिकांश समय व्यतीत करती हैं और इससे संबंधित निर्णयों में उनकी बड़ी भागीदारी के लिए वे अनुकूल हैं।''

महिलाओं ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कलपुर्जों और ग्रीसिंग सामग्री की खरीदारी के लिए एक बचत और ब्याज वाला आवर्ती अनुदान कोष गठित किया। मैन्जबायर में महिलाओं ने एक सहकारी बागीचे को स्थापित किया। उनके पुरूष सहयोगियों और पतियों से कोष में आवश्यकता के समय सहयोग प्रदान करने को कहा गया। इस सामुदायिक धन को जमा करने के लिए महिलाओं ने पोस्ट आफिस में एक बचत खाते की शुरूआत की।

निष्कर्ष

- महिलायें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ी हुयी हैं और अब वे अपने आप को पुरूषों के साथ बदलाव की प्रभावी कार्यकर्ता के रूप में महसूस कर रही हैं;
- चूंकि महिलायें रखरखाव का कार्य स्वैच्छिक तौर पर करती हैं अतः कार्य का खर्च काफी कम होता है;
- यूनीसेफ द्वारा उपलब्ध आर्थिक सहायता 15 कूँओं के पुर्नस्थापन पर केन्द्रित थी, किन्तु क्रियान्वयन और रखरखाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा 60 कुँओं का पुर्नस्थापन किया गया;
- महिलाओं के पास उत्पादक कार्यों के लिए जैसे बाजारोन्मुख बागवानी के लिए अधिक समय है जो कि उन्हें कुछ अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के साथ ही साथ उनके पोषण आधार में भी सुधार लाता है;
- महिलायें बचत और उधार पर ब्याज वसूल कर रही हैं जो कि कुँओं के रखरखाव में इस्तेमाल हो रहा है;
- बालिकायें अब ज्यादा लम्बे समय तक विद्यालयों में रूकती हैं क्योंकि उन्हें पानी इकट्ठा करने के लिए अधिक समय नहीं देना पड़ता है;
- स्वच्छता संबंधी अच्छे व्यवहारों को अपनाया जा रहा है जिसमें स्थानीय घरों में कूड़े के लिए पिट का प्रयोग शामिल है।
- गाँवों के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जिसमें अतिसार जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी सम्मिलित है; और
- यूनिसेफ की डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के माध्यम से मैन्जवायर का गाँव अन्य समुदायों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगा।

सफलता के प्रमुख कारक

स्वास्थ्य प्रशिक्षक

- गाँव के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय सहायक था। जिसने आमजन को स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित अच्छी आदतों को अपनाने हेतु शिक्षित करने और जानकारियों के वितरण संबंधी साहसिक कार्यों को किया।
- परिणामस्वरूप मैन्सवायर के स्वास्थ्य क्लब और अन्य समुदाय के द्वारा क्रियान्वित पहल की शुरूआत की गयी।

चुने हुए और पारंपरिक प्रतिनिधियों की भूमिका

- परियोजना की सफलता का अधिकांश श्रेय प्रभावशाली नेतृत्व को दिया जा सकता है जो कि सुश्री चिरीमाम्बोआ और पारंपरिक प्रतिनिधियों से संबधित है जिन्हें विभिन्न विवादों को हल करने के लिए बुलाया जाता था।

प्रमुख अवरोध

पुरूषों को एहसास हुआ कि उनकी भूमिकाएं खतरे में हैं:

- शुरूआत में पुरूष प्रधान घरों में पतियों को खतरा महसूस हुआ और उन्होने अपनी पत्नियों के परियोजना बैठकों में शामिल होने पर असहमति जताई। यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यशाला ने पुरूषों और महिलाओं दोनों में प्रशिक्षण से जुड़े लाभों के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जिसने पुरूषों को यह समझने में मदद की कि उनकी पत्नियाँ भी समान रूप से बदलाव के लिए महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं। पुरूषों ने अपनी स्वीकृति को घर के अन्य कार्यों में हाथ बंटाकर प्रकट किया जबकि उनकी पत्नियाँ संबंधित समुदायिक बैठकों और प्रशिक्षण में भाग ले रही होती थीं।

पारंपरिक परिधान:

- जिम्बाम्बे की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली लम्बी पारंपरिक पोशाक शौचालय निर्माण के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करती थीं तथा प्रांरभ में कार्य के दौरान पहनी जाने वाली पोशाकों को अनुपयुक्त समझा जाता था।
- अब महिलायें स्वतंत्र होकर कार्य के दौरान पहनी जाने वाली पोशाकों को शौचालय निर्माण और कुँए के रखरखाव के समय पहन सकती हैं।

परियोजना का भविष्य

भविष्य की परियोजनाओं के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि:

- जल और स्वच्छता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए केवल जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ना ही स्वयं में सटीक नहीं है।
- गरीबी, स्वच्छ जल की सीमित उपलब्धता और स्वच्छता संबंधी मुद्दों को अपने साथ जोड़े रखती हैं और वास्तविक सशक्तिकरण के लिए गरीबी उन्मूलन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- समुदाय आधारित प्रबंधन कार्यक्रमों में मजदूरों को शामिल करने के दौरान महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए ताकि महिलाओं पर काम का दबाव न पड़े जो कि उन्नत जल और स्वच्छता सुविधाओ ंसे जुड़े लोगों को विस्थापित कर सकता है; और
- गाँव, जिले और राष्ट्रीय स्तरों पर क्षमता विकास हेतु अधिक लागत की आवश्यकता होती है। संस्थागत ढाँचे के स्थापना की भी आवश्यकता है ताकि शोधों के माध्यम से लोगों को सुझाव दिये जा सकें और क्रियान्वयन हेतु जेण्डर को मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी जानकारियों का दस्तातेजीकरण और वितरण किया जा सके।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

- शोधकर्ता से संपर्क करें:
  लक्सन काट्सी: luckson_katsi@yahoo.com
- जिम्बाम्बे मे ंदेश और यूनिसेफ के सहयोग की जानकारी के लिए देखें:
  http://www.unicef.org/infobycountry/zimbabwe.html

स्रोत:

जेण्डर मुद्दों और महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे विशिष्ट सलाहकार के कार्यालय, जेण्डर, जल और स्वच्छता; बेहतरीन कार्यों पर केस स्टडीज। न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स (प्रेस में)।

जिम्बाम्बे:
सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा जल एवं स्वच्छता परियोजना में जेण्डर का मुख्यधारा से जुड़ाव संबंधी पहल

परिचय

जिम्बाम्बे, 1980 के आखिरी दशकों से एकीकृत ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रमों (आई.आर. डब्ल्यू.एस.एस.पी.) को लागू कर रहा है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से तीन घटकों पर केन्द्रित है– जलापूर्ति, स्वचछता एवं स्वास्थ्य। प्रारंभ में इसे अर्न्तमंत्रालयी समिति जिसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर गठित किया गया था, के द्वारा वृहद स्तर पर लागू किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत् अर्न्तमंत्रालयी समिति जिसे राष्ट्रीय कार्यवाही समिति भी कहते हैं, एक नीति निर्धारक ईकाई है जो मानकों का निर्धारण, संचालन के तरीकों व राष्ट्रीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण करती है। एकीकृत ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- स्वच्छ व सुरक्षित जल के विस्तार एवं लोगों तक इसकी पहुँच में सुधार करना।
- स्वच्छता संबंधी सेवाओं का विस्तार एवं लोगों तक इसकी पहुँच में सुधार करना।
- जल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों में लोगों को शामिल करने के साथ–साथ उनके कौशल विकास द्वारा समुदाय की आजीविका में सुधार करना।

जिम्बाम्बे के 58 जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम को कई दानदाता एजेन्सियों द्वारा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहमतियों से प्राप्त अनुदान के माध्यम से लागू किया गया था। इस कार्यक्रम द्वारा कुछ अन्य मुद्दों जैसे जेण्डर असमानता, एच.आई.वी. एड्स, गरीबी उन्मूलन व विकेन्द्रीकरण, को भी संबोधित करने की कोशिश की गयी।

यह केस अध्ययन आई.आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी. द्वारा किये गये कुछ प्रयासों को भी वर्णित करता है जिसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार के साथ–साथ उन्हें कुशल कारीगर बनाकर जल संबंधी रोजगार उपलब्ध कराना भी शामिल है। राष्ट्रीय कार्यवाही समिति के जेण्डर कार्यवाही दल ने महिलाओं एवं पुरूषों की सम्मिलित भागीदारी को लागू करने संबंधी कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु कुछ मानकों की सिफारिश की। इनमें से एक है कुँआ खोदने व शौचालय निर्माण में कारीगर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षण व रोजगार देना। कुँआ खोदने वाली महिलाओं का आरंभिक प्रशिक्षण माउन्ट डार्विन नामक स्थान में तथा शौचालय निर्माण में सहायक महिलाओं का प्रशिक्षण ज्वीम्बा में हुआ।

मुद्दे की महत्ता

सुव्यवस्थित जलापूर्ति एवं स्वच्छता से प्राप्त लाभों को महिलाओं एवं पुरूषों को आपस में बाँटना चाहिए। एक सामान्य विशेषता यह भी है कि महिलायें अक्सर अकुशल कारीगर के रूप में बिना पैसे के ही मजदूरी करती हैं जबकि पुरूष कुशल कारीगर के रूप में जल एवं स्वच्छता संबंधी अपने कार्य के लिए मजदूरी भी कर लेते हैं। गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयास महिलाओं एवं पुरूषों दोनों की आजीविका के सुधार पर निर्भर हैं। घर को एकमात्र इकाई के रूप में देखने की मान्यता के कारण घरों के अन्तर्गत मौजूद भिन्नताएं कम हुयी है। ज्यादातर महिलायें आर्थिक संपत्ति तक अपनी पहुँच नहीं बना पाती हैं फिर भी वे जल संबंधी बिलों के भुगतान व अन्य सामाजिक कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होती है। वे कार्यक्रम जो महिलाओं के जीवन स्तर संबंधी सुधार पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने संबंधी प्रयास दरकिनार कर दिये जाते हैं।

यह केस अध्ययन जेण्डर को मुख्यधारा में जोड़ने संबंधी प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण एवं आश्चर्यजनक उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। समानता अपने आप में ही एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय व राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल हैं। इसके लिए कोई भी वैज्ञानिक उत्तर नही हैं तथा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे स्वयं का मूल्यांकन व पाठ्यक्रम संबंधी सुधार भी शामिल है। जेण्डर समानता को केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह कभी–कभी पुरूषों को विरक्त कर विरोध भी करता है। इस केस अध्ययन में महिलाओं को एक विशिष्ट समूह के रूप में देखा गया है तथा केवल महिलाओं को प्रमुख माने जाने के कारण पुरूषों के दृष्टिकोण के रूप में एक नया बदलाव आया तथा वे इस प्रक्रिया को, ''तलाकशुदा महिलाओं की पहल'' के रूप में देखने लगे हैं।

केस अध्ययन–जेण्डर समानता की पृष्ठभूमि

1990 के आखिरी दशकों में राष्ट्रीय कार्यवाही समिति (एन.ए.सी.) ने अपने जेण्डर कार्यवाही दल द्वारा एक रणनीति पर पहुँचने का निर्णय लिया कि किस प्रकार राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत जेण्डर समानता संबंधी मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्यवाही समिति का गठन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा होता है जो जल एवं स्वच्छता परियोजना को लागू करने का काम करते हैं तथा नीतियों के निर्माण संबंधी शोध कार्यक्रमों के अनुश्रवण मानकों के निर्धारण एवं अनुदान के स्रोतों का पता लगाने हेतु भी उत्तरदायी हैं। एन.ए.सी. के बाद क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय समितियां होती है जो परियोजना का क्रियान्वयन करती हैं। वार्ड स्तर पर परियोजना संबंधी सेवाओं में विस्तार हो जाता है, जिससे सामुदायिक अनुश्रवण व विस्तार सेवाओं को लागू करने में सहयोग मिलता है।

आई.आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी. की संगठानात्मक रूपरेखा

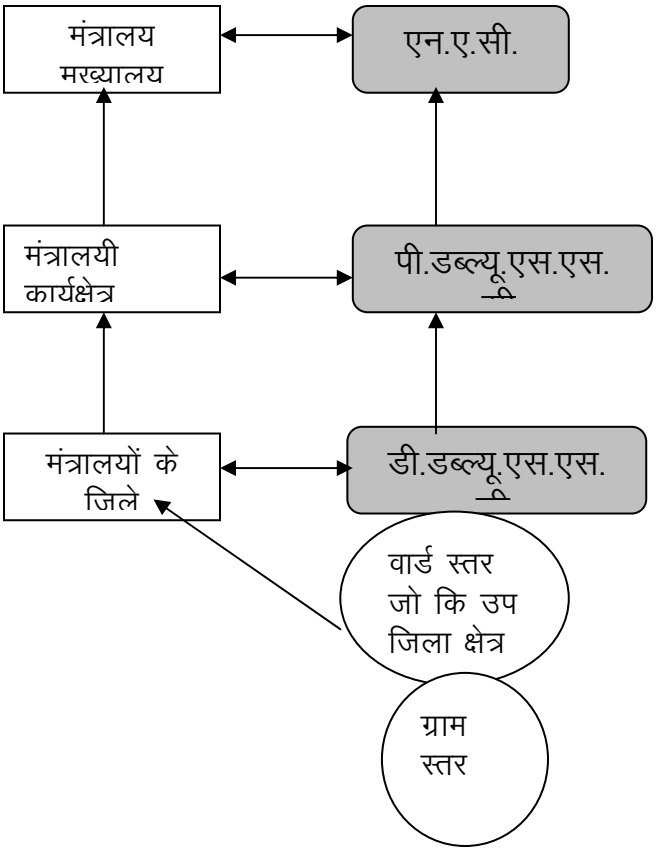

एक समस्या जो प्रमुख रूप से प्रकट हुयी वह यह है कि महिलायें अकुशल थीं तथा वे बगैर आय के ही रोजगार करती थीं। इस असामानता को व्यक्त करने हेतु एन.ए.सी. ने महिलाओं को कुँआ खोदने वाले कारीगर के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। इससे संबंधित पहले प्रयोग को माउन्ट डार्विन में किया गया जहाँ चार महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित महिलाओं को फिर पुरूषों के साथ जोड़ा बनाकर परियोजना क्षेत्र में भेज दिया गया। कुँआ खोदने वाले कारीगरों को तीन महीने तक अपने घर जाए बिना वहाँ रहना पड़ता था तथा निर्धारित संख्या में कुँओं को खोदने का कार्य पूर्ण करने पर ही उन्हें भुगतान किया जाता था। कुँआ खोदने वाली टीम को सुरक्षा वस्त्र भी उपलब्ध कराया जाता था।

चुनौतियाँ

जब एन.ए.सी. की टीम इस पहल को देखने हेतु पहुँची तो पाया कि महिलायें केवल खाना बनाने व टेन्ट की साफ–सफाई जैसे कार्यों को करती हैं तथा पुरूष ही कुँआ खोदने का कार्य कर रहे है। उनके समक्ष जो चुनौतियाँ थीं वे निम्नवत् हैं:

- महिलओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या उपरी वस्त्रों की बनावट से थी जो कि पारंपरिक रूप से पुरूषों के लिए उपयुक्त थे और इसलिए वे कूल्हों एवं स्तनों जैसे महिला अगों को उन वस्त्रों में ढकने में असमर्थ थीं। खुदाई के दौरान विशेषकर 15 मीटर की गहराई तक पहुँचने पर कुँए काफी गर्म हो जाते थे एवं खुदाई करने वाले इस दौरान अक्सर अपने आधे कपड़ों को उतार देते थे। परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि समूह में पुरूष व महिलायें दोनों ही कार्य करते थे।
- आमदनी प्रमुखतः कार्य के समापन पर ही मिलती थी न कि सप्ताह के अन्त में या महीने में। इस कारण से उन परिवारों व महिलाओं को समस्या होती थी जिन्हें अपने परिवारों जिसे वे अपने घर में छोड़कर आये हैं के रखरखाव के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी।
- साझा निवास स्थान होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि रहने हेतु टेन्ट की व्यवस्था पूरी टीम के लिए की जाती थी न कि केवल एक के लिए।

इसके बाद एन.ए.सी. की टीम पुनः अपने परिषदीय दल के पास गयी और विचार विमर्श के द्वारा एक महिला समूह के गठन का निर्णय लिया। शीघ्र ही यह विवाद उभर कर सामने आया कि सभी महिला समूहों में मौजूद महिलाओं का चयन सुन्दरता के आधार पर किया गया है न कि योग्यता के आधार पर। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि निरीक्षक जो कि एक पुरूष है अन्य समूहों की अपेक्षा महिला समूहों का निरीक्षण करने लगातार आता है। महिलाओं ने यह अनुभव भी किया और कहा कि इससे उनके व्यक्तिगत जीवन में भी दखलअन्दाजी होती है क्योंकि निरीक्षक कभी –कभी उस समय निरीक्षण करते थे जब वे पूरे कपड़ों में नहीं होती थीं।

एन.ए.सी. टीम पुनः अपने परिषदीय दल के पास वापस पहुँची तथा एक ऐसे महिला समूह के गठन का निर्णय लिया जिसमें विवाहित व विधवा दोनों महिलायें हों। अब उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अपने परिवारों से दूर तीन महीने तक कुँए को खोदने संबंधी कार्यों को करेंगी। प्रयास सफल रहा तथा यह इस परियोजना की सफलता का प्रथम मील का पत्थर साबित हुआ। अब दूसरी चुनौती यह थी कि महिलाओं को कार्य संबंधी जो कपड़ा दिया गया वह फिर से पारंपरिक रूप से पुरूषों के लिए ही अनुकूल था और यह उनके कूल्हों पर काफी दबाव देता था। महिलाओं ने इन्हें पहनने से पूर्ण रूप से इन्कार कर दिया। एन.ए.सी. टीम ने तब उन्हें ओवरकोट देने का निर्णय लिया जिसके बटनों को खोलने पर वह छाती के चारों ओर कस जाता था तथा यह आकार में छोटा भी था और झुकने के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं था। चूंकि महिलायें अपने परिवारों से

निरंतर मिलने जाती थीं जिससे खुदाई संबंधी कार्यों को पूरा करने में अधिक समय लगता था इसलिए उन्हें आय मिलने में भी देर हो जाती थी परिणामस्वरूप महिलायें कुँआ खुदाई टीम को बीच में ही छोड़कर चली गयीं। एन.ए.सी. ने यह अनुभव किया कि उनका यह प्रयोग भी असफल रहा तथा अब इसे बन्द कर देना चाहिए।

समुदायों के साथ मिलकर सलाहकार बैठकों का आयोजन

अन्त में एन.ए.सी. ने यह निर्णय लिया कि स्थानीय समितियों एवं समुदायों के साथ बैठक आयोजित कर सलाह ली जाए तथा उन्होनें उनसे यह भी पूछा कि आय आधारित रोजगार में महिलाओं को कैसे शामिल किया जा सकता है। तब समुदायों ने इस ओर संकेत दिया कि यदि उन्हें शौचालयों के निर्माण संबंधी कारीगरी में प्रशिक्षित किया जाए तो इससे वे गाँव में ही रहकर कार्य कर सकेंगी तथा उन्हें भुगतान मिलने में देर भी नही होगी एवं इस प्रशिक्षण से प्राप्त कौशल से वे स्वच्छता के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को भी लाभ पहुँचायेगें। आरंभ में महिलाओं को शौचालय निर्माण संबंधी प्रशिक्षण से दूर रखा गया क्योंकि वे उन मानको, जिसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित था कि ''निर्माण संबंधी अनुभव रखने वाले लोग'', को पूरा नहीं करती थीं जिसके परिणामस्वरूप काफी महिलायें इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं कर पायीं तब एन.ए.सी. ने यह निर्णय लिया कि वह अपने मानकों में लचीलापन लायेगा और तब जाकर गैर अनुभवी महिलाओं को भी इस प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्राप्त हुयी। आज की तारीख में ज्वीम्बा क्षेत्र के कुछ शौचालय निर्माण कारीगरों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कृत किया गया जिसमें से अधिकांश महिलायें ही थीं। यहां तक कि ज्वीम्बा जिले से काफी महिला कारीगर उभरकर सामने आयीं तथा समुदाय ने अनुभव किया कि महिलायें निम्न विशेषाधिकारों अथवा कम सुविधाओं में भी अच्छा कार्य करती हैं फिर भी उन्हें भुगतान वस्तुओं के रूप में ग्रहण करना पड़ता है।

<u>अनुभव</u>

इस केस अध्ययन से कई अनुभव उभर कर सामने आये:

- कुँए की खुदाई कार्यक्रम द्वारा जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं में जेण्डर समानता को लागू करने संबंधी पहल, आय आधारित रोजगार के माध्यम से महिलाओं की आय को बढ़ाने संबंधी प्रयास का एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि यह पहल ऐसे सुयोग्य पर्यावरण को उपलब्ध कराने में असफल रहा जो मानसिक एवं शारीरिक सुख एवं हितों को प्रदान करें ठीक इसी प्रकार कार्य स्थल पर आवास होने की समस्या, अनुकूल वस्त्रों का न होना तथा मजदूरी देने की प्रणाली भी एक गंभीर समस्या थी। इसलिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे पर्यावरण का ठीक से निरीक्षण करें तथा एक ऐसा पर्यावरण बनायें जो जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं में पुरूषों एवं महिलाओं को बराबर का भागीदार मानते हुए प्रतिभाग करने की अनुमति दे।
- अन्य अनुभवों के अन्तर्गत वे तरीके शामिल हैं जो जेण्डर समानता को लागू करने हेतु प्रयोग में लायी जाती हैं। ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से इंजीनियरी उपायों पर आधारित थीं तथा इनको क्रियान्वित करने से पहले प्रभावित लोगों से सलाह भी नहीं ली गयी थी।
- इस सोच के विपरीत, की महिलायें आय आधारित रोजगारों में रूचि नही दिखाती हैं, आय आधारित रोजगारों की स्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों व दबावों के कारण महिलायें प्रतिभाग करने से हिचकिचाती हैं। इसके अतिरिक्त पुनरूत्पादक, उत्पादक एवं सामुदायिक प्रबंधक के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के कारण वे प्रतिभाग करने में असफल होती थीं क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने निवास स्थान के पास ही रहना आवश्यक था, जिससे उनकी सभी भूमिकाएं प्रभावित होती थीं। इस सबके कारण क्षेत्र के अन्तर्गत ही काफी उलझन की स्थिति बनी रहती थी तथा यह

जल के उत्पादक प्रयोग के माध्यम से जीविका के साधनों को सुधारने पर ही केन्द्रित रहता था। यदि सिंचाई संबंधी स्थान घरों से बहुत दूर है तो वे महिलाओं जो सिचाई सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ थीं, को अपने कार्यों से समझौता करना पड़ता था तथा कभी–कभी अपने घरेलू कार्यों को भी त्यागना पड़ता था।

- चूंकि शौचालय निर्माण संबंधी कार्यों को गाँव जैसी सबसे निम्नतम इकाई में किया जाता है इसलिए समुदाय को शौचालय निर्माण हेतु महिला मजदूर ही स्वीकार्य थीं। महिलायें अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम थीं चूकि प्रत्येक शौचालय इकाईयों के समापन पर ही भुगतान किया जाता था इसलिए आय भी नियमित थीं। यह केस अध्ययन क्षमता विकास के पहलों को भी परिलक्षित करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि क्षमता विकास संबधी कार्य स्थल घरों से ज्यादा दूरी पर होते हैं तो महिलायें इनमें उपस्थित होने में असक्षम हो सकती हैं।

ज्ञान के प्रचार–प्रसार संबधी प्रमुख बिन्दुः

जेण्डर समानता के लिए राष्ट्र स्तरीय नीतियां अत्यन्त आवश्यक हैं। इसको बल प्रदान करने के लिए स्थानीय समर्थन की आवश्यकता है जो कि सलाहकार बैठकों से ही संभव है। सही उद्देश्यों के बावजूद भी उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशन कभी–कभी समुदाय की संस्कृतियों व सामाजिक ढाँचों पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं।

छायाचित्रः फुंगाई मकोनी

जेण्डर समानता को प्रयोग करने हेतु सूत्र आधारित विज्ञान नहीं बल्कि इसे कला के साथ–साथ शिक्षण प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए।

महिलाओं एवं पुरूषों द्वारा निभायी जा रही तीन भूमिकाओं को पहचान मिलना भी आवश्यक है। महिलाओं को पुनरूत्पादक, सामुदायिक व उत्पादक गतिविधियों में उपस्थित होने की आवश्यकता है। वे परियोजनाएं जो महिलाओं को उनके घरों से दूर कर देती हैं वे असफल हो जाती हैं।

महिलायें व पुरूष दोनों ही जल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों को भली भांति कर सकते हैं यह तो वहां का वातावरण ही है जो उन्हें प्रतिभाग करने हेतु योग्य बनाता है या हतोत्साहित करता है। महिला कारीगरों ने बताया कि उनके पास घर में ही प्रयोग करने हेतु पर्याप्त मात्रा में पुनः प्रयोग की जाने वाली आय स्रोत का भण्डार है। महिलाओं ने इस बात को स्वीकारा की उन्होने उन लोगों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई, जो कार्य पूर्ण होने पर भी समय से पैसा नहीं देते थे, इससे उन्हें कुछ धन की हानि भी हुई। इसके विपरीत दूसरी तरफ वे अपने घरेलू कार्यों में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण से प्राप्त नये कौशलों का प्रयोग करती थीं तथा इस प्रकार से वे बेहतर घरेलू ढाँचों से संबंधित राष्ट्र स्तरीय सोच को पूर्ण करने में भी सहयोग देती थीं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

राष्ट्रीय कार्यवाही समिति (एन.ए.सी.)
Att. Mashingayidze
मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रूरल रिर्सोसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर,
कुरिमा हाउस,
हरारे
दूरभाषः 263–4–704119

वाटर एण्ड सैनिटेशन विकास संस्थान
Att: Noma Neseni
बाक्स एम.पी. 422
माउण्ट प्लीसेन्ट
हरारे
दूरभाषः 263–4–250522
IWSD@admin.co.zw

संदर्भः

आई.डब्ल्यू.एस.डी., 2000, ऑपरेशनल गाइडलाइनः ए रिपोर्ट ऑफ द सेक्टर रिव्यू www.admin.iwsd, यूनीसेफ, जिम्बाम्बे।

आई.डब्ल्यू.एस.डी., 2000– इन्स्टीट्यूशनल अरेन्जमेन्टः ए रिपोर्ट ऑफ द सेक्टरः www.admin.iwsd या यूनीसेफ, जिम्बाम्बे।

हैमर, ए टेलर पी एण्ड माटुमबाइक, 1993। कन्ट्री लेवल कोलैबोरेशन, ए केस फॉर जिम्बाम्बे राष्ट्रीय कार्यवाही समिति, (एन.ए.सी.) विभिन्न रिर्पोटें।